दशम माला, खंड 38, अंक 1

सोमवार , 20 मार्च, 1995
29 फ़ाल्गुन 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 38 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

20 मार्च, 1995 के लोक सभा वाद-विवाद के

हिन्दी संस्करण का शुद्धि पत्र

.....

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
1	17	अनुपूरक अनुदानों की मांगें	अनुदानों को अनुपूरक मांगें
	31	सेक्शन; के, के	सेक्शन का;का
(11)	11;16	के;के	का; का
2	5	(क) से (ख)	(क) से (ड॰)
36	24	परियोजनाएं के पश्चात "से" का लोप कीजिए ।	
109	6	(ख) से (ड॰)	(ख), (ग) और (ड॰)
241	28	को	[illegible]
309	नीचे से 1	(ख) से (ग)	(ख) से (घ)
313	नीचे से 5	जोवन	जीवन
365	नीचे से 5	"आंध्र प्रदेश" के पहले (क) से (ग) जोडिये ।	
375	8	"वारंगल" के पहले (ख) और (ग) कलाकुडी से त्रिपुर -इण्डीकुलम खंड के अलवाय उप-खण्ड के बीच जोडिये ।	
415	14	श्री लाल बाबू राम 8	श्री लाल बाबू राय
477	2;16;18	लेखा;	लेखा :
		अनुपूरक अनुदानों को मांगें,	अनुदानों को अनुपूरक मांगें,
		अनुपूरक अनुदानों की मांगें	अनुदानों को अनुपूरक मांगें
479	2;39	सेक्शन के; धनराशि	सेक्शन; का; धन
480, 504, 539	11;13;28	के	का
480, 489	14;7	"शुल्क" के पश्चात "टैरिफ" जोडिये ।	
506	3	विधेयक में जोड दिया जाये	विधेयक का अंग बने।

विषय-सूची

दशम माला, खंड 38, तेरहवां सत्र, 1995/1916 (शक)
अंक 5, सोमवार, 20 मार्च, 1995/29 फाल्गुन, 1916 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	81, 83, 84 तथा 87-90	1—35
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या	(16.03.95) 61-80	35—56
	(20.03.95) 82,85, 86 तथा 91-100	57—76
अतारांकित प्रश्न संख्या :	(16.3.95) 553-72, 574-92 तथा 594-771	76—237
	(20.3.95) 772-810, 812-985, 987-1001	238—465
सभा पटल पर रखे गए पत्र		473—476, 539
लोक लेखा समिति		
तिरासीवां प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		477
परिवहन और पर्यटन सम्बन्धी स्थायी समिति		
बारहवां प्रतिवेदन—**सभा पटल पर रखा गया**		477
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1994-95 —**प्रस्तुत**		477
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक —**पुरःस्थापित**		477
नियम 377 के अधीन मामले		478—480
(एक) हौस्पेट-हसन-मंगलौर छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता		
श्री के.जी. शिवप्पा		478
(दो) रोजेस (नील गाय) से फसलों की सुरक्षा की आवश्यकता		
श्री गुमान मल लोढा		478
(तीन) पूर्व रेलवे के सियालदाह-लालगोला रेलवे सैक्शन के आधुनिकीकरण और विद्युतीकरण करने की लिए शीघ्र कदम उठाये जाने की आवश्यकता		
श्री प्रमथेस मुखर्जी		479
(चार) मुम्बई बम कांड के दोषी व्यक्तियों के मामलों की शीघ्र जांच करने तथा उन्हें सजा दिलाने की आवश्यकता		
श्री राम नाईक		479
(पांच) असम में जोलीकी सुति नदी पर शीघ्र सड़क बनाए जाने हेतु पर्याप्त धन दिए जाने की आवश्यकता		
श्री बालिन कुली		479—480
शुल्क टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश, 1994 के निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प और सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) विधेयक		480—503
विचार के लिए प्रस्ताव		
श्री जितेन्द्र नाथ दास		480—481
श्री मनमोहन सिंह		481—482, 501—503

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
श्री लोकनाथ चौधरी	482—484
श्री गुमान मल लोढा	484—487
श्री विजय कुमार यादव	487—488
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	489—491
प्रो. रासा सिंह रावत	491—495
श्री चित्त बसु	495—497
श्री अन्ना जोशी	497—499
श्री याइमा सिंह युमनाम	499—500
श्री गिरधारी लाल भार्गव	500—501
सीमा-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प—**अस्वीकृत**	
श्री जितेन्द्र नाथ दास	503
सीमा-शुल्क टैरिफ (संशोधन) विधेयक	
खंड 2 से 3 और 1	
श्री मनमोहन सिंह	503—504
पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प और	
पेटेंट (संशोधन) विधेयक	504—540
विचार के लिए प्रस्ताव	
श्री तरित बरण तोपदार	504—508
श्री एम. अरुणाचलम	509—510, 539—540
श्री राम कापसे	510—512
श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण	512—520
श्री गुमान मल लोढा	521—524
श्री रूपचंद पाल	524—531
श्री प्रताप सिंह	531—532
श्री विजय कुमार यादव	532—534
प्रो. रासा सिंह रावत	534—536
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	536—
डा. रामकृष्ण कुसमरिया	53
श्री अशोक आनंदराव देशमुख	9

लोक सभा

सोमवार, 20 मार्च, 1995/29, फाल्गुन, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

अमरीकी सहयोग से विद्युत उत्पादन

+

*81. **श्री रामपाल सिंह :**
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अमरीकी एजेंसी ने देश में जल विद्युत की तथा कचरे से विद्युत उत्पादन की वाणिज्यिक सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए अध्ययन करने के सम्बन्ध में रूचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में गैर-सरकारी मिलों के कचरे से विद्युत का उत्पादन करने के लिए कितने विद्युत-गृह लगाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) इन विद्युत-गृहों की स्थापना पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ङ) अमरीकी सरकार तथा अन्य अमरीकी एजेंसियों के सहयोग से स्थापित की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारत में जल-विद्युत की वाणिज्यिक शक्यताओं के संबंध में अध्ययन करने के लिए किसी भी अमरीकी एजेन्सी ने रूचि नहीं दिखाई है। जहां तक कचरे/बायोमास से विद्युत उत्पादन का संबंध है, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु राज्यों को एक अमरीकी फर्म से दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और दिल्ली के समीप एक परियोजना स्थापित करने के लिए एक भारतीय एजेन्सी व इसकी अमरीकी सहयोगी कंपनी से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) प्रवर्तकों द्वारा इन परियोजनाओं के पूरे ब्यौरे अभी तक प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

(ग) उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में गैर-सरकारी मिलों के कचरे से विद्युत उत्पादक यूनिटें स्थापित किए जाने हेतु केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) अमरीकी फर्म के अनुसार बम्बई तथा मद्रास के समीप प्रत्येक 50 मेगावाट वाले केन्द्र की लागत लगभग 208 करोड़ रुपये होगी। दिल्ली के समीप स्थापित की जाने वाली परियोजना का वित्तीय ब्यौरा अभी प्राप्त किया जाना है।

(ङ) आवश्यक सूचनाएं इस विवरण के साथ संलग्न अनुबन्ध में दी गई हैं।

अनुबन्ध

अमरीकी निजी क्षेत्र कम्पनियों द्वारा परंपरागत ऊर्जा में प्रकट की गई रूचियों का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	लागत (करोड़ रु.)	प्रकार	फर्म	कम्पनी का नाम
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश						
1.	गोदावरी	208	748.430	गैस/एनएपीटी	संयुक्त उद्यम	स्पैक्ट्रम टैकनोलोजी यूएसए/ जया फूड्स एण्ड एनटीपीसी
2.	जैगुरूपाडु जीबीपीपी	235	827.000	गैस/एनएपीटी	संयुक्त उद्यम	जीवीके इण्डस्ट्रीज लि., जयपुर
3.	कृष्णापट्टनम टीपीएस	2 x 500	3400.00	कोयला	विदेशी	जीवीके इन्डस्ट्रीज लि. एण्ड सिसोकोर्म इन्ट. पावर
	जोड़ : 3	1443.00	4975.430			
असम						
4.	अमगुड़ी जीबीपीपी	280	1280.00	गैस	विदेशी	असम पावर पार्टनर्स, नार्दर्न इंजी. इन्क. यूएसए/आगरा इण्डस्ट्रीज
	जोड़ : 1	280.00	1280.000			

1	2	3	4	5	6	7
हिमाचल प्रदेश						
5.	भाभवाड़ी एचईपी	70	272.00	हाइडल	विदेशी	हार्जा इंजीनियरिंग कम्पनी, यूएसए.
6.	हिब्रा एचईपी	231	708.500	हाइडल	विदेशी	हार्जा इंजीनियरिंग कम्पनी, यूएसए.
	जोड : 2	301.000	980.500			
कर्नाटक						
7.	अलमाटी डैम	600	1900.00	हाइडल	विदेशी	एशिया पावर कम्पनी लि. (टाप्को) यूएसए, के.पी.सी.
8.	होस्पैट टीपीएस	2x250	2240.00	कोयला	विदेशी	हॉक इन्टरकॉटिनेंटल लि. यूएसए.
9.	मैंगलोर टीपीएस	4x250	4387.480	कोयला	विदेशी	कार्जेट्रिक्स इन्क. यूएसए.
10.	रायचुर चरण-5 एवं 6	2x250	1922.000	कोयला	विदेशी	पब्लिक पावर इन्ट. इन्क. (उत्तर -पूर्वी एनर्जी), यूएसए.
	जोड़ : 4	2600.00	10449.480			
महाराष्ट्र						
11.	दभोल सीसीजीटी (एलएनजी)	2015 (695-पीएच)	9051.270	एलएनजी	विदेशी	एनरॉन डेवलपमेंट कारपोरेशन, जी.ई.एण्ड बैचटेल, यूएसए.
	जोड़ : 1	2015.00	9051.270			
मध्य प्रदेश						
12	महेश्वर एचईपी	10x40	1073.000	हाइडल	संयुक्त उद्यम	मै. एस. कुमार्स/बैचटेल, यूएसए.
13	पेंच टीपीएस	500	1500.000	कोयला	विदेशी	सोरोस फण्ड मैनेजमैंट, यूएसए.
	जोड़ : 2	900.00	2573.00			
उड़ीसा						
14.	बोमलाई टीपीएस	2x250	1750.000	कोयला	विदेशी	गलैक्सी पावर कम्पनी, यूएसए एण्ड इण्डेक ऑफ शिकागो।
15.	डुबुरी टीपीएस	500	1750.000	कोयला	संयुक्त उद्यम	कलिंगा पावर कारपोरेशन (एन ई पावर, यूएसए)।
16.	इब घाटी टीपीएस	420	1993.630	कोयला	विदेशी	ए ई एस कारपोरेशन, यूएसए।
17.	कामलांग्पा टीपीएस	2x250	2400.000	कोयला	विदेशी	एल एण्ड टी विट सी ई ए, यूएसए
18.	लापांगा टीपीएस	500	1750.000	कोयला	विदेशी	पायोनियर एण्ड पाण्डा इंजीनियरिंग, यूएसए-सामलाई (पी) लापांगा कम्पनी।
	जोड़ : 5	2420.00	9643.630			

1	2	3	4	5	6	7
तमिलनाडु						
19.	कुड्डालूर टीपीएस	2x660	5664.000	कोयला	विदेशी	इन्टरनेशनल कांट्रेक्टिंग एण्ड एमकेटी/ईजी, यूएसए
20.	पिल्लईपेरूमलनैल्लूर	300	1235.820	गैस-एनएपीएच	संयुक्त उद्यम	डायनाविजन आफ रेड्डी ग्रुप/जेमकोवस्की, यूएसए
21.	जीरो यूनिट (एनएलसी)	250	1325.110	लिग्नाइट	विदेशी	पावर सिस्टम इन्क, यूएसए
	जोड़ : 3	1870.00	8224.930			
प. बंगाल						
22.	बक्रेश्वर टीपीएस	420	1860.00	कोयला	संयुक्त उद्यम	डीसीएल कुलजियम कारपोरेशन, सीएमएस, जेनरेशन, यूएसए एण्ड डब्ल्यूबीपीडीसीएल
23.	डान्कुनी	20	70.00	गैस	संयुक्त उद्यम	स्पैक्ट्रम टैक्नोलोजी, यूएसए
24.	सागरदीघी टीपीएस	2x500	4960.000	कोयला	संयुक्त उद्यम	डीसीएल कुलजियम कारपोरेशन, सीएमएस, जेनरेशन, यूएसए एण्ड डब्ल्यूबीपीडीसीएल
	जोड़ : 3	1440.00	6890.00			
	कुल जोड़ : 24	13269.0	54068.240			

उन यूएस कंपनियों की सूची जिनका अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में योगदान निहित है

क्र.सं.	भारतीय	यूएस एजेन्सी	लक्ष्य
1	2	3	4
समझौता ज्ञापन पर जुलाई, 1994 में हस्ताक्षर किये गये			
1.	थर्मेक्स लि.	एफईआरसीओ यूएसए	उन्नत बायोमास गैसीकरण हेतु एक संयुक्त उद्यम
2.	भारत इलैक्ट्रिक लि. इंडिया	मै. पायर यूएसए	सौर फोटोवाल्टिक क्षेत्र हेतु
3.	मै. एमजी सोलर इंडिया	मै. मार्टिन मरियट्टा यूएसए	सौर फोटोवाल्टिक क्षेत्र हेतु
4.	सोलैक्स पैंटाफोर इंडिया	सोलैक्स यूएसए	सोलैक्स यूएसए और सोलैक्स पेंटाफोर इंडिया के बीच यूएसए में निर्मित फोटोवाल्टिक माडयूलस के घटकों को जोड़ने के लिये निर्माण करने की प्रक्रिया स्थापित करना।
5.	बानगुर ग्रुप कलकत्ता	कैनन पावर कैलिफोर्निया यूएसए	25 मेगावाट विंड फार्म ऑफ कैनन के निर्माण हेतु भारत में स्थायी रूप से कार्यालय खोलने के लिये प्रथम यूएस विंड एनर्जी कं. है।
6.	डेल्टॉन केबल्स इंडिया	ऊर्जा संवर्धन पद्धतियां/ ओवोनिक बैटरी कं. यूएसए	ओवोनिक निकल मैटल हाइड्राइड रिचार्जेबल बैटरियों के विनिर्माण और बिक्री हेतु संयुक्त उद्यम स्थापित करना।

1	2	3	4
7.	असवीन एडवांस्ड टैक. लि. इंडिया	मैनुफैक्चरिंग एंड टैक. कन्वर्जन इंटरनेशनल (एमटीसीआई)	प्रदूषण नियंत्रण पल्प और पेपर मिल्स, चीनी मिल्स तथा आस्वनशाला में ऊर्जा एवं रसायन की पुनः प्राप्ति हेतु स्टीम संशोधक प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग।
8.	इंडिया	यूएस-कनाडा कंसोर्टियम	भारत में चीनी मिल में बायोमास सह-उत्पादन हेतु परियोजना के विकास के लिये कंसोर्टियम।
9.	टीईआरआई एंड सिमभोली सूगर मिल लि.	यूएस-कनाडा कंसोर्टियम	चीनी मिल में बायोमास सह-उत्पादन हेतु पूर्व व्यवहार्यता विश्लेषण के प्रयोजन हेतु।
10.	सीआईआई	यूएस एक्सपोर्ट कांउसिल	नवीकरणीय ऊर्जा क्रियाकलापों के क्षेत्र में सहयोग हेतु।
जुलाई से दिसम्बर, 1994 के बीच समझौता ज्ञापन			
11.	मै. सिमैन्स सोलर		सौर फोटोवाल्टिक्स के क्षेत्र में अपने भारतीय क्रियाकलापों के शुरूआत की घोषणा।
12.	सन-सोर्स (आई) लि.	कैनन पावर, यूएसए	वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनाएं यथा सौर-पवन आदि हेतु।
13.	मै. इको सोलर पुणे	यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, यूएसए	700 मे.वा. वार्षिक क्षमता वाले कैडमियम पेलूराइड आधारित फोटो वाल्टिक मौडयूलैस के विकास हेतु।
14.	टी.ई.आर.आई. एंड विल्लार्ड इंडिया लि.	एनर्जी इंटरनैशनल को-आपरेशन, यूएसए	चीनी मिल में बायोमास सह-उत्पादन के लिए पूर्व व्यवहार्यता विश्लेषण हेतु।
15.	डिवाइसिज एंड सिस्टम्स लि. इंडिया	सी-वैस्ट, यूएसए	भारत में पवन ऊर्जा क्षेत्र को सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए दास-वैस्ट विंड एनर्जी सर्विस लि. की स्थापना हेतु।
16.	क्लेन एंड मार्शल मैनुफैक्चरस एंड एक्सपोर्टस मद्रास	सी-वैस्ट, यूएसए	नवीकरणीय ऊर्जा तथा पारंपरिक विद्युत की परियोजनाओं हेतु।
17.	मै. त्रिवेणी इंजी. इंडिया	जोड़ सिस्टम्स यूएसए	पवन टर्बाइनों के निर्माण एवं निजी क्षेत्र पवन ऊर्जा विकास हेतु।
समझौता ज्ञापन पर 21 दिसम्बर, 94 को हस्ताक्षर किए गए			
18.	एसईसी	एनआरईएल	सौर तापीय और फोटो वाल्टिक उत्पादों के क्षेत्र में सघन सहयोग हेतु गैर-एकायत्त वैज्ञानिक सूचना के आदान-प्रदान, सोलर रेडियेशन डाटा एकत्रण, विश्लेषण एवं प्रस्सरण, दोनों देशों में नवीकरणीय ऊर्जा नेटवर्क के बीच लिंक स्थापित करना।
19.	टीईआरआई	ओवोनिक्स बैटरी	उन्नत बैटरी कंसोर्टियम में ओवोनिक्स द्वारा प्राप्त की गयी महत्वपूर्ण प्रगति के सदुपयोग हेतु भारत के साथ दो-पहिया तथा तीन-पहिया स्कूटर के लिए विद्युत के विकास और बाजार में इसकी मांग बढ़ाने हेतु।
20.	मेल	ईपीआरआई	निम्न गति, विभिन्न गति पवन टर्बाइनों तथा उन्नत उच्च दक्षता पीवी कंसट्रेटरस।
21.	आईआरईडीए	आईएफपीईई	ऊर्जा दक्षता मामले में सहयोग हेतु।
22.	आईआरईडीए	सोलस्टर पावर एंड लाइट, यूएसए	पीवी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु।
23.	आईआरईडीए	ग्लोबल ट्रेड इन्क., यूएसए	इसका लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा उद्योगों के अवसंरचनात्मक वित्त पोषण को सशक्त बनाना है।

1	2	3	4
24.	आईआरईडीए	इंटरनैशनल डवलपमैंट बिजनेस कंसलर्टेंट्स	सहयोग से इरैडा का कारोबार नैटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के उद्देश्य हेतु।
25.	आईआरईडीए	एनवायरमैंटल एन्टर, एसीसटेन्स	भारत में बड़े पैमाने पर एनआरएसई परियोजनाएं अधिष्ठापित करने के लक्ष्य हेतु।
26.	टीईआरआई	यूएसए सोलस्टार पावर एंड लाइट,	पवन ऊर्जा संसाधन मानचित्र हेतु।
27.	एनईपीसी–माइकन	स्पायर कारपोरेशन	भारत में फोटोवाल्टिक मौडयूल निर्माण सुविधा को स्थापना हेतु जोकि नैपमाइकान के स्वामित्व में होगी और स्पायर प्रौद्योगिकी के सदुपयोग से इसकी व्यवस्था की जाएगी।
28.	अस्विन टैक. इंडिया, अजिनकायात्रा को–आप. सूगर फैक्टरी (महाराष्ट्र)	थर्मोकैम, यूएसए	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो जान पर और तदुपरांत सह–उत्पादन आधारित बायोगैस गैसीकरण हेतु एक निदर्शन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु।
29.	कलिंगा पावर कारपो. लि. इंडिया	एसैक्स हाइड्रो यूएसए	उड़ीसा राज्य भारत में कुल 11.5 मे.वा. की 2 लघु ज.वि. परियोजनाओं हेतु।
30.	इंटर. पावर कारपो. लि. इंडिया	एसैक्स हाइड्रो यूएसए	कर्नाटक राज्य में कुल 11 मे.वा. की कुल 2 लघु जल विद्युत परियोजनाओं हेतु।
31.	स्वास्ती पावर इंजीनियरिंग लि.	एसैक्स हाइड्रो यूएसए	उत्तर प्रदेश, भारत में लघु जल विद्युत रन–आफ–दी–रिवर परियोजना पर कुल मिलाकर 9–25 मे.वा. लक्षित क्षमता के साथ 3–5 संयंत्रों के निर्माण हेतु।
32.	इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ पैट्रोलियम	बायोएनर्जी डवलपमेंट कारपो. यूएसए	बोयोमास सहयोग हेतु।
33.	गुजरात आटो सर्विस लि.	अमरीकन मैथानोल इंस्टीट्यूट, यूएसए	दुलाई कार्य हेतु वैकल्पिक ईंधन।
34.	डायकन इंपैक्स इंडिया	हाई लिफ्टर इंटरनैशनल, यूएसए और अल्टरनेटिव एनर्जी इंजी. इन्क., यूएसए	नवीकरणीय ऊर्जा वाटर ऊर्जा पंप के निर्माण एवं विपठान हेतु।
35.	केरल, राज्य	ओप्टियम पावर यूएसए	25 मे.वा. के विंड फार्म हेतु सर्वप्रथम विद्युत क्रय समझौते हेतु।
26.	केईआई एनर्जी	कैनेटेक. यूएसए	भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों के विकास हेतु।
37.	केईआई एनर्जी इंडिया	जे. माकोवस्की कं., पैसिफिक गैस एडं इलैक्ट्रिक, यूएसए का एक प्रभाग।	बायोमास और कृषि अपशिष्ट विद्युत विकास हेतु।
38.		इन्टक ग्लोबल रिसोरसिज यूएसए	सौर ऊर्जा बोयोगैस आधारित विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मूल्यांकन के क्षेत्र में परियोजना विकास प्रयासों के शुरूआत की घोषणा।
समझौता ज्ञापन पर 13 फरवरी, 1995 को हस्ताक्षर किये गये			
39.	एनर्जी कंसलटैंट्स प्रा. लि.	टेनस इन्क. टैक्सस	सह उत्पादन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।
40.	मुकुल इंटरनैशनल प्रा. लि.	ईएचएफ कारपो. पैंसलवेनिया	10 मे.वा. सौर ऊर्जा संयंत्र, 100 मे.वा. कोयला ईंधन विद्युत संयंत्र 300 टीपीडी कोयला वाशिंग संयंत्र समेत, नई दिल्ली के निकट (एक ही स्थान पर)

1	2	3	4
41.	पैंटाफार	जॉड कारपो. कैलिफोर्निया	तमिलनाडु में 20 मे.वा. की पवन ऊर्जा परियोजना।
42.	आरईएस हैदराबाद	ईपीआरआई यूएसए	निम्न लागत फोटो वाल्टिक सेल्स के मूल्यांकन हेतु भागीदारी।
43.	स्वास्ती पावर इंजी. लि.	एकरैस इन्ट. कारपो. न्यूयार्क	उत्तर प्रदेश में लघु जल विद्युत परियोजनाएं।
44.	एमपीएसईबी	डॉडसन-लिंडब्लूम इंटरनैशनल/ इलनॉस एंड ओपीआईसी	डीएलआई भारतीय आर्थिक सहायता ओपीआईसी वित्तीय सहायता समेत के माध्यम से मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 5.1 मे.वा. की 5 लघु विद्युत परियोजनाएं (एसेंट हाइड्रो प्रोजैक्ट्स लि.)
45.	टेरी	लॉकहैड एन्वा. सिस्टम्स एंड टैक. (टैक्सास)/इकोनरजी इन्ट. कारपो. (डीसी) एंड ओपीआईसी	उत्तर प्रदेश में दो 50 मे.वा. के बायोमास ईंधन सह-उत्पादन संयंत्रों हेतु वित्त पोषण व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन कार्य हेतु।
46.	अबान-लायड चिल्स ऑफ-शोर लि.	कैनेटैक कारपो. कैलिफोर्निया	600 उन्नत पवन टर्बाइनों को प्राप्त करने के लिये बिक्री ठेका।
47.	सोलरीज सिस्टम्स कोचीन	इन्टेक ग्लोबल रिसोरसेज इन्क.	पालाकड़, केरल में 2 मे.वा. सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण हेतु।
48.	इरेडा एंड केईआई एनर्जी लि.	पैचटल कारपो.	भारत में नवीकरणीय प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक सदुपयोग को गति प्रदान करने के लिये सुविधा की व्यवस्था करना।
49.	एनपीईसी-माइकन लि.	ओमनियन पावर इंजीनियरिंग	तमिलनाडु में एक 150 कि.वा. एसपीवी विद्युत संयंत्र की अधिष्ठापना करना।
50.	उदय लि.	इन्टैक ग्लोबल रिसोरसेज इन्क.	ग्रिड इंटर एक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों हेतु इन्वरटरस तथा आनुषंगिक हार्डवेयर का विकास।
51.	इरेडा	ईपीआरआई कैलिफोर्निया	यूएस उद्योग पारस्परिक -प्रक्रिया और प्रति-भागीदार की प्रौद्योगिकी सहायता के लिए डिजाइन बनाना और पद्धतियों का मूल्यांकन करना।
52.	एमएनईएस	ईपीआरआई कैलिफोर्निया	पीवी, पवन और बायो मास पर जोर देते हुए एमएनईएस और यूएस यूटिलिटीज के बीच आपसी सहयोग करना।

[हिन्दी]

श्री रामपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर के 'क' भाग में बताया है कि कचरे/बायोगैस से विद्युत उत्पादन हेतु महाराष्ट्र और तमिलनाडु में एक अमरीकी फर्म से दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मंत्री जी ने अपने सम्मेलन में कहा है कि यदि निजी कम्पनियों से बिजली प्राप्त होगी तो वह मंहगी होगी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंहगी बिजली प्राप्त करने के लिए ये प्रस्ताव लाए गए हैं? साथ ही यह भी जानना चाहूंगा कि उस एजैंसी का क्या नाम है और वह योजना कब तक प्रारम्भ होने की संभावना है?

[अनुवाद]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : संयुक्त राज्य अमरीका की एक जेलक्रॉन नामक फर्म ने विद्युत मंत्रालय को महाराष्ट्र और तमिलनाडु में विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिये प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव अभी प्रारम्भिक अवस्था में है। इसकी लागत 200 करोड़ रु. है। उनके पास इस बारे में प्रौद्योगिक जानकारी है। उन्हें अभी अंतिम परियोजना तैयार करनी है अथवा परियोजना के व्यावहारिक पहलू सम्बन्धी रिपोर्ट बनानी है। इस विशेष कार्य मे

अपारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय सम्बन्धित है। हमने कचरे से ऊर्जा का उत्पादन करने सम्बन्धी 17 प्रस्ताव प्राप्त किये हैं। इस सम्बन्ध में अब यह प्रौद्योगिकी परिपक्व हो रही है। हम सारे देश के लिये एक योजना लागू करना चाहते हैं जिससे शहरी अपशिष्ट पदार्थ प्रबन्धन और पर्यावरण नियंत्रण कार्यक्रमों के साथ-साथ शहरी कचरे से भी बिजली पैदा की जा सके।

[हिन्दी]

श्री रामपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी प्रश्न में पूछा था कि क्या बिजली महंगी होगी या सस्ती होगी, इसके बारे में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

मैं दूसरा पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं। प्रश्न के इसी भाग के उत्तर में बताया गया है कि दिल्ली के समीप एक विद्युत परियोजना स्थापित की जाने वाली है। यह परियोजना कब तक स्थापित होगी और क्या इससे दिल्ली की आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाएगी? यदि नहीं, तो किस हद तक दिल्ली की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी?

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : जहां तक बिजली की जैनरेटिंग कास्ट का सवाल है, यह प्रपोजल अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में है, यह प्राथमिक अवस्था में है, इसलिए कीमतें एवेलेबल नहीं हैं, यह जवाब मंत्री जी ने दिया था।

दिल्ली में जो प्रोजैक्ट आने वाला है, वह भी अभी बहुत ही प्राथमिक अवस्था में है। यह 200 मैगावाट के प्रोजैक्ट का प्रस्ताव है। दिल्ली में बिजली की जरूरतें तो काफी ज्यादा हैं। इस प्रोजैक्ट से दिल्ली की आवश्यकताओं की पूर्ति तो नहीं हो पाएगी, मगर इसके साथ-साथ एनर्जी एफीसिऐंसी सैण्टर यह लगाना चाहते हैं।

[अनुवाद]

यह एक शैक्षणिक महत्व का होगा जिसमें प्रदर्शन के लिये माडल, प्रर्दशनी तथा क्लासरूम सुविधायें होंगी।

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह बताना चाहता हूं कि देश में विद्युत की भारी कमी के कारण किसानों को सिंचाई में और अनेक उद्योगों के विकास में आज के आधुनिक युग में बिजली की कमी के कारण रूकावट पैदा हो रही है। मध्य प्रदेश में लिफ्ट इर्रीगेशन स्कीम केवल इसलिए पैण्डिंग की गई हैं, क्योंकि बिजली का अभाव है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि निजी कम्पनियों ने भी इसमें रुचि कम दिखाई है तो इसको देखते हुए भारत सरकार विद्युत उत्पादन के लिए कौन-कौन से ऐसे उपाय करने जा रही है, जिससे किसानों को सुचारू रूप से बिजली की आपूर्ति हो सके?

श्री एन.के.पी. साल्वे : अध्यक्ष जी, इसका बहुत विस्तृत दायरा है। आप वजा फरमा रहे हैं। माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक कहा कि मुल्क में उर्जा उत्पादन की बहुत ज्यादा कमी है, हर तरफ शार्टेज है। दक्षिण में तो आजकल बहुत ज्यादा शार्टेज है। मध्य प्रदेश में शार्टेज है और हर सूबे में शार्टेज है। हम लोगों के पास, केन्द्र में और राज्यों में इतनी पूंजी उपलब्ध नहीं है कि हम लोग पर्याप्त उर्जा का उत्पादन कर सकें, क्योंकि यह बहुत कैपीटल इण्टेंसिव इण्डस्ट्री है। हम कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट सैक्टर में ज्यादा से ज्यादा लोग बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आ सकें।

मध्य प्रदेश में भी अलग-अलग कम्पनियों के लोगों को 20 प्रोजैक्ट्स दिये गये हैं। इसमें प्राइवेट सैक्टर जितनी जल्दी आ पाएगा, उसको जल्दी लाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। ऊर्जा का उत्पादन हो जायेगा तो हम कृषि के लिए, उद्योगों के लिए और घरेलू क्षेत्र के लिए उर्जा उपलब्ध करा सकेंगे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : बिजली क्षेत्र के लिए बने विशेषज्ञों के एक कार्यकारी दल ने क्या सरकार को आगाह किया है कि भारत में विदेशी, खास तौर से यदि अमेरिकी कम्पनियां निजी क्षेत्र में आईं तो बिजली महंगी होगी, बिजली उत्पादन और वितरण के सम्बन्ध में क्षेत्रीय असन्तुलन बढ़ेगा और इसका भुगतान तथा संतुलन पर भी गम्भीर असर पड़ेगा? यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या राय है?

इस प्रश्न में उत्तर प्रदेश के बारे में भी जिक्र किया गया है। उत्तर प्रदेश में बिजली का व्यापक संकट है, वहां बिजली की सप्लाई अनियमित हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से इस सवाल के 'ख' खंड में यह जानना चाहूंगा कि इस आकस्मिक कटौती से जो दुष्परिणाम हो रहे हैं तथा उद्योगों और फसलों को जो भारी हानि हो रही है, क्या उसकी जानकारी है? यदि हां, तो उसके सुधार के लिये वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के अंतिम भाग के उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

[हिन्दी]

श्री एन.के.पी. साल्वे : यह सही है कि इस बात की टीका की जा रही है कि निजी क्षेत्र में जो बिजली आयेगी वह महंगी होगी। जितनी भी टीका आई है और जिन लोगों ने की है, उन लोगों ने खुद आन्ध्र प्रदेश में इसको शुरू किया है। वहां तकरीबन उतनी ही कीमत लग रही है। हम सार्वजनिक क्षेत्र में खुद अपना जैनरेशन कर रहे हैं और वहां कैपिटल कॉस्ट उतनी ही लग रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोई भी इसे लगाना चाहे, लगा सकता है। अगर सस्ती लगाना चाहे, सस्ती लगा सकता है। यह उनकी वाजिब कीमत होगी। सैंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के बारे में संसद ने कानून बनाया है। वह इसकी पूरी जांच करती है। वह इस मामले में एक्सपर्ट है। उनकी कैपिटल कास्ट और जैनरेशन कास्ट वाजिब होने पर ही वह एप्रूव की जाती है।

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में विवरण दिया है कि हम कतिपय जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में देशी और विदेशी कम्पनियों से सहयोग करके विद्युत उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में महेश्वर परियोजना एस. कुमार को दी जा रही है तथा पेंच जल विद्युत परियोजना विदेशी कम्पनी को दी जा रही है। क्या यह बात सही है कि पेंच जल विद्युत परियोजना के बारे में स्वदेशी कम्पनी ने आग्रह किया था कि उन्हें यह कार्य दिया जाये, लेकिन उसका कार्य विदेशी कम्पनी यानी कि अमेरिकन कम्पनी को देने का क्या कारण है?

श्री एन.के.पी. साल्वे : अध्यक्ष महोदय, इसके लिये मुझे अलग से नोटिस देने की आवश्यकता होगी...**(व्यवधान)** आप सवाल का स्कोप देखें। माननीय सदस्य एक खास प्रकल्प के बारे में पूछ रहे हैं। उनका प्रश्न बायो मास से संबंधित नहीं है। इसलिये मैं इसकी जानकारी अभी नहीं दे सकता हूं।

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : आपने अपने विवरण में महेश्वर और पेंच परियोजना का उल्लेख किया है और मैंने उसी में से अपना प्रश्न किया है। अगर आप उसका उल्लेख नहीं करते तो प्रश्न नहीं पूछता।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपके उत्तर को स्वीकार कर लिया है।

श्री एन.के.पी. साल्वे : मैं आभारी हूं।

[हिन्दी]

श्री मुरली देवरा : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्राइवेट सैक्टर की बिजली उत्पादन की कम्पनियां इसलिये हिन्दुस्तान में आई हैं कि हमारे पास रिसोर्सिस की कमी है। यह बात सही है। हम इसके लिये उन्हें बधाई देना चाहते हैं। अभी उन्होंने कहा कि उनकी कीमतें ज्यादा हैं। यह गलत धारणा है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने प्राइवेट सैक्टर के पावर प्लांट हैं जिनका 3 करोड़ रुपये से कम एम.डबल्यू. का खर्चा है और कितने प्राइवेट सैक्टर के प्लांट हैं जिनका 4 करोड़ 25 लाख से भी ज्यादा एम.डबल्यू. का खर्चा है? इतना बड़ा अन्तर क्यों है?

[अनुवाद]

कोई एक मापदंड, एक पैमाना होना चाहिये जिससे यह तय किया जा सके कि वह अधिकतम मूल्य क्या हो सकता है जिसे राज्य बिजली बोर्ड विद्युत क्रय करार द्वारा अदा कर सके।

श्री एन.के.पी. साल्वे : माननीय सदस्य स्वयं संयंत्र स्थापित करने में सक्षम हैं । यदि कोई सस्ता संयंत्र स्थापित हो सकता है तो मैं उनका स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं।

श्री मुरली देवरा : 4 करोड़ रु. प्रति मेगावाट की दर से कोई भी बिजली संयंत्र स्थापित कर सकता है। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं।

श्री एन.के.पी. साल्वे : मैं इन्हें 4 करोड़ रु. प्रति मेगावाट से कम दर पर बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए आमंत्रित करता हूं, हम इसका स्वागत करेंगे।

श्री राम नाईक : यह एक अपमानजनक उत्तर है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को नाराज नहीं किया गया है।

श्री राम नाईक : मैं जानता हूं कि वे नाराज नहीं होंगे लेकिन संसद सदस्य के नाते हम अपमानित अनुभव करते हैं। **(व्यवधान)**

श्री एन.के.पी. साल्वे : यदि किसी माननीय सदस्य को दुख हुआ है तो मैं क्षमा मांगता हूं। मैंने सोचा था कि मैं माननीय सदस्य की प्रशंसा कर रहा हूं कि वे एक संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि वे इसे प्रशंसा ही मानेंगे।

श्री मुरली देवरा : मैं अनुभव करता हूं कि मेरी प्रशंसा की गयी है।

श्री एन.के.पी. साल्वे : बात कुछ भी हो, अब मैं अपनी बात पर आता हूं।

एक विचारणीय प्रश्न यह है कि लगाये जाने वाले संयंत्र के लागत मूल्य की तुलना करते समय यह देखना होता है कि चार, पांच, सात अथवा नौ सालों के बाद परियोजना लागत क्या होगी।

पांच वर्ष पहले स्थापित संयंत्रों के साथ उस लागत की तुलना करना अनुचित होगा। आज तो सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों की लागत को निजी क्षेत्रों के संयंत्रों के साथ तुलना करना ही एक मात्र विकल्प है। इस दृष्टि से विचार करने पर ही केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के तथ्यों की जानकारी होगी। आप हमें कोई खास परियोजनाएं बतायें जिसके बारे में आपको शिकायत हो।

इस बात को सभी कहते हैं कि लागत अधिक है। मैंने आपसे स्पष्टतः पूछा है कि ऐसा कोई राज्य बताएं जिसमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने किसी विशेष लागत को स्वीकार किया हो। हम आपको कारण बतायेंगे, हम आपको मापदंड बतायेंगे।

श्री मुरली देवरा : आप कितनी अधिकतम लागत स्वीकार कर रहे हैं।

श्री एन.के.पी. साल्वे : इसे निश्चित नहीं किया जा सकता। यह हर परियोजना में भिन्न-भिन्न होती है। जहां परियोजना विस्तार के लिये हो, जहां बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता न हो, वहां इसे निश्चित नहीं किया जा सकता, लेकिन जहां एक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता हो तो यह बुनियादी ढांचे पर ही निर्भर करता है। सिक्किम में यदि जल विद्युत संयंत्र लगाना हो, जहां सड़कें बननी हों, जहां 120 मील तक सड़कें बनानी हों तो यह सब इन्हीं बुनियादी ढांचे पर निर्भर करता है। अतः लागत संयंत्र के स्थान पर उस संयंत्र के बुनियादी ढांचे तथा तत्संबंधी पहलुओं पर निर्भर करती है।

मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि यह धारणा एकदम गलत है कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण उस लागत मूल्य को स्वीकार कर रहा

है जो उस लागत से अधिक है। जिस पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अपने संयंत्र स्थापित कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह सवाल पूछना चाहता हूं, देशी कंपनियां और विदेशी कंपनियां, जो विद्युत निर्माण के लिए भारत में काम शुरू कर रही है, उनका काम कब तक पूरा हो जाएगा और हम बिजली उत्पादन के क्षेत्र में शतप्रतिशत आत्म-निर्भर कब तक हो जायेंगे? मेरे प्रश्न का दूसरा भाग- ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के नाम पर हजारों गांवों में जो विद्युतीकरण हो चुका है, आप मंत्री जी क्या इसकी जांच करायेंगे? वास्तविकता यह है कि मौके पर बिजली का तार तो क्या खम्बा तक नहीं लगा है। पता नहीं किन कारणों से फर्जी विद्युतीकरण हुआ है। क्या आप प्रदेशों में यह जांच करायेंगे कि वास्तव में विद्युतीकरण हुआ है या नहीं और अगर कागजों मे हुआ है तथा वहां नहीं हुआ, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है और जो गुनाहगार है, उन को कब तक सजा देंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का अंतिम भाग राज्य सरकार प्राधिकरण से सम्बन्धित है। यदि आप चाहें तो आप प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था के खिलाफ नहीं हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सहायता तो केन्द्रीय सरकार देती है और केन्द्रीय सरकार अपने उस पैसे का उपयोग हुआ है या नहीं है, या प्रदेश सरकारों ने पैसा खा लिया है, इसकी जांच तो केन्द्रीय सरकार कराएगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कोई निर्धारित अवधि बता सकते हैं जिसमें भारत ऊर्जा के मामले में आत्म-निर्भर हो सके।

श्री एन.के.पी. साल्वे : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : भले ही आप मंत्री रहें या न रहें, आप जवाब तो दे सकते हैं।

श्री एन.के.पी. साल्वे : मैं मंत्री रहूं या न रहूं, उससे बिजली की सैल्फ-सफिशियेंसी की समस्या हल नहीं होगी। सैल्फ-सफिशियेंसी की समस्या को हल करने के लिए सैन्ट्रल इलैक्ट्रसिटी अथारिटी ने हमें रिपोर्ट दी है कि सन् 2007 तक अगर हम लोग एक लाख 48 हजार मेगावाट बिजली का ज्यादा निर्माण कर सकें, तो शायद हम लोग आत्म निर्भर हो जायेंगे। एक लाख 48 हजार करीब 200 बिलियन डालर्स यानि 600 करोड़ रुपए-यह कोई आसान लक्ष्य नहीं है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश है। सरकारों के पास पैसा नहीं है -न केन्द्रीय सरकार के पास पैसा है और न राज्यों के पास पैसा है। निजी क्षेत्रों से बहुत अच्छा रिसपांस आ रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे रिसपांस में किसी को MoU से न दें, बिड करके करें। फिर जो सवाल पूछे जा रहे हैं, आप ज्यादा कीमत दे रहे हैं, कैपिटल कास्ट ज्यादा एलाउ कर रहे हैं, ये सवाल नहीं आयेंगे। कोशिश है, निजी क्षेत्रों से आत्म-निर्भर हो सकें और यह कब हो सकेगा, मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है।

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, मेरे दूसरे सवाल का उत्तर भी करा दीजिए। जांच तो कर सकते हैं, करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : स्टेट गवर्मेंट्स नाराज हो जायेंगी।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु : इन्होंने अपने लिखित उत्तर में तथा जो मुरली देवरा के मौखिक प्रश्नों के उत्तर में, जो कुछ कहा है उससे स्पष्ट है कि बिजली उत्पादन के लिये निजी क्षेत्र की भागीदारी के सम्बन्ध में केन्द्रीय स्तर पर कोई भी एक-समान नीति नहीं है।

यही प्रतीत होता है कि प्रति यूनिट बिजली की लागत निश्चित करने के बजाय सरकार बिजली उत्पादन करने आ रही विदेशी कम्पनियों को बिना किसी प्रतिबंध के प्रोत्साहन दे रही है।

डाभोल परियोजना में....

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आयें।

श्री अनिल बसु : महोदय, मेरा विशेष प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि विदेशी कम्पनियां जो हमारे देश में विद्युत उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं विशेषकर संयुक्त राज्य अमरीका की इनरॉन कम्पनी जो महाराष्ट्र के डाभोल में बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित कर रही है, ने आय पर 16 प्रतिशत गारंटी देने के लिये जोर नहीं डाला है।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार ने आय पर 16 प्रतिशत गारंटी सम्बन्धी नीति की घोषणा की है और इस नीति के कारण डाभोल में इनरॉन कम्पनी को पूंजी देने वाली कम्पनियां, काउंटर गारंटी के लिये जोर दे रही थीं।

श्री एन.के.पी. साल्वे : यह सच नहीं है (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : इन्होंने इनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने कहा है कि "यह सच नहीं है"।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष जी, मंत्री जी उत्साहित हो करके यह कहें कि हम लोग निजी क्षेत्र से बहुत ही समर्थन पाने वाले हैं इसलिए सन् 2000 ईस्वी तक आत्मनिर्भर होने की संभावना देखते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जो विदेशी कंपनियां, खास करके बहुराष्ट्रीय कंपनियां हिन्दुस्तान में निमंत्रण करके लाई जा रही हैं। उस सिलसिले में सरकार उनके नफे को ले करके

यह भी गारंटी देती है कि हम लोग जितना उनका नफा नहीं होगा, जैसे मान लीजिए कोई राज्य सरकार नहीं दे पा रही है तो केन्द्र सरकार वह गारंटी देगी और राज्य सरकार से काट करके ले जाएगी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब इस तरह की सरकार का रूख है तो वे कैसे सोचते हैं कि सन् 2000 ईस्वी तक आत्मनिर्भर हो जाएंगे?

श्री एन.के.पी. साल्वे : अध्यक्ष जी, मैंने आत्मनिर्भरता की बात उत्साहित हो करके नहीं की है, बहुत अदब से की है। दूसरा, उसके नफे की हम कोई गारंटी नहीं देते, हमारी काउंटर गारंटी नफे की काउंटर गारंटी है ही नहीं।

[अनुवाद]

श्री डी. वेंकटेश्वर राव : जहां तक बिजली के पूंजी निवेश और उत्पादन का सम्बन्ध है, सरकार की नीति भ्रामक है। उदाहरण के लिये मुड्डानुरू नामक एक संयंत्र है जिसे आन्ध्र प्रदेश बिजली बोर्ड स्थापित कर रहा है और 588 मेगावाट यूनिट की कुल लागत 700 से 800 करोड़ रुपये के लगभग है। इसका अर्थ है कि एक मेगावाट से कम पर भी लागत 1.75 करोड़ रुपये के लगभग है जबकि गैर सरकारी क्षेत्र से इस क्षेत्र में आने वाले ये लोग 4 करोड़, 5 करोड़ अथवा 7 करोड़ रुपये तक दे रहे हैं। यह अभी निर्माणाधीन है। ये मेगावाट लागत 2 करोड़ रुपये से कम रख रहे हैं। लागत में कई विभिन्नताओं में से यह एक विभिन्नता है।

दूसरी ओर, एक और विभिन्नता यह है कि आंध्र प्रदेश में तापीय तथा पन बिजली परियोजनाओं का कुल उत्पादन 4588 मेगावाट है। अब यहां दिये गये उत्तर के अनुसार अनुमानित प्रस्ताव तथा अन्य बातें 38500 मेगावाट तक पहुंच रही हैं। यदि इस समय सरकार सारी बिजली का क्रय करती है तो बजट में आवंटित सारी राशि केवल बिजली क्रय कार्यक्रम के लिये देनी होगी। कागजों से बिजली क्षेत्र के लिये कुछ ऐसी ही बातों का आभास मिलता है।

इसके साथ-साथ सरकार....

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आयें।

श्री डी. वेंकटेश्वर राव : यह भ्रामकता की स्थिति है। इसे हमने अन्यत्र देखा है, वहां अत्यन्त भ्रामक स्थिति बनी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

श्री डी. वेंकटेश्वर राव : अभी हाल में मुझे बताया गया है कि सरकार ने राज्य सरकारों को आदेश जारी किये हैं कि गैर सरकारी क्षेत्र के लोगों द्वारा संयंत्र स्थापित करने के लिये नाम दर्ज करने अथवा आवेदन पत्र देने के लिये 18 फरवरी अंतिम तिथि है। क्या यह सच है? मैं जानना चाहता हूं कि बिजली परियोजनायें चालू करने हेतु सरकारों के लिये क्या यह अंतिम तिथि है? क्या बिजली क्षेत्र में लागत में कमी लाने की कोई ठोस योजना है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या ये परियोजनायें बोली के आधार पर आवंटित की जाएंगी या समझौता ज्ञापन के आधार पर।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा है कि ये बोली के आधार पर आवंटित की जायेंगी।

श्री एन.के.पी. साल्वे : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को कहा जायेगा कि 18 फरवरी के बाद ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार न करें जो समझौता ज्ञापन के आधार पर हो। ये नीलामी प्रक्रिया द्वारा आवंटित की जायेंगी।

इन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि कुछ परियोजनाओं की लागत 1.7 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट होगी। इस बारे में मेरे पास विवरण नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य मुझे लिखें तो मैं 1.7 करोड़ रुपये की परियोजना और अन्य परियोजनाओं के बारे में, जो परियोजना लागत का अंतर है उसकी जानकारी अवश्य दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री शरद दिघे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इस प्रश्न के लिये आधे घंटे का समय दे चुके हैं। श्री शरद दिघे द्वारा अपना अनुपूरक प्रश्न पूछने के बाद हम अगले प्रश्न पर आयेंगे।

श्री शरद दिघे : संयुक्त राज्य अमरीका तथा अमरीका की अन्य एजेन्सियों के सहयोग से इन बिजली परियोजनाओं को स्वीकार करते समय मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को कोई मार्गदर्शी निर्देश दिये हैं कि इसके लिये निविदायें आमंत्रित की जायें।

अध्यक्ष महोदय : श्री दिघे, इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है।

श्री शरद दिघे : महाराष्ट्र की डाभोल परियोजना के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि इसके लिये कोई निविदायें आमंत्रित की गयी थीं। मैं यह प्रश्न इसलिये पूछ रहा हूं कि वर्तमान सरकार यह घोषणा कर रही है कि इसमें निविदायें आमंत्रित नहीं की गयी हैं और इसलिये वे इस परियोजना की पुनरीक्षा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे काल्पनिक प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री मुरली देवरा : मंत्री महोदय उत्तर देने के लिये तैयार हैं। उन्हें उत्तर देने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने उत्तर दिया है कि ठेका नीलामी द्वारा दिया जाएगा।

श्री शरद दिघे : मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या कोई मार्गदर्शी निर्देश दिये गये हैं **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री वसुदेव आचार्य : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा स्वीकृत कर दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : आधा घंटा तो हो गया है।

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में मत्स्यन संबंधी नीति

+

*83. **श्री के.जी. शिवप्पा :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने परम्परागत मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए एक समिति गठित करके गहरे समुद्र में मत्स्यन संबंधी नीति की समीक्षा करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी;

(ग) क्या यह सच है कि इस क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों को नए लाइसेंस जारी करना रोक दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (तरुण गगोई) : (क) से (घ). आन्दोलनकारी मछुवारों द्वारा हाल में लगाए गए आरोपों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि संयुक्त उद्यम/लीजिंग/टेस्ट फिशिंग संबंधी स्कीमों के तहत गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों को चलाने के लिए और आवेदनपत्रों पर कार्रवाई तब तक न की जाए जब तक पूरी नीति की समीक्षा नहीं कर ली जाती। तदनुसार भारत सरकार के भूतपूर्व सचिव श्री पी. मुरारी की अध्यक्षता में 7 फरवरी, 1995 को एक पुनर्विलोकन समिति का गठन किया गया है। आशा है कि समिति 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट दे देगी।

श्री के.जी. शिवप्पा : अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक में गहरे समुद्र मत्स्यन की अधिक सम्भावनाऐं हैं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या गहरे समुद्र में मत्स्यन सम्बन्धी नीति की समीक्षा करते समय केन्द्रीय सरकार की सहायता से सहकारी समितियों का गठन किया जायेगा ताकि परम्परागत मछुआरे आधुनिक यंत्र किराये पर ले सकें।

श्री तरुण गगोई : वास्तव में एक समिति है जो सारे मामले पर विचार करेगी। हम कुछ सहायता उपलब्ध करा रहे हैं और सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने सहित सभी बातों पर विचार किया जाना है। इस समय भी कृषि मंत्रालय तथा मेरा मंत्रालय सहकारी समितियों को कुछ सहायता प्रदान कर रहा है।

श्री के.जी. शिवप्पा : लगभग सभी परम्परागत मछुआरे गरीब हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या बिचौलियों द्वारा शोषण रोकने और मछुआरों को गहरे समुद्र में मत्स्यन करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई विपणन सम्बन्धी सुविधायें प्रदान की हैं।

श्री तरुण गगोई : वास्तव में यह विषय कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित है और परम्परागत मछुआरे एक राज्य का विषय है। मेरा मंत्रालय सामान्यतः गहरे समुद्र में मत्स्यन से सम्बन्धित है। इसके बावजूद उन परम्परागत मछुआरों को सभी प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं जो गहरे समुद्र में मत्स्यन करने में रुचि रखते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, इसी विषय पर 12 दिसम्बर को शून्य प्रहर में मैंने यह बात उठाई थी और सारे सदन ने उसका राजनैतिक मतभेदों से ऊपर उठकर समर्थन किया था। मुझे खुशी है कि सरकार ने अब इस प्रकार की पुनः अवलोकन समिति बनाई है। अभी दो दिन पूर्व ही शुक्रवार को कलकत्ता में नेशनल फिशरीज एक्शन फोरम की मीटिंग हुई है और उन्होंने सरकार की नीति के विरोध में महात्मा गांधी के जन्म-स्थान से अनिश्चित काल के लिए अनशन करने की घोषणा की है। इस बात को देखते हुए मेरा प्रश्न यह है कि इस समिति के सदस्य कौन हैं? क्या फोरम के सदस्य इसमें हैं और क्या हमारी लोक सभा के सदस्य इसमें हैं? राज्य सरकार या मत्स्य विभाग में जो लोग काम करते हैं उनसे यह समिति विचार विमर्श करेगी या नहीं?

[अनुवाद]

श्री तरुण गगोई : मैं समिति के सदस्यों के नाम बता सकता हूं। श्री पी. मुरारी समिति के चेयरमेन हैं । इसमें कृषि, भूतल परिवहन, वाणिज्य, रक्षा, महासागर विकास विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधि भी होते हैं। इसके अलावा इस समिति में गुजरात के मत्स्यन विभाग के प्रभारी सचिव, महाराष्ट्र के मत्स्यन विभाग के प्रभारी सचिव केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल सरकारों के मत्स्य विभागों के सचिव तथा अन्य राज्य सरकारों के सचिव है। भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण के महानिदेशक भी इससे सम्बद्ध होते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : मेरा सवाल स्पेसिफिक है कि जब सदन ने इस प्रकार की आवाज उठायी थी तो क्यों नहीं लोक सभा का कोई सदस्य इसमें है? जन भावनायें सामने आएं इसके लिये समिति में आप संसद के सदस्यों को लेंगे या नहीं?

[अनुवाद]

श्री तरुण गगोई : यह एक सरकारी समिति है। यह समिति संसद सदस्यों के विचारों को भी ध्यान में रखेगी। आमतौर पर जब कोई अधिकारी चेयरमेन होता है तो मैं किसी संसद सदस्य को उसके अधीन नहीं रखना चाहता।

श्री लोकनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने और भी लाईसेंस दिये हैं। चूंकि सरकार ने इसका दायरा बढ़ा दिया है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने कुल कितने लाईसेंस दिये हैं?

अध्यक्ष महोदय : यह समिति के बारे में है।

श्री लोकनाथ चौधरी : दूसरी बात यह है कि क्या समिति का गठन करने से पहले क्या सरकार को इस बात की जानकारी थी कि कुछ क्षेत्रों में परम्परागत मछुआरों के अधिकारों का हनन हुआ है?

यदि सरकार ने कोई ऐसा अध्ययन किया है, तो क्या सरकार इस अध्ययन से समिति के गठन करने के निष्कर्ष पर पहुंची है या सरकार ने अपनी ही समझ से समिति का गठन किया है? सरकार ने किन कारणों से समिति का गठन किया है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि समिति के दिशा निर्देश क्या हैं? ये बातें जरूरी हैं। इसके अतिरिक्त ये लोग भूख हड़ताल पर जा रहे हैं, जैसा कि इन्होंने बताया है। इसे रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री तरुण गगोई : संसद सदस्यों तथा मछुआरों के आन्दोलन से उत्पन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, मैंने इस समिति का गठन किया है। इसके निर्देश पद ये हैं : (1) विशेषज्ञों के परामर्श से भारतीय (ई.ई.ज्येड) क्षेत्र में मत्स्य संसाधनों की सम्भावनाओं और वितरण की समीक्षा, (2) विभिन्न क्षेत्रों में अर्थात परम्परागत क्षेत्र, यंत्रीकृत नौकाओं के क्षेत्र और गहरे समुद्र के मत्स्य जलयानों के क्षेत्रों के माध्यम से समुद्री मत्स्य संसाधनों के वर्तमान दोहन की मात्रा सुनिश्चित करना, (3) यह सुनिश्चित करना कि क्या गहरे समुद्र मत्स्य नीति अथवा चार्टर के अन्तर्गत परम्परागत मछुआरे तो प्रभावित नहीं हुये हैं, और (4) यह सुझाव देना कि गहरे समुद्र मत्स्य क्षेत्र का विकास किस समय तक किया जाना चाहिये, जिसमें जलयानों की किस्में तथा संख्या तथा उनके संचालन सम्बन्धी सुझाव भी शामिल हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : सरकार ने समिति का गठन क्यों किया है?

श्री ए. चार्ल्स : सभा के सामने भारत सरकार की गहरे समुद्र मत्स्य नीति सम्बन्धी एक बड़ा प्रश्न है। संसद के पिछले सत्र के दौरान इस बारे में काफी चर्चा हुई तथा भ्रम पैदा हुआ था। इस बारे में भ्रम सारे देश में पैदा हुआ है। मुझे यह कहते हुये खेद है कि मंत्री महोदय के इस उत्तर में भी कहा गया है कि यह मंत्रालय केवल गहरे समुद्र मत्स्यन से सम्बन्धित है और परम्परागत मछुआरों की समस्या कृषि मंत्रालय के दायरे में आती है। यह निश्चिय ही हमारे लिए चिन्ता का विषय है। हम प्रश्न किससे पूछें? हम परम्परागत मछुआरों की समस्याओं से काफी चिंतित हैं क्योंकि उनका जीवन भारत सरकार की मत्स्य नीति से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।

क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या विशेषज्ञों की इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, यदि अनिवार्य हुआ तो वे कृषि मंत्रालय के साथ तालमेल करेंगे और देखेंगे कि किसी भी स्थिति में गहरे समुद्र मत्स्य नीति तथा लाईसेंस नीति का परम्परागत मछुआरों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और पिछले सत्र के दौरान दिये गये इस स्पष्ट आश्वासन को पूरा किया जायेगा कि वे परम्परागत मछुआरों को सहकारी आधार अथवा संयुक्त उद्यमों के आधार पर गहरे समुद्र मत्स्यन के लिये हर प्रकार की सहायता देंगे और यह भी कि उनके जीवन को सुरक्षा प्रदान की जायेगी ताकि परम्परागत मत्स्यन प्रभावित न हो।

श्री तरुण गगोई : मैं इस बात से चिन्तित हूं कि क्या गहरे समुद्र में मत्स्यन नीति से परम्परागत मत्स्यन तो प्रभावित नहीं हुआ है?

श्री ए. चार्ल्स : प्रभावित हुआ है।

श्री तरुण गगोई : यह यंत्रीकृत क्षेत्र से प्रभावित हुआ है। इसी कारण मैंने इस समिति का गठन किया है। मैं इस बारे में राष्ट्रीय मत्स्यन कार्यवाही समिति के चेयरमेन के वक्तव्य का हवाला दे सकता हूं। जो कुछ मैंने संसद में कहा है, वे उस बात से सहमत हुये हैं। मैं उनके वक्तव्य को उद्धृत करता हूं "यंत्रीकृत क्षेत्र से परम्परागत क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है"। उन्होंने यही कहा है।

श्री ए. चार्ल्स : इसका समाधान क्या है? मुझे आपका आरक्षण चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आपको पहले आरक्षण मिल गया है क्योंकि इन्होंने समिति का गठन कर दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बात ऐसी नहीं है। यह समिति छोटे मछुआरों का बचाव करने के लिये है, गठित की गयी है। आपको यह बात समझ लेनी चाहिये।

कायमकुलम ताप विद्युत संयंत्र

+

*84. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश :**
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक कायमकुलम ताप विद्युत संयंत्र के लिए "टाइम स्लाइस कान्सेप्ट" के अन्तर्गत अपने द्वारा स्वीकृत 40 करोड़ अमरीकी डालर की राशि को जारी करने हेतु सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस संयंत्र में उपयोग के लिए प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में नैपथा का आयात किया जाएगा तथा इस पर प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी; और

(ङ) इस संयंत्र के लिए स्वदेशी तेल शोधक कारखानों द्वारा कितनी मात्रा में नैपथा की आपूर्ति की जाएगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ङ). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग). राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन टी पी सी) द्वारा कायमकुलम परियोजना का वित्तपोषण, कंपनी के आंतरिक संसाधनों, बाजार से प्राप्त ऋणों और विदेशी वाणिज्यिक ऋणों से किए जाने का प्रस्ताव है। इसके साथ-साथ परियोजना को टाइम स्लाइस ऋण के अंतगंत वित्तपोषण हेतु विश्व बैंक के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया है।

(घ) और (ङ). यह संयंत्र दोहरा ईंधन-गैस/नेपथा होने का प्रस्ताव है। प्रचालन के 6000 घण्टों को ध्यान में रखते हुए नेपथा की

कुल वार्षिक आवश्यकता 0.45 टन प्रति वर्ष आंकी गई है। इसे आयात किया जाए अथवा इसे अपने देश में तैयार किया जाए, यह इसके वाणिज्यिक महत्व पर निर्भर करेगा। एन.टी.पी.सी. ने नेपथा का स्वदेशी तेलशोधक कारखानों से लिंक स्थापित किए जाने के मुद्दे को पहले ही पैट्रोल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ उठाया है।

श्री कोडीकुन्नील सुरेश : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या विश्व बैंक ने कायमकुलम ताप विद्युत संयंत्र के किये पैकेज की पेशकश की है और यदि हां, तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने विश्व बैंक से कुल कितनी राशि की मांग की है। वे कितनी राशि देने के लिये सहमत हुये हैं?

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : हमने इस परियोजना के लिये विश्व बैंक से सहायता की मांग की है और विश्व बैंक राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा कायमकुलम परियोजना के लिये सहायता के समर्थन में प्रस्तुत किये गये विवरण की जांच कर रहा है। बैंक ने कायमकुलम संयंत्र के लिये 258 मिलियन रुपये के ऋण का अनुमान लगाया है।

श्री कोडीकुन्नील सुरेश : कायमकुलम विद्युत परियोजना के लिये वित्तीय सहायता देने के बारे में विश्व बैंक तथा एन.टी.पी.सी. के बीच क्या शर्तें हैं?

श्री एन.के.पी. साल्वे : करार को अंतिम रूप दिये जाने पर ही हमें शर्तों का पता चलेगा।

प्रो. पी.जे. कुरियन : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि परियोजना का वित्तपोषण कम्पनी के आंतरिक संसाधनों से बाजार से प्राप्त ऋण और विदेशी वाणिज्यिक ऋणों से किया जायेगा। इसके साथ-साथ परियोजना को आंशिक वित्तपोषण हेतु विश्व बैंक के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुये कि परियोजना का प्रस्ताव कम से कम सात वर्ष पहले किया गया था और इस बात को भी ध्यान में रखते हुये कि परियोजना पर पहले ही 15 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं और मंत्री महोदय ने एक वर्ष पहले इस परियोजना की नींव रखी थी, मैं एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि विश्व बैंक सहायता नहीं देता तो परियोजना का क्या होगा?

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या काम शुरू करने के बारे में कोई समय निर्धारित किया गया है और इस परियोजना को कब शुरू किया जायेगा। यदि हां, तो कृपया मुझे बतायें।

श्री एन.के.पी. साल्वे : यह सच है कि परियोजना भूतपूर्व सोवियत संघ और भारत के आपसी प्रोटोकोल के अन्तर्गत 1988 में शुरू की गयी थी। कायमकुलम परियोजना को सोवियत सहायता प्राप्त परियोजना के रूप में चुना गया था। लेकिन पूर्व सोवियत संघ में हुई राजनैतिक घटनाओं के कारण परियोजना में विलम्ब हुआ। लेकिन यह परियोजना माननीय सदस्य के चुनाव क्षेत्र में है। ये जानते हैं कि हम इसके कार्यान्वयन के लिये बहुत उत्सुक हैं।

हमने दो पैकेज लिये हैं। पहला तो यह है कि यदि हमें विश्व बैंक का ऋण मिलता है तो यह पहला पैकेज है और यदि नहीं मिलता तो यह दूसरा पैकेज होगा।

1318 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत के लिये हमारे अंदरूनी संसाधन 393.17 करोड़ रुपये के हैं।

मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि परियोजना दोहरा ईंधन-गैस और नैपथा के आधार पर कार्यान्वित की जायेगी, कोयले के आधार पर नहीं — और परियोजना को बहुत शीघ्र कार्यान्वित किया जायेगा।

श्री पी.सी. थामस : यह भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। इसे मूलतः 2488 मेगावाट का बनाया गया था। हम सहायता के लिये साथ गये थे लेकिन असफल हुये और फिर जापान गये, वहां भी असफल हुये। हम समझते हैं कि असफलता का मुख्य कारण यह था कि हम 2488 मेगावाट से पीछे हट गये जिसे परियोजना के लिये और 420 मेगावाट पर पहुंच गए जो अत्यधिक व्यय को देखकर व्यवहार्य नहीं पाया गया।

अतः मैं जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय तथा सरकार इस बात का ध्यान रखेंगे कि परियोजना को 2488 मेगावाट की मूल योजना के अनुसार कार्यान्वित किया जाये। दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि परियोजना से सप्लाई के बारे में क्या कोई शर्तें हैं और क्या सप्लाई दूसरे राज्यों को की जानी है अथवा क्या इसे केरल को दिया जाना है अथवा इसके लिये क्या कोई ऐसी शर्तें हैं।

श्री एन.के.पी. साल्वे : सरकार के पास क्षमता को 400 मेगावाट से बढ़ाकर 2488 करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है और संयंत्र से उत्पन्न बिजली केरल को दी जायेगी।

जल विद्युत उत्पादन

+

*87. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**
श्री महेश कनोडिया :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में समग्र विद्युत उत्पादन की तुलना में जल विद्युत उत्पादन के योगदान की प्रतिशतता में योजना-दर-योजना कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जल विद्युत उत्पादन के पर्यावरण के अत्यधिक अनुकूल होने के गुण को देखते हुए सरकार का विचार जल विद्युत उत्पादन क्षमता का अधिक से अधिक दोहन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस शताब्दी के अन्त तक इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 1963-64 से देश की समग्र अधिष्ठापित क्षमता में जल विद्युत के संबंधित भाग में कमी आई है।

(ख) विभिन्न योजना अवधियों के अंत में जल विद्युत उत्पादन हेतु अधिष्ठापित क्षमता नीचे दर्शाई गई है :-

क्रं.सं.	योजना के अंत में	कुल क्षमता (मे.वा.)	जल विद्युत क्षमता (मे.वा.)	जल विद्युत कुल का %
1.	(1)	2695	940	35
2.	(2)	4653	1917	41
3.	(3)	9027	4124	46
4.	(4)	16663	6965	42
5.	(5)	26680	10833	41
6.	(6)	42585	14460	34
7.	(7)	63636	18308	29
8.	(8)	89372 *	22993 *	25.7*

* प्रत्याशित

(ग) और (घ). देश में उपलब्ध जल विद्युत शक्यता के बेहतर समुपयोजन हेतु शुरू किये गये उपायों में ये शामिल हैं : बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की विशेष कंपनियों का गठन, जल विद्युत स्कीमों के लिए बजटीय सहायता समेत अधिक योजना आबंटन करना तथा जल विद्युत विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान करना।

श्री श्रवण कुमार पटेल : 28.12.1994 को राज्य सभा में किये गये प्रश्न के उत्तर में दिये गये आंकड़ों से पता चलता है कि दो पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में अर्थात छठी और सातवीं योजना में 7,474 मेगावाट की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई जबकि आठवीं योजना के पहले 3 वर्षों के दौरान 2,111 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता का सृजन किया गया। आठवीं योजना के शेष दो वर्षों के दौरान 7,171 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता की वृद्धि किये जाने का लक्ष्य है, जो तीन पंचवर्षीय योजनाओं के 15 वर्षों में बनी कुल क्षमता के ही बराबर है।

अतः मैं जानना चाहता हूं कि लक्ष्य को पूरा करने के लिये आठवीं योजना के शेष दो वर्षों के दौरान क्या विशेष कदम उठाये जायेंगे और क्या मंत्री महोदय को लक्ष्य पूरा करने की आशा है और क्या वे सभा को आश्वासन देंगे कि इस लक्ष्य को पूरा किया जाना सम्भव होगा।

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : मूल प्रश्न के उत्तर में हम कह चुके हैं कि जल विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिये हम क्या कदम उठा रहे हैं। देश में उपलब्ध जल विद्युत क्षमता के बेहतर उपयोग हेतु उठाये गये कदमों में से कुछ ये हैं :- (I) बड़ी जल विद्युत परियोजनाऐं स्थापित करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की विशेष कम्पनियों का सृजन - जल विद्युत परियोजनाओं का उपयोग करने के लिये कम से कम छः केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का सृजन किया गया है। (II) जल विद्युत स्कीमों के लिये बजटीय सहायता समेत अधिक योजना आबंटन करना तथा (III) जल विद्युत विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिये विशेष प्रोत्साहन प्रदान करना।

श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या मैं जान सकता हूं कि जल विद्युत उत्पादन तथा ट्रांसमिशन तथा तापीय और आणविक विद्युत की तुलनात्मक लागत क्या है और यह कहां तक अपेक्षाकृत आर्थिक रूप से अनुकूल है; देश में कुल कितनी क्षमता जल विद्युत उत्पादन क्षमता का उपयोग किया जाना शेष है और इस क्षमता का अधिकाधिक उपयोग के लिये क्या कोई कार्य योजना बनायी गयी है?

श्री एन.के.पी. साल्वे : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 60% संयंत्र चार गुणक की गणना से कुल क्षमता 84,044 मेगावाट निश्चित की है। इसमें से विकसित तथा प्रयुक्त की गई क्षमता 12,408,97 मेगावाट है और विकासाधीन क्षमता 5,829.30 मेगावाट है, तापीय तथा जल विद्युत के बीच संतुलन रखना हमारे लिये जरूरी है और मैं पहले कह चुका हूं कि हम समूचे विद्युत प्रणाली विशेषकर ट्रांसमिशन तथा वितरण को अधिक कार्यकुशल बनाने के लिये हम तीन उपाय कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सूरज मण्डल : अध्यक्ष महोदय, विद्युत उत्पादन के लिए नयी योजना बनाने का सरकार का इरादा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि दामोदर वैली कार्पोरेशन से संबंधित तिलैया, डी.वी.सी. और पंचेट, तीनों हाइडल प्रोजेक्ट्स की क्षमता दिन प्रतिदिन घट रही है और तिलैया के रिजरवॉयर से बहुत ज्यादा विद्युत का उत्पादन होना चाहिए लेकिन यह 10 मेगावाट ही रखा गया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन पुराने जल विद्युत योजनाओं को फिर से मजबूती के साथ बनाने का काम करेगी ताकि उनकी क्षमता के अनुसार पूरा उत्पादन हो सके?

श्री एन.के.पी. साल्वे : दामोदर वैली के जिन प्रकल्पों का माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं उसकी मालूमात मेरे पास नहीं है, मगर मैं सिद्धांततः कह सकता हूं कि जो भी हमारे मौजूदा प्रकल्प हैं और सेन्ट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग्ज़ के हैं, उनको सुधारने के लिए हम यथासंभव कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

अन्तर्देशीय जलमार्ग

*88. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय सभी विद्यमान राष्ट्रीय अन्तर्देशीय जलमार्गों का प्रयोग हो रहा है;

(ख) क्या इन जलमार्गों का प्रभावी प्रयोग किऐ जाने के बारे में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसमें क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग). एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) और (ग). तीन राष्ट्रीय जलमार्गों, अर्थात गंगा, ब्रह्मपुत्र और पश्चिमी तटीय नहर को राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित करने से पहले उनका तकनीकी-आर्थिक व्यावहार्यता अध्ययन किया गया था।

इन अध्ययन कार्यों से पता चला है कि ये तीनों जलमार्ग, अर्थात् गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली का हल्दिया-इलाहाबाद खंड (1620 कि.मी.) ब्रह्मपुत्र नदी का धुबरी से सैदिया खंड (891 कि.मी.) और चम्पाकारा नहर (14 कि.मी.) और उद्योगमंडल नहर (23 कि.मी.) के साथ-साथ पश्चिमी तटीय नहर का कोट्टापुरम से कोल्लाम खंड (168 कि.मी.) ईंधन की दृष्टि से किफायती और परिवहन का पारिस्थितिक अनुकूलन होने के अतिरिक्त अंन्तर्देशीय जल-परिवहन के प्रभावी प्रयोग के आर्थिक दृष्टि से व्यावहार्य भी हैं।

श्री विजय कृष्ण हान्डिक : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 में किया गया था, फिर भी इसने कुछ जलयानों को जलमार्गों पर भेजा है। भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा किये गये एक अध्ययन में सिफारिश की गयी है कि राज्य सरकारों से कहा जाये कि बड़ी-बड़ी नदियों के निकटवर्ती क्षेत्रों में नियोजित एवं तेज गति से उद्योग स्थापित करें ताकि वर्तमान जलमार्गों का इस्तेमाल हो और नये जलमार्ग भी बन सकें। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या राज्य सरकारों ने सिफारिशों पर कोई कार्यवाही की है और क्या उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उन्हें नहर खोदने, नौका तथा यातायात प्रबन्ध जैसी बुनियादी सुविधायें प्रदान की जायेंगी।

श्री जगदीश टाइटलर : इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सिफारिश थी और हमने राज्य सरकारों विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से अनुरोध किया था। खुशी की बात है कि उन्होंने उस सिफारिश पर कार्यवाही शुरू कर दी है।

श्री विजय कृष्ण हांडिक : अध्यक्ष महोदय, अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, असम ने दावा किया है कि ब्रह्मपुत्र नदी का धुबरी-तेजपुर क्षेत्र-जिसका विवरण में जिक्र है—रेलवे और राज्य परिवहनों के बाद परिवहन के मामले में हमेशा तीसरी शक्ति रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या धुब्री से तेजपुर के क्षेत्र का विस्तार करने की आवश्यकता है और क्या परिवहन सेवा में सुधार की आवश्यकता है? इस सम्बन्ध में अन्तर्देशीय जल मार्ग (आई.डब्ल्यू.टी.) ने प्रस्ताव एक दिया है; यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इसे स्वीकार कर दिया है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या धुब्री तथा कलकत्ता के बीच के क्षेत्र को फिर से नियमित रूप से खोलने पर सरकार विचार कर रही है?

श्री जगदीश टाइटलर : धुब्री और पांडु में टर्मिनल सुविधायें उपलब्ध हैं और भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा पूर्वोत्तर परिषद के क्षतिग्रस्त आर.आर.सी.सी. पुश्ते पुनः बनाने का निर्णय भी लिया गया है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 24 घंटे की नौका या जल परिवहन सुविधायें प्रदान करने का भी प्रस्ताव है जिस पर कार्यवाही की जा चुकी है तथा निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

श्री इन्नान मोल्लाह : मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि सरकार को यह तकनिकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट कब उपलब्ध हुई और उन जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने को छोड़कर रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या परिवहन लाबी इन जलमार्गों का विस्तार करने का विरोध कर रही है और इस कार्यक्रम में विलम्ब कर रही है और यदि हां, तो सरकार उस स्थिति का सामना करने के लिये तथा इस प्रणाली को लागू करने के लिये क्या कदम उठा रही है जो ईंधन खपत की दृष्टि से अर्थक्षम है और जिसके द्वारा हम अपने देश के उपलब्ध जल संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं।

श्री जगदीश टाइटलर : पहली बात यह है कि कोई भी परिवहन लाबी हमें प्रभावित नहीं कर सकती। इसका प्रश्न ही नहीं उठता। हम हर उस उपाय को प्रोत्साहन दे रहे हैं जिसमें जलमार्गों का उपयोग किया जाये।

श्री इन्नान मोल्लाह : क्या उपाय किये गये? हर उपाय एक निरर्थक उत्तर है।

श्री जगदीश टाइटलर : हमने रियायतें दी हैं। हम ड्रेजिंग कार्य करवा रहे हैं। हम 24 घंटे की नौ परिवहन सम्बन्धी सुविधायें प्रदान कर रहे हैं जिसकी व्यवस्था की जा रही है। इस बात का ध्यान रखने के लिये यथासम्भव प्रयास किये जा रहे हैं कि नदी जलमार्ग में नौकायें या जलयान चल सकें। इतना ही नहीं, हम पुश्ते भी बना रहे हैं। हम माल ढुलाई के लिये रियायत दे रहे हैं, सरकार कार्गो कार्य (माल

दलाई) के लिये वास्तविक रियायतें दे रही हैं। हम नौकाओं का क्रय करने के लिये प्रोत्साहन तथा सहायता भी दे रहे हैं जिसके लिये सरकार राजसहायता भी दे रही है। हम यथासम्भव प्रयास कर रहे हैं। यदि माननीय सदस्यों या उद्योग से कोई और सुझाव आते हैं तो उनका स्वागत किया जायेगा और हम उस पर विचार करेंगे।

नेपाल के उप-प्रधान मंत्री की भारत यात्रा

+

*89. **श्री लोकनाथ चौधरी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के उप-प्रधान मंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय शिष्ट मंडल हाल ही में भारत की यात्रा पर आया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच किन-किन विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा हुई और प्रत्येक मुद्दे के संबंध में हुई चर्चा का क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या नेपाल सरकार ने "1950 की शान्ति और मैत्री संबंधी सन्धि" सहित भारत के साथ अपने वर्तमान कुछ समझौतों की पुनरीक्षा करने की कोई इच्छा व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई पहल की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (च). एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

1. नेपाल के उप-प्रधान मंत्री तथा विदेश और रक्षा मंत्री श्री माधव कुमार विदेश मंत्री के आमंत्रण पर 6 से 10 फरवरी, 1995 तक भारत की यात्रा पर आए। उनकी इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय मसलों, भारतीय उप महाद्वीप की स्थिति तथा आपसी हित के अन्य मसलों पर सहज, मैत्रीपूर्ण और आपसी समझ-बूझ के वातावरण में व्यापक बातचीत हुई जो भारत तथा नेपाल के बीच विशेष पारस्परिक संबंधों की द्योतक है।

2. इस बातचीत के दौरान संबंधों को मजबूत बनाने के लिए बहुत से नए सुझाव दिए गए जिन पर निकट भविष्य में नेपाल के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा से पूर्व दोनों सरकारों द्वारा और आगे बातचीत तथा विचार-विमर्श किया जाएगा।

3. नेपाल के उप-प्रधान मंत्री ने भारत तथा नेपाल द्वारा 1950 में सम्पन्न शान्ति और मैत्री संधि पर विचार-विमर्श का भी सुझाव दिया। इस सुझाव पर भारत-नेपाल संबंधों के समग्र पहलुओं पर विदेश कार्यालय स्तर के परामर्शों के दौरान विचार-विमर्श किया जाएगा और यह परामर्श निकट भविष्य में होगा जिसका उद्देश्य दोनों देशों के अद्वितीय पारस्परिक संबंध को बरकरार रखने और उसे मजबूत बनाने के तौर-तरीकों पर विचार करना है।

4. नेपाल के उप-प्रधान मंत्री की यह भारत यात्रा एक सद्भावना यात्रा थी और नेपाल के प्रधान मंत्री श्री मनमोहन अधिकारी की भावी यात्रा के संबंध में तैयारी-यात्रा भी थी। इस यात्रा से आपसी समझ-बूझ स्पष्ट हुई और बढ़ी तथा हमारे समग्र क्रियाकलाप का सिलसिला बहाल हुआ।

श्री लोकनाथ चौधरी : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि नेपाल के उप-प्रधान मंत्री ने 1950 की मैत्री संधि में कुछ परिवर्तन करने का प्रश्न उठाया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कोई ठोस सुझाव दिया है, उन्होंने कहाः इस पर विचार किया जायेगा। हम जानना चाहते हैं कि क्या उप-प्रधान मंत्री ने 1950 की संधि में संशोधन करने के लिये किसी ठोस सुझाव का संकेत दिया है।

श्री आर.एल. भाटिया : उप-प्रधान मंत्री ने इस बात का जिक्र किया था। लेकिन उन्होंने कहा कि 1950 की संधि के कुछ खंड निरर्थक हो गये हैं। इसके लिये हमने विदेश सचिवों की एक समिति का गठन किया है जो इस पर विचार करेगी क्योंकि हमारे नेपाल के साथ विशेष प्रकार के सम्बन्ध हैं। उनके सुझावों पर हम विचार करेंगे और इस हेतु दोनों विदेश सचिव बैठक करेंगे और इस सम्बन्ध में बातचीत करेंगे।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि बातचीत के दौरान क्या कोई संकेत मिला कि संधि में संशोधन विपरीत दिशा में होगा।

इसके अतिरिक्त, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि अन्य बातों पर भी चर्चा की गयी। अतः मैं जानना चाहूंगा कि किन-किन बातों पर चर्चा हुई।

श्री आर.एल. भाटिया : प्रश्न के पहले भाग के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि 1950 की यह संधि अब तक अच्छी तरह से चली और दोनों देशों के बीच सम्बन्ध बहुत अच्छे रहे। प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि टनकपुर विद्युत परियोजना के बारे में चर्चा हुई थी और वे रेल के लिये एक दूसरे मार्ग के बारे में भी चर्चा करना चाहते थे। इन्हीं बातों पर चर्चा हुई।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : निस्संदेह मंत्री महोदय इस बात को जानते हैं कि नेपाल में एक भारत विरोधी लाबी काम कर रही है जो इस बात का प्रचार करने की कोशिश कर रही है कि उनके विचार में अतीत में भारत ने नेपाल के प्रति जो अन्याय किया है और जो असम्मत शर्तें नेपाल पर थोंपी हैं, उनका समाधान नहीं होगा और इन शिष्ट मंडलों—अभी हाल में उप प्रधान मंत्री भारत आये और प्रधान मंत्री के आने की सम्भावना है—के आगमन से जल तथा टनकपुर परियोजना से पैदा होने वाली बिजली की भागीदारी के संबंध में नेपाल के प्रति किये गये अन्याय का समाधान नहीं होगा। नेपाल में इस बात

का प्रचार किया जा रहा है कि उन्हें पानी और बिजली का बराबर का हिस्सा नहीं मिल रहा है। मैं नहीं कहता कि हम उनसे हर बात के लिये सहमत हो जायें। हमें इस तरीके से चलना चाहिये कि नेपाल में भारत विरोधी प्रचार यथासम्भव कम हो जाये क्योंकि यह हमारे हित में हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन दो मुद्दों के बारे में कोई बातचीत हुई थी और क्या हमारी सरकार ने इस बारे में उन्हें कोई आश्वासन दिया है।

श्री आर.एल. भाटिया : टनकपुर विद्युत परियोजना और पानी की भागीदारी के बारे में हमने उन्हें यह बताया कि इस समय करार दो प्रधानमंत्रियों के बीच है। हमने उन्हें यह भी बताया कि हम पंचेश्वर परियोजना पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करने को तैयार हैं। यह एक बड़ी परियोजना है जिसमें टनकपुर भी शामिल होगा और इस तरह टनकपुर की समस्या भी हल हो जायेगी। इस समय यह परियोजना भारत में है, क्योंकि इसमें समूची पूंजी हमने लगाई है, इसलिए तथा उस देश के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध होने के कारण हमने उन्हें 28 मिलियन यूनिट बिजली और 150 क्यूसेक जल सिंचाई के लिये दिया है। पंजेश्वर परियोजना पूरी होने पर पानी बढ़ेगा और बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी। इस तरह उन्हें अधिक पानी और बिजली उपलब्ध होगी। अतः यह चर्चा मैत्रीपूर्ण ढंग से हुई और वे भी संतुष्ट हुये।

प्रश्न के पहले भाग के बारे में जो नेपाल में भारत विरोधी लाबी से सम्बन्धित है, मैं यही कहूंगा कि नेपाल के उप प्रधानमंत्री के साथ हमने अच्छे और मैत्रीपूर्ण वातावरण में बातचीत की। दोनों पक्ष वार्ता से संतुष्ट हैं।

औषधियों में अनुसंधान और विकास कार्य

+

*90. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के उपाय सुझाने हेतु सरकार द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसने क्या मुख्य टिप्पणियां और सिफारिशें की हैं;

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालयों में तथा सरकारी और गैर-सरकारी प्रयोगशालाओं में औषधि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितना निवेश किया गया तथा अगले पांच वर्षों में अनुमानतः कितना निवेश किया जायेगा; और

(च) बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अनुसंधान और विकास हेतु निवेश आकर्षित करने के लिए तथा विदेशों में भारतीय अनुसंधानकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्वार्डो फैलीरो) : (क) से (च). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग). जी, हां। अन्तर मंत्रालय समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। यह पाया गया है कि भषज उद्योग की अद्वितीय प्रकृति तथा विशेष बातों को मद्देनजर रखते हुए, जिसमें उत्पादों तथा प्रौद्योगिकियों का अधिक पुराना फल है और बहुविषयक अनुसंधान जोखिमपूर्ण, खर्चीला और समयग्राही गतिविधि वाला है अतः वित्तीय प्रोत्साहन का विशेष पैकेज प्रदान किया जा सकता है ताकि इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास में अधिक निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। समिति की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

(घ) से (च). भेषज क्षेत्र में इन-हाउस आर एण्ड डी एककों द्वारा किए गए कुल खर्च इस प्रकार हैं :-

	(रु. करोड़ में)
1991-92	80.00
1992-93	95.00
1993-94	125.00

चालू वर्ष 1994-95 के दौरान उद्योग द्वारा किए जाने वाला आर एण्ड डी खर्च 150 करोड़ रु. होने का अनुमान है और इसके अगले कुछेक वर्षों में और अधिक होने की आशा है। भेषज उद्योग अनुसंधान तथा विकास पर इस समय अपने कारोबार का 1.5 प्रतिशत खर्च करता है। सरकार उद्योग में आर एण्ड डी को बढ़ावा देने के लिए और उद्योग, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा विश्वविद्यालयों आदि में मध्य संबंध को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन तथा सहायता प्रदान करती है।

श्री डी. वेंकटेश्वर राव : अध्यक्ष महोदय, अन्तर-मंत्रालय समिति ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया और इसकी मुख्य बातें और सिफारिशें क्या हैं? आई.डी.एम.ए. ने सुझाव दिया है कि यदि कोई कम्पनी अपने टर्न ओवर का 5 प्रतिशत भाग अनुसंधान और विकास पर लगाती है तो उस कम्पनी को औषध मूल्य नियंत्रण आदेश से मुक्त किया जाये तथा आय कर तथा सीमा शुल्क में राहत दी जाये।

12.00 बजे मध्यान्ह

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस सिफारिश पर अन्तर मंत्रालय समिति की सिफारिशों के साथ विचार किया जा रहा है?

श्री एदुआर्डो फैलीरो : देश में खोज की गयी नई "मोलिक्यूल" का 10 वर्षों के लिये मूल्य नियंत्रण से मुक्त किया जायेगा। यह एक बड़ी बात है। दूसरी सिफारिश, जिसे स्वीकार भी किया गया है, वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाने के बारे में है और मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री मंडल के सदस्य उनके मामलों पर संसद में चर्चा कर रहे हैं।

श्री डी. वेंकटेश्वर राव : समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं?

श्री एदुआर्डो फैलीरो : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं ये सिफारिशें वित्तीय प्रोत्साहन सम्बन्धी हैं। मैं इस बार का जिक्र करना चाहता हूं कि हम अपने विभिन्न अनुसंधान संस्थानों का लाभ उद्योगों में अनुसंधान और विकास के लिये देने को सहमत हो गये हैं। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दूसरे, जैसा कि मैं कह चुका हूं अनुसंधान और विकास मूलतः निर्माताओं से ही सम्बन्धित है। मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि उद्योग अपने टर्न ओवर का 1.5 प्रतिशत अनुसंधान और विकास पर खर्च करता है, इस पर और अधिक निवेश होना चाहिये। मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि पिछले तीन और चार वर्षों के दौरान उद्योग का अनुसंधान और विकास पर व्यय बढ़ गया है। लेकिन उद्योग को स्वयं ही कुछ और अधिक करना चाहिये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कुएं में भड़की आग

*61. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री सुधीर सावन्त :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पसारलापुड़ी (आंध्र प्रदेश) में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कुएं में भड़की आग के कारणों की जांच करने हेतु गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं और यह रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दी जायेगी;

(ग) इसके फलस्वरूप तेल और प्राकृतिक गैस निगम को कब तक अनुमानतः कितनी क्षति हुई है;

(घ) क्या सरकार ने इस कुएं को बंद करने के लिए विदेशी सहायता मांगी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस आग पर कब तक काबू पा लिये जाने की संभावना है; और

(छ) भविष्य में इस प्रकार की आग लगने की घटनाओं को रोकने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट ओ एन जी सी को प्रस्तुत कर दी है तथा इसकी जांच की जा रही है। इसी बीच पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भी ओ एन जी सी द्वारा स्थापित जांच समिति के निष्कर्षों की जांच करने तथा अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने के लिए एक सदस्यीय जांच समिति स्थापित की है।

(ग) ओ एन जी सी द्वारा क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है।

(घ) से (च). ओ एन जी सी ने व्यावसायिक अग्नि शमनकर्त्ताओं (अमेरिका से) सहायता ली। आरम्भ में अमेरिका के मैसर्स नील एडम्स फायर फाइटर्स इंक की सेवाएं ली गयीं तथा इसके उपरांत टेक्सास, अमेरिका के मैसर्स एमरजेंसी रिसोर्सेज इंटरनेशनल इंक ने दिनांक 10.3.1995 को आग को बुझाने तथा दिनांक 14.3.1995 को कुएं का मुंह बंद करने में सहायता की।

(छ) आग के भड़कने आदि जैसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए बरती जाने वाली सावधानी तथा सुरक्षा उपायों पर ओ एन जी सी ने पहले से ही स्थायी निर्देश जारी किए हैं। हाल में भड़की आग के पश्चात कारपोरेशन ने आवश्यक सावधानी उपाय करने के लिए फिर अनुदेश जारी किए हैं।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाएं से

*62. **श्री एन.जे. राठवा :**
श्री खेलन राम जांगडे :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात की कितनी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का काम निर्धारित समय से पीछे चल रहा है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप इनके लागत-खर्च में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) इन परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब के प्रमुख कारण क्या हैं;

(घ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ङ) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को इन परियोजनाओं का काम आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) देश में 90 वृहद, 166 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही हैं।

(ख) सामान्य संदर्भों में इसकी मात्रा बताना संभव नहीं है क्योंकि कुछ विशिष्ट और कुछ सामान्य कारणों के आधार पर एक परियोजना की लागत वृद्धि दूसरी परियोजना की लागत वृद्धि से भिन्न होती है।

(ग) इन परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब के कारणों को मोटे तौर पर इन तीन वर्गों में रखा जा सकता है :-

(1) तकनीकी

कार्यान्वयन के दौरान व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सीमित अन्वेषण और परिणामस्वरूप परियोजना के व्याप्ति क्षेत्र और डिजाइन में बाद में परिवर्तन हो जाना; अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए मूल प्राक्कलनों में अपर्याप्त प्रावधान, भूमि अर्जन; पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन और पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय आदि।

(2) वित्तीय

निर्माण के दौरान मूल्यों में वृद्धि, पर्याप्त निधियों का प्राप्त न होना, भूमि अधिग्रहण की लागत में वृद्धि।

(3) अन्य कारण

श्रम समस्या, ठेके संबंधी समस्याएं, पर्यावरणशास्त्रियों और भूमि विस्थापितों द्वारा आन्दोलन, प्राकृतिक आपदाएं।

(घ) सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय हैं : उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देना जिनपर काफी प्रगति हो चुकी है, महत्वपूर्ण परियोजनाओं के परिव्यय निर्धारित करना, चुनिंदा परियोजनाओं का गहन प्रबोधन, लागत नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के लिए राज्यों को परामर्श देना।

(ङ) राज्य सरकारें, वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु योजना आयोग के पास प्रस्ताव भेजती रही हैं। सिंचाई राज्यों का विषय है इसलिए सिंचाई परियोजनाओं के वित्तपोषण का उत्तरदायित्व प्राथमिक तौर पर संबंधित राज्य सरकारों का है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता एकमुश्त ऋण और एक मुश्त अनुदान के रूप में दी जाती है जो किसी भी परियोजना अथवा कार्यक्रम से जुड़ी नहीं होती है। तथापि, विशेष मामले के रूप में सतलुज-यमुना लिंक नहर परियोजना (अन्तर्राज्यीय), इंदिरा गांधी नहर परियोजना (राजस्थान), तीस्ता बैराज परियोजना (पश्चिम बंगाल), सरदार सरोवर परियोजना (अन्तर्राज्यीय), पोट्टेरू सिंचाई परियोजना (उड़ीसा), पीगर परियोजना (गुजरात) और बलदेव परियोजना (गुजरात) को केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है।

(च) और (छ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

"टाडा" की पुनरीक्षा

*63. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :**
श्री राम टहल चौधरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ राज्य सरकारों द्वारा "टाडा" के उपबन्धों का दुरुपयोग किए जाने से सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस अधिनियम को निरस्त करने के संबंध में विभिन्न जन-संगठनों की ओर से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने "टाडा" संबंधी ज्यादतियों का कोई मूल्यांकन किया है और उसका विचार इस अधिनियम की पुनरीक्षा करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) और (ख). शिकायतें प्राप्त होते ही उन्हें तत्काल यथोचित कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है। तथापि, ऐसी शिकायतों का राज्यवार संकलन नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ). अधिनियम को रद्द करने/उसमें संशोधन करने के बारे में सरकार को कुछ जन-संगठनों के प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार मामले पर विचार कर रही है।

(ङ) और (च). उच्चतम न्यायालय द्वारा टाडा पर दिए गए निर्णय से उत्पन्न मुद्दे समेत मामले के सभी पहलुओं पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-5

*64 **श्री वसुदेव आचार्य :**
श्री हाराधन राय :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-5 तय हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस समझौते के कब तक तय हो जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अमित खांडा) : (क) से (घ). कोयला उद्योग के लिए संयुक्त द्वि-पक्षीय समिति (जे.बी.

सी.सी.आई) की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-5 को तैयार किया जाना है, जिसमें कोयला उद्योग के प्रबंधन तथा कोयला खान कामगारों के प्रतिनिधि शामिल किए जाते हैं। कोयला उद्योग के लिए संयुक्त द्वि-पक्षीय समिति का गठन इसलिए नहीं किया जा सका, चूंकि भारतीय मजदूर संघों के राष्ट्रीय मोर्चा ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था। इस स्थगन आदेश को दिनांक 10.11.1994 को खारिज कर दिया गया था और जे.बी.सी.सी.आई.-5 का दिनांक 11.11.1994 को गठन किया गया है।

मजदूरी समझौते से संबंधित कार्य अब प्रगति पर है।

[हिन्दी]

इलैक्ट्रोनिक मीडिया को स्वायत्तता

*65. **श्री मोहन सिंह** (देवरिया) :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को इलेक्ट्रोनिक मीडिया को स्वायत्तता प्रदान करने तथा वायुतरंगों के प्रयोग को भी नियंत्रित और विनियमित करने हेतु एक स्वतंत्र प्राधिकरण बनाने के संबंध में कोई निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार ने प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की कतिपय धाराओं में किए जाने वाले संशोधनों को अंतिम रूप दे दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस अधिनियम को कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग). भारत संघ बनाम बंगाल क्रिकेट संघ मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा 9.2.95 को दिए गए निर्णय की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) वर्तमान में कोई विशिष्ट समय-सीमा इंगित नहीं की जा सकती।

सीसा रहित पैट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्र

*66. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**
श्री मोहन रावले :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वायु-प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए देश भर में सीसा रहित पैट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई और मद्रास में सीसा रहित पैट्रोल के अब तक कितने-कितने खुदरा बिक्री केन्द्र खोले जा चुके हैं तथा कितने-कितने और खोले जायेंगे; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप किस हद तक वायु-प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). कैटेलिटिक कन्वर्टर्स युक्त पैट्रोल से चलने वाले नए वाहनों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार ने वर्तमान समय में 1.4.95 से केवल चार महानगरों, नामतः दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में सीसा रहित पैट्रोल की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। अप्रैल, 1995 से खोले जाने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

दिल्ली	80
बम्बई	34
कलकत्ता	30
मद्रास	10
जोड़ :	154

खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या, मांग के अनुसार बढ़ाई जाएगी।

(ग) सीसायुक्त पैट्रोल से चलने वाले पारम्परिक वाहनों की तुलना में, नए कैटेलिटिक कनवर्टर युक्त और सीसा रहित पैट्रोल से चलने वाले वाहनों में कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोकार्बनों के उत्सर्जन में लगभग 50 प्रतिशत कमी होगी और सीसा उत्सर्जनों की लगभग समाप्ति हो जाएगी। तथापि, परिवेशी वायु की गुणवत्ता पर इन नए वाहनों का प्रभाव तभी ज्ञात हो सकेगा जब इनकी संख्या अधिक हो जाएगी।

[अनुवाद]

एच.बी.जे. गैस पाइपलाइन

*67. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान एच बी जे गैस पाइपलाइन का क्षमता से कम उपयोग हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इसकी कितनी क्षमता का उपयोग किया गया;

(ग) इसके क्षमता से कम उपयोग किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसकी अधिष्ठापित क्षमता का पूर्ण उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	क्षमता उपयोग
1991-92	58.4 प्रतिशत
1992-93	74.94 प्रतिशत
1993-94	81.92 प्रतिशत

(ग) नवम्बर, 1993 तक मांग, उपलब्धता से कम थी। इसके बाद गैस की उपलब्धता में कमी हुई है।

(घ) पश्चिमी अपतट में गैस क्षेत्रों के विकास के लिए ओ एन जी सी कई योजनाओं को लागू कर रहा है। बेसिन से हजीरा तक दूसरी पाइपलाइन बिछाई जा रही है और हजीरा गैस टर्मिनल की क्षमता में विस्तार किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप 1995-96 के आरम्भ से पूर्ण क्षमता उपयोग प्राप्त होने तक एच बी जे पाइपलाइन के लिए गैस की उपलब्धता प्रति वर्ष बढ़ेगी।

[हिन्दी]

सिंचाई सुविधाएं

***68. श्री राजेश कुमार :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). वर्ष 1951 से 1993-94 के अन्त तक सिंचाई क्षमता 22.60 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर लगभग 85.05 मिलियन हेक्टेयर हो गई है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इसके बढ़कर 96.89 मिलियन हेक्टेयर तक हो जाने की संभावना है। ऐसी सुविधाओं की मांग में सम्भावित वृद्धि को देखते हुए भावी योजनाओं में इसके और बढ़ने की गुंजाइश एवं आवश्यकता है।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि के लिए उठाये गये मुख्य कदमों में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित उपायों पर विशेष बल देकर आठवीं योजना के दौरान इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देना भी है : (क) निर्माणाधीन वृहद और मध्यम परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना (ख) वृहद और मध्यम परियोजनाओं में प्रयोक्ताओं की और अधिक भागीदारी (ग) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाना (घ) चल रही अनेक निर्माणाधीन सतही जल लघु सिंचाई योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए प्राथमिकता देना (ङ) सतही और भूजल का संयुक्त प्रयोग और जल प्रबन्ध के क्षेत्र में उपयुक्त अभिकरणों के जरिए अनुसंधान और विकास प्रयासों के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर बल देना।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों हेतु कोचिंग योजना

***69. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों को परीक्षा पूर्व कोचिंग देने की योजना कब शुरू की गई थी;

(ख) अब तक इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने कोचिंग केन्द्र स्थापित किये गये हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है;

(घ) क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत और कोचिंग केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू) (क) अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों को विभिन्न प्रति[illegible] परीक्षाओं/प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य [illegible] परीक्षापूर्व कोचिंग की एक योजना 1990-91 के दौरान शुरू की गई। यह योजना 1990-91 के पश्चात जारी नहीं रखी गई। तथापि, अल्पसंख्यकों और सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों पर केन्द्रित कमजोर [illegible] के उम्मीदवारों को परीक्षापूर्व कोचिंग की एक नई योजना [illegible] के दौरान शुरू की गई है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) उक्त योजना के तहत 1992-93 के लिए 2 करोड़ रुपए और 1993-94 के लिए 3 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है

(घ) जी, हां।

(ङ) ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थानों से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर एक नए कोचिंग पाठ्यक्रम केन्द्र चलाए जाने संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी।

विवरण

आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षापूर्व कोचिंग की योजना अनुदान प्राप्त संगठनों और पाठ्यक्रमों की संख्या (वर्ष-वार-राज्य-वार)

	राज्य	1992-93		1993-94		1994-95	
		संगठन	पाठ्यक्रम	संगठन	पाठ्यक्रम	संगठन	पाठ्यक्रम
1.	आन्ध्र प्रदेश	-	-	5	5	8	9
2.	बिहार	-	-	-	-	6	7
3.	गुजरात	-	-	2	2	4	6
4.	जम्मू और कश्मीर	-	-	4	4	1	2
5.	कर्नाटक	-	-	-	-	1	2
6.	केरल	-	-	7	7	1	1
7.	मध्य प्रदेश	-	-	4	4	4	5
8.	महाराष्ट्र		-	1	1	4	7
9.	मणिपुर	-	-	-	-	1	1
10.	राजस्थान	-	-	3	3	3	3
11.	तमिलनाडु	2	2	3	3	2	2
12.	उत्तर प्रदेश	1	1	4	4	11	18
13.	दिल्ली	2	2	2	2	11	13
	कुल	5	5	35	35	57	76

डीजल का आबंटन

*70. **श्री लाल बाबू राय :**
श्री काशीराम राणा :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को डीजल का आबंटन करने के लिए क्या मानदंड अपनाये जाते हैं;

(ख) क्या राज्यों को उनकी मांग के अनुसार डीजल की सप्लाई की जा रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भविष्य में उनकी मांगों को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). डीजल एक निश्चित मात्रा में आबंटित किया जाने वाला उत्पाद नहीं है। जरूरत के अनुसार समूचे देश में इसकी पूर्णतः आपूर्ति की जाती है।

प्रमुख वृहत-आर्थिक लक्ष्य

*71. **श्री अंकुशराव टोपे : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित प्रमुख वृहत-आर्थिक लक्ष्य क्या हैं;

(ख) योजना के प्रथम तीन वर्षों में इन्हें किस हद तक प्राप्त कर लिया गया है; और

(ग) इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिवर्ष 5.6 प्रतिशत की वृद्धि तथा चालू लेखा घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 1.6 प्रतिशत तक की कटौती का लक्ष्य है।

(ख) प्रथम तीन वर्षों में औसत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 4.6 प्रतिशत रखी है तथा प्रथम दो वर्षों में चालू लेखा घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1.1 प्रतिशत तक कम हुआ है।

(ग) वार्षिक योजनाओं में योजना परिव्ययों में वृद्धि के लिए प्रावधान है।

रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना

*72. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद ने नौंवी योजना के अंत तक रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु मार्गोपाय सुझाने के लिए एक समिति नियुक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद ने केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने का निर्देश दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) योजना आयोग द्वारा इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की किस प्रकार निगरानी की जा रही है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ङ). बेरोजगारी और रोजगार की स्थिति का मूल्यांकन करने और आगामी 18 वर्षों के अन्त तक लगभग पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करने की दृष्टि से रोजगार सृजन का विस्तार करने हेतु उपाय सुझाने के लिए फरवरी, 1992 में रोजगार सम्बन्धी एन.डी.सी. की एक समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 1992 में प्रस्तुत की थी और इसकी सिफारिशें इस प्रकार हैं :-

(i) रोजगार कार्य-नीति अतिरिक्त उत्पादक रोजगार अवसरों के सृजन और उत्पादकता तथा आय के सन्दर्भ में वर्तमान रोजगार के आवर्धन पर केन्द्रित होनी चाहिए। विभिन्न राज्यों द्वारा उनकी विशिष्ट परिस्थितियों और समस्याओं के अनुसार एक अथवा दूसरे भाग पर बल देते हुए विशिष्ट कार्य नीतियां अपनाई जानी चाहिए।

(ii) कृषि, सिंचाई का विविधीकरण, ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार, लघु उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों में वृद्धि, निर्माण के व्यापक कार्यक्रम, सेवाओं तथा अनौपचारिक सेक्टर की तीव्र गति से वृद्धि, रोजगार सृजन के लिए बल दिए जाने वाले प्रमुख क्षेत्र होने चाहिए।

(iii) महिलाओं, सीमान्त कृषकों और कृषि मजदूरों आदि की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य अपेक्षाओं और रोजगार ढांचे में विस्तृत क्षेत्रीय भिन्नताएं रोजगार की विकेन्द्रित आयोजना के लिए अपेक्षित हैं।

(iv) शिक्षित बेराजगारों की समस्या से निपटने के लिए एक तीन-स्तरीय कार्य नीति, जिसमें रोजगार-सघन सेक्टरों का विकास स्व-रोजगार को बढ़ावा और शिक्षा की अनुक्रियाशीलता बढ़ाना तथा ऋण-बाजार को प्रशिक्षण देना शामिल हो, अपनाने की आवश्यकता है। शिक्षित महिलाओं के मामले में प्रशिक्षण, उनकी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों में विशेष कक्षों/शालाओं के सृजन और स्व-रोजगार कार्यक्रमों में उनके लिए एक न्यूनतम कवरेज निर्धारित करने के माध्यम से रोजगार तक अधिक अभिगम्यता होनी चाहिए।

(v) चालू विशेष कार्यक्रमों के पुनर्गठन की आवश्यकता है। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों में विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के सन्दर्भ में चयन की एक सीमा और रोजगार गारन्टी की एक सीमा आरम्भ की जानी चाहिए। ग्रामीण विकास परिव्यय का एक बड़ा भाग ग्रामीण आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए। छोटे शहरों में आधारभूत संरचना का निर्माण करने और दिहाड़ी रोजगार सृजन के लिए छोटे और मध्यम शहरों के एकीकृत विकास का पुनः डिजाइनयुक्त तथा विस्तृत कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है।

2. राष्ट्रीय विकास परिषद् ने 18.9.1993 को हुई अपनी बैठक में समिति की सिफारिशों का अनुमोदन किया और केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श हेतु आगे की कार्यवाही आरम्भ करने के लिए योजना आयोग को निदेश दिया। योजना आयोग ने निम्नलिखित कार्रवाई आरम्भ की है :-

(i) एन.डी.सी. समिति की सिफारिशें भेजते हुए तथा केन्द्रीय मंत्रालयों और सभी राज्य सरकारों को लिखते हुए उन्हें क्रियान्वित करने का अनुरोध करना।

(ii) केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ कई विचार-विमर्श।

(iii) रोजगार स्थिति पर राज्य-स्तरीय सेमिनारों का आयोजन करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को सलाह देना।

3. आठवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित की गई तथा इस समय क्रियान्वित की जा रही रोजगार कार्यनीति एन.डी.सी. की रोजगार सम्बन्धी समिति की सिफारिशों के अनुरूप है। समिति की सिफारिशों के अनुरूप जवाहर रोजगार योजना का पुनर्गठन, रोजगार आश्वासन स्कीम तथा प्रधान मंत्री की रोजगार योजना का शुभारम्भ और लघु एवं मध्यम शहरों के एकीकृत विकास की स्कीम का पुनर्गठन भी किया गया है। विभिन्न राज्य सरकारें भी अपनी कार्यनीतियां बनाने में समिति की सिफारिशों को ध्यान में रख रही हैं, जो उनकी वार्षिक योजनाओं में प्रतिबिंबित होती हैं।

4. योजना आयोग निम्नलिखित के माध्यम से सिफारिशों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग कर रहा है :-

(क) विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ सदस्य स्तर पर आगे की समीक्षा बैठकें।

(ख) वार्षिक योजना विचार-विमर्शों के समय राज्य सरकारों के साथ समीक्षा।

[हिन्दी]

कोयले का भंडार

*73. **श्री रतिलाल वर्मा :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयले का अनुमानतः कुल कितना भंडार है;

(ख) वर्तमान में कोयले का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है;

(ग) क्या देश में ताप विद्युत केन्द्रों को पर्याप्त मात्रा में कोयला मिल रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में कोयले का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) देश में भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा (1200 मीटर की गहराई तक) 1.1.1995 की स्थिति के अनुसार 200.03 बिलियन टन कोयले के भंडार होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) देश में वर्ष 1993-94 के दौरान कोयले का उत्पादन 246.04 मि. टन हुआ और चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल, 1994 से फरवरी, 1995 तक) की अवधि के दौरान कोयले का कुल उत्पादन 222.48 मि. टन (अनंतिम) हुआ है।

(ग) और (घ). तापीय विद्युत गृह अधिकांशतः कोयले की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं।

(ङ) कोयला कंपनियों द्वारा उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के अलावा, निम्न कदम शामिल हैं—नई खानों का खोला जाना तथा आधुनिकीकरण द्वारा विद्यमान खानों की कार्य-क्षमता तथा उत्पादकता में वृद्धि किया जाना, नई प्रोद्योगिकी को लागू किया जाना, और आगत तथा आधारभूत ढांचा संबंधी सुविधाओं की समय पर उपलब्धता का सुनिश्चिय किया जाना।

[अनुवाद]

पैट्रोलियम क्षेत्र का मूल्यांकन

*74. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पैट्रोलियम क्षेत्र की मध्यावधि मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). योजना आयोग द्वारा पैट्रोलियम क्षेत्र का अभी मध्यावधि पुनरीक्षण किया जा रहा है और इसे अभी योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

सिंचाई परियोजनाएं

*75. **श्री चेतन पी.एस. चौहान :**
श्री अमर पाल सिंह :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु इस समय विचाराधीन पड़ी सिंचाई परियोजनाओं की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं की स्वीकृति में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी; और

(घ) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई तथा उनके लिए राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) स्वीकृति के लिए लंबित नयी वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण । संलग्न है।

(ख) और (ग). परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है तथा वन/पर्यावरणीय/पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजनाओं, जैसी भी स्थिति हो, की स्वीकृति प्राप्त करती है।

(घ) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति दी गयी नयी वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण ।। संलग्न है।

विवरण–I

स्वीकृति के लिए लंबित नई बड़ी एवं मझौली सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मूल्यांकन स्थिति							
		निवेश स्वीकृति हेतु योजना आयोग के पास परियोजनाएं (संख्या)		सलाहकार समिति द्वारा परियोजनाएं स्वीकृति योग्य पाई गईं बशर्ते कि कुछ टिप्पणियों जैसे पर्यावरणीय तथा वन स्वीकृति प्राप्त करने की आदि अनुपालना कर ली जाए। (संख्या)		केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी आर्थिक रूप से जांच की गई परियोजनाएं तथा अंतर्राज्यीय मुद्दों को हल न किए जाने अथवा पर्यावरणीय/वन दृष्टियों आदि से स्वीकृति न मिलने के कारण सलाहकार समिति द्वारा विचार–विमर्श आस्थगित कर दिया गया (संख्या)		ऐसी परियोजनाएं जिन पर राज्य सरकारों को विभिन्न तकनीकी आर्थिक मुद्दे सुलझाना अपेक्षित है। (संख्या)	
		बड़ी	मझौली	बड़ी	मझौली	बड़ी	मझौली	बड़ी	मझौली
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	3	2	1	—	3	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	
3.	असम	—	—	—	—	—	—	2	1
4.	बिहार	—	—	5	1	2	—	7	1
5.	गुजरात	—	—	1	—	—	1	—	9
6.	हरियाणा	—	—	2	—	—	—	+	—
7.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	2	2
8.	जम्मू एवं काश्मीर	—	—	—	2	—	—	1	4
9.	कर्नाटक	—	—	1	—	—	—	3	—
10.	केरल	—	—	1	+	+	—	1	—
11.	मध्य प्रदेश	—	—	10	1	1	—	3	5
12.	महाराष्ट्र	3	2	8	11	1	—	3	9
13.	मणिपुर	—	—	—	1	—	—	1	—
14.	उड़ीसा	—	—	2	4	—	—	2	1
15.	पंजाब	—	—	—	—	1	—	2	1
16.	राजस्थान	1	1	1	1	—	—	1	6
17.	तमिलनाडु	—	—	1	—	—	—	2	—
18.	उत्तर प्रदेश	—	—	6	1	—	—	5	—
19.	पश्चिम बंगाल	—	—	1	—	1	—	1	—
20.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	1	—
	योग	4	3	41	24	7	1	41	39

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति दी गयी नयी सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

(अनुमानित लागत : करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	के दौरान निवेश स्वीकृति दी गयी परियोजनाएं 1992-93 संख्या	1992-93 अनुमानित लागत	1993-94 संख्या	1993-94 अनुमानित लागत	1994-95 संख्या	1994-95 अनुमानित लागत
1.	आंध्र प्रदेश	3	95.55	1	25.96	1	23.00
2.	असम	—	—	—	—	—	—
3.	बिहार	1	16.14	—	—	—	—
4.	गुजरात	1	12.48	3	88.07	—	—
5.	हरियाणा	—	—	—	—	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
7.	जम्मू एवं कश्मीर	—	—	—	—	—	—
8.	कर्नाटक	2	171.25	—	—	—	—
9.	केरल	—	—	—	—	—	—
10.	मध्य प्रदेश	1	441.00	1	—	—	—
11.	महाराष्ट्र	1	24.63	—	—	—	—
12.	मणिपुर	1	18.86	—	—	—	—
13.	उड़ीसा	1	52.22	2	146.86	—	—
14.	पंजाब	—	—	2	151.96	—	—
15.	राजस्थान	1	12.40	—	—	—	—
16.	तमिलनाडु	1	11.46	—	—	—	—
17.	उत्तर प्रदेश	3	591.81	—	—	—	—
18.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—
	योग	16	1447.8	8	412.85	1	23.00

प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867

*76. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 को अद्यतन और समाचार पत्रों के हित में बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया के सरलीकरण और भारत के समाचार पत्र पंजीयक के कार्यालयों के कार्यकरण को सुधारू बनाने के लिए गठित विशेष पुनरीक्षा समिति ने कतिपय सिफारिशें की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/ किए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). जी, हां। प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 की पुनरीक्षा करने और अधिनियम में आवश्यक परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए सरकार द्वारा 12.8.93 को एक विशेष समीक्षा दल गठित किया गया था।

(ग) और (घ). इस अधिनियम को सामयिक और समाचार पत्र के अनुकूल बनाने के लिए इसमें विभिन्न परिवर्तनों की सिफारिशें करते हुए इस विशेष समीक्षा दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ङ) सरकार इस रिपोर्ट की जांच कर रही है।

[हिन्दी]

विदेशों में दूरदर्शन के कार्यक्रम

*77. **श्री महेश कनोडिया :**
श्री बारे लाल जाटव :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों में दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम प्रसारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों में ये कार्यक्रम प्रसारित किए जाने का विचार है तथा इनकी समय-अवधि क्या होगी;

(ग) इन पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है; और

(घ) यह सेवा कब तक चालू हो जाएगी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (घ). जी, हां। दूरदर्शन ने 14 मार्च, 1995 से अंतर्राष्ट्रीय सेवा आरंभ की है। एशिया सेट-I उपग्रह के जरिए इस सेवा का सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 12.00 बजे तक तीन घण्टों के लिए प्रसारण किया जा रहा है जिसको लगभग 40 एशियाई देशों, खाड़ी देशों, पश्चिम एशिया, मध्य एशियाई गणराज्य तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में देखा जा सकता है। इस सेवा पर ट्रांसपोण्डर हेतु किराया प्रभार के रूप में प्रतिदिन 500 अमेरिकन डॉलर का व्यय होने की संभावना है।

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल की खोज

*78. **श्री रमेश चेन्निथला : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कितने तेल कुओं की खोज की है;

(ख) इस अवधि के दौरान कुल कितनी मात्रा में तेल का उत्पादन हुआ;

(ग) उन पर औसतन कितनी धनराशि खर्च हुई;

(घ) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल की खोज संबंधी कार्य में ढील आई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं. और

(च) इस संबंध में किए गए उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) गत तीन वर्षों अर्थात् 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 (अप्रैल से दिसम्बर, 1994) के दौरान ओ एन जी सी ने 555 अन्वेषण कूपों का वेधन किया।

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान ओ एन जी सी द्वारा उत्पादित कच्चे तेल (कंडेसेट सहित) की मात्रा नीचे दी गयी है :-

वर्ष	तेल का उत्पादन (एम एम टी)
1992-93	24.427
1993-94	24.215
1994-95 (अप्रैल-दिसम्बर, 1994)	21.665

(ग) संबद्ध वर्षों के लिए ओ एन जी सी द्वारा पूरे किए गए कूपों के आधार पर गत तीन वर्षों के दौरान औसत लागत निम्नानुसार है :-

(लाख रुपए में)

	1991-92	1992-93	1993-94
अन्वेषण कूप	434.81	526.95	513.54
विकास कूप	195.63	205.53	276.85

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च). प्रश्न नहीं उठता। तथापि विभिन्न परतदार बेसिनों में अन्वेषण की गति को और बढ़ाने के लिए 1994-97 की अवधि हेतु अन्वेषण के वर्द्धित कार्यक्रम को आरंभ किया गया है। इसमें प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पुनःरचित नीतियों के साथ-साथ भूकम्पी एवं अन्वेषण वेधन के निवेशों में वृद्धि परिकल्पित है।

राष्ट्रीय कोयला खनन नीति

*79. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आगामी वर्षों में कोयला खनन के क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में गैर-सरकारी पूंजी निवेश आकर्षित करने हेतु राष्ट्रीय कोयला खनन नीति बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आगामी दो वर्षों के दौरान सहकारी क्षेत्र में कोयला खनन में होने वाले पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने विद्युत उत्पादन, सीमेंट और अन्य उद्योगों के लिए अपेक्षित कोयले की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु कोयला धोवनशालाओं की स्थापना और कोयला खनन के आधुनिकीकरण के लिए कोई योजना बनायी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख). सरकार ने लौह तथा इस्पात का उत्पादन किए जाने के लिए ग्रहीत खनन की अनुमति दिए जाने संबंधी विद्यमान प्रावधानों के अलावा, विद्युत का उत्पादन किए जाने के लिए, कोयला वाशरियों की स्थापना किए जाने के लिए और समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले अन्य अंतिम प्रयोगों के लिये कोयला खनन में, निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दिए जाने के संबंध में कोयला खान में, (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 को दिनांक 9.6.1993 को पहले ही संशोधित कर दिया है।

(ग) वर्ष 1995-96 के लिए योजना आयोग द्वारा सिफारिश किया गया योजनागत परिव्यय और कोयला कंपनियों द्वारा आठवीं योजना के मध्यवर्ती मूल्यांकन के समय वर्ष 1996-97 के लिए प्रस्तावित किया गया योजनागत परिव्यय नीचे दिया गया है :-

(करोड़ रु. में)

कंपनी	1995-96	1996-97
कोल इंडिया लि.	2260.00	2204.81
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.	516.00	618.00
नेयंवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. (खनन)	387.00	248.31

(घ) और (ङ). एक निरंतर प्रक्रिया के अधीन कोयले के भंडारों का वैज्ञानिक रूप में दोहन तथा अन्वेषण किए जाने, कोयले की प्रौद्योगिकी, कोयले के परिष्करण तथा उपयोगिता आदि में सुधार किए जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा, प्रेषित कोयले की गुणवत्ता में, विशेषकर विद्युत गृहों को प्रेषित किए जाने वाले कोयले की गुणवत्ता में, सुधार किए जाने की दृष्टि से हाल ही में कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में संशोधन करके, निजी क्षेत्र के निवेश को आमंत्रित करके कोयला वाशरियों की स्थापना किए जाने की एक योजना तैयार की गई है। कोल इंडिया लि. ने "स्व-निर्मित, स्व-चालित" आधार पर वाशरियों को स्थापित किए जाने के लिए विश्व-व्यापी निविदाएं आमंत्रित की थीं। इस संबंध में अंतिम रूप से स्वीकार्य 4 अकोककर कोयला वाशरियों में (जिनकी कुल क्षमता 21.2 मि. टन प्रतिवर्ष की है), की पेशकश वर्तमान में विचार-विमर्श के अधीन है। को.ई.लि.ने अपनी योजना के दूसरे चरण में एक अन्य विश्व-व्यापी निविदा आमंत्रित की है ताकि अधिक वाशरियों की स्थापना की जा सके।

[हिन्दी]

फर्जी वीजा

*80. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्जी वीजा तैयार करने के मामलों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) सरकार द्वारा इस अवैध कार्य को रोकने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) से (ग). आव्रजन प्राधिकारियों द्वारा पता लगाए गए जाली वीजाओं के मामले छानबीन के लिए स्थानीय पुलिस को सौंप दिये गये हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिल्ली, बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता चार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में 1992 से 1994 तक पता लगाए गए जाली वीजाओं तथा गिरफ्तारियों के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :-

	1992	1993	1994
पता लगाये गए	307	335	273
गिरफ्तारियां	492	1108	330

उपर्युक्त आंकड़े किसी प्रवृत्ति विशेष का संकेत नहीं देते। अन्य हवाई अड्डों/स्थल निगरानी चौकियों पर राज्य पुलिस प्राधिकारियों द्वारा पता लगाए गए जाली वीजाओं तथा गिरफ्तारियों के आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(घ) वीजाओं की जालसाजी को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :-

(I) अनधिकृत भर्ती एजेंटों की अवांछित गतिविधियों को रोकने के लिए कड़ी चौकसी।

(II) हवाई अड्डा निगरानी चौकियों में कार्यरत आव्रजन कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और उन्हे आधुनिक/संवेदनशील उपकरणों से लैस किया गया है।

(III) यात्रियों को वायुयान से उतरने के पास जारी करने से पहले, वायुयान कर्मचारियों को जाली वीजाओं का पता लगाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(IV) निर्णय लिया गया है कि वीजाओं की जालसाजी को रोकने के लिए विदशों में स्थित हमारे मिशनों द्वारा प्रयुक्त वर्तमान वीजा मुहर के स्थान पर इन बिल्ट सिक्योरिटी फीचर्स युक्त वीजा स्टिकर्स लगाए जाएं।

[अनुवाद]

कराची वाणिज्य दूतावास का बंद किया जाना

*82. **श्री राम विलास पासवान :**
श्री मृत्युन्जय नायक :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान सरकार के कहने पर कराची स्थित अपना वाणिज्य दूतावास बंद करना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार कराची में भारतीय वाणिज्य दूतावास और मुम्बई में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत फिर से शुरू करने की इच्छा व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है और इस मुद्दे को हल करने हेतु सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या कराची स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के बंद होने का दोनों देशों के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). 26 दिसम्बर, 1994 को पाकिस्तान की सरकार द्वारा की गई मांग पर 4 जनवरी, 1995 को कराची स्थित भारत का प्रधान कोंसलावास बन्द कर दिया गया।

सरकार का विचार है कि इस संबंध में पाकिस्तान का निर्णय प्रचार की दृष्टि से लिया गया निर्णय है, इसका कोई औचित्य नहीं है और भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में उसके निरंतर नकारात्मक दृष्टिकोण का एक और प्रमाण है।

(ग) और (घ). सरकार ने पाकिस्तान से बम्बई स्थित अपना कोंसलावास बंद करने तथा कराची स्थित भारत का प्रधान कोंसलावास बन्द करने के अपने एक पक्षीय निर्णय पर पुनः विचार करने का आग्रह किया है। तथापि, पाकिस्तान ने अभी तक कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया है।

(ङ) और (च). पाकिस्तान के ये एकपक्षीय निर्णय दोनों देशों के बीच जनता-से-जनता के बीच संबंधों और कोंसली, वाणिज्यिक तथा सांस्कृतिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

औषध मूल्य नियंत्रण आदेश

85. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 की मूल्य नियंत्रक सूची में से निकाली गई उन औषधियों की कुल संख्या क्या है जिन पर से 1995 के औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के अंतर्गत नियंत्रण हटा लिया गया है;

(ख) किन नई औषधियों पर नियंत्रण लागू किया गया है;

(ग) क्या मूल्य नियंत्रण आदेश के अंतर्गत कारखाना-द्वार मूल्य पर 100 प्रतिशत लाभ की परिकल्पना की गई है;

(घ) क्या आदेश लागू होने के बाद विनियंत्रित औषधियों के मूल्य बढ़ गये हैं; और

(ङ) क्या मूल्यों में हुई वृद्धि से स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्वार्डो फैलीरो) : (क) प्रपुंज औषधों को, जो औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 के अंतर्गत कीमत नियंत्रण के अधीन थी, डी पी सी ओ, 1995 के अंतर्गत नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है।

(ख) 21 प्रपुंज औषधें, जो डी पी सी ओ, 1987 के अंतर्गत कीमत नियंत्रण के अधीन नहीं थी, डी पी सी ओ, 1995 के अंतर्गत कीमत नियंत्रण के अधीन लाई गई हैं।

(ग) जी, नहीं। 100 प्रतिशत का निर्माण पश्चात् अधिकतम अनुमत्य खर्च (एम ए पी ई) कारखाना बाह्य लागत के अलावा अनुमत्य है ताकि किसी निर्माता द्वारा कारखाना बाह्य लागत की अवस्था से लेकर खुदरा बिक्री तक किए गए सभी खर्चों को पूरा किया जा सके और इसमें निर्माता का ट्रेड मार्जिन तथा लाभ शामिल होता है।

(घ) औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 को हाल ही में 6/1/1995 को ही अधिसूचित किया गया है। उस तारीख से कीमत नियंत्रण मुक्त दवाइयों के मूल्यों में कोई असामान्य वृद्धि की सूचना नहीं मिली है।

(ङ) जी, नहीं।

कोयला आधारित विद्युत परियोजनाएं

*86. **श्री तारा सिंह :**
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने बिजली की कमी को पूरा करने के लिए दक्षिणी क्षेत्र में कोयला आधारित अनेक विद्युत परियोजनाएं शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र ने भी दक्षिणी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाएं शुरू करने की पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) और (ख). दक्षिणी क्षेत्र में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) कोयला आधारित संयंत्रों के उत्पादन हेतु परियोजना स्थलों को अभिज्ञात करने की संभावना का पता लगा रही है। रामागुण्डम कोयला आधारित विस्तार परियोजना (1 × 500 मे.वा.) तथा दोहरे ईंधन (गैस एवं नापथा) आधारित कायमकुलम परियोजना (400 मे.वा.) को अभिज्ञात कर लिया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने एन.टी.पी.सी. को क्रियान्वयन हेतु दो परियोजनाएं (1) सिम्हादरी (विजाग) में 1000 मे.वा. क्षमता की कोयले से चलने वाली (2) नापथा आधारित हैदराबाद मैट्रो 650 मे.वा., प्रदान की है।

(ग) और (घ). जी, हां। निजी क्षेत्र ने दक्षिणी क्षेत्र में लगभग 27308.50 मे.वा. वाली कुल क्षमता की विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए रूचि प्रकट की है। इसमें आंध्र प्रदेश में 13873 मे.वा. हेतु 33 परियोजनाएं, कर्नाटक में 5495 मे.वा. हेतु 28 परियोजनाएं, केरल में 520.50 मे.वा. हेतु 12 परियोजनाएं, तमिलनाडु में 7420 मे. वा. हेतु 12 परियोजनाएं शामिल हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा प्रकट की गई रूचि का ब्यौरा

(16.3.95 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	अर्नतिम (करोड़ रु.)	प्रकार	कंपनी का नाम
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश					
1.	भूपालापल्ली	120	420.000	कोयला	लेविस स्टेनली एसोसिएट्स इन्क.
2.	कुड्डापाह	420	1470.000	कोयला	लेविस स्टेनली एसोसिएट्स इन्क.
3.	पू. गोदावरी	100	350.000	फरनैस्ड	रायलसीमा पैट्रो कैमिकल्स लि.
4.	गोदावरी	208	748.430	गैस/एनएपीटी	स्पैक्ट्रम टैक्नो. यूएसए/ज़या फूड्स एंड एनटीपीसी
5.	गोपालापल्ली	250	875.000	कोयला	ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज
6.	हैदराबाद	200	700.00	फरनैस्ड	बालाजी होटल एंड एंटरप्राइजेज लि.
7.	हैदराबाद	200	700.00	एलएसएचएस	जीएमआर वैसावी इंडस्ट्रीज लि.
8.	हैदराबाद	700	2450.000	सी/एन/डी/जीए	मै. आरपीजी इंडस्ट्रीज लि.
9.	हैदराबाद	200	700.000	फरनैस्ड	बालाजी डिस्ट्रलिरीज लि.
10.	हैदराबाद	200	700.000	फरनैस्ड	बालाजी बायोटैक लि.
11.	जेगुरूपाडू जीबीपीपी	235	827.000	गैस/एन एपीटी	जीवीके इंडस्ट्रीज लि., यूएसए
12.	काकीनाडा	660	2310.000	नापथा	मै. कुमार्स पावर
13.	काकीनाडा	250	875.00	सी/एन/डी/जीए	मै. एडवांस्ड रेडियो मास्टस
14.	काकीनाडा पोर्ट	1000	3500.000	कोयला	मै. हडोसम पिटी. लि.
15.	कलिंगापत्तनम टीपीएस	1×250	875.000	कोयला	बोली के अधीन
16.	कलिंगापत्तनम	120	420.000	कोयला	मै. कृष्णा गोदावरी बेसिन पावर यूटिलिटीज लि.
17.	करीमनगर	120	420.000	कोयला	लेविस स्टेनली एसोसिएट्स इन्क.
18.	कृष्णापत्तनम टी.पी.एस.	2×500	3400.000	कोयला	जीवीके इंडस्ट्रीज लि. एंड बेसीकोर्प इन्ट. पावर
19.	मछलीपत्तनम	500	1750.00	सी/एन/डी/जीए	अनग्रम फाइनेंस लि.
20.	मनुगुरू	1000	3500.000	कोयला	सांघी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज

1	2	3	4	5	6
21.	मनुगुरू	500	1750.000	एलएसएचएस	श्री सिवा पावर लि.
22.	निजामाबाद	200	700.000	कोयला	मै. रिचीमैन सिल्कस लि.
23.	रामागुंडम	500	1750.000	सी/एन/डी/जीए	मै. एडवांस्ड रेडियो मस्टस
24.	रामागुंडम	2×250	1603.700	कोयला	बीपीएल ग्रुप
25.	रानीगुंटा	200	700.000	फरनैस्यो	बालाजी इंडस्ट्रीज कौर. लि.
26.	सिम्हाद्री	1000	3500.00	कोयला	नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लि.
27.	ट्विन गाइटिस	250	875.00	कोयला	मै. रिचीमैन सिल्क लि.
28.	विशाखापत्तनम	650	2275.000	नापथा/	इस्सर इन्वेस्टमेंटस लि.
29.	विशाखापत्तनम	500	1750.000	कोयला	श्री सिवा प्रिया पोवर लि.
30.	विशाखापत्तनम	500	1750.000	सी/एन/डी/जीए	मै. एमट्रैक्स एप्लायंसेस
31.	विशाखापत्तनम टीपीएस	2×500	5818.000	कोयला	अशोक लै-लैण्ड एंड नैशनल पावर यूके
32.	विजियांग्राम	220	770.000	नापथा	पैन पावर कार.
33.	वड्डापल्ली	120	420.000	कोयला	मै. कृष्णा गोदावरी बेसिन पावर यूटिलिटीज लि.
	जोड़ : 33	13873.00	50652.130		
कर्नाटक					
34.	अलमत्ती डैम	600	1900.000	ज.वि.	एसिया पावर कं.लि. (टाक्को) यूएसए केपीसी
35.	बेल्लारी-हॉसपैट	2×150	1050.000	डीजल	जिन्दल ट्रैक्टेबल पावर कं.लि.
36.	बिदर	20	70.000	डीजल	एचएमजी पावर लि.
37.	बीजापुर	150	525.000	डीजल	केईआई एनर्जी
38.	छुनछनाकट्टे	15	52.500	ज.वि.	मै. ग्रेफाइट इंडिया लि.
39.	देवनगोंथा	36	266.000	डीजल	इंडीपैंडेंट पावर सर्विसेज कारपो.
40.	हेमावती एलबीसी	15	52.500	ज.वि.	दि सिंधूर मैगनीज एंड इरान ओरिया लि.
41.	हूडी	40	140.000	डीजल	खोडे इंडिया लि.
42.	हॉसपेट टीपीएस	2×250	2240.000	कोयला	होक इंटर कांटीनेंटल लि, यूएसए
43.	इन्डी	20	70.000	डीजल	एचएमजी पावर लि.
44.	जामखंडी	20	70.000	डीजल	एचएमजी पावर लि.
45.	जेबीटीसी कं.	2×120	838.900	गैस/कोयला	जिंदल ग्रुप/ट्रैक्टेबल, बेजियम
46.	कहीनी डीपीएच	20	70.000	ज.वि.	मै. सुभाष प्रोजैक्ट एंड मार्केटिंग लि.
47.	कीरथेहोल	21	73.500	ज.वि.	मै. सुभाष प्रोजैक्ट एंड मार्केटिंग लि.
48.	कोल्लार	20	70.000	डीजल	एचएमजी पावर लि.
49.	कोप्पल	50	175.000	डीजल	मै. किरलोसकर ऑयल इंजिन लि.
50.	कुमारधारा	48	168.000	ज.वि.	मै. भोरूका पावर कारपो. लि.
51.	मंगलोर टीपीएस	4×250	5088.000	कोयला	कोजैन्ट्रिक्स इन्क. यूएसए
52.	मंगलोर टीपीएस	3×120	1260.000	कोयला	जय प्रकाश इंजीनियरिंग एंड स्टील कंपनी लि.
53.	नागार्जुन	2×500	4000.000	कोयला	गैसको नागार्जुन ग्रुप
54.	पीन्या	50	175.000	डीजल	मै. सुभाष प्रोजैक्ट एंड मार्केटिंग लि.

1	2	3	4	5	6
55.	रायचूर चरण-5 व 6	2×250	1750.000	कोयला	पब्लिक पावर इन्ट. इन्क. (नार्थ ईस्ट एनर्जी), यूएसए
56.	थूबीनकेरे	130	455.00	डीजल	इंडिया पावर पार्टनर
57.	तुमकर	50	175.000	डीजल	मै. सुभाष प्रोजैक्ट एंड मार्केटिंग लि.
58.	टुंगा एनीकट	20	70.000	ज.वि.	मै. डोडेली स्टील एंड पीरो एलौयज़ लि.
59.	वराही आईडीपीएच	15	52.500	ज.वि.	मै. बोरूका पावर कारपो. लि.
60.	वराही फील्ड	15	52.500	ज.वि.	मै. संधूर मैग्नीज एंड आयरन ओरिया लि.
61.	वाइट फील्ड	200	700.000	डीजल	कर्नाटक ब्रेवरीज एंड डिस्टलरीज
	जोड़ : 28	5495	21609.400		
केरल					
62.	अन्नाकयम एचईपी	8	36.000	ज.वि.	आईडियल प्रोजैक्ट्स एंड सर्विसेज (प्रा.) लि.
63.	बारापेल एचईपी	9	28.730	ज.वि.	आइडियल प्रोजैक्ट्स एंड सर्विसेज (प्रा.) लि.
64.	बुथाथानकेट्टू	16	56.000	ज.वि.	सिल्कल मैटालरजिक (प्रा.) लि.
65.	छत्तनकोटंडा-2	7	22.010	ज.वि.	आईडियल प्रोजैक्ट्स एंड सर्विसेज (प्रा.) लि.
66.	चेम्बूकाडाव्यू-2	7	22.290	ज.वि.	आइडियल प्रोजैक्ट्स एंड सर्विसेज (प्रा.) लि.
67.	क्करीकयम एचईपी	12	42.000	ज.वि.	ट्रावनकोर इलैक्ट्रो कैमिकल इन्डस. लि.
68.	कुथूंगल एचईपी	20	70.000	ज.वि.	इंडसिल इलैक्ट्रोसाइट्स लि.
69.	पालचुरम एचईपी	3.50	12.280	ज.वि.	आईडियल प्रोजैक्ट्स एंड सर्विसेज (प्रा.) लि.
70.	श्रीकारीपुर टीपीपी	2×210	1470.000	कोयला	बीपीएल ग्रुप
71.	उलूंकल एचईपी	6	21.000	ज.वि.	ट्रावनकोर इलैक्ट्रिक कैमिकल इंड. लि.
72.	विलंगड एचईपी	7	24.960	ज.वि.	आईडियल प्रोजैक्ट्स एंड सर्विसेज (प्रा.) लि.
73.	प. कल्लर एचईपी	5	14.240	ज.वि.	आइडियल प्रोजैक्ट्स एंड सर्विसेज (प्रा.) लि.
	जोड़ : 12	520.50	1819.510		
तमिलनाडु					
74.	बसनीब्रिज चरण-2	200	700.000	डीजल	बोली के अधीन
75.	कुद्दालोर टीपीएस	2×660	5664.000	कोयला	इंटरनैशनल कांट्रैक्टिंग एंड मार्केटिंग/ ईजी. यू.एस.ए.
76.	गुमाडीपुंडी	1000	3500.000	गैस	बोली के अधीन
77.	गुमाडीपुंडी	500	1750.000	कोयला	वीडियोकॉन इंटरनैशनल
78.	जायकॉडम लि.पीपी	3×500	5250.000	लिग्नाइट	मैकनैली भारत इंजीनियरिंग कं. लि. एंड टिडको, जेवी

1	2	3	4	5	6
79.	उ. मद्रास-2	2×500	3500.00	कोयला	मै. वीडियोकॉन इंटरनैशनल लि., बंबई
80.	उ. मद्रास टीपीपी-3	500	1750.00	कोयला	मै. प्रो-मैजिस्टिक एसडीएन., बीएचडी, मलेशिया
81.	पिल्लई पेरूमलनल्लूर	300	1235.820	गैस-एनएपीएच	डायना विजन ऑफ रेड्डी ग्रुप/जे-माकोवस्की, यूएसए
82.	समायानल्लूर डीईपीपी	100	384.000	डीजल	बालाजी ग्रुप
83.	श्रीमुशनम लिग्न.	250	875.000	लिग्न.	टिकापको
84.	तूतीकोरिन-4 टीपीएस	500	1750.000	कोयला	मै. तमिलनाडु पैट्रो प्रोडक्टस लि., मद्रास
85.	जीरो यूनिट (एनएलसी)	250	1325.110	लिग्न.	एसटी पावर सिस्टम इन्क. यूएसए
	जोड़ : 12	7420	27683.930		
	कुल जोड़ 85	27308.50	101764.970		

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा विद्युत उत्पादन

*91. **श्री अमर पाल सिंह** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का विद्युत बढ़ाने में काफी योगदान रहा है और छठी पंचवर्षीय योजना तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसकी उत्पादन क्षमता में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आठवीं योजना के दौरान विद्युत उत्पादन में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के योगदान को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) और (ख). देश में क्षमता अभिवृद्धि हेतु राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 6ठी, 7वीं और 8वीं योजना में जोड़ी गई समग्र विद्युत उत्पादन क्षमता की तुलना में एन.टी.पी.सी. द्वारा जोड़ी गई क्षमता का ब्यौरा निम्नवत है :-

	देश में जोड़ी गई विद्युत उत्पादन क्षमता (मे.वा.)	एन.टी.पी.सी. द्वारा जोड़ी गई क्षमता (मि.वा.)
6ठी योजना	12,371	2,200
7वीं योजना	21,401	7,613 (35.7%)
8वीं योजना (फरवरी, 1995 तक)	11,362	3,827 (33.6%)

उपर्युक्त से पता चलता है कि एनटीपीसी द्वारा विद्युत उत्पादन में हिस्से में कोई विशेष गिरावट नहीं आई है।

(ग) राज्य क्षेत्र के औसत पी.एल.एफ. 54.3 प्रतिशत की तुलना में एन.टी.पी.सी. का वर्तमान औसत पी.एल.एफ. 74.6 प्रतिशत है। तथापि, नई विद्युत उत्पादन क्षमता को चालू करके और विद्यमान विद्युत केन्द्रों के निष्पादन में सुधार करके विद्युत उपलब्धता में सुधार लाने के उपाय किए जा रहे हैं।

रूग्ण एकक

*92. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :**
श्री अन्ना जोशी :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनेक मंत्रालय के अधीन रूग्ण एककों की कुल संख्या क्या है;

(ख) कुल कितने एकक बन्द होने के कगार पर हैं;

(ग) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने इन रूग्ण एककों के संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (एडुआर्डो फैलीरो) : (क) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन निम्नलिखित सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों, उनकी सहायक कंपनियों एवं

संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों को बी आई एफ आर द्वारा रूग्ण घोषित किया गया है :-

1. हिन्दुस्थान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि. (एच.एफ.सी)
2. फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एफसीआई)
3. प्रोजेक्टस एण्ड डवलमैंट इण्डिया लि. (पीडीआईएल)
4. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि. (आई डी पी एल)
5. स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लि. (एस एस पी एल)
6. बंगाल इम्युनिटी लि. (बी.आई.एल.)
7. बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि. (बी सी पी एल)
8. उड़ीसा ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (ओ डी सी एल)
9. उत्तर प्रदश ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि. (यू पी डी एल)
10. हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन लि. (एच एफ एल)
11. सदर्न पेस्टिसाइड्स कारपोरेशन लि. (एस पी ई एल)

(ख) रूग्ण घोषित इकाइयों में से, बी आई एफ आर ने यू पी डी पी एल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न कंपनी को बंद कर दिया जाना चाहिए। शिकायतों-सुझावों पर 4 मई, 1995 को होने वाली बैठक में बी आई एफ आर द्वारा विचार किया जायेगा।

(ग) से (ङ). उर्वरक विभाग के तीन सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात एफ एफ सी, एस सी आई और पी डी आई एल के पुनरूद्धार योजना पर बी आई एफ आर द्वारा अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। एच एफ सी और एफ सी आई के संबंध में, कार्य संचालन एजेन्सी अर्थात इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमैंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया ने बी आई एफ आर को 19.1.95 को पुनरुद्धार योजनाओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इन दो कंपनियों के संबंध में, बी आई एफ आर ने 31-3-95 तक पुनरूद्धार योजना बना कर प्रस्तुत करने का निदेश दिया है। निश्चित पुनरूद्धार योजना को प्रस्तुत करने के पश्चात, बी आई एफ आर जो कि अर्द्धन्यायिक प्राधिकरण है, यथासंभव अंतिम निर्णय लेगी।

आई डी पी एल, बी आई एल और एस एस पी एल की पुनरूद्धार योजना को बी आई एफ आर द्वारा मंजूरी दे दी गई है। अन्य बातों के साथ-साथ, इन पुनरूद्धार योजनाओं में पूंजी पुनर्गठन, नई वित्तीय सहायता, उच्च उत्पादन और बिक्री, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना द्वारा मानवशक्ति में कमी और कारोबार का पुनर्गठन इत्यादि शामिल हैं।

बी आई एफ आर द्वारा अनुमोदित ओ डी सी एल की पुनरूद्धार योजना में उच्च उत्पादन और बिक्री, बैंक से सहायता और रियायतें और दो प्रोत्साहकों अर्थात राज्य सरकार और आई डी पी एल की सहायता की परिकल्पना है।

बी सी पी एल की पुनरूद्धार योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है किन्तु बी आई एफ आर द्वारा अभी मंजूरी नहीं दी गई है और 28.3.95 को सुनवाई होनी है।

जहां तक एस पी ई सी का संबंध है, कंपनी ने अपनी पुनरूद्धार योजना कार्य संचालन एजेंसी आई डी बी आई को प्रस्तुत कर दी है। बी आई एफ आर की अगली बैठक पुनरूद्धार योजना प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 23.3.95 को होनी है। एच एफ एल की पुनरूद्धार योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

*93. **श्री प्रमथेस मुखर्जी :**
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार विभाग और गैर-सरकारी क्षेत्र की भारतीय कंपनियों तथा अमरीका की प्रमुख दूरसंचार कंपनियों के बीच हुए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) क्या सरकार ने अमरीका के निवेशकों को एक स्वायत्तशासी दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना करने का आश्वासन दिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में एक प्रायोगिक परियोजना को स्वीकृति दी है; और

(घ) इस प्रायोगिक परियोजना का क्या उद्देश्य है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) किसी भी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। तथापि, तकनीकी सहयोग के दो दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए और एक आशय-पत्र जारी किया गया। कुछ भारतीय कंपनियों ने अमरीकी कंपनियों के साथ करारों पर अवश्य हस्ताक्षर किए थे।

(ख) जी, हां। दूरसंचार के क्षेत्र में भारतीय और विदेशी दोनों किस्म के सभी भावी निवेशकों को ऐसा आश्वासन दिया गया है। विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने का निर्णय, सितंबर, 1994 में जारी मार्गनिर्देशों में निहित था जो मूलभूत सेवाओं में निजी क्षेत्र के प्रवेश को विनियमित करते हैं। दूरसंचार सेवाओं के प्रचालकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने लिए, ऐसे प्राधिकरण का होना आवश्यक समझा गया।

(ग) यू.एस.वैस्ट (इंडिया) लिमिटेड नामक एक भारतीय कंपनी को प्रायोगिक परियोजना के लिए आशय-पत्र जारी किया गया है।

(घ) प्रायोगिक परियोजना का उद्देश्य उपभोक्ता "लूप" में "वाइडबैंड" प्रौद्योगिकी, बेतार तथा ऑप्टिकल फाइबर प्रौद्योगिकी को आजमाना है।

सड़क परिवहन के विकास हेतु विदेशी निवेश

*94. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी निवेशकों ने सड़क परिवहन के विकास हेतु निवेश करने की पेशकश की है;

(ख) क्या विदेशी निवेश पर कुछ प्रतिलाभ दिए जाने का प्रस्ताव था;

(ग) क्या यह भी निर्णय लिया गया है कि किसी भी निवेश पर प्रति-गारंटी नहीं दी जायेगी;

(घ) यदि हां, तो किन-किन देशों ने निवेश हेतु पेशकश की है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और तुर्की जैसे देशों की अनेक फर्मों/कम्पनियों ने भारत में निवेश के लिए रुचि दिखाई है।

(ङ) अभी से यह बता पाना संभव नहीं है कि इस बारे में कब तक अपेक्षित कानून बनाकर नीति को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

[हिन्दी]

लौह खनन

*95. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत दो वर्षों के दौरान कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के लोहे का खनन किया गया;

(ख) क्या यह मात्रा घरेलू मांग के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा लोहे के खनन कार्यों को बढ़ाने और देश में इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग). पिछले दो वर्षों के दौरान देश में खनन किए गए लौह-अयस्क की कुल मात्रा और उसका मूल्य नीचे दिया गया है :-

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1992-93	571.5 लाख टन	906.67 करोड़ रुपए
1993-94	583.4 लाख टन	897.15 करोड़ रुपए

इस समय लगभग 280 लाख टन लोह अयस्क का उपयोग घरेलू मांग को पूरा करने के लिए किया जा रहा है और अधिशेष मात्रा के निर्यात का प्रस्ताव किया जा रहा है। इस प्रकार देश में खनन किया जा रहा लौह-अयस्क समग्र घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

[अनुवाद]

संदूषित भूमिगत जल

*96. **श्री मोहन सिंह** (देवरिया) :
श्री प्रभू दयाल कठेरिया :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली का भूमिगत जल संदूषित हो गया है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) संदूषण के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) जल-संदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख). दिल्ली के कुछ भागों अर्थात नजफगढ़ नाले के निकटवर्ती इलाकों में हाल ही में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि उथले हैंड पंपों तथा ट्यूबवेलों (40 मीटर तक गहरे) से मिलने वाले पानी की श्रेणी पेयजल के लिए स्वीकृति मानकों के संबंध में कतिपय प्रदूषण पैरामीटरों से कुछ अधिक ही है।

(ग) उपर्युक्त क्षेत्रों में किए गए प्रवीक्षण से यह निष्कर्ष निकला कि नजफगढ़ नाला बेसिन क्षेत्र में भूमिगत जल के प्रदूषण का कारण अनधिकृत कालोनियों में खुली जगह में घरेलू कूड़े-करकट और तरल अपशिष्ट को गलत ढंग से फेंकना, अनास्तरित खुली नालियां तथा औद्योगिक द्रव्यों का बहना है।

(घ)(i) यह सुनिश्चित करने के बाद ही कि पानी मनुष्य के पीने योग्य है, गहरे ट्यूबवेलों से पानी सप्लाई करने के प्रयास किये जाते हैं।

(ii) जनता को सप्लाई करने से पूर्व पानी क्लोरीनयुक्त बनाया जाता है।

(iii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा दिल्ली नगर निगम को घरेलू कूड़ा-करकट तथा तरल अपशिष्ट और औद्योगिक द्रव्यों के निपटान के लिए समुचित निपटान तंत्र स्थापित करने तथा नजफगढ़ नाले को अस्तरित करने का कार्य प्रारंभ करने की भी सलाह दी गयी है।

सड़क नेटवर्क

*97. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक्सप्रेस मार्गों का निर्माण करने और राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों वाला बनाने सहित सड़क नेटवर्क का विस्तार करने हेतु सड़क नीति की समीक्षा करने और नई सड़क नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने इस संबंध में संशोधन करने हेतु सुझाव दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नई सड़क नीति में हिमालय के क्षेत्रों को शामिल किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार सड़क नेटवर्क के वित्त पोषण के लिए घरेलू और विदेशी दोनों ही वैकल्पिक वित्तीय संसाधन जुटाने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). सरकार, सड़क निर्माण संबंधी कार्यों में निजी क्षेत्र को शामिल करना चाहती है। उद्यमी अपने संसाधनों से इन सुविधाओं का निर्माण करेंगे तथा उन्हें अपने निवेश के बदले शुल्क वसूल करने और उसे अपने पास रखने की अनुमति होगी।

(ग) से (च). विश्व बैंक ने इस बारे में टिप्पणी की है और अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया है कि पुलों और शहरी बाईपासों तथा प्राथमिकता वाले एक्सप्रैस मार्गों जैसी छोटी परियोजनाओं के साथ इस दिशा में शुरूआत की जाए। देश के सभी क्षेत्रों में निजीकरण शुरू किया जाएगा।

(छ) जी, हां।

(ज) अभी से इस बारे में ब्यौरे देना संभव नहीं है।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ संबंध

*98. **श्री चित्त बसु** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ और घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दिशा में अब तक कोई विशेष कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). राष्ट्रपति डा. शंकर दयाल शर्मा की 1992 में, जब वह उप-राष्ट्रपति थे, कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य की यात्रा, उप राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन की अप्रैल 1994 में आस्ट्रेलिया की यात्रा और प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिंहराव की जून 1992 तथा सितम्बर, 1993 में क्रमशः जापान और कोरिया गणराज्य की यात्राओं जैसी उच्च स्तरीय यात्राओं से एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थित देशों के साथ हमारे संबंधों के विकास का एक नया तथा महत्वपूर्ण अध्याय आरंभ हुआ।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र विश्व की तीव्रतम गति से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से भी भारत से निकट रूप से जुड़ा हुआ है। हम इस क्षेत्र के प्रत्येक देश के साथ परस्पर लाभ के घनिष्ठ एवं उपयोगी संबंध विकसित करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय आवास नीति

*99. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय आवास नीति के अंतर्गत आवास निर्माण कार्य में तीव्रता लाने के लिए किसी कानूनी और विनियमनकारी ढांचे का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसे समग्र वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने के लिए कोई प्रारूप तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख). लोक सभा द्वारा अगस्त, 1994 में अनुमोदित राष्ट्रीय आवास नीति में विस्तृत कानूनी व नियामक रूपरेखा निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार पुनः प्रस्तुत है :-

4.12 कानूनी तथा नियामक रूपरेखा

4.12 कानूनी जटिलताओं को दूर करने के उपायों में दस्तावेज में अन्यत्र वर्णित के अतिरिक्त निम्नलिखित शामिल होंगे :-

(क) भूमि सुधार तथा अन्य संगत अधिनियमों में कब्जा-धारकों को वासभूमि अधिकार देने, परियोजनाओं के द्वारा बेघर किये गये लोगों को समुचित पुनर्वास सुनिश्चित करने, आदिवासी परिवारों की बेदखली से बचाना, वन तथा शामलात जमीन आदि पर प्रयोक्ता अधिकारों के संरक्षण संबंधी प्रावधान।

(ख) वृहत योजना मानकों, भू-उपयोग आयोजनाओं, भवन उपनियमों व अवस्थापना मानकों में राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा दिशानिर्देश के अनुसार राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता के आधार पर संशोधन किया जाना। इससे आश्रय की लागत में कमी आयेगी, भूमि का ठीक उपयोग होगा और आवास कार्यकलापों में मदद मिलेगी।

(ग) भू-स्वामियों के हितों का समुचित ध्यान रखते हुए, सघन भूमि को शीघ्र एकत्र करके शहरी क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण संबंधी कानूनों तथा प्रक्रिया में उपयुक्त संशोधन करना।

(घ) नगर नियोजन, विशेषकर निम्न आय बस्तियों तथा मकानों के उसी स्थल पर सुधार हेतु मानकों तथा मानदंडों से संबंधित कानूनों तथा नियामकों की समीक्षा तथा संशोधन।

(ङ) सामूहिक अथवा सहकारी आवास कार्यकलाप संबंधी वर्तमान सहकारिता कानूनों में पृथक अध्याय जोड़ना ताकि उनके कार्यचालन को सरल बनाया जा सके तथा विद्यमान अड़चनों को दूर किया जा सके।

(च) जिन राज्यों में ऐसे कानून नहीं हैं उनमें अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम को लागू करना तथा जहां आवश्यक हो विद्यमान कानूनों में समुचित संशोधन करना ताकि अलग-अलग मालिकों के कब्जा अधिकारों के अंतरण, आम इलाकों के प्रबंध, और ऋणद संस्थानों द्वारा अपार्टमेंट पर प्रभार लगाने की व्यवस्था की जा सके।

(छ) आवास तथा सेवाओं विशेषकर अनौपचारिक क्षेत्र में गरीबों तथा परिवारों को वित्त उपलब्धि में आने वाली बाधाओं को निम्नलिखित के माध्यम से दूर करना :—

- लचीली पद्धतियां तथा अनुषंगी आवश्यकताओं के साथ-साथ पुनर्भुगतान अनुसूचियां एन एच बी द्वारा पुनः वित्तपोषित आवास वित्त के रेहन पर तीव्रता से रोक लगाने के लिये एन एच बी अधिनिमय में संशोधन ताकि आवास वित्त संस्थानों के संसाधनों में और वृद्धि हो सके तथा आवास रेहन के लिये एक गौण बाजार बनने में सहायता मिल सके।
- रेहन के इंगलिश सिस्टम को सर्वमान्य बनाना।
- दस्तावेजों के पंजीकरण और रेहन रखने की पद्धति को सरल बनाना।
- स्वामित्व की जांच करने की पद्धति को सरल बनाना तथा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व पंजीकरण के लिये एक चरणबद्ध रूप से टॉरेंस सिस्टम शुरू करना।

इस कार्यसूची का कार्यान्वयन केन्द्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से यथासंभव शीघ्र सुनिश्चित किया जायेगा।

(ग) और (घ). आवास तथा सेवाओं में वित्त की उपलब्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिये शुरू किये गये उपाय इस प्रकार हैं :-

(i) आवास ऋण देने के लिए हाल ही में कई आवास वित्त संस्थाओं का गठन किया गया है जो सरल तरीके से ऋण देंगी तथा उसकी वसूली करेंगी। ये आवास वित्त संस्थान, राष्ट्रीय आवास बैंक की समग्र देखरेख तथा दिशानिर्देशन के तहत कार्य करते हैं।

(ii) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में वृद्धिशील जमा का 1.5 प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवास वित्त के लिये निर्धारित है।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक ने, वाणिज्यिक बैंकों के प्राथमिक क्षेत्र अग्रिमों में शामिल किये गये आवास हेतु ऋणों की परिभाषा को संशोधित किया है। वर्तमान निर्देशों के अनुसार भारतीय वाणिज्यिक बैंकों के लिय यह सुनिश्चित करना होगा कि 40 प्रतिशत आधार प्राथमिक क्षेत्र का दिया गया है।

(iv) राष्ट्रीय आवास बैंक ने 1.11.94 से आवास ऋणों के लिये ब्याज दरों को संशोधित किया है।

(vi) आवास वित्त संस्थानों द्वारा रेहन पर शीघ्र रोक लगाने की व्यवस्था करने हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम में संशोधन तैयार कर लिए गए हैं।

(vii) पंजीकरण तथा स्टाम्प शुल्क की पद्धति के यौक्तिकीकरण तथा सरलीकरण के लिये अध्ययन किये गये हैं।

[अनुवाद]

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

100. श्री सनत कुमार मंडल :
श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा के दौरान क्या बातचीत हुई और उनके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या इस यात्रा के दौरान कोई संधि/समझौता हुआ था;

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ङ) क्या भारत और दक्षिण अफ्रीका ने "हिन्द महासागरीय देशों" का एक आर्थिक समूह गठित करने का संकल्प लिया था; और

(च) इस संकल्प को पूरा करने हेतु क्या प्रारम्भिक कदम उठाये जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (च). 1. दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री नेल्सन मंडेला गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में 24 से 27 जनवरी, 1995 तक भारत आए थे। उनकी इस यात्रा से दोनों देशों की सरकारों को आपसी हित के कई अन्तर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मसलों पर विचार-विमर्श करने तथा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने का मौका मिला। इस यात्रा से दोनों देशों के पारस्परिक द्विपक्षीय संबंधों को संस्थागत रूप देने में सहायता मिली है।

2. इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित तीन करार संपन्न हुए :—

(i) भारत गणराज्य तथा दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के बीच अन्तर राज्य संबंधों और सहयोग के सिद्धान्तों से संबद्ध संधि। इस संधि में शान्ति, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष शासन के संबंध में दोनों देशों के समान सिद्धान्तों जातीय पृथगवासन, जातीय भेदभाव और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ संघर्ष करने, नाभिकीय अस्त्रमुक्त तथा हिंसामुक्त विश्व की स्थापना के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहने के संबध में दोनों देशों के संकल्प, और उनकी इस इच्छा का उल्लेख है कि वे परस्पर बहुआयामी संबंध विकसित करना चाहते हैं और उनका यह दृढ़ विश्वास है कि उनके द्विपक्षीय सहयोग से सर्वत्र शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका में। इस संधि में दोनों पक्षों ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि वे अन्तर्राष्ट्रीय अपराधों, आतंकवाद के सभी रूपों, नागर विमानन सुरक्षा, जहाजरानी तथा परिवहन के अन्य माध्यमों के खिलाफ अपराधों, नशीली दवाइयों, हथियारों और सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक वस्तुओं के गैर कानूनी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के खिलाफ संघर्ष में सहयोग करेंगे।

(ii) राजनीतिक, व्यापारिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग से संबद्ध अन्तर-सरकारी संयुक्त आयोग की स्थापना के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के बीच करार। इस करार में दोनों पक्षों ने राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उद्योग, परिवहन, ऊर्जा, संस्कृति और जन-स्वास्थ्य के क्षेत्रों में परस्पर लाभकारी सहयोग विकसित करने के लिए एक संयुक्त आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया है।

(iii) भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय तथा दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के विदेश कार्य विभाग के बीच सहयोग से संबद्ध प्रोटोकोल। इस प्रोटोकोल में दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि आपसी हित की अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समस्याओं तथा द्विपक्षीय संबंधों से संबद्ध मसलों पर विदेश मंत्रियों और अन्य स्तरों पर कम-से-कम वर्ष में एक बार नियमित बातचीत और परामर्श किया जाए।

3. दोनों पक्षों ने हिंद महासागर परिधि के गठन से संबद्ध मसले पर विचार-विमर्श करने पर सहमति व्यक्त की। मारीशस में 29 से 31 मार्च, 1995 के दौरान इस विषय पर आयोजित की जाने वाली विशेषज्ञों और अधिकारियों की आगामी बैठक में भारत सरकार भाग लेगी।

पुलिसकर्मियों की संख्या में वृद्धि

553. श्री प्रेम चन्द राम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार सरकार की ओर से राज्य में पुलिसकर्मियों की संख्या में वृद्धि करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड के समक्ष लंबित फिल्में

554. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड अथवा क्षेत्रीय बोर्ड के समक्ष कौन-कौन सी फिल्में लंबित हैं तथा इनकी भाषाओं और इनके निर्माताओं के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) इस प्रमाणीकरण में औसतन कितना समय लिया जाता है; और

(ग) अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष बोर्ड के निर्णय के विरूद्ध लंबित अपीलों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पैट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण और विपणन

555. श्री हरि किशोर सिंह : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण और विपणन की दृष्टि से मूल्य पुनर्निर्धारण दल (रिस्ट्रेकरिंग ग्रुप) की कोई बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए मूल्य पुनर्निर्धारण दल बैठकें आयोजित करता रहा है और इसे अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करनी है।

रसोई गैस एजेंसियां

556. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार की रसोई गैस एजेंसियां खोलने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश की 1994-96 की एल पी जी विपणन योजना में 89 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। यह 1992-94 के लिए विपणन योजना में पहले से सम्मिलित 54 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के अतिरिक्त, जिनके लिए तेल चयन बोर्ड (मध्य प्रदेश) के माध्यम से चयन कार्य चल रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रसोई गैस की सप्लाई

557. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश के सभी भागों में रसोई गैस की सप्लाई हेतु तेल कम्पनियों के नेटवर्क में विस्तार करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के लिए इन कम्पनियों द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्या है; और

(ग) उड़ीसा, बिहार और आन्ध्र प्रदेश में रसोई गैस नेटवर्क के विस्तार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग).समग्र देश में 1023 रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने हेतु प्रस्ताव वाली रसोई गैस विपणन योजना 1994-96 को सरकार ने हाल ही में अनुमोदित कर दिया है। उपर्युक्त विपणन योजना में उड़ीसा के लिए 24, बिहार के लिए 76 और आंध्र प्रदेश के लिए 73 रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप हैं।

रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन

558. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न वर्गों जैसे महिलाओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यक समुदायों, विकलांगों, युद्ध के दौरान मारे गये सैनिकों की विधवाओं और शिक्षित बेरोजगारों को जुलाई, 1994 से जनवरी, 1995 के दौरान राज्य-वार कितनी रसोई गैस एजेंसियां और पैट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्र आबंटित किए गए;

(ख) इन वर्गों के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए;

(ग) इस अवधि के दौरान कितने अन्य व्यक्तियों और सहकारी समितियों को रसोई गैस एजेंसियां और पैट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्र आबंटित किए गए; और

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान रसोई गैस एजेंसियां और पैट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्र आबंटित करने की योजना का ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). विज्ञापन की निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से आबंटित एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप और जून, 1994 से जनवरी, 1995 के दौरान तेल चयन बोर्डों के माध्यम से चयन का श्रेणीवार ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :—

	अनु. जा.	अनु. जन.	शा.वि.	प्रतिरक्षा	स्व. सेनानी	खुली श्रेणी
एल पी जी	67	25	33	13	23	152
खुदरा बिक्री केन्द्र	46	35	25	16	4	149

महिलाओं, शिक्षित बेरोजगारों, युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं और कोआपरेटिव सोसायटियों के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं है।

(घ) सरकार ने पूरे देश में 1023 डिस्ट्रीब्यूटरशिपों वाली एल पी जी विपणन योजना 1994-96 और 1040 डीलरशिपों वाली खुदरा बिक्री केन्द्र वाली विपणन योजना 1993-96 का अनुमोदन कर दिया है।

[हिन्दी]

रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन

559. श्री ललित ठरांब : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए रसोई गैस एजेंसियों और डीजल/पैट्रोल खुदरा विक्रय केन्द्रों के आबंटन में आरक्षण से संबंधित बिहार के लिए स्वीकृत योजना के अंतर्गत संबंधित स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) किन-किन स्थानों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं और किन-किन स्थानों के लिए निकट भविष्य में विज्ञापन जारी किए जाने हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) विद्यमान नीति के अनुसार तेल चयन बोर्डों के माध्यम से आबंटित होने वाली डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की 25 प्रतिशत अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षित हैं।

(ख) बिहार के लिए विविध अनुमोदित विपणन योजनाओं में 379 खुदरा बिक्री केन्द्र, एस के ओ-एल डी ओ तथा रसोई गैस डीलरशिपें सम्मिलित की गई थीं। उपर्युक्त में से, 1.1.1995 को 351 स्थान पहले ही विज्ञापित कर दिए गए हैं तथ 28 स्थान विज्ञापित किए जाने हैं।

[अनुवाद]

रसोई गैस एजेंसियां

560. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसोई गैस की नई एजेंसियां तथा पैट्रोल/डीजल के नए खुदरा बिक्री केन्द्र केरल में आबंटित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). केरल के लिए चालू खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना 1988-93 तथा रसोई गैस विपणन योजना 1992-94, जिसके लिए तेल चयन बोर्ड (केरल एवं लक्षद्वीप) के माध्यम से चयन प्रक्रियाधीन है, में 38 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा 14 रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिपें सम्मिलित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, 38 रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा 43 खुदरा बिक्री केन्द्र आगामी रसोई गैस विपणन योजना 1994-96 तथा खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना 1993-96 में सम्मिलित किए गए हैं।

खुले मुहाने की खान परियोजनाएं

561. डा. वसंत पवार : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न कोयला क्षेत्रों में कुछ खुले मुहाने की खानों की परियोजनाओं को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कोयला क्षेत्रों में कितने कोयले का उत्पादन होने की संभावना है और इस पर कितना पूंजी परिव्यय होगा?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग). सरकार ने दिनांक 1.4.1994 से अब तक दो नई ओपेनकास्ट कोयला खनन परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

परियोजना का नाम	कंपनी	राज्य	स्वीकृति लागत (करोड़ रु. में)	क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष)
उरीमरी ओपेनकास्ट परियोजना	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	बिहार	95.33	1.30
मुगोली ओपेनकास्ट परियोजना	वैस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	महाराष्ट्र	83.63	0.08

कोयले का उत्पादन

562. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने कोयले का उत्पादन हुआ;

(ख) क्या देश की मांग पूरा करने के लिए यह पर्याप्त है;

(ग) इन वर्षों में कितने कोयले का निर्यात हुआ;

(घ) इन वर्षों में कोयले की बाजार दर और निर्यात दर क्या थी; और

(ङ) इन वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) देश में पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कोयले के उत्पादन की कुल मात्रा नीचे दी गई है :—

1992-93	238.23 मिलियन टन
1993-94	246.04 मिलियन टन

(ख) कम राख कोकिकर कोयला तथा उच्च ग्रेड अकोकिकर कोयले को छोड़कर, देशी कोयले का उत्पादन घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ग) कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) पड़ोसी देशों को कोयले का निर्यात करता है, जोकि इसके परम्परागत खरीददार हैं। वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान को.इं.लि. द्वारा कोयले की निर्यात की गई मात्रा नीचे दी गई है :—

वर्ष	मात्रा (000 टन में)
1992-93	132.0
1993-94	98.2

(घ) देश के भीतर कोयले की बिक्री सरकार द्वारा सांविधिक कीमत अधिसूचना द्वारा प्रशासित की जाती है। दूसरी ओर कोयले का

निर्यात करार पर आधारित होता है जिसमें प्रत्येक लेन-देन के मामले में भिन्नता होती है।

(ङ) वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान को.इं.लि. द्वारा कमायी गई विदेशी मुद्रा नीचे दी गई है :—

वर्ष	कमायी गई विदेशी मुद्रा
1992-93	23.40 लाख अमेरिकी डालर
1993-94	11.91 लाख अमेरिकी डालर

प्राकृतिक गैस का आबंटन

563. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों ने केन्द्र सरकार से ओमान/ईरान से आयात की जाने वाली प्राकृतिक गैस का आबंटन करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). गैस के अतिरिक्त आबंटन के लिए मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। ओमान से आयात हेतु प्रस्तावित गैस के राज्यवार वितरण पर तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

राजभाषा का प्रयोग

564. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानूनी प्रावधानों के बावजूद, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/ विभागों/कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग को समुचित रूप से सुनिश्चित नहीं किया जा सका;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग हिन्दी के प्रभावी प्रयोग हेतु राजभाषा विभागों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके हैं; और

(ग) यदि हां, तो राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) राजभाषा संबंधी कानूनी प्रावधानों के अनुसार राजभाषा नीति का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए यथासंभव सद्भाव, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन का मार्ग भी अपनाया जा रहा है।

(ख) केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग हिन्दी के प्रभावी प्रयोग हेतु राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में क्रियाशील हैं और प्रायः राजभाषा नीति कार्यान्वयन में सुधार ला रहे हैं।

(ग) निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में पाई जाने वाली कमियां, सुधारात्मक उपायों के लिए सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों के ध्यान में लाई जाती है।

[अनुवाद]

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अर्जित लाभ

565. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 1994-95 के दौरान कितना लाभ अर्जित किया; और

(ख) इस अवधि के दौरान कोयले का कुल कितना उत्पादन हुआ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) वित्तीय वर्ष 1994-95 अभी समाप्त नहीं हुआ है। कोल इंडिया लि. द्वारा वर्ष 1994-95 के दौरान कमाए गए लाभ अथवा उठाई गई हानि का पता वित्तीय वर्ष की अवधि समाप्त होने तथा लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही पता चल सकता है।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान (अप्रैल, 1994 से फरवरी, 1995 तक) कोल इंडिया लि. में कुल कोयले का उत्पादन 196.05 मि.टन (अनंतिम) हुआ है।

आंध्र प्रदेश में बीस सूत्री कार्यक्रम

566. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 में आंध्र प्रदेश में बीस सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने 1994-95 में बीस सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) 1993-94 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग). इन कार्यक्रमों का वित्तपोषण क्षेत्रीय परिव्यय के माध्यम से किया जाता है जिनमें वार्षिक योजनाओं के दौरान आकार में परिवर्तन होता रहता है। 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए निधियों का अलग से आबंटन नहीं किया जाता है।

विवरण

राज्य : आन्ध्र प्रदेश वर्ष : 1993-94

क्र.सं.	सूत्र संख्या	मद का नाम	इकाई	लक्ष्य 1993-94	उपलब्धि 1993-94	प्रतिशत उपलब्धि
1.	01क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (प.)	संख्या	204024	298910	147
2.	01ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	102562000	99699000	97
3.	01ग	लघु उद्योग इकाइयां (पंजीकृत)	संख्या	8330	15874	191
4.	05क	अधिशेष भूमि का वितरण	एकड़	122810	27139	22
5.	06	बंधुआ मजदूर पुनर्वास	संख्या	1000	855	86
6.	07क	पेयजल समस्या (गांव)	संख्या	1269	1408	111
7.	08क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सा. स्वा. के.)	संख्या	40	0	0
8.	08ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रा.स्वा. के.)	संख्या	60	0	0
9.	08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी., पोलियो एवं बी.सी.जी.)	संख्या	1684820	1745000	104
10.	09क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	600000	599000	100
11.	09ख	समतुल्य नसबंदी-आईयूडी, सीसी एवं ओपी	संख्या	276778	195257	71
12.	09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड (संचयी)	संख्या	192	192	100
13.	09घ	आंगनवाड़ी (संचयी)	संख्या	24553	21666	88
14.	11क	सहायता प्राप्त अनु.जाति के परिवार	संख्या	381000	475080	125
15.	11ख	सहायता प्राप्त अनु.जनजाति के परिवार	संख्या	95000	166750	176
16.	14क	आबंटित आवास स्थल (पं.)	संख्या	100000	218975	219
17.	14ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	52900	164625	311
18.	14ग	अनु.जाति/अनु. जनजाति के लिए इन्दिरा आवास योजना (प.)	संख्या	49034	44094	92
19.	14घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास	संख्या	25000	54361	217
20.	14ङ	निम्न आय वर्ग को मकान	संख्या	1240	1262	102
21.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	225000	314705	140
22.	16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	195000000	97616000	50
23.	16ख	लगाए गए क्षेत्र में	हेक्ट.	70000	34530	49
24.	18	उचित दर दुकानें	संख्या	502	513	102
25.	19ख	शक्तिचालित पम्प सैट	संख्या	56000	112443	201
26.	19ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	170000	236923	139
27.	19घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	संख्या	12800	19631	153

शहर के नाम में परिवर्तन

567. श्री राम नाईक : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका पर इसके द्वारा 11 अक्तूबर, 1994 को दिए गए निर्णय की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार हिन्दी में बम्बई के स्थान पर मुम्बई नाम का प्रयोग किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो उच्च न्यायालय के फैसले को लागू न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने अंग्रेजी में बॉम्बे के स्थान पर मुम्बई नाम का प्रयोग करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आगामी कार्रवाई के लिए यह मामला विचाराधीन है।

विकलांगों का कल्याण

568. श्री ए. चार्ल्स : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार विकलांगों के प्रशिक्षण, काम पर लगाए जाने और पुनर्वास संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई कानून बनाने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो यह कब तक बना दिया जाएगा?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (के.वी. तंगका बालू) : (क) जी, हां। ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों के प्रशिक्षण, स्थापन और पुनर्वास का एक नया कार्यक्रम, जिसे समुदाय आधारित पुनर्वास (सी.बी.आर) कहा जाता है, संघ सरकार के विचाराधीन है।

(ख) उपरोक्त कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में चुने हुए जिलों में समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम चलाने के लिए स्वैच्छिक संस्थानों की सहायता देने का प्रस्ताव है जिससे विकलांगों की शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्थापन और मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श तथा पुनर्वास आदि सहित पुनर्वास सेवाओं का पूरा पैकेज उपलब्ध कराया जा सके। इस कार्यक्रम को पूर्णतः केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि दिए जाने का प्रस्ताव है। स्वैच्छिक संस्थानों को सहायता अनुदान दिया जाएगा।

(ग) जी, हां।

(घ) मसौदा विधेयक विचाराधीन है। सरकार का यह प्रयास है कि इसे यथाशीघ्र संसद में पेश किया जाए।

[हिन्दी]

पर्वतीय क्षेत्रों का विकास

569. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या मापदंड हैं;

(ग) क्या योजना आयोग ने पहले कार्यान्वित किये गये कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु किसी कार्यदल का गठन किया है;

(घ) क्या उक्त समूह के अंतर्गत गठित तकनीकी समिति ने पर्वतीय क्षेत्रों की परिभाषा के संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं तथा क्या इन परिभाषाओं के आधार पर पर्वतीय क्षेत्रों का चयन किया गया है;

(ङ) सिफारिश की गई परिभाषा के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कौन-कौन से क्षेत्र आते हैं; और

(च) क्या केन्द्रीय सरकार का उक्त समिति द्वारा सिफारिश की गई परिभाषा के अनुसार चयन किये गये पर्वतीय क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है जैसा कि इस समय कुछ राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों के संबंध में किया जा रहा है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (च). पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है जिसमें उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के निर्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्र और पश्चिमी घाट के निर्दिष्ट तालुक शामिल हैं। सातवीं योजना के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों से सम्बन्धित कार्य दल की सिफारिशों के आधार पर योजना आयोग ने मई, 1986 में देश में नयी पर्वतीय क्षेत्रों की इस रूपरेखा के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था। हालांकि धन राशि में कमी की वजह से आठवीं योजना के दौरान पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सहित किसी भी राहत के नये पर्वतीय क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जल विकास परियोजना के अंतर्गत योजनाएं

570. श्री पी.सी. चाको : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत केरल में कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार ने कितनी धनराशि का आवंटन किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं ने कुछ वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सहायता की परियोजना-वार शर्तें क्या हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ङ). विश्व बैंक सहायता प्राप्त राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना के अंतर्गत पांच परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं के लिए निधियां राज्य योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती हैं। ऋण करार के अनुसार परियोजना लागत पर अगस्त, 1990 तक हुए 70 प्रतिशत व्यय तथा इसके बाद हुए 90 प्रतिशत व्यय की विश्व बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति की जानी है।

योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना के अंतर्गत योजनाओं का ब्यौरा

राज्य : केरल (लाख रुपए)

क्र.सं.	योजना का नाम	राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना में शामिल करने का वर्ष	राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना के अंतर्गत कृष्य कमान क्षेत्र (हेक्टेयर)	अनुमानित लागत	मार्च, 95 तक प्रत्याशित व्यय
1.	मालपुझा	89-90	20553	882.19	890.19
2.	मंगलम	91-92	3440	223.00	218.00
3.	फोथुंडी	91-92	4685	300.17	295.17
4.	वझानी	92-93	5013	156.00	63.31
5.	पीची	92-93	16000	543.40	500.00
	जोड़		49691	2104.76	1966.67

स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाएं

571. श्री के. प्रधानी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "संसद सदस्यों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना" कार्यक्रमों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत किन-किन कमियों और कठिनाइयों का पता चला है; और

(ग) योजना की कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग). माननीय अध्यक्ष, लोक सभा और विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ पूरी योजना पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया था। सरकारी प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस समीक्षा के परिणामस्वरूप, मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन किया गया, जिन्हें सभा पटल पर रखा जा चुका है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय तेल ग्रिड योजना

572. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय तेल ग्रिड योजना के अंतर्गत अभी तक कितना कार्य पूरा हो चुका है; और

(ख) इससे क्या-क्या लाभ हुए हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). राष्ट्रीय तेल ग्रिड की कोई योजना नहीं है। तथापि, पैट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए निम्नवत सात विद्यमान उत्पाद पाइपलाइनें हैं :—

बरौनी — कानपुर
बंबई — पुणे
गुवाहटी — सिलीगुड़ी

हल्दिया	—	बरौनी
हल्दिया	—	राजबंध
कोयाली	—	अहमदाबाद
मथुरा	—	जालंधर

कांडला-भटिंडा पाइपलाइन क्रियान्वित की जा रही है।

पाइपलाइन द्वारा परिवहन के अनेक लाभ हैं। यह मितव्ययी, अपेक्षाकृत, द्रुत एवं विश्वसनीय है। परिवहन के दौरान होने वाली हानि में कमी, ऊर्जा संरक्षण, कम लागत पर विस्तार की व्यवहार्यता, प्राकृतिक आपदाओं से बचने हेतु बेहतर सुरक्षा तथा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव इससे प्राप्त होने वाले अन्य लाभ हैं।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह

574. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्रोहियों ने 1994 के अन्त में 16वीं मराठा लाइट इंफैंट्री के कुछ अधिकारियों की हत्या कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन अधिकारियों की हत्या की कोई जांच करायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने विद्रोहियों की गतिविधियों को रोकने के लिये क्या उपाय किए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमन्। ले. कर्नल के.बी. पूनाचा, कार्यवाहक कमांडिंग अफिसर, 16 मराठा लाईट इन्फैंट्री तथा एक जवान की हत्या 27 दिसम्बर, 1994 को नागा विद्रोहियों द्वारा मोकोकछांग में कर दी गई थी।

(ख) और (ग). नागालैंड राज्य सरकार ने तथ्यों को पता लगाने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया है। इसके अलावा, सम्पत्ति को पहुंचे नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए एक तकनीकी मूल्यांकन समिति का भी गठन किया गया है।

(घ) अनेकों उपाय किए गए हैं जिनमें गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत राष्ट्रीय सोशलिस्ट काउंसिल को एक "गैर कानूनी संगठन" घोषित करना, नागालैंड म्यांमार सीमा पर 5 किलोमीटर की पट्टी, असम-नागालैंड सीमा के साथ-साथ नागालैंड में 20 किलोमीटर की पट्टी और मौन जिले को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के तहत "अशांत क्षेत्र" घोषित करना, पुलिस बलों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देना, सुरक्षा बलों/अर्ध सैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ियों की तैनाती तथा सूचना का बेहतर आदान प्रदान एवं विद्रोह-विरोधी अभियानों का बेहतर तालमेल आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण

575. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े वर्ग के अधिकांश वर्गों ने मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अलग आरक्षण की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू) : (क) जी, हां।

(ख) मंडल आयोग ने केन्द्र तथा राज्यों दोनों की सभी सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की है। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 8.9.93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना (एस.सी.टी.) के तहत सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले भारत सरकार के सभी सेवाओं और पदों में अन्य पिछड़े वर्गों को रिक्तियों के 27 प्रतिशत आरक्षण हेतु अनुदेश जारी कर दिए हैं।

[अनुवाद]

अयोध्या विवाद

576. **श्री चित्त बसु** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अयोध्या विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिये गये निर्णय के प्रभाव की जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) और (ख). अयोध्या में कुछेक क्षेत्रों के अधिग्रहण अध्यादेश/अधिनियम, 1993 की वैधता से संबंधित मुकदमे और राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर किए गए विशेष संदर्भ के औचित्य पर भारत के उच्चतम न्यायालय ने 24 अक्तूबर, 1994 को दिए गए अपने निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4(3) को छोड़कर उक्त अधिनियम के उपबंधों को उचित ठहराया है। इसने यह भी कहा है कि विवादित क्षेत्र, जिसमें ढांचा (ऐसे ढांचे के आन्तरिक और बाहरी बरामदों के परिसरों सहित) जिसे आमतौर पर राम-जन्म भूमि बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है, से संबंधित सभी लम्बित मुकदमे और अन्य कानूनी कार्यवाहियां इनमें निहित विवादों के न्याय-निर्णय के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे, इसके अतिरिक्त इसने यह भी कहा है कि विवादित क्षेत्र के बारे में केन्द्र सरकार के अधिकार सीमित हैं, वह एक कानूनी रिसीवर है, जिसका कार्य इसका प्रबंध और प्रशासन

चलाना, उसमें यथास्थिति बनाए रखना (अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार) और मुकदमे के न्यायनिर्णय की शर्तों के अनुसार उसे सौंपना और उसमें दिए गए अंतिम निर्णयों को कार्यान्वित करना है। निर्णय में साथ ही यह भी कहा गया है कि—तदनुसार ही विशेष संदर्भ अनावश्यक है और इसका उत्तर दिए बिना इसे वापस भेजा गया है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसरण में पुनर्जीवित मुकदमों की सुनवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में शुरू हो गयी है और मामला उस न्यायालय के निर्णयाधीन है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश को अतिरिक्त गैस

577. **श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं योजना के दौरान एच बी जे गैस पाइपलाइन के माध्यम से पूर्ति की जाने वाली गैस की मात्रा में वृद्धि करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार विद्युत संयंत्रों और अन्य परियोजनाओं की स्थापना हेतु मध्य प्रदेश को अतिरिक्त गैस प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) एच बी जे पाइपलाइन की क्षमता को 18.2 एम एम एस सी एम डी से बढ़ाकर 33.4 एम एम एस सी एम डी किया जा रहा है।

(ख) से (घ). एच बी जे पाइपलाइन से उपलब्ध होने वाली अनुमानित गैस पूरी तरह से आबंटित है। इसलिए मध्य प्रदेश को अतिरिक्त गैस आबंटित करना व्यवहार्य नहीं है।

[अनुवाद]

पिछड़े क्षेत्रों का विकास

578. **श्री अमर रायप्रधान : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग को उत्तरी बंगाल के पिछड़े क्षेत्र के विकास हेतु कोई प्रस्ताव/योजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग). उत्तरी बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए योजना आयोग में कोई प्रस्ताव/स्कीम प्राप्त नहीं हुई है। बहरहाल, पश्चिम बंगाल की वार्षिक योजना 1994-95 में उत्तरी बंगाल में आधार संरचना विकास के लिए 10 करोड़ रु. निर्धारित किए गए हैं, जो निधि के उपयोग के विषयाधीन हैं।

एच पी सी एल में भर्ती नीति

579. **श्री रशीद मसूद : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) में भर्ती नीति की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की भर्ती नीति अच्छी तरह परिभाषित है और जब कभी आवश्यक होता है इसकी पुनरीक्षा की जाती है।

(ख) और (ग). आयु, शैक्षिक योग्यताओं तथा भर्ती के लिए अनुभव संबंधी मानक स्पष्टतया विनिर्दिष्ट हैं। गैर-प्रबंधन संबंधी भर्ती संबद्ध क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों द्वारा प्रवर्तित उम्मीदवारों के माध्यम से की जाती है। मुक्त विज्ञापनों का सहारा संबंधित रोजगार कार्यालयों द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र जारी होने पर ही लिया जाता है। प्रबंधन संवर्गों में भर्ती मुक्त विज्ञापनों के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर की जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अ.पि.जा./विकलांग की भर्ती के संबंध में आरक्षण से संबंधित राष्ट्रपति के नीतिगत निर्देशों का पालन किया जाता है। जब कभी आवश्यकता आधारित परिवर्तन करना अपेक्षित होता है, भर्ती नीति संशोधित की जाती है।

एफ.एम. चैनल

580. **श्री रामपाल सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी की चौबीसों घंटों चलने वाली एफ.एम. चैनल सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सेवा कब से शुरू की जाएगी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग). जी, हां। दिल्ली स्थित आकाशवाणी के एफ. एम. चैनल की सेवा 14 फरवरी, 1995 से 24 घण्टों तक बढ़ा दी गयी थी, जिसमें 15 घण्टों के घरेलू कार्यक्रम और 9 घण्टों के निजी लाइसेंसधारियों के कार्यक्रम शामिल हैं।

यमुना जल का बंटवारा

581. **श्री आर. अन्बारासु :**
डा. एस.पी. यादव :
श्री सज्जन कुमार :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना जल के बंटवारे से संबंधित पांच राज्यों के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ख) क्या इस समझौते के तहत हरियाणा सरकार 100 एम. जी.डी. जल हैदरपुर संयंत्र के दूसरे चरण के लिए सप्लाई कर रही है;

(ग) यदि हां, तो किन कारणों से हरियाणा सरकार ने इस संयंत्र को जल की सप्लाई बंद कर दी है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार किया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां। यमुना के सतही प्रवाह के आबंटन के संबंध में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बीच एक समझौता ज्ञापन पर 12 मई, 1994 को हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) और (ग). इस समझौता-ज्ञापन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) इस समझौता ज्ञापन के अनुसार लाभग्राही राज्यों के बीच यमुना जल के आबंटन के नियमन के किए 11 मार्च, 1995 को भारत सरकार द्वारा अपर यमुना जल बोर्ड गठित किया गया है।

[हिन्दी]

बच्चों का अपहरण

582. **डा. लाल बहादुर रावल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बच्चों के अपहरण और फिरौती की मांग करने की घटनाओं में दिन-प्रति-दिन वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1994 के दौरान और 1995 में अब तक महीने-वार कितने बच्चों का अपहरण किया गया और उन्हें मार दिया गया;

(ग) सरकार द्वारा कितने मामलों को सुलझा लिया गया है;

(घ) अब तक कितने व्यक्ति पकड़े गये और उनमें से कितनों को दंड दिया गया है; और

(ङ) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) वर्ष 1993 के मुकाबले वर्ष 1994 में, दिल्ली में बच्चों के अपहरण और फिरौती वसूल करने की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हुई है।

(ख) से (घ). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) बच्चों के अपहरण के अपराध को रोकने के लिए अपहर्ताओं तथा आपराधिक अतीत वाले अन्य अपराधियों पर चौकसी रखी जाती है। आसूचना एकत्र करने वाले तंत्र को भी सक्रिय बनाया गया है। पी.सी.आर. के साथ ही मोटर साईकिल गश्त को बढ़ाया गया है। सुरक्षा उपायों से जनता को शिक्षित करने के लिए अखबारों में विज्ञापन दिए गए हैं। अपराध शाखा के अंतर्गत जिला स्तर पर तथा नौ के नौ पुलिस जिलों में विशेष कक्ष खोलें गए हैं तथा अपहरण और व्यपहरण के मामलों की छानबीन का काम प्रतिबद्ध टीम को सौंपा गया। स्कूली बच्चों के माता-पिताओं के लिए सुरक्षा उपाय तैयार किए गए हैं और इन्हें व्यापक स्तर पर अखबारों में प्रकाशित किया गया है और सभी स्कूलों वितरित किया गया है।

विवरण

माह	फिरौती के लिए अपहृत किए गए बच्चों की संख्या	अपहरण के बाद हत्या कर दिए गए बच्चों की संख्या	सुलझा लिए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	दंडित किए गए व्यक्तियों
1	2	3	4	5	6
1994					
जनवरी	2	—	2	4	—
फरवरी	1	—	1	2	—
मार्च	3	—	2	6	—

1	2	3	4	5	6
अप्रैल	1	—	1 (स्वयं वापिस आ गया)	—	—
मई	1	—	1 (स्वयं वापिस आ गया)	—	—
जून	1	—	1	—	—
जुलाई	8	1	6 (इसमें वे दो भी शामिल हैं जो स्वयं वापस आ गए)	11	—
अगस्त	5	—	3	4	—
सितम्बर	4	1	3 (इसमें वह एक भी शामिल है जो स्वयं वापिस आ गया)	8	
अक्तूबर	—	—	—	—	—
नवम्बर	3	1	2 (इसमें वह एक भी शामिल हैं जो स्वयं वापिस आ गया)	4	—
दिसम्बर	2	—	2	3	—
1995					
जनवरी	4	1	2	7	—
फरवरी	3	2	—	2	—

[अनुवाद]

पैट्रोलियम उत्पाद

583. श्री राम सिंह कस्वां : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में पैट्रोलियम उत्पादों, जैसे डीजल, पैट्रोल और रसोई गैस की भारी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन आवश्यक उत्पादों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). सरकार को देश में पैट्रोलियम उत्पादों की भारी कमी की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। पैट्रोल और डीजल की मांग पूर्णतः पूरी की जा रही है। वर्तमान एल पी जी उपभोक्ताओं की मांग भी पूर्णतः पूरी की जा रही है।

सिंचाई परियोजनाएं

584. श्री हरिन पाठक : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंचाई के क्षेत्र में जापान से सहयोग मांगा है;

(ख) यदि हां, तो जापान द्वारा कितनी सिंचाई परियोजनाओं में धनराशि लगाई गई है;

(ग) क्या ऐसी कोई परियोजना उड़ीसा में भी चल रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). इस समय, उड़ीसा में अपर इन्द्रावती सिंचाई परियोजना और अपर कोलाब सिंचाई परियोजना नामक दो सिंचाई परियोजनाएं क्रमशः 3774 मिलियन येन तथा 3769 मिलियन येन की जापानी ऋण सहायता से क्रियान्वित की जा रही हैं।

गैस का जलाया जाना

585. श्री शंकरसिंह वाघेला : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के विभिन्न तेल क्षेत्रों से प्रतिदिन कितनी मात्रा में प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है;

(ख) राज्य के विभिन्न तेल क्षेत्रों में प्रतिदिन गैस की कितनी मात्रा जलाई जा रही है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार गुजरात में इस प्रकार जल जाने वाली गैस का उपयोग करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) प्राकृतिक गैस का दैनिक उत्पादन 6.58 एमएमएससीएमडी है।

(ख) 0.77 एमएमएसएमसीडी गैस रोज जलायी जा रही है।

(ग) से (ङ). ओ एन सी गैस की अतिरिक्त मात्रा के प्रयोग के लिए वांछित सुविधाएं स्थापित कर रहा है। अलग-अलग पूलों से उपलब्ध गैस को, जिसे अभी जलाया जा रहा है, हाल ही में ग्राहकों को आंबटित किया गया है।

[हिन्दी]

बाम्बे हाई गैस पाइप लाइन

586. श्री छीतूभाई गामीत : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत जिले के ओलपाड नामक स्थान पर फरवरी, 1995 में बाम्बे हाई गैस पाइप लाइन में रिसाव हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गैस रिसाव के क्या कारण थे;

(घ) इसके फलस्वरूप जन-धन की कितनी हानि हुई;

(ङ) तेल और प्राकृतिक गैस निगम को कितनी हानि हुई और इस घटना के लिए किन-किन व्यक्तियों को जिम्मेदार पाया गया तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(च) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गये हैं/उठाये जायेंगे?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विस्थापितों का पुनर्वास

587. श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरदार सरोवर तथा नर्मदा (इंदिरा) सागर परियोजनाओं से कितने परिवार प्रभावित हुए हैं;

(ख) अब तक कुल कितने परिवारों को हटाया गया तथा उनका पुनर्वास किया गया है;

(ग) बाकी परिवारों का कब तक पुनर्वास किया जाएगा; और

(घ) पुनर्वास किए गए परिवारों को दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). ब्यौरा इस प्रकार है :—

परियोजना का नाम	परियोजना से प्रभावित परिवारों की कुल सं.	जनवरी, 1995 तक पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की प्रगति (परियोजना से प्रभावित परिवारों की संख्या)	
		आवंटित किए गए गृह भूखंड	आवंटित की गई कृषि भूमि
सरदार सरोवर परियोजना	40,727	8855	8585
नर्मदा (इंदिरा) सागर परियोजना	30,739	सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।	

(ग) प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन का कार्यक्रम बांध के निर्माण की प्रगति से जुड़ा है। उन गांवों जिनमें वे रहते हैं, के वास्तविक रूप से जलमग्न होने से काफी पहले परिवारों को पुनर्स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(घ) पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड और कृषि भूमि का आवंटन करने के अलावा परियोजना से प्रभावित परिवारों को जीवनोपार्जन भत्ता, पुनर्स्थापन अनुदान, अनुग्रह राशि, उत्पादक परिसम्पत्तियों का भुगतान तथा प्राथमिक विद्यालय, कुंए, हैंडपंप, ट्रांजिट शेड, बीमा आवरण और विद्युतीकरण जैसी नागरिक सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं।

[हिन्दी]

भूतपूर्व सैनिकों की कंपनियों और सहकारी समितियां

588. प्रो. रीता वर्मा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में भूतपूर्व सैनिकों की कितनी कंपनियां और सहकारी समितियां हैं;

(ख) उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इनकी वर्ष-वार संख्या कितनी-कितनी थी और उन्हें कितनी धनराशि दी गई;

(घ) क्या इस प्रकार की कोई शिकायतें मिली हैं कि भूतपूर्व सैनिकों के नाम पर इन संस्थाओं का कार्यभार अन्य व्यक्तियों ने अपने अधिकार में ले रखा है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों और सहकारी समितियों के नाम क्या हैं; और

(च) उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) भारत कोकिंग कोल लि. में वर्तमान में महानिदेशक (पुनर्वास) रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित 9 भूतपूर्व सैनिक कंपनियां तथा जिला प्रशासन, बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित एक सहकारी समिति कार्यरत है।

(ख) ये समितियां भारत कोकिंग कोल लि. में पे-लोडरों द्वारा टिप्पर्स तथा वैगनों में लदान, स्लेट तथा पत्थर चुनने, साइडिंग पर कोयला तोड़ने तथा परिवहन, विभिन्न कोलियरियों से वाशिरियों तथा कोयला डम्पों तक परिवहन करने में कार्यरत हैं।

		91-92	92-93	93-94
(ग)	भूतपूर्व सैनिक कंपनियों की संख्या	5	10	10
	भूतपूर्व सैनिक सहकारी समितियों की संख्या	1	1	1
	भुगतान की गई राशि (लाख रु. में)	1003.62	957.75	1494.45

(घ) जिला प्रशासन ने आरोप लगाया है कि भूतपूर्व सैनिकों के नाम पर कुछ कंपनियों में प्रभारी के रूप में अन्य व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हैं।

(ङ) ऐसी कंपनियों के नाम नीचे दिए गए हैं :—

1. मेसर्स प्रगति कैरियर्स (प्रा.) लिमिटेड
2. मेसर्स सैनिक गुड्स कैरियर्स (प्रा.) लिमिटेड
3. मै. कर्णपुरा ट्रांसपोर्ट कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड
4. मै. एक्स-सर्विसमैन पाटलीपुत्र कोल कैरियर्स (प्रा.) लि.
5. मै. पैराडाइज ट्रांसपोर्टर्स (प्रा.) लिमिटेड
6. मै. कुंज्योन कोल कैरियर्स (प्रा.) लिमिटेड
7. मै. जय जवान कोल कैरियर्स (प्रा.) लिमिटेड

(च) भारत कोकिंग कोल लि. आरोप की जांच कर रही है। अभा तक, महानिदेशक (पुनर्वास) प्रायोजित प्राधिकारी को सूचित करने के पश्चात्, एक कंपनी का करार रद्द कर दिया गया है।

[अनुवाद]

तेल और गैस निगम के कुएं में विस्फोट

589. श्री जे. चोक्का राव : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने आन्ध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में पसरलापुड्डी में गैस विस्फोट के पीड़ितों को कोई सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार को तेल और गैस की खोज के लिए उपयोग में लाई गई भूमि हेतु गत तीन वर्षों के दौरान अब तक कितनी रायल्टी का भुगतान किया गया है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) प्रभावित गांवों से लोगों को तत्काल हटा दिया गया था और उन्हें राहत शिविरों में शरण दे दी गई थी तथा उन्हें भोजन, चिकित्सा सहायता आदि प्रदान की गई। राहत शिविर चलाने के लिए सारे खर्च की प्रतिपूर्ति जिला प्रशासन को ओ एन जी सी द्वारा की गई।

(ग) वर्ष 1992-93 से 1994-95 के दौरान (31.12.94 तक) ओ एन जी सी ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की रायल्टी के रूप में आंध्र प्रदेश सरकार को 2591 लाख रुपये की धनराशि का भुगतान किया।

इंफार्मेशन सुपर हाईवे

590. श्री सी.के. कुप्पुस्वामी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका की एक टेलीविजन कंपनी ने मुम्बई में भारत के प्रथम "इंफार्मेशन सुपर हाईवे" की स्थापना करने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी लागत आएगी; और

(ग) इसे कब तक चालू किया जायेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

समुद्री तट कटाव

591. प्रो. के.वी. थामस :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केंद्रीय सरकार से समुद्री तट कटाव को रोकने हेतु दी जाने वाली केंद्रीय सहायता संबंधी वर्तमान मानदंडों में संशोधन करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(घ) केरल सरकार को समुद्री तट कटाव को रोकने संबंधी कार्य हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग). केरल सरकार से समुद्री-कटावरोधी कार्यों के लिए 1983-84 तक लागू पैटर्न पर केन्द्रीय ऋण सहायता जारी रखने के वास्ते एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

1983-84 तक, सहायता का पैटर्न यह था कि भारत सरकार राज्य द्वारा वार्षिक रूप से किए गए 2/3 व्यय का भुगतान ऋण के रूप में केन्द्रीय सहायता के रूप में करेगी। किन्तु 1984-85 के बाद पुनर्निर्माण कार्यों के लिए सहायता का पैटर्न ऐसे कार्यों पर राज्य द्वारा व्यय की गई राशि को 50 प्रतिशत तक कम कर दिया गया था। केरल राज्य सरकार को सूचना दी गई थी कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से ही, राष्ट्रीय विकास परिषद ने दिसम्बर, 1991 में आयोजित अपनी बैठक में केन्द्र और राज्य क्षेत्रों के मध्य वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के लिए फार्मूले में संशोधन किया है। अब राज्य सरकारें विशेष समस्याओं से निबटने के लिए अतिरिक्त आबंटन की हकदार हैं। तदनुसार, विकेन्द्रीकरण के एक उपाय के रूप में आठवीं योजना से समुद्री कटावरोधी कार्यों के वास्ते केन्द्रीय ऋण सहायता जारी नहीं रखी गई है। वित्तीय कठिनाइयों के मामले में राज्य सरकार विशेष समस्या क्षेत्र निधियों से ऐसी केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु योजना आयोग को अपना प्रस्ताव भेज सकती है। ऐसे प्रस्ताव के प्रतिपादन के लिए दिशा-निर्देश भी भेजे गए हैं।

बाह्य सहायता के लिए केरल सरकार से प्राप्त प्रस्ताव की जांच केन्द्रीय जल आयोग में की गई थी और इसे अगस्त, 1992 में स्पष्टीकरण भेजने हेतु लौटा दिया गया था। केरल सरकार को अनुपालना की अभी प्रतीक्षा है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान समुद्री कटावरोधी कार्यों के लिए केरल सरकार हेतु निधियों का निर्धारण अलग से नहीं किया गया है।

ऊपरी कृष्णा परियोजना

592. श्री वी. कृष्णा राव :
श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा :
श्री के.जी. शिवप्पा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केंद्रीय सरकार से अलामत्ती बांध (ऊपरी कृष्णा परियोजना) की ऊंचाई 524.26 मीटर तक बढ़ा देने का अनुराध किया है;

(ख) यदि हां, तो केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) उप मुख्य मंत्री, कर्नाटक सरकार ने अलामत्ती बांध का पूर्ण जलाशय स्तर 524.26 मीटर तक बढ़ाने के लिए सितम्बर, 1994 में अनुरोध किया था।

(ख) संशोधित परियोजना रिपोर्ट जब भी केन्द्र में प्राप्त होगी तब कृष्णा जल विवाद अधिकरण पंचाट के अनुसार इसकी शीघ्रता से जांच की जायेगी।

(ग) इस परियोजना की स्वीकृति संशोधित परियोजना प्रस्ताव पर सह बेसिन राज्यों की सहमति मिलने पर इस बात पर निर्भर करेगी कि राज्य सरकार कितनी जल्दी पर्यावरणीय/वन/पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन स्वीकृतियां प्राप्त करने के साथ-साथ केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है।

[हिन्दी]

अवैध रसोई गैस कनेक्शन

594. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बिहार में कितने अवैध रसोई गैस कनेक्शन पकड़े गये;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे अवैध गैस कनेक्शनों को नियमित करने का है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) बिहार में गत तीन वर्षों के दौरान अनधिकृत एल पी जी कनेक्शनों के पता लगने के बारे में कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

गंगा जल का बंटवारा

595. श्री सनत कुमार मंडल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलादेश के साथ गंगा जल बंटवारे के बारे में अंतिम दौर की वार्ता में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल सरकार के साथ विचार-विमर्श के द्वारा मामले को आगे बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) प्रधान मंत्रियों के स्तर पर मई, 1992 में हुई सहमति के अनुसरण में संयुक्त विशेषज्ञ समिति ने दो बैठकें की (अंतिम बैठक मार्च, 1993 में ढाका में आयोजित की गयी थी) तथा गंगा और अन्य साझी नदियों के प्रवाहों के बंटवारे के लिए एक समान दीर्घावधिक एवं व्यापक व्यवस्था के संबंध में गहराई से चर्चा की गयी थी। इस मुद्दे पर ढाका दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में अप्रैल, 1993 में हमारे प्रधान मंत्री महोदय और बंगला देश की प्रधान मंत्री महोदया के बीच और विचार-विमर्श किया गया था। यह सहमति हुई थी कि एक समान, दीर्घावधिक और व्यापक व्यवस्था के प्रस्ताव दोनों पक्षों द्वारा तैयार किए जायेंगे तथा इस विषय पर विचार-विमर्श जारी रहेगा।

(ख) और (ग). पश्चिम बंगाल सरकार से समय-समय पर परामर्श किया जाता है तथा भारत सरकार द्वारा उसके हित का ध्यान रखा जाता है।

स्वान नदी की धारा मोड़ना

596. प्रो. प्रेम धूमल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार से स्वान नदी तथा इसकी तिहत्तर सहायक नदियों की धारा मोड़ने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार का विचार इस उद्देश्य के लिए विशेष सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) हिमाचल प्रदेश सरकार ने मार्च, 1992 में स्वान नदी को मोड़ने के लिए एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

(ख) राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया था तथा इसे कुछ सुझाव के साथ राज्य सरकार को लौटा दिया गया था।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निजी कम्पनियां

597. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1994 तक रसोई गैस के क्षेत्र में किन-किन निजी कंपनियों को अनुमति दी गई है; और

(ख) प्रत्येक कम्पनी द्वारा रसोई गैस सिलेंडर का कितना मूल्य निर्धारित किया गया है तथा सिलेंडर में कितनी गैस होती है और कार्यरत तेल कंपनियों द्वारा निर्धारित मूल्यों से इन कम्पनियों के सिलेंडर के मूल्य में कितना अंतर है तथा इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) समानान्तर विपणन प्रणाली के अंतर्गत निजी एजेंसियों को उनके द्वारा आयातित गैस की बाजार निर्धारित मूल्यों पर बिक्री के लिए अपनी स्वयं की सुविधाएं स्थापित/प्रयोग करते हुए एल पी जी को आयात करने की अनुमति दे दी गई है। समानान्तर विपणन करने के लिए पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से कोई अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु, उन्हें सुरक्षा प्रदूषण नियंत्रण आदि के संबंध में यथा लागू सुसंगत अधिनियमों और नियमों के अंतर्गत आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने होंगे।

(ख) समानांतर विपणन प्रणाली के अंतर्गत आयातित और विक्रय की गई एल पी जी पर सरकार का कोई नियंत्रण न होने से इसकी बिक्री आयातित मूल्य और मांग एवं आपूर्ति की स्थिति, जो बदलती रहती है, के आधार पर समानांतर विपणनकारों द्वारा निर्धारित बाजार निर्धारित मूल्यों पर की जा रही है। सरकार द्वारा ऐसी जानकारी नहीं रखी जा रही है।

[अनुवाद]

रसोई गैस एजेंसियां

598. श्री मंजय लाल : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 22 दिसम्बर, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "स्माल टाउन्स टू गेट एल पी जी आउटलेट्स सून" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या रसोई गैस बिक्री केन्द्रों के आबंटन के लिए उपभोक्ताओं की कोई न्यूनतम और अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). वर्तमान में रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आर्थिक व्यवहार्यता तथा उत्पाद की उपलब्धता होने पर 20000 और उससे अधिक आबादी वाले नगरों में खोली जाती है। उत्पाद की उपलब्धता में प्रत्याशित वृद्धि तथा अपेक्षाकृत छोटे नगरों से मांग को ध्यान में रखते हुए प्रचालन क्षेत्र को समीपवर्ती ग्रामों तक विस्तृत करके अन्य नगरों के लिए रसोई गैस के विपणन को विस्तार करने के संबंध में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप की योजना बनाने के लिए समीपवर्ती ग्रामों की मांग संभावना को भी ध्यान में रखा जाएगा।

[हिन्दी]

उत्तरांचल राज्य

599. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार :**
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अलग उत्तरांचल राज्य बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को भी इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार ने, राज्य के आठ पर्वतीय जिलों को मिलाकर उत्तरांचल/उत्तराखंड नामक एक अलग राज्य के गठन हेतु, राज्य विधान मंडल द्वारा 1991 और 1994 में स्वीकृत दो संकल्प अग्रेषित किए थे।

(ग) हालांकि समुचित प्रयास जारी हैं फिर भी ऐसे संवेदनशील और नाजुक मामले में कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

केबल टी.वी. नेटवर्क का विनियमन

600. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में केबल टी.वी. नेटवर्क को नियंत्रित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). जी, हां। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अध्यादेश, 1994 को 29 सितम्बर, 1994 को प्रख्यापित किया गया था। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं :-

- भारतीय केबल आपरेटरों का सर्व-सार्विक पंजीकरण करना;
- केबल नेटवर्कों में विदेशी साम्यता का अनुपात 49 प्रतिशत तक सीमित रखना;
- स्व-विनियमन पर बल देना;
- सरल प्रक्रियात्मक अपेक्षा;
- मूल कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता की व्यवस्था करना;
- विद्यमान हार्डवेयर का तीन वर्ष में उन्नयन करना;
- नियम के उल्लंघन के लिए तर्क संगत निवारक उपाय करना;
- केबल आपरेटरों के उत्पीड़न के विरूद्ध पर्याप्त रक्षोपाय करना।

सरदार सरोवर परियोजना

601. **श्री जगमीत सिंह बराड :**
डा. महादीपक सिंह शाक्य :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण के संबंध में कोई अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की ऊंचाई और आकार सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना की अनुमानित वर्तमान लागत कितनी है और इस पर अभी तक कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(घ) इस परियोजना हेतु धनराशि संसाधनों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक संसाधन द्वारा कितनी-कितनी धनराशि दी जाएगी;

(ङ) क्या इस धनराशि की अदायगी की समयावधि भी तैयार कर दी गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस परियोजना को कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) योजना आयोग ने अक्तूबर, 1988 में सरदार सरोवर परियोजना को निवेश स्वीकृति प्रदान की थी जिसमें नदी तल से ऊपर 125 मीटर ऊंचा गुरूत्वाकर्षण बांध तथा 1133 घन मीटर प्रति सैकेंड (40,000 घन फुट सैकेंड) को एक शीर्षजल निस्सरण के साथ 460 कि.मी. लम्बी एक पक्की मुख्य नहर शामिल है। परियोजना को संस्थापित विद्युत क्षमता 1450 मेगावाट होगी जिसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात द्वारा 57:27:16 के अनुपात में बांटा जाएगा और इससे गुजरात में 17.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई प्रदान की जायेगी। यह मुख्य नहर राजस्थान में बाड़मेर और जालौर के सूखा प्रवण जिलों में 0.73 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए 616.74 मिलियन घन मीटर (0.5 मिलियन एकड़ फुट) राजस्थान का नर्मदा जल का हिस्सा भी ले जायेगी।

(ग) वर्ष 1986-87 के मूल्य स्तर पर परियोजना की अनुमोदित अनुमानित लागत 6406.04 करोड़ रुपए है जिसके मुकाबले इस पर दिसम्बर, 1994 तक 3641.92 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं।

(घ) परियोजना के विद्युत घटक की लागत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों द्वारा 57:27:16 के अनुपात में बांटी जाएगी जबकि बांध के सिंचाई घटक की लागत गुजरात और राजस्थान

द्वारा 19:1 के अनुपात में बांटी जाएगी। मुख्य नहर की वास्तविक लागत को गुजरात और राजस्थान द्वारा घनफुट प्रति सैकेंड मील के आधार पर बांटा जाना है। शाखा नहरों और वितरण प्रणाली की लागत पूर्णतः गुजरात द्वारा वहन की जाएगी।

31.12.1994 की स्थिति के अनुसार गुजरात सरकार को पक्षकार राज्यों से देय हिस्से का ब्यौरा इस प्रकार है :—

मध्य प्रदेश	291.22 करोड़ रुपए
महाराष्ट्र	83.89 करोड़ रुपए
राजस्थान	139.00 करोड़ रुपए
कुल	514.11 करोड़ रुपए

(ङ) और (च). पक्षकार राज्यों द्वारा बजट प्रावधान के आधार पर अपना अपना हिस्सा हर तिमाही में अग्रिम रूप से निर्मुक्त करना अपेक्षित है।

(छ) वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार, नहर प्रणाली सहित परियोजना को पूरा करने की सम्भावित तिथि सन् 2000 ई. है।

ओमान से गैस

602. डा. आर. मल्लू : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओमान से भारत को समुद्र के जरिये गैस की आपूर्ति करने वाली पाइप लाइन परियोजना पर किए जाने वाले खर्च का आंकलन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). ओमान-भारत पाइपलाइन परियोजना पर अनुमानित निवेश 5 बिलियन अमरीकी डालर तक है।

[हिन्दी]

आपराधिक गतिविधियां

603. श्री सत्यदेव सिंह : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने हेतु कम्प्यूटर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें राज्य-वार कहां-कहां लगाया जाएगा; और

(ग) इस पर अनुमानतः कितनी राशि व्यय होगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग). भारत सरकार ने अपराध और अपराधियों पर एक कम्प्यूटीकृत सूचना प्रणाली स्थापित करने की एक परियोजना का अनुमोदन कर दिया है। इस परियोजना में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सूचना रखने, उसको प्रोसेस करने और उसको पुनः प्राप्त करने के लिए एक डैटा नेटवर्क स्थापित करने का प्रावधान है। परियोजना की अनुमानित लागत कुल 29.12 करोड़ रुपये है।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी लाटरियों पर प्रतिबंध

604. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से गैर सरकारी लाटरियों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कोई विधेयक अनुमोदन हेतु प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश अवैध लाटरी (रोकथाम) विधेयक, 1994 भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति के पूर्व अनुदेश के लिए दिनांक 28.7.1994 को प्राप्त हुआ था।

(ग) राज्य विधायनों की जांच, भारत सरकार के संबंधित विभागों/मंत्रालयों द्वारा की जानी अपेक्षित होती है तथा जहां आवश्यक होता है वहां राज्य सरकारों से परामर्श लिया जाता है। संबंधित राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों को इस मामले पर अपने विचार शीघ्रता से भेजने के लिए निरन्तर स्मरण कराया जाता है। जहां आवश्यक होता है, वहां विधेयकों के शीघ्र निपटान के लिए विचार-विमर्श भी किया जाता है।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम के कुंए से कच्चे तेल का निकलना

605. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्री तारा सिंह :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पसारलापुडी (आंध्र प्रदेश) में तेल कुंओं से अब कच्चा तेल निकलना शुरू हो गया है जिससे पांच किलोमीटर के क्षेत्र में स्थिति और भी बदतर हो गई है;

(ख) क्या भारतीय और विदेशी विशेषज्ञ तेल कुंओं को बन्द करने में विफल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(घ) तेल कुओं को बंद करने के प्रयास में सरकार ने अब तक कितनी राशि व्यय की है; और

(ङ) कब तक कुंओं में लगी आग पर काबू पा लिया जाएगा?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). जी, नहीं। आग 10.3.1993 को बुझा दी गई थी और कुंए को 14.3.1995 को बन्द कर दिया गया था।

(घ) 28.2.95 की स्थिति के अनुसार ओ एन जी सी ने विदेशी विशेषज्ञों, अन्य सामग्री और निर्माण कार्यों के लिए 6,11,83,700 रुपये का व्यय किया है।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम तथा आयल इंडिया लि. द्वारा निवेश

606. श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम तथा आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा दो मिलियन डालर के संयुक्त निवेश के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें किसी विदेशी निवेश को भी शामिल किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). सरकार ने एक वृद्धिगत अन्वेषण कार्यक्रम का अनुमोदन किया है, जिसे 6500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 1994-97 के दौरान कार्यान्वित किया जाना है।

इसके मुख्य घटक निम्न हैं :—

1. गहरे समुद्र क्षेत्र में अन्वेषण
2. राष्ट्रीय भूकम्पीय कार्यक्रम
3. सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण
4. विदेश में रकबों की अधिप्राप्ति

(ग) और (घ). इस अन्वेषण प्रयास का एक भाग ओ एन जी सी/ओ आई एल और निजी तेल कम्पनियों के बीच संयुक्त उद्यम के माध्यम से निष्पादित किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, भारत में अन्वेषण क्रियाकलापों में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, बोलियों के प्राप्त होने के बाद ही संभावित निवेश का अनुमान लगाया जा सकेगा।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग

607. श्री मंगलराम प्रेमी : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को क्या-क्या वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इस आयोग को और शक्तियां प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में शीघ्र निर्णय लेने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू) : (क) समय-समय पर यथा संशोधित अनुपूरक नियम 2(10) तथा वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियम, 1978 के नियम 3(एफ) के अधीन राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सचिव को विभागाध्यक्ष के रूप में वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

यौनाचार संबंधी अपराध

608. श्री जनार्दन मिश्र : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यौनाचार संबंधी अपराधों में निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत चार महीनों के दौरान प्रतिमाह दिल्ली में हुई ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। 1994 के दौरान बलात्कार और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के क्रमशः 309 और 1668 मामले दर्ज किए गए जबकि 1993 के दौरान बलात्कार के 315 मामले और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के 2108 मामले दर्ज किए गए थे। तथापि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार के मामले, जो 1993 में 259 थे तथा 1994 में बढ़कर 290 हो गए थे।

(ख) पिछले चार महीनों के दौरान, दिल्ली में हुए इस प्रकार के मामलों की संख्या माहवार नीचे दी गयी है।

शीर्ष	नवम्बर 1994	दिसम्बर 1994	जनवरी 1995	फरवरी 1995
बलात्कार	21	21	18	22
महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार	29	22	24	26
महिलाओं के साथ छेड़छाड़	138	100	75	80

(ग) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्न प्रकार से हैं :—

* पुलिस मुख्यालय में और 9 पुलिस जिलों में प्रत्येक में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों से निपटने के लिए एक विशेष एकक का गठन।
* महिलाओं से प्राप्त होने वाली आपात् कालों को चौबीस घंटे एटेन्ड करना।
* स्कूलों, कालेजों और रिहायशी कालोनियों में महिलाओं और लड़कियों को शस्त्रों के बिना मुकाबला करने का प्रशिक्षण देना।
* लड़कियों को कालेजों और स्कूलों के बाहर और महत्वपूर्ण बाजार स्थानों पर, बस-स्टापों पर और अन्य स्थानों पर, जहां पर महिलाओं का अक्सर आना-जाना होता है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामलों को रोकने के लिए पुलिस कार्मिकों को ड्यूटी पर तैनात करना।
* महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ को रोकने के लिए चलती बसों में पुलिस कार्मिकों को तैनात करना।

[अनुवाद]

कश्मीर के संबंध में एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट

609. श्री सनत कुमार मंडल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर के संबंध में एमनेस्टी इंटरनेशनल की हाल की रिपोर्ट के कारण मानवाधिकार समूह और भारत सरकार के बीच विवाद का एक नया दौर शुरू हो गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ महीने पहले एमनेस्टी ने अपनी पत्रिका, 'कैम्पेन जर्नल' के आवरण पृष्ठ पर तमिलनाडु की एक महिला का चित्र छाप कर उसे "भारतीय फौजों के चंगुल" में एक दुखी कश्मीरी महिला के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया था;

(ग) यदि हां, एमनेस्टी को तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस रिपोर्ट पर एमनेस्टी इन्टरनेशनल को अपनी आपत्तियों से अवगत करा दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ङ). "टार्चर एण्ड डैथ्स इन कस्टडी इन जे एण्ड के" शीर्षक से कश्मीर पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की नवीनतम रिपोर्ट 31 जनवरी, 1995 को जारी की गई थी। पूर्व की भांति, रिपोर्ट में मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर लगाए गए और इनमें पूर्ण आरोपों के साथ-साथ कथित रूप से हिरासत के दौरान हुई मौतों के 706 विशिष्ट मामलों का उल्लेख किया गया था। 579 विशिष्ट मामलों के बारे में लगाए गए सामान्य आरोपों के वास्तविक ब्यौरों सहित सामान्य आरोपों का विस्तार से उत्तर, लंदन में भारत के उच्चायोग के माध्यम से एमनेस्टी को भेज दिया गया है। हमारे जबाव में इस बात का पुर-जोर उल्लेख किया गया है कि एमनेस्टी द्वारा हमारे क्षेत्रों पर बुरी दृष्टि रखने वाली विदेशी शक्तियों और आतंकवाद को मिलने वाले, उनके उकसाने और सहयोग को नजरअदांज करते हुए आतंकवाद के मूल कारणों की लगातार अनदेखी की जा रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा अपनाए जा रहे तरीकों और आरोपों के मढ़ने में लक्ष्य विहीनता के खिलाफ सरकार की चिंता का हमारे उत्तर में उल्लेख किया गया है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल को ब्रिटिश सैक्शन के लिए अपने कैम्पेन जर्नल (नवम्बर/दिसम्बर,94 का अंक) में "कश्मीर व्हेयर इंडिया हैज टर्न्ड हैवन इन टू हैल फर्स्ट पिक्चर्स फाम बिसीज्ड श्रीनगर" शीर्षक के अधीन एक गैर-कश्मीरी महिला का चित्र प्रकाशित किया है। सरकार ने राजनयिक माध्यम से यथा-सम्भव कड़े शब्दों में अपनी आपत्ति व्यक्त की है और उनसे स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अपने दिनांक 15.12.94 के पत्र में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सूचित किया है कि एक स्वतंत्र मीडिया विशेषज्ञ द्वारा की गई जांच पड़ताल ने भी इस बात की पुष्टि की है कि नवम्बर/दिसम्बर, 94 की पत्रिका के अंक में गम्भीर त्रुटियां हैं। इसके उपरान्त, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने ब्रिटिश सैक्शन जर्नल के जनवरी/फरवरी, 95 के अंक में क्षमा याचना के साथ-साथ यह संशोधन भी प्रकाशित किया है कि वह चित्र वास्तव में प्रार्थना करती हुई एक तमिल महिला का था, न कि "शोक मनाती हुई कश्मीरी महिला" का।

श्रीराम सागर परियोजना

610. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने श्री राम सागर परियोजना और श्रीसेलम दक्षिण तटीय नहर राइट बैंक कैनाल को शीघ्रतापूर्वक पूरा करने हेतु विश्व बैंक से ऋण देने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या विश्व बैंक ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार भी इस योजना के कार्यान्वयन में राज्य की सहायता के लिए सहमत हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). आन्ध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना-III का प्रारंभिक मूल्यांकन विश्व बैंक द्वारा नवम्बर, 1994 में पहले ही कर लिया गया है, जिसमें श्री राम सागर परियोजना तथा श्रीसेलम दक्षिणी तट नहर को पूरा करना भी शामिल है। परियोजना पर अप्रैल, 1995 में मूल्यांकन किया जाना है, बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की अनुपालना कर ली जाये। इनमें ये शामिल हैं : परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम प्रारूप प्रस्तुत करना, संशोधित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, कृष्णा और गोदावरी नदियों पर अनुकरण अध्ययन पर रिपोर्ट, श्रीसेलम तथा श्री राम सागर जलाशयों से जल निर्मक्तियों के लिए भावी प्रचालन नियमों पर करार प्रारूप, व्यय के प्राथमिकीकरण तथा बजट से संबंधित परियोजना के उपरान्त संशोधित समग्र परियोजना प्राक्कलन।

(घ) और (ङ). श्री रामसागर परियोजना तथा श्रीसेलम दक्षिणी तट नहर परियोजना दोनों को क्रमशः 363 करोड़ रुपये तथा 440 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय के साथ आठवीं योजना में शामिल कर लिया गया है।

मुख्य चैनल पर प्रादेशिक फीचर फिल्म

611. **श्री पी. कुमारासामी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन के मुख्य चैनल पर पिछले दो वर्षों के दौरान कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु में कितनी फीचर फिल्में दिखाई गई हैं;

(ख) इस चैनल पर अन्य भाषाओं की तुलना में कम तमिल फीचर फिल्में दिखाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रकार के भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) विवरण निम्न प्रकार से हैं :—

कन्नड़	– 10
मलयालम	– 08
तमिल	– 11
तेलुगु	– 09

(ख) और (ग). उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कार्टून फिल्में

612. **श्री अनिल बसु** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष फिल्म प्रभाग द्वारा कितनी कार्टून फिल्में बनाई गईं;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान कार्टून फिल्मों के निर्माण के लिए बजट परिव्यय का उपयोग कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 और 1994-95 (28.2.95 तक) के दौरान फिल्म प्रभाग द्वारा निर्मित कार्टून फिल्मों की वर्ष वार संख्या क्रमशः 10, 6, 14 और 4 है।

(ख) से (घ). फिल्म प्रभाग में कार्टून फिल्मों के निर्माण के लिए अलग से कोई बजट नहीं रखा जाता है। योजनेत्तर के अन्तर्गत फिल्मों के निर्माण हेतु निधियों के समग्र प्रावधान में से कार्टून फिल्मों के निर्माण संबंधी व्यय की पूर्ति की जाती है। प्रत्येक वर्ष के दौरान निधियों का पूरी तरह से उपयोग किया गया ।

[अनुवाद]

भारत ईरान गैस पाइपलाइन

613. **श्री अप्पंतराव देशमुख** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत-ईरान गैस पाइपलाइन लगाए जाने के संबंध में कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं निष्कर्ष क्या हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). ईरान-भारत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए साध्यता अध्ययन शुरू हो गया है। इस रिपोर्ट के इस वर्ष के अंत तक मिलने की संभावना है।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम के कुंए में लगी आग से निपटना

614. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में ईस्ट गोदावरी जिले में पसरलापुडी में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के "ड्रिलिंग रिग" में लगी आग को बुझाने में सहायता करने के लिए विशेषज्ञों का तीन सदस्यीय दल आया था;

(ख) क्या आग पर काबू पाने में सहायता के लिए किन्हीं अन्य देश के विशेषज्ञों से कहा गया था;

(ग) क्या भविष्य में इस तरह की आग से बचने के लिए इन विशेषज्ञों ने कोई सुझाव दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) मैसर्स इमर्जेंसी रिसोर्सेज इंटरनेशनल इंक, टेक्सास, यू एस ए ने 10.3.95 को आग बुझाने में और 14.3.95 को कुंए को बंद करने में सहायता प्रदान की।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

615. **श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा :**
श्री के.पी. शिवप्पा :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत जारी की गई धनराशि सरकार द्वारा जारी किए गए संशोधित मार्गनिर्देशों के अंतर्गत अब व्ययगत नहीं होगी;

(ख) क्या धनराशि योजना के वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति के आधार पर जारी की जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा कार्यान्वयनाधीन निर्माण कार्यों की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति तथा निर्माण कार्यों के लिए निधियों की आगामी आवश्यकता के आधार पर निधियों को एक वर्ष में दो बार जारी किया जाता है।

नई तेल नीति

616. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई तेल नीति पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान नीति बदलने के क्या कारण हैं; और

(ग) नई नीति से घरेलू अपरिष्कृत तेल उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है, जिसके फलस्वरूप तेल की मांग और आपूर्ति के बीच का अन्तर कम हो जाएगा?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). अन्वेशण की गति बढ़ाने और कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने अनेक नीतिगत पहल की हैं। इन उपायों में जिनमें निजी कंपनियों द्वारा अन्वेषण के लिए ब्लाकों का प्रस्ताव, निजी कंपनियों द्वारा कुछ अन्वेषित छोटे और मध्यम आकार के क्षेत्रों का विकास, अन्वेषण कार्य के लिए ओ एन जी सी/ओ आई एल और अन्य कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यम कंपनियों का प्रस्तावित गठन आदि शामिल हैं, के परिणामों का पता कुछ समय बाद उक्त योजनाओं के पूर्णतः फलीभूत होने पर लगेगा।

[हिन्दी]

प्रतिबंधित क्षेत्र

617. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 नवंबर के "संडे मेल" में प्रकाशित इस समाचार की ओर गया है कि उत्तर प्रदेश के उन्हीं प्रतिबंधित क्षेत्रों मे केवल विदेशी पर्यटकों के ही प्रवेश की अनुमति दी गई है जिन पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन क्षेत्रों में भारतीय पर्यटकों को जाने देने की अनुमति नहीं देने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से इनर लाईन को 40 कि. मी. दूर तक हटाने के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में कुछ एक क्षेत्रों को अर्थात मिलान ग्लेशियर, धर्मघाट, जो लिगकोंग क्षेत्र, सोबला, धारचुला इत्यादि को विदेशी राष्ट्रिक (संरक्षण क्षेत्र) आदेश अधिसूचना के तहत विदेशी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य के साथ परामर्श से दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1961 में संशोधन करके भारतीयों को भी इस प्रकार की छूट दी जाएगी, राज्य सरकार से इस संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

उत्तराखंड में इन्टर सर्विसेज इंटेलिजेंस की भूमिका

618. **श्री श्रीकांत जेना :**
श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में उत्तराखण्ड आन्दोलन में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की भूमिका के बारे में कोई जांच कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में उनके सम्पर्कों का पता लगाने तथा उनकी अलगाववादी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). उत्तराखंड में आई.एस.आई. की अन्तर्ग्रस्तता के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

मिलावटी पैट्रोल की बिक्री

619. डा. साक्षीजी : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत छः माह के दौरान दिल्ली में मिलावटी और कम तोल के पैट्रोल की बिक्री के संबंध में कई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या इन पैट्रोल पम्पों की इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) पैट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्रों के दोषी मालिकों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). दिल्ली में गत छः माह के दौरान मिलावटी पैट्रोल बिक्री के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली थी। तथापि, उक्त अवधि के दौरान पैट्रोल की कम आपूर्ति के संबंध में सात शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ग) से (ङ). इन मामलों की जांच की गई थी। साबित मामले में बिक्रियों को स्थगित कर दिया गया था तथा माप एवं तौल विभाग द्वारा सुधार, मरम्मत तथा अंक सही करने के उपरांत बिक्रियों को पुनः आरंभ किया गया।

[अनुवाद]

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का उत्पादन लक्ष्य

620. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाम्बे हाई तथा उत्तर गुजरात के क्षेत्रों में तेल के भंडारों में प्राकृतिक रूप से गिरावट आने के कारण तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के उत्पादन लक्ष्य में 7 मीट्रिक टन की कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके फलस्वरूप कितनी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा का बोझ पड़ेगा?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पैट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्र

621. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के तेल चयन बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने पैट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्र को डीलरशिप देने के संबंध में सिफारिशें करने के लिए इस बोर्ड को कोई मार्गनिदेश जारी किए हैं;

(ग) क्या इस बोर्ड की सिफारिशें अनिवार्य हैं;

(घ) उत्तर प्रदेश में पैट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिप देने के लिए बोर्ड द्वारा अब तक कुल कितनी सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी कितनी सिफारिशें स्वीकार की गई?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ). अर्हता प्राप्त उम्मीदवार, जो तेल विपणन कंपनियों के विज्ञापनों के प्रत्युत्तर में आवेदन करते हैं, उनके साक्षात्कार के आधार पर पैट्रोलियम उत्पादों के डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन करने के लिए सरकार द्वारा तेल चयन बोर्ड (ओ एस बी) गठित किए गए हैं। तेल चयन बोर्ड की सिफारिशें सरकार के विचारार्थ नहीं भेजी जाती हैं। उन्हें उनके द्वारा संबंधित तेल कंपनियों को आशयपत्र जारी करने के लिए भेजी जाती हैं उ. प्रदेश के तेल चयन बोर्ड का संघटन निम्नवत है :—

1. न्यायमूर्ति एस एच आबिदि - अध्यक्ष
2. रिक्त - सदस्य-I
3. श्री जे एन तिवारी - सदस्य-II

तेल चयन बोर्ड उ. प्र. ने जनवरी, 1995 तक 192 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लिए योग्यता पैनलों की सिफारिश की है।

दूरदर्शन के प्रतीक चिन्ह में परिवर्तन

622. श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "कृषि दर्शन" कार्यक्रम को "किसान भाइयों को राम-राम" की बजाय "किसान भाइयों को नमस्कार" के अभिवादन के साथ आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन के प्रतीक चिन्ह "सत्यम्-शिवम्-सुंदरम्" में परिवर्तन करने का है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) किसी मानक अभिवादन की व्यवस्था नहीं है। यह एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र में उनके सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार भिन्न-भिन्न है। तथापि, चूंकि कृषि दर्शन कार्यक्रम दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र द्वारा टेलीकास्ट किया जाता है, मानक अभिवादन "किसान भाइयों को नमस्कार" अथवा "किसान भाइयों को नमस्ते" है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बसोत के लिए कम शक्ति के ट्रांसमीटर

623. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा जिले में बसोत के लिए स्वीकृत कम शक्ति का ट्रांसमीटर भिकियासैंण के निकट धुरा में स्थानान्तरित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मूल योजना के अनुसार बसोत में कम शक्ति का ट्रांसमीटर स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो बसोत में कम शक्ति का ट्रांसमीटर कब तक स्थापित कर दिया जायेगा तथा यह कब से चालू हो जायेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (घ). बसोत में स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (अ.अ.श.ट्रा.) के स्थान को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विनिर्माताओं को ट्रांसमीटरों के उपकरणों के लिए आदेश पहले ही दे दिए गए हैं। तथापि, अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थल राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किया जाना है। वर्ष 1996 के दौरान, बसोत में अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के चालू किए जाने की आशा है बशर्ते इस प्रयोजनार्थ उपकरणों की आपूर्ति हो और अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

624. श्री अन्ना जोशी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार द्वारा यथाप्रमाणित स्वतंत्रता सेनानी पेंशन संबंधी कितने आवेदन-पत्र केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए लम्बित हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने के बावजूद भी महाराष्ट्र के कितने आवेदनकर्ताओं को पेंशन नहीं दी गई है;

(ग) क्या स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं के बहुत से आवेदन-पत्र केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन आवेदनों को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) महाराष्ट्र राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी पेंशन से संबंधित सभी दावों की जांच पहले ही की जा चुकी है और लिए गए निर्णयों से आवेदकों तथा राज्य सरकार को अवगत करा दिया गया है।

(ख) ऐसा कोई मामला लंबित नहीं है।

(ग) से (ङ). स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्तकर्त्ताओं के विवाहिती (विधवाओं/विधुरों) के नाम में पेंशन का अन्तरण, विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है। संवितरण अधिकारियों को, कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद परिवार पेंशन का अन्तरण उनके नाम कर देने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है। स्वतंत्रता सेनानी पेंशनरों के विवाहिती, जो अभी भी केन्द्र सरकार को, पेंशन अपने नाम में करने के लिए आवदेन करते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इस संदर्भ में संबंधित संवितरण अधिकारी से तुरंत सम्पर्क करें।

विदेशी टी.वी. कंपनियों द्वारा कवरेज

625. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं विदेशी टी.वी. कम्पनियों ने घटनाओं के सीधे प्रसारण की अनुमति के लिए आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने घटनाओं के स्वतंत्रतापूर्वक सीधे प्रसारण के लिए विदेशियों को अनुमति देने के प्रभाव का अध्ययन कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के जाली प्रमाण-पत्र

626. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये सरकारी सेवाओं में आरक्षित नौकरियों को प्राप्त करने के लिये लोगों द्वारा प्राप्त किये जा रहे जातियों के जाली प्रमाण-पत्रों के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1994 के दौरान कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू) : (क) से (ग). 1994 के दौरान जाली प्रमाण-पत्रों से संबंधित चार शिकायतें प्राप्त हुई हैं। संबंधित प्राधिकारियों से उचित कार्रवाई हेतु मामले में पूछताछ करने का अनुरोध किया गया है।

दिल्ली में पैट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्र

627. **श्री हरिसिंह चावड़ा :** क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 में दिल्ली में किसी पैट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्र को सील किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पैट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्रों का आवंटन

628. **श्री शिव शरण वर्मा :**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसोई गैस/पैट्रोल एजेंसियां तथा डीजल में खुदरा बिक्री केन्द्रों के आवंटन हेतु विज्ञापन देने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या संबंधित क्षेत्र के संसद सदस्य से भी इस संबंध में परामर्श किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). देश में विभिन्न स्थानों पर एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप तेल उद्योग के व्यवहार्यता मानकों के आधार पर खोली जाती हैं। एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों/खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन की एक प्रतिलिपि संबंधित क्षेत्र के संसद सदस्य को भी भेजी जाती है।

नई डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए बाजार सर्वेक्षण करते समय संसद सदस्यों की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा जाता है।

गुजरात में तेल/गैस टर्मिनल

629. **श्री अरविंद त्रिवेदी :** क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनिवासी भारतीयों के सहयोग से गुजरात में तेल/गैस टर्मिनल स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्ताव को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). जी, नहीं। तथापि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम इंडियन आयल कारपोरेशन कांडला में एल पी जी आयात की सुविधा स्थापित कर रहा है, जिसकी क्षमता 600 हजार मीट्रिक टन प्रतिवर्ष होगी। परियोजना पूरी होने की अग्रिम स्थिति में है तथा ऐसी आशा है कि यह दिसम्बर, 96 तक चालू हो जाएगी।

[हिन्दी]

रसोई गैस का आवंटन

630. **डा. गुणवंत रामभाऊ सरोदे :** क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को रसोई गैस के आवंटन हेतु क्या मानदंड अपनाया जा रहा है;

(ख) क्या महाराष्ट्र को राज्य की आबादी के आधार पर रसोई गैस का आवंटन किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). देश में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के वितरकों के पास दर्ज विद्यमान रसोई गैस उपभोक्ताओं की मांग पूर्णरूपेण पूरी की जा रही है। रसोई गैस एक निश्चित मात्रा में आवंटित किया जाने वाला उत्पाद नहीं है।

[अनुवाद]

कच्छ में तेल और प्राकृतिक गैस

631. **डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ में तेल और प्राकृतिक गैस के प्रचुर संसाधन हैं;

(ख) क्या इस क्षेत्र में कोई खोज कार्य कराये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) कच्छ बेसिन में तेल और प्राकृतिक गैस के 3.16 मि.मी.ट. (तेल+गैस के समतुल्य तेल) के स्थापित भूगर्भीय भंडार हैं। ये भंडार बेसिन के अपतटीय हिस्से में ही हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) गहन भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों के अतिरिक्त कच्छ के भूमि वाले क्षेत्र में 5 कूपों का वेधन किया गया जो सूखे निकले। कच्छ के अपतट में 22 कूपों का वेधन किया गया है तथा के डी संरचना में तेल एवं जी के-29 तथा जी के-22-सी संरचनाओं में गैस प्राप्त हुई है।

गुजरात को अतिरिक्त धनराशि दिया जाना

632. **श्री दिलीप भाई संघाणी :** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार से जनजातीय परिवार कल्याण सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि देने तथा "मोडीफाइड एरियाज डेवलपमेंट एजेंसीज स्कीम" का राज्य के गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों तक विस्तार करने के सम्बन्ध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

फरक्का बराज

633. **श्री जायनल अबेदिन :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बराज के उपरिन्द (अपस्ट्रीम) के ठीक ऊपर बनी एक बड़ी चार भूमि लाक-चैनल मुहाने को अवरूद्ध कर देगी;

(ख) क्या इस चार भूमि के कारण उपरिन्द जल स्तर (अपस्ट्रीम पॉण्ड लेवल) पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या चार भूमि को हटाने के लिए किसी उपाय पर विचार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इसे हटाने का कार्य कब से शुरू हो जाएगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (च). जी, हां। लॉक चैनल के जरिए नौवहन मार्ग का अनुरक्षण तलकर्षकों की मदद से किया जा रहा है। तलकर्षण एक जारी रहने वाला कार्यकलाप है जो फरक्का बराज परियोजना प्राधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।

प्रायोजित कार्यक्रमों का चयन

634. **श्री एन. डेनिस :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1995 में प्रायोजित कार्यक्रमों के चयन के लिए मद्रास दूरदर्शन केन्द्र द्वारा कोई मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). जी, हां। केन्द्र ने प्रतिष्ठित लेखकों के आलेखों का चयन किया, निर्माण दल के प्रमाणित अनुभव को ध्यान में रखा तथा किसी प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से समान विषयों वाले आलेखों का उनके तुलनात्मक गुण-दोषों के आधार पर मूल्यांकन किया।

[हिन्दी]

नई रसोई गैस एजेंसियों को आवंटन

635. **श्री सूरजभानु सोलंकी :** क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में कितनी नई रसोई गैस एजेंसियां आवंटित की गई; और

(ख) 1994-95 के दौरान इन क्षेत्रों में नई रसोई गैस एजेंसियों के आवंटन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में वर्ष 1993-94 के दौरान तीन एल पी जी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित की गई थी। जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में,

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चार और एल पी जी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आबंटन किया जाना है। इस प्रक्रिया में स्थानों के बारे में विज्ञापन देना तथा तेल चयन बोर्डों द्वारा साक्षात्कार लिया जाना, आदि शामिल है।

[अनुवाद]

सिंचाई प्रबन्धन नीति.

636. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने सिंचाई प्रबन्धन नीति के प्रारूप को अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त नीति को कब तक अपना लिया जाएगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय जल बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित प्रारूप सिंचाई प्रबन्ध नीति को राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की अगली बैठक की कार्यसूची में अपनाये जाने के लिए शामिल किया गया है। इस बैठक के लिए तारीख अभी नियत की जानी है।

कोयला खान क्षेत्रों में भूमि का धंसना

637. डा. सुधीर राय : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान क्षेत्रों में भूमि धंसने तथा आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं/किये जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख). पिछले दिनों छिछली भूमि के नीचे गए अवैज्ञानिक कोयला खान द्वारा उत्पन्न धंसाव की समस्या मुख्यतः रानीगंज कोयला क्षेत्र तक ही सीमित है। आग लगने की समस्या झरिया कोयला क्षेत्र में बनी हुई है।

धंसाव को रोकने तथा आग पर नियंत्रण पाने के लिए उठाए गए कुछ मुख्य कदम नीचे विनिर्दिष्ट किए गए हैं :—

(i) किसी प्रमाणित तकनीक के अभाव में रानीगंज क्षेत्र में अरूण टाकीज के समीप भूमिगत अगम्य जलप्लावित कार्य स्थल को खनन योग्य बनाए रखने के लिए प्रयोगात्मक आधार पर हाइड्रो न्यूमैटिक रेत भरने का प्रयास किया जा रहा है।

(ii) आग से प्रभावित क्षेत्रों में खुदाई करना, खाइयां बनाना ब्लैंकटिंग, तथा हाइड्रॉलिक रेत को बहाने इत्यादि जैसे कदम उठाए जा रहे हैं।

(iii) झरिया कोयला क्षेत्र में आग की समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक निदानकारी अध्ययन किया जा रहा है। यह अध्ययन अभी जारी है।

भारत–बांग्लादेश सीमा सर्वेक्षण

638. श्री आनंद रत्न मौर्य : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सीमा के साथ-साथ भारत–बांग्लादेश सीमा सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या सरकार को काफी समय से विवादास्पद मामलों को निपटाने में सफलता मिली है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (घ). मुहुरी चर क्षेत्र के सीमांकन के अलावा त्रिपुरा सेक्टर से लगी भारत–बांगला देश भूमि सीमा के सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। त्रिपुरा सेक्टर में सीमा स्तम्भों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। सिवाय उनके, जोकि नदियों में पड़ते हैं। भारत सरकार भारत–बांगला देश भूमि सीमा समझौता, 1974 में निरूपित उपबंधों के अनुसार बंगला देश में मुहुरी चर मुद्दे को सुलझाने की शीघ्र आवश्यकता पर बल देती रही है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल की जम्मू और कश्मीर की यात्रा

639. श्री हरि किशोर सिंह :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एमनेस्टी इंटरनेशनल को जम्मू और कश्मीर की यात्रा करने की अनुमति देने के लिए सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सकल राष्ट्रीय उत्पाद

640. डा. मुमताज अंसारी : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य का सकल राष्ट्रीय उत्पाद कितना है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) वर्ष 1991-92 से 1993-94 के वर्षों के लिए चालू तथा स्थिर (1980-81) मूल्यों पर प्रत्येक राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान, संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान स्थिर (1980-81) मूल्यों पर प्रत्येक राज्य के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (राज्य आय) में प्रतिशत बढ़ोत्तरी संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के अनुमान

(रुपये मिलियन में)

क्र.सं.	राज्य	चालू मूल्यों पर			स्थिर (1980-81) मूल्यों पर		
		1991-92	1992-93 (पी)	1993-94 (क्यू)	1991-92	1992-93 (पी)	1993-94 (क्यू)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	417508	442223	504913	135751	132975	139523
2.	अरुणाचल प्रदेश	6291	7298	8282	2848	2908	3135
3.	असम	115208	130178	–	48883	51178	–
4.	बिहार	288798	339377	–	110946	113101	–
5.	गोवा	15513	16845	17768	6781	7160	7349
6.	गुजरात	301349	362608	–	117441	132817	–
7.	हरियाणा	162795	175502	202429	64236	64823	67583
8.	हिमाचल प्रदेश	30967	–	–	11981	–	–
9.	जम्मू एवं कश्मीर	31670	33681	–	13191	13730	–
10.	कर्नाटक	298715	329645	366448	115076	119327	124002
11.	केरल	175297	197158	210990	62509	65988	69019
12.	मध्य प्रदेश	340061	380186	451017	126804	134201	144025
13.	महाराष्ट्र	709345	840101	–	285653	310507	–
14.	मणिपुर	8434	–	–	3989	–	–
15.	मेघालय	10385	11958	13287	3962	4256	4662
16.	मिजोरम	4651	–	–	–	–	–
17.	नागालैंड	7682	–	–	2520	–	–
18.	उड़ीसा	137442	146341	–	54536	53415	–
19.	पंजाब	228231	258924	292528	88134	91739	95989
20.	राजस्थान	225030	263302	273734	88174	98277	93472
21.	सिक्किम	2426	–	–	–	–	–
22.	तमिलनाडु	369452	399273	–	148866	152873	–
23.	त्रिपुरा	11617	–	–	5149	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	633376	690286	–	252403	255556	–
25.	पश्चिम बंगाल*	364430	416035	–	138955	144967	–

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2112	2412	–	813	988	–
27.	दिल्ली	122816	–	–	52428	–	
28.	पॉण्डिचेरी*	7101	7928	–	2876	2934	

पी : अस्थायी क्यू : त्वरित अनुमान

: संबंधित-राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गये।

* : जम्मू एवं कश्मीर, पश्चिम बंगाल तथा पॉण्डिचेरी के मामले में आंकड़े निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमानों से संबंधित हैं।

टिप्पणी : मिजोरम राज्य इन अनुमानों को केवल चालू मूल्यों पर तैयार करता है।

स्रोत: संबंधित राज्य सरकारों के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।

विवरण-II

विगत वर्षों में प्रति व्यक्ति राज्य आय में प्रतिशत बढ़ोत्तरी

क्र.सं.	राज्य	विगत वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में प्रतिशत बढ़ोत्तरी		
		1991-92	1992-93 (पी)	1993-94 (क्यू)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.5	-4.0	3.4
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.5	-0.7	5.2
3.	असम	4.5	3.1	–
4.	बिहार	-7.9	0.0	–
5.	गोवा	4.3	3.5	0.2
6.	गुजरात	-5.7	12.7	–
7.	हरियाणा	-0.3	-1.3	2.0
8.	हिमाचल प्रदेश	-3.6	–	–
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1.1	1.8	–
10.	कर्नाटक	10.1	2.7	2.6
11.	केरल	0.6	4.5	3.1
12.	मध्य प्रदेश	-5.1	2.9	4.6
13.	महाराष्ट्र	-1.7	9.3	5.5
14.	मणिपुर	8.2	–	–
15.	मेघालय	8.0	4.7	7.1
16.	मिजोरम	–	–	–
17.	नागालैंड	0.5	–	–
18.	उड़ीसा	9.3	-4.6	–
19.	पंजाब	3.1	2.1	2.6
20.	राजस्थान	-10.8	9.5	-8.9
21.	सिक्किम	–	–	–

1	2	3	4	5
22.	तमिलनाडु	4.6	1.2	–
23.	त्रिपुरा	1.3	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	–0.6	–0.7	–
25.	पश्चिम बंगाल	3.5	2.0	–
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	–12.0	10.2	–
27.	दिल्ली	3.3	–	–
28.	पाण्डिचेरी	1.3	0.0	–

पी : अस्थायी क्यू : त्वरित अनुमान

– : संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए।

स्रोत: संबंधित राज्य सरकारों के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।

तेल खोज का कार्य

641. श्री वेल्लैया नंदी : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आंध्र प्रदेश के किन-किन स्थानों पर तेल की खोज का कार्य चलाया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य में ऐसे नए स्थानों, जहां यह खोज कार्य किया जा सकता है, का पता लगाने हेतु कोई व्यापक सर्वेक्षण कराया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य में कितना कच्चा तेल निकाला गया?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) नन्दीग्राम, गजुलापुडु-अंगालुरू, भीमावरम और वशिष्ठ और वैनतेयम नदियों के बीच स्थित द्वीप क्षेत्र में भूकम्पीय आंकड़ा अर्जन किया जा रहा है। वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश में मोरी, नन्दीग्राम, साखोनेतापल्ले, सिंगाला, पसरलापुडी, रविपाडु और मुलिकिपल्ले में तेल अन्वेषण के लिए वेधन जारी है।

(ख) जी, हां।

(ग) आंध्र प्रदेश में नई खोजों और नए पूलों पर अन्वेषण के परिणामस्वरूप स्थापित तेल और गैस के समकक्ष तेल की मात्रा 1-1-1991 से 31-12-1991 के दौरान 4.94 मि.मी.ट, 1-1-1992 से 31-3-1993 के दौरान 2.90 मि.मी.ट और 1-4-1993 से 31-3-1994 के दौरान 1.84 मि.मी.ट है।

रसोई गैस कनेक्शन

642. डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, बहरामपुर और बालासौर में 1994 के अन्त तक रसोई गैस कनेक्शनों के लिए कितने आवेदनपत्र लम्बित थे; और

(ख) प्रतीक्षारत सभी आवेदनकर्त्ताओं को रसोई गैस कनेक्शन कब तक दे दिए जाएंगे?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) उड़ीसा में भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, बहरामपुर और बालासौर में 1994 की समाप्ति तक एल पी जी कनेक्शन के लिए प्रतीक्षारत व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है :—

भुवनेश्वर	– 20367
कटक	– 13198
राउरकेला	– 8253
बहरामपुर	– 14456
बालासौर	– 5500
	61774

(ख) एल पी जी की उपलब्धता, नई ग्राहक नामांकन योजना, प्रतीक्षा सूची, डिस्ट्रीब्यूटरों के पास उपलब्ध स्लैक और उनकी व्यवहार्यता के आधार पर पूरे देश में नए कनेक्शन चरणबद्ध रूप में जारी किए जाते हैं। तथापि अधिक से अधिक आवेदकों को यथाशीघ्र एल पी जी कनेक्शन जारी करने के लिए प्रयास निरन्तर जारी हैं।

[हिन्दी]

ब्रिटिश पैट्रोलियम कम्पनी के साथ विवाद

643. श्री प्रेम चन्द राम : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड तथा ब्रिटिश पैट्रोलियम कंपनी के बीच किसी समझौते पर कोई विवाद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस विवाद को हल करने के लिए क्या प्रयास किए हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). जी, हां। अन्वेषण पर किए गए व्यय के संबंध में ओ एन जी सी विदेश लि. तथा ब्रिटिश पैट्रोलियम के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया था। मामले को माध्यस्थम हेतु भेजा गया है।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाएं

644. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा की कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाओं को विदेशी सहायता मिल रही है;

(ख) इन परियोजनाओं को अब तक प्राप्त विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य की कुछ अन्य सिंचाई परियोजनाओं को भी विदेशी सहायता मिलने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). उड़ीसा में विदेशी सहायता से कार्यान्वित की जा रही सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

परियोजना का नाम	वित्तपोषण अभिकरण	वचनबद्ध सहायता राशि (मिलियन में)	जनवरी, 1995 तक उपयोग (मिलियन में)
ऊपरी कोलाब सिंचाई परियोजना	ओ ई सी एफ जापान	3769.00 येन	2002.60 येन
ऊपरी इन्द्रावती सिंचाई परियोजना	ओ ई सी एफ जापान	3744.00 येन	1294.56 येन
लिफ्ट सिंचाई परियोजना उड़ीसा	के डब्ल्यू एफ जर्मनी	55.00 डच मार्क	5.90 डच मार्क

इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक सहायता प्राप्त बहुराज्यीय "राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना" और "बांध सुरक्षा परियोजना" में उड़ीसा भाग ले रहे राज्यों में से एक है।

(ग) और (घ). ई ई सी की सहायता से लघु सिंचाई परियोजना, उड़ीसा और विश्व बैंक की सहायता से सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना तथा जल संसाधन समेकन परियोजना विचारार्थ सूची में हैं और उनका परिणाम दाता अभिकरणों की प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

रसोई गैस एजेंसियों और मिट्टी के तेल की डीलरशिप

645. श्री ललित उरांव : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुत सारी फर्जी कंपनियां विज्ञापन निकाल कर रसोई गैस और मिट्टी के तेल की डीलरशिप पाने के इच्छुक व्यक्तियों और साथ ही उपभोक्ताओं को ठगने में लगी हैं; और

(ख) यदि हां, तो गतिविधि पर रोक लगाने के लिये सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). इस प्रकार की कुछ रिपोर्ट सरकार के ध्यान में आयी हैं। राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि वे समानांतर विपणनकर्ताओं द्वारा उत्पाद की आपूर्ति हेतु पर्याप्त व्यवस्था किए बगैर उनके द्वारा धनराशि एकत्र करने पर रोक लगाएं। इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी सुझाव दिया गया है कि वे उन व्यक्तियों/एजेंसियों की सत्यता, पूर्ववृत्त तथा क्षमता की जांच करें जो समानांतर विपणन प्रणाली के अंतर्गत कार्यकलाप आरंभ करने को इच्छुक हैं तथा उन व्यक्तियों के विरूद्ध समुचित कार्रवाई करें, जो धोखाधड़ी तथा कदाचार में लिप्त पाए जाते हैं। प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से आम जनता को समुचित सुझाव तथा चेतावनी दी गयी है कि वे संबद्ध विपणनकर्ताओं के साथ किसी प्रकार का कार्य व्यापार करने से पूर्व उनके पूर्ववृत्त, सत्यता तथा क्षमता के बारे में पता लगाएं। एम आर टी पी आयोग की कदाचारों में लिप्त व्यक्तियों/फर्मों/कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई करता है।

[अनुवाद]

तेल चयन बोर्ड का पुनर्गठन

646. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के तेल चयन बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को एल पी जी एजेंसी और पैट्रोल के खुदरा विक्री केन्द्र की डीलरशिप के नियम विरूद्ध आवंटन के संबंध में पूर्व बोर्ड के सदस्यों के विरूद्ध शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). केरल के लिए तेल चयन बोर्ड का अब निम्नानुसार पुनर्गठन कर लिया गया है :—

1. न्यायमूर्ति एम. मरूथायुथु – अध्यक्ष
2. श्री शिव दर्शन सिंह – सदस्य-I
3. श्रीमती शांता पाणिकर – सदस्य-II

(ग) और (घ). शिकायतों के अलावा, तेल चयन बोर्ड (केरल और लक्षद्वीप) द्वारा किए गए अनुचित चयनों का आरोप लगाते हुए, केरल उच्च न्यायालय में हुए याचिकाएं भी दायर की गई थी।

सिनेमाघरों का बन्द होना

647. श्री परसराम भारद्वाज : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल के वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में सिनेमाघरों के बंद होने के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या रहा;

(ग) क्या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सूचना और प्रसारण द्वारा मनोरंजन कर कम करने के लिये कोई सिफारिश की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). 24.6.94 को नई दिल्ली में हुए सूचना और चलचित्रकी राज्य मंत्रियों के 21 वें सम्मेलन ने राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि सिनेमा पर से मनोरंजन कर को कम किया जाए। तथापि, सिफारिश का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों की जिम्मेदारी है।

कोयला खानों का निजीकरण

648. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोयला खानों का प्रबंधन निजी कंपनियों को सौंपने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में किन-किन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपनी रूचि दिखाई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

विस्फोटक पदार्थों का पकड़ा जाना

649. श्री एन.जे. राठवा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने गुजरात के विभिन्न भागों में पकड़े गये विस्फोटक पदार्थों के संबंध में अपनी जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्ति दोषी पाये गये हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह जांच कब तक पूरी कर ली जायेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). शस्त्र अधिनियम, टाडा, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत और षडयंत्र रचने जैसे अपराधों के लिए 33 व्यक्तियों के खिलाफ मनोनीत न्यायालय (ग्रामीण), अहमदाबाद में 16 जुलाई, 1993 को एक आरोप-पत्र दायर किया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोयला धोवनशाला

650. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. ने ताप विद्युत संयंत्र तथा सीमेंट इकाइयों को कोयले की आपूर्ति के लिए पुरानी कोयला धोवनशालाओं के स्थान पर नई कोयला धोवनशाला स्थापित करने के लिए कोई कार्य-योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय कार्यरत कोयला धोवनशालाओं की अधिष्ठापित क्षमता तथा चालू वर्ष में धोये गये कोयले की वास्तविक मात्रा सहित उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कोल इंडिया लि. कोयले की राख की मात्रा मापने के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि विशेष ग्रेड के कोयले की आपूर्ति के लिए भुगतान करने में राज्य विद्युत बोर्डों के साथ विवाद से बचा जा सके;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ताप विद्युत संयंत्रों तथा सीमेंट इकाइयों को राख की कम मात्रा वाले कोयले की आपूर्ति के लिए कोल इंडिया लि. द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांचा) : (क) और (ख). कोल इंडिया लि. में वर्तमान में विद्युत संयंत्रों तथा सीमेंट यूनिटों के लिए अ-कोककर कोयले के परिष्करण हेतु कोई वाशरी परिचालित नहीं है, इसलिए ऐसी वाशरियों को बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता। किन्तु, कोल इंडिया लि. ने तापीय विद्युत संयंत्रों तथा सीमेंट संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति के लिए "अपनी बनाओ चलाओ" आधार पर चरण-I में 21.20 मि.टन प्रतिवर्ष की कुल निवेशित क्षमता के लिए चार वाशरियों को स्थापित करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। दो वाशरियां एक नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. की वीना (4.5 मि. ट. प्रतिवर्ष) में तथा दूसरी सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. की पीपरवार (6.50 मि.ट. प्रतिवर्ष) जिनका तापीय विद्युत संयंत्रों को धुले कोयले की आपूर्ति के लिए निर्माण किया जा रहा है।

(ग) कोल इंडिया लि. के अंतर्गत 15 कोककर कोयला वाशरियां परिचालन में हैं इस संबंध में ब्यौरे नीचे दिए गए हैं

कंपनी	संयंत्रों की सं.	स्थापित क्षमता (मि.टन. प्रतिवर्ष)	धुला कच्चा कोयला (अप्रैल, 94 से फरवरी, 95) (मिलियन टन में)
(i) भा.को. को.लि.	9	12.55	7.292
(ii) से.को.लि.	5	11.47	7.663
(iii) वे.को.लि.	1	1.20	0.615
जोड़ :	15	25.22	15.575

(घ) और (ङ). जी, हां। 2 स्वचालित नमूना तथा कोटि प्रबोधन प्रणाली साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में प्रयोगात्मक आधार पर लगायी गई है। इनमें से एक को चालू कर दिया गया है तथा दूसरे को शीघ्र ही चालू किया जाना है।

(च) कोयला रख-रखाव संयंत्र तथा फीडर ब्रेकर्स की क्षमता में वृद्धि करने के अतिरिक्त तापीय विद्युत संयंत्रों तथा सीमेंट संयंत्रों को एक-समान गुणवत्ता तथा कम राख तत्व के कोयले की आपूर्ति के लिए कोल इंडिया लि. का वाशरियां स्थापित करने का प्रस्ताव है, यदि उपभोक्ता धुलाई प्रभार का भुगतान करने के इच्छुक हो।

कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक

651. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के कनिष्ठ हिन्दी अनुवादकों को पदोन्नति के अवरोध की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या 13-14 साल की नियमित सेवा के बाद भी कनिष्ठ अनुवादकों को वरिष्ठ हिन्दी अनुवादकों के रूप में पदोन्नति नहीं दी गई है;

(ग) वरिष्ठ अनुवादकों को पदोन्नति देने के संबंध में इस अवरोध की स्थिति को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस अवरोध की स्थिति को दूर करने के लिये क्रमशः कनिष्ठ तथा वरिष्ठ अनुवादकों को 50:50 के अनुपात में नियुक्त करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग). सरकार ने कनिष्ठ अनुवादकों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के लिए कनिष्ठ अनुवादकों को पहले उपलब्ध 75 प्रतिशत अवसरों के स्थान पर 100 प्रतिशत करने के लिए वरिष्ठ हिन्दी अनुवादकों के पद के भर्ती नियमों में 5 जुलाई, 1994 को संशोधन किया है।

वरिष्ठ अनुवादक के रूप में नियमित आधार पर नियुक्त अन्तिम कनिष्ठ अनुवादक वर्ष 1981 में भर्ती किया गया था। तदर्थ आधार पर वरिष्ठ अनुवादक के रूप में पदोन्नत अन्तिम कनिष्ठ अनुवादक वर्ष 1986 की भर्ती का है।

(घ) से (च). प्रश्न नहीं उठते।

सिंचाई परियोजनाएं

652. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में कुछ सिंचाई परियोजनाओं पर अन्तर्राज्यीय जल विवाद के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन विवादों के समाधान के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) आन्ध्र प्रदेश की मात्र एक परियोजना नामशः तेलुगु गंगा परियोजना जल के उपयोग संबंधी अन्तर्राज्यीय मुद्दों को हल न किए जाने के कारण स्वीकृति हेतु लंबित है।

(ख) और (ग). 636.53 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर तेलुगु गंगा परियोजना केन्द्रीय जल आयोग में दिसम्बर, 1983 में प्राप्त हुई थी। इस परियोजना में मद्रास शहर को जल आपूर्ति के लिए कृष्णा जल का 15 हजार मिलियन घन फुट जल का व्यपवर्तन करने तथा आन्ध्र प्रदेश में मार्ग में पड़ने वाले क्षेत्र की सिंचाई के लिए कृष्णा का 29 हजार मिलियन घन फुट और पेन्नार का 20.2 हजार मिलियन घन फुट जल का उपयोग करने की परिकल्पना की गई है। अंतिम रूप

में दी गई यह परियोजना सलाहकार समिति के समक्ष अप्रैल, 1988 में प्रस्तुत की गई थी। सलाहकार समिति ने इस पर विचार आस्थगित कर दिया था क्योंकि महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों ने कृष्णा जल विवाद अधिकरण द्वारा आन्ध्र प्रदेश को जल के आबंटन के अतिरिक्त कृष्णा जल के 29 हजार मिलियन घन फुट के उपयोग पर आपत्ति की थी। कृष्णा बेसिन राज्यों की अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को मूर्तरूप नहीं दिया गया। इन राज्यों ने इस मुद्दे को अपने आप सुलझाने की जिम्मेदारी ली है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति

653. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये मैट्रिक बाद की छात्रवृत्ति हेतु आय की अधिकतम सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू) : (क) से (घ). अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन आय सीमा को बढ़ाने का एक प्रस्ताव योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श करके विचाराधीन है।

[अनुवाद]

ब्राड इंजीनियरिंग अथॉरिटी

654. **श्री चेतन पी.एस. चौहान :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ब्राड इंजीनियरिंग अथॉरिटी के गठन हेतु कोई निवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

तेल की खोज संबंधी योजना

655. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में तेल और गैस की खोज के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड तथा आयल इंडिया लिमिटेड की एक व्यापक संयुक्त उद्यम संयुक्त निवेश योजना को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संयुक्त उद्यम में विदेशी भागीदार खोजने के लिए शीघ्र ही अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं जारी करने का भी निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में निर्धारित प्रस्तावित शर्तें क्या हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). सरकार ने 6500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 1994-97 के दौरान क्रियान्वित होने वाले वर्धित अन्वेषण कार्यक्रम को अनुमोदित कर दिया है। इस अन्वेषण प्रयास का एक भाग राष्ट्रीय तेल कम्पनियों (आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन तथा आयल इंडिया लिमिटेड) तथा निजी तेल कम्पनियों के बीच बने संयुक्त उद्यमों के माध्यम से पूरा होना अपेक्षित है। आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन/आयल इंडिया लिमिटेड संयुक्त उद्यमों द्वारा सरकार के साथ हस्ताक्षर होने वाली उत्पादन भागीदारी संविदाओं के तहत इन संयुक्त उद्यमों में 25 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत के बीच भागीदारी हित रखेंगे।

कोयला श्रमिकों को बोनस

656. **श्री वसुदेव आचार्य :**
श्री हाराधन राय :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला श्रमिकों/कर्मचारियों को चालू वित्त वर्ष के लिए वार्षिक बोनस का भुगतान कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इसका किस दर पर भुगतान किया गया?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग). कोल इंडिया लि. एक गैर प्रतियोगी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण इसके कर्मचारी बोनस अदायगी अधिनियम, 1965 के अंतर्गत बोनस पाने के लिए पात्र नहीं है। किन्तु, विगत तीन वर्षों के दौरान को.इं.लि. के कर्मचारियों को उत्पादन/उत्पादकता से

जुड़ा बोनस/पुरस्कार के रूप में निम्न दरों पर अनुग्रह की राशि का भुगतान निम्न रूप में किया गया है :—

1991-92- वार्षिक मजदूरी का 8.33 प्रतिशत ऐसे कर्मचारी, जिनकी प्रतिमाह आय 3500/-रु. से अधिक नहीं है, उन्हें अधिकतम 2000/- रु. तक की राशि तथा 315/- रु. की अतिरिक्त राशि की अदायगी।

1992-93 - 3500/- रु. प्रतिमाह तक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के मामले में अधिकतम 2327/-रु. की राशि तथा अन्य कर्मचारियों के मामले में 1500/- रु. प्रतिमाह की अधिकतम राशि की अदायगी, जोकि उपस्थिति के आधार पर यथा अनुपात पर देय।

1993-94- 3500/-रु. प्रतिमाह वेतन/मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को रु. 2350/- तथा अन्य कर्मचारियों के मामले में 1540/- रु.।

चालू वित्तीय वर्ष के लिए भुगतान अभी देय नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता सेवाओं का विज्ञापन

657. **श्री रामपाल सिंह :**
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी ने अपने सभी विज्ञापन केन्द्रों को उपभोक्ता सेवाओं के संबंध में लघु विज्ञापनों का प्रसारण करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इन विज्ञापनों के प्रसारण हेतु निर्धारित दरें क्या हैं; और

(ग) यह सेवा कब तक कार्य करना प्रारंभ कर देगी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग). आकाशवाणी ने हाल ही में अपने प्रमुख विविध भारती केन्द्रों से मार्गदर्शी विज्ञापन (ग्राहक मार्गदर्शन आदि) आरंभ किए हैं। इन विज्ञापनों के लिए 15 शब्द तक के संदेश हेतु 100 रु. की दर से राशि वसूल की जाती है।

कोयले की आवश्यकता

658. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री छेदी पासवान :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में घरेलू तथा औद्योगिक खपत के लिए कोयले की मासिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) गत बारह महीनों के दौरान प्रत्येक माह में राज्य को वास्तव में कितना कोयला आवंटित किया गया;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का बिहार को कोयले का आवंटन बढ़ाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) देश में कोयले की आवश्यकताओं का मूल्यांकन उद्योग/क्षेत्र-वार किया जाता है। इनका मूल्यांकन राज्य-वार नहीं किया जाता है। कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) द्वारा कोयले की आपूर्ति सम्बद्ध प्रयोजन प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रयोजनों के अनुसार उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम के आधार पर की जाती है। विद्युत तथा सीमेंट उद्योग के लिए आपूर्ति इन क्षेत्रों के लिए स्थायी संयोजन समिति द्वारा स्थापित अल्पावधि संयोजन के आधार पर की जाती है।

(ख) वर्ष 1994 के दौरान प्रत्येक 12 महीनों के दौरान बिहार को कोल इंडिया लि. द्वारा आपूर्ति किए गए कोयले का कुल परिमाण निम्नलिखित था :—

('000 टन में)

माह	परिमाण
जनवरी, 94	1706.0
फरवरी, 94	1788.9
मार्च, 94	1930.9
अप्रैल, 94	1777.9
मई, 94	1720.4
जून, 94	1612.1
जुलाई, 94	1271.3
अगस्त, 94	1246.7
सितम्बर, 94	1223.3
अक्तूबर, 94	1375.3
नवम्बर, 94	1445.4
दिसम्बर. 94	1604.2

(ग) से (ङ). कोयला कंपनियों को सभी उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने हेतु, जिसमें बिहार में स्थित उपभोक्ता भी शामिल हैं, पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति किए जाने का सुनिश्चय करने हेतु निर्देश दे दिए गए हैं। किन्तु कोयला/कोक में किसी तरह का अतिरिक्त आवंटन किए जाने संबंधी अनुरोध पर प्रत्येक मामले में गुणावगुण आधार पर विचार/जांच की जाती है। वर्तमान में को.इं.लि. सॉफ्ट कोक/हार्ड कोक को छोड़कर बिहार की अ-कोककर कोयले की संपूर्ण मांग को अधिकांशतः पूरा किए जाने की स्थिति में हैं। इसके अलावा, उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत अनेक कोलिरियों से कोयले की आपूर्ति किए जाने की पेशकश की जा रही है और इस योजना के अंतर्गत कोयले की आपूर्ति बिना किसी संयोजन/प्रायोजन के, की जाती है। इस योजना के अंतर्गत थोक तथा छोटे व्यापारियों को भी कोयले की आपूर्ति की जा रही है, जोकि लघु उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

साम्प्रदायिक घटनाएं

659. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**
श्रीमती गिरिजा देवी :
श्री राम विलास पासवान :
श्री येल्लैया नंदी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 की तुलना में 1994 के दौरान कितनी साम्प्रदायिक घटनाएं हुईं;

(ख) 1994 के दौरान किन-किन राज्यों में साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुईं;

(ग) 1994 में इन घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गये और सरकारी तथा गैर-सरकारी सम्पत्ति की कितनी क्षति हुई; और

(घ) देश में साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने में केन्द्रीय सरकार की क्या भूमिका है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग). चूंकि संविधान की सातवीं अनुसूची की द्वितीय राज्य सूची के अंतर्गत लोक व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए केन्द्रीय सरकार साम्प्रदायिक दंगों/घटनाओं संबंधी सूचना नहीं रखती है। तथापि, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार वर्ष 1993 के दौरान, 2292 साम्प्रदायिक घटनाएं/दंगे हुए। जहां तक 1994 का सवाल है, बिहार, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मिजोरम तथा पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा सूचना उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 1994 के दौरान आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में साम्प्रदायिक घटनाओं/दंगों की 130 घटनाएं दर्ज की गई थी। 23 व्यक्ति मारे गए थे। अनुमानतः 52 लाख रुपए की सम्पत्ति की हानि हुई थी।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने, साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने तथा साम्प्रदायिक हिंसा न होने देने के लिए राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को आसूचना/सूचना के आदान-प्रदान तथा अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती सहित सभी सम्भव सहायता प्रदान करती है।

[अनुवाद]

रॉ पैट्रोलियम कोक के मूल्य

660. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी तथा गुवाहाटी तेल शोधक कारखानों में रॉ पैट्रोलियम कोक के मूल्यों में विद्यमान समानता के स्थान पर इसके अलग-अलग मूल्य तय किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दोहरी मूल्य नीति लागू किए जाने के कारण बरौनी तेल शोधक कारखाने में रॉ पैट्रोलियम कोक का भारी भंडार जमा हो गया है;

(घ) यदि हां, तो इससे कैलसिड पैट्रोलियम कोक का उत्पादन करने वाले एस एस आई एककों के अस्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ). कच्चा पैट्रोलियम कोक (आर पी सी) एक मुक्त व्यापार उत्पाद है तथा इसका उत्पादन/विपणन करने वाली कंपनियों को उत्पाद बाजार निर्धारित मूल्य पर अनुमति दी गई है।

गैस का आवंटन

661. **श्री राम सिंह कस्वां** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राजस्थान सरकार की ओर से राज्य में प्राकृतिक गैस के आवंटन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). जी, हां। विद्युत क्षेत्र तथा औद्योगिक इकाइयों के लिए अतिरिक्त आवंटन हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं। उपलब्ध होने हेतु अनुमानित समूची गैस का आवंटन कर दिया गया है तथा अतिरिक्त आवंटन पर विचार करना व्यवहार्य नहीं है।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

662. **श्री राजेश कुमार** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के कुछ व्यक्तियों को जिन्होंने प्रासंगिक रिकार्डों के आधार पर सेवा प्रमाण-पत्र से समर्थित नौकरी चले जाने

के बारे में दस्तावेजों के साथ स्वतंत्रता सेनानी पेंशन हेतु आवेदन किया था, अभी तक स्वतंत्रता सेनानी पेंशन नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

लम्बित परियोजनाएं

663. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल की कौन-कौन सी परियोजनाएं योजना आयोग की स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं;

(ख) क्या इन परियोजनाओं को चालू योजना अवधि के दौरान स्वीकृति दी जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी कौन-कौन सी परियोजनाएं हैं जिन्हें चालू योजना के दौरान शुरू कर दिया जायेगा?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग). केरल की कोई भी परियोजना योजना आयोग में निवेश स्वीकृति हेतु लम्बित नहीं है।

नई योजनाएं

664. श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का निकट भविष्य में विशेष श्रेणी के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिये योजनाएं शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग का विचार वार्षिक योजना का पुनरीक्षण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (घ). सभी पिछली तीन वार्षिक योजनाएं (1992-93 से 1994-95) तैयार कर ली गई हैं और योजना प्रक्रिया के पुनराभिमुखीकरण और सुधार की आवश्यकता के संदर्भ में योजना दस्तावेज 1992-97 में दिए गए बल के अनुसार क्रियान्वित की जा रही हैं। तदनुसार इन वार्षिक योजनाओं को अन्तिम रूप देते समय उन कार्यक्रमों/स्कीमों पर जोर देने में पर्याप्त सावधानी बरती गई है, जो जनता के विभिन्न वर्गों के विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी श्रेणियों, महिलाओं, ग्रामीण और शहरी गरीबों और समाज के अन्य असुरक्षित वर्गों को शामिल करते हुए लाभ पहुंचाने सहित सामाजिक क्षेत्र को लाभान्वित करेंगे।

कमजोर तबकों के लिये नई योजनाएं

665. श्री हरिन पाठक : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों, निराश्रितों, विधवाओं और समाज के अन्य कमजोर तबकों के कल्याण के लिये कोई नई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समाज के सभी कमजोर तबकों को सामाजिक न्याय दिलाने और उनकी सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की दिशा में सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जाने हैं?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू) : (क) और (ख). ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) केन्द्र सरकार के अधीन सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के अलावा, कल्याण मंत्रालय समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा, कल्याण तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कई योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। इन महत्वपूर्ण योजनाओं/कार्यक्रमों में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना, अनुसूचित जनजातियों के लिए आदिवासी उप योजना, विशेष संघटक योजना और आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कों के लिए होस्टल, अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां, आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, आश्रम स्कूल, आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति लड़कियों के लिए कम साक्षर पाकेटों में शैक्षिक परिसर, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के आर्थिक विकास के लिए वित्त एवं विकास निगमों के कार्यान्वयन शामिल हैं।

विवरण

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्कों, विकलांगों व अन्यों के कल्याण के लिए तैयार की गई नई योजनाओं के ब्यौरे

क्र.सं.	योजना का नाम	संक्षिप्त विवरण
1.	आर्थिक मानदंड पर आधारित कमजोर वर्गों (अल्पसंख्यकों सहित) के लिए परीक्षापूर्व कोचिंग।	यह योजना कमजोर वर्गों के उन उम्मीदवारों को विभिन्न प्रतियोगी व प्रवेश परीक्षाओं में समान आधार पर प्रतियोगिता करने में समर्थ बनाने के लिए अभिप्रेत है जिनकी वार्षिक आय 24,000/- रुपये से अधिक नहीं है।
2.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम	इस निगम की स्थापना अल्पसंख्यकों में पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए आर्थिक और विकासात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देने हेतु की गई है। इसमें प्राथमिकता व्यावसायिक समूहों और महिलाओं को दी जाएगी। यह नियम अल्पसंख्यकों को स्व-रोजगार तथा अन्य उद्यमों की स्थापना के लिए रियायती वित्तीय सहायता देता है तथा उत्पादन एककों के उचित व प्रभावी प्रबन्धन के लिए उनके तकनीकी व उद्यमी कौशलों को बढ़ाने में भी सहायता प्रदान करता है।
3.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	इस निगम की स्थापना पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए आर्थिक और विकासात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देने और उनके तकनीकी व उद्यमी कौशलों के विकास में सहायता देने के लिए की गई है।
4.	राज्य आदिवासी विकास निगम को सहायता अनुदान	इसका उद्देश्य पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करना और आदिवासी उत्पाद, विशेषतः लघु वन उत्पादों को विपणन प्रदान करना है और आदिवासियों को निजी व्यापारियों के शोषण से सुरक्षा प्रदान करना है।
5.	आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	इस योजना का उद्देश्य आदिवासी युवकों को अपनी पसन्द के तीन अलग ट्रेडों में, जो प्रत्येक चार मास के होंगे प्रशिक्षण प्रदान करना और व्यावहारिक अनुभव द्वारा कौशल सीखने के लिए मास्टर शिल्पियों के साथ उन्हें सम्बद्ध करना है।
6.	आदिवासी क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास हेतु कम साक्षर पाकेटों में शैक्षिक परिसर	इस योजना में उन 48 आदिवासी बहुल जिलों में जहां आदिवासी महिला साक्षरता 2 प्रतिशत से कम है, आदिवासी लड़कियों को कक्षा 5 तक शिल्प/ व्यावसायिक शिक्षा के प्रावधान सहित प्रदान करने के लिए आवासीय शैक्षिक परिसरों की व्यवस्था है।
7.	विकलांग बच्चों के विशेष स्कूलों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना	इस योजना में विकलांगता के चार क्षेत्रों अर्थात अस्थि, वाणी और श्रवण, दृष्टि तथा मानसिक मंदता के क्षेत्र में विशेष स्कूलों की स्थापना और उनके उन्नयन के लिए व्यय के 90 प्रतिशत तक, गैर सरकारी संगठनों को सहायता की व्यवस्था है।
8.	बेसहारा बच्चों का कल्याण	इस योजना में उन बच्चों को, जो सड़कों पर या फुटपाथों पर अपने परिवार या उसके बिना रहते हैं, देखभाल, सुरक्षा और विकास के लिए समेकित समुदाय आधारित गैर संस्थागत मूल सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था है। यह योजना स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान देकर उनके माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।
9.	भिक्षावृत्ति निवारण	इस योजना में भिक्षुओं के पुनर्वास में सहायता देने के लिए आधुनिक तरीके से तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु कार्य केन्द्रों के स्थापना की व्यवस्था है।
10.	वयोवृद्धों का कल्याण	इस योजना में दिवा देखभाल केन्द्रों, वृद्धावस्था गृहों, सचल चिकित्सा कार्यक्रम आदि के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था है और यह स्वैच्छिक एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं।

[हिन्दी]

रसोई गैस के नकली सिलेंडर

666. **श्री लाल बाबू राय :**
श्री छेदी पासवान :
श्री राम कृपाल यादव :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में रसोई गैस के नकली सिलेंडरों को बड़ी संख्या में उपयोग में लाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष जब्त किए गए रसोई गैस के नकली सिलेंडरों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) बिहार राज्य में नकली एल पी जी सिलेंडर के किसी मामले का पता नहीं लगा है।

(ख) वर्ष 1994 के दौरान (अप्रैल-दिसम्बर, 1994) भरण संयंत्रों का पता लगाए गए नकली सिलेंडरों का राज्यवार ब्यौरा निम्नवत है :-

	राज्य	नकली सिलेंडरों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	399
2.	गुजरात	622
3.	हरियाणा	629
4.	जम्मू और कश्मीर	84
5.	कर्नाटक	14
6.	केरल	3
7.	मध्य प्रदेश	117
8.	महाराष्ट्र	984
9.	उड़ीसा	6
10.	पंजाब	1457
11.	राजस्थान	355
12.	तमिलनाडु	52
13.	उत्तर प्रदेश	1283
14.	पश्चिमी बंगाल	19
संघ राज्य क्षेत्र		
15.	दिल्ली	177

(ग) डिस्ट्रीब्यूटरों और परिवहनकर्त्ताओं आदि के पास नकली सिलेंडरों के परिचालन का पता लगाने के लिए, एल पी जी विपणन कम्पनियों के फील्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं। तथापि, जांच करने पर नकली सिलेंडरों का पता ज्यादातर भरण संयंत्रों पर लगता है, जहां इन्हें कुचल दिया जाता है और नष्ट कर दिया जाता है। जब परिवहनकर्त्ताओं और डिस्ट्रीब्यूटरों के कब्जे में नकली सिलेंडर पाए जाते हैं और वे इसे बेचते और परिचालित करते पाए जाते हैं, तो उन्हें चेतावनी जारी की जाती है और उनसे 1500/-रुपए प्रति नकली सिलेंडर की दर से दंड की वूसली की जाती है।

[अनुवाद]

कोयले की खोज

667. **श्री शंकरसिंह वाघेला : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में कोयले की खोज के संबंध में कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या कोयले की खोज के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान किसी क्षेत्र पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (घ). जी, नहीं। गुजरात सरकार ने गुजरात राज्य में कोयले का अन्वेषण किए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

[हिन्दी]

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा अर्जित लाभ

668. **प्रो. रीता वर्मा : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने 1993-94 के दौरान कितना लाभ अर्जित किया;

(ख) कोल इंडिया लि. बोर्ड ने भारत कोकिंग कोल लि. से संबंधित लेखों को किस तिथि को मंजूरी दी;

(ग) क्या 1993-94 के लिए भारत कोकिंग कोल लि. से संबंधित लेखों को कोल इंडिया लि. बोर्ड में दोबारा मंजूरी मिली; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान भारत कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि.)

द्वारा कमाए गए लाभ के संबंध में सूचना नीचे दी गई है :-

कोयला कीमत विनियमन लेखे (सी.पी.आर.ए.)	
से अंशदान	363.63 करोड़ रु.
घटाएं : वर्ष 1993-94 का घाटा	(-) 334.64 करोड़ रु.
वर्ष 1993-94 के लिए लाभ, जिसमें सी.पी.आर.ए. का अंशदान हिसाब में लिया गया हो, किन्तु पूर्ववर्ती अवधि के समायोजनों से पूर्व	28.99 करोड़ रु.
घाटाएं — पूर्ववर्ती अवधि के समायोजन	(-) 7.43 करोड़ रु.
निवल लाभ :	21.56 करोड़ रु.

(ख) कोल इंडिया लि. का निदेशक बोर्ड अपनी सहायक कंपनियों के लेखों की स्वीकृति नहीं करता है, जिसमें भा.को.को.लि. भी शामिल है।

(ग) और (घ). प्रश्न के भाग (ख) में दिए गए उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

कोयला प्रौद्योगिकियों का विस्तार और सुधार

669. **श्री अंकुशराव टोपे :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला प्रौद्योगिकियों के विस्तार और सुधार की दिशा में कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख). जी, हां। कोयला क्षेत्र में कोयले की प्रौद्योगिकी में सुधार करने, युक्तिसंगत तथा वैज्ञानिक रूप में अन्वेषण तथा कोयले के भंडारों का दोहन करने, परिष्करण तथा उपयोगिता आदि में सुधार किए जाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। ये उपाय एक निरन्तर प्रक्रिया के रूप में उठाए जा रहे हैं और इन्हें कार्याचालन दक्षता, उत्पादन, सुरक्षा, कोयले की गुणवत्ता, आदि के संबंध में सुधार लाए जाने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। इन उपायों के परिणामस्वरूप देश में कोयले के उत्पादन में वर्ष 1993-94 के वर्तमान 246.04 मि. टन के स्तर से आठवीं योजना के अंतिम वर्ष तक लगभग 300 मि. टन तक की वृद्धि हो जाने की संभावना है।

गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग

670. **श्री खोलन राम जांगडे :**
श्री छेदी पासवान :
श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की राज्यवार तथा संघ राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं;

(घ) इसके परिणामस्वरूप राज्यवार तथा संघराज्य क्षेत्रवार कितने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान लागू की जाने वाली गरीबी उन्मूलन योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) वर्ष 1987-88 के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या प्रतिशतता का अनुमान संलग्न विवरण-I दिया गया है।

(ख) वर्ष 1983-84 में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रतिशतता का अनुमान संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) गरीब व्यक्तियों की जीवन दशा में सुधार के लिए अनेक कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इसमें आय बढ़ाने वाले और रोजगार सृजन वाले कार्यक्रम शामिल हैं जैसे कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी), जवाहर रोजगार योजना (जे. आर.वाई.), नेहरू रोजगार योजना (एन.आर.वाई.) और प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.)। इन कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभों को विशिष्ट रूप से चिन्हित किया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जातियों (एस.सी.पी.) के लिए विशेष घटक योजना और जनजाति उप योजना (टीएसपी) क्रियान्वित की जा रही है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों को एक मुश्त लाभ उपलब्ध कराना है ताकि वे अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने/अपनी आय बढ़ाने और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में समर्थ हो सकें।

(घ) वर्ष 1983-84 और 1987-88 के लिए गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार अनुमान क्रमशः विवरण-III और विवरण-I में दिए गए हैं। ये अंतिम वर्ष है जिनके लिए अनुमान उपलब्ध हैं।

(ङ) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी), स्व रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (ट्रायसेम), ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास (डीडब्ल्यूसीआरए), जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएच) और मरुस्थल विकास कार्यक्रम जारी रखे जा रहे हैं।

विवरण–I

राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे व्यक्तियों की संख्या तथा प्रतिशतता 1987–88 (योजना आयोग अनुमान)

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण		शहरी		संयुक्त	
		सं. लाख	प्रति शतता	सं. लाख	प्रति शतता	सं. लाख	प्रति शतता
1.	आन्ध्र प्रदेश	153.1	33.8	42.6	26.1	195.7	31.7
2.	असम	50.4	24.5	2.5	9.4	92.9	22.0
3.	बिहार	3003.3	42.7	36.1	30.0	336.4	40.8
4.	गुजरात	56.2	21.2	17.1	12.9	73.3	18.4
5.	हरियाणा	13.5	11.7	4.7	11.7	18.2	11.6
6.	हिमाचल प्रदेश	4.4	9.7	0.1	2.4	4.5	9.2
7.	जम्मू व कश्मीर	8.4	15.5	1.4	8.4	9.8	13.9
8.	कर्नाटक	102.8	35.9	33.7	24.2	136.5	32.1
9.	केरल	37.4	16.4	11.6	19.3	49.0	17.0
10.	मध्य प्रदेश	194.0	41.5	30.9	21.3	224.9	36.7
11.	महाराष्ट्र	166.9	36.7	47.2	17.0	214.1	29.2
12.	उड़ीसा	124.2	48.3	10.9	24.1	135.1	44.7
13.	पंजाब	9.6	7.2	4.3	7.2	13.9	7.2
14.	राजस्थान	80.5	26.0	19.0	19.4	99.5	24.4
15.	तमिलनाडु	138.4	39.5	38.5	20.5	176.9	32.8
16.	उत्तर प्रदेश	373.1	37.2	75.2	27.2	448.3	35.1
17.	पश्चिम बंगाल	137.2	30.3	36.3	20.7	173.5	27.6
18.	लघु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	9.3	11.8	4.9	4.7	14.2	7.7
	अखिल भारत	1959.7	33.4	417.0	20.1	2376.7	29.9

टिप्पणी : (1) उपरोक्त अनुमान गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में 1973–74 की कीमतों पर 49.09 रु., जो प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 56.64 रु., जो प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी के अनुरूप है, का प्रयोग करते हुए निकाली गई है।

(2) 1987–88 के लिए गरीबी रेखा को अद्यतन करने के लिए सी एस ओ प्राइवेट उपभोक्ता डिफ्लेटर प्रयोग किए गए हैं।

(3) केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अपने राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में अनुमानित और एनएसएसओ से लिए गए कुल अखिल भारतीय प्राइवेट उपभोक्ता व्यय में अंतर को विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आनुपातिक रूप से समायोजित किया गया है।

(4) गरीबी रेखा से नीचे व्यक्तियों की संख्या एक मार्च, 1988 की जनसंख्या से संबंधित है।

(5) यह गणना घरेलू खपत व्यय पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण डाटा के 43 वें दौर की मसौदा रिपोर्ट पर आधारित है। (रिपोर्ट सं. 372 उपभोक्ता पर चतुर्थ पंचवार्षिक सर्वेक्षण पर रिपोर्ट एन एस एस ओ, जून, 1990)।

विवरण–II

गरीबी रेखा से नीचे व्यक्तियों की संख्या 1983–84

राज्य	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
आन्ध्र प्रदेश	51.0	43.3	48.4	43.3
असम	21.9	42.8	25.5	20.2
बिहार	71.1	52.2	64.9	39.8
गुजरात	39.9	19.3	52.1	56.6
हरियाणा	27.9	40.1	0	39.3
हिमाचल प्रदेश	23.5	11.7	7.5	11.5
जम्मू व कश्मीर	32.9	27.5	0	0
कर्नाटक	54.1	36.6	59.9	45.2
केरल	43.9	42.2	36.1	51.7
मध्य प्रदेश	59.3	45.8	67.1	34.0
महाराष्ट्र	55.9	44.8	58.7	41.3
उड़ीसा	54.9	40.3	68.9	52.8
पंजाब	21.8	33.0	15.4	47.1
राजस्थान	44.9	33.7	63.7	48.1
तमिलनाडु	59.4	54.5	50.9	51.1
उत्तर प्रदेश	57.3	46.3	45.8	24.3
पश्चिम बंगाल	52.0	41.3	58.6	33.1
अखिल भारतीय	53.1	40.4	58.4	39.9

विवरण–III

राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे व्यक्तियों की संख्या तथा प्रतिशतता 1983–84
(सरकारी तौर पर जारी किए गए अनुमान)

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण		शहरी		संयुक्त	
		सं. लाख	प्रति शतता	सं. लाख	प्रति शतता	सं. लाख	प्रति शतता
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	164.4	38.7	40.7	29.5	205.1	36.4
2.	असम	44.9	23.8	4.9	21.6	49.8	23.5
3.	बिहार	329.4	51.4	36.1	37.0	365.5	49.5
4.	गुजरात	67.7	27.6	19.9	17.3	87.6	24.3
5.	हरियाणा	16.2	15.2	5.5	16.9	21.7	15.6
6.	हिमाचल प्रदेश	5.8	14.0	0.3	8.0	6.1	13.5
7.	जम्मू व कश्मीर	8.1	16.4	2.2	15.8	10.3	16.3

0	1	2	3	4	5	6	7
8.	कर्नाटक	102.9	37.5	34.7	29.2	137.6	35.0
9.	केरल	55.9	26.1	15.6	30.1	71.5	26.8
10.	मध्य प्रदेश	218.0	50.3	36.9	31.1	254.9	46.2
11.	महाराष्ट्र	176.1	41.5	55.9	23.3	232.0	34.9
12.	मणिपुर	1.3	11.4	0.6	13.8	1.9	12.3
13.	मेघालय	3.9	37.7	0.1	4.0	4.0	28.0
14.	उड़ीसा	107.7	44.8	10.4	29.3	118.1	42.8
15.	पंजाब	13.7	10.9	10.7	21.0	24.4	13.8
16.	राजस्थान	105.0	36.6	21.2	26.1	126.2	34.3
17.	तमिलनाडु	147.6	44.1	52.6	30.9	200.2	39.6
18.	त्रिपुरा	4.6	23.5	0.5	19.6	5.1	23.0
19.	उत्तर प्रदेश	440.0	46.5	90.6	40.3	530.6	45.3
20.	पश्चिम बंगाल	183.9	43.8	41.2	26.5	225.1	39.2
21.	नागालैंड और सभी संघ राज्य क्षेत्र	17.9	47.4	14.4	17.7	32.3	27.1
	अखिल भारत	2215.0	40.4	495.0	28.1	2710.0	37.4

टिप्पणियां (1) उपरोक्त अनुमान ग्रामीण क्षेत्रों में 1983-84 की कीमतों पर 101.8 रु. प्रति माह पर गरीबी रेखा और शहरी क्षेत्रों के लिए 117.5 रु. की प्रति व्यक्ति प्रति माह जो 1973-74 के लिए क्रमशः 49.1 रु. और 56.6 रु. के अनुरूप है, का प्रयोग करते हुए लगाए गए हैं।

(2) गरीबी रेखा से नीचे व्यक्तियों की संख्या 1 मार्च, 1989 के जनसंख्या से संबंधित है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती

671. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शांत क्षेत्रों की तुलना में गड़बड़ी वाले क्षेत्रों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की बटालियनों की तैनाती पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है;

(ख) क्या शांत और गड़बड़ी वाले क्षेत्रों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की समुचित तैनाती संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की बटालियनें, कानून और व्यवस्था से सम्बन्धित ड्यूटी में राज्य सरकारों की सहायता के लिए, उनके अनुरोध पर तैनात की जाती है। इसके बाद होने वाले अवस्थिति वितरण के अंतर्गत ही इन बटालियनों का अशांत और अन्य क्षेत्रों के बीच रोटेशन सुनिश्चित किया जाता है।

[हिन्दी]

सिंचाई सुविधाएं

672. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात सरकार को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त सिंचाई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा चालू की जाने वाली सिंचाई योजनाओं का क्या ब्यौरा है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग). चूंकि सिंचाई राज्यों का विषय है इसलिए सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना वित्त पोषण और क्रियान्वयन करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। राज्य को

केन्द्रीय सहायता एकमुश्त ऋणों और एकमुश्त अनुदानों के रूप में प्रदान की जाती है जो किसी वैयक्तिक परियोजना अथवा विकास के क्षेत्र से जुड़ी नहीं होती है। योजना आयोग ने गुजरात की वार्षिक योजना 1994-95 में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए 597.65 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया है।

विश्व बैंक सहायता से सरदार सरोवर परियोजना के अलग हो जाने पर इस परियोजना को पूरी करने के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु 550 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की गई है।

दूरदर्शन और आकाशवाणी स्टूडियो, सूरत

673. श्री काशीराम राणा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सूरत रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन केन्द्र को सुसज्जित स्टूडियो बनाने हेतु कोई प्रस्ताव/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना, प्रसारण और पर्यटन विभाग, गुजरात सरकार से सूरत में पूर्ण सुसज्जित टी.वी./रेडियो केन्द्र उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ग) यद्यपि सूरत में स्थित रेडियो केन्द्र पहले से ही एक पूर्ण सुसज्जित रेडियो केन्द्र है। फिर भी, संसाधनों और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए सूरत में स्थित अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति ट्रांसमीटर में उन्नयन करने की परिकल्पना है। तथापि, सूरत में टी.वी. स्टूडियो सुविधा स्थापित करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

पीलीभीत में हत्याएं

674. श्रीमती सरोज दुबे :
डा. एस.पी. यादव :
श्री गुरुदास कामत :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा पीलीभीत की हत्याओं की घटना के बारे में अगस्त, 1991 में प्रस्तुत रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). पीलीभीत में हुई मौतों से जुड़ी घटना की जांच, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई थी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट पर, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि मौत के शिकार हुए प्रत्येक व्यक्ति के आश्रितों को 50,000/- रु. की दर से क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान कर दिया है।

रसोई गैस सिलेंडरों की सुरक्षा

675. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल कंपनियां रसोई गैस के सिलिंडरों की सुरक्षा रिकार्ड में सुधार करने में सफल नहीं हो पाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वर्तमान रसोई गैस सिलिंडरों में सुधार तथा इनको आधुनिकीकरण करने में क्या रुकावटें हैं; और

(ग) गैस वितरण करने वाली कम्पनियों द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). सरकारी तेल कंपनियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले रसोई गैस सिलिन्डरों को विद्यमान परिरूप प्रमाणित गुणवत्ता तथा उच्च सुरक्षा मानकों पर आधारित है। यह सिलिन्डर विविध अनुमोदित निर्माता इकाइयों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। यह सिलिन्डर बी आई एस (भारत मानक ब्यूरो) के विनिर्देशों के अनुसार निर्मित किए जाते हैं। प्रत्येक सिलिन्डर की भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जांच की जाती है तथा मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा सिलेन्डर में रसोई गैस भरने संबंधी दुरुस्ती के लिए प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।

(ग) रसोई गैस उपभोक्ताओं के प्रति संतोषजनक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकार तेल कंपनियों ने विविध कदम उठाए हैं, जैसे :-

1. सभी रसोई गैस वितरकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उपभोक्ताओं को सुपुर्द किए जाने वाले प्रत्येक सिलिन्डर की सुपुर्दगी-पूर्व जांच करें।
2. प्रमुख शहरों में आपात कालीन एवं उपभोक्ता सेवा कक्ष प्रचालित किए जा रहे हैं।
3. ग्राहकों की परेशानियों के निराकरण से संबंधित शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई की जा रही है।

स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं को कार्यान्वयन

676. श्री पी.सी. चाको : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को क्षेत्रों में स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में संसद सदस्यों की कठिनाइयों के बारे में बताया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ अलग से कोई कोष बनाने और दिशा निर्देशों में उपयुक्त संशोधन करने का निर्णय किया है ताकि सुचारूकृत योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). जी, हां। वर्ष 1994-95 के दौरान सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत निधियां जिलाधीशों की सौंपी गई हैं तथा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों में पहले ही उपयुक्त परिवर्तन कर दिये गये हैं। संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त संसद सदस्यों को पहले ही भेज दिए गए हैं।

भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के श्रमिकों की हड़ताल

677. श्री मोहन रावले : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबंधनों को उनके कामगारों के संघों से हड़ताल का नोटिस मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) बी पी सी एल और एच पी सी एल के श्रमिकों की हड़ताल को टालने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी पी सी एल) में विपणन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभी यूनियनों ने दीर्घ-अवधि मजदूरी समझौते और पदोन्नति नीति को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए हड़ताल नोटिस जारी किए। इसी प्रकार, दक्षिण क्षेत्र और विशाख रिफाइनरी के सिवा, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) की कुछ यूनियनों ने दीर्घ-अवधि समझौते में उत्पादकता को असंबद्ध करने की मांग करते हुए फरवरी, 1995 को हड़ताल नोटिस जारी किए। उप मुख्य श्रम आयुक्त (सी), नई दिल्ली द्वारा की गई समझौता बैठकों के बावजूद कर्मचारियों ने धीरे काम करो/नियमानुसार काम करो आंदोलन और 21.2.1995 को एक दिन की हड़ताल का सहारा लिया। हड़ताल के दौरान अधिकारियों की सहायता से अबाधित आपूर्तियां बनाई रखी गई।

दोनों कार्पोरेशनों में समाधान और दोनों पार्टियों की चर्चाओं के परिणामस्वरूप कर्मचारियों ने सामान्य कार्यभार संभाल लिया है।

कल्याण योजनाएं

678. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, विकलांगों तथा कमजोर वर्गों के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो योजनावार, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रवार किए गए आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन योजनाओं ने अपने लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति की है;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार 1995-96 में सिक्किम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, विकलांगों तथा कमजोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आवंटित की जाएगी?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू) : (क) से (च). कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, विकलांगों और कमजोर वर्गों के कल्याणार्थ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और स्वयंसेवी एजेंसियों के माध्यम से कई केन्द्र प्रायोजित तथा केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में वार्षिक योजना आवंटन योजना आयोग द्वारा योजनावार ढंग से किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ढंग से नहीं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त योजनाओं/प्रस्तावों के आधार पर धनराशि की निर्मुक्ति की जाती है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्यों के कल्याणार्थ सभी योजनाएं सिक्किम राज्य में भी कार्यान्वित की जाती हैं।

1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान योजनावार वार्षिक आवंटनों, लक्ष्यों एवं उपलब्धियों तथा त्रुटि के कारण, यदि कोई हो, को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

		1992-93				1993-94				1994-95			
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी के कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	संघटक योजना को केन्द्रीय सहायता	225.00	249.00	25.96 (लाख)	20.66 (लाख)	247.00	272.00	25.25 (लाख)	23.24 (लाख)	273.85	267.40 (लाख)	26.78 (लाख)	राज्य की विशेष संघटक योजना विशेष केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त है 20 सूत्री कार्यक्रम के 11-ए के अधीन वास्तविक लक्ष्य है।
2.	सी डी सी	20.00	22.07	5.35	5.35	22.00	29.34	6.1	6.1	22.00	21.80	5.5	
3.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	10.00	10.00	24000	47429	21.00	21.00	5000	6164	40.00	39.00	25000	
4.	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति का पुनर्वास	66.00	60.73	27618	15578	73.20	70.97	36989	23070	73.00	61.92	15000	नई योजना धीरे-धीरे चल रही है।
5.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	46.00	54.19	16.8 (लाख)	15.30 (लाख)	72.40	74.79	18.30 (लाख)	16.75 (लाख)	96.35	76.99	18.43 (लाख)	
6.	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	11.00	6.39	100000	99254	14.00	5.61	280000	168939	10.00	5.05	205000	राज्य सरकार से अपर्याप्त प्रस्ताव
7.	लड़कियों के होस्टल ह - होस्टल ई - इनमेट्स	5.33	5.33	104(ह) 5242(ई)	177(ह) 9547(ई)	6.00	6.00	200(ह) 10500(ई)	213(ह) 19452(ई)	6.20	80(ह)	4200(ई)	
8.	लड़कों के होस्टल	5.00	5.00	100(ह) 4964(ई)	200(ह) 10271(ई)	6.00	6.50	230(ह) 12000(ई)	101(ह) 7020(ई)	10.00	7.62	80(ह) 4200(ई)	जब बड़ी संख्या में होस्टलों के प्रस्ताव/ संस्वीकृति की गई, 1992-93 के लिए लक्ष्य पूर्व वर्षों के लक्ष्य के अनुसार।
9.	पुस्तक बैंक	5.00	0.67	90000	14002	5.60	3.33	40000	33120	3.50	2.76	20000	राज्य सरकार से अपर्याप्त प्रस्ताव
10.	कोचिंग तथा सम्बद्ध	1.75	1.71	8000	10198	2.00	1.74	8000	10000	2.00	1.40	8000	राज्य सरकार से अपर्याप्त प्रस्ताव
11.	नागरिक अधिकार	5.00	0.67	90000	14002	5.60	3.33	40000	33120	3.50	2.76	20000	संरक्षण एवं अत्याचार
12.	स्वैच्छिक संगठनों को	4.75	4.56	-	135	7.50	-	208	8.00	8.12	-	190	
13.	सहायता-नुदान	0.80	0.05		7 (अध्ययन) 1 प्र. का. 1 सेमिनार	0.80	0.17		25 (अध्ययन) 2 प्र.का. 11 सेमिनार	0.38	0.28	25 (अध्ययन) 2 (प्रशिक्षण कार्यक्रम) 12 (सेमिनार)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	0.55	0.22	1000	672	0.55	0.15	1000	334	100	0.61	1000	एस सी/एस टी छात्रों की मेरिट का उन्नयनअधिकतम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में योजना लागू नहीं की गई, इसलिए कमी रही
15.	आदिवासी उप योजना को विशेष केन्द्रीय	250.00	250.00	8.06 (लाख)	888 (लाख)	294.84	294.84	9 (लाख)	10.42 (लाख)	275.00	245.00	10.12 (लाख)	5.89 (लाख)
16.	अनुच्छेद	257 (1)	40.00	उपलब्ध नहीं		75.00	उपलब्ध नहीं				75.00	उपलब्ध नहीं	
17.	अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कों के छात्रावास (एच. छात्रावास)	2.67	2.67	निर्धारित नहीं	79(ह)	3.00	2.70	50(ह)	53(ह)	3.05	3.05	60(ह)	66(ह)
18.	अनुसूचित जनजाति लड़कियों के लिए छात्रावास (एच छात्रावास)	2.50	2.50	निर्धारित नहीं	62(ह)	3.00	2.64	50(ह)	52(ह)	3.05	3.05	6[illegible](ह)	42(ह)
19.	अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम स्कूल (एस-स्कूल)	2.00	2.00	निर्धारित नहीं	48(एस)	2.50	50(3)	64(एस)	2.50	2.50	60(एस)		18(एस)
20.	अनुसूचित जनजाति लड़कियों के लिए निम्न साक्षरता पॉकेटों में शैक्षिक परिसर 1993-94 से योजना शुरू हुई					1.25	1.25	10(सी)	23(सी)	1.85	1.46	10(सी)	18(सी)
21.	व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान	1.00	1.00	7 केन्द्र	7 केन्द्र	1.90	1.90	13 नए केन्द्र	15 केन्द्र	2.40	2.38	12 नए केन्द्र 22 पुराने केन्द्र	
22.	लघु वन उत्पादन	2.00	2.00	उ.न.	3.50	3.50	उ.न.	3.50	3.20	उ.न.			
23.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	3.55	3.55	उ.न.	4.03	4.03	4.75	3.97	उ.न.				
24.	अनुसंधान तथा प्रशिक्षण	1.05	1.05	14	14	11200	1.20	14	14	1.18	1.18	12	12
25.	विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	7.70	9.64	एन.ए.	8.15	10.40	एन.ए.	15.67	11.03	*एन.ए.			
26.	सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने/लगाने की योजना	7.50	7.09	एन.ए.	10.00	10.00	एन.ए.	14.00	11.64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27.	कुष्ठरोग मुक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	0.50	0.22	एन.ए.	0.40	0.40	एन.ए.	0.80	0.66	एन.ए.			
28.	विशेष स्कूल की स्थापना/उन्नयन के लिए संगठनों को सहायता	1.50	एन.ए.	1.50	0.10	एन.ए.	0.80	0.66	एन.ए.				
29.	प्रमस्तिष्काघात तथा मानसिक मंदता के लिए जनशक्ति विकास के लिए संगठनों को सहायता एन.ए. लागू नहीं	1.00	0.27	उ.न.	0.50	0.31	एन.ए.	0.30	0.16	एन.ए.			
30.	आर्थिक मानदण्ड पर आधारित पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग	0.0467	0.0467	200	200	0.50	1680	1680	1.29	–	3300	–	–
31.	एन इ सी एफ डी सी	–	–	–	–	100000	105000	–	–	100.00	85.33	–	–
32.	वृद्धजनों का कल्याण	1.06	1.0662 (1550) (4725) व ग. 217 (10850) दि.दि.के. स.चि.के. (9600) 112		3.06	3.06		*126 वृ.गृ व.ग. 157 (7850) (52800) स.चि.कें. 27	4.80	4.61	189 (3250) (129600) स.चि.के.		
33.		1.40	–	–	3.00	1.11	–	39 (11700) केंद्र	3.00	2.11	66 केन्द्र (19800)		
34.	किशोर समाज कुसमंजन का विवेध एवं नियंत्रण	5.00 (संवासी)	5.39	29000	–	5.00 (संवासी)	1.11	32000	– (संवासी)	3.00	2.42	32000	– राज्य सरकारों) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव न भेजने तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने के कारण
35.		0.20	0.206 कार्य केन्द्र		1.00	0.2318 कार्य केन्द्र		0.55	0.523 कार्य केंद्र				

वृ. गृ. – वृद्धावस्था गृह

दि.दि.कें. – दिवा देखभाल केन्द्र

स.चि.कें. –सघन चिकित्सा केन्द्र (कोष्ठक के आंकड़े लाभाग्राहियों की संख्या दर्शाते हैं)

पुलिस के काम–काज के विरूद्ध शिकायतें

679. कुमारी फ्रिडा तोपनो :
श्री जनार्दन मिश्र :

क्या **गृह मंत्री** 28 जुलाई, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 792 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुलिस के काम-काज के विरूद्ध शिकायतों की जांच के लिए एक विधिक निकाय की स्थापना करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि यह एक नीतिगत मसला है। इसलिए इस बारे में निर्णय लिए जाने के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

धनराशि आवंटन

680. श्री महेश कनोडिया : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में लघु उद्योगों हेतु और अधिक धनराशि आवंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान इस उद्देश्य हेतु आवंटित की गई धनराशि पिछली पंचवर्षीय योजना के दौरान आवंटित धनराशि से कम है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) ग्राम एवं लघु उद्योग (वी एस आई) सेक्टर के लिए योजना आवंटन बढ़ाने का गुजरात सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं हैं। लघु उद्योग वी एस आई के तहत एक उप सेक्टर हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) • जी, नहीं। गुजरात में वी एस आई सेक्टर के लिए आठवीं योजना परिव्यय 435. करोड़ रु. है जबकि सातवीं योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय केवल 130.23 करोड़ रु. का था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों का उत्पीड़न

681. श्री संतोष कुमार गंगवार :
डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के पुरुषों और महिलाओं पर उत्पीड़न और अत्याचार की कितनी घटनायें घटी;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान हुई घटनाओं की तुलना में यह संख्या अधिक है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग ने ऐसे मामलों पर कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ). जी, हां। 1994 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार/उत्पीड़न करने के 135 मामले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के ध्यान में आए हैं। इनमें से 15 मामलों की आयोग के मुख्यालयों/लखनऊ क्षेत्र कार्यालय द्वारा जांच कराई थी तथा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। शेष 120 मामलों की रिपोर्ट राज्य/जिला प्राधिकारियों से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मांगी गई है।

[अनुवाद]

विदेशी तेल कंपनियों के साथ करार

682. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने भारत में तेल के उत्पादन के लिए विदेशी तेल कंपनियों के साथ कोई करार किया है;

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिनके साथ ऐसे करार किए गए हैं;

(ग) किन क्षेत्रों में तेल उत्पादन का कार्य किया जाएगा; और

(घ) इन करारों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). जी, हां। ओ एन जी सी और भारत सरकार ने 1992 में प्रस्तावित निम्नलिखित मध्यम

आकार के क्षेत्रों के विकास के लिए संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्षेत्र	राज्य/बेसिन	परिसंघ
रावा	कृष्णा गोदावरी अपतट	बीडियोकान पैट्रोलियम लिमिटेड इंडिया, कंमाड पैट्रोलियम (इंडिया) प्राइवेट लि., रावा आयल (सिंगापुर) प्रा. लि. सिंगापुर
पन्ना मुक्ता	बम्बई अपतट	रिलायंस इंडिया, एनरान एक्सप्लोरेशन कं., यू एस ए
मध्य और दक्षिण तापी	—तदैव—	रिलायंस इंडिया, एनरान एक्स्प्लोरेशन कं., यू एस ए

(घ) ये क्षेत्र उत्पादन हिस्सेदारी करारों के अन्तर्गत विकसित किए जाएंगे। इन उद्यमों में ओ एन जी सी का 40 प्रतिशत हिस्सेदारी हित है। संयुक्त उद्यम सरकार को परियोजना से प्राप्त होने वाले पैट्रोलियम लाभ के हिस्से के अलावा सरकार को देय रायल्टी, उपकर और आयकर के साथ उत्पादन हिस्सेदारी करारों के अन्तर्गत क्षेत्र का विकास करेगा। गैस के मूल्य निर्धारण का आधार अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत सिद्धांत बनाये गए हैं। सरकार को परियोजना से संविदाकार के हिस्से के तेल के संबंध में अस्वीकृति का प्रथम अधिकार है। संविदाकार के ओ एन जी सी सहित सदस्यों को भारत सरकार को बेचे गए तेल में उनके हिस्से के लिए, तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर भुगतान किया जाएगा।

कलकत्ता दूरदर्शन के कार्यक्रम

683. **श्री हाराधन राय :**
श्री जायनल अबेदिन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कलकत्ता दूरदर्शन के दूसरे चैनल के कार्यक्रमों को आसनसोल तथा ब्रह्मपुर के टी.वी. रिले केन्द्र द्वारा रिले के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मैट्रो चैनल (डी.डी.-II) कार्यक्रमों को रिले करने हेतु मुर्शिदाबाद में एक अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने की परिकल्पना है। 1995-96 के दौरान इस ट्रांसमीटर के चालू होने पर, बशर्ते कि संसाधन और अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों, इस ट्रांसमीटर द्वारा बहरामपुर को डी.डी.-II कवरेज उपलब्ध करवाने की आशा है। तथापि, आसनसोल के लिए डी.डी.-II कार्यक्रमों का प्रसारण संसाधनों की भावी उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

तेल शोधक कारखाना

684. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास तेल शोधक कारखाने तथा इंडियन आयल ने तमिलनाडु में नागापट्टनम के निकट एक तेल शोधक कारखाने की स्थापना के लिए किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कारखाने की स्थापना कब तक हो जाएगी?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड (एम आर एल) और इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी) ने तमिलनाडु में नागपट्टनम के निकट एक इ ओ यू रिफाइनरी की स्थापना करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि व्यवहार्य पाया गया तो इस उद्देश्य के लिए एक संयुक्त उद्यम की स्थापना की जाएगी।

[हिन्दी]

सीसा रहित पैट्रोल का उपयोग

685. **श्री सत्यदेव सिंह :** क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन और भारत के अनेक वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सीसा रहित पैट्रोल को सीसायुक्त पैट्रोल से अधिक हानिकारक बताया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना पर पुनर्विचार करने वाली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). जी, नहीं। वैज्ञानिकों में इस पर आम सहमति है कि सीसा रहित पैट्रोल वांछनीय है बशर्ते कि पैट्रोल चालित वाहनों में उसके साथ-साथ कैटेलिटिक कन्वर्टर्स लगाए जाएं। सामान्यतया, सीसा रहित पैट्रोल में ऐरोमेटिक्स की मात्रा अधिक होती है, जो नुकसानदेह है अतः वाहनों में बिना कैटेलिटिक कन्वर्टर के ऐसे पैट्रोल का उपयोग वांछनीय नहीं है।

[अनुवाद]

"हल्ला बोल" आन्दोलन की जांच-पड़ताल

686. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में "हल्ला बोल" आन्दोलन के मामले की जांच-पड़ताल करने के लिए कोई समिति स्थापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समिति ने जांच-पड़ताल की है तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) सरकार ने "हल्ला बोल" आन्दोलन के मामले की जांच के लिए कोई समिति गठित नहीं की है।

(ख) से (च). प्रश्न नहीं उठते।

विज्ञापन दरों तथा प्रसारण शुल्क में वृद्धि

687. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्री तारा सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन पर प्रायोजित कार्यक्रमों के लिये विज्ञापन दरों और प्रसारण शुल्क में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों को अपने उत्पादों के दूरदर्शन पर विज्ञापन देने हेतु छूट देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग). उभरती हुई बाजार प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शन ने अपने दर कार्ड को तर्कसंगत बनाने संबंधी अपने चल रहे कार्यकलाप के एक भाग के रूप में 1 अप्रैल, 1995 से अपने वाणिज्यिक विज्ञापन दर ढांचे को संशोधित किया है, जिसके द्वारा कुछ श्रेणियों के मामले में दरों में वृद्धि की गई है।

(घ) और (ङ). लघु उद्योगों द्वारा दूरदर्शन को सीधे दिए गए विज्ञापनों के मामले में उन्हें 15 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

सफाई कर्मचारियों के लिए वित्त निगम

688. श्री मंगलराम प्रेमी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सफाई कर्मचारियों के लिए एक अलग वित्त निगम स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों के रहन-सहन के स्तर में सुधार लाने के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंगका बालू) : (क) और (ख). राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, सफाई कर्मचारियों सहित अनुसूचित जातियों के लाभ के लिए आय सृजक योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राज्य सरकारों को प्रदान की गई विशेष केन्द्रीय सहायता का भी 10 प्रतिशत उन योजनाओं के लिए निश्चित किया जाता है जो सफाई कर्मचारियों, चर्म शोधन करने वालों तथा अस्वच्छ व्यवसायों में लगे अन्य वर्गों को सीधा लाभ पहुंचाती हैं।

(ग) कल्याण मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों के लिए आम तौर पर तथा विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं तैयार की हैं। इन योजनाओं का कार्यान्वयन केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के रूप में किया जाता है। वे सभी योजनाएं, जो अनुसूचित जातियों को लाभ पहुंचाती हैं, सफाई कर्मचारियों को भी लाभ प्रदान करती हैं। केन्द्र सरकार ने सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और उन्हें वैकल्पिक सम्मानजनक व्यवसायों में पुनर्वासित करने की एक राष्ट्रीय योजना भी शुरू की है। इस योजना में प्रति लाभग्राही 50,000 रुपये तक की लागत की परियोजना के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से प्रशिक्षण और पुनर्वास की व्यवस्था है। इस योजना के लिए आठवीं योजना का आवंटन 464 करोड़ रुपये है, जिसमें से 131.70 करोड़ रुपये 1993-94 तक प्रदान किए गए थे। इसके अतिरिक्त 50.50 करोड़ रुपये 1991-92 के दौरान प्रदान किए गए थे। चालू वर्ष का बजट आवंटन 73 करोड़ रुपये है जिसमें से 62 करोड़ रुपये पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं। मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रयोजित योजना में उन छात्रों को, जिनके माता-पिता अस्वच्छ व्यवसायों में लगे हैं, सफाई कर्मचारियों, चमड़ा उतारने वालों, चमड़ा रंगने वालों और झाड़ू बरदारों, जिनका सफाई कार्य से परम्परागत संबंध रहा है, के बच्चों को मैट्रिक पूर्व शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने की व्यवस्था है। यह मंत्रालय स्वैच्छिक संगठनों को उन कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए सहायता अनुदान भी प्रदान करता है जो अनुसूचित जातियों के कौशलों को बढ़ाते हैं। सफाई कर्मचारी समुदाय से सम्बद्ध व्यक्ति भी इन कार्यक्रमों से लाभ उठाते हैं।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन 12 अगस्त, 1994 को किया गया था। यह आयोग सफाई कर्मचारियों के मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना की प्रगति की मानीटरिंग करेगा। यह सफाई कर्मचारियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उपायों का भी सुझाव देगा।

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

689. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन स्वीकृत करने हेतु भेजे गए मामलों में से कितने मामले केन्द्र सरकार के पास अभी भी विचाराधीन हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन दी गई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसे कितने मामले अस्वीकृत किए गए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की स्वीकृति के लिए बिहार राज्य के आवेदकों से अब तक प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों की जांच कर ली गई है और लिए गए निर्णयों से आवेदकों को कम से कम एक बार अवगत कराया जा चुका है।

(ख) 1992 से 1994 के दौरान बिहार के जिन व्यक्तियों को (विधवाओं आश्रित अविविहित/बेरोजगार पुत्रियों सहित) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन संस्वीकृत की गई, उनकी संख्या इस प्रकार है :-

वर्ष	उन मामलों की संख्या, जिनमें पेंशन स्वीकृत की गई
1992	141
1993	62
1994	73

(ग) अस्वीकृत दावों के संबंध में अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता। फिर भी, सरकार के निर्णय से क्षुब्ध आवेदक, समय-समय पर पुनरीक्षा याचिकाएं/प्रतिवेदन भेजते रहते हैं। ऐसी पुनरीक्षा याचिकाओं/प्रतिवेदनों की प्राप्ति और उनका निपटान एक अनवरत प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

खाद्य सुरक्षा

690. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान किए जाने संबंधी "वैकल्पिक नीतियों" पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने खाद्य सुरक्षा के संबंध में राज्य सरकारों के साथ कोई चर्चा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख). योजना आयोग लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने की एक "वैकल्पिक कार्य नीति" संबंधी एक प्रलेख तैयार करने की प्रक्रिया में है। विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। ब्यौरे अभी तैयार किए जाने हैं।

(ग) जी, नहीं। योजना आयोग ने खाद्य सुरक्षा पर राज्य सरकारों के साथ कोई विचार-विमर्श नहीं किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) योजना आयोग खाद्य सुरक्षा संबंधी प्रलेख को शीघ्र ही अंतिम रूप देगा और अंतिम निर्णय लेने से पहले संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करेगा। अंतिम निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

सरकारी उद्यमों का निजीकरण

691. **श्री पी. कुमारासामी :**
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 1995 के "इकॉनामिक टाइम्स" में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार उनके मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति ने तेल के सभी सरकारी उद्यमों के संपूर्ण निजीकरण की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय किया है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के शीर्ष प्रबंधकों तथा शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थानों से प्रमुख विशेषज्ञों को सम्मिलित करके राष्ट्रीय तेल उद्योग की पुनर्संरचना के संबंध में एक "नीति निर्धारण योजना दल" तैयार किया गया है। दल ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

फिल्म प्रभाग के लिए धनराशि

692. **श्री अनिल बसु** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान फिल्म प्रभाग के विकास विस्तार आदि के लिए कोई धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). आठवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् वर्ष 1992-92, 1993-94 और 1994-95 के दौरान विभिन्न स्कीमों के लिए अब तक फिल्म प्रभाग को आवंटित की गई धनराशि और उसके द्वारा उपयोग की गई धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान फिल्म प्रभाग को आवंटित और उसके उपयोग की गई धनराशि के ब्यौरे

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
1.	1992-93	637.00	643.25	251.96
2.	1993-94	432.00	194.94	150.45
3.	1994-95	300.00	395.00	*

* वर्ष के दौरान संशोधित अनुमान 94-95 में आवंटित राशि का उपयोग किए जाने की संभावना है।

कृष्णा गोदावरी बेसिन में पुलों तथा सड़कों का निर्माण

693. **श्री अनंतराव देशमुख :**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में पुलों तथा सड़कों के निर्माण के लिये राज्य सरकारों को अग्रिम/ऋण उपलब्ध कराने हेतु एक योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत अब तक कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

प्राकृतिक गैस का आवंटन

694. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर और इसके आस-पास के क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए प्राकृतिक गैस के आवंटन की अपनी मांग को दोहराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). जी, हां। एच बी जे पाइपलाइन से उपलब्धता हेतु अनुमानित गैस को पूर्णतः आबंटित कर दिया गया है। इस प्रकार मध्य प्रदेश के लिए अतिरिक्त आबंटन पर विचार करना व्यवहार्य नहीं है।

ओमान-भारत गैस पाइप लाइन परियोजना

695. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओमान-भारत गैस पाइप परियोजना में नई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या पाइप लाइन परियोजना के लिए शुरू किए गए मार्ग संबंधी सर्वेक्षण से आरम्भ में अभिकल्पित मार्ग से पूर्णतः अलग मार्ग के चयन की बात सामने आई है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा; और

(घ) इससे पैदा हुई समस्याओं को किस तरह सुलझाये जाने का विचार है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). ओमान आयल कंपनी ने परियोजना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन आरंभ किया है। व्यवहार्यता अध्ययन में विस्तृत सर्वेक्षण के बाद मार्ग का चयन और बकाया प्रौद्योगिकीय समस्याओं का समाधान शामिल है।

सिंचाई परियोजना

696. **श्री सी.पी. मुडलगिरियप्पा** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने चालू सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार और अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्पर्क किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). जी, हां। कर्नाटक सरकार ने वृहद सिंचाई परियोजनाओं के लिए अनुदान/सोफ्ट ऋण के रूप में 500 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता को स्वीकृति के लिए फरवरी, 1995 में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है। कर्नाटक सरकार ने अपर कृष्णा परियोजना के लिए निजी विदेशी वित्तपोषण प्राप्त करने हेतु अनुमति प्रदान करने के वास्ते भी फरवरी, 1995 में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है।

विदेशी निवेश मीडिया परियोजनाएं

697. श्री श्रीकान्त जेना : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय विदेशी मीडिया मालिकों ने विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की कतिपय परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) इससे घरेलू मीडिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में नशीली दवाओं का सेवन

698. डा. साक्षीजी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल, 1993 से 1 मार्च, 1995 की अवधि के दौरान नशीली दवाओं के सेवन के कितने मामलों का पता चला;

(ख) इस संबंध में अन्य राज्यों की तुलना में इस राज्य की क्या स्थिति है;

(ग) राज्य में इस समय कितने नशामुक्ति केन्द्र कार्य कर रहे हैं; और

(घ) इस अवधि के दौरान राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंगका बालू) : (क) उत्तर प्रदेश में इस मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित परामर्श और निर्व्यसन सह पुनर्वास केन्द्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार इन केन्द्रों में 1 अप्रैल 1993 से सितम्बर, 1994 तक 35,942 स्वापक व्यसनी पंजीकृत किए गए।

इस संबंध में अक्तूबर, 1994 से लेकर मार्च, 1995 तक के आंकड़े इस मंत्रालय द्वारा इन केन्द्रों से अभी प्राप्त होने हैं।

(ख) 1993-94 और 1994-95 (सितम्बर, 1994 तक) के दौरान इन केन्द्रों में पंजीकृत स्वापक व्यसनियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) इस समय उत्तर प्रदेश में 13 निर्व्यसन-सह-पुनर्वास केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(घ) नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए वित्तीय सहायता केन्द्र सरकार द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की जाती है, राज्य सरकारों को नहीं। 1993-94 और 1994-95 के दौरान इस प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में गैर सरकारी संगठनों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता की राशि इस प्रकार है :-

1993-94	79,49,247 रुपए
1994-95	53,91,862 रुपए (फरवरी, 95 तक)

विवरण

कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित परामर्श और निर्व्यसन-सह-पुनर्वास केन्द्रों द्वारा यथासूचित स्वापक व्यसनियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	1993-94	1994-95 (सितम्बर, 94 तक)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1327	1079
2.	असम	338	296
3.	बिहार	14446	8167
4.	गोवा	1223	621
5.	गुजरात	10800	5600
6.	हरियाणा	12718	6464
7.	जम्मू और कश्मीर	198	63
8.	कर्नाटक	1830	2019
9.	केरल	12557	6381
10.	मध्य प्रदेश	6240	4154
11.	महाराष्ट्र	7387	2246
12.	मणिपुर	3407	1791
13.	मेघालय	—	—
14.	मिजोरम	2274	439
15.	नागालैंड	1034	433
16.	उड़ीसा	6507	2158
17.	पंजाब	17576	7772
18.	राजस्थान	5395	2453

1	2	3	4
19.	सिक्किम	344	91
20.	तमिलनाडु	5367	2147
21.	त्रिपुरा	352	183
22.	उत्तर प्रदेश	21855	14087
23.	पश्चिम बंगाल	13013	3535
संघ राज्य क्षेत्र			
1.	चंडीगढ़	1007	442
2.	दिल्ली	21927	12540
3.	पांडिचेरी	712	344

दिल्ली में अपराध

699. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994 के दौरान तथा 1995 में अब तक दिल्ली में अपहरण, चोरी तथा डकैती की कितनी घटनाएं हुई;

(ख) डकैतों द्वारा मार दिए गए तथा घायल कर दिए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) पकड़े गए तथा पुलिस मुठभेड़ में मारे गए डकैतों की संख्या कितनी है; और

(घ) कितने अपहृत व्यक्तियों को छुड़ाया गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) दिल्ली में वर्ष 1994 और 1995 (28.2.95 तक)) के दौरान दर्ज किए गए मामलों की संख्या निम्न प्रकार है :-

वर्ष	अपहरण	चोरी	डकैती
1994	260	13490	19
1995	42	2386	5

(ख) 1.1.1994 से 28.2.1995 तक की अवधि के दौरान डाकुओं द्वारा चार व्यक्ति मारे गए और 10 व्यक्ति घायल किए गए।

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान हुई मुठभेड़ों में 93 डाकू पकड़े गए और डाकुओं को मुठभेड़ में मार गिराया गया।

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान दर्ज हुए पक्के मामलों में 102 अपहृत व्यक्तियों को छुड़ाया गया।

[अनुवाद]

मंडल आयोग की सिफारिशें

700. श्री अर्जुन सिंह यादव :
श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंडल आयोग की सिफारिशों को राज्यों द्वारा लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों को किन-किन राज्यों ने लागू कर दिया है; और

(ग) शेष राज्य इन सिफारिशों को कब तक लागू कर देंगे?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोयले पर रायल्टी

701. श्री अन्ना जोशी : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले पर रायल्टी तय करने के लिए क्या मानदंड और दरें हैं;

(ख) रायल्टी की वर्तमान दरों के तय होने के बाद सरकार द्वारा कोयले के मूल्य कितनी बार बढ़ाए गए;

(ग) क्या सरकारों को राज्य से कोयले की कीमतों के साथ-साथ रायल्टी बढ़ाने का भी कोई प्रस्ताव मिला है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (अजित पांजा) : (क) कोयले पर रायल्टी की दरों का निर्धारण करते समय सरकार द्वारा मुख्यतः निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाते हैं—(i) कि ये देशीय कोयले के संसाधानों के विकास तथा संरक्षण के लिए युक्तिसंगत हैं, (ii) कि ये कोयला उपभोक्ताओं, जिसमें कोयला आधारित उद्योग शामिल हैं, के हितों को ध्यान में रखते हैं, तथा (iii) कि ये कोयला उत्पादक राज्यों के साथ उचित राजस्व प्रदान करते हैं। अंतिम बार कोयले पर रायल्टी की दरों में संशोधन 11.10.1994 को किया गया था, जिसके अंतर्गत औसत दर को 70/- रु. प्रति टन से बढ़ाकर 86.40 प्रति टन कर दिया गया था।

(ख) कोयले की कीमतों में दिनांक 11.10.1994 के बाद संशोधन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ). राज्य सरकारें, कोयले पर रायल्टी का यथामूल्य आधार पर निर्धारण किए जाने के संबंध में अभ्यावेदन करती रही हैं। किन्तु सरकार द्वारा *सिफारिश किए जाने पर सहमति व्यक्त नहीं की है।

*गठित किए गए अध्ययन दल ने कोयले की रायल्टी की दरों में

विदेशी प्रसारण माध्यम

702. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी प्रसारण कंपनियों ने भारत में कार्य हेतु सरकार के पास आवेदन दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त हुए आवेदनों का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेशी प्रसारण कंपनियों के संचालन से भारत की अस्मिता और संस्कृति को सरकार किस प्रकार सुरक्षा प्रदान करेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). मौजूदा कानून के अनुसार किसी विदेशी प्रसारक को भारत से प्रसारण करने की अनुमति नहीं है। तथापि, कुछ विदेशी कम्पनियों ने दूरदर्शन के साथ सहयोग करने हेतु स्वयं रूचि दिखाई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भीख मांगना

703. श्री अरविन्द त्रिवेदी : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भीख मांगने के कारणों का पता लगाने तथा भीख मांगने वालों को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू) : (क) और (ख). भिक्षावृत्ति के कारणों की पहचान करने की योजना चलाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, कल्याण मंत्रालय भिक्षुकों की देखभाल, चिकित्सा और पुनर्वास के लिए भिक्षावृत्ति निवारण की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। योजना 1992-93 के दौरान प्रारंभ हुई थी। इस योजना का उद्देश्य भिखारियों को तकनीकी शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाओं का सृजन करना है और उन्हें उत्पादन कार्यों में लगाना है ताकि समाज में उनके पुनः एकीकरण को सरल बनाया जा सके।

यह योजना राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा स्थापित किए गए भिखारियों के विभिन्न प्रकार के संस्थानों में कार्य केन्द्रों के विचार से चलाई गई थी। इस संबंध में मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को 100 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है। भिक्षावृत्ति निवारण के लिए राज्य में किसी कानून के अधीन मान्यता प्राप्त/लाइसेंस धारी/प्रमाणित कोई भी स्वैच्छिक संगठन भिखारियों के पुनर्वास के लिए कार्य केन्द्रों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता पाने के पात्र है।

(ग) चूंकि यह योजना 1992-93 से प्रारंभ की गई है इसलिए भिक्षावृत्ति के कारणों की पहचान करने के लिए किसी नई योजना को अलग से तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तेल की खोज हेतु राशि

704. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम गुजरात राज्य में तेल की खोज शुरू करने के लिए आर्थिक संसाधनों की कमी का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार का विचार तेल की खोज के लिए और धनराशि उपलब्ध कराने का है;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए निजी एर्जेसियों को आमंत्रित करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). विभिन्न अन्वेषण बोली दौरों के अंतर्गत सरकार, गुजरात सहित विभिन्न बेसिनों में अन्वेषण के लिए ब्लाकों को निजी कंपनियों को देती है।

फरक्का बराज

705. श्री जायनल अबेदिन : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बराज का एक गेट हाल ही में ढह गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके ढह जाने के कारणों का सही ढंग से पता लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त गेट की मरम्मत कर दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर कितना खर्चा हुआ; और

(च) बराज के अन्य गेटों के संबंध में क्या सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). जी, हां। संरचनात्मक, विफलता, के कारण द्वार ढ़ह गया था जो कि एक असाधारण घटना थी।

(घ) क्षतिग्रस्त द्वार की मरम्मत नहीं की जा सकती है। इसके स्थान पर एक नये द्वार निर्माण किया जा रहा है।

(ङ) क्षतिग्रस्त द्वार को निकालने और इसके स्थान पर नए द्वार को लगाने के कार्य की अनुमानित लागत 17.00 रुपए है जिसमें नए द्वार की लागत शामिल नहीं है।

(च) अन्य द्वारों की जांच की गयी है तथा सामान्य टूट-फूट के सिवाय कोई दोष नहीं पाया गया है।

नदियों की जल क्षमता

706. श्री एन. डेनिस : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न नदियों की जल क्षमता का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो कितने जल का उपयोग किया गया और कितना जल बेकार गया; और

(ग) बेकार गये जल को काम में लाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं/प्रस्तावित हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं। तथापि, केन्द्रीय जल आयोग ने भारत की जल संसाधन क्षमता के पुनर्आकलन पर मार्च, 1993 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जो जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 1989 में गठित समिति द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है। देश की कुल औसत जल संसाधन क्षमता का पुनर्आकलन 1869 घन किमी लगाया गया है।

(ख) स्थलाकृति विज्ञान, जल वैज्ञानिकी और अन्य बाधाओं के कारण, वार्षिक पुनर्भरणीयभूजल संसाधन, जो लगभग 450 घन किमी हैं, के अलावा उपयोज्य सतही जल का आकलन 690 घन कि. मी किया गया है। 1991 में जल (सतही और भूजल) का उपयोग लगभग 552 घन किमी था इस प्रकार 588 घन किमी. उपयोज्य जल का उपयोग नहीं किया गया।

(ग) उपयोज्य जल की उपलब्धता अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए सरकार ने अधिक जल वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल का अंतरण करने के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार किया है। इस परिप्रेक्ष्य में दो घटक हैं अर्थात् हिमालयी नदी विकास घटक और प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण प्रत्येक घटक में बड़ी नदियों को आपस में जोड़ने पर विस्तृत अध्ययन करने के कार्य में लगा है। हिमालयी नदी विकास घटक के अंतर्गत कुल 15 जल अंतरण सम्पर्कों तथा प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के अंतर्गत 17 जल अंतरण सम्पर्कों का पता लगाया गया है। प्रायद्वीपीय नदी घटक के अंतर्गत अब तक 13 सम्पर्कों को प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्टें पूरी कर ली गई। हिमालयी नदी विकास के लिए भी अध्ययन प्रारंभ किए गए हैं।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम के कुएं में आग

707. श्री गुरुदास कामत :
कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम के पास अपने कुंओं में लगी आग को बुझाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और उपकरण नहीं हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम आन्ध्र प्रदेश में पसारलापुड़ी में तेल के कुंए में लगी आग को बुझाने में असफल रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपाय किए गये हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय' के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। आग 10.3.95 को बुझा दी गई थी और 14.3.95 कुएं को बंद कर दिया गया था।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बाढ़ नियंत्रण योजनाएं

708. श्री प्रेम चन्द राम :
श्री लाल बाबू राय :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में बाढ़ों को रोकने की कोई योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने इन योजनाओं की स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं पर कितना खर्च होगा;

(ङ) 1993-94 और 1994-95 के दौरान बाढ़ नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(च) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार बाढ़ नियंत्रण उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बिहार को अतिरिक्त धन देने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (घ). बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का अन्वेषण, आयोजन और क्रियान्वयन मुख्य रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। केन्द्र उन कार्यों में सहायता प्रदान करता है जो तकनीकी, उत्प्रेरक और उन्नयन प्रकृति के होते हैं।

(ङ) से (छ). वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान राज्य योजना के अंतर्गत आवंटित की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। इसके अतिरिक्त जल संसाधन मंत्रालय के चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 1994-95 के दौरान केंद्रीय योजना के अंतर्गत "उत्तरी बिहार में बाढ़ प्रूफिंग कार्यक्रम" के लिए 1.3 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है।

विवरण

वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान राज्य योजना के अंतर्गत आवंटित की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993-94 अनुमोदित परिव्यय	1994-95 अनुमोदित परिव्यय
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	62.66	55.15
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.43	2.50
3.	असम	15.00	19.80
4.	बिहार	27.00	68
5.	दिल्ली	10.00	12.00
6.	गोवा	0.30	0.40
7.	गुजरात	1.60	1.60
8.	हरियाणा	8.88	9.08
9.	हिमाचल प्रदेश	1.32	1.32
10.	जम्मू व कश्मीर	8.76	10.07
11.	कर्नाटक	9.98	12.10
12.	केरल	13.00	15.00
13.	मध्य प्रदेश	0.40	1.00
14.	महाराष्ट्र	0.61	0.53
15.	मणिपुर	4.28	3.61
16.	मेघालय	1.00	1.00
17.	मिजोरम	0.09	0.00
18.	नागालैंड	0.15	0.25
19.	उड़ीसा	5.00	7.00
20.	पंजाब	11.24	15.65
21.	राजस्थान	5.78	6.99
22.	सिक्किम	0.12	0.12
23.	तमिलनाडु	0.60	1.27
24.	त्रिपुरा	2.20	2.00
25.	उत्तर प्रदेश	9.00	8.00
26.	पश्चिम बंगाल	15.00	36.00
	कुल	215.40	267.12
27.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0.01	0.30
28.	चंडीगढ़	0.00	0.00
29.	दादर व नगर हवेली	0.06	0.00
30.	दमन व द्वीव	0.30	0.35
31.	लक्षद्वीप	1.50	1.55
32.	पांडिचेरी	1.26	2.75
	कुल	3.13	4.95

[अनुवाद]

वैद्यनाथन समिति

709. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :
श्री राम नाईक :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** 14 दिसम्बर, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1108 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकारी दल ने वैद्यनाथन समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर अपनी रिपोर्ट भेज दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग). जी, हां। मुख्य सिफारिशों में जल दरों का निर्धारण आधार, गैर-सिंचाई उपयोग के लिए जल दर, सिंचाई जल प्रभारों का मियादी संशोधन, सिंचाई प्रबंधन को उपभोक्ता कृषकों को अंतरित करने को प्रोत्साहन और जल प्रभारों की अग्रिम अदायगी आदि मुद्दे शामिल हैं। "अधिकारियों के दल" की सिफारिशों के साथ जल कीमत निर्धारण समिति की रिपोर्ट सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों को परिचालित कर दी गई है।

संविधान के अनुसार सिंचाई राज्यों का विषय है, अतः उपर्युक्त सिफारिशों का क्रियान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ही किया जाना है।

लिट्टे उग्रवादी

710. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में हाल ही में जेल तोड़कर भाग निकलने की घटना का ब्यौरा क्या है, जिसमें लिट्टे के कुछ सदस्यों के भाग निकलने का समाचार है;

(ख) क्या इस घटना की कोई जांच करायी गयी है;

(ग) यदि हां, तो निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भगोड़ों को पकड़ लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो लिट्टे के कितने सदस्य फरार हैं और जेल तोड़कर भागने से इन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) आपराधिक मामलों में अंतर्ग्रस्त 9 लिट्टे उग्रवादी 27 फरवरी, 1995 को मद्रास सेन्ट्रल जेल से भाग गए।

(ख) और (ग). तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया है।

(घ) और (ङ). लिट्टे के 9 उग्रवादियों में से दो को पुनः गिरफ्तार किया गया है, दो ने आत्महत्या कर ली है और 5 अभी फरार हैं। भगोड़ों को पकड़ने के लिए तमिलनाडु सरकार ने स्पेशल तलाशी दल गठित किया है। तटीय क्षेत्रों में और राज्य में सतर्कता बढ़ा दी गई है। नौसैनिक और तट रक्षक प्राधिकारियों को समुद्री गश्त बढ़ाने के निदेश दिए गए हैं।

[हिन्दी]

गुजराती कार्यक्रम

711. श्री एन.वी. राठवा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में आकाशवाणी और दूरदर्शन पर गुजराती कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु कितना समय आवंटित किया गया है;

(ख) अन्य कार्यक्रमों विशेष रूप से आदिवासी लोगों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए आवंटित समय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी/दूरदर्शन पर गुजराती और आदिवासी लोगों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए आवंटित समय में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). यद्यपि कोई भाषा-वार आवंटन नहीं किया जाता, गुजरात में स्थित आकाशवाणी केन्द्रों/दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारित टेलीकास्ट किए गए गुजराती तथा अन्य भाषाओं के कार्यक्रमों की अवधि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ). विभिन्न भाषाओं में प्रसारित/टेलीकास्ट किए जाने वाले कार्यक्रमों की अवधि को पर्याप्त समझा जाता है।

विवरण

गुजरात से विभिन्न भाषाओं में प्रसारित/टेलीकास्ट किए जाने वाले कार्यक्रमों की अवधि

भाषा	दूरदर्शन केन्द्र अहमदाबाद (मिनट प्रति सप्ताह में)	दूरदर्शन केन्द्र राजकोट	आका. अहमदाबाद (घंटे प्रति मास में)		आका. राजकोट		आका. भुज		आका. सूरत (घंटे प्रति मास में)		आका. गोदरा (घंटे प्रति मास में)		आका. आहवा (घंटे प्रति मास में)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9	
गुजराती	1340	150	घं.	मि.	घ.	मि.	घ.	मि.	घ.	मि.	घं.	मि.	घ.	मि.
(संगीत सहित)	15		287	20	227	30	205	30	90	—	70	55	79	—
सिंधी	15	—	12		—		8	40	2	—			1	
हिन्दी	-	-	51	35	6	-	3	40	2	-	-	-	1	30
संस्कृत	—	—	1	30	1	—	1 तिमाही में 15 मि.	—	—	—	—	—	—	
अंग्रेजी	15	—	2	55	2	—	30	30	—	—	—	—	—	
उर्दू		—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
जनजातीय	एक महीने में 30 मि.	—	7	30	—	—	—	—	9	—	2	10	16	—
कांची (बोली)	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—

उपग्रह चैनल (डीडी-6) के माध्यम से प्रतिदिन 10 से 11 घंटे की अवधि के लिए गुजराती में कार्यक्रम टेलीकास्ट किए जाते हैं। ये डिश एन्टेना के माध्यम से समग्र देश में उपलब्ध हैं। दूरदर्शन के विभिन्न कार्यक्रमों में जनजातीय संस्कृति और कल्याणकारी कार्यकलापों के बारे में भी कार्यक्रम टेलीकास्ट किए जा रहे हैं।

आकाशवाणी वडोदरा एक वाणिज्यिक प्रसारण केन्द्र है और इसके द्वारा प्रतिदिन 45 मिनट की अवधि के लिए गुजराती सुगम संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से ग्रामीण दर्शकों के लिए भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जिन जनजातीय लोगों के लिए कार्यक्रम भी शामिल होते हैं।

[अनुवाद]

संयुक्त उद्यम

712. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :**
श्री शिव शरण वर्मा :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इंडियन आयल कारपोरेशन (आई.ओ. सी.) हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन (एच.पी.सी.एल.) तथा भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल) के बीच हुए समझौते के परिणामस्वरूप विदेशी भागीदार/भागीदारों के साथ मिल कर तेल की खोज के क्षेत्र में प्रवेश करने हेतु एक नई कंपनी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस संबंध में किसी विदेशी भागीदार/भागीदारों का चयन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने अन्वेषण और उत्पादन क्रियाकलापों के लिए निजी कंपनियों और जनता की भागीदारी सहित निजी कंपनी के रूप में, संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने का सिद्धांत रूप में निर्णय ले लिया है। इसका ब्यौरा अभी तैयार किया गया है।

[हिन्दी]

रसोई गैस की कमी

713. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने रसोई गैस की कमी का पता करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को किन-किन क्षेत्रों में रसोई गैस की कमी के संबंध में सूचना मिली है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). तेल कंपनियां प्रत्येक रिफाइनरी/भरण संयंत्र की आपूर्ति और मांग स्थिति की दैनिक आधार पर निगरानी कर रही हैं। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर के समन्वयक और राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग भी राज्य में एल पी जी की उपलब्धता की समय-समय पर समीक्षा करते हैं।

देश में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के यहां सूचीबद्ध विद्यमान एल पी जी उपभोक्ताओं की मांग को पूर्णतया पूरा किया जा रहा है। कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं, औद्योगिक संबंधों की समस्याओं , बाढ़ आदि के कारण जब भी एल पी जी के बैकलाग उत्पन्न होते हैं, तो तेल कंपनियां बढ़ाए गए घंटों और रविवार व अवकाश के दौरान एल पी जी भरण संयंत्रों के प्रचालन और वैकल्पिक स्रोतों से आपूर्ति को बढ़ाने के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक उपाय करती हैं और बैकलाग को समाप्त करती हैं।

[अनुवाद]

पैट्रोल का खुदरा बिक्री केन्द्र

714. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :** क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पैट्रोल पम्प खोलने का है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). अतिरिक्त खुदरा बिक्री डीलरशिप खोलने के लिए केरल सहित देश के सभी भागों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। उद्योग के व्यहार्यता मानकों के अनुसार केरल के लिए 1988-93 की खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना में 38 खुदरा बिक्री केन्द्र स्थानों को शामिल किया गया है, जिनके लिए चयन का कार्य तेल चयन बोर्ड (केरल और लक्षद्वीप) के माध्यम से किया जा रहा है। 1993-96 की विपणन योजना में 43 डीलरशिप प्रस्ताव शामिल किए गए हैं।

टाडा की समीक्षा

715. **श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट ने टाडा कानून के दुरुपयोग करने के लिए इसकी भर्त्सना की है तथा भारत सरकार से इसकी समीक्षा करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में टाडा के तथाकथित दुरुपयोग का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) मानवधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न निकायों की रिपोर्टों में टाडा का उल्लेख किया गया है। तथापि, संयुक्त राष्ट्र संघ के निकायों द्वारा केवल टाडा के मुद्दे पर कोई विशिष्ट रिपोर्ट का उल्लेख किये जाने की सूचना नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

कोयले की मांग और पूर्ति

716. **श्री शंकरसिंह वाघेला** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में प्रतिवर्ष कितने कोयले की आवश्यकता होती है और कितना कोयला सप्लाई किया जाता है;

(ख) क्या सरकार ने 1994-95 के दौरान राज्य की पूरी मांग को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) देश में कोयले की आवश्यकताओं का मूल्यांकन उद्योग/क्षेत्र-वार किया जाता है। इनका मूल्यांकन राज्य-वार नहीं किया जाता है। कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) द्वारा कोयले की आपूर्ति संबंद्ध प्रायोजन प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रायोजनों के अनुसार उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम के आधार पर की जाती है। विद्युत तथा सीमेंट उद्योग के लिए आपूर्ति इन क्षेत्रों के लिए स्थायी संयोजन समिति द्वारा स्थापित अल्पावधि संयोजन के आधार पर की जाती है। को.इं.लि. के के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार को.इं.लि. के अंतर्गत कोयला कंपनियों द्वारा अप्रैल-दिसम्बर, 1994 की अवधि के अनुसार गुजरात के उपभोक्ताओं को 111.91 लाख टन कोयले की आपूर्ति की गई।

(ख) और (ग). कोयला कंपनियों को सभी उपभोक्ताओ को, जिसमें गुजरात में स्थित उपभोक्ता भी शामिल हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए वैध कार्यक्रम के अनुसार पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति किए जाने को सुनिश्चय करने हेतु निर्देश दे दिए गए हैं। किन्तु कोयला/कोक में किसी तरह का अतिरिक्त आवंटन किए जाने संबंधी अनुरोध कर प्रत्येक मामले में गुणावगुण आधार पर विचार/जांच की जाती है। वर्तमान में को.इं.लि. साफ्ट कोक/हार्ड कोक को छोड़कर गुजरात की अकोककर कोयले की संपूर्ण मांग को अधिकांशतः पूरा किए जाने की स्थिति में है। इसके अलावा, उदारीकृत बिक्री-योजना के अंतर्गत अनेक कोलियरियों से कोयले की आपूर्ति किए जाने की पेशकश की जा जा रही है और इस योजना के अंतर्गत कोयले की आपूर्ति बिना किसी संयोजन/प्रयोजन के की जाती है। इस योजना के अंतर्गत थोक तथा छोटे व्यापारियों को भी कोयले की आपूर्ति की जा रही है, जोकि लघु उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

[हिन्दी]

विज्ञापनों पर व्यय

717. **प्रो. रीता वर्मा** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और यदा कदा निकलने वाली पत्रिकाओं में विज्ञापनों के प्रकाशन पर भारत कोकिंग कोल लि. ने कितनी धनराशि व्यय की;

(ख) क्रमशः बिहार और बिहार से बाहर के ऐसे कितने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में विज्ञापन जारी किए गए;

(ग) उक्त अवधि में विज्ञापनों के लिए बिहार के समाचार पत्रों/पत्रिकाओं को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और

(घ) बिहार से बाहर के राज्यों से निकलने वाले उन समाचार पत्रों के क्या नाम हैं जिन्हें उक्त अवधि में विज्ञापन जारी किए गए और उन्हें कितनी धनराशि का भुगतान किया गया?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि) द्वारा ऐसे विज्ञापनों पर किए गए व्यय को नीचे दिया गया है :-

(लाख रु. में)

1992-93	1993-94	1994-95 (दिसम्बर, 94 तक)
50.60	63.34	51.31

(ख) भा.को.को.लि. के संबंध में अपेक्षित नीचे दिए गए हैं :-

बिहार

1992-93		1993-94		1994-95 (दिसम्बर, 94 तक)	
समाचार-पत्र	पत्रिकाएं आदि	समाचा-पत्र	पत्रिकाएं आदि	समाचार-पत्र	पत्रिकाएं आदि
12	18	19	26	17	19
बिहार से बाहर					
13	24	15	23	14	24

(ग) भा.को.को.लि. द्वारा बिहार के समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं/पाक्षिकों के लिए अदा की गई कुल राशि का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(लाख रु. में)

1992-93	1993-94	1994-95 (दिसम्बर, 94 तक)
41.01	46.99	37.54

(घ) वर्ष 1992-93 से 1994-95 (दिसम्बर, 1994 तक) की अवधि के दौरान भा.को.को.लि. द्वारा बिहार से बाहर समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं/पाक्षिकों को दिए गए विज्ञापनों की संख्या 61 है, जिनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

भा.को.को.लि. द्वारा ऐसे समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं/पाक्षिकों को वर्ष-वार अदा की गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(लाख रु. में)

1992-93	1993-94	1994-95 (दिसम्बर, 94 तक)
9.59	16.35	13.77

विवरण

बिहार को छोड़कर अन्य अखबारों/पाक्षिकों की सूची

1. दि टेलीग्राफ, कलकत्ता।
2. आनन्द बाजार पत्रिका, कलकत्ता।
3. बिजनेस स्टेन्डर्ड, कलकत्ता।
4. दि स्टेट्समैन, कलकत्ता और दिल्ली।
5. दि हिन्दू, मद्रास
6. दि इकोनोमिक टाइम्स, दिल्ली।
7. जनशक्ति, कलकत्ता।
8. परीक्षित, कलकत्ता।
9. आजकल, कलकत्ता।
10. दैनिक लिपि, आसनसोल।
11. इंडियन ट्रेड जर्नल, दिल्ली।
12. दैनिक जागरण, नई दिल्ली।
13. राष्ट्रीय सहारा, दिल्ली।
14. नवीन प्रभात, कलकत्ता।
15. पश्चिम बंगा संवाद, आसनसोल।
16. इंस्ट्टीयूट फार माइनरस एंड मेटल वर्कर्स ऐजूकेशन, कलकत्ता।
17. डिफेन्स पब्लिकेशन सर्विस, नई दिल्ली।
18. श्री लाल बहादुर शास्त्री सेवा निकेतन, नई दिल्ली।
19. डा. मैथ्यूस मार ऐथेसिस मेमोरियल दोससन सेंटर, नई दिल्ली।
20. माइन एंड मेटल वर्कस, कलकत्ता।
21. आई एंड बी मंत्रालय मैकी कल्ब, नई दिल्ली।
22. भारती वर्कर्स, नई दिल्ली।
23. इंडस्ट्रीयल आर्गेनाइजेशन, आसनसोल।
24. इकोनोमिक ग्रोथ ऐंड सोशल चेंज, नई दिल्ली।
25. कोल इंडिया रिक्रेशन कल्ब, कलकत्ता।
26. राष्ट्रीय कोयला मजदूर (भा.को.को.लि.), कलकत्ता।
27. आल इंडिया पुलिस गेम 1992, सी.आर.पी. एफ. डायरेक्टर, नई दिल्ली।
28. डोकूमेनटेशन सेंटर फार कारपोरेट ऐंड बिजनेस पोलिसी, नई दिल्ली।
29. एम.आई.पी.एम., यू.पी. चैपटर, कानपुर।
30. कोल ऐम्पलाइज यूनियन, कलकत्ता।
31. इंडस्ट्रीयल एक्जीबीशन कमेटी, नई दिल्ली।
32. इंडियन माइनिंग एंड इंजीनियरिंग जर्नल, बंबई।
33. इंडियन नेशनल बिल्डिंग ऐड कंस्ट्रकशन वर्कर्स फैड., उड़ीसा।
34. इंडियन वर्कर्स, नई दिल्ली।
35. ऊर्जा, नई दिल्ली।
36. सिंथी रामाकृष्णन संघ, कलकत्ता।
37. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (कुरूक्षेत्र), नई दिल्ली।
38. पायनर लिमिटेड, नई दिल्ली।
39. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (भारत), नई दिल्ली।
40. इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली।
41. दि इंस्टीट्यूट कास्ट एंड वर्कर्स अकाउंट्स आफ इंडिया, दुर्गापुर चेपटर।
42. महिला सांस्कृतिक संगठन बंगला।
43. सहारिया इंडिया मास कम्युनिकेशन, लखनऊ।
44. मेम्बर्स कल्चरल फॉरम आफ एस.बी.आई. कोमन. ब्रांच, कलकत्ता।
45. लोक उद्योग, नई दिल्ली।
46. यूनियन आफ पी.टी. आई. वर्कर्स, कलकत्ता।
47. कोलफील्ड डेंटल कांफ्रेंस, आसनसोल।
48. मुस्तगबिल, दिल्ली।
49. इन्टरनेशनल इंडस्ट्रीज ऐनूयल, नई दिल्ली।
50. जर्नलिस्ट्स, कम्बाइन, नई दिल्ली।
51. गोंडवाना जियोजिकल सोसाईटी, नागपुर।
52. एन.आई.पी.एम. केरला चैपटर, कोचिन।
53. इन्टक, नेशनल कन्वेंशन, कटक।
54. जागरण प्रकाशन, दिल्ली।
55. योजना,-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
56. आई.एम.यू.सी.एल.ए., नई दिल्ली।
57. ए.आई.एफ.एस.एस.सी.-मोयनड-देवला गोल्ड कप टूर्नामेंट, सिकन्दराबाद।
58. सेंट. जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड, कलकत्ता।
59. नंदन, कलकत्ता।
60. डेली जनवाद, नागपुर।
61. डिपार्टमेंट आफ कोल कल्ब नं.-I, नई दिल्ली।

[अनुवाद]

रसोई गैस और मिट्टी के तेल के समानांतर विपणनकर्ता

718. **श्री अंकुशराव टोपे :** क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रसोई गैस तथा मिट्टी के तेल के समानांतर विपणनकर्त्ताओं के आंकलन के लिए कोई स्वतंत्र रेंटिग एजेंसी नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मिट्टी के तेल और रसोई गैस की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के माध्यम से नियंत्रित मूल्यों पर उपलब्ध एल पी जी और मिट्टी तेल के अलावा उनकी अतिरिक्त उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए सरकार ने निजी एजेंसियों द्वारा बाजार मूल्यों पर उनके आयात और विक्रय की अनुमति देने का निर्णय लिया है। सरकार निजी पक्षकारों को एल पी जी और मिट्टी तेल के लिए आयात सुविधाएं विकसित करने हेतु प्रोत्साहित कर रही है। नई रिफाइनरियों और फ्रैक्शनेटरों से और भी मिट्टी तेल और एल पी जी उपलब्ध होंगे।

नहरों की खुदाई

719. **श्री खोलन राम चांगडे :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से राज्य में नहरों की खुदाई संबंधी कोई योजना के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश सरकार ने चल रही बड़ी, मझौली और लघु सिंचाई योजनाओं से अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए मार्च, 1993 के अंत तक 60 करोड़ रुपए, 93-94 के दौरान 265 करोड़ रुपए, 1994-95 के दौरान 100 करोड़ रुपए और 95-96 के दौरान 20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए मार्च, 1993 में अनुरोध किया था।

(ग) राज्य को अतिरिक्त निधियां निर्मुक्त करना जल ससाधन मंत्रालय के लिए संभव नहीं हुआ है क्योंकि राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव आठवीं योजना में शामिल करने के लिए योजना आयोग द्वारा नहीं किया गया है।

महाराष्ट्र को प्राकृतिक गैस

720. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाम्बे हाई से कुल कितनी प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) महाराष्ट्र को कितनी प्राकृतिक गैस आवंटित की जा रही है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने उसे आवंटित प्राकृतिक गैस के हिस्से में वृद्धि करने से संबंधी कोई प्रस्ताव भेजे हैं; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) अप्रैल 94 से जनवरी 95 तक पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों से 39.66 एम एम एस सी एम डी गैस का उत्पादन हुआ।

(ख) महाराष्ट्र में उपभोक्ताओं को 16.65 एम एम एस सी एम डी गैस का आवंटन किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) उपलब्ध होने के लिए अनुमानित समूची गैस आवंटित कर दी गयी है। अतिरिक्त आवंटनों पर विचार करना व्यवहार्य नहीं है।

टाडा के अंतर्गत नजरबंद लोग

721. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**
श्री ललित ठरांव :
श्री फूलचंद वर्मा :
श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्से :
श्रीमती भावना चिखलिया :
डा. सुधीर राय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1995 तक की स्थिति के अनुसार देश में टाडा के अंतर्गत राज्यवार कितने लोग नजरबंद हैं;

(ख) 1994 के दौरान कितने नजरबंद लोगों को रिहा किया गया;

(ग) क्या केन्द्र सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि निर्दोष व्यक्तियों को टाडा के अंतर्गत नजरबंद किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) देश भर में टाडा के अधीन नजरबंद किए गए व्यक्तियों की संख्या के ब्यौरों का राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ख) रिहा किए गए व्यक्तियों को वर्ष-वार ब्यौरा इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ). लम्बित सभी मामलों और स्थिति का सुधार करने की समीक्षा के लिए पुनरीक्षा समितियों का गठन किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	टाडा के अधीन नजरबंद किए गए व्यक्तियों के संबंध में 31.12.94 की स्थिति के अनुसार सूचना।
1.	आंध्र प्रदेश	273
2.	अरुणाचल प्रदेश	3
3.	असम	543
4.	बिहार	67
5.	गुजरात	267
6.	हरियाणा	125
7.	हिमाचल प्रदेश	2
8.	जम्मू और कश्मीर	1304
9.	कर्नाटक	152
10.	केरल	–
11.	मणिपुर	279
12.	मध्य प्रदेश	46
13.	महाराष्ट्र	1020
14.	मेघालय	29
15.	पंजाब	319
16.	राजस्थान	192
17.	तमिलनाडु	5
18.	उत्तर प्रदेश	241
19.	पश्चिम बंगाल	6
20.	चंडीगढ़	5
21.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	377
	योग	5345

[हिन्दी]

कच्चे कोयले का निकाला जाना

722. **श्री ललित उरांव** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91, 1991-92,1992-93,1993-94 और 1994-95 के दौरान जनवरी 1995 तक बिहार की विभिन्न राष्ट्रीयकृत कोयला खानों से कितना कच्चा कोयला निकाला गया और उसका क्या मूल्य है;

(ख) इसमें से अन्य राज्यों और बिहार को क्रमशः वर्षवार कितने कोयले की आपूर्ति की गई; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान बिहार को देय रायल्टी और बकाया धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) माननीय सदस्य का आशय साफ्ट कोक के संबंध में सूचना प्रस्तुत किए जाने से है। कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार वर्ष 1990-91 से 1994-95 के दौरान बिहार राज्य में उत्पादित साफ्ट कोक की मात्रा तथा कीमत नीचे दी गई है :-

वर्ष	उत्पादन (1000 टन में)	कीमत (लाख रु. में)
1990-91	817	1430
1991-92	632	1118
1992-93	442	774
1993-94	396	693
1994-95 (जनवरी, 95 तक अनंतिम)	212	371

(ख) बिहार राज्य में उत्पादित साफ्ट कोक की मात्रा में से साफ्ट कोक की की गई आपूर्ति की मात्रा नीचे दी गई है :-

वर्ष	अन्य राज्यों को आपूर्ति किए गए साफ्ट कोक की मात्रा	बिहार राज्य को की गई साफ्ट कोक की आपूर्ति की मात्रा (0'000 टन में)
1990-91	257.4	446.3
1991-92	200.6	417.0
1992-93	134.1	300.2
1993-94	82.6	301.9

(ग) वर्ष 1990-91 से 1994-95 के दौरान बिहार को देय रायल्टी तथा बकाया देय राशि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

(करोड़ रु. में)

देय रायल्टी		रायल्टी की देय बकाया राशि		टिप्पणी
वर्ष	राशि	को	राशि	
1990-91	37.01	31.3.91	7.56	
1991-92	315.98	31.3.92	(-) 3.83	अग्रिम भुगतान
1992-93	492.25	31.3.93	4.92	
1993-94	547.82	31.3.94	(-) 7.53	अग्रिम भुगतान
1994-95	442.05	31.1.95	4.17	

[अनुवाद]

अशोक बिहार में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

723. **श्रीमती सरोज दुबे :**
श्री फूलचंद वर्मा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 जनवरी, 1995 को "राष्ट्रीय सहारा" में "भीड़ पर पुलिस फायरिंग और टूटी पड़ी हैं चूड़ियां और पुलिस की लाठियां" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अशोक बिहार में पुलिस की गोली से कितने लोगों की मृत्यु हुई;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मामले की कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ङ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/की जाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तीन व्यक्तियों की मौत पुलिस की गोली से हुई है और एक व्यक्ति किसी गैर-पारंपरिक हथियार से चलाई गई गोली से घायल होकर मरा, यह गोली संभवतः भीड़ में से किसी ने चलाई थी क्योंकि पुलिस के पास इस प्रकार का कोई हथियार नहीं होता है।

(ग) से (ङ). थाना-अशोक बिहार, नई दिल्ली में दो मामले, पहला तो एक कांस्टेबल के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 304-क के अधीन और दूसरा दंगाइयों के खिलाफ भा.दं.सं. तथा सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति पहुंचाए जाने संबंधी अधिनियम के संगत उपबंधों के अधीन दर्ज कराए गए हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा भी घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

तेल की खोज में पूंजी निवेश

724. **प्रो. उमारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की तेल खोज संबंधी गतिविधियों में पूंजी निवेश में वृद्धि और तेल खोज में सफलता दर तथा तेल खोज संबंधी तदनुरूप बजट में समरूपता नहीं है;

(ख) क्या इस प्रतिलोम संबंध के बारे में प्रबन्धन की ओर से कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वित्तीय वर्षों में तेल की खोज में किए गए पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

(घ) गत तीन वर्षों में अन्वेषण अर्थात् सर्वेक्षण एवं अन्वेषी वेधन के संबंध में निवल व्यय निम्नवत है :-

(करोड़ रुपए)

वर्ष	सर्वेक्षण	अन्वेषी वेधन	योग
1991-92	162.68	1127.57	1290.25
1992-93	147.45	1140.90	1288.35
1993-94	156.85	754.07	910.92

फीचर फिल्मों पर प्रतिबंध

725. **श्री पी.सी. चाको :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के दौरान देश में किसी हिन्दी फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों के साथ उसका ब्यौरा दें;

(ग) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने का विचार है कि केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा पास की गई फिल्मों को किसी अन्य मंच पर चुनौती न दी जाए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) केन्द्र सरकार ने चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित किसी भी फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगाया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ). जी, नहीं। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबंधों और उनके अंतर्गत जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार फिल्में प्रमाणित करता है। बोर्ड के किसी आदेश से असंतुष्ट कोई आवेदन चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5 ग के तहत फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण में अपील कर सकता है।

रेलवे स्टेशनों पर आपराधिक गतिविधियां

726. श्री मोहन रावले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर जेब काटने, चेन झपटने और सामान की चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत आठ महीनों के दौरान ऐसे कितनी मामले प्रकाश में आए; और

(ग) सरकार ने इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए क्या उपाय किए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 1.7.94 से 28.2.95 तक के आठ महीनों में तथा वर्ष 1993-94 की तदनुरूपी अवधि के दौरान इस प्रकार के दर्ज मामलों की संख्या निम्न प्रकार है :-

शीर्ष	1.7.94 से 28.2.95 तक	1.7.93 से 28.2.94 तक
जेब तराशी	140	115
सामान चोरी	296	246
चेन झपटना	12	3

(ग) दिल्ली तथा नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(i) सादी वर्दी में और वर्दीधारी सिपाहियों की गश्त को बढ़ा दिया गया है।

(ii) क्षेत्र के समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाती है।

(iii) रेलवे स्टेशनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाए गए हैं। यात्रियों को अपना सामान अकेला न छोड़ने के लिए सावधान किया गया है।

(iv) रेलगाड़ियों में यात्रा करते समय यात्रियों द्वारा बरती जाने वाली एहतियातों के बारे में यात्रियों को शिक्षित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए गए हैं।

कोयला उत्पादन

727. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 के दौरान कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा कोयले का उत्पादन लक्ष्य से बहुत पीछे रहा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने 1993-94 और 1994-95 के दौरान कोल इंडिया लि. तथा इसकी सहायक कंपनियों के उत्पादन, उत्पादकता वितरण और लाभदेयता संबंधी कोई लक्ष्य निर्धारित किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपलब्धियां रही हैं; और

(ङ) लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख). कोल इंडिया लि. तथा इसकी सहायक कंपनियों द्वारा अप्रैल, 1994 से फरवरी, 1995 की अवधि के दौरान कोयले का उत्पादन 196.05 मि. टन सूचित किया गया है, जबकि इस अवधि के लिए लक्ष्य 197.32 मि.ट. का था। आंशिक कमी का मुख्य कारण इस वर्ष मानसून के दौरान अत्यधिक वर्षा के कारण उत्पादन में हुई हानि है।

(ग) और (घ). 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान कोल इंडिया लि. तथा इसकी सहायक कंपनियों के लिए सरकार द्वारा उत्पादन, उत्पादकता, प्रेषण तथा लाभप्रदत्ता के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा उनकी तुलना में प्राप्त की गई उपलब्धि नीचे दी गई है :-

	1993-94			1994-96 (अप्रैल-फरवरी, 1995) (अनंतिम)		
	लक्ष्य	वास्तविक	उपलब्धि की प्रतिशतता	लक्ष्य	वास्तविक	उपलब्धि की प्रतिशतता
उत्पादन (मि.ट. में)	216.00	216.10	100.05	197.31	196.05	99.36
उत्पादकता (प्रति व्यक्ति प्रतिपाली टन में)	1.52	1.52	100.00	1.55	1.54	99.35
प्रेषण (मिलियन टन में)	218.44	213.37	97.68	207.49	197.36	95.12
सकल मार्जिन (मूल्यह्रास ब्याज तथा कर से पूर्व लाभ) (पी.बी.डी.आई.टी.) (करोड़ रु. में)	1850.00	2020.00	109.19	1930.00	*	*

* वर्ष 1994-95 के लिए सकल मार्जिन (पी.बी.डी.आई.टी.) का वर्ष 1994-95 के वित्तीय वर्ष के लिए लेखों को बंद करने तथा लेखा परीक्षा किए जाने के पश्चात् ही पता चल सकेगा।

(ङ) कोल इंडिया लि. द्वारा, जिसमें निम्नलिखित कदम शामिल हैं, विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उठाए गए कदम :-

1. भूमिगत खानों में उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि के लिए निरन्तर बल दिया जाना।
2. स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के उचित विनियोजन तथा कार्यान्वयन के माध्यम से श्रमशक्ति का युक्तिकरण।
3. प्रेषण में वृद्धि के लिए रेलवे, प्रायोजित प्राधिकारियों, जैसे अभिकरणों, संबंधित मंत्रालयों तथा उपभोक्ताओं के साथ निकटतम एवं निरन्तर संपर्क।
4. बजट तैयार करने तथा वास्तविक की तुलना में सामयिक प्रबोधन के माध्यम से सभी मदों पर व्यय का कड़ाई से नियंत्रण करना।

नयी कोयला खानें

728. श्री चितेन्द्र नाथ दास : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में नयी कोयला खानों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसका क्या निष्कर्ष है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) पश्चिम बंगाल राज्य में नई खानों का आयोजन किए जाने के लिए कोयले के भंडारों का पता लगाने हेतु केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि. (के.खा.आ.डि.सं.लि.) द्वारा विस्तृत रूप से कोयले का अन्वेषण किया गया है।

(ख) वर्ष 1993-94 में के.खा.आ.डि.सं.लि. ने 17 ब्लाकों में अन्वेषण कार्य जारी रखा और चार ब्लाकों में अन्वेषण कार्य पूरा कर लिया गया और इन चार ब्लाकों के लिए भू-गर्भीय रिपोर्टें भी तैयार कर ली गई हैं। इस कार्रवाई को जारी रखते हुए वर्ष 1994-95 में 22 ब्लाकों का अन्वेषण किया जाना है, जिसमें से 2 ब्लाकों का अन्वेषण पूरा कर लिया गया है और इन दोनों ब्लाकों के लिए भू-गर्भीय रिपोर्टें तैयार कर ली गई हैं।

त्रिपुरा में तेल की खोज

729. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्री तारा सिंह :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने त्रिपुरा में तेल की खोज के कार्य को हाल ही में स्थगित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार तेल की खोज के कार्य को बढ़ावा देने के लिए इसके तंत्र को सुदृढ़ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (घ). 8वीं योजना के दौरान आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन की 1680 स्टैन्डर्ड लाइन किलो मीटर (एस एल के) के द्विभायामी भूकंपीय सर्वेक्षण करने तथा मिजोरम को सम्मिलित करते हुए त्रिपुरा क्षेत्र में 26 अन्वेषी कूपों का वेधन करने की योजना है। 1995-97 के दौरान अन्वेषण वृद्धि कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त भूकंपीय सर्वेक्षण की भी योजना है।

भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों की सुरक्षा

730. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष सुरक्षा व्यवस्था को किन-किन भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों ने वापस लेने की मांग की है;

(ख) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों की सुरक्षा पर वार्षिक आधार पर कुल कितनी राशि का व्यय किया जाता है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). केवल श्री वी.पी. सिंह भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने एस.पी.जी. सुरक्षा कवच को हटाने का अनुरोध किया है। सुरक्षा प्रदान करने के उपाय, व्यक्ति विशेष को मिलने वाली धमकी के आधार पर किए जाते हैं, जब तक खतरा बना रहता है तब तक सुरक्षा कवच वापस लेना संभव नहीं होता है।

(ग) भूतपूर्व प्रधान मंत्री की सुरक्षा पर सरकार द्वारा किए गए व्यय के वास्तविक आंकड़े बताना संभव नहीं है क्योंकि कभी-कभी प्रधान मंत्री और भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों दोनों की ही सुरक्षा पर किया जाने वाला व्यय जैसे कि प्रशासनिक संरचना, प्रशिक्षण सुविधाएं, कुछेक प्रकार के उपकरण, वाहन इत्यादि पर एक मद के रूप में किया जाता है। फिर भी भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा पर अनुमानतः 34.1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च किए जाते हैं।

वार्षिक योजना

731. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य की 1995-96 की वार्षिक योजना हेतु राशि उपलब्ध कराने तथा इसमें वृद्धि किये जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग). उपाध्यक्ष योजना आयोग तथा मुख्य मंत्री आन्ध्र प्रदेश के मध्य एक बैठक में संसाधनों के निर्धारण के आधार पर आंध्र प्रदेश की वार्षिक योजना 1995-96 का आकार 3159 करोड़ रुपये का होने पर सहमति हुई है। यह राज्य की वार्षिक योजना 1994-95 के सहमत आकार की अपेक्षा 45.6 प्रतिशत अधिक है। वार्षिक योजना 1995-96 के ब्यौरे राज्य से प्रारूप प्रस्ताव मिलने पर तय किए जायेंगे, जिस पर आधिकारिक स्तरीय कार्य दलों में विचार-विमर्श किया जाएगा।

पैट्रोलियम उत्पादों का आयात

732. **श्री पी. कुमारासामी : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पैट्रोलियम उत्पादों के आयात को सूची से हटाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो समिति का स्वरूप क्या है; और

(ङ) समिति कब तक अपनी रिपोर्ट दे देगी?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ). निर्यात और आयात नीति की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है तथा जब और जैसे आवश्यक समझा जाता है इसमें परिवर्तन किए जाते हैं। निर्यात-आयात नीति 1992-97 के अन्तर्गत केवल पांच पैट्रोलियम उत्पादों को ही नियंत्रण मुक्त नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त इनमें से सरकार ने उड्डयन टर्बाइन ईंधन, बिटुमेन(आस्फाल्ट) पेविंग ग्रेड और भट्टी तेल (एल एस एच एस और एल एस डब्ल्यू आर के अलावा) का आयात करने की अनुमति विशेष आयात लाइसेंस के अंतर्गत दे दी है।

पुलिस हिरासत में अपराध

733. **श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों के दौरान दिल्ली में पुलिस हिरासत में महिलाओं को नंगा किए जाने और उनके बलात्कार के कई मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो माहवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हिरासत में होने वाले ऐसे अपराधों पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) 1.9.1994 से 28.2.1995 तक के 6 महीनों के दौरान दिल्ली में इस तरह का कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) हिरासत में होने वाले इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :-

- यह सुनिश्चित करना कि दण्ड प्रक्रिया संहिता और पंजाब पुलिस नियमों में निम्नलिखित प्रक्रिया का सख्ती से अनुपालन किया जाय।
- गिरफ्तार महिलाओं को जमानत या व्यक्तिगत मुचलके पर छोड़ना, यदि अपराध जमानत योग्य है।
- गिरफ्तार की गयी महिलाओं को महिलाओं के लिए पूर्व निर्धारित हवालात में रखना और हवालात ड्यूटी के लिए महिला कांस्टेबल तैनात करना।
- यह निर्धारित करना कि अपराधों में उनकी संदिग्ध अन्तर्ग्रस्तता के लिए पूछताछ के लिए लाई गई महिलाओं के साथ महिला कांस्टेबल आवश्यक रूप से हों।
- पुलिस थानों के ड्यूटी कक्ष में महिला कर्मचारियों की तैनाती।
- इस संबंध में अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा पुलिस स्टेशनों का निरीक्षण।
- पुलिस हिरासत में ली गयी महिलाओं के अधिकारों के बारे में पुलिस कार्मिकों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।

जब कभी हिरासत में महिलाओं के साथ बलात्कार और उन्हें निर्वस्त्र करने की कोई घटना होती है तो गलती करने वाले पुलिस कार्मिकों के खिलाफ सख्त और अनुकरणीय कानूनी विभागीय कार्रवाई की जाती है।

पिछड़े क्षेत्रों का विकास

734. **डा. साक्षीची :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार को कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त योजना को स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी धनराशि नियत की गई है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में पूर्वांचल तथा बुंदेलखंड के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 100 करोड़ रु. की विशेष केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया है।

(ग) और (घ). राज्य सरकार के प्रस्ताव में किसी प्रकार के ब्यौरे नहीं हैं। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि अपने प्रस्ताव के ब्यौरे प्रस्तुत करें।

[हिन्दी]

कम तौल के रसोई गैस सिलेन्डर

735. **श्री चन्द्रेश पटेल :**
श्री महेश कनोडिया :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों से रसोई गैस डीलरों द्वारा कम तौल के रसोई गैस सिलेन्डरों की सप्लाई के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1994 से 22 फरवरी, 1995 तक ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) ऐसी शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई;

(घ) इस संबंध में बंद हुई गैस एजेंसियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गये हैं/उठाए जायेंगे?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ख). सरकारी तेल कंपनियों ने यह सूचित किया है कि जनवरी, 94 से 22 फरवरी,95 तक देश के विभिन्न भागों से उन्हें इस प्रकार की 28 साबित शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) कम वजन के सिलेंडरों की आपूर्ति की साबित शिकायतों के संबंध में दोषी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरूद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की गई है। कम वजन के सिलेंडरों के सभी मामलों में सिलेंडर मुफ्त बदल दिया गया था तथा ग्राहकों को आनुपातिक मुआवजा दिया गया।

(घ) इस कारणवश एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप समाप्त की जा चुकी है।

(ङ) भरण संयंत्रों पर एल पी जी सिलेंडरों के वजन की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित प्रक्रिया है। भरे हुए सभी सिलेंडरों पर चोरी रोकने के लिए सील लगाई जाती है। सभी एल पी जी डीलरों को यह निर्देश दिए गए हैं कि ग्राहकों के घर पर सुपुर्दगी देने से पूर्व प्रत्येक सिलेंडर के सही वजन की जांच सुनिश्चित करें।

वार्षिक परिव्यय

736. **श्री अर्जुन सिंह यादव :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के लिए उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत किए गए वार्षिक योजना परिव्यय का ब्यौरा क्या है तथा इसमें से कितनी वास्तविक राशि खर्च की गई है;

(ख) परिव्यय तथा खर्च में भारी अंतर होने के क्या कारण हैं; और

(ग) लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों में विशेषकर ग्रामीण विकास योजनाओं संबंधी क्षेत्र में इस परिव्यय के उपयोग के क्या प्रभाव रहे?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) वर्ष 1994-95 के लिए उत्तर प्रदेश हेतु मंजूर किया गया वार्षिक योजना परिव्यय 4562.00 करोड़ रुपये है। दिसम्बर, 1994 तक इसमें से खर्च की गई कुल राशि 1621.41 करोड़ रुपये है।

(ख) यह कमी मुख्यतः संसाधन जुटाने में राज्य सरकार की असमर्थता के कारण है।

(ग) वार्षिक योजना 1994-95 के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के संदर्भ में लक्ष्य के मुकाबले उपलब्धि निम्नानुसार है :-

कार्यक्रम	1994-95 (अनंतिम) लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3
1. आई आर डी पी (परिवारों की संख्या)	325353	173293 (अक्टू.94)
2. जे आर वाई (लाख श्रम दिवस)		
प्रथम धारा	1165.44	601.83 (दिस.94)
द्वितीय धारा	133.11	79.30 (दिस.94)

1	2	3
3. ई ए एस (लाख श्रम दिवस)	–	65.60 (दिसं.94)
4. डीपीएपी (00हैक्टेयर)		
भूमि विकास	182.00	39.53 (सित.94)
जल संसाधन विकास	42.00	12.87 (सित.94)
वानिकी तथा चारागाह विकास	49.00	5.09 (सित.94)
5. ग्रामीण जलापूर्ति		
(1) शामिल किए गए गांवों/बस्तियों की सं.	10,450	9,541 (जन.95)
(2) लाभ प्राप्त जनसंख्या (लाख में)	32.50	27.07 (जन.95)
6. ग्रामीण सफाई (निर्मित पारिवारिक शौचालयों की संख्या)	1,01,438	36,679 (जन.95)

[अनुवाद]

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम की योजनाएं

737. **श्री एस.एम. लालजान बाशा :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगमों ने अल्पसंख्यकों की तकनीकी और उद्यम निपुणता को बढ़ाने संबंधी योजना शुरू की है अथवा शुरू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू) : (क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के मुख्य उद्देश्य इसके संघम ज्ञापन में दिए गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित व्यवस्था है :-

> "उत्पादन इकाइयों के उचित तथा दक्ष प्रबंधन के लिए अल्पसंख्यकों की तकनीकी तथा उद्यमीय कुशलताओं के स्तर में सुधार लाने में सहायता करना"

(ख) उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम ने व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्यमी विकास कार्यक्रम के लिए 2,42,76,250/-रु. के व्यय वाले कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। इन प्रस्तावों पर निगम के पास उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा तथा उक्त संघम ज्ञापन में दिए गए विभिन्न उद्देश्यों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

[हिन्दी]

अश्लील साहित्य पर प्रतिबंध

738. **श्री अरविंद त्रिवेदी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अश्लील साहित्य की बहुतायत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस पर प्रतिबंध लगाने के लिये कोई ठोस कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ). अश्लील/आपत्तिजनक सामग्री वाले अनेक प्रकाशन/पत्रिकाएं जानकारी में आई हैं। आपत्तिजनक सामग्री वाली पुस्तक/समाचार पत्रों/दस्तावेजों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करके राज्य सरकार द्वारा जब्त किया जा सकता है। अश्लील साहित्य/नग्न चित्रों की बिक्री आदि भी, भा.दं.सं की धारा 292 और 293 के उपबंधों के अनुसार अवैध हैं। राज्य सरकारें समय-समय पर, इस संबंध में उचित कार्रवाई करती रही हैं। गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालयों को उचित सलाह जारी की गई हैं। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से भी कहा गया है कि वे, आपत्तिजनक सामग्री/लेखों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाईयों के बारे में तिमाही रिपोर्ट भेजें।

[अनुवाद]

गुजरात में तेल और प्राकृतिक गैस

739. **डा. खुशीराम डूंगरोमल जेस्वाणी :** क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम तथा आयल इंडिया लि. को गुजरात में चालू वित्त वर्ष के दौरान तेल/गैस के कोई नए भंडार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य में उन क्षेत्रों में किन-किन स्थानों पर हैं, जहां से भंडार उपलब्ध हैं;

(ग) इन क्षेत्रों में कितने भंडार उपलब्ध होने का अनुमान है; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1994-95 के चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गुजरात में नई खोजों के परिणामस्वरूप भंडारों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

चलचित्रों का क्षतिग्रस्त होना

740. **श्री गुरुदास कामत :**
कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, पुणे के संरक्षण में रखे गए लगभग 3,000 मूक और 25,000 सवाक चलचित्र अपूर्णीय रूप में क्षतिग्रस्त हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चलचित्रों के इस क्षतिग्रस्त संग्रह के पुनरूद्धार और अन्य चलचित्रों के बेहतर रख-रखाव के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). नाइट्रेट आधारित फिल्म (जो पांचवे दशक के प्रारंभ तक उपयोग में थी) के अपघटन के कारण, भारत में बनी प्रायः सभी (लगभग) 1300 मूक फीचर फिल्में 1964 तक, जिस समय भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की स्थापना की गई, नष्ट हो चुकी थीं।

अभिलेखागार को अब तक ध्वनि सहित फिल्मों के केवल लगभग 4000 प्रिण्ट प्राप्त हुए हैं। वे प्रिंट वर्तमान में विज्ञान के रूप में प्रसिद्ध उत्कृष्ट भण्डारण अवस्थाओं के रूप में परिरक्षित किए जा रहे हैं। इसके बावजूद कुछ पुरानी फिल्मों के कुछ वर्षों में विकृत हो जाने की संभावना है। इस प्रकार की फिल्मों का सतत रूप से पता लगाया जा रहा है और उनके पूर्ण रूप से अपघटित होने से पहले उनकी प्रतियां तैयार की जा रही हैं।

तेल और प्राकृतिक गैस

741. **श्री गोपी नाथ गजपति : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिये गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन नये तटवर्ती तथा अपतटीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) इन क्षेत्रों में लगभग कितने तेल भण्डार, गैस और अन्य पैट्रोलियम उत्पाद पाये गये हैं; और

(ग) उन क्षेत्रों में इन उत्पादों की समुचित खोज हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण के लिए नये सर्वेक्षण नहीं किए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गत वर्षों में उड़ीसा के तटवर्ती तथा अपतटीय भाग में भूकम्पी सर्वेक्षण किए गए थे तथा इसके उपरांत ओ आई एल द्वारा तटवर्ती भाग में 4 कूपों का तथा अपतटीय भाग में 11 कूपों का वेधन किया गया। सभी कूप सूखे निकले।

वर्तमान स्थिति के अनुसार 1995-96 में ओ आई एल की उड़ीसा के उत्तर पूर्वी समुद्र तट के अपतटीय भाग में एक अन्वेषण कूप के वेधन की योजना है।

बिहार में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक-आर्थिक विकास

742. **श्री प्रेम चन्द राम : क्या कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा बिहार सरकार को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कितनी राशि प्रदान की गई?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंगका बालू) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

कल्याण मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे

(रु. लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5	6
अ.जा.वि.प्र.					
1.	अ.जा.के लिए वि.सं.यो.को.वि.के.स.	2197.38	2096.54	2327.10	
2.	अ.जा.तथा अ.ज.जा. के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	102.56	799.18	590.14	451.00

1	2	3	4	5	6
3.	अ.यो.में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	20.16	5.98	65.81	22.00
4.	स.क.की मु.और पु.की रा.यो.	350.00	313.00	—	—
5.	रा.अ.जा. तथा अ.ज.जा. वि.एवं वि.नि. को केन्द्र द्वारा अं.पू. अंशदान	76.89	86.25	113.53	—
6.	ना.अ.सं.अ. 1955 तथा अ.जा. तथा अ.ज.जा. (अ.नि.) अधिनियम, 1989 के क्रियान्वयन के लिए के.प्रा.यो.	16.95	15.00	26.50	—
7.	अ.जा. तथा अ.ज.जा. के लिए कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना	7.50	2.00	8.57	1.70
8.	अ.जा. तथा अ.ज.जा. के लिए पुस्तक बैंक	7.50	2.00	9.91	10.00
9.	अ.जा. के लिए बालिका छात्रावास	72.98	25.27	40.44	—
10.	अ.जा. के छात्रों के लिए छात्रावास	311.95	40.78	78.77	—
	योग	3163.87	3386.00	3252.76	484.70
आदिवासी विकास प्रभाग					
1.	विशेष केन्द्रीय सहायता (अतिरिक्त एस.सी.ए सहित एस.सी.ए.)	3211.19	3175.25	3497.39	1748.70
2.	अ. 275(I)	215.85	427.20	01.00	725.25
3.	बालिका छात्रावास	68.82	–	–	–
4.	अ.ज.जा. की लड़कियों के लिए निम्न साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर	–	–	–	4.59
5.	आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	–	–	–	44.34
6.	लघु वन उत्पाद के लिए रा.आ.वि. निगमों को सहायता अनुदान	–	50.00	–	–
7.	अ. तथा प्रशिक्षण	9.25	9.82	12.71	0.63
8.	तेल बीजों, वनमूल के तेल वृक्षों का विकास	–	17.39	–	–
	योग	3505.11	3679.66	4311.10	2523.51
	कुल योग	6660.98	7065.66	7563.86	3008.2

[हिन्दी]

रसोई गैस कनेक्शन

743. **श्री एन.जे. राठवा :**
श्री लाल बाबू राय :
श्री सूरजभानु सोलंकी :
श्री हरि केवल प्रसाद :
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1995 तक रसोई गैस कनेक्शन के लिए राज्य-वार कितने आवेदन पत्र किस-किस तिथि से लंबित पड़े थे;

(ख) क्या ग्राहकों को रसोई गैस कनेक्शन पाने के लिए वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो रसोई गैस कनेक्शन के आबंटन के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है; और

(घ) इस दिशा में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). 1 जनवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार देश में प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या 113.72 लाख थी। नए एल पी जी कनेक्शनों की प्रतीक्षा अवधि डिस्ट्रीब्यूटर के यहां प्रतीक्षा सूची में दर्ज लोगों की संख्या, डिस्ट्रीब्यूटर

के पास उपलब्ध स्लेक और नए ग्राहकों के नामांकन के लिए वार्षिक कार्यक्रम पर निर्भर करती है। 1994-95 के दौरान नए एल पी जी ग्राहकों के नामांकन का लक्ष्य 20 लाख निर्धारित किया गया है।

(घ) अधिक से अधिक लोगों को यथाशीघ्र एल पी जी कनेक्शन जारी करने के लिए प्रयास निरन्तर जारी हैं। वर्तमान उत्पादन स्रोतों की क्षमता में वृद्धि, नए संयंत्रों की स्थापना और अधिक आयातों के माध्यम से आपूर्ति में वृद्धि करते हुए एल पी जी की अधिक उपलब्धता के लिए योजनाएं बनाई गई हैं।

[अनुवाद]

कोयला खनन के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम

744. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. ने कोयला खनन के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये संयुक्त उद्यम कब तक आरंभ हो जाएंगे?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख). कोल इंडिया लि. (को.इं. लि.) को विदेशी पार्टियों से निम्नलिखित संयुक्त उद्यम प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :-

क्र.सं.	पार्टी/देश	प्रस्ताव का क्षेत्र
1.	यूक्रेन के लिए राज्य कमेटी	डिजाइन, कोयला खानों का निर्माण तथा वाशरी संयंत्रों का और कोयले का उत्खनन।
2.	मै. व्हाइट इंडस्ट्रीज आस्ट्रेलिया लि., आस्ट्रेलिया	(क) ओपेनकास्ट कोयला खनन का टूकों/शावेल/इनपिट क्रेशर तकनीक के साथ विकास।
		(ख) बांगवली पद्धति के साथ भूमिगत खनन विकास तथा लांगवाल खनन विकास।
		(ग) मॉडरन वाश प्लांट डिजाइन तथा कोककर तथा स्टीम कोयला दोनों का विकास
3.	मै. जय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (यू.के.)	भूमिगत यंत्रीकृत बोर्ड एवं पिल्लर का निरन्तर खनन के साथ विकास।
4.	मै. हुंददाई हैवी इंडस्ट्रीज कंपनी लि. (एच.एच.आई.)	खनन-ब्लाक का विकास।
5.	अन्तर्राष्ट्रीय लांगवाल के साथ सहयोजित भारतीय लांगवाल	लांगवाल खनन किया जाना।
6.	मै. बी.एच.पी. मिनरलर्स	खनन ब्लाकों का विकास।
7.	मै. ब्लैकहिल मिनरलर्स	-तदैव-

(ग) सरकार ने कोल इंडिया लि. द्वारा कोयले का खनन किए जाने के लिए किसी संयुक्त उद्यम प्रस्ताव को अनुमोदन नहीं दिया है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कुएं में लगी आग

745. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री जी.एम.सी. बालयोगी :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमलापुरम में तेल के कुएं में लगी आग को 100 से 120 मीटर ऊंचाई तक की सामान्य लपटें आग लगने के 40 दिन बाद 1407 मीटर ऊंचाई तक पहुंच गई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निकटवर्ती क्षेत्रों के लोगों ने बहुत तेज ध्वनि और भीषण गर्मी की शिकायत की है;

(घ) क्या उनके मंत्रालय से इसे प्राकृतिक विभीषिका घोषित करने तथा प्रभावित व्यक्तियों में पर्याप्त सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गोपायालंका ग्राम के इर्द गिर्द शोर का स्तर अधिक था। कूप मुख के चारों ओर 200 मीटर तक अत्यधिक गर्मी थी जिसके परे तापमान 35 डिग्री सेन्टीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ रहा था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला उत्पादन

746. श्री अंकुशराव टोपे : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोयले के उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई है;

(ख) अप्रैल-दिसम्बर, 1994 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में कितने कोयले का उत्पादन किया गया;

(ग) क्या खुली और भूमिगत दोनों प्रकार की खानों में कोयले की उत्पादकता में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, हां। देश में कोयले के पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 1994 की अवधि में लगभग 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई (आंकड़ा अनंतिम)।

(ख) देश में कोयले का वास्तविक उत्पादन अप्रैल से दिसम्बर, 1994 की अवधि के दौरान 171.01 मि.टन (अनंतिम) हुआ, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान वास्तविक उत्पादन 165.75 मि.टन हुआ था।

(ग) और (घ). इस संबंध में शायद माननीय सदस्य का संदर्भ भूमिगत तथा ओपेनकास्ट खानों में प्रति व्यक्ति प्रतिपाली कोयले की उत्पादकता को मापे जाने के संबंध में है। को.इं.लि. में प्रति व्यक्ति प्रतिपाली उत्पादन अप्रैल से दिसम्बर,1993 और अप्रैल से दिसम्बर, 1994 की अवधि के दौरान नीचे दर्शाया गया है :-

	प्र. प्रतिपाली उत्पादन (टन में) (आंकड़ा अनंतिम)	
	अप्रैल-दिसम्बर, 1993	अप्रैल-दिसम्बर, 1994
भूमिगत	0.53	0.54
ओपेनकास्ट	3.63	4.11
समग्र	1.30	1.49

सी.जी.ओ. कांप्लैक्स में आग लगने की घटना

747. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लोधी रोड स्थित सी.जी. ओ. कांप्लैक्स में आग लगी थी;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितनी जान और माल की हानि हुई;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्। 30 दिसम्बर, 1994 को लगभग 7.00 बजे अपरान्ह पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, के "बी" के 9 में तल में आग लगने की एक घटना हुई।

(ख) कोई व्यक्ति मारा नहीं गया। तथापि, लगभग 16.5 लाख रुपये मूल्य की सम्पत्ति का नुकसान होने का अनुमान है।

(ग) और (घ). जी हां, श्रीमान्। पर्यावरण भवन के जिस भाग में आग लगी थी उस भाग के मुख्य दखलकार, गैर-पारम्परिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय, द्वारा इस घटना की जांच के आदेश दिए गए थे। जांच-समिति ने कुछ खामियों की ओर इशारा किया है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, छड़ी-नुमा हीटरों का प्रयोग करना, लकड़ी के अत्यधिक विभाजन, अवांछित छपी हुई सामग्री और फाइलों का कमरे में रखा जाना तथा पता लगाने वाली/आलार्म प्रणाली का काम न करना आदि शामिल हैं। समिति ने सिफारिश की थी कि फायर डिटेक्शन/अलार्म प्रणाली सदैव चालू हालत में होनी चाहिए, प्रणाली में उपलब्ध अतिरिक्त उपकरण भी सदा "कार्य करने के लिए तैयार" स्थिति में होने चाहिए, विभाजन करने वाले कड़ी का विभाजन अग्नि-रोधक सामग्री का बना होना चाहिए, तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि फायर डिटेक्शन/अलार्म प्रणाली ठीक काम कर रही है, समय-समय पर जांच तथा अभ्यास किया जाना चाहिए।

सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

748. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश की कुल सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाये जायेंगे;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस उद्देश्य हेतु कोई विशेष सहायता प्रदान की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग). आन्ध्र प्रदेश को 317.10 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत को करनूलकड्डप्पा नहर सिंचाई परियोजना, जिसमें 110482 हेक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई करने की परिकल्पना की गई है, के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग में सितम्बर, 1994 में प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी -आर्थिक मुद्दों पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गैस आपूर्ति में कमी

749. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश के पसारलापुडी में प्राकृतिक गैस में आग लगने के कारण उद्योग के लिए प्राकृतिक गैस की सप्लाई की कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी हुई है;

(ग) क्या गैस उत्पादन में वृद्धि करने के वैकल्पिक तरीकों पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

तेल स्थिरीकरण कोष

750. श्री मोहन रावले : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक तेल स्थिरीकरण कोष बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह कोष स्थापित करने के क्या उद्देश्य हैं;

(घ) क्या भारतीय तेल निगम इस प्रकार के कोष की स्थापना के विचार का विरोध कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (च). फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

751. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994 के दौरान कितनी कोयला खान दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप जान-माल का कितना नुकसान हुआ;

(ग) प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को किस तरह का मुआवजा दिया गया; और

(घ) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) श्रम मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार 1994 के दौरान कोयला खान की दुर्घटनाओं की संख्या 786 है, जिसमें से 155 दुर्घटनाओं में मृतक भी हैं तथा 631 गंभीर रूप से घायल हुई दुर्घटनाएं भी शामिल हैं।

(ख) दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप 240 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 684 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। खनन दुर्घटनाओं के कारण सम्पत्तियों की निम्न हानि हुई :-

क. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की नई केंडा कोलियरी में भूमिगत आग के पश्चात् कोयला सीम के एक भाग को सील करना पड़ा था।

ख. नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. में एक क्रेन क्षतिग्रस्त हो गई थी।

ग. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. में एक लोड हॉल डम्पर तथा कुछ सपोर्ट सामग्री को नुकसान हुआ था।

(ग) मुआवजे की राशि कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार निकाली जाती है तथा वह कामगार की आयु तथा मासिक आय पर आधारित होती है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, मृतक कामगारों के आश्रितों को निम्नलिखित राशि का भुगतान किया गया है :-

(क) दाह संस्कार व्यय - 500/- रु.

(ख) अनुग्रह राशि - 10000/-रु.

(ग) जीवन बीमा योजना के अंतर्गत राशि - 15,000/-रु.

इसके अतिरिक्त, मृतक के एक आश्रित को रोजगार की पेशकश की जाती है। विकल्प के रूप में रोजगार के बदले विधवा/महिला आश्रित को 60 वर्ष की आयु/मृत्यु होने/पुनः विवाह करने तक, जो भी इसमें पहले हो तक, 3000/- रु. प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।

(घ) 1994 के दौरान दुर्घटनाओं के कारण-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

दुर्घटना का कारण	दुर्घटनाओं की संख्या (अनंतिम)	
	मृतक	गंभीर
छत गिरना	38	62
साइड का गिरना	16	42
छत हालेज	22	166
डम्पर	17	13
ट्रक	12	3
अन्य मशीनें	21	56
विस्फोटक	6	9
व्यक्तियों का गिरना	9	144
सामग्री का गिरना	5	101
अन्य कारण	9	35
जोड़	155	631

[हिन्दी]

बिहार में स्वैच्छिक संगठन

752. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में विकलांगों और नशीली दवाओं का सेवन करने वाले व्यक्तियों के लिए कितनी संस्थाएं कार्य कर रही हैं जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) उनमें से ऐसी कितनी संस्थाओं को उक्त अवधि के दौरान अनुदान का भुगतान रोक दिया गया;

(ग) इन स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान का भुगतान रोक दिये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या कुछ नई स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू) : (क) सूचना विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग). विकलांगों के लिए कार्यरत एक स्वैच्छिक संगठन को उक्त अवधि के दौरान अनुदान के भुगतान पर रोक लगा दी गई थी क्योंकि इस मामले में बिहार राज्य सरकार द्वारा सिफारिश नहीं की गई थी। नशीली दवाओं के दुरूपयोग के क्षेत्र में कार्यरत दो स्वैच्छिक संगठनों को भी भुगतान पर रोक लगा दी गई थी क्योंकि ये केन्द्र कार्य करते हुए नहीं पाए गए थे।

(घ) जी, हां।

(ङ) सूचना विवरण-II पर दी गई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

1.विकलांगता के क्षेत्र में नए प्रस्तावों के ब्यौरे

1. टाटा आयरन और स्ट्रील कं. लि.-एम.आर.चिल्ड्रेन स्कूल जमशेदपुर के लिए।
2. कोशी क्षेत्रीय विकलांग, विधवा, वृद्ध कल्याण समिति, सहर्षपुर बिहार अस्थि विकलांगों के लिए।
3. बिहार पुनर्वास और कल्याण संस्थान, पटना।
4. शहीद बच्चन पुस्तकालय, बिहार।
5. गुलाब सिंह महिला एवं बाल कल्याण संघ, सिवान।
6. ए.एम.आर.आई, पटना।
7. जे.एम. इन्स्टीटयूट ऑफ स्पीच एंड हीयरिंग, पटना।
8. इंडियन इन्स्टीट्यूट फॉर रूरल रिकन्ट्रक्शन, जहानाबाद।
9. बिहार नेत्रहीन परिषद, पटना-दृष्टि विकलांगों के लिए।
10. फिजीकल मेडीसिन एण्ड रिहैबिलीटेशन इन्स्टीच्यूट, पटना-अस्थि विकलांगों के लिए।
11. यूथ मोबिलाइजेशन फॉर नेशनल एडवांसमेंट, पटना-मानसिक मंदों के लिए विशेष विद्यालय।
12. ग्रामीण विकास संस्थान, गया।
13. आयुर्वेदिक मैगनेष्टक थेरापी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पटना।

2. नशीली दवाओं के दुरूपयोग के क्षेत्र में नए प्रस्तावों के ब्यौरे

जिला का नाम	नशीली दवाओं के व्यसनियों के लिए गैर सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
सिवान	1
मुजफ्फरपुर	2
नालंदा	1
आरा	1
औरंगाबाद	1
गया अथवा बोध गया	1
रोहतास (सासाराम)	2
धनबाद	1

विवरण-II

बिहार में स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में स्वैच्छिक संगठनों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	विकलांगों के लिए अनुदान स्वीकृत स्वैच्छिक संगठनों की संख्या	नशीली दवाओं के दुरूपयोग निवारण हेतु अनुदान स्वीकृत स्वैच्छिक संगठन की संख्या
1991-92	14	12
1992-93	16	18
1993-94	20	21
1994-95	20	27

[अनुवाद]

विद्युत क्षमता

753. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने विद्युत क्षेत्र के बारे में मध्यावधि मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मोटी रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत क्षमता बढ़ाने संबंधी कार्यक्रम में 10,000 मेगावाट की कमी पर भारी चिंता व्यक्त की है;

(घ) क्या इस कमी को दूर करने के लिए कोई कदम उठाने का सुझाव किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग). आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए मध्यावधि मूल्यांकन प्रक्रिया योजना आयोग में प्रगति पर है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में विद्युत सर्जन और योजना लक्ष्यों में संभावित कमियों, यदि कोई है, का पता प्रक्रिया पूरी होने के बाद चलेगा। बहरहाल आठवीं योजना के दौरान इस समय कमियां 10,000 मे.वा. अनुमानित की गई हैं।

(घ) और (ङ). देश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में शामिल हैं :- (I) नई सृजन क्षमता को चालू करने में तेजी लाना, (II) वर्तमान विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार, (III) पारेषण एवं वितरण घाटों में कमी, (IV) बेहतर मांग प्रबंध तथा ऊर्जा संरक्षण उपायों का कार्यान्वयन, (V) सरप्लस क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में ऊर्जा स्थानांतरण की व्यवस्था करना, और (VI) विद्युत सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर निवेश को बढ़ावा देना।

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड

754. **श्री पी. कुमारासामी :**
श्री अमर पाल सिंह :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) इस बोर्ड की स्थापना कब तक कर दी जायेगी; और

(घ) इस बोर्ड की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (घ). ऊपरी यमुना नदी बोर्ड का गठन भारत सरकार द्वारा 11 मार्च,1995 को एक संकल्प द्वारा किया गया है। सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग इस बोर्ड के अंशकालिक अध्यक्ष होंगे और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्यों से एक-एक मनोनीत व्यक्ति, जो मुख्य अभियन्ता की श्रेणी से कम न हो और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का मुख्य अभियन्ता तथा केन्द्रीय भूजल बोर्ड एंव केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि इसके अंशकालिक सदस्य होंगे। बोर्ड का एक पूर्णकालिक सदस्य सचिव होगा जो केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा। ओखला तक यमुना के सतही प्रवाह के आबंटन के संबंध में बेसिन राज्यों द्वारा हस्ताक्षरित 12.5.1994 के समझौता ज्ञापन के अनुसरण में बेसिन राज्यों को सरकारों के बीच हुए समझौते अथवा हुई व्यवस्थाओं के संबंध में ओखला बराज तक और ओखला बराज सहित सभी भण्डारणों तथा बराजों से जल का विनियमन और आपूर्ति करना बोर्ड का मुख्य कार्य होगा। "अपर यमुना पुनरीक्षण समिति नामक एक पुनरीक्षण समिति होगी जिसमें केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रा/राज्य मंत्री की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मुख्य मंत्री (यदि राष्ट्रपति शासन होगा तो राज्यपाल) होंगे। यह समिति बोर्ड के कामकाज का पर्यवेक्षण करेगी।

केबल टी.वी. पर विज्ञापन

755. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केबल टी.वी. नेटवर्क आपरेटर केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम, अध्यादेश, 1994, में शराब और तम्बाकू के विज्ञान पर रोक संबंधी विशिष्ट खण्ड न होने का फायदा उठाते हुए पैसा कमाने के लिए शराब और सिगरेट के लिए व्यापक विज्ञापन देते रह हैं; और

(ख) यदि हां, तो भावी पीढ़ी के स्वास्थ्य और नैतिकता को प्रभावित करने वाले ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में केबल ऑपरेटरों द्वारा उपयोग किए जा रहे कई विदेशी उपग्रह चैनलों में इस प्रकार के विज्ञापन होते हैं।

(ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पादों, शराब और अन्य मादक पदार्थों से संबंधित अथवा इन्हें प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों की अनुमति नहीं दी जाती। वर्तमान में, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम/विज्ञापन संहिता में संशोधन के माध्यम से केबल टेलीविजन नेटवर्कों द्वारा इस प्रकार के विज्ञापनों को दिखाए जाने को प्रतिबन्धित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय विकलांग संस्थान

756. **श्री एस.एम. लालजान बाशा** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकलांग संस्थान के कार्य का विस्तार करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में ऐसे संस्थान खोलने का है;

(ग) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में ऐसी संस्थाओं को खोलने हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंगका बालू) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान प्रोस्थेटिक्स तथा आर्थोटिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री पाट्यक्रम आरम्भ कर रहा है। उत्तर पूर्वी राज्यों के गैर सरकारी संगठनों के सौजन्य से राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान अपनी सेवाओं का विस्तार भी कर रहा है। नागालैण्ड (कोहिमा) तथा मिजोरम (ऐजवाल) में एक-एक के हिसाब

से दो अंग प्रत्यारोपण सह सेवा केन्द्र आरम्भ कर दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सरकार आंध्र प्रदेश में ऐसे संस्थान की स्थापना के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है क्योंकि हैदराबाद में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान तथा राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान का एक क्षेत्रीय केन्द्र पहले से ही कार्य कर रहा है।

विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय

757. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकलांगों के लिए देश में राज्य-वार कितने विशेष रोजगार कार्यालय कार्यरत हैं;

(ख) 1993 और 1994 के दौरान इन रोजगार कार्यालयों द्वारा राज्य वार कितने विकलांगों को रोजगार दिया गया; और

(ग) 1995 के दौरान इन रोजगार कार्यालयों द्वारा कितने विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिए जाने का प्रस्ताव है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू) : (क) और (ख). शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए देश में काम कर रहे विशेष रोजगार कार्यालयों की राज्यवार संख्या और उन रोजगार कार्यालयों द्वारा 1993 तथा जनवरी से सितम्बर, 1994 के दौरान रोजगार प्रदान विकलांग व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) इन विशेष रोजगार कार्यालयों द्वारा वर्ष के दौरान रोजगार दिलाए जाने वाले विकलांग व्यक्तियों की संख्या वर्ष के दौरान अधिसूचित रिक्तियों पर निर्भर करेगा और उसके सम्मुख स्थापन किया जाएगा। अतः इस समय सही संख्या नहीं बताई जा सकती।

विवरण

देश में काम कर रहे विशेष रोजगार कार्यालयों की संख्या तथा उनके द्वारा वर्ष 1993 तथा 1994 (जनवरी-सितम्बर) के दौरान दिलाए गए स्थापनों की संख्या

	राज्य	शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालयों की संख्या	निम्न अवधि के दौरान रोजगार दिलाए गए लोगों की संख्या	
			1993	1994 (जनवरी-सितम्बर)
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	63	31
2.	असम	1	*	*
3.	बिहार	1	6	6
4.	गुजरात	4	426	248
5.	हरियाणा	1	*	*
6.	हिमाचल प्रदेश	1	*	*
7.	कर्नाटक	1	94	34
8.	केरल	1	95	148
9.	मध्य प्रदेश	1	64	30
10.	महाराष्ट्र	1	87	61
11.	मणिपुर	1	–	–
12.	उड़ीसा	1	6	12
13.	पंजाब	1	*	*
14.	राजस्थान	1	59	10
15.	तमिलनाडु	1	256	209
16.	त्रिपुरा	1	–	4
17.	उत्तर प्रदेश	1	7	12
18.	पश्चिम बंगाल	1	46	23
19.	दिल्ली	1	50	14
	कुल	23	1263	842

नोट : * इन राज्यों में काम कर रहे विशेष रोजगार कार्यालय दोहरे इन्डेक्स कार्ड रखते हैं। विशेष केन्द्र सामान्य केन्द्रों में पंजीकृत, विकलांग व्यक्तियों के स्थापन में सहायता करते हैं तथा विशेष रोजगार केन्द्रों के प्रयास से स्थापन प्रदान व्यक्तियों की सही संख्या उपलब्ध नहीं हैं।

सलाहकार पैनलों का पुनर्गठन

758. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्मों/दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के लिए सलाहकार पैनलों का स्टेशन-वार पुनर्गठन कब किया गया था;

(ख) क्या कलकत्ता, मुम्बई तथा अन्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड के क्षेत्रीय पैनलों तथा कलकत्ता, मुम्बई, नई दिल्ली, मद्रास तथा अन्य स्टेशनों के लिए दूरदर्शन/आकाशवाणी सलाहकार समिति के पुनर्गठन के प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इनका पुनर्गठन कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इन समितियों के कार्य निष्पादन को और प्रभावी बनाने के लिए इनको पर्याप्त शक्तियां प्रदान करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) दिनांक 1.1.95 से केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, बम्बई, मद्रास, तिरूवनन्तपुरम, हैदराबाद और कटक के सलाहकार पैनलों का पुनर्गठन किया गया था। विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों और दूरदर्शन केन्द्रों, में कार्यक्रम सलाहकार समितियों का 1992 के मध्य में पुनर्गठन किया गया था।

(ख) से (घ). दिल्ली, कलकत्ता और बंगलौर स्थित केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के क्षेत्रीय पैनलों और कलकत्ता, बम्बई, नई दिल्ली, मद्रास और अन्य केन्द्रों के लिए दूरदर्शन/आकाशवाणी सलाहकार समितियों का गठन किया जा रहा है। बोर्ड के सलाहकार पैनलों का पुनर्गठन एक सतत प्रक्रिया है और इसको पूरा करने हेतु कोई समयावधि इंगित नहीं की जा सकती।

(ङ) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सलाहकार पैनलों के सदस्य चलचित्रिकी अधिनियम, 1952 के उपबंधों एवं उनके अन्तर्गत जारी मार्ग निर्देशों के तहत अपने कर्तव्यों का निष्पादन करते हैं।

आकाशवाणी और दूरदर्शन की कार्यक्रम सलाहकार समितियों को वर्तमान में सौंपे गए कार्यों को पर्याप्त समझा गया है।

उर्वरक एककों को गैस

759. **श्री गुरुदास कामत** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरक एककों को गैस के आवंटन में कटौती करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). हजीरा और उर्वरक इकाइयों सहित एच बी जे पाइपलाइन के आसपास सभी उपभोक्ताओं को 2.5 प्रतिशत की यथानुपात कटौती की गई है, ताकि ताजमहल के आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने के लिए आगरा समलम्ब (ट्रेपेजियम) में मथुरा रिफाइनरी और उद्योगों को गैस उपलब्ध कराई जा सके।

[हिन्दी]

बाढ़ नियंत्रण और मिट्टी का कटाव

760. **श्री प्रेम चन्द राम** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की सरकार ने राज्य में बाढ़ और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए केन्द्र सरकार को कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग). पिछले चार वर्षों के दौरान बिहार सरकार से 19 परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं। उनकी जांच करने के बाद उन पर टिप्पणियां राज्य सरकार को आवश्यक संशोधन करने के लिए भेज दी गयी हैं।

खुदरा पैट्रोल बिक्री केन्द्र

761. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात हेतु तेल चयन बोर्ड में सदस्यों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने पैट्रोल पम्प डीलरशिप के संबंध में सिफारिशें करने के लिए इस बोर्ड को कोई आदेश जारी किया है;

(ग) क्या इस बोर्ड की सिफारिशें अनिवार्य रूप से मान्य हैं;

(घ) गुजरात में पैट्रोल पम्प की डीलरशिप हेतु इस बोर्ड द्वारा जनवरी, 1995 से आज तक कितनी सिफारिशें की हैं; और

(ङ) सरकार ने इनमें से कितनी सिफारिशों को स्वीकार किया है और कितनी सिफारिशों को अस्वीकार किया है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ). तेल विपणन कम्पनियों के विज्ञापनों के प्रत्युत्तर में आवेदन करने वाले पात्र उम्मीदवारों के साक्षात्कारों के आधार पर पैट्रोलियम उत्पादों के डीलरों/ डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए सरकार द्वारा तेल चयन बोर्डों (ओ एस बी) का गठन किया गया है। तेल चयन बोर्डों की सिफारिशें

सरकार को विचारार्थ नहीं भेजी जाती। आशय-पत्र जारी करने के लिए इन्हें उनके द्वारा संबंधित तेल कम्पनियों को भेजा जाता है।

गुजरात के तेल चयन बोर्ड की संरचना निम्नानुसार है :-

1. न्यायमूर्ति एस.डी. बजाज	अध्यक्ष
2. श्री कान्तिलाल वी. गोहिल	सदस्य I
3. श्री राजकरण सिंह	सदस्य II

जनवरी, 1995 तक गुजरात के तेल चयन बोर्ड ने 47 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लिए योग्यता पैनलों की सिफारिश की है।

[अनुवाद]

हैदराबाद दूरदर्शन के लिए दूसरा चैनल

762. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से हैदराबाद दूरदर्शन के लिए दूसरा चैनल शुरू करने तथा राज्य सरकार को इसकी देखरेख के लिए अनुमति प्रदान करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं। मैट्रो चैनल (डीडी-II) कार्यक्रम हैदराबाद में पहले ही 1.2.1994 से रिले हो रहे हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

सरदार सरोवर परियोजना

763. श्री अंकुशराव टोपे :
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :
श्री श्रीकांत जेना :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरदार सरोवर परियोजना पर पांच सदस्यीय समूह की रिपोर्ट को केन्द्र सरकार द्वारा सार्वजनिक कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) पांच सदस्यीय दल की रिपोर्ट में निम्नलिखित पहलू शामिल हैं :-

(i) जल विज्ञान (ii) सिंचाई लाभ (iii) पेय जल (iv) जल विद्युत शक्ति (v) पर्यावरणीय मामले (vi) पुनर्स्थापन और पुनर्वास तथा (vii) बांध की ऊंचाई। उनकी मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ग) रिपोर्ट पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

पांच सदस्यीय दल की रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

(i) जल विज्ञान-जल विज्ञान (जल उपलब्धता) संबंधी मुद्दों की जांच की जानी चाहिये और उन्हें हमेशा के लिए हल किया जाना चाहिए।

(ii) सिंचाई लाभ-जबकि 60 प्रतिशत सिंचाई क्षमता प्राप्त करना सम्भव है, इसलिए परियोजना प्रबन्धों के और अधिक प्रयास करने अपेक्षित हैं।

(iii) पेय जल-वित्त पोषण प्रबन्धों सहित गांवों और शहरी केन्द्रों को पेय जल आपूर्ति करने के ब्यौरे को अन्तिम रूप दिया जाना चाहिये। जल विभाजक विकास, स्थानीय भण्डारण और संरक्षण, जलभृतों का पुनर्भरण आदि को तीव्र करने के प्रयास किये जाने चाहिये।

(iv) जल विद्युत शक्ति विद्युत के वैकल्पिक स्रोतों के प्रयोगों का पता लगाया जाना चाहिए।

(v) पर्यावरणीय मुद्दे-पर्यावरणीय सुरक्षापायों के प्रयास बढ़ाये जाने चाहिये तथा उनका निकटता से प्रबोधन किया जाना चाहिये। इसमें अनुप्रवाह प्रभाव भी शामिल होने चाहिये।

(vi) पुनर्स्थापन और पुनर्वास- परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए मास्टर योजना, यदि पहले उपलब्ध न हो, तैयार की जानी चाहिए। पुनर्स्थापन और पुनर्वास उपायों का सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए। ओमबट्समान के रूप में शिकायत और निवारण तन्त्र स्थापित किया जाना चाहिये और स्वैच्छिक अभिकरणों की सहायता का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(vii) बांध की ऊंचाई- बांध की ऊंचाई कम करने का मामला गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार के बीच हल किया जाना चाहिए।

विवरण-II

पांच सदस्यीय दल की रिपोर्ट पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया

(i) जल विज्ञान-जल विज्ञान सम्बन्धी पहलुओं की नर्मदा जल विवाद अधिकरण, केन्द्रीय जल आयोग, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा

और विश्व बैंक के परामर्शदाताओं द्वारा विस्तार से जांच की गई है।

(ii) सिंचाई लाभ-सिंचाई सक्षमता सम्बन्धी मुद्दों की अच्छी तरह जांच की गई है और तदनुसार प्रबन्ध किये जाने की योजना बनायी गयी है। कार्यान्वयन के दौरान इन पर और बल दिया जायेगा।

(iii) पेय जल-वित्त-पोषण सहित पेय जल आपूर्ति का ब्यौरा कार्यान्वयन के लिए गुजरात सरकार द्वारा तैयार किया गया है।

(vi) जल विद्युत शक्ति-जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की योजना विस्तार से तैयार की गई है।

(v) पर्यावरणीय मुद्दे-सुरक्षोपाय किये जा रहे हैं और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय के केन्द्रीय सचिव की अध्यक्षता में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के पर्यावरणीय उप दल द्वारा लगातार प्रबोधन किया जा रहा है। सभी अध्ययन पूरे हो गये हैं/उन्नत स्तर पर हैं।

(vi) पुनर्स्थापन और पुनर्वास-पुनर्स्थापन और पुनर्वास उपायों के कार्यान्वयन का प्रबोधन नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण और केन्द्रीय कल्याण सचिव की अध्यक्षता में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के पुनर्स्थापन और पुनर्वास उप दल द्वारा किया जा रहा है। इस उप दल द्वारा फील्ड दौरे भी किये जाते हैं तथा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को उनके निदेशों के अनुसार त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

(vii) बांध की ऊंचाई-बांध की ऊंचाई सहित पैरामीटरों की पुनरीक्षा सन् 2024 ई. से पहले नहीं की जा सकती। अर्थात नर्मदा जल विवाद अधिकरण पंचाट (1979) की राजपत्र अधिसूचना के 45 वर्ष के बाद ही की जा सकती है।

हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में तेल के मूल्य

764. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनी संबंधी समिति ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सरकारी मूल्य प्रणाली समाप्त करने सहित कतिपय सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के शीर्ष प्रबंधकों तथा शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थानों से प्रमुख विशेषज्ञों को सम्मिलित करके राष्ट्रीय तेल उद्योग की पुनर्संरचना के संबंध में एक "नीति निर्धारण योजना दल" तैयार किया गया है। दल ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

मीडिया के माध्यम से हिंसा और अश्लीलता

765. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :**
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :
श्री फूलचंद वर्मा :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फीचर फिल्मों, दूरदर्शन कार्यक्रमों और विज्ञापनों में हिंसा और अश्लीलता के प्रदर्शन में वृद्धि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रदर्शन के जनता पर विपरीत प्रभाव पड़ने के संबंध में अध्ययन करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला; और

(घ) फिल्मों, दूरदर्शन कार्यक्रमों और विज्ञापनों में इस प्रकार की फूहड़ता और अश्लीलता के अवांछित प्रदर्शन पर रोक लगाने हेतु अलग-अलग मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (घ). चलचित्र अधिनियम, 1952 और इसके अन्तर्गत जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के प्रावधानों के अनुसार, भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु आशयित सभी फिल्मों को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रमाणन हेतु फिल्मों पर विचार करते समय बोर्ड अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करेगा कि अश्लीलता, अभद्रता तथा चरित्रहीनता द्वारा मानवीय संवेदनाओं को आघात न पहुंचे और हिंसा जैसे असामाजिक कार्यकलापों को महिमामण्डित न किया जाए।

हाल के तुलनात्मक आंकड़ों से यह इंगित होता है कि फीचर फिल्मों के मामले में स्पष्ट "अ" प्रमाणपत्रों की संख्या में कमी आई है और काट-छांट सहित "ब" प्रमाणपत्रों, प्रारंभिक अस्वीकृति तथा उत्पाद शुल्क वाली सामग्री की लम्बाई में वृद्धि हुई है। इसके अलावा केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की जांच/पुनरीक्षण समिति में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया गया है।

हिंसा तथा अश्लीलता वाले कार्यक्रमों के प्रसारण को रोकने को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा तैयार की गई प्रसारण संहिता के प्रावधानों के अनुसरण में दूरदर्शन अपने सभी कार्यक्रमों को टेलीकास्ट करने से पहले उनकी समीक्षा करता है।

दूरदर्शन पर विज्ञापनों का टेलीकास्ट, वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता द्वारा शासित होता है। इस संहिता में यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी विज्ञापन स्वस्थ रूचि और शालीनता के सुस्थापित मानदण्डों के अनुसार हों।

अतिरिक्त जल का उपयोग

766. श्री पी. कुमारासामी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों से समुद्र में गिरने वाले अप्रयुक्त जल की मात्रा का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने तमिलनाडु से लगे हुए क्षेत्रों में इस जल के बेहतर प्रयोग हेतु कोई कदम उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का केरल में पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों के अतिरिक्त जल के उपयोग हेतु ऐसा अध्ययन कराने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने विकास के चरम स्तर में बेसिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद अधिशेष जल वाली बेसिनों से जल की कमी वाली बेसिनों को जल का अन्तःबेसिन अन्तरण करने की योजना बनाने के लिए अधिशेष जल/जल की कमी की मात्रा का आकलन करने हेतु केरल की अनेक पश्चिम प्रवाहित नदियों के जल संतुलन अध्ययन किए हैं।

(ख) से (घ). अभिकरण ने केरल में पम्बा और अचनकोविल के अधिशेष जल के एक भाग का अन्तरण तमिलनाडु में वैप्पार की जल की कमी वाली बेसिन में करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन भी किए हैं। इस प्रस्ताव का क्रियान्वयन करने से पहले, केरल राज्य सरकार की सहमति अपेक्षित है।

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद

767. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद के निपटारे के संबंध में कोई नई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार को उक्त विवाद के निपटारे के संबंध में महाराष्ट्र विधान मंडल द्वारा पारित कोई संकल्प भी प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (च). महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य सीमा विवाद, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद से लम्बित पड़ा है। इस मामले की जांच करने के लिए भारत सरकार ने महाजन आयोग का गठन किया था और आयोग ने 1967 में अपनी सिफारिशें दे दी थी, जिन्हें कर्नाटक सरकार ने पूरी तरह मान लिया था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें अस्वीकार कर दिया था। मतभेद बने हुए हैं।

महाराष्ट्र विधान सभा ने 17/18.6.1986 और 16.3.1988 को एकसर्व-सम्मत संकल्प पारित किया था, जिसमें केन्द्र सरकार से सीमा विवाद को हल करने का अनुरोध किया गया था।

भारत सरकार का यह मत है कि विवाद का हल प्राथमिक रूप से दोनों संबंधित राज्य सरकारों को, आपसी विचार-विमर्श और एक दूसरे का ख्याल रखते हुए निकालना है और केन्द्र सरकार को इस संबंध में संबंधित राज्य सरकारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने में प्रसन्नता होगी।

पाइप लाइन के द्वारा रसोई गैस

768. श्री एस.एम. लालाजान बाशा : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस के वितरण के लिए अधिक कारगर प्रणाली तैयार करने और लागू करने के लिए तेल कंपनियों को निर्देश दिए हैं;

(ख) क्या प्रमुख शहरों में रसोई गैस की आपूर्ति पाइप लाइन के माध्यम से किए जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). नयी हाउसिंग कालोनियों में पाइपलाइन के माध्यम से घरेलू उपभोक्ताओं को एल पी जी की आपूर्ति के प्रस्ताव सरकार तेल कंपनियों के अध्ययन तथा जांच अधीन है।

अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कार्पोरेशन

769. श्री गुरुदास कामत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कार्पोरेशन को भारतीय बाजार में प्रवेश करने की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश कुंआ परियोजना

770. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीदरलैंड आन्ध्र प्रदेश कुंआ परियोजना के लिए सहायता देने पर सहमत हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार भी इस परियोजना के लिए अतिरिक्त सहायता देने पर सहमत हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना के अन्तर्गत किन-किन जिलों के लाभान्वित होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). जी, हां। इस परियोजना के लिए 39 मिलियन नीदरलैंड गिल्डर की सहायता राशि हेतु भारत सरकार और नीदरलैंड सरकार के बीच एक करार पर 14 नवम्बर, 1994 को हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) और (घ). केन्द्रीय सहायता समग्र रूप से, सभी परियोजनाओं के लिए, राज्य सरकारों को एक मुश्तरोशि निर्मुक्त की जाती है। इसलिए इस परियोजना के लिए पृथक रूप से कोई सहायता निर्धारित नहीं की गई है।

(ङ) यह परियोजना करनूल, महबूब नगर, अनन्तपुर, प्रकासम, नालगौण्डा, चित्तूर और कड्डप्पा जिलों को लाभ पहुंचायेगी।

यूरोपीय देशों में लड़कियों को भेजा जाना

771. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता चला है कि उड़ीसा से प्रतिवर्ष लड़कियों को बड़ी संख्या में यूरोपीय देशों में भेजा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा से अब तक कितनी लड़कियों को भेजा गया है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में इस गैर-कानूनी गतिविधि पर रोक लगाने तथा नियंत्रण पाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

बीयर प्रसंस्करण

772. **श्री एन.जे. राठवा :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में एक बीयर प्रसंस्करण एकक की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार स्वयं बीयर निर्माण यूनिटों की स्थापना नहीं करती।

[अनुवाद]

ट्रूना मछली

773. **श्री सुधीर सावन्त :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य और कृषि संगठन द्वारा ट्रूना जैसी मछलियों का वैज्ञानिक प्रबन्ध सुनिश्चित किए जाने हेतु हिन्द महासागर ट्रूना आयोग में शामिल होने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत में ट्रूना मछलियों की कुल उपलब्धता कितनी है तथा इस संबंध में भारत का हिस्सा कितना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख). जी, हां। ट्रूना आयोग की स्थापना का उद्देश्य हिन्द महासागर में ट्रूना और ट्रूना जैसी अन्य मछलियों के युक्तिसंगत दोहन, संरक्षण और प्रबन्ध को सुनिश्चित करना है। आशा की जाती है कि इस आयोग की स्थापना से हिन्द महासागर के तटवर्ती राज्यों और उन राज्यों, जिनके राष्ट्रिक इस क्षेत्र में ट्रूना और ट्रूना जैसी अन्य मछलियों का शिकार करते हैं, के बीच सहयोग बढ़ेगा।

(ग) अनुमान है कि भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में लगभग 3 लाख टन ट्रूना मछली उपलब्ध है। जहरहाल 1992 में भारत में लगभग 36,000 टन ट्रूना का उत्पादन हुआ।

[हिन्दी]

हावड़ा में परिक्रमा रेलवे

774. **श्री प्रेम चन्द राम : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हावड़ा में परिक्रमा रेलवे शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली को शुरू करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

शहरी, कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) दमदम से प्रिसेप घाट तक एक सर्कुलर रेलवे शुरू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा रेल इण्डिया टेक्नीकल एण्ड इकनामिक सर्विसेज लिमिटेड (राइट्स) के माध्यम से एक साध्यता अध्ययन कराया जा रहा है। यह अध्ययन चल रहा है और इसके मार्च, 1996 तक पूरा होने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

बल्क औषधियों के लिए औद्योगिक लाइसेंस

775. **श्री परसराम भारद्वाज :**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषधि (मूल्य एवं नियंत्रण) आदेश, 1995 के अन्तर्गत बल्क औषधियों और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के लिए औद्योगिक लाइसेंस देना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन औषधियों के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता बनी रहेगी?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). औषध नीति, 1986 में संशोधनों के अनुसार, जो सितम्बर, 1994 में घोषित किए गए थे, निम्नलिखित को छोड़कर 25 अक्तूबर, 1994 को जारी आदेशों के द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रपुंज औषधों, मध्यवर्तियों और सूत्रयोगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है :—

(क) विटामिन बी 1(थियामिन एनासिन) और इसके लवण और व्युत्पाद विटामिन बी 2 (रिबोफलेविन) और इसके लवण और व्युत्पाद, फोलिक एसिड, टेट्रासाइक्लिन और इसके लवण, और आक्सीटेट्रोसाइक्लीन और इसके लवण।

(ख) री-कोम्बीनेन्ट डी.एन.ए. प्रौद्योगिकी के प्रयोग वाली प्रपुंज औषधों और एक्टिव प्रिसिंपल के रूप में न्युक्लीक एसिड के विवो प्रयोग वाली प्रपुंज औषधें।

(ग) स्पेसिफिक सेल्स/टिसूज टारगेटेड फार्मूलेसन्स पर आधारित सूत्रयोग।

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए विश्व बैंक से धनराशि

776. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक विजयवाड़ा तथा एलूरू और नंदीगाम तथा चिलकालूरिपेटा के बीच चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य की शीघ्र पूरा करने हेतु वित्त प्रदान करने पर सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, ता तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). एशियाई विकास बैंक, रा.रा. 5 पर विजय वाड़ा और एलरू के बीच मौजूदा दो लेन वाली सड़क के हिस्सों को सुदृढ़ करने, 3.4 से 13.0 कि.मी. के बीच चार लेन बनाने और एलरू शहर में बाईपास बनाने तथा रा. रा. 9 पर नन्दीगाम और विजयवाड़ा के बीच मौजूदा दो लेन वाली सड़क को सुदृढ़ करने और 252 से 265 कि.मी. के बीच चार लेन बनाने के कार्य के लिए ऋण सहायता उपलब्ध कराने पर सहमत हुआ है। उपर्युक्त स्कीमों की अनुमानित लागत लगभग 203 करोड़ रुपये है। इस ऋण समझौते पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।

"फैक्स" कनेक्शन के लाइसेंस शुल्क में कमी

777. **श्री राम नाईक : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी तथा व्यावसायिक उपयोग हेतु "फैक्स" कनेक्शन के लाइसेंस शुल्क में कमी करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). दूरसंचार विभाग ने 10.12.94 अर्थात् गजट अधिसूचना जारी होने के तारीख से पी एस टी एन पर फैक्स प्रयोग के लिए निजी एवं वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु दिए लाइसेंस फीस घटाकर पहले ही क्रमशः 300 रु. और 5000 रु. कर दी है। फैक्स टैरिफ पर पुनर्विचार का कोई नया प्रस्ताव नहीं है।

विदेश संचार निगम लिमिटेड के संसाधन

778. डा. वसंत पवार : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश संचार निगम लिमिटेड का यूरो इश्यू द्वारा अपनी विस्तार योजनाओं के लिए संसाधन जुटाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्राथमिकता वाले किन क्षेत्रों में इन संसाधनों का उपयोग किया जायेगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिकतम मूल्य की वसूली के लिए यह निर्णय लिया गया है कि 10 रु. मूल्य वर्ग के समतुल्य अलग-अलग 20 मिलियन के नए शेयर जारी किए जाएं।

(ग) यूरो निर्गम से प्राप्त निधिका, जिन क्षेत्रों में उपयोग किए जाने की संभावना है, के प्राथमिकता के क्षेत्र हैं :—

(i) जालमाला केबिल : भारत के तटीय क्षेत्र से गुजरने वाली सबमैरीन फाइबर आप्टिक केबिल।

(ii) मेट्रो स्विचेज : बड़े नगरों में उच्च क्षमता वाली टेलीफोन स्विच-कार्य-प्रणाली का संस्थापन करके स्थानीय क्षमता में वृद्धि।

(iii) फाइबर आप्टिक लिंक अरांउड दि ग्लोब : (एफ.एल.ए.जी) : यूरोप तथा दूर-दराज के देशों को भारतीय सागर के क्षेत्रों के साथ जोड़ने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सब मैरीन केबिल।

(iv) इनमारसेट : पी-ग्लोबल सेटेलाइट पर आधारित मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन प्रदान करने के लिए इनमारसेट द्वारा प्रस्तावित परियोजना।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सड़क निधि से बिहार की धनराशि का आबंटन

779. श्री लाल बाबू राय : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सड़क निधि से बिहार को गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी-कितनी धनराशि का आबंटन किया गया;

(ख) इस अवधि के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी और कितनी धनराशि वास्तव में दी गयी;

(ग) उन लंबित परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनके लिए बिहार सरकार ने केन्द्रीय सड़क निधि से केन्द्रीय सहायता मांगी है; और

(घ) केन्द्रीय सड़क निधि से 1994-95 के दौरान कितनी धनराशि दिए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). गत तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य को केन्द्रीय सड़क निधि के तहत आबंटित राशि और स्वीकृत कार्यों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(लाख रु.)

वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	आबंटित राशि
1991-92	समस्तीपुर-दरभंगा सड़क (राज्यीय राजमार्ग) पर बूढ़ी गंडक नदी के मेगरडिही घाट पर बने पुल को बदलना।	219.17	20.00
1992-93	—	शून्य	100.00
1993-94	—	शून्य	40.00

(ग) छपरा मांझी सड़क (13 कि.मी.) को चौड़ा करने और मजबूत बनाने (सड़क के भूपटल को चौड़ा करके 3.05 मीटर से 5.5 मीटर करना और अधिक यातायात के लिए पेवमेंट को उपयुक्त रूप से मजबूत बनाने) के लिए 1994-95 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और उसके लिए 168.533 लाख रु. की मंजूरी दी गई थी जिसमें 154.29 लाख रुपये केन्द्रीय सड़क निधि के भाग के रूप में और 14.243 लाख रु. राज्य के एक भाग के रूप में हैं।

(घ) संशोधित बजट अनुमान पारित होने के बाद वर्ष 1994-95 के लिए उपलब्धता के अनुसार निधियां आबंटित की जाएंगी।

[अनुवाद]

टेलीफोन बिलों के लिए प्राइवेट कूरिअर सर्विस

780. श्री राम कापसे : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, मुम्बई ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कुछ क्षेत्रों में उपभोक्ताओं तक टेलीफोन बिल पहुंचाने हेतु कोई प्राइवेट कूरिअर सर्विस योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को शुरू करने के क्या कारण हैं और इस पर कितना अतिरिक्त वार्षिक खर्च होगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) 3 क्षेत्रों में बिलों को डिलीवर करने के लिए, प्रयोगात्मक उपाय के रूप में वाहक (कूरिअर) नियुक्त किया गया है।

(ग) उपभोक्ताओं को बिलों की शीघ्र डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए वाहक द्वारा टेलीफोन बिलों की डिलीवरी करने का प्रयोग किया जा रहा है। अतिरिक्त वार्षिक व्यय करीब 30 लाख रु. है।

[हिन्दी]

डी.ए.पी. का उत्पादन

781. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड ने डाई-अमोनियम फास्फेट (डी.ए.पी.) के उत्पादन में 30 से 40 प्रतिशत की कमी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

बिहार में टेलीफोन कनेक्शन

782. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :**
श्री ललित उरांव :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची में जिले-वार कितने व्यक्ति हैं;

(ख) क्या इन सभी लोगों को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में बिहार राज्य सहित संपूर्ण देश में 1997 तक व्यावहारिक रूप से मांग होने पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बिहार में 31.1.95 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची के जिला-वार ब्यौरे

क्र.सं.	जिले का नाम	प्रतीक्षा-सूची
1	2	3
1.	भभुआ	194
2.	भोजपुर (आरा)	1291
3.	बक्सर	471
4.	रोहतास	675
5.	बंका	8
6.	भागलपुर	1681
7.	मुंगेर	528
8.	नवादा	313
9.	छपरा	368
10.	गोपालगंज	243
11.	सिवान	563
12.	बेगूसराय	795
13.	दरभंगा	1313
14.	खगरिया	146
15.	मधुबनी	419
16.	समस्तीपुर	528
17.	देवघर	326
18.	दुमका	75
19.	गोड्डा	119
20.	पकूर	46
21.	साहेबगंज	35
22.	बोकारो	1153
23.	धनबाद	1090
24.	गढ़वा	25
25.	पलामू	116
26.	औरंगाबाद	715
27.	गया	3082
28.	जहानाबाद	253
29.	छत्र	47
30.	गिरिडीह	412
31.	हजारीबाग	1244
32.	झुमरी तलैया	235
33.	सिंहभूम (पूर्व)	6297

1	2	3
34.	सिंहभूम (पश्चिम)	1007
35.	कटिहार	123
36.	किशनगंज	4
37.	पूर्णिया	519
38.	जमूई	103
39.	लखीसराय	98
40.	शेखपुरा	3
41.	चंपारन (पूर्व)	912
42.	चंपारन (पश्चिम)	508
43.	मुजफ्फरपुर	1157
44.	सियोहार	37
45.	सीतामढ़ी	479
46.	वैशाली	914
47.	नालंदा	671
48.	पटना	3622
49.	गुमला	88
50.	लोहरदग्गा	136
51.	रांची	923
52.	माधोपुरा	208
53.	सहरसा	61
54.	सुपौल	30
55.	अररिया	38
	योग :	36447

[अनुवाद]

निष्कर्षण कार्य हेतु हालैन्ड की कम्पनी

783. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन न्यास में निष्कर्षण कार्य करने के लिए हालैण्ड की किसी निष्कर्षण कम्पनी को आमंत्रित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) कलकत्ता पत्तन न्यास से संबंधित निष्कर्षण कार्य के लिए 1993-94 अथवा 1994-95 के दौरान किसी डच निकर्षण कंपनी को आमंत्रित नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सुरक्षा परिषद का विस्तार

784. डा. आर. मल्लू : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुरक्षा परिषद के विस्तार के बारे में ताजा स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में मानदंड की रूपरेखा तय करने वाले समूह ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (ग). "सुरक्षा परिषद में औचित्यपूर्ण प्रतिनिधित्व और उसकी सदस्य संख्या में वृद्धि" के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यदल विचार-विमर्श कर रहा है।

अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड

785. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यार्ड के विस्तार और विकास हेतु विदेशी पूंजी निवेशकर्त्ताओं को आकर्षित करने के लिए अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं का जायजा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जापानी पूंजी निवेशकर्त्ताओं के एक दल ने हाल ही में इस यार्ड का दौरा किया था;

(घ) यदि हां, तो जापानी पूंजी निवेशकर्त्ताओं के दल की इस संबंध में प्रतिक्रिया क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस यार्ड में आधारभूत सुविधाओं का सुधार करने का है;

(च) यदि हां, तो इन सुविधाओं का सुधार कब तक हो जाएगा; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख). गुजरात सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय गुजरात मैरिटाइम बोर्ड, जो अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड के लिए प्रशासनिक प्राधिकारी है, ने सूचित किया है कि अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड का सुनियोजित विकास और विस्तार कार्य शुरू करने के लिए गुजरात सरकार/गुजरात मैरिटाइम बोर्ड ने अलंग क्षेत्र की विस्तृत विकास योजना तैयार की है। 140 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत में चरणबद्ध ढंग से सड़कों, भवनों, बस्ती, यातायात और परिवहन, सामाजिक संरचना सार्वजनिक सुविधाओं आदि के विकास की परिकल्पना की गई है।

(ग) और (घ). गुजरात मैरिटाइम बोर्ड ने सूचित किया है कि जापानी निवेशकों के किसी दल ने हाल ही में यार्ड का दौरा नहीं किया है।

(ङ) से (छ). गुजरात मैरिटाइम बोर्ड ने सूचित किया है कि उन्हें आशा है कि वे प्रस्तावित विकास योजना के चार वर्ष की अवधि के भीतर कार्यान्वित कर लेंगे। अतिरिक्त शिप ब्रेकिंग प्लांटों के विकास कार्यों के साथ ही साथ सड़कों तथा पुलों का निर्माण कार्य इस समय प्रगति पर है।

भारतीय लौह एवं इस्पात कम्पनी में स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति

786. डा. लाल बहादुर रावल : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय लौह एवं इस्पात कम्पनी के दिल्ली स्थित कार्यालय से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन करने वाले कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आग्रह को स्वीकार करने में देरी होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन कर्मचारियों को कब तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे दी जायेगी?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) राष्ट्रीय नवीकरण निधि से अनुदान सहायता सहित स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के तहत 1.11.94 से अब तक इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के दिल्ली कार्यालय के 6 कर्मचारियों (4 कार्यपालकों और 2 गैर-कार्यपालकों) ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए आवेदन किया है।

(ख) और (ग). चार कर्मचारियों (3 कार्यपालक और एक गैर-कार्यपालक) के आवेदन-पत्रों को स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया है। एक आवेदन आयु संबंधी मानदण्ड पूरा नहीं करता और इसलिए स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के लिए उनके आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया गया। अन्य आवेदकों के आवेदन-पत्रों को संगठनात्मक आवश्यकताओं के हित में स्वीकार नहीं किया गया। अतः स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति अनुरोधों की स्वीकृति में विलम्ब होने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पंचायतों में डाकघर

787. श्री खोलन राम जांगडे : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में अनेक ग्राम प्रचायतों में डाकघर सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो देश में राज्य-वार ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में प्रत्येक ग्राम पंचायत में डाकघर खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो ये डाकघर कब तक खोल दिए जायेंगे और इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ). योजना के अधीन ग्राम पंचायत वाले गांवों में उत्तरोत्तर डाकघर खोले जाते हैं, बशर्ते कि विभागीय मानदंडों की पूर्ति होती हो और संसाधन उपलब्ध हों। डाकघर खोलने के लिए ग्राम पंचायत मुख्यालय को प्राथमिकता दी जाती है। आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के प्रथम दो वर्षों के दौरान देश में 1302 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोले गए हैं। वर्ष 1994-95 के दौरान देश में 80 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, सरकार का पंचायत संचार सेवा योजना नामक एक योजना आरम्भ करने का भी प्रस्ताव है, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ग्राम पंचायतों के माध्यम से कुछ बुनियादी डाक सुविधायें सुलभ कराई जायेंगी।

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग

788. श्री छेदी पासवान : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग). जी, हां। 8वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों को 2 लेन/4 लेन का बनाने का प्रावधान है :—

रा.रा.	खण्ड	लम्बाई
2	399 से 422 कि.मी. तक बरवा-अहा से बढ़ाकर खण्ड को 4 लेन का बनाना	43 कि.मी.
23	34.8 से 85.76 कि.मी. तक कास-पित्राबरी-गोला-ओरमांझी खण्ड को 2 लेन का बनाना	51 कि.मी.
23	53 से 77.2 कि.मी. तक बेरो-गुमला खंड को 2 लेन का बनाना	24.2 कि.मी.
32	143 से 147 कि.मी. तक पुरुलिया-चान्दिल खंड को 2 लेन का बनाना	4 कि.मी.

[अनुवाद]

केरल में टेलीफोन एक्सचेंज

789. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1995-96 के दौरान केरल में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1995-96 के दौरान केरल में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने की योजना है, उनका ब्यौरा :

I. छोटी/मध्यम क्षमता के एक्सचेंज

क्र.स.	एक्सचेंज का नाम	क्षमता (लाइनों की संख्या)
1	2	3
1.	चैंपानोड	88
2.	थौटुमुक्कोम	88
3.	पेरिया	88
4.	बाझायुर	88
5.	चुलीकोड	88
6.	पाडिचिरा	88
7.	आवाला	184
8.	किजीसेरी	184
9.	चापानानगाड़ी	184
10.	कोलाथूर	184
11.	पादीनहाराथारा	184
12.	विलयपल्ली	368
	त्रिचूर एस एस ए	
13.	श्रीनारायणपुरम	184
14.	वल्लाकुन्नू	552
15.	वेंकीतांगु	552
	कोट्टायम एसएसए	
16.	वालावूर	184
17.	नीनदूर	184
1	2	3
	त्रिवेन्द्रम एस एस ए	
18.	भारतहान्यूर	88
19.	मान्नूरकोनम	184
	कुईलोन एस एस ए	
20.	चोजियाकोड	88
21.	कुम्मिल	184
	एर्नाकुलम एस एस ए	
22.	काठियापाड़ा	88
23.	सूरिएनेली	88
24.	स्वराज	184
25.	मंजापाडा	368
26.	श्रीअमूलनाश्रम	368
27.	मूथाकुनाम	368
28.	अलानगाद	368
29.	इदावानाकाड	368
30.	वाईपिन	368
	कैन्नूर एस एस ए	
31.	वाणी नगर	88
32.	वालियापारम्बा	184
33.	वानियापाडा	184
34.	वाराम	184
35.	कानियाला	184
36.	कालीचानादुक्कोम	184
37.	मूलूपारम्बा	184

II. बड़ी क्षमता वाले एक्सचेंज

क्र.स.	एक्सचेंज का नाम	क्षमता (लाइनों की संख्या)
1	2	3
1.	त्रिवेन्द्रम	10,000
2.	त्रिवेन्द्रम-मानाकोड	2,000
3.	एर्नाकुलम-कोचीन	4,000
4.	एर्नाकुलम-कौसिला	2,000
5.	कालीकट	10,000
6.	कुईलोन-वैलेइट्टाम्बालम	3,000
7.	त्रिवेन्द्रम-कास्थीपारा	5,000

कीमती पत्थरों की तस्करी

790. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से परिचित है कि उड़ीसा के कोरापुट तथा फूलबनी जिलों से बेशकीमती तथा कुछ कम कीमत वाले पत्थरों की वृहत पैमाने पर तस्करी हो रही है;

(ख) क्या राज्य में इन कीमती पत्थरों के खनन को नियंत्रित करने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

बिहार में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

791. श्री ललित उरांव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन एक्सचेंजों को कब तक स्थापित कर दिया जायेगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1994-95 के दौरान चालू किए गए कम और अधिक क्षमता वाले ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंजों के ब्यौरे

क्र.सं.	स्थान का नाम	क्षमता
1	2	3
1.	पालका	88
2.	भरमारपुर	88
3.	गोला	88
4.	मुंगेर	88
5.	सरदहा	88
6.	आलमनगर	88
7.	बेलाटेरहा	88
8.	बारकन	88
9.	अरगदा	88
10.	परवाहा	88
11.	रामगढ़	88
12.	गंगती	56
13.	पटाही	88
14.	राजौरा	88
15.	रांची	10000
16.	रामपुर	88
17.	नमकुम	500
18.	करजन	88
19.	वेनी	184
20.	चैनपुर	88
21.	शाखान	88
22.	घोसैठ	88
23.	सरायढ़ेला	3000
24.	नरवापहाड़	88
25.	अनीशाबाद	2000
26.	तामर	88
27.	एमआईटी-मुजफ्फरपुर	2000
28.	साबिया	88
29.	बिहार शरीफ	2000
30.	धनबाद	5000
31.	कतराश	1000
32.	आदित्यपुर	2000
33.	टेल्को-जमशेदपुर	2000
34.	बालीदीह	1000

II (i) वर्ष 1995-96 के लिए बड़े एक्सचेंजों के प्रस्ताव

1.	बोकारो	3500
2.	डाल्टनगंज	2000
3.	पूर्णिया	2000
4.	अराह	2000
5.	छपरा	1500
6.	दरभंगा	3000

II (ii) छोटे एक्सचेंज : विभाग की नीति के अनुसार, उन स्थलों पर छोटे एक्सचेंज खोले जाते हैं, जहां 10 या उससे अधिक दत्त पंजीकृत मांग दर्ज हों। अतः उन स्थानों के ब्यौरे नहीं दिए जा सकते।

[अनुवाद]

अंतर्राज्यीय परिवहन योजनाएं

792. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत की गयी महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय परिवहन योजनाओं की क्या संख्या है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितना खर्चा आयेगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और लोकसभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर एस.टी.डी./सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

793. **श्री राम कृपाल यादव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों पर एस.टी.डी. सुविधा युक्त सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार ये केन्द्र कहां-कहां स्थापित किए जायेंगे; और

(ग) यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां। सरकार की राष्ट्रीय राजमार्गों पर एस.टी.डी. युक्त सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने की योजना है।

(ख) इन्हें राजमार्गों पर दस-दस किलोमीटर की दूरी पर प्रदान किया जाएगा।

(ग) यह सुविधा उत्तरोत्तर रूप से प्रदान की जा रही है।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंसट्रक्शन लिमिटेड का आधुनिकरण

794. **श्री सूरज मंडल :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो स्टील लिमिटेड के अन्तर्गत हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंसट्रक्शन लिमिटेड ने आधुनिकीकरण के कार्य को 1994 के नवम्बर/दिसम्बर माह में कुछ निजी पार्टियों को दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सौंपे गए कार्य और पार्टियों के साथ हुए समझौते की विषयवस्तु का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पार्टी को कुछ अग्रिम राशि का भुगतान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (घ). जी, हां। हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंसट्रक्शन लिमिटेड (एच.एस.सी.एल.) ने इस्पात गलनशाला-II (एस.एम.एस.) में सतत ढलाई प्रभाग (सी.सी.डी.) के लिए सिविल इंजीनियरी और स्ट्रक्चरल फेब्रिकेशन कार्य (चरण-I), सहायक इकाई के लिए सिविल कार्य और बोकारो इस्पात संयंत्र के तप्त बेलन मिल क्षेत्र में पुनर्तापन भट्टी संख्या-4 के लिए शेष कार्य हेतु बातचीत के आधार पर बोकारो स्टील लिमिटेड के सिविल इंजीनियरिंग कार्य और एस.एम.एस.-II में सी सी डी के लिए कुछ स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन कार्यों को 24 करोड़ रुपए और 9.27 करोड़ रुपये के मूल्य पर क्रमशः 28.11.94 और 4.2.95 को मैसर्स बख्तावर सिंह बालकृष्ण (लिमिटेड) को दिया है। इसी प्रकार सहायक इकाई के लिए सिविल कार्य और तप्त बेलन मिल क्षेत्र में पुनर्तापन भट्टी संख्या-4 के शेष कार्य 2.23 करोड़ रुपए के मूल्य पर 24.12.94 को मैसर्स टर्नकी इन्टरनेशनल लिमिटेड को दिया गया है।

संविदा की शर्तों के अनुसार उनको अग्रिमों का भुगतान किया गया है। महत्वपूर्ण शर्तें निम्नलिखित हैं :—

(क) सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स-बोकारो इस्पात संयंत्र के एस.एम.एस.-II में सी सी डी वर्क्स (चरण-I)

1. आशय पत्र की स्वीकृति और उतनी ही राशि की बैंक गारन्टी देने के बाद संविदा मूल्य की 10 प्रतिशत राशि के ब्याज मुक्त प्रारम्भिक अग्रिम का भुगतान किया जाएगा। अग्रिम की वसूली चालू खाते से "यथा-अनुपात" आधार पर की जाएगी।
2. बैंक गारन्टी का मूल्य चालू खाता बिलों से ली गई अग्रिम के लिए वसूल की गई राशि की सीमा तक उत्तरोत्तर रूप से कम होगा।
3. आशय-पत्र स्वीकार होने और उतनी ही राशि का ऋण भार मुक्त बंधक बॉण्ड प्रस्तुत करने पर संयंत्र और उपस्करों के लिए भुगतान किए जाने वाले चल अग्रिम के लिए संविदा मूल्य का अतिरिक्त 5 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। भुगतान किए गए अग्रिम की वसूली चालू खाता बिलों से यथा-अनुपात आधार पर की जाएगी।

(ख) बोकारो इस्पात संयंत्र की एस.एम.एस.-II में सी सी डी के लिए स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन कार्यों हेतु

1. उतनी ही राशि की बैंक गारंटी देने पर कार्य के कुल मूल्य की 15 प्रतिशत राशि ब्याज मुक्त प्रारंभिक अग्रिम (वसूली योग्य नहीं) के रूप में दी जाएगी। बैंक गारंटी का मूल्य किए गए फैब्रिकेशन कार्य के मूल्य के आधार पर प्रगामी रूप से कम होता जाएगा।

(ग) बोकारो इस्पात संयंत्र की सहायक इकाई के सिविल कार्यों और तप्त बेल्लन मिल (ऐच आर एम क्षेत्र) में पुनर्तापन भट्टी के लिए शेष कार्य हेतु।

1. आशय-पत्र स्वीकार होने और बैंक गारंटी देने पर संविदा मूल्य की 10% राशि का भुगतान ब्याज मुक्त प्रारंभिक अग्रिम के रूप में दिया जाएगा। दिए गए अग्रिम की वसूली चालू खाता बिलों से "यथा-अनुपात" आधार पर की जाएगी।

[हिन्दी]

गैस तथा पैट्रोल पर आधारित विद्युत केन्द्र

795. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी क्षेत्र में पैट्रोलियम गैस पर आधारित विद्युत केन्द्रों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा इन विद्युत केन्द्रों को किन-किन स्थानों पर स्थापित करने का विचार है;

(ख) प्रत्येक विद्युत केन्द्र की अधिष्ठापित क्षमता कितनी-कितनी है तथा उनमें प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में पैट्रोल अथवा गैस की खपत होने का अनुमान है;

(ग) क्या पैट्रोल तथा गैस की आवश्यक मात्रा की पूर्ति के लिए सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है;

(घ) इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ गैस अथवा पैट्रोल के आयात के संबंध में क्या व्यवस्था की गयी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ङ). केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) को अभी तक गैस/पैट्रोलियम पदार्थों पर आधारित चौदह विद्युत परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विद्युत केन्द्र, अधिष्ठापित क्षमता, वार्षिक खपत, प्राप्त लिंकेज इत्यादि के बारे में ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्र.सं.	परियोजना/अवस्थिति का नाम	क्षमता (मे.वा.)	ईंधन लिंकेज की स्थिति
1.	गोदावरी गैस टीपीएस/आन्ध्र प्रदेश	208	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 1.00 एमसीएमडी की तुलना में 0.75 एमसीएमडी गैस लिंकेज की सहमति दी गई है।
2.	पागुथान जीटीसीसी/गुजरात	655	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 2.25 एमसीएमडी की तुलना में 1.50 एमसीएमडी गैस लिंकेज की सहमति दी गई है।
3.	जेगुरूपाडु सीसीपीपी/आन्ध्र प्रदेश	235	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 1.00 एमसीएमडी की तुलना में 0.75 एमसीएमडी गैस लिंकेज की सहमति दी गई है।
4.	दभोल सीसीजीटी/महाराष्ट्र	2015	आयातित एलएनजी पर आधारित (चरण-I, 695 मे.वा. एचएसडी)*
5.	खारसांग गैस टीपीएस/अरुणाचल प्रदेश	8	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गैस लिंकेज के लिए सहमति दी गई है।
6.	हजीरा जीटीसीसी टीपीएस/गुजरात	500	ईंधन लिकेज अभी सुनिश्चित किया जाना है।
7.	145 मे.वा. सीसीपीपी/गुजरात	145	ईंधन लिंकेज अभी सुनिश्चित किया जाना है।
8.	पिपावाव सीसीपीपी/गुजरात	615	ईंधन लिंकेज अभी सुनिश्चित किया जाना है।
9.	मंडेर सीसीजीटी/मध्य प्रदेश	330	ईंधन लिंकेज अभी सुनिश्चित किया जाना है।
10.	पिल्लाईपेरूमलनल्लूर/तमिलनाडु	300	2.00 एमसीएमडी के लिए गैस लिंकेज की सहमति दी गई थी, लेकिन पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा सितंबर, 1990 से आस्थगित रखा गया। नापथा के उपयोग की परिकल्पना की गई है। अभी तक लिंकेज सुनिश्चित नहीं किया गया है।
11.	भिवपुरी जीटीसीसी/महाराष्ट्र	450	द्रव ईंधन के उपयोग की परिकल्पना की गई है। ईंधन लिंकेज अभी सुनिश्चित किया जाना है।
12.	ग्वालियर टीपीएस/मध्य प्रदेश	126	द्रव ईंधन के उपयोग की परिकल्पना की गई है। ईंधन लिंकेज अभी सुनिश्चित किया जाना है।
13.	समायानल्लूर डीजल/तमिलनाडु	100	द्रव ईंधन के उपयोग की परिकल्पना की गई है। ईंधन लिंकेज अभी सुनिश्चित किया जाना है।
14.	जामनगर टीपीएस/गुजरात	500	रिफाइनरी से पैट्रोलियम कोक के सीधे उपयोग की परिकल्पना की गई है।

* प्रवर्तक द्वारा आयात सुविधा सुनिश्चित की जानी है।

भारत–म्यांमार सांस्कृतिक संगठन

796. **श्री राम प्रसाद सिंह :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत–म्यांमार सांस्कृतिक संगठन बनाने हेतु कोई व्यापक कार्यक्रम शुरू करने का है जिससे म्यांमार के साथ सांस्कृतिक तथा द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ़ होंगे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल में छोटे और मध्यम शहरों का विकास

797. **श्री थाइल जॉन अंजलोज :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल में छोटे और मध्यम शहरों के विकास के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और,

(ग) केन्दीय सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

शहरीकार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). आठवीं पंचवर्षीय योजना (15.03.95 तक) के दौरान, केरल राज्य में कस्बों के 5 नए परियोजना प्रस्ताव मिले हैं जो छोटे तथा मझौले कस्बों के समेकित विकास की केन्द्रीय प्रयोजित योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप हैं। इनका अनुमोदन कर दिया गया है और 168.50 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता रिलीज कर दी गई है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

क्र. सं.	कस्बे का नाम	केन्द्रीय सहायता (पहली किश्त) (लाख रुपये में)
1.	अल्लाप्पुश	25.00
2.	अलूवा	30.50
3.	चेरतला	13.00
4.	कोल्लाम	40.00
5.	तिरूवल्ला	60.00
		168.50

[हिन्दी]

आगरा में विदेशी डाकघर

798. **श्री भगवान शंकर रावत :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आगरा में विदेशी डाकघर खोलने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). संजय प्लेस उप डाकघर, आगरा में 1.4.1995 से इन–हाउस कस्टम क्लीयरेंस सुविधाओं सहित एक एक्सपोर्ट एक्सटेंशन काउंटर खोला जा रहा है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–47 को चौड़ा करना

799. **श्री पी.सी. चाको :** क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार से राष्ट्रीय राजमार्ग सं.–47 को चौड़ा करने के संबंध में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या इन प्रस्तावों में शोरथाल्ली से एलवॉय तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–47 को चार लेनों का बनाया जाना शामिल है;

(ग) क्या इन प्रस्तावों में पहले चरण में इन परियोजना का विस्तार त्रिचूर तक किया जाना भी शामिल है;

(घ) क्या इन प्रस्तावों की मंजूरी दे दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). रा. रा.–47 के अलवई से चित्तिला और अरूर से शोरतलै खंड को 4 लेन का बनाने तथा चित्तिला से अरूर खंड में मौजूदा दो लेन को मजबूत बनाए जाने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदन दिया जा चुका है। रा.रा.–47 के अलवई–त्रिचूर खंड की मौजूदा 2 लेन वाली सड़क को 4 लेन का बनाए जाने के बारे में केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

गहरे समुद्र में मत्स्यन

800. **डा. खुशीराम डूंगरोमल चेस्वाणी :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में गहरे समुद्र में मत्स्यन उद्योग की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव, जो कि केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित है, की अद्यतन स्थिति सहित ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसे स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और सभी प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) आज की तारीख में गुजरात में गहन समुद्री मत्स्यन परियोजना की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी मामले रासायनिक हथियार कन्वेंशन

801. श्री अंकुशराव टोपे : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रासायनिक हथियार कन्वेंशन को लागू करने के लिए कोई कानून बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कन्वेंशन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). जी, हां। रासायनिक शस्त्र अभिसमय, जिसका भारत मूल पक्षकार है, के अनुसमर्थन के लिए एक प्रारूप विधेयक प्रस्तुत करने का सरकार का प्रस्ताव है।

यह अभिसमय रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, अधिसंचय, अन्तरण और इस्तेमाल का निषेध करता है और इसमें एक कड़ी सत्यापन व्यवस्था के अन्तर्गत उन्हें नष्ट करने का प्रावधान है। इसमें यह भी व्यवस्था है कि उपद्रव नियंत्रण कारकों का युद्ध के तरीके के रूप में इस्तेमाल न किया जाए। यह अभिसमय अनुसमर्थन का 65 वां दस्तावेज जमा होने की तारीख से 180 दिन के बाद प्रवृत्त हो जाएगा। रासायनिक शस्त्र अभिसमय एक बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण करार है और यह सार्वभौमिक रूप से लागू है, इसका विषय व्यापक है और यह भेदभाव रहित स्वरूप का है। इस प्रकार रासायनिक शस्त्र अभिसमय के उद्देश्य भारत की निरस्त्रीकरण नीति के अनुरूप है।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

802. श्री सुधीर गिरि : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश के पारम्परिक मछुआरों के हित में पचास फुट से अधिक गहरे समुद्र वाले क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित मत्स्य नौकाओं की गतिविधियां को नियमित करने संबंधी कोई तन्त्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार गहरे समुद्र में मत्स्यन के लिए विदेशियों के लाइसेंस रद्द करने का है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख). 12 समुद्री मील के भीतर चलने वाले मत्स्यन जलयानों पर राज्य सरकारें समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम के अनुसार नियंत्रण रखती हैं। तटवर्ती मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए भारतीय स्वामित्व वाले गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों को भी दोनों तटों पर 12 समुद्री मील के भीतर चलने की अनुमति नहीं है। विदेशी ध्वज वाले भारतीय उद्यमियों द्वारा चलाए जाने वाले गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों को भी पूर्वी तट पर 12 समुद्री मील के बाद और पश्चिमी तट पर 24 समुद्री मील के बाद चलने की अनुमति है। विदेशी ध्वज वाले गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों के कार्यों पर भारत का समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1981 और उसके तहत बने नियमों के अनुसार नियंत्रण रखा जाता है।

(ग) भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में गहन समुद्री मत्स्यन के लिए विदेशियों को कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है इसलिए लाइसेंसों को रद्द करने का प्रश्न नहीं उठता।

चीन—म्यांमार सैनिक सहयोग

803. श्री श्रीकान्त जेना :
श्री राम विलास पासवान :
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 दिसम्बर, 1994 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "चाइना वान्ट्स कन्ट्रोल ऑफ इण्डिया ओसियन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) क्या सरकार को चीन तथा म्यांमार के बीच सैनिक सहयोग के फलस्वरूप बंगाल की खाड़ी में सैनिक गतिविधियों की भी जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सरकार को चीन तथा म्यांमार के बीच सैन्य सहयोग तथा हमारी समुद्री तथा प्रादेशिक सीमाओं के बहुत निकट बंगाल की खाड़ी में चीन की सैन्य-गतिविधियों की जानकारी है। सरकार ने इस मसले को चीन तथा म्यांमार दोनों ही देशों के साथ कई बार उठाया है। चीन ने यह कहा है कि म्यांमार के साथ इस क्षेत्र में उसके सैन्य सहयोग से सैन्य संतुलन नहीं बिगड़ता है और यह सहयोग प्राप्तकर्ताओं की औचित्यपूर्ण रक्षा संबंधी जरूरतों के लिए है और इसमें कोई शर्तें नहीं लगाई गई हैं। म्यांमार ने यह कहा है कि उनकी क्षमता का उन्नयन किसी देश के खिलाफ निर्देशित नहीं है और उसने अपनी इस प्रबल इच्छा की भी पुनः पुष्टि की है कि वह भारत के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करना चाहता है।

राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण और राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण का कार्यकरण

804. श्री धर्मण्णा मॉडय्या सादुल :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण और राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण के प्रशासनिक और वित्तीय पहलुओं के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये दोनों प्राधिकरण कब तक कार्य करना आरम्भ कर देंगे?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). सितम्बर, 1994 में "औषध नीति, 1986 में संशोधनों" की घोषणा के परिणामस्वरूप इस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण (एन.डी.ए.) की स्थापना के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इन दोनों मामलों पर कार्रवाई हो रही है।

प्रमुख पत्तनों की उत्पादकता

805. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रमुख पत्तनों की क्षमता बढ़ाने संबंधी कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रमुख पत्तनों की उत्पादकता और उनके कार्यनिष्पादन में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). जी, हां। महापत्तनों की कार्गो हैंडलिंग क्षमता को 169.23 मिलियन टन से बढ़ाकर 237.09 मिलियन टन करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 में 2984 करोड़ रु. का परिव्यय उपलब्ध करवाया गया है।

(ग) महापत्तनों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं जैसे पत्तनों की मौजूदा आधारभूत संरचना को एक नियोजित तरीके से बदलना तथा उसका आधुनिकीकरण करना ताकि व्यापार और उद्योग की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके।

उत्पादकता में सुधार के लिए सरकार ने पहले ही प्रोत्साहन योजनाएं और उत्पादकता से जुड़े बोनस को शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त, पत्तन प्रबंधन और पत्तन तथा कामगारों के परिसंघ के बीच 6 दिसम्बर, 1994 को एक वेतन समझौता हुआ है जिसके अंतर्गत वित्त पक्ष 1993-94 को आधार वर्ष मानकर कम से कम 7 प्रतिशत की से उत्पादकता स्तर में सुधार के लिए संयुक्त प्रयास करने पर सहमत हुए हैं।

गुजरात में गैस पर आधारित विद्युत परियोजनाएं

806. श्री हरिभाई पटेल : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में निकट भविष्य में निजी क्षेत्र की सहायता से गैस पर आधारित कोई लघु परियोजनाएं स्थापित किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी शर्तें और ब्यौरा क्या है, और प्रस्तावित परियोजनाएं कहां-कहां स्थापित की जाएंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दवाओं का आयात

807. श्री अनंतराव देशमुख : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मलेरिया की कुछ दवाओं के आयात पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस रोक की समीक्षा करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ). सरकार ने किसी मलेरियारोधी औषध के आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। तथापि, नई औषधों के आयात के लिए औषध और प्रसाधन अधिनियम, उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार औषधों की सुरक्षा और प्रभावशीलता की पूर्व जांच की आवश्यकता और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। कुछ मलेरियारोधी औषधें देश में जांच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं और तदनुसार सरकार द्वारा उनको अनुमोदित नहीं किया गया है

[हिन्दी]

फिनलैंड द्वारा भारत में ऊर्जा विकास

808. **श्री पंकज चौधरी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिनलैंड ने भारत में विद्युत क्षेत्र में रूचि दिखायी है;

(ख) क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

भारतीय इन्क्लेवों में मतदाता सूची

809. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने बंगलादेश में भारतीय इन्क्लेवों में रह रहे भारतीय नागरिकों की मतदाता सूची और तैयार करने हेतु क्या कार्यवाही की है; और

(ख) इस संबंध में क्या प्रबंध किए गए हैं ताकि ये भारतीय नागरिक आगामी आम चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). भारत सरकार का बंगलादेश के अन्दर इन बस्तियों पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण अथवा पहुंच नहीं है। भारत के पास इन बस्तियों की जनसंख्या के सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय आंकड़े नहीं हैं।

टाटा समूह द्वारा ईरान में स्नायु गैस संयंत्रों का लगाना

810. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'वाशिंगटन टाइम्स' में प्रकाशित समाचार की ओर गया है कि टाटा समूह द्वारा ईरान में स्नायु गैस के उत्पादन हेतु संयंत्रों का निर्माण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने समाचार में प्रकाशित तथ्यों की सच्चाई सुनिश्चित करने के लिए कोई जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) सरकार ने "वाशिंगटन टाइम्स" में 30 जनवरी, 1995 को प्रकाशित यह रिपोर्ट देखी है जिसमें कहा गया है कि टाटा कन्सलटिंग इंजीनियरिंग सहित तीन भारतीय कम्पनियां ईरान में एक गुप्त जहरीली गैस काम्पलैक्स के निर्माण में सहायता कर रही हैं।

(ख) और (ग). यह रिपोर्ट गलत है। ये तीन भारतीय कम्पनियां ईरान में कीटनाशक संयंत्र के निर्माण से सम्बद्ध एक परियोजना पर कार्य कर रही हैं। इस परियोजना का कार्य एक खुली, अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के तहत, जिसमें विश्व भर की कम्पनियों ने भाग लिया था, टाटा कन्सलटिंग इंजीनियरी सहित भारतीय कम्पनियों को सौंपा गया था।

तेलुगु गंगा परियोजना

812. **श्री आर. अन्बारासु** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में मुख्यमंत्रियों ने तेलुगु गंगा परियोजना के अन्तर्गत मद्रास शहर के लोगों के हित में पेयजल के उद्देश्य से कृष्णा नदी के जल बंटवारे से सम्बन्धित किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की लागत क्या है तथा अभी परियोजना किस चरण में है;

(ग) यह कब तक पूरा होगी तथा इस परियोजना के अन्तर्गत मद्रास शहर को कितनी मात्रा में पेयजल की आपूर्ति होगी;

(घ) क्या तमिलनाडु सरकार ने इस परियोजना हेतु केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए केन्द्र ने राज्य सरकार को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). इस परियोजना की अनुमानित लागत 1438 करोड़ रुपये है। यह बताया गया है कि लगभग 80 प्रतिशत वास्तविक निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है। शेष निर्माण-कार्य वित्तीय वर्ष 1995-96 के अन्त तक पूरा होने की सम्भावना है, जिससे तमिलनाडु सीमा तक पानी आ जाएगा। मद्रास में जल के शोधन, वितरण के लिए निर्माण-कार्य— III मद्रास जल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय सेनिटेशन परियोजना नामक एक अलग परियोजना, जिसे अभी भी शुरू किया जाना है, के तहत प्रारम्भ किया जाएगा।

(घ) इस मंत्रालय के पास कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

फ्लैटों का आवंटन

813. **श्री राम टहल चौधरी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर परिषद ने अपने फ्लैटों के आवंटन के लिए नियम बनाए हैं तथा ये नियम कब बनाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को इन नियमों के सम्बन्ध में बरती हुई अनियमितताओं की जानकारी है;,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने बताया है कि वे नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् द्वारा 7.12.1963 को बनाए गए आवंटन नियम, 1964 के .ार अपने कर्मचारियों को फ्लैट आवंटन करते हैं।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् ने बताया है कि उन्हें इन नियमों में हुई किसी अनियमितता की जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ). उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दूरसंचार नीति

814. **श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने संबंधी समिति (सी.पी.एस.आर.टी.) ने नई दूरसंचार नीति में परिवर्तन करने हेतु एक ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). दूरसंचार के क्षेत्र (आईटीआई) में आत्म-निर्भरता के लिए गठित समिति ने अपने दिनांक 20.10.94, 29.12.94, 18.1.95 तथा 1.2.95 के ज्ञापनों/पत्रों में मुख्य रूप से यह मांग की है कि सरकार—

(i) क्रयादेशों (आर्डर्स) की कमी को समाप्त कर आई टी आई की क्षमता का समुचित प्रयोग करके;

(ii) आई टी आई को मूलभूत सेवाओं में प्रवेश की अनुमति देकर;

(iii) आई टी आई को निजी क्षेत्र/बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने के काबिल बनाने के लिए उसे समान कार्य क्षेत्र (लेवल प्लेयिंग फील्ड) उपलब्ध करा कर; अपनी नीतियों, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति तथा संबंधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

दूरसंचार विभाग अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, नामतः आईटीआई लि. तथा एच टी एल की अवसंरचना का अधिकतम उपयोग करने और साथ ही इन्हें वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाने की दृष्टि से, एक ऐसी नीति का अनुसरण कर रहा है, जिसके अंतर्गत इन दोनों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा विनिर्मित मदों के लिए दूरसंचार विभाग के कुल आर्डरों के 30 से 35 प्रतिशत भाग को सुरक्षित रखा जाता है।

आई टी आई सहित सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को मूलभूत सेवाओं में प्रवेश न देने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि सरकार ने इन उपक्रमों की स्थापना विशेष प्रयोजनों के लिए की है और इनमें अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में प्रगति की पर्याप्त क्षमताएं हैं। एक ओर गतिशील अर्थव्यवस्था और दूसरी ओर संसाधनों की कमी के परिप्रेक्ष्य में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की इस अवस्था में उनके अपने-अपने व्यवसाय क्षेत्र में पूरा ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

जहां तक सतत् प्रक्रिया के एक अंग के रूप में समान कार्य क्षेत्र (लैवल प्लेमिंग फील्ड) मुहैया कराने का संबंध है, सरकार समय-समय पर ऐसे कदम उठाती रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आईटीआई सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, निजी क्षेत्र के साथ प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के योग्य हो सकेंगे।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में आवासीय क्षेत्र

815. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
श्री अंकुशराव टोपे :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के परिसर में सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान (आई.एस.टी.एम.) के कब्जे में कुल कितना आवासीय क्षेत्र है;

(ख) आई.एस.टी.एम. को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में कितने आवासों का आवंटन किया गया है तथा संस्थान ने कितने आवासों को अपने अधिकार में लिया है;

(ग) क्या जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय सम्पदा निदेशालय के निर्देशानुसार निर्धारित अवधि के समाप्त हो जाने पर भी सरकार की शर्तों का उल्लंघन करते हुए आवासों को आई.एस.टी.एम. को नहीं सौंप रहा है;

(घ) यदि हां, तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) सम्पूर्ण सम्पदा को सरकार को कब तक सौंप दिया जाएगा तथा सभी आवंटित आवास कब तक आई.एस.टी.एम. के अधिकार में आ जाएंगे?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). ओल्ड जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में टाईप-III के 5 फ्लैट आई.एस.टी.एम. के अधिकार में हैं। कुल आच्छादित क्षेत्रफल 350 वर्ग-मीटर है।

(ग) से (ङ). आई.एस.टी.एम. को ओल्ड जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में 46 रिहायशी इकाई आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों से उनके नियंत्रणाधीन इकाइयां खाली कराने की बाबत मामला उठाया गया है ताकि ये आई.एस.टी.एम. को सौंपी जा सकें। आई.एस.टी.एम. को खाली रिहायशी वास का कब्जा सौंपने की बाबत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसलिये, वर्तमान में जे.एन.यू. के विरूद्ध कार्यवाही का कोई प्रस्ताव नहीं है। समय सीमा बताना सम्भव नहीं है क्योंकि इन क्वार्टरों में रह रहे जे.एन.यू. स्टाफ द्वारा ये इकाइयां खाली कर देने के पश्चात् ही कब्जा दिया जा सकता है।

[हिन्दी]

अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना

816. श्री सज्जन कुमार : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने सम्बन्धी विविध पहलुओं का अध्ययन कर इस सम्बन्ध में नीति बनाने हेतु 26 अगस्त, 1994 को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा अनधिकृत कालोनियों के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ग) क्या ये शर्तें 1977 तक बस गई उन 612 अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के बारे में अपनाई गई थी;

(घ) क्या मार्च, 1993 तक बनी अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के बारे में ये शर्तें लागू हो जायेंगी; और

(ङ) यदि हां, तो इन कालोनियों को नियमित करने तथा नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग). सरकार ने दिल्ली में समय-समय पर बनी अनधिकृत कालोनियों के सम्बन्ध में मामला-दर-मामला अध्ययन करने तथा ऐसी कालोनियों के भविष्य पर निर्णय लेने के लिए 26 अगस्त, 1974 को एक समिति का गठन किया था। समिति ने 26.02.75 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की रिपोर्ट की जांच के पश्चात्, सरकार ने, गांवों के आस-पास, लालडोरा क्षेत्र में और उसके बाहर तथा नियमित (एप्रूव्ड) कालोनियों के अनधिकृत विस्तार के रूप में भी उन कालोनियों सहित दिल्ली में बनी विभिन्न कालोनियों को सलंग्न विवरण में उल्लिखित शर्तों और निबन्धनों के अनुसार नियमित करने का निर्णय लिया था।

(घ) और (ङ). दिल्ली उच्च न्यायालय में, सिविल रिट याचिका सं. 4771/9 कॉमन कॉज पंजीकृत सोसायटी बनाम भारत सरकार व अन्य का, एक न्यायिक मामला लम्बित है। दिल्ली उच्च न्यायालय के एक डिवीजन बैंच ने 13.10. 1993 को एक आदेश पारित करते हुए प्रतिवादी द्वारा अगले आदेशों तक दिल्ली में किसी भी अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने हेतु लिए जाने वाले किसी अग्रिम निर्णय अथवा कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। मामला न्यायाधीन है।

जहां तक जन-सुविधाओं का प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने नगर नियोजक द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की शर्त पर 31.03.1993 तक बनी सभी कालोनियों में जल तथा विद्युत कनेक्शन मुहैया करने का निर्णय लिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी दिनांक 19.08.1994 के आदेशों के माध्यम से सरकार की नीति के अनुसार तथा कानून के तहत अनधिकृत कालोनियों को जल तथा विद्युत कनेक्शन मुहैया कराने की अनुमति दे दी है।

विवरण

(क) रिहायशी और वाणिज्यिक दोनों ढांचे क्रमशः 30.06.1977 और 26.02.1977 की निर्धारित तिथि के अन्दर नियमित किये जायेंगे।

(ख) ढांचों को, विन्यास नक्शों में दर्ज किये जाने के पश्चात और सड़कों और अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए स्पष्ट जगह रखे जाने के पश्चात नियमित कर दिया जायेगा। निकटस्थ अथवा परिवेश में सड़कों और अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए पहले से उपलब्ध भूमि को इन प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए।

(ग) डी.डी.ए./टि.न.नि. द्वारा निर्धारित विकास प्रभार, परिसम्पत्तियों के मालिकों द्वारा, इन निकायों द्वारा निर्धारित तरीके के अनुसार देय होगा।

(घ) सड़कों और अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए मुहैया कराये जाने की प्रक्रिया में विस्थापित परिवारों को निम्न प्रकार से पुनर्स्थापित किया जायेगा:—

(i) मकान मालिकों, जिसका अथवा जिसके किसी परिवार के सदस्य का दिल्ली में कोई मकान/भूखण्ड न हो, को वैकल्पिक भूमि/फ्लैट मुहैया किया जायेगा।

(ii) किरायेदारों को, इस शर्त पर कि उनका अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य का दिल्ली में मकान/भूखण्ड न हो, वैकल्पिक वास मुहैया कराया जायेगा।

(ङ) मास्टर प्लान/जोनल प्लान के प्रावधानों के तहत नियमितीकरण की प्रक्रिया में, जहां भी आवश्यक होगा, भूमि उपयोग के परिवर्तन पर विचार किया जायेगा।

(च) जिन कालोनियों को अधिग्रहण के लिए अधसूचित किया गया है, उन पर भी नियमितीकरण के लिए विचार किया जायेगा और जहां कहीं भी आवश्यक होगा, आनुषंगिक कदम उठाये जायेंगे।

(छ) डी.डी.ए./दि.न.नि. सभी कालोनियों में मामले-दर-मामले के अध्ययन का कार्य, जो कि पहले नहीं किया जा सका, को उच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेगा।

(ज) सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण और विकास की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यान्वयन समिति स्थापित की जाएगी। डी.डी.ए./दि.न.नि. कार्यान्वयन करने वाले प्राधिकरण होंगे।

(झ) इस प्रकार नियमित की जाने वाली कालोनियों में भविष्य में, जो धन-सुविधाएं मुहैया की जायेंगी तथा जिनमें ये सुविधायें पहले से ही विद्यमान हैं, का अनुरक्षण दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जायेगा।

(ञ) दिल्ली नगर निगम विशेष रूप से सभी अनधिकृत कालोनियों में जल तथा विद्युत कनेक्शन मुहैया कराने के लिए तत्काल कदम उठायेगा। जिन्होंने पहले ही धन जमा करा दिया है, उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।

[अनुवाद]

विदेश संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों की हड़ताल

817. श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विदेश संचार निगम लिमिटेड ने सरकार को हड़ताल का नोटिस दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) कर्मचारियों की मांग विदेश संचार निगम लि. के शेयर, कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर जारी करने के बारे में है।

(ग) सरकार इस मामले में गंभीरता से विचार कर रही है।

[हिन्दी]

विभागेत्तर कर्मचारियों के लिए समिति

818. प्रो. प्रेम धूमल : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभागेत्तर कर्मचारियों के वेतनमानों तथा अन्य लाभों के बारे में अध्ययन तथा सिफारिश करने के बारे में अब तक कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो यह समिति कब गठित की गई थी और समिति के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ). अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के वेतन-ढांचे तथा सेवा शर्तों आदि की जांच करने के लिए एक समिति गठित करने हेतु कार्रवाई की गई है। समिति का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं पर विचार

819. श्री चेतन पी.एस. चौहान : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परियोजना कार्य में विलम्ब के कारण 1000 मेगावाट विंध्याचल-II पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को विश्व बैंक को वायदा शुल्क देना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं पर विचार करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) वायदा शुल्क के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख). जी, हां। एनटीपीसी की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए 400 मिलियन अमरीकी डालर के "टाइम स्लाइस" ऋण हेतु विश्व बैंक और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) के बीच हुए समझौते के अनुसार, एनटीपीसी से यह अपेक्षित है कि वह ऋण की मूल राशि, जिसकी निकासी समय-समय पर नहीं की गई, पर विश्व बैंक को वायदा शुल्क के रूप में भुगतान करे। विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-II (2+500 मे.वा.) को फरवरी, 1995 में अनुमोदन प्रदान किया गया था। निवेश सम्बन्धी अनुमोदन मिलने में विलम्ब मुख्यतः, पर्यावरणीय स्वीकृति के कारण हुआ, जोकि अगस्त, 1994 में प्रदान कर दी गई थी। ऋण समुपयोजन अब आरम्भ हो गया है।

(ग) एनटीपीसी द्वारा विश्व बैंक की वायदा शुल्क के रूप में दिनांक 7.2.1994 से दिनांक 15.12.94 तक की अवधि हेतु भुगतान की गई राशि 852054.79 अमरीकी डालर बैठती है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शन

820. **श्री दत्ता मेघे :**
श्री राम कापसे :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में जिला-वार टेलीफोन कनेक्शनों के लिए जिला-वार प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति हैं;

(ख) क्या प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन देने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में महाराष्ट्र सहित समूचे देश में 1997 तक, व्यावहारिक रूप में, मांग होने पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

28.2.95 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची में दर्ज लोगों की जिलेवार संख्या

क्र. सं.	जिला	प्रतीक्षा सूची में दर्ज लोगों की संख्या
1	2	3
1.	बम्बई (एम.टी.एन.एल)	64831
2.	थाणे (कल्याण)	34855
3.	नासिक	21246
4.	नागपुर	23855
5.	जलगांव	9309
6.	रायगढ़	3625
7.	अहमदनगर	13050
8.	औरंगाबाद	8619
9.	जालना	1291
10.	नान्देड़	1613
11.	परभनी	1247
12.	लातूर+ओस्मानाबाद	6107
13.	बीड	2162
14.	कोल्हापुर	11236
15.	शोलापुर	12826
16.	सांगली	7500
17.	सतारा	3650
18.	रत्नागिरी	3046
19.	सिंधुदुर्ग	1395
20.	पुणे	43820
21.	धूले	4051
22.	अकोला	4712
23.	अमरावती	4596
24.	भण्डारा	1056
25.	वर्धा	1432
26.	बुल्डाना	2026
27.	यवतमाल	1726
28.	चन्द्रपुर + गढ़चिरौली	2749
	कुल	2,97,631

[अनुवाद]

सरकारी आवास

821. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विशेष पूलों के पात्र कितने सरकारी कर्मचारियों को सामान्य पूल से आवास आवंटित किए गये;

(ख) ऐसे आवंटन किस आधार पर किए गये;

(ग) इस समय ऐसे आवास आवंटन हेतु कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं;

(घ) क्या इस अवधि में ऐसे आवंटन के लिए कई अनुरोधों को रद्द किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) गत3 वर्षों के दौरान अन्य पूल के कर्मचारियों को, जो सामान्य पूल क क्वार्टर के आवंटन के लिए पात्र नहीं हैं, 41 क्वार्टर आवंटित किए गए हैं।

(ख) आवंटन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुकम्पा आधारों पर किए गए हैं।

(ग) से (ङ) फिलहाल 8 आवेदन लम्बित हैं। रद्द किए आवेदनों की संख्या संबंधी कोई आंकड़े नहीं रखे जाते।

समुद्री प्रशिक्षण संस्थान

822. **श्री वी.एस. विजयराघवन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का केरल में नया समुद्री प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). जी, हां। केरल के कोजीकोड जिले में एक नाविक प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने का प्रस्ताव है। केरल सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे इस प्रयोजनार्थ एक उचित स्थल निर्धारित करें। तथापि, राज्य सरकार द्वारा अभी भूमि अधिगृहीत की जानी है।

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव

823. **श्री शंकरसिंह वाघेला : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई कितनी है; और

(ख) राज्य को इन राजमार्गों के रख-रखाव के लिए वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान अब तक कितनी केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी गई तथा अगले वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी सहायता दी जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) 1631 कि.मी.

(ख) गुजरात राज्य को राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए 1993-94 के दौरान और 1994-95 में अभी तक क्रमशः 1035.95 लाख रु. और 888.84 लाख रु. जारी किए गए हैं। अगले वित्त वर्ष 1995-96 के लिए अनुदान मांगें संसद द्वारा पारित किए जाने तक यह बता पाना संभव नहीं है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए अगले वित्त वर्ष में कितनी राशि आवंटित की जाएगी।

[हिन्दी]

दिल्ली में टेलीफोन

824. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी :**
श्री गोपी नाथ गजपति :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची लम्बी है;

(ख) यदि हां, तो प्रतीक्षा सूची में शामिल व्यक्तियों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दिए जाएंगे;

(ग) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली ने 1995 में सभी प्रतीक्षा सूचियों को निपटाने का आश्वासन दिया है;

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जाएगा; और

(ङ) इस संबंध में तैयार की गई कार्य योजना क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 1.3.95 की स्थिति के अनुसार दिल्ली की प्रतीक्षा सूची में 121189 व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं।

(ख) प्रतीक्षा सूची में दर्ज इन सभी आवेदकों को 1995-96 के दौरान टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की योजना है।

(ग) और (घ). महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने स्वयं 1995 के अंत तक ही सभी प्रतीक्षा सूचियों का निपटान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, बशर्ते कि उपस्कर, सामग्री तथा अन्य वित्तीय संसाधन समय पर उपलब्ध हो जाएं। इस दिशा में सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की 1995-96 के दौरान लगभग 2.6 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की योजना है।

उर्वरकों का आयात

825. **श्री सत्यनारायण जटिया : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा फरवरी, 1995 तक विभिन्न किस्मों के कुल कितने उर्वरकों का आयात किया गया तथा कितने मूल्य के उर्वरकों का आयात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न किस्मों के उर्वरकों का देश में वर्ष-वार उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान फरवरी, 1995 तक उर्वरकों के मूल्यों तथा खपत में वर्षवार कितनी वृद्धि हुई है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) 1992-93 से आयातित उर्वरकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

(आंकड़े लाख टनों में)

आयातित उर्वरक	1992-93	1993-94	1994-95	
यूरिया	18.57	28.40	26.84	(फरवरी, 95 तक)
डीएपी*	15.57	15.69	8.25	(दिसम्बर, 94 तक)
एमओपी*	17.61	14.28	15.45	(दिसम्बर, 94 तक)
एमओपी	0.05	-	-	
एनपीके	1.30	-	-	

अनियंत्रण एवं असरणीबद्ध किये जाने के पश्चात् आयातों के आंकड़े मात्र अनुमान हैं।

विचाराधीन अवधि के दौरान सरकारी खाते में आयातित उर्वरकों के लागत तथा भाड़ा मूल्य निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	सरकारी लेखे में आयातित उर्वरकों का लागत एवं भाड़ा मूल्य (रु. करोड़ में)
1992-93	2216.00
1993-94	1300.18
1994-95 (फरवरी, 95)	1578.21

(ख) प्रश्नाधीन अवधि के दौरान उत्पादित उर्वरकों की मात्राएं पोषकों के रूप में नीचे दी गई हैं :-

(मात्रा लाख टन पोषकों में)

वर्ष	नाइट्रोजन (एन)	फास्फेट (पी)	कुल (एन+पी)
1992-93	74.30	23.06	97.36
1993-94	72.31	18.15	90.46
1994-95 (फरवरी, 95 तक)	72.31	22.52	94.03

पोटाश का कोई स्वदेशी उत्पादन नहीं है क्योंकि इस पोषक तत्व का देश में कोई ज्ञात एवं वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य स्रोत नहीं है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में उर्वरक पोषकों की खपत नीचे दी गई है :-

(लाख टनों में)

(उर्वरकों की खपत)

वर्ष	नाइट्रोजन (एन)	फास्फेट (पी)	पोटाश (के)	एन+पी+के
1992-93	84.27	28.44	8.84	121.55
1993-94	87.89	26.69	9.08	123.66
1994-95	96.42	30.06	11.82	138.30

(संपूर्ण वर्ष के लिए अनुमानित)

दिनांक 25.8.92 को यूरिया का सांविधिक जारी मूल्य रु. 3060/-प्रति टन से घटाकर रु. 2760/- प्रति टन लिया गया और 10.6.94 से बढ़ाकर 3320 रु. प्रति टन किया गया। 25.8.92 को फास्फेटिक एवं पोटाशिक उर्वरकों के अनियंत्रण के पश्चात, इन उर्वरकों के उपभोक्ता मूल्य बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और ये राज्य-दर-राज्य तथा समय-समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। इन उर्वरकों के उपभोक्ता मूल्यों में कमी करने के लिए, एम ओ पी और स्वदेशी डीएपी की बिक्री पर 1000/- रु. प्रति टन की विशेष रियायत और फास्फेटिक एवं पोटाशिक पोषकयुक्त अन्य स्वदेशी उर्वरकों पर आनुपातिक रियायत प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

टेलीफोन लाइनों का दुरूप्रयोग

826. डा. एस.पी. यादव :
श्रीमती सरोज दुबे :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में लाइनमैन की मिलीभगत से टेलीफोन लाइनों के दुरूपयोग के कुछ मामलों की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व की कितनी हानि हुई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) टेलीफोन लाइनों का दुरूपयोग करने के निम्नलिखित पांच मामलों का पता लगाया गया है :-

(i) एक सर्विस टेलीफोन का काली बाड़ी मार्ग स्थित अनधिकृत परिसर में विपथन किया, पाया गया था।

(ii) किसी भूतपूर्व संसद सदस्य के टेलीफोन का, दिल्ली उच्च न्यायालय के परिसर में विपथन किया गया, पाया गया था।

(iii) सीमा सुरक्षा बल के एक टेलीफोन का एण्ड्रयूजगंज क्षेत्र में विपथन किया, पाया गया था।.

(iv) बाटला हाउस, ओखला में अनधिकृत रूप से एस टी डी/आई एस डी कॉलें करवाने वाले का गिरोह का पता लगाया गया था।

(v) ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में एक टेलीफोन का विपथन अन्य उपभोक्ता की लाइन पर किया, पाया गया था।

(ग) हालांकि ठीक-ठीक कितनी राशि का नुकसान हुआ है, यह बता पाना कठिन है, फिर भी इससे सरकार को लगभग 107 लाख रुपये की हानि हुई है।

(घ) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के और दो कर्मचारियों तथा दो प्राईवेट व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

"इस्को" में इस्पात का गायब हो जाना

827. श्री राम विलास पासवान :
श्रीमती सरोज दुबे :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1994 में "इस्को" से लाखों रुपये मूल्य का इस्पात गायब पाया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

चाणक्यपुरी में फ्लैट आवंटन

828. श्री जीवन शर्मा : क्या **शहरी विकास मंत्री** 27 जुलाई, 1994 के अतारांकित प्रश्न सं. 462 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की दुकानों, कार्यालय स्थलों, आवासीय एककों के आवंटन सम्बन्धी नियम बनाने के लिए कौन प्राधिकारी जिम्मेदार होता है;

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के पूर्व प्रशासक के पदभार ग्रहण करते समय ऐसे कोई नियम नहीं होने के क्या कारण हैं;

(ग) नियम नहीं बनाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) अब बनाए गए नियमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन नियमों के अन्तर्गत कितने आवंटन किए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नये औषध मूल्य नियंत्रण आदेश

829. डा. असीम बाला :
श्री पी. कुमारासामी :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में घोषित औषध मूल्य आदेश से बल्क औषधों के घरेलू उत्पादन और इसके आयात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जैसाकि 22 जनवरी, 1995 के "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या इसके फलस्वरूप बल्क औषधों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएंगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथ इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ङ). जी, नहीं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना सं. 8/95.9-2-1995 के तहत 21 प्रपुंज औषधों को पहले ही डी सी ओ 1987 की प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत सूचीकृत होने के फलस्वरूप उत्पाद शुल्क से छूट थी, डी पी सी ओ, 1995 की अधिसूचना के बाद उत्पाद शुल्क से छूट दे दी गई है।

इन्दौर आवास सुधार परियोजना

830. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों के दौरान इंदौर आवास सुधार परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ख) परियोजना के अन्तर्गत अब तक कितने परिवारों का पुनर्वास किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने परियोजना को पूरा करने के लिए समय-सीमा सम्बन्धी कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस परियोजना पर शुरू से 39.66 करोड़ रुपये (जनवरी, 1995 तक) खर्च किए गए।

(ख) इस परियोजना के तहत 86,985 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है।

(ग) और (घ). इस परियोजना के पूरा होने की नियत तिथि 31.03.95 है। इस परियोजना को मार्च, 1997 तक बढ़ाए जाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार का अनुरोध 13.03.95 को मिला है।

पाक के पास परमाणु बम होना

831. श्री मोहन रावले :
श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्री तारा सिंह :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 फरवरी, 1995 के दैनिक समाचार पत्र "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "पार्क में बी हैविंग 15 न्यूक्लिअर बम्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) सरकार ने यह समाचार देखा है।

(ख) पाकिस्तान पिछले कई वर्षों से चोरी-छिपे तथा शस्त्रोन्मुख नाभिकीय कार्यक्रम चला रहा है। इस कार्यक्रम का संचालन विदेशी स्रोतों से प्राप्त सामग्री एवं प्रोद्योगिकी से किया जाता रहा है और किया जा रहा है।

(ग) सरकार उन सभी गतिविधियों पर निरन्तर निगाह रखती है, जिनका भारत की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता हो और उसकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।

[हिन्दी]

इलाहाबाद-पटना डिवीजन में नौवहन सुविधा

832. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद-पटना डिवीजन में नौवहन सुविधा का विकास करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य को कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग). भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की पटना से बलिया तक 2 मी. महराई बनाए रखने की योजना है जो पर्याप्त कार्गो आश्वासन पर निर्भर करती है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, कार्गो पेशकश के आधार पर राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 1 के पटना-हल्दिया खंड में 2 मी. गहरी नौचालन योग्य चैनल एवं आधारभूत सुविधाओं तथा टर्मिनलों के विकास कार्य प्रारंभ करेगा।

[अनुवाद]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का दूरसंचार नेटवर्क

833. **श्री बलराज पासी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से विकास के फलस्वरूप दूरसंचार नेटवर्क की कार्य प्रणाली में परिवर्तन हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा नवीनतम प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने अपनी टेलीफोन एक्सचेंजों की प्रौद्योगिकियों का उन्नयन किया है और समाप्त स्विचन क्षमता का 83 प्रतिशत अब इलैक्ट्रानिक है। मैनुअल ट्रंक सेवाओं को उच्च प्रौद्योगिकी स्विच के प्रयोग के साथ कम्प्यूटरीकृत किए जाने का प्रस्ताव है। जंक्शन नेटवर्क में (विभिन्न एक्सचेंजो को जोड़ने वाला) फाइबर ऑपटिक तकनीक जोड़ी गई है जो कि दूरसंचार के क्षेत्र में अद्यतन विकास है। पहले ही 1100 कि.मी. फाइबर ऑपटिक केबल दिल्ली और बम्बई महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में टेलीफोन संदेश पहुंचा रहे हैं। भविष्य में एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क आरंभ करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। साथ ही बेहतर निष्पादन तथा विश्वसनीयता के लिए उपभोक्ता लूप में फाइबर ऑपटिक प्रौद्योगिकी और स्थानीय लूप में प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया जा रहा है।

इटली के राष्ट्रपति का भारत दौरा

834. **श्री राजेश कुमार :**
श्रीमती शीला गौतम :
श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली के राष्ट्रपति के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय शिष्ट मंडल ने हाल में भारत का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका उद्देश्य सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दौरे के दौरान विभिन्न द्विपक्षीय हित के मामलों पर विचार किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दौरे के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए;

(च) यदि हां, तो समझौते-वार तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(छ) क्या वार्ता के दौरान कश्मीर मसले पर भी बात हुई थी; और

(ज) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख). हमारे राष्ट्रपति के निमंत्रण पर इटली के राष्ट्रपति श्री ओस्का लुइगी स्काल्फारो 9 से 12 फरवरी, 1995 तक सरकारी यात्रा पर भारत आए। राष्ट्रपति स्काल्फारो के साथ विदेश मंत्री सुसान्ना एग्नेली, विदेश व्यापार राज्य मंत्री मारियो डि, उर्सो, वरिष्ठ अधिकारी और उच्च स्तरीय व्यवसाय प्रतिनिधिमण्डल भारत आया। यह यात्रा भारत इंजीनियरी व्यापार मेला 1995 में "भागीदार देश" के रूप में इटली की भागीदारी के अवसर पर हुई, जिसका उद्घाटन भारत और इटली के राष्ट्रपतियों ने संयुक्त रूप से किया।

(ग) और (घ). इस यात्रा के दौरान विचार-विमर्श में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंध के विस्तार पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित

किया गया। इटली के राष्ट्रपति ने इटली की इस इच्छा पर बल दिया कि राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भारत के साथ संबंध सुदृढ़ किए जाएं। उन्होंने कट्टरवाद और आतंकवाद से होने वाले खतरे का सामना करने के लिए भारत और इटली के बीच निकटतम सहयोग के महत्व पर भी बल दिया। इटली के विदेश मंत्री और विदेश राज्य मंत्री के बीच बातचीत के दौरान द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और आपसी हित के बहुपक्षीय मसलों, जिनमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार और सुधार शामिल है, पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया। इटली पक्ष ने अपनी यह इच्छा दोहरायी कि वे प्रधान मंत्री की शीघ्र यात्रा तथा इटली में शीघ्र भारतीय सांस्कृतिक प्रदर्शन का स्वागत करना चाहते हैं जो भारत से उच्च स्तर की भविष्य में होने वाली यात्रा के अवसर पर हो।

(ङ) जी, हां।

(च) इटली के विदेश मंत्री और विदेश राज्य मंत्री के बीच एक विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करने और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए नियमित विदेश कार्यालय परामर्शों की व्यवस्था है और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तथा आपसी हित के मसलों के बारे में परस्पर कार्रवाई करने की व्यवस्था है।

(छ) और (ज). इटली के विदेश मंत्री को जम्मू एवं कश्मीर की स्थिति, राज्य में चुनाव कराने के सरकार के इरादे, उग्रवाद और आतंकवाद को निरन्तर दिए जाने वाले पाकिस्तानी समर्थन से होने वाली समस्याओं और शिमला समझौते के अनुसार सभी मसलों का समाधान करने के लिए पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत करने के लिए भारत की बार-बार पेशकशों के बारे में जानकारी दी गई। इटली पक्ष ने भारत के संदशों और चिन्ताओं के प्रति समझ-बूझ व्यक्त की। इटली के राष्ट्रपति ने अपने प्रैस सम्मेलन में कश्मीर के मसले को भारत की "आन्तरिक" समस्या बताया जिसका समाधान जम्मू एवं कश्मीर की जनता के साथ बातचीत के जरिये किया जाए, इसके स्वरूप और संदर्भ का निर्धारण भारत सरकार को करना है।

[हिन्दी]

पत्रों का वितरण

835. श्री जनार्दन मिश्र :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक पत्र पहुंचाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शहर और गांव दोनों स्थानों पर पत्रों का वितरण विलंब से किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार का विचार पत्रों के शीघ्रतापूर्वक वितरण हेतु कोई दिशा निर्देश जारी करने का है;

(ङ) यदि हां, तो ये दिशा निर्देश कब तक जारी कर दिए जायेंगे; और

(च) गत छः माह के दौरान उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित समय सीमा के बाद कितने पत्रों का वितरण किया गया?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) (i) महानगरों अर्थात् दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बेंगलूर में अन्य महानगरों के लिए पोस्ट किए गए पिन कोड अंकित पत्रों को 48 घंटों के भीतर वितरित किया जाना है।

(ii) उपर्युक्त (i) में उल्लिखित महानगरों को छोड़कर दिल्ली तथा राज्यों की राजधानियों के बीच पिनकोड अंकित पत्र 48 घंटों के भीतर वितरित किए जाने हैं।

(iii) उपर्युक्त (i) और (ii) में उल्लिखित शहरों के अलावा हवाई उड़ानों से जुड़े शहरों के बीच पत्रों को 72 घंटों के भीतर वितरित किया जाना है।

(iv) एक ही राज्य के पत्रों का उसी राज्य में 48-72 घंटों में वितरण किया जाना है।

(v) एक ही जिले के पत्रों का उसी जिले के भीतर 48 घंटों के भीतर वितरण किया जाना है।

ये सामान्य मानदंड विनिर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति होने पर ही लागू होते हैं तथा दूर-दराज के और दुगर्म क्षेत्रों के लिए लागू नहीं होते।

(ग) विभाग इन मानदंडों के अनुसार पत्र वितरित करने के लिए हर संभव प्रयत्न करता है। तथापि, डाक की सीजनल बहुलता तथा परिवहन गत्यावरोधों के कारण कुछ विलम्ब होने से इंकार भी नहीं किया जा सकता।

(घ) और (ङ). मार्गदर्शी सिद्धान्त पहले से ही मौजूद हैं।

(च) अपंजीकृत पत्रों से संबंधित कोई रिकार्ड नहीं है जिससे स्थिति को दर्शाया जा सके। तथापि, उत्तर प्रदेश सर्किल में स्थिति, जैसा कि 1994 की डाक सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है, सामान्यतः संतोषजनक प्रतीत होती है।

टेलीफोन एक्सचेंज

836. डा. रमेश चन्द तोमर :
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1994 तक देश में कुल कितने टेलीफोन एक्सचेंज राज्यवार कार्यरत थे और उनकी क्षमता क्या है;

(ख) 1993-94 के दौरान इस संबंध में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1995-96 के दौरान अधिक टेलीफोन एक्सचेंज उपलब्ध कराने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) कुल टेलीफोन एक्सचेंज-19288

क्षमता संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या - 9.6 प्रतिशत
सज्जित क्षमता - 23.6 प्रतिशत

(ग) और (घ). जी, हां। वर्ष 1995-96 के लिए 20 लाख सकल लाइनों का लक्ष्य रखा गया है।

विवरण

31.12.1994 को कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या

राज्य का नाम	एक्सचेंजों की संख्या	क्षमता
अंडमान निकोबार	18	4897
आंध्र प्रदेश	2033	688264
असम	275	99436
बिहार	766	282509
गुजरात	1282	817235
हरियाणा	630	266654
हिमाचल प्रदेश	416	91187
जम्मू तथा कश्मीर	194	52327
कर्नाटक	1886	726274
केरल	719	560466
मध्य प्रदेश	2396	649824
महाराष्ट्र (बंबई सहित)	2238	2089575
उत्तर-पूर्व	206	68954
उड़ीसा	666	176645
पंजाब	721	442042
राजस्थान	1283	422438
तमिलनाडु (मद्रास सहित)	1329	838425
उत्तर प्रदेश	1558	739441
पश्चिम बंगाल (कलकत्ता सहित)	560	529179
दिल्ली	112	970550
	19288	10515962

इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण

837. श्रीमती शीला गौतम :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए रूस के साथ बातचीत हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख). दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्र की आधुनिकीकरण परियोजनाओं के उन पैकेजों, जिनमें रूस के त्याजप्रोमेक्सप्रोट (टी पी ई) संघ के नेता/प्रमुख ठेकेदार/सदस्य के रूप में शामिल हैं, के कार्यों की प्रगति के बारे में "सेल" द्वारा रूसियों के साथ आवधिक रूप से समीक्षा संबंधी विचार-विमर्श किया जाता है।

प्रत्यक्ष अपचयन प्रक्रिया के जरिए तप्त धात्/कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए नई विकसित "रोमेल्ट" प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण के संबंध में रूसियों के साथ "सेल" ने हाल ही में आगे और विचार-विमर्श किया है। "सेल" द्वारा "रोमेल्ट" प्रौद्योगिकी के अध्ययन के उद्देश्य से "सेल" ने तीन रूसी अधिकरणों नामशः अमेट लिमिटेड, मास्को, इंस्टीच्यूट आफ स्टील एण्ड एजाएज, मास्को और मैसर्स नोवोलिपेटस्क स्टीट वर्क्स, रूस के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

डी.टी.सी. के बेड़े में वृद्धि

838. श्री जगमीत सिंह बरार : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी.टी.सी. के बेड़े में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह वृद्धि कब तक की जायेगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए भवन

839. श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए नए भवनों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके निर्माण पर कितना खर्च होगा; और

(घ) इन भवनों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) संलग्न विवरण के अनुसार।

विवरण

क्र.सं.	टेलीफोन एक्सचेंज के लिए नया भवन	अवस्थिति	किया जाने वाला संभावित व्यय (लाख रुपयों में)	वह समयावधि, जब तक ये भवन पूरे हो जायेंगे
1.	टीई बापूनगर 40 के ई-10बी	अहमदाबाद	300	मई, 95
2.	गुलबई टेकरा 40 के ई-10बी	अहमदाबाद	400	सितम्बर, 97
3.	साबरमती आरएलयू	अहमदाबाद	20	मार्च, 95
4.	बड़ोदा (सीटीओ कंपाउंड में आरएलयू)	बड़ौदा	20	सितम्बर, 95
5.	सूरत (पंडेसारा) 20 के ई-10बी	सूरत	300	मार्च, 97
6.	कलोल 10 के सी-डॉट	कलोल	150	सितम्बर, 95
7.	सिद्धपुर 5 के सी-डॉट	सिद्धपुर	225	दिसम्बर, 95
8.	नडियाद आरएलयू	नडियाद	20	सितम्बर, 95
9.	भावनगर (चित्राआरएलयू)	भावनगर	20	जून, 95
10.	उमरगाम 10 के सी-डाट	उमरगाम	200	जून, 96
11.	सिलवासा 10 के सी-डाट	सिलवासा	225	जून, 95
12.	अदीपुर आरएलयू	अदीपुर	25	सितम्बर, 95
13.	अंकलेश्वर आरएलयू	अंकलेश्वर	80	सितम्बर, 95
14.	सरदारनगर-बीवी आरएलयू	भावनगर	25	सितम्बर, 95
15.	अंजर वर्टिकल एक्सटेंशन	अंजर	20	जून, 95
16.	रेया रोड, राजकोट	राजकोट	25	दिसम्बर, 95
17.	पोरबंदर	जूनागढ़	168	दिसम्बर, 96

टिकटों का मुद्रण

840. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग ने संग्रह हेतु टिकटों के मुद्रण का ठेका सरकारी मुद्रणालय, नागपुर (महाराष्ट्र) को देने के बजाए कानपुर की एक प्राइवेट फर्म (प्रिंटिंग प्रेस) को दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां। डाक विभाग ने स्मारक तथा विशेष डाक-टिकटों की छपाई का कार्य, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक के अलावा, कानपुर में निजी क्षेत्र के एक अन्य सिक्योरिटी प्रिंटर को भी सौंपा है।

(ख) ऐसा करना इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक विभाग की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

841. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के बड़े हिस्से में पक्की सड़क नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन करवाया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विदेशी शिष्ट मंडलों की भारत यात्रा

842. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, स्विटजरलैंड और जर्मनी के शिष्ट मंडल हाल ही में भारत की यात्रा पर आये थे;

(ख) यदि हां, तो प्रधान मंत्री और अन्य भारतीय नेताओं द्वारा उनके साथ किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई और इस चर्चा के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इन शिष्टमंडलों की भारत यात्रा के दौरान किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किए गये; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी समझौतावार प्रमुख बातें क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख).

संयुक्त राज्य अमरीका

(क) जी, हां। संयुक्त राज्य अमरीका के निम्नलिखित प्रतिनिधिमंडल हाल ही में भारत आए :-

(i) अमरीका के रक्षा मंत्री डा. विलियम पेरी 12 से 14 जनवरी, 1995 तक भारत की यात्रा पर आए।

(ii) 34 सदस्यीय व्यवसाय प्रतिनिधिमण्डल सहित अध्यक्षीय व्यवसाय विकास मिशन पर अमरीका के वाणिज्य मंत्री श्री रोनाल्ड ब्राउन ने 14 से 17 जनवरी, 1995 तक दिल्ली की सरकारी यात्रा की।

(iii) अमरीका के ऊर्जा मंत्री हजेल ओ लीरी ने 11 से 15 फरवरी, 1995 तक भारत की यात्रा की।

(ख)(i) प्रधान मंत्री और अमरीका के रक्षा मंत्री पेरी के बीच विचार-विमर्शों में अन्य बातों के साथ-साथ भारत-अमरीका के बीच द्विपक्षीय संबंध सुदृढ़ करना, अधिकाधिक भारत-अमरीकी रक्षा सहयोग और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन आदि शामिल थे।

(ii) प्रधान मंत्री और मंत्री ब्राउन के बीच विचार-विमर्शों में अपेक्षाकृत अधिक मजबूत भारत-अमरीकी आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध विकसित करने और भारत के आर्थिक सुधारों पर ध्यान केन्द्रित किया गया। प्रधान मंत्री ने भारत में आधारिक संरचनात्मक परियोजनाओं में अमरीकी कम्पनियों की भागीदारी तथा विशिष्ट व्यवसाय सौदे सम्पन्न करने का स्वागत किया। विद्युत एवं दूरसंचार के क्षेत्रों में लगभग 7 बिलियन अमरीकी डालर के व्यवसाय सहयोग की संविदाओं पर भी हस्ताक्षर किए गए।

(ग)(i) मंत्री पेरी की यात्रा के दौरान "संयुक्त राज्य अमरीका और भारत के बीच रक्षा संबंधों के बारे में सहमत कार्यवृत्त" पर हस्ताक्षर किए गए।

(ii) मंत्री ब्राउन की यात्रा के दौरान एक भारत-अमरीकी वाणिज्यिक एलायन्स के गठन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

(iii) मंजी हजेल ओ लीरी की यात्रा के दौरान लगभग 1.4 बिलियन अमरीकी डालर के ऊर्जा से सम्बद्ध सौदों पर हस्ताक्षर किए गए।

(घ)(i) मंत्री पेरी की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित कार्यवृत्त शीत युद्धोपरान्त अवधि में भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के दो रक्षा मंत्रालयों के बीच पहला दस्तावेज है। यह जो कुछ पहले बताया जा चुका है या लागू है उसके अगले कदम का प्रतिनिधित्व करता है और उसे औपचारिक रूप प्रदान करता है।

(ii) मंत्री ब्राउन की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित वाणिज्यिक संधि सहकारी उद्यम गठित करने के लिए, जिनमें बैठकें, गोल-मेजें और कार्य-योजनाएं शामिल हैं, अमरीकी और भारतीय व्यवसाय के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगी। वाणिज्यिक संधि का उद्देश्य व्यवसाय संबंध और व्यापार बढ़ाने के लिए एक-साथ मिलकर काम करने के वास्ते दोनों देशों के गैर-सरकारी उद्योगों के लिए एक कार्यविधि प्रदान करना है।

दक्षिण अफ्रीका

(क) जी, हां। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने 24-27 जनवरी, 1995 तक भारत की यात्रा की।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय और आपसी द्विपक्षीय हित के कई मसलों पर विचार-विमर्श किया गया। इनमें व्यापार, संस्कृति, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग और कम कीमत के मकान, लघु उद्योगों, सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्राथमिक और उच्चतर शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए विचार और तरीके शामिल हैं।

(ग) जी, हां। इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित तीन करारों पर भी हस्ताक्षर किए गए :-

(i) भारत गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के बीच अन्तर-राज्य संबंध और सहयोग के सिद्धान्तों के संबंध में संधि।

(ii) भारत गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के बीच राजनीतिक, व्यापार, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग संबंधी अन्तर-सरकारी संयुक्त आयोग के संबंध में करार।

(iii) भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के विदेश कार्य विभाग के बीच सहयोग के संबंध में प्रोटोकोल।

(घ) अन्तर-राज्य संबंध और सहयोग के सिद्धान्तों के संबंध में संधि में शांति, लोकतंत्र तथा धर्म-निरपेक्ष शासन, पृथग्वासन, जातीय भेदभाव और धार्मिक कट्टरवाद के विरूद्ध संघर्ष के लिए उनके संकल्प, नाभिकीय अस्त्र मुक्त एवं अहिंसक विश्व की प्राप्ति के लिए प्रयास करने और इस दृढ़ विश्वास के साथ कि उनके द्विपक्षीय सहयोग से शांति और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा सार्वभौम रूप से और विशेषकर एशिया और दक्षिण अफ्रीका में और अधिक बढ़ेगी, बहुमुखी द्विपक्षीय संबंध विकसित करने की उनकी इच्छा के दोनों देशों के सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं। दोनों पक्षों ने इस संधि में यह भी सहमति व्यक्त की कि वे अन्तर्राष्ट्रीय अपराध, सभी प्रकार के आतंकवाद, नागर विमानन सुरक्षा, जहाजरानी और अन्य प्रकार के परिवहन के विरूद्ध अपराधों, स्वापकों, और हथियारों तथा सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक वस्तुओं के अवैध अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विरूद्ध संघर्ष में सहयोग करेंगे।

संयुक्त आयोग करार में दोनों पक्षों ने अपने इन इरादों की पुष्टि की है कि वे राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उद्योग, परिवहन, ऊर्जा, संस्कृति और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्रों में परस्पर लाभप्रद सहयोग विकसित करेंगे।

भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के विदेश कार्य विभाग के बीच सहयोग संबंधी प्रोटोकोल में दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि वे आपसी हित की अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समस्याओं और द्विपक्षीय संबंधों से संबद्ध प्रश्नों के बारे में विदेश मंत्रियों के स्तर पर तथा अन्य स्तरों पर वर्ष में कम से कम एक बार नियमित बातचीत और परामर्श करेंगे।

स्विटजरलैंड

(क) स्विटजरलैंड के उप राष्ट्रपति और संघीय आर्थिक कार्य काउन्सलर श्री जीन-पिस्कल डेलामूराज वित्त मंत्री के निमंत्रण पर 4 से 8 फरवरी, 1995 तक सरकारी यात्रा पर भारत आए। उनके साथ 16 वरिष्ठ प्रबन्धक, जिनमें बहुत से क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्विटजरलैंड की प्रमुख कम्पनियों के बहुत से मुख्य अधिशासी अधिकारी शामिल थे, और विदेश और अर्थव्यवस्था मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक उच्च स्तरीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल भारत आया।

(ख) श्री डेलामूराज ने वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री के साथ बातचीत की और वे उप-राष्ट्रपति से मिले। वित्त मंत्री के साथ बैठक के दौरान दोनों देशों द्वारा आपसी हित के विभिन्न द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार-विमर्श किया गया।

(ग) और (घ). इस यात्रा के दौरान किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

जर्मनी

(क) जर्मनी के निम्नलिखित मंत्रियों ने हाल ही में भारत की यात्रा की :-

(i) बवेरिया के अर्थव्यवस्था, परिवहन एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डा. ओत्तो वेशू 22 से 29 जनवरी, 1995 तक भारत की यात्रा पर आए।

(ii) वाडेन-वूर्तेम्बर्ग के मिनिस्टर-प्रेसीडेंट श्री इर्विन तृफेल ने 16 से 26 फरवरी, 1995 तक भारत की यात्रा की

(ख) बवेरिया के मंत्री ने निम्नलिखित अधिकारियों से मुलाकात की :-

(i) वित्त मंत्री
(ii) वाणिज्य मंत्री
(iii) विदेश राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद)

वाडेन-वूर्तेम्बर्ग के मिनिस्टर-प्रेसीडेंट ने निम्नलिखित अधिकारियों से मुलाकात की :-

(i) संचार मंत्री
(ii) विद्युत मंत्री
(iii) वित्त मंत्री
(iv) विदेश राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद)

इस विचार-विमर्श में भारत के आर्थिक सुधार कार्यक्रम और विदेश निवेश विशेषकर विद्युत एवं दूर-संचार जैसे मुख्य-आधारिक संरचना के क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

(ग) और (घ). इन यात्राओं के दौरान किसी आधिकारिक/सरकारी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में विद्युत की कमी

843. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने हेतु नये विद्युत संयंत्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ये संयंत्र किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जायेंगे?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख). आठवीं योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में लाभ प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं की परिकल्पना की गई है :-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	जिला
1.	तावा एलबीसी	4X3	होशंगाबाद
2.	इसदेव बांगो	3X40	बिलासपुर
3.	बाणसागर टोन्स	2/15+3X30	रीवा
4.	राजघाट (संयुक्त क्षेत्र)	22.5	ललितपुर और गुना
5.	बाणसागर टोन्स-4	20.0	रीवा
	ताप विद्युत		
6.	संजय गांधी यूनिट 1 एवं 2	2X210	शाहडोल
7.	संजय गांधी यूनिट 3 एवं 4	2X210	नरसिंहपुर
8.	पेंच टीपीएस	2X210	छिन्दवाड़ा

[अनुवाद]

भारत में विदेशी विद्युत कम्पनियां

844. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश निर्मित तथा विदेशी प्रबन्धन वाले विद्युत संयंत्रों को देश में स्थापित किए जाने के लिए परमिटों को स्वीकृति देने हेतु प्रतिस्पर्धा के आधार पर बोली लगाए जाने की व्यवस्था शुरू किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह व्यवस्था कब से शुरू की जाएगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ग). भारत सरकार ने अपने दिनांक 18.1.95 के पत्र के जरिए सभी राज्य सरकारों को सूचित किया है कि भविष्य में सभी निजी क्षेत्र की परियोजनाएं, समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) के जरिए प्रस्तुत किए जाने की बजाए प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत की जाएं।

[हिन्दी]

टिहरी बांध परियोजना

845. श्री देवी बक्स सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल जिले में निर्माणाधीन बांध परियोजना इस समय किस चरण में है;

(ख) उक्त परियोजना कब तक पूरी होगी और इसकी कुल कितनी लागत थी;

(ग) परियोजना की वर्तमान कार्य प्रगति को ध्यान में रखते हुए यह कब तक पूरी हो जायेगी; और

(घ) तब तक इस पर कुल कितनी लागत से कितनी अधिक लागत आएगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) इस समय, टिहरी जल विद्युत काम्प्लेक्स का चरण-I यथा टिहरी बांध और एच पी पी (1000 मे.वा.) निर्माणाधीन है। चरण-I के कार्यों पर पर्याप्त वास्तविक प्रगति कर ली गई है।

सभी चार विपथन सुरंगों को पूरा कर लिया गया है तथा नदी का भाग दा दायां तट सुरंगों के जरिए व्ययवर्तित कर दिया गया है। 1.1 कि.मी. की पूरी लम्बाई पर प्रमुख बांध की नींव को रख दिया गया है तथा कॉफर बांध के साथ-साथ प्रमुख बांध को रिवर-बैड स्तर से 15 मीटर ऊपर उठा दिया गया है। परियोजना कार्य-स्थल पर विभिन्न आधारभूत कार्यों को पूरा कर लिया गया है। चार हैड-रेस सुरंगों (दो जल विद्युत परियोजना चरण-I तथा दो पम्पड स्टोरेज परियोजना के लिए) की खुदाई का कार्य पूरा कर लिया गया है। भूमिगत विद्युत केन्द्र सुरंगों के पहुंच मार्ग भी पूरे कर लिए गए हैं। चालू कार्य-सत्र के दौरान कार्फर बांध के निर्माण कार्य को आरम्भ कर दिया गया है।

(ख) से (घ). इस परियोजना को 2963.66 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर (मार्च,1993 के मूल्य स्तर के आधार पर) मार्च, 1999 तक पूरा किए जाने के लिए, मार्च, 1994 में अनुमोदित कर दिया गया है।

दिल्ली में खराब पड़े टेलीफोन

846. श्री गोबिन्द चन्द्र मुंडा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में, खराब पड़े टेलीफोनों के संबंध में प्रतिवर्ष कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) पिछले तीन वर्षों में 198 पर बुक की गई शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है:-

1991-92	1992-93	1993-94	1994-95 (फरवरी
2088790	2414575	2828596	3173125

इसके अतिरिक्त दिल्ली और उसके पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रति सौ स्टेशन प्रतिमाह बुक की गई शिकायतों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड शिकायतों की संख्या कम करने के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। उनमें ये भी शामिल हैं :-

(क) **बाह्य संयंत्र**

(1) बाह्य संयंत्र को पुनः संस्थापित करना।

(2) डीपी, कैबिनेट और पिलर्स को ताला लगाना और ठीक ठाक करना।

(3) प्राइमरी और सेकेंडरी केबलों के जंक्शन का दाबीकरण।

(4) डक्टों में अंडरग्राउंड केबल बिछवाना।

(5) ऐसी केबलों को बदलना, जहां अक्सर दोष उत्पन्न होता है।

(ख) **टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर**

(1) नेटवर्क में पुरानी और अप्रचलित एक्सचेंज बदलना।

(2) बड़ी संख्या में डिजिटल इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज खोलना।

(ग) **अंतःसंयोजन माध्यम**

(1) पीसीएम प्रणाली, ऑपटिकल फाइबर और डिजिटल माइक्रोवेज को मीडिया के रूप में आरंभ करना।

(घ) **कम्प्यूटरीकरण**

(1) सभी एफ आर एस और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं के कंप्यूटरीकरण का कार्य प्रगति पर है।

विवरण

वर्ष	क्षेत्र	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर
1992	दिल्ली				22.5	24.1	25.2	29.6	28.8	27.9	26.2	26.2	26.0
	पूर्व				24.3	23.7	24.1	29.6	28.1	28.3	29.3	29.2	27.0
1993	दिल्ली	25.3	24.3	25.7	22.5	27.3	29.9	38.3	32.3	33.7	27.4	23.5	24.1
	पूर्व	29.1	26.2	28.5	24.1	28.8	31.9	40.3	35.3	35.1	29.7	26.9	30.0
1994	दिल्ली	28.0	24.35	25.7	24.76	26.36	27.96	36.15	39.3	33.3	30.7	27.4	28.0
	पूर्व	38.8	33.8	35.1	30.4	31.2	32.43	42.02	39.15	40.38	38.14	36.64	34.2
1995	दिल्ली	29.2	24.25										
	पूर्व	32.06	23.27										

म्यांमार तक सड़क मार्ग द्वारा प्रवेश

847. श्री मंजय लाल : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या म्यांमार से विस्थापित हुए लाखों भारतीयों में से अधिकांश व्यक्तियों को उस देश में अपने संबंधियों से अलग हो जाना पड़ा है;

(ख) क्या विमान किराया बहुत अधिक होने के कारण इनमें से अधिकांश व्यक्ति अपने संबंधियों से मिलने का खर्च नहीं उठा सकते;

(ग) क्या ये व्यक्ति मणिपुर-मोरे व्यापार मार्ग से यात्रा करने की अनुमति की मांग करते रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ). सरकार को बर्मा से विस्थापित व्यक्तियों की एसोसिएशन से एक याचिका प्राप्त हुई है, जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि अपने सम्बन्धियों को मिलने के लिए सड़क मार्ग से म्यांमार की यात्रा की सुविधा प्रदान की जाए क्योंकि वायु-मार्ग से यात्रा मंहगी है। यह सुझाव सम्बद्ध प्राधिकारियों के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

बैलाडिला परिसर में भण्डार

848. श्री चार्ल्स फर्नान्डीज : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बैलाडिला परिसर में उच्चस्तरीय लौह अयस्क खान के IV बी भण्डार को निजी पार्टी के हाथों में सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय खनिज निगम से इस खान से स्वयं को अलग रखने के लिए कहा गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस खान को निजी हाथों में सौंपने की शर्तें क्या हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (घ). बैलाडिला लौह अयस्क निक्षेप IV बी में उपलब्ध अयस्क को गैस पर आधारित संयंत्रों में स्पंज लोहे के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त बताया गया है। नेशनल मिनरल डेवलमेंट कारपोरेशन लिमिटेड और निजी क्षेत्र के एक उद्यमी, जो देश में गैस पर आधारित स्पंज लोहे के संयंत्र का प्रचालन कर रहा हो अथवा स्थापित कर रहा हो और संयंत्र के लिए लौह अयस्क की आवश्यकता के अधिकांश भाग का पूरा करने के लिए एन.एम.डी.सी. से उनको पहले ही आश्वासन मिल गया है, के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में निक्षेप IV बी का विकास कार्य आरम्भ करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। तथापि, इस संबंध में अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

विदेशी जेलों में भारतीय मछुआरे

849. श्री एन. डेनिस : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों के जेलों में देश-वार कितने भारतीय मछुआरे बंद हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इनकी शीघ्र रिहाई के लिए क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जायेंगे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) फरवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार 380 भारतीय मछुआरे निम्नलिखित देशों की जेलों में बन्द हैं :-

1.	बंगलादेश	205
2.	पाकिस्तान	170*
3.	कतर	1
4.	श्रीलंका	4

* स्थानीय सरकार ने 151 मछुआरों के बन्दी होने की पुष्टि की है। 19 मछुआरों के सम्बन्ध में स्थानीय सरकार द्वारा पुष्टि की जानी है।

(ख) भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी की सूचना मिलने पर हमारे मिशन कौंसली सम्पर्क के लिए तुरन्त कार्यवाही करते हैं तथा गिरफ्तारी का कारण तथा परिस्थितियां जानने के लिए कौंसली अधिकारी बन्दी बनाए गए व्यक्ति को मिलने जाता है। भारतीय मिशन ऐसे सभी मामलों की समीक्षा के लिए तथा उनकी अंततः शीघ्र रिहाई के लिए स्थानीय प्राधिकारियों से सम्पर्क करते हैं। जेल-प्राधिकारियों के साथ नियमित बैठकों के अलावा ये मामले आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित विदेश कार्यालयों के साथ उठाए जाते हैं तथापि, बहुत-सी सरकारें न्यायालय द्वारा निर्धारित कारावास की अवधि की समीक्षा करने से सम्बन्धित अनुरोधों पर विचार करने को तैयार नहीं होतीं। कैदी आमतौर पर अपनी-अपनी कारावास की अवधि पूरी कर लेने के बाद ही रिहा किए जाते हैं। भारतीय मिशन इस बात का सुनिश्चय करने के लिए सभी प्रयास करते हैं कि कैदियों को, जब कभी भी आवश्यक हो, प्रभावकारी विधिक सहायता उपलब्ध हो।

सम्पत्तियों का परिवर्तन

850. श्री शिव शरण वर्मा :
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि तथा विकास कार्यालय ने सामूहिक आवास तथा वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्सों में सम्पत्तियों को परिवर्तित करने हेतु आवेदनों के लिए नये मार्ग निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) इस बारे में मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी दिशा-निर्देशों की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
(भूमि प्रभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
सं. जे-20011/2/90 -एलडी दिनांक 11 जनवरी, 1995

सेवा में,

भूमि तथा विकास अधिकारी,

निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषय : दिल्ली/नई दिल्ली में सहकारी आवास/वाणिज्यिक परिसरों का विकास—परिवर्तन प्रभार तथा अन्य शर्तों को तर्कसंगत तथा सरल बनाना-संशोधित आदेश।

महोदय,

उक्त विषय पर पहले के सभी निर्देशों के अधिक्रमण में, दिल्ली/नई दिल्ली में सहकारी आवास/बहुमंजिले निर्माण कार्यों (रिहायशी तथा वाणिज्यिक दोनों) के विकास से संबंधित सभी मामले अब से इस प्रकार निपटाए जाऐंगे :-

1. निर्णायक तिथि

(क) परिवर्तन हेतु अपेक्षित दस्तावेजों और धरोहर राशि, जहां लागू हो, के साथ आवेदन (सभी रूप से पूर्ण) प्राप्त होने की तिथि, परिवर्तन प्रभारों की गणना के लिए लागू भूमि दरों के निर्धारण बाबत निर्णायक तिथि होगी।

(ख) जिन मामलों में परिवर्तन हेतु आवेदन न किया हो अथवा ऐसा आवेदन भवन नक्शे की स्वीकृत के बाद किया गया हो, उनमें स्थानीय निकाय द्वारा नक्शे की स्वीकृति की तिथि निर्णायक तिथि होगी।

(ग) जिन मामलों में, न तो आवेदन किया गया हो और न ही निर्माण कार्य मूल रूप से स्वीकृत नक्शे के अनुसार किया गया हो, उनमें ऐसे नक्शों की पुनः वैधीकरण की तिथि निर्णायक तिथि होगी।

नोट : (i) आवेदनों/अनुरोधों पर स्वयं पट्टाधारी अथवा इस प्रयोजनार्थ सामान्य मुख्तारनामा धारक प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। यदि एक से अधिक पट्टे धारक/सामान्य मुख्तारनामा धारक हों, तो आवेदन पर किसी पट्टाधारक/सामान्य मुख्तारनामा धारक द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। तथापि, ऐसे मामलों में शर्तों की सूचना देने से पूर्व पट्टाधारी द्वारा उन सह-पट्टेधारियों/सामान्य मुख्तारनामा धारक व्यक्तियों से, जिन्होंने मूल आवेदन पर हस्ताक्षर न किए हों, विकास की अनुमति प्रदान करने के लिए उपयुक्त मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाएगा।

(ii) इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कुछ मामलों में अपंजीकृत सामान्य मुख्तारनामे प्रस्तुत किए गए थे तथा सामान्य मुख्तारनामे का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, पुराने मामलों में पंजीकृत सामान्य मुख्तारनामा प्रस्तुत किए जाने पर जोर नहीं दिया जाएगा।

2. अधिभारों का निर्धारण

(i) परिवर्तन हेतु अतिरिक्त प्रीमियम का निर्धारिण भवन उप नियमों तथा क्षेत्रीय योजना के अनुसार प्लाट के साथ संलग्न एफ.ए.आर. के अनुसार निर्णायक तिथि को लागू भूमि दरों के संदर्भ में किया जाएगा।

(ii) जिन मामलों में भूमि दरों को निर्धारित एफ.ए.आर. के साथ जोड़ा गया हो, उनमें भूमि दरों में निर्णायक तिथि को प्लाट पर लागू वास्तविक एफ ए आर के संदर्भ में आनुपातिक रूप में वृद्धि/कमी की जाएगी।

(iii) ऐसे मामलों में, जहां भूमि दरें मौजूदा एफ ए आर के अनुसार निर्धारित की गयी हों, परिवर्तन प्रभारों की गणना करते समय भूमि दरों में आनुपातिक वृद्धि/कमी करने की जरूरत नहीं होगी।

(iv) सभी लम्बित मामलों में अतिरिक्त प्रीमियम की गणना के उद्देश्यों के लिए भूमि दरों को दोगुना करने की बजाय, जैसा कि पहले कुछ मामलों में प्रावधान किया गया था, निर्णायक तिथि को मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित एकत्र दर को ध्यान में रखा जाएगा।

(v) अतिरिक्त प्रीमियम की गणना का सूत्र इस प्रकार होगा :—

निर्णायक तिथि को प्रचालित दर तथा पिछले सौदे के समय प्रचालित दरों के अनुसार यथास्थिति वाणिज्यिक/रिहायशी भूमि के बीच के अन्तर का 50 प्रतिशत

3. संशोधित भूमि किराया (आर.जी.आर.)

(क) संशोधित भूमि किराया सैद्धान्तिक प्रीमियम अर्थात भूमि क्षेत्रफल को निर्णायक तिथि के समय लागू भूमि दरों से गुण कर आंके गए प्रीमियम के 2.5 प्रतिशत के हिसाब से वूसल किया जाएगा।

(ख) उपर्युक्त संशोधित भूमि किराया, परिवर्तन की शर्तों की सूचना देने की तिथि, नक्शे की स्वीकृति अथवा भवन के पूरे होने/कब्जे की तिथि से, जो भी पहले हो, तीन वर्ष पूरे होने पर तत्काल लागू हो जाएगा।

(ग) यदि पट्टाधारी कोर्ट–केस अथवा सरकार/स्थानीय प्राधिकरण के किसी स्थगन आदेश के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ न कर पाए तो उस स्थिति में स्थगन/प्रतिबन्ध प्रभावी रहने की अवधि के लिए संशोधित भूमि किराए से विलम्बन समय दिया जाएगा। तथापि, पट्टेधारी को इस अवधि के दौरान संशोधन से पूर्व लागू भूमि किराया अदा करना जारी रखेगा।

4. दुरूपयोग तथा क्षति

जिस प्रयोजनार्थ भूमि/भवन को आवंटित किया गया था यदि भूमि/उस पर बने भवन को किसी अन्य उद्देश्य के लिए दुरूपयोग करने बावत अधिकारों को, जिस दिन ऐसा दुरूपयोग सिद्ध हो जाय उस तिथि से लेकर शर्तों की सूचना की तिथि अथवा निर्माण कार्य के निष्पादन के अनुसार भवन नक्शे की स्वीकृति की तिथि तक अथवा निर्माण कार्य शुरू करने की तिथि तक, जो भी पहले हो, संशोधित किया जाएगा।

5. ब्याज

(i) ब्याज की गणना शर्त–पत्र में यथा उल्लिखित भुगतान के लिए अनुमेय अवधि की समाप्ति से अर्थात शर्तों की सूचना के बाद 90 दिन के बाद से की जाएगी।

(ii) अतिरिक्त प्रीमियम 3 वर्ष की अवधि में किश्तों में अदा करने की अनुमति दी जा सकती है। इस प्रकार अतिरिक्त प्रीमियम के किश्तों में भुगतान पर उपर्युक्त पैरा–5(I) के तहत उल्लिखित तिथि से दूसरी तथा तीसरी किश्तों पर 14 प्रतिशत वार्षिक दर से, पर ब्याज लगेगा।

(iii) निर्धारित राशि के भुगतान में एक वर्ष से अधिक विलम्ब पर उपर्युक्त पैरा 5(II) के तहत उल्लिखित सामान्य ब्याज दर के अतिरिक्त प्रति वर्ष 2 प्रतिशत पैनल ब्याज दर लगेगी।

6. पट्टादाता की अनुमति के बिना निर्माण

(i) जिन मामलों में निर्माण कार्य पट्टादाता की पूर्व अनुमति के बिना शुरू/निष्पादित किया गया हो अथवा पट्टादाता द्वारा सूचित शर्तों की अनुपालन करने से पूर्व शुरू किया गया हो, उनमें निर्णायक तिथि में संशोधित भूमि किराया देय होने की तिथि तक 5 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त प्रीमियम देय होगा।

(ii) जिन मामलों में भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा शर्तें पहले ही सूचित कर दी गई हैं परन्तु उन पर पार्टियों द्वारा पूर्ण रूप से अमल न किया जाता हो, उन मामलों में यदि पार्टी द्वारा अनुरोध किया जाय, तो उपर्युक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मांगों में संशोधन किया जाएगा। ऐसे मामलों में, मांग में यथा उपर्युक्त संशोधन करने और पार्टी द्वारा पहले से अदा राशि के समायोजन के पश्चात, बकाया राशि पर अंतिम तिथि अर्थात पहले से जारी पत्र के अनुसार पार्टी द्वारा भुगतान करने के लिए अपेक्षित अन्तिम तिथि की समाप्ति के बाद से 14 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज वसूल किया जाएगा तथा यह वास्तविक भुगतान की तिथि तक वसूल किया जाएगा।

7. अतिरिक्त प्रभार

जिन क्षेत्रों में व्यापक पुनर्विकास कार्य चल रहा हो, वहां चूंकि बहुमंजिले निर्माण कार्यों में मौजूदा सुविधाओं के सुधार और/अथवा नयी सर्विस लाइनें बिछाने की परिकल्पना है, इसलिए 391 वर्ग गज प्रति एकड़ की दर से प्लाट क्षेत्रफल की गणना कर उसे जहां शर्तों का पालन न किया जाता हो अथवा नयी शर्तें दी गयी हो, उन सभी मामलों में निर्णायक तिथि को लागू भूमि दरों से गुणा कर अतिरिक्त अधिभार निर्धारित किए जाएंगे।

तथापि, जहां पट्टाधारी को आवश्यक सुविधाओं के प्रावधान के लिए भूमि उपलब्ध करानी अपेक्षित हो, उसे परिवर्तन के साथ अतिरिक्त प्रभार अदा नहीं करने होंगे।

8. पुनःप्रविष्टी मामले

जिन मामलों में पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करने पर पट्टेदाता द्वारा पुनःप्रविष्टि के आदेश दिए गए हों, उन सभी मामलों में पुनःप्रविष्टि की तिथि से लेकर निरसन तिथि अर्थात शर्तें सूचित करने की तिथि तक प्रतिदिन 100 रु. अथवा प्रतिवर्ष अधिकतम 3000 रु. के हिसाब से निरसन प्रभार वसूल करने के पश्चात पुनः प्रविष्टी आदेश निरस्त कर दिया जायेगा बशर्ते कि अन्य देय राशि अर्थात दुरूपयोग प्रभार/क्षति प्रभार अदा कर दिए गए हों।

9. ये आदेश 01 जनवरी, 1995 से लागू होंगे। दिनांक 31.12.1994 तक जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार अन्यथा निपटाए गए सभी मामले दोबारा नहीं खोले जायेंगे।

10. लम्बित मामलों के लिए आवेदन

सभी लम्बित मामलों को इन दिशा–निर्देशों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार विशेष मामले के रूप में भी निपटाया जा सकता है, बशर्ते कि पट्टाधारियों, उनके प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा 01.01.1995 से तीन माह की अवधि के दौरान इस आशय का आवेदन किया जाय।

तथापि, जिन मामलों में ऐसे अनुरोध प्राप्त नहीं होते हैं, उनमें पहले दी गयी शर्तों को उस समय प्रचालित

दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्तिम समझा जाएगा और इस प्रकार निर्धारित तथा भुगतान न किए गए अधिभारों को भू-राजस्व अधिनियम के तहत भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूल किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, इसे पुराने मामलों के निपटान की विशेष कल्याण योजना माना जाएगा और यह मात्र तीन माह की अवधि के लिए उपलब्ध होगी।

11. यह कार्य करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए और प्रत्येक स्तर पर निपटाए गए ऐसे मामलों के लिए टाइम फ्रेम बनाया जाय और उसकी एक प्रति इस मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए।
12. ऐसे मामलों को निपटाने में किसी अधिकारी की ओर से की गयी शिथिलता को गम्भीरता से लिया जाय और उत्तरदायित्व निर्धारित कर मामले आगामी आदेशार्थ मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाएं।
13. भूमि तथा विकास अधिकारी द्वारा एक पाक्षिक रिपोर्ट मंत्रालय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें लम्बित तथा नए मामले दर्शाए जायेंगे।
14. इसे वित्त प्रभाग के दिनांक 07.12.1994 के आई.डी. संख्या -1708/एफ/जे.एसं.एंड.एफ.ए. द्वारा उनकी सहमति से जारी किया जाता है।

भवदीय
ह./-
(बी.आर. धीमान)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि

1. निदेशक, लेखा परीक्षा, सी.डब्ल्यू. एंड एम, ए.जी.सी. आर्. बिल्डिंग, नई दिल्ली।
2. वित्त प्रभाग (भूमि एकक), शहरी विकास मंत्रालय।
3. भूमि प्रभाग के सभी डेस्क अधिकारी।
4. सचिव के निजी सचिव।
5. अवर सचिव (एन.पी.एस.) के निजी सचिव।
6. संयुक्त सचिव (श.वि.) के निजी सचिव।
7. निदेशक (भूमि)।
8. प्रेस सूचना अधिकारी, शहरी विकास मंत्रालय। कृपया इस पत्र में उल्लिखित विषय-वस्तु का व्यापार स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाय।
9. अतिरिक्त प्रतियां-30

ह./-
(बी.आर. धीमान)
अवर सचिव, भारत सरकार

नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड

851. श्री पी. कुमारासामी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1995 के दौरान आन्ध्र प्रदेश के समुद्र तट पर तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम रिंग में आग लगने से काकीनाडा स्थित नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड में उर्वरकों के उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप उत्पादन में कुल कितनी कमी आई है तथा कितनी राशि की हानि हुई है; और

(ग) किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). मैसर्स नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि. (एन.एफ.सी.एल.) ने सूचित किया है कि उनका काकीनाडा स्थित यूरिया संयंत्र आन्ध्र प्रदेश में ओ.एन.जी.सी के रिंगों में से एक में आग लगने के कारण 7.1.1995 से 12.1.95 तक प्रभावित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 8.50 करोड़ रुपए के मूल्य के लगभग 10,000 टन यूरिया उत्पादन की हानि हुई।

(ग) उपर्युक्त घटना के कारण किसानों को यूरिया की समग्र उपलब्धता प्रभावित नहीं हुई।

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड का आधुनिकीकरण

852. प्रो. के.वी. थामस : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड की कोचीन इकाई के आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : मै. हिन्दुस्तान इन्सेटिसाइड्स लिमिटेड ने विभिन्न प्रकार की विविधीकरण योजनाएं प्रारम्भ की हैं। डिकोफोल और मैकोजेब का निर्माण करने के लिए संयंत्रों को 8वीं पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के लिए मंजूरी दी गई है। केरल में उद्योग-मंडल स्थित डिकोफोल संयंत्र की 4.03 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 150 मीट्रिक टन की क्षमता होगी। मैंकोजब संयंत्र को भी उद्योग-मंडल में 5 करोड़ रु. की प्रस्तावित लागत से 1000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता से स्थापित करने का प्रस्ताव है। डिकोफोल संयंत्र के यांत्रिक रूप से नवम्बर,

1995 के आस-पास पूरा होने की आशा की जाती है जबकि 1997 के अन्त तक मैंकोजेब संयंत्र प्रारम्भ हो जाने की आशा है। इन दोनों संयंत्रों के लिए प्रौद्योगिकी मै. हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के इन हाऊस अनुसंधान एवं विकास द्वारा विकसित की गई है।

[हिन्दी]

विदेशों में नियुक्त कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास

853. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में नियुक्त कर्मचारियों को दिल्ली में सरकारी आवास आवंटित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे कर्मचारियों को दिल्ली में सरकारी क्वार्टर आवंटित करने हेतु क्या मानदंड अपनाये गये हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) विदेश में तैनाती के दौरान सरकारी कर्मचारी को दिल्ली में सरकारी आवास आवंटित नहीं किया जाता है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

डी.डी.ए. फ्लैटों का अवैध कब्जा

854. श्री छीतूभाई गामीत : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक लोगों ने डी.डी.ए. के मकानों पर अवैध कब्जा कर रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) डी.डी.ए. के कितने मकानों पर अवैध कब्जा है और इन मकानों पर किन-किन लोगों का अवैध कब्जा है;

(घ) सरकार द्वारा इन मकानों को खाली कराने हेतु क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) इस अवैध कब्जे के लिए कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चिकित्सा आधार पर टेलीफोन कनेक्शन

855. डा. गुणवन्त रामभाऊ सरोदे : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चिकित्सा आधार पर टेलीफान कनेक्शन स्वीकृत किए जाने के संबंध में क्या मानदंड/नियम बनाए गए हैं;

(ख) क्या सामान्य अथवा विशिष्ट श्रेणी में पंजीकरण के पश्चात् आवेदकों को अस्थाई रूप से टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत किए जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार इस परम्परा को समाप्त करने का है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) अस्थाई टेलीफोन कनेक्शन नितांततः चिकित्सा आधार पर छह महीने की अवधि के लिए आवेदक के अनुरोध पर मंजूर किए जाते हैं बशर्ते कि आवेदक के आवेदन-पत्र के साथ पंजीकृत डाक्टर द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र लगा हो। तथापि, छह महीने से अधिक का समय बढ़ाने के लिए आवेदक को अपने नाम से टेलीफोन कनेक्शन संबंधी पंजीकरण के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है।

(ख) गैर-ओवाईटी विशेष श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत आवेदकों के भी टेलीफोन कनेक्शन अस्थाई आधार पर बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के वास्तविक आवश्यकताओं के लिए मंजूर किए जा सकते हैं।

(ग) अस्थाई टेलीफोन आवेदकों को उनकी वास्तविक आवश्यकताओं और सरकारी विभागों को आपातकालीन तथा जनहित के कार्यों के लिए मंजूर किए जाते हैं। वर्तमान व्यवस्था समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

खनिजों का दोहन

856. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :
श्री रतिलाल वर्मा :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में खनिजों के सर्वेक्षण तथा दोहन के लिए कोई संयंत्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने संयंत्र स्थापित किए गए हैं तथा किन-किन स्थानों पर स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन संयंत्रों का विस्तार अथवा नए एककों की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख). गुजरात, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में सर्वेक्षण और गवेषण के लिए कोई संयंत्र स्थापित नहीं किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) जिसके कार्यालय गांधीनगर (गुजरात), जयपुर (राजस्थान) तथा भोपाल, जबलपुर तथा रायपुर (मध्य प्रदेश) में हैं, खनिजों के लिए स्वीकृत कार्यक्रमों के अनुसार सर्वेक्षण और गवेषण करता है। अतः नई इकाइयां लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

संयुक्त राष्ट्र की स्वर्ण जयंती

857. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र के पचास वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत में क्या कार्यक्रम तैयार किए गए हैं; और

(ख) इन्हें कहां तक लागू किया गया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) संयुक्त राष्ट्र की स्वर्ण जयन्ती मनाने के लिए, विदेश मंत्री की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय समिति द्वारा एक भव्य कार्यक्रम तैयार किया गया है। इन कार्यक्रमों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) स्मारक सिक्के निकालने से सम्बद्ध कार्यक्रम के सिवाय आज तक बनाए गए सभी कार्यक्रम पूर्णतः क्रियान्वित किए जा चुके हैं और स्मारक सिक्के निकालने से संबद्ध कार्यक्रम शीघ्र ही पुनः तय किया जा रहा है। संभार तन्त्रीय व्यवस्था तथा भारतीय राष्ट्रीय समिति के अनुमोदन के अनुरूप क्रियान्वित किए जाते रहेंगे।

विवरण

संयुक्त राष्ट्र की 50 वीं वर्षगांठ के संबंध में स्मारक क्रियाकलाप आयोजन सूची
क्रियान्वित किए जा चुके कार्यक्रम

	तारीख	प्रस्तावित कार्यक्रम	क्रियान्वयन अभिकरण
1.	30 अक्तूबर, रविवार	उद्घाटन समारोह, जिसमें फोटो प्रदर्शनी का आयोजन भी शामिल है।	विदेश मंत्रालय
2.	30 अक्तूबर	राष्ट्रीय दूरदर्शन नेटवर्क पर प्रधान मंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश	विदेश मंत्रालय/दूरदर्शन
3.	14 नवम्बर	स्कूलों और कालेजों में झंडों की बिक्री	आई एफ यू एन ए
4.	16 नवम्बर	"नेहरू और संयुक्त राष्ट्र" पर गोलमेज सम्मेलन	नेहरू स्मारक न्यास
5.	3 दिसम्बर	बम्बई में जुबिन मेहता कंसर्ट	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद
6.	13 दिसम्बर	"यू एन इन 2045, 100 ईयर्स आफ्टर" पर संगोष्ठी	आई आई सी
7.	शीतकालीन सत्र	लोक सभा/राज्य सभा में विशेष प्रस्ताव पेश करना, 22 दिसम्बर को दोनों सदनों ने इसे सर्वसम्मति से पारित किया	विदेश मंत्रालय
8.	1 जनवरी	राष्ट्रीय नेटवर्क पर विशेष प्रसारण	दूरदर्शन
9.	1 जनवरी	संयुक्त राष्ट्र पर कलेंडर जारी करना	डी ए वी पी

विवरण

संयुक्त राष्ट्र की 50 वीं वर्षगांठ के संबंध में स्मारक क्रियाकलाप आयोजन सूची
क्रियान्वित किए जा चुके कार्यक्रम

	तारीख	प्रस्तावित कार्यक्रम	क्रियान्वयन अभिकरण	अद्यतन स्थिति
	1	2	3	4
1.	जनवरी	स्मारक सिक्के निकालना	डी ई ए	डिजाइन को अन्तिम रूप दे दिया गया है। सिक्का ढाला जा रहा है और फरवरी के प्रारम्भ में/जनवरी के अन्त में निकाला जा सकता है।
2.	16-17 जनवरी	संयुक्त राष्ट्र को भारतीय योगदान पर संगोष्ठी	बम्बई विश्वविद्यालय	विदेश सचिव मुख्य भाषण देने के लिए सहमत हो गए हैं।

1	2	3	4
3.	फरवरी, 1995	स्कूलों में आभासी महासभाओं और प्रश्न मंच के आयोजन जैसे युवा कार्यक्रम	आई एफ यू एन ए तथा नेहरू युवक केन्द्र	अन्तिम रूप दिया जा रहा है।
4.	मार्च, 1995	विश्व विद्यालय स्तर पर आभासी महासभा का आयोजन।	बम्बई विश्वविद्यालय	
5.	मार्च, 1995	संयुक्त राष्ट्र में भारत की हित चिन्ता के प्रासंगिक मुद्दों पर संगोष्ठी।	जे एन यू	अन्तिम रूप दिया जा रहा है।
6.	मध्य मार्च	बच्चों के लिए (10 से 18 वर्ष की आयु वाले) "स्टोरी ऑफ द यू एन" नामक पुस्तक का विमोचन।	राजीव गांधी फाउंडेशन	
7.	अप्रैल, 1995	संयुक्त राष्ट्र मंचों पर प्रमुख भारतीय नेताओं द्वारा दिए गए भाषणों के संकलन का प्रकाशन	विदेश मंत्रालय (विदेश प्रचार प्रभाग तथा यू एन प्रभाग)	
8.	अप्रैल, 1995	शान्ति स्थापना कार्यों में भारत के योगदान पर एक वृत्तचित्र का दूरदर्शन से प्रसारण।	दूरदर्शन	
9.	मई, 1995	निबन्ध प्रतियोगिता	भारत स्थिर संयुक्त राष्ट्र अभिकरण	
10.	जून, 1995	डाक टिकट निकालना	डाक विभाग	
11.	जून/जुलाई, 1995	विगत 50 वर्षों के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के कार्य के विभिन्न पहलुओं पर एक पुस्तक का विमोचन।	भारत अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र/बम्बई विश्वविद्यालय	
12.	जुलाई, 1995	बहुवादी, धर्म-निरपेक्षवाद, बहु-जातीय समाजों इत्यादि जैसे सार्वभौमिक विषयों पर संगोष्ठी।	जे एन यू	
13.	अगस्त, 1995	स्कूलों और कालेजों में संयुक्त राष्ट्र पर पुस्तिकाओं का वितरण।	यू एन डी पी	
14.	सितम्बर, 1995	समाचार पत्र परिशिष्ट	यू एन डी पी	
15.	अक्तूबर, 1995	संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में सहभागिता।	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्	
16.	22-24 अक्तूबर, 1995	संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में विशेष शिखर सम्मेलन (समापन समारोह) में प्रधान मंत्री द्वारा भाग लेना।	यू एन प्रभाग	

[अनुवाद]

विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड

858. श्री हरिन पाठक : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, भद्रावती (कर्नाटक) के आधुनिकीकरण तथा विस्तार का कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रक्रिया में पूंजीगत परिव्यय कितना है तथा कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इसमें भट्टी के आधुनिकीकरण के कार्य को पूरा करने के लिए नार्वे के विशेषज्ञों की सहायता मांगी गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वी.आई.एस.एल. के आधुनिकीकरण का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख). जी, हां। विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड के महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रमों तथा उन पर हुए परिव्यय का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

(i) 75 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 530 घन मीटर की एक नई धमन भट्टी की स्थापना।

(ii) 11.07 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर दो फैरो सिलिका भट्टियों का आधुनिकीकरण।

(iii) 10 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर दो विद्युत चाप भट्टियों, दो फैरो सिलिका भट्टियों और लाइम कैलशिनेशन किल्नस के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्करों की स्थापना। प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं सहित परिवर्धन/संशोधन/पुनर्स्थापन (ए.एम.आर.) योजनाएं भी हैं, जिनके लिए 50 करोड़ रुपए का परिव्यय है।

(ग) और (घ). जी, हां। आधुनिकीकृत फैरो सिलिकॉन भट्टी को चालू करने के लिए और इसके उत्पादन को स्थिर करने के लिए वी.आई.एस.एल. द्वारा नार्वे के एक विशेषज्ञ की सेवाएं ली गईं।

(ङ) जुलाई, 1994 में एक फैरो सिलिकान भट्टी चालू हो गई है। लाइम कैलशिनेशन संयंत्र और फैरो सिलिकान संयंत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर जनवरी, और अक्तूबर, 1994 में स्थापित/चालू हो गए हैं। 530 घन मीटर की धमन भट्टी हाल ही में चालू की गई है। अन्य भट्टियों का आधुनिकीकरण वर्ष 1995-96 में करने की योजना बनाई गई है जबकि परिवर्धन/संशोधन/पुनर्स्थापन योजनाएं शुरू की जाएंगी और प्रगामी रूप से पूरी की जाएंगी।

गुजरात क्षेत्र में आवास निर्माण के लिए सहायता

859. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र में मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को आवास निर्माण हेतु सहायता प्रदान करने के लिए गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबध में क्या निर्णय लिया है और प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा आज तक कितनी योजनाएं स्वीकृत/अस्वीकृत की गई हैं तथा कितनी योजनाएं मंत्रालय के पास लंबित हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को ऐसी योजनाओं के लिए अभी तक कितनी धनराशि स्वीकृत/प्रदान की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग). प्रश्न नहीं उठते।

पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर मुद्दे का उठाया जाना

860. श्री रतिलाल वर्मा : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कश्मीर मुद्दे को पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने हेतु किए जा रहे प्रयासों तथा इस संबंध में विशेष संसदीय समिति के गठन के प्रस्ताव की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए जा रहे जवाबी कदमों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिसम्बर, 1993 में पाकिस्तान की संसद ने कश्मीर के संबंध में एक विशेष समिति का गठन किया है। सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि पाकिस्तान कश्मीर मसले को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप देने का प्रयास कर रहा है।

(ख) सरकार जम्मू और कश्मीर की वास्तविक स्थिति से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को अवगत कराती रही है। सरकार पाकिस्तान के साथ सभी मतभेदों का शिमला समझौते की रूपरेखा के भीतर शान्तिपूर्वक और द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाने के प्रति वचनबद्ध है।

भारत-अमरीका संबंध

861. श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका ने परमाणु अप्रसार, परमाणु विखंडन सामग्री के उत्पादन पर रोक तथा बौद्धिक सम्पदा अधिकार के मुद्दों पर मतभेदों को दूर करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अगस्त, 1994 के दौरान भारत में अमरीका के नए राजदूत ने प्रधान मंत्री सहित भारतीय नेताओं के साथ कई बैठकें की थीं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) परस्पर समझ-बूझ बढ़ाने के उद्देश्य से भारत और अमरीका के बीच विभिन्न मसलों पर निरन्तर विचार-विमर्श होता रहा है, जिनमें नाभिकीय अप्रसार तथा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार से सम्बन्धित विषय भी शामिल हैं।

(ख) और (ग). भारत में अमरीका के राजदूत ने 2 अगस्त, 1994 को अपना प्रत्यय-पत्र प्रस्तुत किया। किसी भी राजदूत द्वारा प्रत्यय-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त, जैसी कि प्रथा रही है, अमरीका के राजदूत ने प्रधान-मंत्री सहित कई मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों से अगस्त, 1994 के दौरान मुलाकात की। उनकी इन मुलाकातों के दौरान द्विपक्षीय हित के अनेक मसलों तथा क्षेत्रीय एवं सार्वभौम हित के प्रश्नों पर बातचीत हुई।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश की जलापूर्ति परियोजनाएं

862. **श्री भवानीलाल वर्मा :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में जलापूर्ति की परियोजनाओं के बारे में मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए लंबित हैं; और

(ख) इन पहरयोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

श्रीलंका में हत्या संबंधी मामला

863. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका सरकार ने श्री जैमिनी दिसानायके की हत्या की जांच के संबंध में भारत से सहायता प्राप्त करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) श्रीलंका की सरकार ने श्री जैमिनी दिसानायके की हत्या के मामले में उनके द्वारा की जा रही जांच-पड़ताल में भारत सरकार से सहायता का अनुरोध किया है। भारत सरकार ने इस संबंध में श्रीलंका की सरकार द्वारा की जा रही जांच-पड़ताल में उसे यथासम्भव सहायता देने का निर्णय लिया है।

कृषि उत्पादन का उपयोग

864. **श्री अरविंद त्रिवेदी :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष पैदावार का आधुनिक प्रसंस्करण एककों के माध्यम से उपयोग करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने 1993-94 और 1994-95 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में गुजरात में कोई योजना कार्यान्वित की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिकांश खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उच्च प्राथमिकता वाला उद्योग घोषित करना, अल्कोहल पेयों के किण्वन और आसवन और लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना, घरेलू/विदेश/अनिवास भारतीय पूंजी निवेश को बढ़ावा देना, वित्तीय राहत उपलब्ध कराना आदि शामिल है। सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजना स्कीमें भी चला रही है।

(ख) और (ग). उदारीकरण से लेकर फरवरी, 1995 तक किए गए विभिन्न उपायों के फलस्वरूप गुजरात में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए 210 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन पेश किए गए हैं, जिनमें 3116 करोड़ रु. का पूंजी निवेश किया जाएगा। उनमें से 56 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। इसके अलावा शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों, संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने, विदेशी सहयोग आदि के लिए 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें 103 करोड़ रु. का पूंजी निवेश किया जाएगा। मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना नहीं करता। बहरहाल, मंत्रालय की योजना स्कीमों के तहत गुजरात से प्राप्त प्रस्तावों के सिलसिले में वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान क्रमशः 8.55 लाख और 6 लाख रु. की वित्तीय सहायता दी गई है।

[हिन्दी]

फल और सब्जियों का प्रसंस्करण

865. **श्री दिलीप भाई संघाणी :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान उत्पादित फल तथा सब्जियां बड़ी मात्रा में सड़ गई थीं अथवा उन्हें नष्ट कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाए जाएंगे;

(ग) गुजरात में कुल कितने प्रतिशत फलों तथा सब्जियों का प्रसंस्करण किया गया;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य में फलों तथा सब्जियों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) प्रसंस्कृत फलों तथा सब्जियों का निर्यात करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग). 1992-93 और 1993-94 के दौरान गुजरात में न तो फलों और सब्जियों का आसामान्य रूप से अपव्यय हुआ है और न ही उन्हें नष्ट किया गया है। लेकिन जल्दी खराब हो जाने वाला

उत्पाद होने के कारण कुछ नुकसान जरूर हुआ। 1993-94 के दौरान गुजरात में लगभग 40 लाख मी.टन. फल और सब्जियों का अनुमानित उत्पादन हुआ। प्रसंस्करण उद्योग द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फल और सब्जियों की खरीद देशभर से की जाती है। इसलिए इस राज्य में उद्योग द्वारा प्रसंस्कृत की गई फल और सब्जियों का कितना प्रतिशत स्थानीय तौर पर उगाया गया, इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है। बहरहाल 1994 के दौरान प्रसंस्कृत फल और सब्जियों की मात्रा लगभग 51,780 मी. टन थी जो देश में कुल प्रसंस्कृत फल और सब्जी उत्पादों का लगभग 7.66 प्रतिशत है।

(घ) से (च). फल सब्जी प्रसंस्करण उद्योग को उच्च प्राथमिकता वाला उद्योग घोषित करने के अलावा सरकार ने फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन शुल्क पर छूट, पूंजीगत उपकरणों पर लगन वाले आयात शुल्क में कमी, परियोजना के लिए स्वतः मंजूरी आदि जैसी वित्तीय राहतें दी हैं। सरकार फल और सब्जी प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए अन्य योजना स्कीमें भी लागू कर रही है। प्रसंस्कृत फल और सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने वाली स्कीमों में कृषि उत्पाद और निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा लागू की गई टैस्ट मार्केटिंग के लिए उत्पाद नमूने की सप्लाई, प्रचार और संवर्धन, विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने, पैकेजिंग का विकास, गुणवत्ता को बेहतर बनाना आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

कोर्डलेस और फैक्स मशीन

866. श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में बड़े शहरों में शहर-वार टेलीफोन लाइन से जुड़े (I) कोर्डलेस टेलीफोनों, (II) फैक्स मशीनों, (III) डेटा मोडेमों, (IV) उत्तर देने वाली मशीनें, (V) पी.बी.एक्स./पी.ए.बी.एक्स. की संख्या कितनी है; और

(ख) डीओटी/एमटीएनएल द्वारा कितनी लाइनें उपलब्ध करायी गयी हैं और उनमें से कितनी लाइनें उपभोक्ताओं द्वारा उपलब्ध करायी गई हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). सूचना क्षेत्रीय इकाइयों से एकत्र की जा रही हैं और शीघ्र ही सदन-पटल पर रख दी जाएंगी।

[हिन्दी]

जीवन-रक्षक औषधियां

867. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष जीवन-रक्षक औषधियों तथा कम्पाउण्ड औषधियों का उत्पाद कितना रहा;

(ख) क्या सरकार ने बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विदेश से जीवन-रक्षक औषधियों का आयात करने का फैसला किया है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). पिछले 3 वर्षों में प्रपुंज औषधों तथा सूत्रयोगों का वर्षवार उत्पादन इस प्रकार है :-

(रु. करोड़ में)

वर्ष	प्रपुंज औषध	सूत्रयोग
1992-93	1150.00	6000.00
1993-94	1320.00	6900.00
1994-95 (अनुमानित)	1518.00	7953.00

देश विभिन्न उपचारात्मक समूहों के लिए अच्छी गुणवत्ता की दवाइयों की जरूरत पूरा करने में लगभग आत्मनिर्भर है। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए स्वदेशी उत्पादन बढ़ रहा है। प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों का निर्यात भी बढ़ रहा है। कुछ औषधों तथा सूत्रयोगों को छोड़कर, जो आयात की प्रतिबन्धात्मक सूची में हैं, दवाइयों का आयात ओ.जी.एल. के अधीन है।

हरियाणा में पंचायतों को टेलीफोन

868. श्री अवतार सिंह भड़ाना : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1995 तक हरियाणा में जिलावार कितनी ग्राम-पंचायतों में उक्त सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी; और

(ख) हरियाणा में विशेषकर फरीदाबाद जिले के कितने गांवों में डाक एवं तार सुविधा उपलब्ध है तथा आगामी तीन वर्षों में कितने गांवों में उक्त सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) हरियाणा में 31 जनवरी, 1995 तक सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा-युक्त ग्राम पंचायतों की संख्या 4,029 है। चालू वर्ष के दौरान, 420 ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। जिला-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) I. हरियाणा में 31 जनवरी, 1995 तक तार सुविधा-युक्त ग्रामों की संख्या 4,367 है। फरीदाबाद जिले में यह सुविधा 196 ग्रामों में उपलब्ध है। जिन ग्रामों में अगले तीन वर्षों के दौरान यह सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, उनकी संख्या 2823 है।

II. हरियाणा में 2,270 ग्रामों में डाकघर सुविधा उपलब्ध है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में, 87 ग्रामों में डाकघरों की व्यवस्था की

गई है। डाकघर विभिन्न निर्धारित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए उत्तरोत्तर रूप से खोले जाते हैं बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों और लक्ष्य निर्धारित किए गए हों। अतः किसी समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता।

विवरण

हरियाणा की उन ग्राम पंचायतों के जिला-वार ब्यौरे, जहां दूरसंचार सुविधा उपलब्ध हैं और उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है

क्र.सं.	जिले का नाम	31.1.95 तक दूर-संचार सुविधा से युक्त पंचायतों की संख्या	जिन ग्राम पंचायतों में चालू वर्ष के दौरान दूरसंचार सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है, उनकी संख्या
1.	अम्बाला	434	50
2.	यमुनानगर	310	30
3.	करनाल	185	15
4.	कैथल	144	40
5.	पानीपत	117	15
6.	कुरुक्षेत्र	276	15
7.	रोहतक	298	30
8.	भिवानी	287	30
9.	सोनीपत	272	30
10.	फरीदाबाद	196	35
11.	गुड़गांव	252	30
12.	रिवाड़ी	215	15
13.	महेन्द्रगढ़	190	15
14.	हिसार	362	20
15.	सिरसा	232	20
16.	जींद	259	30
	योग	4,029	420

[अनुवाद]

हुडको आवास योजना

869. श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुडको ने निजी आवास के लिए कोई आवास योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के क्या उद्देश्य हैं; और

(ग) उक्त योजना किन-किन शहरों में लागू की जायेगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, नहीं। अलग-अलग आवास के लिए खुदरा वित्त-पोषण की योजना अभी तक लागू नहीं की गई है।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

870. श्री आनन्द अहिरवार : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग के सागर-झांसी सेक्शन के बीच सड़क विकास का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सेक्शन पर सड़क विकास का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (घ). राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है तथा ये कार्य निधियों की उपलब्धता एवं सकल प्राथमिकताओं के आधार पर विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के तहत चरणों में किए जाते हैं। सागर और झांसी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 26 के इस खंड में फिलहाल 439.68 लाख रु. की लागत के कार्य चल रहे हैं। 87.139 से 94.00 कि.मी. के मध्य ललितपुर बाईपास का निर्माण, 97 कि.मी. पर सड़क के किनारे पार्किंग स्थल का निर्माण तथा मौजूदा सड़क को 147 से 156 कि. मी. तक सुदृढ़ बनाने के कार्य विभिन्न अवस्थाओं में हैं और दिसम्बर, 1996 तक इन्हें पूरा करने का लक्ष्य है।

ब्रिटेन के "सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड कामनवेल्थ अफेयर्स" की भारत यात्रा

871. श्री बारे लाल जाटव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के "सेक्रेटरी आफ स्टेट एंड कामनवेल्थ अफेयर्स" ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन-किन नेताओं के साथ किन-किन विषयों पर बातचीत की और इस बातचीत के क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). यू.के. के विदेश एवं राष्ट्रकुल मामलों से सम्बद्ध सेक्रेटरी ऑफ स्टेट श्री डगलस हर्ड 5 से 7 जनवरी, 1995 तक भारत की यात्रा पर आए। वह प्रधान मंत्री से मिले तथा उन्होंने विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री तथा विदेश

राज्य मंत्री से बातचीत की। इन बातचीतों में, जिन प्रमुख विचारों पर चर्चा हुई, उनमें भारत—यू.के. राजनीतिक, व्यापारिक और आर्थिक सम्बन्ध, आतंकवाद तथा नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए द्विपक्षीय सहयोग और हमारे क्षेत्र में वर्तमान गतिविधियां एवं स्थिति से सम्बन्धित विषय शामिल थे। नियमित उच्च स्तरीय आदान-प्रदान के माध्यम से राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों क्षेत्रों में द्विपक्षीय सम्बन्धों को मजबूत करने में हुई प्रगति पर सन्तोष जाहिर किया गया।

[अनुवाद]

लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने की दर

872. **श्री सी.के. कुप्पुस्वामी : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित विभिन्न श्रेणियों के फ्लैटों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने की वर्तमान दर क्या है;

(ख) क्या 30 जून, 1994 तक की परिवर्तन दर के अनुसार इन दरों में वृद्धि का प्रतिशत भी शामिल है;

(ग) क्या उक्त बढ़े हुए प्रतिशत को वापस लेने की मांग की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि सरकार द्वारा घोषित परिवर्तन दरों के ढांचे को युक्तिसंगत बनाया जाए; और

(च) यदि हां, तो उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (घ). दिल्ली विकास प्राधिकरण के विभिन्न श्रेणियों के फ्लैटों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने की दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं। ये दरें 31/12/94 तक लागू होंगी और बाद में यह प्रावधान किया गया कि 1.1.95 से 31.3.95 तक ये दरें 25% तक बढ़ जायेंगी। इस बढ़े हुए प्रतिशत को वापस लेने हेतु अभ्यावेदनों के आधार पर, प्रारम्भ में निर्धारित की गई दरों पर परिवर्तन की अनुमति देने हेतु एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ङ) और (च). जी, हां। इस स्कीम का संशोधन सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण और स्लम विंग द्वारा लीजहोल्ड आधार पर आवंटित फ्लैटों/टेनामेंटों के लिए परिवर्तन दरें

फ्लैटों/टेनामेंटों की श्रेणी	पूर्वी जोन	उत्तरी/ पश्चिमी जोन	दक्षिणी जोन	केन्द्रीय जोन
जनता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एल आई जी	3,000	9,000	12,000	15,000
एमआईजी/एसएफएस (एल)/टाइप-II	4,250	12,750	17,000	21,250
एसएफएस(II)/एचआईजी/टाइप-II	6,250	18,750	25,000	31,250
ए/टाइप-II -बी एसएफएस (III)	7,500	22,500	30,000	37,500

दिल्ली में धनादेशों का भुगतान न किया जाना

873. **श्री सूर्य नारायण यादव : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक विभाग दिल्ली के नई दिल्ली दक्षिण-पश्चिम मंडल के वरिष्ठ डाकघर अधीक्षक को धनादेश का भुगतान न किये जाने के बारे में अक्तूबर, 1994 से फरवरी, 1995 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(ख) धनादेशों का भुगतान न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है और दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है/किये जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) अक्तूबर, 1994 से फरवरी, 1995 के बीच दक्षिण-पश्चिम डिवीजन, डाक विभाग, नई दिल्ली के वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर के कार्यालय को मनीआर्डरों का भुगतान न होने के बारे में 1056 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) सामान्यतया मनीआर्डरों के पारगमन के दौरान गुम होने, गलत भुगतान होने या भुगतान करने वाले कर्मचारियों द्वारा धनराशि का दुर्विनियोग करने के कारण मनीआर्डरों का भुगतान नहीं हो पाता है।

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्राप्त 1056 शिकायतों में से, 7[illegible] शिकायतें उक्त अवधि के दौरान ही निपटा दी गई थीं। जैसे ही मनीआर्डर का भुगतान न होने के बारे में कोई शिकायत मिलती है

तत्काल जांच शुरू की जाती है। यदि मनीआर्डर गुम हो गया हो, तो डुप्लीकेट मनीआर्डर जारी किया जाता है और भुगतान कर दिया जाता है। भुगतान करने वाले कर्मचारियों द्वारा गलत भुगतान करने या दुर्विनियोग के मामले में, वास्तविक प्राप्तकर्ता को धनराशि का भुगतान करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है। दोषी कर्मचारियों के खिलाफ उचित विभागीय कार्रवाई भी की जाती है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवाद

874. **श्री सत्यदेव सिंह** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जनवरी, 1995 के दैनिक समाचार पत्र "नवभारत टाइम्स" में पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजित करने वाला देश घोषित करने संबंधी प्रकाशित समाचार की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) नई दिल्ली में 13 जनवरी, 1995 को एक प्रैस कान्फ्रैंस के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में अमरीका के रक्षा मंत्री विलियम पेरी ने कहा कि "अमरीका के पास उपलब्ध साक्ष्य इस बात का समर्थन नहीं करता कि पाकिस्तान को आतंकवादी सूची में रखा जाना चाहिए।"

अमरीका के रक्षा मंत्री को यह बताया गया कि पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवाद को सक्रिय समर्थन देना जारी है जिसमें हथियारों, उपकरणों की आपूर्ति तथा प्रशिक्षण एवं घुसपैठ शामिल है।

[अनुवाद]

जैपोर और गजुवका के बीच सीधी विद्युत लाइन

875. **श्री जे. चोक्का राव** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा में जैपोर और आन्ध्र प्रदेश में गजुवका के बीच 700 करोड़ रुपये की 500 मेगावाट क्षमता वाली उच्च क्षमता वाली सीधी विद्युत लाइन की स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना कब से चालू हो जाएगी और इससे आन्ध्र प्रदेश को कितनी बिजली मिलेगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख). जी, हां। उड़ीसा में जैपोर तथा आन्ध्र प्रदेश में गजुवका के बीच 500 मे.वा. की एचवीडीसी बैक-टू-बैक पारेषण लाइन 659.98 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर स्वीकृत कर दी गई है। परियोजना के चार वर्ष की अवधि में पूरा किए जाने की प्रत्याशा है। परियोजना में पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र के मध्य अन्तः क्षेत्रीय पारेषण लिंक स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय ग्रिड तैयार करने के एक अंग के रूप में विद्युत का पूर्वी क्षेत्र से दक्षिणी क्षेत्र में और विपरीत दिशा में अन्तरण किया जा सके। कथित एचवीडीसी लिंक के माध्यम से आन्ध्र प्रदेश समेत दक्षिणी क्षेत्र को उपलब्ध कराई जाने वाली विद्युत की मात्रा, किसी विशेष समय में दक्षिणी क्षेत्र में विद्युत की मांग एवं उपलब्धता तथा पूर्वी क्षेत्र में अधिशेष ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करेगी।

फिजी में भारतीय मूल के फिजीवासी

876. **मेजर जरनल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिजी में बस गए भारतीय मूल के फिजीवासियों की संख्या कितनी है और उस देश की कुल आबादी की तुलना में ऐसे लोगों का प्रतिशत क्या है;

(ख) फिजी सरकार ने भारत को 1990 में वहां भारतीय मिशन बन्द कर देने को बाध्य कर दिया था, इस बात को ध्यान में रखते हुए वहां बसे भारतीयों के हितों की रक्षा कैसे हो पाती है;

(ग) फिजी में 1990 में सैनिक विद्रोह के बाद फिजी छोड़ने वाले भारतीयों की अनुमानित संख्या क्या है; और

(घ) फिजी सरकार द्वारा भारतीय मूल के फिजीवासियों के विरूद्ध जातीय भेदभाव अपनाने की नीति को अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत सरकार द्वारा उठाने के प्रयासों का परिणाम क्या रहा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) फिजी में लगभग 3,50,000 फिजीवासी भारतीय मूल के हैं, और उनकी यह संख्या कुल जनसंख्या का लगभग 41 प्रतिशत है।

(ख) वेलिंगटन और सिडनी स्थित भारतीय मिशन उनके हितों की देखरेख करते हैं।

(ग) सेना द्वारा तख्ता पलटने के बाद, जो भारतीय फिजी छोड़कर चले गए थे, उनकी सही-सही संख्या के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। कतिपय अनुमानों के अनुसार उनकी संख्या 60,000 बताई जाती है और ये लोग अधिकतर व्यावसायिक थे।

(घ) भारत सरकार राष्ट्रमंडल के देशों के साथ संपर्क बनाए हुए है। 1990 के जातीय आधारित संविधान की तीन सदस्यीय आयोग द्वारा व्यापक समीक्षा की जानी है और यह आयोग 1 जून, 1995 से अपना कार्य आरम्भ करेगा। सरकार स्थिति की समीक्षा कर रही है।

गुजरात में पे फोन

877. **श्री हरिसिंह चावड़ा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी गुजरात में "पे फोन" कनेक्शन आबंटित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो विकलांगों, भूतपूर्व सैनिकों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को ये कनेक्शन किन-किन स्थानों पर आबंटित किए गये हैं;

(ग) क्या इन टेलीफोन कनेक्शनों के आबंटन में किसी तरह की अनियमितताएं पायी गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले शिक्षित बेरोजगारों को एस.टी.डी. सार्वजनिक फोन फ्रेंचाइज किए जाते हैं। शारीरिक रूप से विकलांग और भूतपूर्व सैनिक प्राथमिकता वाली श्रेणी में शामिल हैं। तथापि, संस्थापन केन्द्रों सहित शारीरिक रूप से विकलांग और भूतपूर्व सैनिकों को फ्रेंजाइज किए गए पी.सी.ओ. का अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग "ग" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उर्वरक संयंत्र को बन्द करना

878. डा. साक्षीजी :
श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में उर्वरक इकाइयों का उत्पादन उनकी अधिष्ठापित क्षमता से काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में कुछ इस्पात संयंत्रों को हाल ही में बन्द कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो ये इकाइयां कौन-कौन सी हैं और कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ङ) इन इकाइयों के बन्द करने के क्या कारण हैं; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं/सहायता का ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) (ख) और (च). उत्तर प्रदेश राज्य में स्थिति प्रमुख उर्वरक एकक क्षमता उपयोगिता के संतोषजनक स्तर पर प्रचालन कर रहे हैं। तथापि, सिंगल सुपर फास्फेट (एस एस पी) बनाने वाले संयंत्रों, जो लघु एवं मध्यम आकार क्षेत्र में हैं, की क्षमता उपयोगिता 25.8.1992 से अनियंत्रण के पश्चात मूल्यों में बढ़ोत्तरी के कारण उठान में कमी की वजह से गत दो वर्षों के दौरान कम रही है।

भारत सरकार एस एस पी की बिक्री पर 340 रु. प्रति टन की दर से विशेष रियायत दे रही हैं। चालू वर्ष के दौरान एस एस पी एककों के निष्पादन में सुधार हुआ है।

(ग) से (ङ). फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया के गोरखपुर संयंत्र, जो संयंत्र में दुर्घटना के कारण जून 1990 से बन्द पड़ा हुआ है, को छोड़कर अभी हाल में कोई उर्वरक संयंत्र बन्द नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

मुरारी समिति

879. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में रूग्ण मत्स्यन उद्योगों के संबंध में मुरारी समिति की सिफारिशें 1994-95 के दौरान लागू कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग). भारत में गहन समुद्री मत्स्यन उद्योग के बारे में श्री पी. मुरारी की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। तकनीकी समिति की सिफारिशों पर अन्तर्मंत्रालय स्तर पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विपणन अधिकार

880. श्री हरि किशोर सिंह : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अवैध निर्माण के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के अन्य विपणन अधिकारों को 10 वर्ष से कम करके 7 वर्ष कर दिया गया है जैसा कि गैट समझौते में निर्धारित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). 1.1.1995 को अथवा उसके बाद पेटेन्ट की गई औषधियों के लिए पेटेन्ट (संशोधन) अध्यादेश, 1994 में पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा पेटेन्ट स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किए जाने तक जो भी पहले हो, एकमात्र विपणन अधिकार देने का प्रावधान है।

[हिन्दी]

नेहरू रोजगार योजना हेतु आबंटन

881. श्री राज नारायण : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 के दौरान नेहरू रोजगार योजना हेतु धनराशि आबंटन में भारी कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस आबंटन के 1992-93 और 1993-94 के राज्यवार तथा संघ-राज्य क्षेत्रवार तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार प्रति एक हजार बेरोजगार युवकों के लिए कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के बेरोजगार युवकों के लिए विशेष कोटा आरक्षित करने का कोई प्रावधान है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं के लिए अलग से धनराशि रखी गई है; और

(छ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के लिए किए गए प्रावधान का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, नहीं। नेहरू रोजगार योजना के लिए 1992-95 की अवधि हेतु आबंटित निधियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

वर्ष	धनराशि (लाख रुपयों में)
1992-93	7079.75
1993-94	7477.00
1994-95	6980.00

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) योजना के अन्तर्गत राज्यों/संघ शासित प्रशासनों को निधियां राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन- 38वें चक्र में दी गई उनकी गरीबी की मात्रा के आधार पर आवंटित की गयी थी। आलोचनात्मक धनराशि के आवंटन से बचने के लिए एक निश्चित न्यूनतम राशि स्तर (एमएफएक्स) भी अपनाये गये।

(घ) से (छ). शहरी निर्धन, नेहरू रोजगार योजना का व्यापक लक्ष्य समूह है। इस लक्ष्य समूह के अन्तर्गत महिलाएं और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी विशेष लक्ष्य समूह हैं। यह आशा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों के लिए निधियां शहरी आबादी में उनके अंश के अनुपात में नियतित की जायेंगी। इसके अतिरिक्त, स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने वाले लाभार्थियों में मोटे तौर पर 30% महिलाएं होने की आशा है।

विवरण

केन्द्रीय निधियों का राज्यों/केन्द्र शासित प्रशासनों को आबंटन नेहरू रोजगार योजना

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित राज्य का नाम	1992-93	1993-94
1.	आन्ध्र प्रदेश	527.40	679.94
2.	बिहार	457.35	359.30
3.	गुजरात	198.45	212.52
4.	हरियाणा	111.90	123.29
5.	कर्नाटक	510.20	440.17
6.	केरल	225.90	234.82
7.	मध्य प्रदेश	550.40	684.48
8.	महाराष्ट्र	700.50	669.60
9.	उड़ीसा	191.60	219.80
10.	पंजाब	192.90	216.47
11.	राजस्थान	309.40	379.60
12.	तमिलनाडु	587.00	765.58
13.	उत्तर प्रदेश	1426.20	1711.54
14.	पश्चिम बंगाल	481.20	259.00
15.	गोवा	19.70	17.85
16.	अरुणाचल प्रदेश	16.60	19.75
17.	असम	156.20	89.49
18.	हिमाचल प्रदेश	64.30	56.19
19.	जम्मू व कश्मीर	86.50	87.48
20.	मणिपुर	40.90	43.33
21.	मेघालय	37.45	24.10
22.	मिजोरम	24.30	21.74
23.	नागालैंड	19.20	15.70
24.	सिक्किम	34.20	29.68
25.	त्रिपुरा	25.20	25.60
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	9.20	13.53
27.	चंडीगढ़	12.20	13.86
28.	दादर एवं नगर हवेली	8.40	11.05
29.	दमन एवं दीव	15.10	18.25
30.	पाण्डिचेरी	17.90	11.70
31.	दिल्ली	22.00	22.00
	योग	7079.75	7477.00

टेलीफोन उपकरण

882. श्री राम पूजन पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में टेलीफोन के उपकरणों का निर्माण शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) इस संबंध में वर्ष 1993-94 और 1994-95 के लिए सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान दोनों क्षेत्रों ने इन उपकरणों का निर्यात किया है; और

(ङ) यदि हां, तो निजी क्षेत्र की कौन-कौन सी कम्पनियां इसका निर्यात कर रही हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र शुरू से ही दूरसंचार उपस्कर विनिर्मित कर रहा है। 1984 के बाद उत्तरोत्तर रूप से निजी क्षेत्र में दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण की अनुमति दी गई थी।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी, हां।

(ङ) निजी क्षेत्र की प्रमुख निर्यातक कम्पनियों के नाम संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

निजी क्षेत्र की प्रमुख निर्यातक कम्पनियां

1. भारती टेलीकॉम लिमिटेड।
2. बी पी एल प्रोजेक्ट्स एंड सिस्टम्स लि.।
3. प्रियाराज इलेक्ट्रानिक्स लि.।
4. वी एक्स एल इंजीनियरिंग लि.।
5. मोटोरोला प्राइवेट लि.।
6. फुजित्सु इंडिया लि.।
7. क्रॉम्प्टन ग्रीव्ज लि.।
8. टाटा टेलीकॉम लि.।
9. ए डी एस इण्टरनैशनल लि.।
10. सविता कैमिकल्स।
11. सुराना उद्योग लि.।
12. इम्पैल पैट्रो लि.।
13. श्याम टेलीकॉम लि.।
14. डब्ल्यू एस टेलेसिस्टम्स लि.।
15. एसियन ब्राउन ब्राउरीज लि.।
16. यूनाइटेड टेलीकॉम लि.।
17. सुराना पैट्रो लि.।
18. एल्काटेल मोदी नेटवर्क सिस्टम्स लि

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

883. श्री येल्लैया नंदी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आन्ध्र प्रदेश में बहुत से मैकेनिकल टेलीफोन एक्सचेंज लम्बे समय से कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो 1 मार्च, 1995 को ऐसे कितने एक्सचेंज किन-किन स्थानों पर कार्यरत थे;

(ग) इन एक्सचेंजों को कब तक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदल दिया जाएगा;

(घ) क्या राज्य के सभी मंडल मुख्यालयों में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज उपलब्ध करा दिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी संख्यावार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या ये एक्सचेंज ठीक ढंग से कार्य कर रहे हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) आठवीं योजना के उद्देश्यों के अनुसार, कम क्षमता वाले सभी एक्सचेंजों और लाइन फाइंडर टाइप वाले मध्यम क्षमता के सभी एक्सचेंजों को मार्च 1997 तक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदल दिया जाएगा बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों। अन्य एक्सचेंज जैसे ही पुराने और मियाद-बाहर हो जाएंगे, उन्हें इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज से बदल दिया जाएगा।

(घ) और (ङ). जी, नहीं। आंध्र प्रदेश में 1104 मंडल मुख्यालयों में से 866 में टेलीफोन एक्सचेंजों की व्यवस्था की जा चुकी है। इनमें से, 690 इलेक्ट्रानिक टाइप के एक्सचेंज हैं और 176 इलेक्ट्रो-मैकेनिकल हैं।

(च) जी, हां।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	अवस्थितियों की संख्या
1.	आदिलाबाद	11
2.	अनन्तपुर	69
3.	चित्तूर	64
4.	कुड्डापा	45
5.	पूर्वी गोदावरी	17
6.	गुन्टूर	13
7.	हैदराबाद	9
8.	करीमनगर	64
9.	खम्माम	3
10.	कृष्णा	41
11.	कुरनूल	38
12.	महबूबनगर	51
13.	मेडक	56
14.	नालगोंडा	34
15.	नेल्लोर	42
16.	निजामाबाद	47
17.	प्रकाशम	43
18.	श्रीकाकुलम	2
19.	विशाखापत्तनम	19
20.	विजयनगरम	12
21.	वारंगल	43
22.	पश्चिमी गोदावरी	19
	जोड़	742

उर्वरक निर्यात

884. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश सरकार ने भारत को उर्वरकों के निर्यात पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). बंगलादेश की सरकार ने भारत सहित सभी देशों को यूरिया के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबन्ध के 15.4.95 तक हटाए जाने की सम्भावना है। यह उपाय उस देश में हर वर्ष जनवरी से मार्च तक उर्वरकों की शीर्ष खपत की अवधि के दौरान किया जाता है।

उड़ीसा में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज

885. डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में किन-किन स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज कार्यरत हैं;

(ख) 1994-95 के दौरान किन-किन स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) दिसम्बर, 1994 तक किन-किन स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं और प्रत्येक एक्सचेंज में कितनी लाइन क्षमता है; और

(घ) राज्य में 31 दिसम्बर, 1994 को एक्सचेंज-वार टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने-कितने आवेदन पंजीकृत थे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 662 स्थानों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) बारबिल, कनटबांजी, अस्का, बेगमपुर, बुरालां, हीराकुंड, जगतपुर, जरना, पटलाखमांडी, और राउरकेला।

(ग) (i) नए एक्सचेंज 1994-95 के दौरान दिसम्बर, 1994 तक खोले गए

एक्सचेंज का नाम	लाइनें
मुखलिश	56
मोटो	88
केरूपाडा	56
वीनगारपुर	88
सिंगरी	56
सुनकी	88
टिकारी	56
भुतरा	56
रहमाल	56
बरकोटे	56
छाटीकाना	88

(ii) पुराने टाइप के एक्सचेंज बदलना

एक्सचेंज का नाम	लाइनें
अस्का	544
बुराला	752
हाटाकुंड	376
जगतपुस	1000
जछानी	1000
परलाखेमुंडी	400
कांताबनजी	1400
बारबिल	1000

(घ) सूची विवरण–II में दी गई है।

विवरण–I

उड़ीसा में उन स्थानों की सूची, जहां इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज हैं स्थानों की कुल सं. 662)

अचाग
अनंतपुर
अरनापाल
बी.टी. पुर
बहाबलपुर
बाहंगरा
बालासोपालपुर
बालासोर
पीलीपाल
बंट
बारापाडा
बस्ता
बासुदेवपुर
बाडला
बटमूहीहा
भद्रक
मंडारीपोक्करई
चंदरबाली
चन्देशर
चांदीपुर
चानापुर
देहुरदा
भामनगर
धुसरी
डोलासाही
गांडीबेडा
घंटेशर
गोपालपुर
जलेशर
जोरिया
खुआड
कुपारी
मनातरी
मतारीबान
माउन
नगरा
ओपाडा
माडापुर
पापाना
पीरीहाटा
रजघाट
रजनीलागरी
रानीताल
रसालपुरी
रेडना
शेरगढ़
सिमोला
सोरो
टिहडी
तोडीगुडा
बदनपवार
बहालादा
बाईसिंघा
बानगिरीपोशी
बारासाही
बारीपाडा
बेटनहाटी
बिसौली
चितरडा
देवलकी
डुकुरा
गोपालमशानी
जामासाला
जानडा

झारडीही
झापोकारिया
जोशीपुर
कपटीपाडा
करंजिया
खुंटा
कास्था
खड़ाकू
इयाचू
पाबुरी
पुरूलानाबाटीपाडा
निभारिन
रसविन्दर
सांकेरो
सुकीरती
सूलीपाडा
तिरंगी
उदाला
अनोवा
अनोवा
उसाका
बी.डी.पुर
बडासडोडा
बालीपाडार
बालोसीदा
बाटाकुंमुंडा
बेगुनीपाडा
बेलीगु था
बेहरामपुर
भंजनगर
भेजीपुर
भीसंगीरी
बोमकाई
बुदरमा
बुगुडा
सी. टीकरपाडा
चांदीपुर
चंदरगिरी
दलपुर
चंमीगाडे

चिकटी
चिरकोपादसन
दछिनपुर
धारीकोटे
दिगपोहांडी
सालेरी
साजम
गोलनतारा
गोंडाला
गोपालपुर
गोशीगरबंधा
गुमना
गुरमीती
हांदीगाछी
हिरमीकुंज
जगन्नाथ प्रसाद
जमुनी
जहाम
जरदागुडा
जयंतीपुर
काडीकुट्टीनगर
कनकाडा
काराचूली
काशीनगर
खुटीपाडा
खालीकोट
खेतारीबेरमपुर
कोडाला
कुडूताई
कुकुडकांडी
कुलाडा
महानंदपुर
मानतोड़ा
मोहाना
मुजाडा
नरेन्द्रपुर
नूपाडा
नेपेनतोड
पदमपुर
पदमपुर

पंदामूजी
परलाखेमंडी
पारापुर
पतरापुर
पीताताली
पिटोला
पिसीलारा
पुदरवारी
पुरूसुलतानपुर
आर.सुमाडी
आर. उदयगिर
रामगोडे राजे
रहीबोन
सांतामिजो जंकशन
सोगाडा
सिद्धेश्वर
सिहाला
शोलापुर
शाहडोल
सुरादा
मुमवड
टिमोनी
बालीगुडा
बाडसुनी
बिरहानसिंगपुर
दौंद
ब्राह्मणीगांव
चकपाड
बाटिनडोली
धालपुर
जी. उभयगिरी
गुट्टीगुटा
हरमंगा
जानपार्क
कनतमाल
खुरजीपाडा
कोटगढ़
लिंगाडांरा
नवगांव
रोबोरा
पालासरोडा
फिरंगिया
फलबनी
पुर्णियाकटक
राकिया
सारंगगढ़
टीकनबाडी
सीमनपाड़ी
धूडीबंध
अस्तरंगा
बाघम्बरी
बाहदजोला
बाजपुर
बालाकाटी
बालंगा
बालीन्टा
बालीपाटना
बालूगांव
बामनाल
बनामलीपुर
बासुदेवनगर
बेगुनिया
भापुर
भुवनेश्वर ई-10बी
भुपंउपुर
बोलागढ़
ब्रह्मगिरी
चन्दनपुर
चारीचक्का
चाईकाठा
दासपटला
(देलंगा)
गाबाकुंडा
गादसापुर
सांबरीमुडा
बनिया
बोप
गुलुभ
हल्दिया
इंसचिकला

झांकिया
जानला
जारीपटना
जराना
झिनटीसारन
काकतपुर
कल्याणपुर
कामुगुरू
खान्स
कांली
कांतीलो
कौशल चासंगा
खंडापारा
खेल्लार
खुर्दा
कोणार्क
कुटाल
माहीपुर
मालुद
मनकागुडा
मोंधसाल
मुकंददासपुर
नाछनी
नागपुर
नहरकांठा
नंदीघर
नारायणगढ़
नयागढ़
नयासाट
निम्बापाड़ा
निरकापुर
नूआगढ़
नवगांव
ओडागांव
पनसचाइन
पिपरी
पुरी
रायरंगपुर
रायसुखाला
रेतांग
सरवीगोपाल
सारदा
सरांकिला
सतसंरवा
सीकी
टांगी
बादमल
बूंगानूहाडा
बेलगांव
बेलपोरा
बिनाका
बोलनगीर
चन्नाबाइल
चन्दभट्टी
छत्तीकंडा
छुपाली
देवगांव
डूगरीपाली
हरिशंकररोड
कंताबंजी
कामेश्वरीपाल
लोईसिंगा
मुरीबहल
रतनगढ़
एस. रामपुर
साइंताला
साइंताल आई फैक्ट्री
सालेबाटा
सीनापाली
सीधीकेला
सोनपुर
तरभा
टीकरपाडा
टीकमगढ़
दुकला
तुरीकेला
तुसरा
इनबेन्द्रा
बेलतुंगरी
भवानीपटना

धनमबाढ़ा
जयपटना
जूनागढ़
काझ
केसिंगा
खरिपार रोड
लाड्साव
लानीगढ़
एम. रामपुर
मुरलारोड
नामोपाडा यावत
राजखरियार
रूटारोड
उतकेला
अधनग्नडिया
अखुलपाडा
अहगाली
अरीकाना
आठगढ़
औल
मालगाम
बैलीसिमोंगा
बालीकोंडा
बालीतुहा
बांकी
बारंबा
बारंगा
बाडी
बारूला
बारूलदेई
बौलंगा
भोभीथापुर
बीरोबारी
बारीडी
बोटीकीना
ब्रह्मपारदा
बरमनीपाल
छेटीधारा
धात्रा
छतिया
चौड्कुलाट
छोटूपुर
कटक
दातारी
दानापुर
दशरतीपुर
धेनकेनाल
डुबरी
इरासना
गजेन्द्रपुर
गोपालपुर
गोविन्दपुर
गुरूडीजटिया
इंदूपुर
जगतपुर
जगतसिंहपुर
जाजपुर
जाजपुर रोड
जाजपुर टी.डी.एम.
जरवापुरा
जखापुर
जरका
कापरबंधा
काडूपाडा
कला
कलापाठर
कालीपानी
कनकपुर
कंडापुर
कारलीपोढम
काटिपन
कारीकाटा
कांडोपारा
कोंडूपाटना
खुंटुनी
किशोरनगर
किरोली
कृष्णनंदपुर
कुकाहिया
कुमपाल

कुटांजा
कुंडा-जाजपुर
कुंडाल
कुशपुर
नखूलपाडा
नरसीधाई
मुंडा
मालीबार
नंदीपुर
नरकेन्द्रपुर
न्याशिनपुर
नेपाल
निलाई
निशिकांतिदोली
नवगांवहाट
ओलापुर
ओस्तार
पंचावसद
पानीकोली
पारादीप
प्रदीपगढ़
पाटनमगुडी
पाटलीकुरा
फिलोनारा
पुरबन
रघुनाथपुर
रायकनिका
राजनगर
रामबाग
साफा
बेलापुर
सोनोतरश
सिंगापुर
सिंगरी
सुजानपुर
सुकिन्दा
सुनगरा
तालाबस्ता
टांगी
तारीकुंडा
तिगेरिफ
तिरान
तिरोल
तुलसीपुर
अंनतपुर
अंगुल
अठालिक
बडकेरा
बगेडिया
बनलानी
बानीसिंह
बानापाल
बांसपाल
बंताला
बारबिल
बत्तू
बालूपुर
बेलदा
झापुर
मुबन
बेलीपाड़ा
बाडेन्दा
झंपुआ
छेदीपाड़ा
देवगढ़
धाकटा
धेनीकोटे
मंदनवाली
गोन्दिया
धारगांव
गोधीबंधा
गोविन्दनार
गुजेबिल
हरीचन्द्रपुर
हाटहीही
हिंदोल
हिंदोलरोड
जाजंग

जारपाडा
जिरोई
जोगडा
जोरांदा
ज्योतिपुर
कैमारी
कालाचूनी
कनकन्नार
कनिहा
कनकटांढा
खेदुहार
केसुपुराल
खुरूजीकला
खुमारा
किरीबुरू
महन्तगोला
मेहरामंडी
नागछी
नालोनगर
पाइकाशी
पालासापंगा
कल्लारा
पानुडा
पारिंग
पिंगुआ
रायसेन
राजकिशोरनगर
रामचन्द्रपुर
रसोल
रेमुली
रंगाली
सामबल
सनकापुर
दक्षिणबालोन्दरा
सोकेती
सूनापटना
तालचर
तालुमुला
तरनतारा
तेलकोई
तुलसीपाल
तुलसीगंगा
आगडोला
अंबागुडा
बालीमेला
बंधुगांव
बिसमकटक
बिपरीडीह
डोटीगुमा
चंदनहांडी
चंदनपुर
चित्रहोंडा
दाबूगांव
दामनजोडी
दानसेरजा
दसमंतपुर
गुडारी
गुमपुर
जे.के. पुर
जगबंतपुर
जैपोर
झाटीगांव
जिमनीपेडा
के. सिंगपुर
कालीमेला
कासीपुर
केनुगुडा
काटीगुडा
किडिंगा
कोडरपुर
कोटपाड़
कुजेन्द्रटी
कुन्दरा
लंपटपुर
लक्ष्मीपुर
एम.वी. 79
मल्कागिरी
राजगनपुर

राउरकेला
रूपीदीही
सरजीपल्ली
सुबदेगा
सुन्दरगढ़
तेनसा
बिहालगढ़
अटाबिरा
बागदेही
बागपल्ली
बेलपहाड़
भातली
भेदन
बीजेपुर
बीरमहाराजपुर
बुरला
छिछिन्दा
देवगढ़
धामा
दुगड़ी
येसीलेट
घैरू
घोडाडागा
गौशाला
हातीबारी
हीराकुड
आई बी थर्मल
जामकीरा
झारबंदा
झारसुगुडा
जुजुहारा
कडाबहाल
काटावल्ली
किटीमारा
कुछिदा
कलन्तरा
लालडा
लारूतोला
मंदाराल

मैथिली
मुनीगुडा
खांडपुर
नारायनपटना
नौयंगपुर
याद्मपुर
पापाढांढी
पोडुआ
पोट्टांगी
राधमपुर
रायगड़ा
रामागुड़ा
सिकारपई
सुनाबेडा
तेलडुलीखुन्टी
थेरूवली
लाभारकोर्ट
बलीसंकार
बामरा
बनाईगढ़
बारगाव
बरसुआन
बीरमित्रापुर
बिशरा
दारीलपल्ली
गारपोश
गोमारदीही
गोपालपुर
हेमीगरी
जाराइकेला
कालटा
कलिंगा
कनिका
किंजिरीकेला
कोयरा
कुआरमुंडा
कुंडूकेला
कुतरा
लादुनीपाड़ा

लाठीकाटा
लेधरीपाड़ा
मंगेशपुर
नुआगांव
पुरूनपानी
रायदोसा
मानेश्वर
मेलचामुण्डा
पदमपुर
पाड़ियाबहाल
पैकमाल
पारमानपुर
रायराखोल
रेहेन्डा
रेनगाली
साहसपुर
सांबलपुर
साराला
सासन
सातापल्ली
सिंकालाखंडितियां
सिन्दूरपंक
सोहेला
तालपटियाला
मुनुलिश
माटो
कारूपाड़ा
विंगरपुर
सिंगरोनी
सुनकी
टिनी
ओहुतर्थ
रोहम
बानोट
चाटकानी
कोरूडाला
सरस्वतीहाट
बीलेगुण्डा
लाखनपुर

विवरण–II

कुल एक्सचेंजों की संख्या 666

31.12.94 की स्थिति के अनुसार

एक्सचेंज	प्रतीक्षा सूची
1	2
अनंतपुर	2
अरनापाल	13
बी टी पुर	0
बाहाबालपुर	4
बाहानाभा	0
बालागोपालपुर	14
बालासोर	88
बालाइपाल	1
बान्त	24
बारापाड़ा	0
बास्ता	2
बासुदेवपुर	5
बाउला	2
बाउनशीदा	9
भद्रक	87
भंदारीपरिवारी	5
चन्द्राबाली	8
चंदनेश्वर	1
चांदीपुर	1
चानापुर	0
देंदुरदा	10
धामनगर	4
धुसुरी	13
डोलासाही	8
गादीबोडा	0
छोटेश्वर	0
गोपालपुर	1
जालेश्वर	5
खाड़िया	0
खुर्द	1
कुपारी	1
मानान्तरी	1
मंजरी रोड	0
माउदा	14
नाग्राम	2

1	2
दुपाडा	1
पादामपुर	0
पानपाना	0
पिरिहाटा	0
राजघाट	2
राजानीलागरो	0
रानीताल	4
रासालपुरल	0
रेमुना	7
रूपसा	0
शेरगढ़	0
शिमुलिया	1
सोर्द	1
तिहिड़ी	8
तुड़िगांड़िया	9
बादमपहाड़	2
राहाड़ी	3
बैसिंधा	3
बागरीपोशी	2
बारासाही	5
बरियापाड़ा	50
बेटानाटी	0
बिसोही	0
चित्रादा	0
देलही	0
दुक्रा	9
गुरूमाहीसनी	0
जमाशाला	0
जमादा	0
झाराडीही	4
झारपोरवारिया	4
जोशीपुर	5
कापतीपाड़ा	0
कारांजिला	21
खुंटा	6
कोस्था	8
कुआमारा	1
लक्ष्मीपोसी	4
पाकुरी	0

1	2
पुरूनाबारीपाड़ा	1
रायरांगापुर	53
रासागोविंदपुर	5
संकेरको	0
सुकरूली	7
सुलापाड़ा	0
तिरिगी	0
लाडला	0
आदावा	0
आस्का	6
बीडीपुर	0
बाडारूदादा	0
बालीपाडार	2
बाताकुमुण्डा	0
बेगुनीपाड़ा	0
बेलगुन्था	0
बेरहमपुरा	2
भाजानगर	923
भेजीपुर	0
भीषागिरी	0
बोमाकई	3
रिदांभा	0
बुबुड़ा	0
सीटिकारपाड़ा	2
चांदीपुर	0
चांदरागिरी	0
छत्रपुर	0
छेलीगाडो	14
चिकिती	0
चिरिकपादसासक	2
दाखिनापुर	0
धाराकोटे	0
दिसाम्हांडी	0
गैलरी	2
गंजम	0
मोलानतारा	0
गोंडाला	2
गोपालपुर आंनसी	0
गुआसानी गरबंधा	9

1	2
गुमा	0
गुरून्थी	10
हादांमांगी	0
हिन्जिलीकुट	2
जगन्नाथ प्रसाद	7
जामलनी	0
रारादा	0
जारदागढ़ा	1
जयन्तीपुर	0
काबोसूमनिगर	0
काररडा	3
कारामुलो	0
कासीनगर	0
खाजूरीपाड़ा	0
खाल्ली खोटे	2
खतरो बेरहमपुर	5
कोडाला	0
कुदुतई	1
कुकुदाखंडी	0
कुलादां	2
महानंदापुर	1
मानीतोरा	0
मोहाना	0
मुजागाडा	3
नरेन्द्रपुर	0
नुआपाड़ा	0
मापथा	0
मादमपुर	0
पंचकुटी	2
पालाखेलुन्डी	1
पागपुर	22
पात्रापुर	2
पितताल्ली	1
पितोला	0
पोलासारा	0
पुदामारी	3
पुरूसोतामपुर	1
आरसुमान्दो	2
आर उदमगिरि	3
रामगाड़ा	3
रमागिरी	1
रामामा	1
सातामिल्द जंकशन	2
शेरगाड़ा	0
सिंधेश्वर	1
सिताला	0
सोलोधर	0
सुमानदल	2
सुरादा	0
सुरामोनी	1
तुरबुदी	0
बालीगुडा	1
बालसुनी	0
बीरानारसांधिपुर	1
बाउर	0
ब्राहमनीगांव	2
चाकड़पाड़	0
दारिनगीतबाड़ी	1
धामपुर	3
जी उदयगिरि	0
गुरिनजीमा	3
हरभंगा	[illegible]
जानपंक	1
कांतामल	3
जोहानजुरीपाड़ा	3
कोरेगढ़	1
हिंदासदादा	0
नुआगांव	0
पानरिया	0
पालासासुदा	0
फिरंगिया	1
फुलनानी	15
पुरून्नाकटक	3
रामकिया	2
सुमनगढ़	0
सीमानबाड़ी	0
रिकाबाली	2
तुमुडीबंध	0

1	2
एजोनिया	70
अस्तरंगा	3
बाधामारी	3
नाहादाझौला	1
बाजपुर	0
बालाकारी	3
बालान्सा	1
बलिनथा	4
बालपरना	2
बालीपरक	3
बालगांव	0
बामानाल	2
बानामालीपुर	3
बासुदेवपुर	1
बेगुनिया	1270
भापुर	906
भुवनेश्वर ई-10बी	0
भुवनेश्वर एक्सवार	0
भुसंदपुर	4
बोलागढ़	215
बहमगिरि	1
चांदडाका	1
चंदनपुर	1
चारयिका	3
चैताना	2
दामुपल्ला	3
देलांगा	2
गाबाकुडा	1
गाढासंतपुर	0
गांभरी मंडा	0
गानिया	4
गोप	1
गुडुम	0
हल्दिया	1
इन्सचिलका	9
जनकिया	2
जानला	6
जारीपांथा	1
जाटानी	4
किन्तीसाबरा	0

1	2
काकथपुर	8
कल्याणपुर	0
कामागुरू	0
फानास	3
कांती	4
कातिवद	2
कासिल मागका	3
खानपाड़ा	0
खेलार	0
खुरदा	6
कोणार्क	3
कुरल	0
माहीपुर	0
मालुद	0
मेचेश्वर	234
मनिकेसुदिमा	0
मेंधासल	2
मुकंदाबासपुर	0
नाथुनी	3
नागपुर	0
नाहारकता	5
नंदीधर	0
नारनधर	1
नयागढ़	51
नाराहाट	1
नीमाधारा	10
नीराकारपुर	1
नौगांव	0
ओदादांत	8
पानारूपाड़ा	0
पिपिल	1
पुरी	82
सजनपुर	3
राजसुकाला	4
रेतांग	0
साखीगोपाल	2
सादारा	0
सारानकुजला	2
सातसाखा	0
सिको	0

1	2
तामंडो	17
तांगी	8
नदमाल	3
बानगामुडा	1
बेलगांव	0
बेलपोरा	0
बिनका	2
बोलानगिर	14
चनानहाल	0
चंदनमारी	0
छातामहारताना	0
छुदापाली	1
देवगांव	0
हुगलीपाली	9
हरिशंकर रोड	2
कांतामाजी	3
खामेश्वर पाली	1
लालीटांगा	1
मुरीबहाल	2
पासगढ़	1
एस रामपुर	3
सैताल्स	4
संताला आरीउनैर्सफक्ट्री	1
सालेमाटा	0
सिनापाली	5
सिधेकेला	0
सेवापुर	6
तारमा	2
रिकारपाड़ा	0
रिरिलगढ़	15
तुक्ला	0
तुरंकेला	0
तुसरा	1
नेहेरा	0
बेलटुनगई	3
भातनपटना	31
धरमबंधा	2
धारामगढा	4
जैमपटना	2

1	2
जूनागढ़	3
करमना	0
कोसिंगा	4
खारियाररोड	5
लाहुगाव	2
लानजीम	3
एम रामपुर	2
नारलारोड	2
नामनापाढ़ातानवत	3
राजखरियार	0
उनकेला	0
आधम गावाड़ा	4
अखुआपाडा	2
अंगलो	0
आरेकाना	4
अथगढ	2
आडल	2
बाहुग्राम	1
बैतालशिमाला	1
बालाटूथा	0
बानकी	5
कारामका	5
बारांगा	0
बारी	0
बारूआ	0
बारूमदेई	0
बाडलगंगा	9
निरूधारपुर	11
बीरीनारी	4
बिरिरी	2
बीरीकीनी	6
ब्रह्मभद्रा	0
ब्रह्मनीपाल	3
चंदेधारा	0
याटा	5
चारियमा	0
चौधाकुलाट	36
चांदबार	0

1	2
कहकफिलु	28
कहकमहताबरोड	339
कहक यूनिट-I, II	339
दैल तारी	2
दानपुर	3
दासारातापुर	1
धानमुनडल	9
बुबुरी	0
इरासामा	3
गजेन्द्रपुर	1
गोपालपुर	3
गोबिंदपुर	5
गुरूदिझरिया	1
इन्दुपुर	2
जगतपुर	6
जगतसिंहापुर	34
जयपुर	1
जयपुर रोड	23
जयपुर टाउन	3
जौतपुरा	0
जाराका	5
काबाटबंधा	5
काडुआपदा	0
काल्नान	6
कालापाथर	4
कालिथापनी	26
कनकपुर	2
केदारपुर	2
कालिनोपाथा	2
कातिया	0
काटांकारा	3
केन्द्रपाड़ा	8
खुटनो	3
किसोरनागर	4
कोरूआ	1
कृष्णनंदापुर	0
कुवाखिया	12
कुआनपाल	7
कुजांगा	3

1	2
कुमदा जयपुर	0
कुनडल	2
कुसुपुर	9
महाकालपाड़ा	3
मारशंधई	2
मोडडा	9
नालीबार	0
नंदीपुर	0
नरेन्द्रपुर	2
नरसिंहपुर	0
नेमाल	5
नैली	5
निशचिंता कोली	8
नाउगांव हाट	2
ओलातपुर	8
ओस्तर	1
पंचुपंचब	9
पानीकोली	1
पारादीप	17
पाथरीयगढ़	0
पातकरा	1
फुलनाखारा	1
पुरान	3
रघुनाथपुर	0
राजकनिका	0
राजनगर	2
रामबाग	2
साफा	3
सेलपुर	3
संखतराश	3
सिंहपुर	2
सिंगरी	4
सुजानपुर	2
सुकिन्दा	2
सुंगरा	2
तालाबस्ता	0
तांगी	0
तारिकुण्डा	9
तिमिरिया	7

1	2
तिरान	6
तिरतोल	1
तुलाखीपुर	4
आनन्दपुर	1
अनुसल	18
अथालिक	76
बाडकेरा	2
बाकेडिया	1
बालानी	1
बानसिंह	0
बानारपाल	0
बांसपाल	1
बानताला	0
बारबिल	1
बातो	29
बाउलपुर	1
बेलदा	0
भापुर	1
भुबन	1
बिलेपाडा	0
बोइन्दा	1
चांपुआ	2
चिंदीपाड़	2
टेवगांव	2
धाकता	0
धेनकनाल	72
धेनिककोर्ट	0
गंदानाली	12
गोदिया	2
घाटगांव	1
गोडीबादिया	0
गोबिन्दपुर	1
गुरेबिल	0
हरिचन्दनपुर	0
हाटडीही	0
हिन्दोली	2
हिन्दोल रोड	2
जाजंग	0
जारापाधा	1

1	2
जिराल	0
जुड़ा	17
जोरान्दा	0
ज्योतिपुर	0
कैमाटी	1
कालामचुइन	0
कामाख्या नगर	8
कानिध	10
कांकाढाहा	0
केओन्आर	150
कैसॉटीपल	0
खजुरीकार	0
खामारा	0
किरिबुरू	0
माथाकारगोला	0
हेरामण्डाली	2
नाकाची	0
नालकोनगर	12
पैकसाही	0
पालाशापंगा	0
पल्लाहारा	0
पांडुआ	0
पिंगुआ	0
परिआंण	0
रायसुझान	0
राजकिशोर नगर	1
रामचन्द्रपुर	0
रासोल	1
रेमुली	2
रेहगाली	2
सामल	1
शंकरपुर	0
माउथ बालादा	0
सुवाकाती	0
सुआनपातना	0
तालचेर	25
तालमुल	0
तोरातारा	0
तेजकोई	0

1	2
तुलसीपाल	0
तुरूंडुगा	0
अंबाटोला	1
अंबागुढ़ा	0
बारलीमेला	01
बंधुगात	0
बिसामकटक	0
बोईपारीगुडा	0
बोरीगुमा	1
चंदाहांडी	1
चंद्रापुर	0
चित्राकोडा	0
दानुगांव	1
दामनजोड़ी	6
देजेरभेज	1
दारूमानीपुर	0
गुदारी	0
गुमपुर	0
जे.के.पुर	3
जंगनाथपुर	0
जैपोर	52
झारीगांव	0
जिमदीपेरा	0
के. सिंगपुर	1
कालीमेला	0
काशीपुर	0
केडुंकुडा	1
खारीगुडा	2
कोडिंगा	0
कोरापुर	4
कोरपाड	8
कजेन्द्री	0
कुन्दरा	0
लाभरापुर	0
लक्ष्मीपुर	1
एम.बी. 79	0
मालकंगरी	11
राजगंगपुर	6
राउरकेला प्लांट	363

1	2
राउरकेला राउनशिप	708
रूपधी	0
सुरजीपल्ली	0
सुनदेगा	0
सुनूरगढ़	12
तेनशन्न	1
विधलागढ़	0
बारगढ़	2
बारापल्ली	1
बेलपहाड़	0
भाटली	179
भेदेन	4
भुकटा	5
बीजेपुर	0
बीरमहराजपुर	2
बॉथपुर	0
ब्राजारानगर	92
बुरला	27
चिचिन्दा	0
देवगढ़	2
धामा	0
डुंगरो	0
गैसीलेट	1
घैस	1
गुदा भागा	3
गोशाला	1
हातिबारी	0
हीराकुंड	11
आई बी थर्मल	1
जाकिरिया	0
झारबांधा	1
झारसुगुडा	109
जूजीमारा	0
कादाबहाल	0
कारापाली	1
किरीमोरा	0
कुछिन्दा	2
कुन्तरा	0
लालडा	0

1	2
लासतोला	1
मदोंसिल	1
माथिल	0
मुनीगुडा	8
नंदापुर	0
नारायणपटना	0
नोमरांजपुर	62
पादमपुर	0
पापाढोडी	0
पोडुआ	0
पोट्टांगी	1
रामधर	0
रामनगुडा	0
समागढ़	154
बिकारपई	0
सुनाबेड़ी	79
टोनतुलि खुरी	0
थेरूबाली	0
लिमारकोर्ट	20
बालीसंकरा	0
बामरा	2
बानालगढ़	0
बारगांव	0
बरसांव	0
बिरपितापुर	2
बिशरा	0
दारीपल्ली	0
गरपोश	0
गोमारदीही	0
गरपालपुर	0
हेमगिआरी	2
जराईकेला	0
कालटा	0
कालुंगा	9
कनिका	0
कान्स बहाल	4
किजीरीकेला	0
कोएरा	0

1	2
कुमारमुडा	0
कुंडुकेला	0
कुतरा	0
लाहुनीपाड़ा	2
लाठीकाटा	2
लेफरीपाड़ा	0
मंगेशपुर	0
नुआगांव	0
पुरूनापानी	0
रायडोगा	0
मानेश्वर	2
मेलचामुण्डा	2
पादामपुर	2
पादिआबहाल	2
पैरवाल	2
पारमानपुर	1
रायशरबोल	3
रेमेन्द्रा	2
रेनगाली	3
साहसपुर	2
सांबलपुर	279
सारास	1
सारान	2
सातापाल्ली	0
सियालखान डेरिया	0
सिंदूरपार्क	1
सोहेला	3
तालपाटिया	1
मुकुलिश	8
महू	0
कारीपाड़ा	0
सिंगारपुर	1
सिंगरी	0
टिंकू	1
धुतरा	
राहमुल	
बानोटे	
चाटीकाना	

कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड तथा मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंटस लिमिटेड का ईरान के साथ समझौता

886. डा. वसंत पवार : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड तथा मेटलर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेंटस लिमिटेड ने ईरान की दो प्रमुख कंपनियों के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित समझौता ज्ञापन की मुख्य-मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख). कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (के.आई.ओ.सी. एल.) ने तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए और नेशनल ईरानियन स्टील कंपनी की एक इकाई मैसर्स आह्वान स्टील कैम्पलैक्स को परामर्श देने के लिए उनके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कुद्रेमुख आरयन और कंपनी लिमिटेड (के.आई.ओ.सी.एल.) और मेटलर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इण्डिया) लिमिटेड (मेकन) ने ईरानियन स्टील संयंत्र रूप से अपेक्षित तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए समझौता ज्ञापन किया है।

[हिन्दी]

जलयानों का जब्त किया जाना

887. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश ने हाल ही में बंगाल की खाड़ी में कुछ भारतीय जलयान जब्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो किसने और इन्हें कब जब्त किया गया था;

(ग) क्या सरकार ने बंगलादेश से जब्त किए गए जलयानों को मुक्त करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस अनुरोध पर क्या प्रतिक्रिया हुई?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार बंगलादेश के प्राधिकारियों ने अगस्त, 1989 से दिसम्बर, 1994 की अवधि के दौरान कुल 39 भारतीय नौकाएं पकड़ी। 1 जनवरी, 1995 से कर्मीदल के 205 सदस्यों सहित 14 और नौकाएं पकड़ी गई बताई जाती हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) बंगलादेश की सरकार ने यह बताया है कि इन नौकाओं को बंगलादेश के प्रादेशिक समुद्र में गैर कानूनी प्रवेश की वजह से जब्त किया गया है। अगस्त, 1989 से दिसंबर, 1994 के दौरान पकड़ी गई 39 नौकाओं के कर्मीदल के सभी सदस्यों को बंगलादेश प्रवेश नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत 1 माह की नजरबंदी के बाद रिहा कर दिया गया है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान को फ्रेंच पनडुब्बियां

888. डा. आर. मल्लू : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में हुए हथियारों के सौदे की जानकारी है जिसके अंतर्गत फ्रांस ने पाकिस्तान को तीन अगोस्टा-90 बी पनडुब्बियां बेचने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या इन पनडुब्बियों की प्रस्तावित बिक्री से क्षेत्र में संतुलन गड़बड़ा जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सरकार ने इस अत्याधुनिक शस्त्र प्रणाली के हस्तांतरण का इस क्षेत्र के सुरक्षा पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव पर अपनी गहरी चिन्ता से फ्रांस की सरकार को अवगत करा दिया है।

सरकार उन सभी गतिविधियों पर निरन्तर निगाह रखती है, जिनका राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता हो तथा इसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करती है।

शांति क्षेत्र के रूप में हिन्द महासागर

889. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शांति क्षेत्र के रूप में हिन्द महासागर, विषय पर लंबे समय से लम्बित पड़े संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त सम्मेलन के आयोजन का विचार त्याग दिया गया है;

(ग) क्या राजनैतिक बातचीत तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तटवर्ती राज्यों का एक सम्मेलन आयोजित करने संबंधी कोई वैकल्पिक प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख). हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र के रूप स्थापति करने से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की तदर्थ समिति में इस पर सक्रिय रूप से विचार-विमर्श किया जा रहा है। तथापि, सुरक्षा परिषद के 3 स्थाई सदस्य, जो प्रमुख समुद्री शक्तियां हैं, इस तदर्थ समिति के कार्य में भाग नहीं ले रहे हैं। उनकी उपस्थिति के बिना हिन्द महासागर की एक शांति क्षेत्र के रूप में स्थापना से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कोई सार्थक निर्णय नहीं ले पाएगा।

(ग) संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में अथवा हिन्द महासागर के सभी तटीय राष्ट्रों का कोई भी वैकल्पिक सम्मेलन विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सड़क की मरम्मत के लिए विदेशी सहायता

890. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग सभी राज्य सरकारों ने सड़को की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता मंजूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार के माध्यम से विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक तथा जापान सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार उक्त स्रोतों से ऋण प्राप्त करने में सफल हुई है;

(ग) इन विश्व निकायों से अब तक कितना ऋण प्राप्त किया जा सका है; और

(घ) कब तक ये ऋण राज्य सरकारों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (घ). राज्यीय सड़कों में सुधार करने के लिए विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, और जापानी सरकार से ऋण सहायता लेने के बारे में कुछ राज्य सरकारों से सुझाव प्राप्त हुए हैं। तथापि, अभी तक किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है। अभी यह बता पाना संभव नहीं है कि ऋण सहायता कब तक प्राप्त होने की संभावना है।

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार

891. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : आंध्र प्रदेश में रा.रा. 5 के विजयवाड़ा- विशाखापत्तनम खंड को 358/0 से 395/875 कि.मी. तक तथा विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खंड को 0 से 2.80 कि.मी. तक चार लेनों का बनाने का कार्य चल रहा है जिसकी अनुमानित लागत 83.33 करोड़ रु. है। इस परियोजना को 31 जनवरी, 1997 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा इस्पात का निर्यात

892. श्री प्रेम चन्द राम : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण उच्च गुणवत्ता वाल इस्पात का निर्यात कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो आयातक देशों के क्या नाम हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) (i) चालू वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरा "सेल" ने निम्नलिखित देशों को उत्कृष्ट गुणवत्ता के मृदु इस्पात का निर्यात किया है :-

चीन, जापान, मलेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, इण्डोनेशिया, कोरिया, नेपाल, हांगकांग, ताइवान, श्री लंका, थाईलैण्ड, बंगलादेश यूनाइटेड अरब अमीरात, स्पेन, जर्मनी, आस्ट्रेलिया और इटली।

(ii) वर्ष 1994795 के दौरान "सेल" ने निम्नलिखित देशों को बेदाग इस्पात का भी निर्यात किया है :-

ताइवान, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमरीका, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, डेनमार्क, हालैण्ड, हांगकांग, इटली, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, और पश्चिम एशियाई देश।

विद्युत परियोजनाओं के लिए राज्यों को दी गई धनराशि

893. श्री खेलन राम जांगडे : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1994-95 के दौरान विद्युत उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश को धनराशि प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती ठर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश राज्य के लिए वर्ष 1994-95 हेतु विद्युत क्षेत्र परिव्यय 817.16 करोड़ रुपये है जिसमें से विद्युत उत्पादन हेतु परिव्यय 443.81 करोड़ रुपये है।

[अनुवाद]

स्पीड पोस्ट नेटवर्क

894. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनेक राज्यों में निजी पार्टियों की प्रतिस्पर्धा में स्पीड-पोस्ट सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा इसका विस्तार करने के लिए कौन

से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है और इसके लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ख) क्या सरकार को विशेषज्ञ समिति द्वारा देश में स्पीड पोस्ट के विस्तार तथा आधुनिकीकरण किए जाने के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) गोवा में कौन-कौन से स्थान पहले से ही स्पीड पोस्ट योजना के अंतर्गत हैं तथा अगले वर्ष के दौरान किन-किन स्थानों को इस योजना के अंतर्गत लाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) प्राइवेट कुरिअरों के साथ मुकाबला करने के प्रयोजन से स्पीड पोस्ट सेवा का स्तर बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं; जैसे :-

(i) परियात संभावनाओं के आधार पर नेटवर्क का विस्तार।

(ii) भलीभांति सुसज्जित तथा कम्प्यूटरीकृत बिजनेस कार्यालयों के माध्यम से बेहतर आवास सुविधाओं की व्यवस्था।

(iii) प्रचालन कार्य को तेजी से निष्पादित करने की सुविधा के लिए कम्प्यूटरों का प्रयोग।

(iv) जांच-पड़ताल संबंधी कार्यों पर तत्काल प्रतिक्रिया।

(ख) और (ग). जी, नहीं।

स्पीड पोस्ट नेटवर्क के विस्तार तथा आधुनिकीकरण पर कोई विशेषज्ञ समिति नहीं थी।

(घ) स्पीड पोस्ट नेटवर्क पर गोवा में पणजी ही एकमात्र स्टेशन है। पणजी सभी राष्ट्रीय नेटवर्क स्टेशनों से तथा अंतराष्ट्रीय नेटवर्क के सभी देशों के साथ जुड़ा हुआ है। पणजी में, निम्नलिखित 6 स्थान यह सुविधा प्रदान करते हैं :-

(i) पणजी

(ii) भरगांव

(iii) भापुसा

(iv) वास्को द गामा

(v) बिछोलिम

(vi) पोंडा

केरल में डाकघर

895. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में नए डाकघर खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान 2 शाखा डाकघर तथा 12 उपडाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत टेलीफोन

896. श्री अमर पाल सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली से सीधे टेलीफोन की सुविधा वाले शहर कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या मेरठ शहर के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मेरठ शहर को सीधे टेलीफोन प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क)

1. फरीदाबाद 2. बल्लभगढ़ 3. कुण्डली 4. गुड़गांव
5. बहादुरगढ़ 6. गाजियाबाद 7. नोएडा 8. लोनी।

(ख) जी, हां। यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ग) यदि निकटवर्ती अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों की टेलीफोन प्रणालियों का कार्य क्षेत्र सांझा (कॉमन बाउण्डरी) होता है, तो एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में की जाने वाले कॉलों को स्थानीय कॉल माना जाता है। मेरठ और दिल्ली कम दूरी के निकटवर्ती क्षेत्र नहीं है, इसलिए ये इस श्रेणी में नहीं आते।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 को चार लेनों वाला बनाया जाना

897. श्री गोपी नाथ मजपति : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पांच कटक-भुवनेश्वर सेक्शन मार्ग को चार लेनों वाला बनाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ख) यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) विश्व बैंक, जिसकी ऋण सहायता से यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, की अपेक्षाओं के अनुरूप परियोजना के विभिन्न पैकेजों के लिए ठेकेदारों और पर्यवेक्षी परामर्श दाताओं के चयन की प्रक्रिया के कारण कार्य को शुरू करने में कुछ विलम्ब हुआ है।

(ख) और (ग). इन पैकेजों पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और इसे जुलाई, 1998 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

गुजरात में तापीय विद्युत संयंत्र

898. श्री एन.जे. राठवा : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार गुजरात में कितने तटीय विद्युत संयंत्र कार्यरत हैं;

(ख) इन विद्युत संयंत्रों में कितनी मात्रा में विद्युत उत्पादन हुआ;

(ग) क्या सरकार का विचार गुजरात में केन्द्रीय सहायता से कुछ और अधिक तापीय संयंत्र लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) 31 जनवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार गुजरात राज्य में 15 ताप विद्युत संयंत्र प्रचालनाधीन थे।

(ख) अप्रैल, 1994 से जनवरी, 1995 की अवधि के दौरान, इन विद्युत संयंत्रों द्वारा 22156 मि.यू. विद्युत का उत्पादन किया गया था।

(ग) से (ङ). राज्यों को ब्लॉक ऋणों और ब्लॉक अनुदान सहायताओं के रूप में केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है और यह किसी विशिष्ट परियोजना/कार्यक्रम से संबंधित नहीं होती है।

उत्तर प्रदेश को विश्व बैंक सहायता

899. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के महत्वपूर्ण नगरों के विकास के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश शहरी विकास परियोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने गंदी बस्तियों में सुविधाओं में सुधार और विकास के लिए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसिस्टैंस (आई.डी.ए.) आदि के साथ कोई अन्य परियोजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभिगत (एप्रोच) दस्तावेज के रूप में भेजे गये प्रस्ताव में निम्नलिखित घटक हैं : आश्रय, नगरपालिका सेवाएं, जल आपूर्ति व स्वच्छता, यातायात एवं परिवहन, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण आदि। परियोजना की अनुमानित लागत 600 करोड़ रुपये है। परियोजना 6 वर्षों में पूरी होनी प्रस्तावित है। परियोजना पर विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय ने विचार-विमर्श किया था। तथापि, अभी बैंक स्तर पर परियोजना की वित्त व्यवस्था के बाबत पुनर्विचार चल रहा है, यह बताना संभव नहीं है कि विश्व बैंक द्वारा परियोजना पर कब तक विचार किया जायेगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र

900. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में अधिकतम हानि होने के कारण सरकारी क्षेत्र के इस उपक्रम के समक्ष गंभीर वित्तीय संकट उपस्थित हो गया है;

(ख) यदि हां, तो विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में बढ़ती हानि के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को दीवालियेपन की स्थिति से बाहर निकालने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख). कंपनी को सभी दृष्टियों से स्थिति में परिवर्तन होने और वर्ष 1996-97 तक शत प्रतिशत क्षमता उपयोग प्राप्त करने और वर्ष 1997-98 तक निवल लाभ अर्जित करने की आशा है। निम्नलिखित कारणों की वजह से कंपनी अब तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी :-

(1) ब्याज और मूल्यह्रास के लिए पूंजी संबंधी अधिक प्रभार।

(2) आरम्भिक जेस्टेशन अवधि।

(3) आदानों की लागत में वृद्धि।

(4) बाजार में मन्दी की प्रवृत्तियां।

(5) कतिपय अप्रत्याशित सम्भारिकी समस्याओं, दक्षता अंतर, अपर्याप्त स्वचालन, अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्यकता और तदनन्तर प्रचालन आरंभ करने के कारण इस्पात गलनशाला और सतत ढलाई मशीनों में उत्पादन को स्थिर करने में सामना की गई समस्याएं।

(ग) कंपनी को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए कंपनी के पूंजीगत आधार की पुनर्संरचना करने के प्रस्ताव को भारत सरकार ने जुलाई, 1993 में अनुमोदित कर दिया था। इस प्रस्ताव से कंपनी को बकाया सरकारी ऋण को अंशतः साम्या में और अंशतः 7 प्रतिशत गैर संचयी तरजीह शेयरों में परिवर्तित करने के कारण ब्याज के भुगतान में 350 करोड़ रुपए से अधिक की वार्षिक राहत मिली। इसके अतिरिक्त कंपनी ने संशोधन कार्य शुरू किए हैं और इस्पात गलनशाला और सतत् ढलाई मशीनों में अतिरिक्त सुविधाओं की स्थापना की है और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रतिष्ठित विदेशी फर्म से आवश्यक प्रौद्योगिकीय सहायता प्राप्त की है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में कोयले पर आधारित विद्युत केन्द्र

901. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र द्वारा कोयले पर आधारित विद्युत केन्द्र स्थापित किए जाने हेतु विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये विद्युत केन्द्र कहां-कहा स्थापित किए जायेंगे तथा इनको प्रस्तावित क्षमता कितनी-कितनी है;

(ग) प्रत्येक विद्युत केन्द्र के लिए प्रतिवर्ष कितने कोयले की आवश्यकता होगी; और

(घ) क्या इनके लिए कोयले की आवश्यकता की पूर्ति हेतु कोल इण्डिया लिमिटेड से स्वीकृति प्राप्त हो गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र के माध्यम से कोयला आधारित विद्युत गृहों की स्थापना हेतु विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

क्र.सं.	परियोजना का नाम (जिले का नाम)	अवस्थिति (प्रस्तावित)	क्षमता
1	2	3	4
1.	पेंच टी.पी.एस.	छिंदवाड़ा	500 मे.वा.
2.	भिलाई टी.पी.एस.	दुर्ग	500 मे.वा.
3.	कोरबा पश्चिमी विस्तार टी.पी.एस.	बिलासपुर	420 मे.वा.
4.	कोरबा प. टी.पी.एस.	बिलासपुर	500 मे.वा.
5.	बीना टी.पी.एस.	सागर	1000 मे.वा.
6.	बीरसिंहपुर टी.पी.एस.	बिलासपुर	500 मे.वा.
7.	कोरबा पूर्वी टी.पी.एस.	शहडोल	500 मे.वा.
8.	रायगढ़ टी.पी.एस.	रायगढ़	1000 मे.वा.

(ग) उपर्युक्त विद्युत परियोजनाओं में तीन परियोजनाओं की वार्षिक कोयला आवश्यकता उपलब्ध है, जोकि निम्नलिखित है :-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदित वार्षिक कोयला आवश्यकता (मी.टन)
1.	कारेबा पश्चिमी टी.पी.एस.	2.35
2.	पेंच टी.पी.एस.	2.00
3.	भिलाई टी.पी.एस.	2.47

(घ) जी, नहीं।

बीयर उत्पादन हेतु अनिवासी भारतीयों को लाइसेन्स देना

902. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अनिवासी भारतीयों को बीयर इत्यादि के उत्पादन हेतु लाइसेन्स जारी करने के लिए कोई नई नीति शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे उद्योग लगाने के लिए भारतीय नागरिकों को क्या प्रोत्साहन दिए जाएंगे?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों या अनिवासी भारतीयों को कोई आर्थिक अथवा वित्तीय प्रोत्साहन नहीं दिए जाते हैं।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में ग्रामीण महिलाओं को रोजगार

903. श्री अन्ना जोशी : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है;

(ख) क्या महिलाओं को अपना व्यवसाय चलाने में सहायता करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). मंत्रालय केवल महिलाओं के लिए कोई स्कीम विशेष नहीं चलाता। बहरहाल, मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना में सहायता दे रहा है और 8वीं पंचवर्षीय योजना के शुरू के तीन वर्षों में ऐसे 140 केन्द्रों को स्थापना के लिए सहायता दी जा चुकी है। जिला औद्योगिक केन्द्रों और राज्य नोंडल एजेंसियों के साथ-साथ ये केन्द्र प्रशिक्षण के अलावा खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न पहलुओं के बारे में सूचना का प्रसार करते हैं। खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों में इस बात पर जोर दिया जाता है कि कृषि-खाद्य उद्योगों में ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाए ताकि उन्हें लघु खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को लगाने और उनको प्रबंध व्यवस्था करने का "व्यावहारिक अनुभव" प्राप्त हो सके। महिला उद्यमियों को एस.आई.डी.बी.आई. द्वारा चलाई जा रही महिला उद्योग निधि स्कीम द्वारा वित्त उपलब्ध कराया जाता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-2 को चौड़ा करना

904. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 पर मथुरा-आगरा सड़क का चौड़ा करने और इसे चार लेनों वाली सड़क बनाने संबंधी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निविदाएं पहले ही आमंत्रित कर ली गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं पर कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है और इन पर निर्माण कार्य कब तक आरंभ हो जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि यह कार्य अभी निविदा स्तर पर है इसलिए यह बता पाना अभी संभव नहीं है कि यह कार्य कब प्रारंभ होगा।

[अनुवाद]

सड़क को चार लेनों वाला बनाया जाना

905. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलवाय-कोल्लम-त्रिवेन्द्रम मार्ग का चयन इसे चार लेनों वाला मार्ग बनाए जाने के लिए किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या त्रिचूर-एर्णाकुलम मार्ग को भी चार लेनों वाला मार्ग बनाए जाने हेतु योजना में शामिल किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) अलवाय से वायतिला और अरूर से अलवाय-कोचीन-क्विलॉन-त्रिवेन्द्रम मार्ग के शेरतलै उपखंडों को चार लेन का बनाने का कार्य चल रहा है। चार लेन बनाने के कार्य के लिए 3 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से भूमि अधिग्रहण कार्य आठवीं योजना में शामिल किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा कोयले का आयात

906. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने आस्ट्रेलिया और चीन से कोयले का आयात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो स्वदेशी कोयले का उपयोग करने के स्थान पर कोयला आयात करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने कोयले के आयात में वृद्धि करने का निर्णय लेने से पहले कोल इंडिया लिमिटेड के साथ परामर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कोल इंडिया लिमिटेड की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) 1995-96 और 1996-97 के दौरान इससे पहले वर्षों की तुलना में कितना कोयला आयात किया जायेगा और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी;

(च) क्या आयातित कोयले पर स्वदेशी कोयले की तुलना में कम लागत आती है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख). जी, हां। स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड "निम्न राखयुक्त धातुकर्मीय उत्कृष्ट कोककर कोयले" का अधिकांशतया आस्ट्रेलिया से आयात कर रहा है। तथापि चालू वित्तीय वर्ष में एक "शिप लोड" चीन से आयात किया गया है। "सेल" को आवश्यकताओं और स्वदेशी स्रोतों से उपलब्धता के बीच के मात्रात्मक और गुणवत्तात्मक अंतर को पूरा करने के लिए "सेल" कोककर कोयले का आयात करता है।

(ग) और (घ). "सेल" सहित एकीकृत इस्पात संयंत्रों के लिए कोककर कोयले की आवश्यकता और कोयले की उपलब्धता के संबंध में प्रत्येक वर्ष जनवरी/फरवरी में होने वाली इस्पात, कोयला,

रेल मंत्रालय, योजना आयोग, स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, कोल इण्डिया लिमिटेड आदि की संयुक्त बैठक में विचार विमर्श किया जाता है। आयात का निर्णय इस्पात संयंत्रों की आवश्यकताओं और स्वदेशी स्रोतों से कोककर कोयले की उपलब्धता के बीच के अंतर के आधार पर लिया जाता है।

(ङ) 1995-96 के दौरान 60 लाख टन कोककर कोयले का आयात करने के लिए "सेल" की योजना है। 1996-97 के दौरान आयात की जाने वाली मात्रा 1996-97 के दौरान स्वदेशी कोयले की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात (वास्तविक प्राप्ति पर आधारित) का विवरण निम्नानुसार है :-

	1992-93	1993-94	1994-95 (दिसम्बर, 94 तक)
1. कुल मात्रा (दस लाख टन)	4.248	4.750	3.865
2. लगी विदेशी मुद्रा दस लाख अमरीकन डालर कोयला बीजक मूल्य+एफ.ओ बी. (टी) सविदाओं के लिए लगाए गए विदेशी जहाजों को अमरीकन डालर में भुगतान किया गया भाड़ा	229.1	247.3	203.6
3. भाड़े सहित अनुमानित मूल्य (करोड़ रुपये) क्रम संख्या 2 पर लगभग रुपए के समतुल्य+भारतीय रुपए में भारतीय जहाजों को भुगतान किया गया भाड़ा)	779.6	889.1	719.2

(च) और (छ). स्वदेशी कोककर कोयले तुलना में आयातित कोककर कोयला कम राखयुक्त और उत्कृष्ट कोककर गुण होने के कारण लागत कार्यक्षम है। न्यून राख अंश सहित कोककर कोयले की बेहतर क्वालिटी से कोक की क्वालिटी में सुधार होता है और कोक दर में कमी होती है जिससे धमन भट्टी उत्पादकता में सुधार होता है और उत्पादन लागत में कमी होती है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-17 को चौड़ा करना

907. श्री पी.सी. चाको : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार से राष्ट्रीय राजमार्ग-17 को मजबूत बनाने तथा चौड़ा करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन अनुरोधों में राष्ट्रीय राजमार्ग-17 पर कोडुंगाल्लोर तथा पारावूर के बीच इस मार्ग को चौड़ा करना भी शामिल है;

(घ) क्या इन अनुरोधों पर कोई निर्णय ले लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) रा.रा. 17 को सुदृढ़ करने और चौड़ा करने के लिए केरल सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

यूरिया की ढुलाई

908. श्री महेश कनोडिया : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरिया की ढुलाई के लिए रेलवे वैगन की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय इस मामले पर रेल मंत्रालय के साथ कार्यवाही कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर रेल मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). चालू रबी मौसम के दौरान यूरिया के संचालन के लिए रेलवे वैगनों की समग्र उपलब्धता संतोषजनक रही है। इससे यूरिया के प्रेषण में तेजी लाने में योगदान मिला है जो अक्तूबर, 1994 से फरवरी, 1995 कि अवधि के दौरान कुल 81.68 लाख हो गया है जबकि रबी 1993-94 की समकालीन अवधि के दौरान प्रेषण 69.88 लाख टन था। इतनी बड़ी मात्रा में परिवहन कार्य से मांग में और वैगन की उपलब्धता में स्थानीकृत असंतुलन आना स्वाभाविक है। व्यस्त मौसम के दौरान अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों से प्रतियोगी मांग के परिणामस्वरूप वैगन की मांग करने और वैगनों की आपूर्ति के मध्य यदा-कदा समयान्तर होता है। ऐसी बाधाओं को अंतरमंत्रालयी समन्वय से दूर किया जाता है।

गुप्त अभियानों के लिए हेरोइन की बिक्री

909. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 सितम्बर, 1994 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स' में "शरिफ एलेजेज ड्रग्स-फार आर्म्स प्लान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि से, जिसमें नशीले द्रव्यों के अवैध व्यापार से प्राप्त होने वाली राशि भी शामिल है, भारत के विरुद्ध सीमा पार आतंकवाद को समर्थन दे रहा है और उसे दुष्प्रेरित कर रहा है।

सरकार आतंकवादियों के विरुद्ध सभी आवश्यक उपाय करने के प्रति दृढ़ रूप से वचनबद्ध है और भारत के विरुद्ध कार्रवाईयों के लिए बाहर से दिए जाने वाले सामग्रीगत वित्तीय अथवा किसी भी अन्य प्रकार के समर्थन के विषय में जागरूक रहेगी।

[हिन्दी]

व्यापार से संबंधित बौद्धिक सम्पदा अधिकार

910. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार के लागू होने के बाद पेटेंट की गई औषधियों का मूल्य बढ़ने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो मूल्य में अनुमानित वृद्धि प्रतिशत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन दवाओं के नाम क्या हैं जिनके मूल्य बढ़ने की आशा है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रलय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). औषधों के मूल्यों पर ट्रिप्स समझौते का प्रभाव, जो ट्रिप्स समझौते के लागू हो जाने के पश्चात पेटेंट हो, अनेक बातों पर निर्भर करेगा। जिनमें बाजार में चिकित्सीय समतुल्य गैर-पेटेंट औषधों की उपलब्धता की प्रकृति, पेटेंट धारकों द्वारा अपनाई गई लाइसेंसिंग और विपणन नीतियां, स्थानीय निर्माण का विकल्प सहित और बाजार शक्तियों के बीच परस्पर संबंध शामिल हैं।

[अनुवाद]

भारत की परमाणु नीति पर "ग्रीन पीस" की रिपोर्ट

911. **श्री विजय कृष्ण हांडिक** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण ग्रुप "ग्रीन पीस' की उस वर्तमान रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया है, जिसमें भारत की परमाणु नीति और क्षमता के संबंध में गलत एवं अशुद्ध आंकडे दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि "ग्रीन पीस" ने हाल ही में नाभिकीय प्रसार रिपोर्ट शीर्षक से एक पुस्तिका प्रकाशित की है, जिसमें भारत पर भी एक रिपोर्ट शामिल है।

(ख) सरकार सभी प्रासंगिक बहुपक्षीय मंचों पर यह बात दोहराती रही है कि उसका नाभिकीय कार्यक्रम मात्र शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए चलाया जा रहा है।

जापान को सहायता

912. **श्री के.जी. शिवप्पा** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जापान (कोबे) में हाल ही में भूकम्प से हुए भारी विनाश को ध्यान में रखते हुए राहत सामग्री भेजी है; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) माल भाड़े तथा हैन्डलिंग प्रभार सहित 2.97 करोड़ रुपये मूल्य की राहत सामग्री भेजी गई जिसमें बेबी मिल्क पाउडर, बिस्कुट, पेंसिलें, रबर, सैनटरी, नैपकीन्स, ऊनी कम्बल तथा चाय शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश में एस.टी.डी. सुविधा

913. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के गढ़वाल पर्वतीय क्षेत्र के कितने जिले एस. टी.डी. सुविधा से जुड़े हुए हैं;

(ख) अब तक कुल कितनी ग्राम पंचायतों में यह सुविधा प्रदान कर दी गई है; और

(ग) शेष पंचायतों में यह सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्तावित कार्यक्रम क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 28 फरवरी, 95 को स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश के गढवाल क्षेत्र में स्थित पांच पहाड़ी जिलों में एस.टी.डी. सुविधा प्रदान की गई है।

(ख) अभी यह सुविधा ग्राम पंचायतों में स्थित सार्वजनिक टेलीफोनों में प्रदान की जानी है।

(ग) सरकार ने एक नीति अपनाई है, जिसके अध्यधीन तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य होने पर ग्राम पंचायतों में स्थित सार्वजनिक टेलीफोनों के माध्यम से एस.टी.डी. सुविधा प्रदान की जानी है।

[हिन्दी]

गुड़गांव सड़क

914. **श्री सज्जन कुमार** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन की ओर जाने वाली गुड़गांव सड़क को चौड़ा करने की कोई योजना है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना, 1992-97 में गुड़गांव सड़क (रा.रा.सं. 8) को 19 कि.मी. से 30 कि.मी. से 30 कि.मी. तक 4 लेन से 6 लेन का बनाने के लिए प्रावधान है।

दूरसंचार सेवाओं को निजीकरण

915. **श्री रामपाल सिंह :**
श्री के.जी. शिवप्पा :
श्री वी. कृष्णा राव :
श्री जनार्दन मिश्र :
श्री कोडीकुन्नील सुरेश :
श्री चित्त बसु :
श्री फूलचंद वर्मा :
श्री पी. कुमारासामी :
श्री पंकज चौधरी :
श्री विजय नवल पाटील :
श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार सेवाओं के निजीकरण के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त निर्णय को कब से लागू किया जाएगा;

(घ) क्या "सोशल ऑडिट पेनल" ने दूरसंचार सेवाओं के निजीकरण की नीति की आलोचना की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के अनुसार दूरसंचार विभाग सहित, निजी क्षेत्र को प्रवेश करने के लिए मूलभूत सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में अनुमति प्रदान की जा रही है।

(ख) और (ग). सरकार ने मूलभूत टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से दूरसंचार विभाग के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय पंजीकृत कम्पनियों से (16.1.1995 से) निविदाएं आमंत्रित की हैं तथा निविदाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 30 मार्च, 1995 है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च). उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को दृष्टिगत हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सेल्युलर टेलीफोन

916. **श्री राम विलास पासवान :**
श्री श्रीकान्त जेना :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानदंडों/नियमों और दिल्ली उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों की उपेक्षा करके सेल्युलर टेलीफोन के लिए ठेके देने के कतिपय मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जायेंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) जी, नहीं। माननीय उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार विभाग द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया को सही ठहराया था। तथापि, कुछ बोलीदाताओं के मामले में माननीय न्यायालय ने बोली पर पुनः विचार करने के आदेश दिए थे और ठेका प्रदान करने से पूर्व इन पर विचार किया गया था। योग्यता, तकनीकी, वाणिज्यिक और वित्तीय शर्तों से संबंधित चयन प्रक्रिया सभी बोलीदाताओं पर समान रूप से लागू की गई थी।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार

917. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के विभिन्न एल्युमीनियम उत्पादक उपक्रमों में कितने व्यक्ति कार्यरत हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक एकक द्वारा किए गए निर्यात का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान इन एककों द्वारा कितना अनुमानित उत्पादन और निर्यात होगा?

खान मंत्रालय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) देश में सरकारी क्षेत्र में एल्यूमीनियम धातु की दो उत्पादक कम्पनियों नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लि. (नाल्को) तथा भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लि. (बाल्को) में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :-

नाल्को 6085

बाल्को 7698

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान नाल्को तथा बाल्को के निर्यात निष्पादन इस प्रकार रहे :—

(करोड़ रु. में) मात्रा (टन में)

नाल्को	1991-92		1992-93		1993-94	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य*
एल्यूमिना	3,78,435	172.65	4,25,616	209.88	3,71,009	181.83
एल्यूमीनियम	61,117	213.67	85,771	328.70	60,037	229.89
बाल्को						
एल्यूमिना	—	—	—	—	149	0.10
एल्यूमीनियम	273	1.78	170	0.95	28	0.15

(ग) आठवीं योजना के दौरान नाल्को और बाल्को में एल्यूमीनियम उत्पादन क्रमशः 10,21,000 मी.टन और 4,75,000 मी. टन होने का अनुमान है। आठवीं योजना के दौरान नाल्को की 3,40,000 टन एल्यूमीनियम के निर्यात की योजना है। आठवीं योजना के दौरान बाल्को ने एल्यूमीनियम निर्यात की कोई योजना नहीं बनाई है।

9वीं योजना के लिए इन कंपनियों ने उत्पादन तथा निर्यात की अभी तक कोई योजना नहीं बनाई है।

मिशनों में हिन्दी अधिकारी

918. **श्री मृत्युंजय नायक :**
श्री आनन्द अहिरवार :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार विदेश स्थित मिशनों में पदस्थ हिन्दी अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने अधिकारी पाये गए, जो हिन्दी में कार्य नहीं करते हैं तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय पोर्ट लुई, पोर्ट ऑफ स्पेन, लंदन, जार्ज टाउन और पारामारिबो में स्थित भारतीय मिशनों में हिन्दी अधिकारी तैनात हैं। वे अपने-अपने मिशन में हिन्दी के प्रचार-प्रसार तथा राजभाषा नीति के क्रियान्वयन से सम्बद्ध अपने दायित्व संतोषजनक ढंग से निभा रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण

919. **श्री छेदी पासवान :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार हरिजन बस्तियों और जनजातीय गांवों में प्राथमिकता के आधार पर बिजली के कनेक्शन देने का है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युतीकरण निगमों और सम्बन्धित एजेंसियों को इस सम्बन्ध में दिए गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में उपरोक्त प्रस्ताव का किस सीमा तक कार्यान्वयन किया गया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख). हरिजन बस्तियों और जनजातीय गांवों में प्राथमिकता के आधार पर बिजली के कनेक्शन दिए जाने के उद्देश्य से ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर ई सी) राज्य बिजली बोर्डों (एसईबी) को अधिमान्य शर्तों पर रियायती सहायता प्रदान करता रहा है। आर ई सी राज्य बिजली बोर्डों को, प्रमुख गांवों के साथ-साथ हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किए जाने की भी सलाह देता है। इसके अलावा, अभी हाल ही में राज्य बिजली बोर्डों से अनुरोध किया गया है कि ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीम के एक हिस्से के रूप में वे हरिजन बस्तियों में वितरण ट्रांसफार्मर लगाएं।

(ग) उपलब्ध सूचना के आधार पर, 2,62,960 हरिजन बस्तियों तथा 70,091 जनजातीय गांवों का दिसम्बर, 1994 तक विद्युतीकरण कर दिया गया है।

[अनुवाद]

नई दूरसंचार प्रणाली

920. **श्री तारा सिंह :**
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्री पी.सी. चाको :
श्री पी. कुमारासामी :
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री शिव शरण वर्मा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक ऐसी प्रणाली "प्लांट रिकार्ड्स", "डेटा कैप्चर" तथा "प्योरीफिकेशन" हेतु दिल्ली तथा मुम्बई में प्रयुक्त प्रणाली, को लागू करने पर विचार कर रही है, जो ब्रिटेन के दूरसंचार नेटवर्क का प्रोटोटाइप है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रणाली का अध्ययन करने के लिये एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन भेजा गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक लागू किया जायेगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). बम्बई और दिल्ली में 2 मिलियन टेलीफोनों से अधिक के केबल डॉटा और रिकार्डों की विश्वनीयता में सुधार करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना पर विचार किया जा रहा है। एक ऐसी प्रणाली की उपयोगिता की जांच की जा रही है जो बाहरी संयंत्र, रिकार्ड के ठीक होने की जांच करती है और केबल पेयरों में खराबी का पता लगाती है। ऐसी प्रणालियों का प्रयोग ब्रिटिश दूरसंचार व्यवस्था में भी किया जा रहा है।

(ग) और (घ). लन्दन में कार्यरत ऐसी ही प्रणाली का अध्ययन करने के लिए, म.टे.नि.लि. तथा दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र (टी ई सी) के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के एक-एक अधिकारी को 6 दिन के लिए लन्दन भेजा गया था।

(ङ) इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग

921. **श्री दत्ता मेघे :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई कितनी है; और

(ख) वर्ष 1994-95 में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) 2918 कि.मी.

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत हेतु महाराष्ट्र राज्य सरकार के लिए अब तक 16.63 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

[अनुवाद]

सड़क परिवहन

922. **श्री लोकनाथ चौधरी :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई सड़कों पर किए जाने वाले खर्च की तुलना में सड़क परिवहन से केन्द्र को प्राप्त होने वाले राजस्व में गत पांच वर्षों में कई गुना वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). सड़क परिवहन पर राजस्व वसूल करना और सड़कों के रख-रखाव और विकास पर व्यय किया जाना मुख्यतया राज्य का विषय है। सड़क परिवहन पर विभिन्न प्रकार से राजस्व वसूला जाता है जैसे चुंगी, पुलों पर कर, यात्री कर, परमिट शुल्क, मोटर वाहनों पर शुल्क इत्यादि। इसके अतिरिक्त, यह एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न होता है। इसलिए, इस बारे में समेकित रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। तथापि, ऐसा अनुमान है कि सड़क परिवहन पर वसूले गए राजस्व का 30 प्रतिशत भाग सड़कों और सड़क परिवहन पर व्यय किया जाता है।

सरकारी आवास

923. **श्री वी.एस. विजयराघवन :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिक आवासों का निर्माण करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी आवास के आवंटन में कर्मचारियों की लंबी प्रतीक्षा सूची की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जाएंगे?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) I-निर्माणाधीन तथा हाल ही में स्वीकृत क्वार्टरों की संख्या इस प्रकार है :—

निर्माणाधीन

(क)	(i) नेहरू नगर —	टाइप-III के	135 क्वार्टर
	(ii) एम.बी. रोड —	टाइप-IV के	112 क्वार्टर

हाल ही में स्वीकृत

(ख)	(i) सेक्टर x आर.के. पुरम-	टाइप v के	200 क्वार्टर
	(ii) -वही-	टाइप v के	94 क्वार्टर
	(iii) -वही-	टाइप iv के	96 क्वार्टर
	(iv) -वही-	हास्टल के	106 सूट्स
	(v) डी.आई.जेड. एरिया-टाइप-III के		60 क्वार्टर
	(v) मिंटो रोड	टाइप-iv के	56 क्वार्टर

II. निम्नलिखित स्थानों पर रिहायशी वास के निर्माण हेतु भूमि निर्धारित की गयी है और प्रस्ताव नियोजन स्तर पर है :—

(i) राउज एवेन्यू स्थित भूमि (माता सुन्दरी एरिया);

(ii) देव नगर स्थित भूमि;

(iii) आई.एन.ए. मार्केट के निकट भूमि (अलीगंज क्षेत्र)

(iv) मोतीबाग स्थित भूमि

(v) वसन्त विहार में भूमि

(vi) धिटोरनी स्थित भूमि

(ग) धनराशि की उपलब्धता के आधार पर बैकलाग को पूरा करने के लिए सरकारी वास के निर्माण की योजनाएं बनायी जायेंगी।

फैक्स मशीनें

924. श्री अमर रायप्रधान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 और 1994 के दौरान उनके मंत्रालय को पश्चिम बंगाल के किन-किन स्थानों से फैक्स मशीनें लगाने और एस.टी.डी. सहित सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने की मांगें प्राप्त हुईं;

(ख) 31 दिसम्बर, 1994 तक किन-किन स्थानों पर ये सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी; और

(ग) 1995-95 के दौरान किन-किन स्थानों पर ये सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) 1995-96 के दौरान ब्यूरो फैक्स सुविधा खड़गपुर, सूरी तथा तामलुक डी.टी.ओ. तथा दिनहाटा और खागड़ा दूरसंचार केन्द्रों में प्रदान किए जाने की संभावना है।

विवरण-I

वर्ष	ब्यूरो फैक्स सेंटर के लिए मांग वाले स्थान	
1993	(1) आई.टी.आई. खड़गपुर	(1993 में संस्थापित)
	(2) न्यू जलपाईगुडी रेलवे स्टेशन	(1993 में संस्थापित)
1994	(1) कैनिंग	(1994 में संस्थापित)
	(2) दिनहाटा	(1995-96 में संस्थापना का लक्ष्य रखा गया है)

विवरण-II

पश्चिम बंगाल में उन स्थानों के नाम जहां 31.12.94 की स्थिति के अनुसार फैक्स और एसटीडी पीसीओ प्रदान किए जा चुके हैं

1. सी.टी.ओ., कलकत्ता
2. बैरेकपुर डी.टी.ओ.
3. कलकत्ता अलीपुर डी.टी.ओ.
4. कलकत्ता विधाननगर डी.टी.ओ.
5. कलकत्ता आइटीओ डी.टी.ओ.
6. कलकत्ता एम जी रोड डी.टी.ओ.
7. कलकत्ता पार्क स्ट्रीट डी.टी.ओ.
8. कलकत्ता आर.बी. एवेन्यू, डी.टी.ओ.
9. कलकत्ता श्याम बाजार डी.टी.ओ.
10. हावड़ा डी.टी.ओ.
11. कृष्णनगर डी.टी.ओ.
12. बरगत डी.टी.ओ.
13. कलकत्ता जादलपुर
14. बंदेल डी.टी.ओ.
15. कलकत्ता-बैदो स्ट्रीट डी.टी.ओ.
16. कलकत्ता-बेहाला डी.टी.ओ.
17. कलकत्ता इंताली डी.टी.ओ.
18. कलकत्ता नगर बाजार डी.टी.ओ.
19. कलकत्ता नेताजी नगर डी.टी.ओ.
20. श्री रामपुर डी.टी.ओ.
21. रानाघाट डी.टी.ओ.
22. कलकत्ता इसप्लैनेहरोड, टीओ
23. हावड़ा रेलवे स्टेशन टीसी
24. उल्टाडांगा टीसी
25. चिनसुराह टीसी
26. चंदननगर टीसी

27. कदमतल्ला टीसी
28. आर.जी. कार अस्पताल टीसी
29. एसएसकेएम अस्पताल टीसी
30. कैनिंग टाउन टीसी
31. बाघूहाटी टीसी
32. उलबेरिय टी.सी.
33. आसनसोल डी.टी.ओ.
34. बर्दवान डी.टी.ओ.
35. बांकुरा डी.टी.ओ.
36. दुर्गापुर डी.टी.ओ.
37. बेरहामपुर (प.बं.) डी.टी.ओ.
38. बोलपुर डी.टी.ओ.
39. रानीगंज डी.टी.ओ.
40. पुरुलिया डी.टी.ओ.
41. मिदनापुर डी.टी.ओ.
42. दुर्गापुर स्टील प्लांट टीसी
43. आईटीआई खरगपुर टीसी
44. सिलीगुडी डी.टी.ओ.
45. जलपाईगुडी डी.टी.ओ.
46. दार्जिलिंग डी.टी.ओ.
47. मालदा डी.टी.ओ.
48. कूच बिहार डी.टी.ओ.
49. गेहाट डी.टी.ओ.
50. रायगंज डी.टी.ओ.
51. न्यू जलपाईगुडी आरएसटीसी
52. आसनसोल रेलवे स्टेशन टीसी

आवास तथा शहरी विकास निगम का दक्षिण अफ्रीका की एर्जेंसियों के साथ समझौता

925. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास तथा शहरी विकास निगम आवास तथा शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए दक्षिण अफ्रीका की एर्जेसियों के साथ बातचीत कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या आवास तथा शहरी विकास निगम के पास वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) हुडको ने अगस्त, 1994 में जोहान्सबर्ग में हुई एण्डएक्पो-94 प्रदर्शनी में भाग लिया और प्रदर्शनी में इसको प्रदर्शित उपलब्धियों में साऊथ अफ्रीका वालों ने गहरी रूचि दिखाई। अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में साऊथ अफ्रीका के आवास विभाग के महानिदेशक ने दौरा किया और उन्होंने 1994-99, पांच वर्ष की अवधि में एक मिलियन मकान मुहैया करने के साऊथ अफ्रीका सरकार के कार्यक्रम में हुडको से सहायता मांगी। तदन्तर महानिदेशक, आवास विभाग, साऊथ अफ्रीका और अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, हुडको के मध्य 13.12.1994 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए जिसमें सहयोग के क्षेत्रों की पहचान की गयी। समझौता ज्ञापन के तहत, हुडको और आवास विभाग, साऊथ अफ्रीका के मध्य सहयोग के विशेष कार्य क्षेत्रों की पहचान हेतु मिशन आजकल साऊथ अफ्रीका की यात्रा पर है।

(ग) और (घ). सहयोग संबंधी व्यवस्था का विवरण, हडको मिशन द्वारा किये जा रहे करारों के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा।

गुजरात को दी गई सहायता

926. **श्री शंकरसिंह वाघेला** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुजरात में फलों और सब्जियों पर आधारित उद्योगों को सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान और आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या गुजरात में फलों और सब्जियों पर आधारित उद्योगों संबंधी कुछ योजनाएं सरकार की स्वीकृति हेतु लंबित हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग). खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अनेक विकासात्मक योजना स्कीमें चला रहा है जिनका लक्ष्य गुजरात समेत विभिन्न राज्यों में नई फल और सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/उनके विस्तार/उन्नयन के लिए सहायता उपलब्ध कराना है। वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान गुजरात को निम्नलिखित सहायता दी गई :—

वर्ष	जारी की गई सहायता	उद्देश्य
1992-93	—	—
1993-94	2.30 लाख रु.	एक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना

इसके अलावा, गुजरात में 2 खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड को 6.00 लाख रु. की सहायता दी गई, सहायता संबंधी प्रस्ताव संबंधित राज्यों

के संगठन द्वारा पेश किए जाते हैं इसलिए अगले वित्तीय वर्ष में दी जाने वाली सहायता का इस समय अनुमान लगाना संभव नहीं है।

चालू वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान गुजरात और राजस्थान में एग्रो पार्लर की स्थापना के लिए गुजरात एग्रो औद्योगिक निगम लिमिटेड से सहायता संबंधी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[हिन्दी]

विदेशी और भारतीय कंपनियां

927. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी :**
डा. असीम बाला :
श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार क्षेत्र में विदेशी और भारतीय कंपनियों के प्रवेश के संबंध में अपनी नीति को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में गैर-सरकारी विदेशी कंपनियों का टेलीफोन व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित होने की स्थिति में कोई सुरक्षात्मक उपाय किए जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). जी, हां। सरकार ने मई, 94 में घोषित राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-1994, जिसके क्रियान्वयन के मार्गदर्शी सिद्धांत सितम्बर, 1994 में जारी किए गए थे, में यथा परिकल्पित मूलभूत टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने में दूरसंचार विभाग के प्रयासों में सहयोग के लिए पंजीकृत भारतीय कम्पनियों से निविदाएं आमंत्रित की हैं। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली कोई बोलीदाता कम्पमी विदेशी कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम वाली कम्पनी हो सकती है बशर्ते कि विदेशी भागीदारी 49 प्रतिशत से अधिक न हो।

(ग) और (घ). निविदा की शर्तों में विशिष्ट खण्डों को शामिल किया गया है जिनके अनुसार संस्थापन कार्य तथा नेटवर्क के अनुरक्षण के लिए लाइसेंसधारक द्वारा विदेशी कार्मिकों को तैनात करने से पूर्व भारत सरकार से सुरक्षा की दृष्टि से उनकी तैनाती की अनुमति प्राप्त की जाएगी। साथ ही ऐसा भी उपबंध किया गया है जिसके अनुसार आपातकाल या युद्ध या कोई छोटा-मोटा विवाद होने की स्थिति में या भारत सरकार द्वारा जनहित में घोषित किसी अन्य संभाव्य परिस्थिति में संबंधित सेवा क्षेत्र के लाइसेंसधारक के समग्र सेवा उपस्कर और नेटवर्कों या उसके किसी भाग को अधिकार में लिया जा सकता है।

[अनुवाद]

पाकिस्तानी जेलों में भारतीय युद्धबन्दी

928. **डा. एस.पी. यादव :**
श्रीमती सरोज दुबे :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :
श्री पंकज चौधरी :
श्री वृषभूषण शरण सिंह :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तानी जेलों में कितने भारतीय युद्धबन्दी हैं;

(ख) पाकिस्तान द्वारा उन्हें रिहा न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या पाकिस्तानी जेलों में अभी भी महिलाओं सहित 700 अन्य भारतीय बंद हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय युद्धबन्दियों और नागरिकों की शीघ्र रिहाई के लिए क्या प्रयास किए हैं अथवा किए जाएंगे?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार समझा जाता है कि 54 लापता रक्षा कार्मिक पाकिस्तान की हिरासत में हैं।

(ख) यह दुर्भाग्य की बात है कि पाकिस्तान बराबर यह कहता रहा है कि ऐसा कोई भारतीय रक्षा कार्मिक उसकी हिरासत में नहीं है। खेद का विषय है कि इस मानवीय मसले को हल करने के लिए वर्षों से भारतीय पक्ष द्वारा किए गए अनेक रचनात्मक प्रस्तावों के प्रति पाकिस्तान ने अभी तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है। लम्बे अर्से से चले आ रहे इस मसले को परस्पर संतोषजनक ढंग से हल करने के लिए तकनीकी स्तर का विचार-विमर्श करने के संबंध में पाकिस्तान ने अगस्त, 1992 के दौरान दिल्ली में विदेश सचिव स्तर की वार्ता के छठे दौर में जो विशिष्ट वचन दिया था, उसे पाकिस्तान द्वारा अभी निभाया जाना है।

(ग) और (घ). उपलब्ध सूचना के अनुसार इस समय 1067 भारतीय असैनिक बंदी, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, पाकिस्तानी जेलों में नजरबंद हैं।

(ङ) पाकिस्तान में नजरबंद सभी भारतीय बंदियों की शीघ्र रिहाई और उनके स्वदेश प्रत्यावर्तन का मामला पाकिस्तान की सरकार के साथ बार-बार उठाया जाता रहा है। ये प्रयास जारी हैं।

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम

929. **श्री राम नाईक :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम को रद्द करने के संबंध में मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस मांग में अधिनियम को रद्द किए जाने के संबंध में दिए गए कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार उक्त अधिनियम को रद्द करने के संबंध में विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर कब से विचार किया जा रहा है और अब तक निर्णय नहीं लिए जाने के क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां। राज्य सरकारों ने शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 को निरस्त करने की मांग की थी।

(ख) वे अपनी अपेक्षाओं और जरूरतों के अनुसार अपने अधिनियम बनाना चाहते थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बाली विवेकानन्द पुल

930. **डा. असीम बाला :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में गंगा के ऊपर बाली विवेकानन्द पुल सुरक्षा के दृष्टिकोण से जोखिम वाला है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). कलकत्ता में गंगा पर बाली विवेकानन्द पुल, रेल एवं सड़क पुल है और इसका रख-रखाव रेलवे द्वारा किया जा रहा है। सड़क डेक की कुछ आधारी इस्पात प्लेटें खराब हो गई हैं तथा इनकी मरम्मत की जा रही है/इन्हें बदला जा रहा है और इसके लिए आवश्यक मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

[हिन्दी]

इंदौर को मूलभूत सेवा संसाधन कार्यक्रम में शामिल करना

931. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इंदौर को शहरी निर्धनों के कल्याण हेतु "मूलभूत सेवा संसाधन कार्यक्रम" में शामिल करने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) इन्दौर को, गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवा संबंधी केन्द्रीय प्रयोजित योजना के तहत शामिल करने के लिए कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

औषध मूल्यों में वृद्धि

932. **श्री मोहन रावले :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 फरवरी, 1995 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "कन्सर्न एट प्रोपोज्ड हाइक ऑफ ड्रग्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). यह समाचार देख लिया है। बाजार में विद्यमान औषधों, चाहे वे पेटेन्ट की गई हों या पेटेन्ट न की गई हों, की कीमतों पर टिप्स समझौते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो औषधें ट्रिप्स समझौते के बाद लागू होने के बाद पेटेन्ट की जाएंगी, उन पर ट्रिप्स समझौते का प्रभाव अनेक बातों पर निर्भर करेगा जिनमें बाजार में उपचारात्मक समतुल्य गैर पेटेंटिड औषधों का उपलब्धता की प्रकृति, पेटेन्ट धारकों द्वारा अपनाई गई लाइसेंस तथा विपणन नीतियों सहित, जिनमें स्थानीय विनिर्माण का विकल्प शामिल है, और सामान्य परिदृश्य जो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित हो, शामिल हैं।

[हिन्दी]

डाक-तार विभाग के कर्मचारियों के लिए आवास सुविधा

933. **श्री हरि केवल प्रसाद :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान डाक-तार विभाग के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण का कोई लक्ष्य तय किया गया था;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया था;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) **डाक विभाग**

जी, नहीं।

दूरसंचार विभाग

लक्ष्य वार्षिक आधार पर निधारित नहीं किया जाता, तथापि, आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के अंत तक कुल 14 प्रतिशत तुष्टि स्तर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) से (ङ). **डाक विभाग**

उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दूरसंचार विभाग

जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

नेहरू रोजगार योजना

934. श्री बलराज पासी : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक द्वारा नेहरू रोजगार योजना के संबंध में हाल ही में किये गये अध्ययन के अनुसार इस योजना में अनेक कमियां हैं;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को सफल बनाने हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). अध्ययन की मुख्य-मुख्य विशेषताओं का सारांश और सरकार द्वारा उठाए गएं कदम संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं। लेखापरीक्षा द्वारा ऐसी कोई सिफारिशें नहीं की गई थी। यह योजना शहरी निर्धनों के लिए स्व-रोजगार और मजदूरी रोजगार के सुअवसर सृजित करने के उद्देश्य शुरू की गई थी। लक्ष्य समूहों को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए उसके क्रियान्वयन पर प्रभावशाली रूप से निगरानी रखी जा रही है। योजना के क्रियान्वयन की गति को तेज करने हेतु उठाए गए कदम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

नेहरू रोजगार योजना के क्रियान्वयन पर अध्ययन की मुख्य विशेषताओं का सारांश

1. प्रतिवर्ष एक मिलियन लाभार्थियों के लक्ष्य से शहरी निर्धनों की समस्या पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है।
2. उपलब्धियों में गिरावट।
3. शहरी आबादी और शहरी निर्धनता की मात्रा के आधार पर निधियों का केन्द्रीय अंश रिलीज न करना तथा कुछ राज्यों को उनकी अपेक्षा से कम धन मिल रहा है, जबकि अन्य राज्यों को उनकी पात्रता के आधिक्य निधियां मिली हैं।
4. 1989-90 के दौरान राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा धन का उपयोग न करना।
5. परवर्ती वर्षों में अधिकतर राज्यों द्वारा धन का आंशिक उपयोग।
6. राज्य अंश के रिलीज में देरी।
7. लघु उद्यम स्कीम के तहत ऋण आवेदनों पर कार्रवाई करने में विलम्ब।
8. विशेष लक्ष्य समूह पूर्णतया लाभान्वित नहीं।
9. कई मामलों में सब्सिडी का दुरुपयोग।
10. कई मामलों में सब्सिडी-ऋण अनुपात का उल्लेख नहीं।
11. मजदूरी रोजगार स्कीम के तहत निजी ठेकेदारों/एजेंसियों को रोजगार।
12. शहरी मजदूरी रोजगार स्कीम के तहत सामग्री श्रम अनुपात नहीं बनाए रखा गया।
13. शहरी मजदूरी रोजगार स्कीम के तहत सृजित परिसम्पत्तियों के रिकार्ड कई राज्यों द्वारा रखे नहीं जा रहे हैं।
14. शहरी मजदूरी रोजगार स्कीम एक लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में क्रियान्वित की गई।
15. एक लाख से कम की आबादी वाले कस्बों में आवास तथा आश्रय उन्नयन का क्रियान्वयन।
16. राज्य स्तर प्रबोधन इकाइयों का गठन नहीं।

विवरण-II

नेहरू रोजगार योजना के प्रभावकारी क्रियान्वयन के लिए उठाए गए कदम

(i) योजना के प्रबोधन हेतु 1.4.92 से प्रबंध सूचना पद्धति (एम आई एस) तैयार की गई है। अधिकतर राज्यों ने एम आई एस प्रपत्र में प्रगति रिपोर्ट भेजना शुरू कर दिया है।

(ii) एम आई एस प्रपत्र के विभिन्न कालमों की बाबत् स्पष्टीकरण के लिए विभिन्न स्थानों पर कतिपय कार्यशालाएं आयोजित की गई ताकि राज्य सरकार के अधिकारी एम आई एस फार्मों को उचित रूप से भर सकें।

(iii) बैंकों द्वारा सांस्थानिक वित्त के माध्यम से शहरी लघु स्कीम के कार्यान्वयन में विभिन्न अड़चनों पर विचार के लिए सांस्थानिक उधार सहायता पर एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है और इस समिति की

जुलाई, 1991 और सितम्बर, 1993 में दो बैठकें हो चुकी हैं। उच्च अधिकार प्राप्त समिति की तीसरी बैठक सितम्बर, 1994 में हुई।

(iv) उच्च अधिकार-प्राप्त समिति की बैठक के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक और आर्थिक कार्य विभाग के प्रतिनिधियों ने एस यू एम ई के तहत् लाभार्थियों की पहचान करने की प्रक्रिया में शहरी स्थानीय निकायों के साथ-साथ बैंकों की साझेदारी का सुझाव दिया। तदनुसार, स्थानीय स्तर पर अर्थात् एन आर वाई के तहत् लाभान्वित/लाभान्वित किए जाने वाले प्रत्येक कस्बे के लिए कार्य दल के गठन हेतु सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों को निर्देश दिए गए हैं। इस कार्य दल में मुख्य कार्यकारी अधिकारी/निगमायुक्त, लीड बैंक का एक प्रतिनिधि, दो-तीन अन्य प्रमुख बैंकों का एक प्रतिनिधि, जिला रोजगार कार्यालय द्वारा नामित कोई व्यक्ति होगा तथा यदि ऐसा कोई कस्बा निर्धनों के लिए शहरी बुनियादी सेवाओं (यू.बी.एस.पी.) के कार्यक्रम के तहत् लाभान्वित है तो यू.बी.एस.पी. के समुदाय आयोजक या परियोजना अधिकारी को कार्यदल में सहयोजित भी किया जा सकता है। प्रमुख गैर-सरकारी संगठनों (एन जी ओ) जो इस क्षेत्र में कार्यरत है, को भी तरजीह देते हुए सम्बद्ध किया जा सकता है।

(v) एन आर वाई के कार्य-निष्पादन की समीक्षा के लिए जून, 1991, फरवरी, 1992, अप्रैल, 1993 और जुलाई, 1994 के दौरान सचिव स्तर पर चार बैठकें बुलाई जा चुकी हैं।

(vi) राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ कतिपय समीक्षा बैठकें भी दिल्ली में आयोजित की गई हैं तथा मंत्रालय के अधिकारियों ने एन आर वाई के कार्य निष्पादन की समीक्षा की दृष्टि से कतिपय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के दौरे भी किए हैं।

(vii) 1993 की अंतिम तिमाही में योजना आयोग ने महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु नामक पांच राज्यों में एन आर वाई के मूल्यांकन का कार्य आपरेशन्स् रिसर्च ग्रुप (ओ आर जी), बड़ौदा को दिया। यह समझा जाता है कि ओ आर जी ने यह रिपोर्ट योजना आयोग के समक्ष पेश कर दी है तथा उस रिपोर्ट पर उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

(viii) योजना के क्रियान्वयन पर कार्य-निष्पादन का उल्लेख करते हुए सरकारी विशिष्ट पत्र सितम्बर, 1993 में तथा पुनः सितम्बर, 1994 में सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इस अनुरोध सहित भेजे गए थे कि कार्य निष्पादन की गति बढ़ाई जाए ताकि उनके पास उपलब्ध अव्ययित निधियों का उपयोग पूरा किया जा सके।

(ix) राज्यों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं मिलने की वजह से उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्र भेजने के लिए शहरी विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव स्तर से सभी राज्य सचिवों को 1993 के अंत में पत्र भेजे गए थे और बाद में कतिपय अनुस्मारक भी भेजे गए ताकि यह मंत्रालय निधियां रिलीज कर सके।

(x) आवास एवं आश्रय उन्नयन स्कीम (शासू) के क्रियान्वयन पर, इस मंत्रालय में संयुक्त सचिव से एक अ.शा. पत्र फरवरी, 1994 में सभी राज्य सचिवों को यह आग्रह करते हुए भेजा गया था कि वे इस उद्देश्य हेतु उपलब्ध निधियों के उपयोग के लिए आवास एवं नगर विकास निगम (हडको) को अधिक से अधिक परियोजनाएं भेजें।

(xi) आवास एवं आश्रय उन्नयन स्कीम, जो अब तक, 1 लाख से 20 लाख के बीच की आबादी वाले कस्बों के लिए ही लागू थी, उसे अब 20 लाख से कम की आबादी वाले सभी कस्बों/शहरों के लिए लागू किया गया है।

(xii) शासू पर अधिकार प्राप्त समिति ने उन राज्यों, जिनके पास दो वर्षों की अवधि से उपयोग न की गई निधियां बकाया पड़ी हैं, से बेहतर कार्य-निष्पादन करने वाले राज्यों को निधियां अंतरित करने का मामला अनुमोदित कर दिया है।

(xiii) शहरी लघु उद्यम स्कीम (सूमे) और शहरी मजदूरी रोजगार स्कीम (सूवे) के तहत् घटिया कार्य-निष्पादन करने वाले राज्यों से बेहतर कार्य-निष्पादन करने वाले राज्यों को निधियां अंतरित करना वर्ष 1994-95 के लिए बहाल किया गया है।

सड़क दुर्घटनाएं

935. श्री जनार्दन मिश्र : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत छः माह के दौरान अन्य शहरों में कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुईं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कुछ विशिष्ट कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली में सितम्बर, 94 से फरवरी, 95 तक 4822 दुर्घटनाओं की सूचना मिली है। देश में लगभग 600 शहर हैं और

क्योंकि किसी भी शहर को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है इसलिए अन्य शहरों के बारे में सूचना देना संभव नहीं है।

(ग) और (घ). दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए जा रहे उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

दिल्ली में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए गए/किए जा रहे उपाय

1. वर्ष 1995 "सड़क सुरक्षा वर्ष" के रूप में मनाया जा रहा है। सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रभावी उपाय करें तथा पूरे वर्ष विभिन्न प्रचार अभियान जारी रखें।

2. दिल्ली परिवहन विभाग ने वैज्ञानिक विधि से चालक प्रशिक्षण देने के लिए एक मोटर चालन (ड्राइविंग) प्रशिक्षण स्कूल खोला है।

3. चालन-लाइसेंस तथा वाहनों की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के संबंध में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाना सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं।

4. चालकों के लिए नवम्बर, 1992 में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम शुरू किए गए थे, जो अभी भी जारी हैं। चालकों की प्रवीणता की परीक्षा ली जाती है। इसके अतिरिक्त, लॉस प्रिवेंशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन (इंडिया) नई दिल्ली ने भी चालकों के लिए इंस्पेक्शन पिट, बुराड़ी, नई दिल्ली में 60 एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें लगभग 6500 चालकों ने भाग लिया।

5. दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने भी निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(i) यातायात संबंधी नियमों और विनियमों को सख्ती से लागू करना।

(ii) खतरनाक तरीके से तथा लापरवाही से वाहन चलाने, लाइसेंस बगैर वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने और लालबत्ती पार करने के खिलाफ विशेष अभियान।

(iii) उल्लंघनकर्त्ताओं को नोटिस जारी करके उनका नियमित रूप से अभियोजन।

(iv) दुर्घटना बहुल क्षेत्रों में यातायात संकेतक/ब्लिंकर लगाना।

(v) दुर्घटना बहुल क्षेत्रों में और अधिक यातायात पुलिस कर्मी तैनात करना।

(vi) राष्ट्रीय राजमार्गों पर विशेष गश्ती जांच।

(vii) अल्कोमीटर और रडार गन जैसे आधुनिक उपस्करों के माध्यम से अभियोजन।

(viii) पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के लिए चल प्रदर्शनी वैन को विभिन्न क्षेत्रों में ले जाना।

(ix) सड़क सुरक्षा संबंधी साहित्य का वितरण।

(x) दिल्ली यातायात पुलिस सड़क दुर्घटनाओं को कम करने तथा चालकों के व्यवहार को सुधारने के लिए दोषी चालकों के खिलाफ नियमित रूप से "विशेष अभियोजन अभियान" चला रही है। जनवरी, 94 से फरवरी, 95 तक दिल्ली पुलिस ने विभिन्न यातायात उल्लंघनों के लिए 10062 दोषी चालकों को गिरफ्तार किया, 7644 वाहन जब्त किए और 15,83,997 वाहनों का अभियोजन किया।

टेलीफोन कनेक्शन

936. डा. रमेश चन्द तोमर :
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1994 तक राज्य-वार कुल कितने व्यक्तियों ने टेलीफोन कनेक्शन के लिए आवेदन किया था;

(ख) 31 दिसम्बर, 1994 तक राज्य-वार किस वर्ष तक के पंजीकृत लोगों को टेलीफोन कनेक्शन दे दिए गए हैं;

(ग) राज्य-वार ऐसे कितने व्यक्तियों ने 1988 में पंजीकरण करवाया था जिन्हें 31 दिसंबर, 1994 तक कोई टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिया गया है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा बिना बारी के दिये गये टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतिशतता क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 31 दिसंबर, 1994 तक, जिन व्यक्तियों ने आवेदन किया है और जिनका नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज है, उनकी कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

31 दिसम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार, जो व्यक्ति टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षारत हैं, उनकी संख्या

क्र.सं.	सर्किल/यूनिट	31.12.94 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	145936
2.	असम	15425
3.	बिहार	35685

1	2	3
4.	गुजरात (दादर, दीव, दमन, और नगर हवेली)	235972
5.	हरियाणा	71058
6.	हिमाचल प्रदेश	19752
7.	जम्मू और कश्मीर	21995
8.	कर्नाटक	133605
9.	केरल (लक्षद्वीप) यू.टी. (सहित)	342240
10.	मध्य प्रदेश	61480
11.	महाराष्ट्र (बंबई और गोवा सहित)	334900
12.	उत्तर-पूर्व (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा)	6414
13.	उड़ीसा	8383
14.	पंजाब (चंडीगढ़) (यूटी) सहित	204892
15.	राजस्थान	184286
16.	तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित यूटी सहित)	34058
17.	उत्तर प्रदेश	134133
18.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप सहित)	90371
19.	दिल्ली	196109
	जोड़	25,83,194

सस्ती दरों पर अन्तर्राष्ट्रीय काल

937. श्री प्रभू दयाल कठेरिया :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि देश में कतिपय ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो लोगों को सस्ती दरों पर अन्तर्राष्ट्रीय काल सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितना वार्षिक घाटा हुआ;

(ग) 1993-94 के दौरान इस संबंध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियां को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मिश्रित इस्पात संयंत्र दुर्गापुर

938. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर का मिश्रित इस्पात संयंत्र वैगन उद्योग के लिए निर्मित अपने उत्पादों को नगरपालिकाओं की रद्दी की टोकरियों के निर्माण के लिए इस्तेमाल कर रहा है;

(ख) क्या बम्बई और कलकत्ता की नगरपालिकाओं ने दुर्गापुर के मिश्रित इस्पात संयंत्र को इस संबंध में अपने आर्डर भेज दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस उद्देश्य के लिए कीमती मिश्रित इस्पात का प्रयोग करने का क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जायेंगे?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग). भारतीय रेलवे वैगन आर्डर में कमी करने के कारण नए ग्रेड के एक इस्पात सेलकोर, जो उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोधी और सामर्थ्यवान है, को उठाने में कमी हुई है जिससे मिश्र इस्पात संयंत्र/सेल में इस्पात के इस ग्रेड के निर्माण का उपयोग कम हुआ है।

इसके फलस्वरूप मिश्र संयंत्र/सेल को इस्पात के इस ग्रेड के लिए वैकल्पिक बाजार खोजने पड़े हैं। यह पता लगाने के बाद कि थर्मल उद्योग में और कोयला उद्योग में गारबेज कन्टेनरों के निर्माण के लिए अन्य देशों में इस्पात के इसी प्रकार के ग्रेडों का व्यापक उपयोग किया प्रयोग जा रहा है, "सेल" ने कलकत्ता नगर निगम को 5 कन्टेनर का एक लॉट के तौर पर सप्लाई किया है। इसी प्रकार के आर्डरों के लिए बम्बई नगर निगम के साथ भी आगे विचार-विमर्श चल रहा है।

(घ) कीमती सामग्री के प्रयोग करने का प्रश्न नहीं उठता। वैगनों के निर्माण के लिए रेलवे इस इस्पात की पर्याप्त मात्रा नहीं ले रहा है। इसलिए मिश्र इस्पात संयंत्र/सेल को उपलब्ध क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए इस्पात के इस ग्रेड को प्रोत्साहन देने के लिए सतत रूप से नए वैकल्पिक बाजारों का पता लगाना होगा।

विद्युत क्षेत्रों में निजी विद्युत कम्पनियां

939. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी क्षेत्रों की उन विद्युत कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिनकी विद्युत उत्पादन की परियोजनाएं प्रत्येक राज्य में सरकार द्वारा स्वीकृत की गई हैं;

(ख) इन विद्युत परियोजनाओं को किन-किन शर्तों पर स्वीकृति दी गई है;

(ग) इन कम्पनियों के साथ किए गए "प्राइस परचेज एग्रीमेंट' (पी पी ए) का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक विद्युत परियोजना का पूंजीगत परिव्यय कितना है और इससे उत्पादित विद्युत उपभोक्ताओं को कितनी लागत पर उपलब्ध कराई जाएगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (घ). केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित निजी विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। विद्युत क्रय समझौतों में अन्य बातों के साथ-साथ सामान्य तौर पर पी पी ए की अवधि, प्रचालन एवं अनुरक्षण प्रक्रिया, मीटरिंग, बिलिंग और भुगतान प्रबन्ध, कार्य-निष्पादन के स्तर, जुर्माना तथा बोनस, निर्माण की प्रगति हेतु लक्ष्य, बल प्रयोग, विवादों का समाधान, समापन और खरीद, ऊर्जा कीमतों का निर्धारण किए जाने इत्यादि का प्रावधान किया जाता है। जिन परियोजनाओं हेतु पी पी ए पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उन परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत सम्बन्धित राज्य बिजली बोर्ड के ग्रिडों को अंतरित कर दी जाएगी तथा राज्य बिजली बोर्डों द्वारा उनके टैरिफ कार्यक्रम के अनुसार उपभोक्ताओं को सप्लाई कर दी जायेगी।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम, क्षमता, जिला और प्रवर्तक का नाम	परियोजना रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)	विद्युत क्रय करार की स्थिति
1	2	3	4
	उत्तरी क्षेत्र		
	हिमाचल प्रदेश		
1.	बसपा एचईपी — 3x100 मे.वा. — जिला किन्नौर — मै. जयप्रकाश इंडस्ट्रीज लि.	949.23	विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।
	पूर्वी क्षेत्र		
	महाराष्ट्र		
2.	दभोल जीटीसीसी टीपीएस — 2015 मे.वा. (नैट एट साइट) — जि. रत्नागिरी — मै. दभोल पावर कं. (एनरॉन डवलपमेंट कार.)	9051.27 (1988 के मूल्य स्तर पर निर्माण के दौरान ब्याज समेत 2828.52 मिलियन अमरीकी डालर)	विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।
3.	भद्रावती टीपीएस — 2x536 मे.वा. — जिला चन्द्रपुर —मै. सैंट्रल पावर कं. लि.	5187.00 (1988 के मूल्य स्तर पर निर्माण के दौरान ब्याज समेत)	विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।
	गुजरात		
4.	गंधार (पगुथाण) सीसीजीटी — 655 मे.वा. — जि. भरूच — मै. जीटीईसी लि.	2298.14 (निर्माण के दौरान ब्याज समेत) (1996 के मूल्य स्तर पर) जैसाकि केविप्रा द्वारा सूचित किया गया है।	विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।

1	2	3	4
	मध्य प्रदेश		
5.	महेश्वर एचईपी — 10×40 मे.वा. — जि. खारगांव — मै. एस. कुमार्स एंड कं.	1073.00 (निर्माण के दौरान ब्याज सहित) (1993 के मूल्य स्तर पर) जैसाकि केविप्रा द्वारा अनुमोदित किया गया है।)	विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।
दक्षिणी क्षेत्र			
	आन्ध्र प्रदेश		
6.	जेगुरूपाडु जीटीसीसी टीपीएस — 210 मे.वा. (साइट) — जि. पूर्वी गोदावरी — मै. जीवीके इंडस्ट्रीज	827.00 (निर्माण के दौरान ब्याज समेत) (1996 के मूल्य स्तर पर) जैसाकि केविप्रा द्वारा अनुमोदित किया गया है।	विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।
7.	गोदावरी जीटीसीसी टीपीएस — 208 मे.वा. (साइट) — जि. पूर्वी गोदावरी — मै. स्पैक्ट्रम पॉवर जनरेशन लि.	748.43 (निर्माण के दौरान ब्याज समेत) (1996 के मूल्य स्तर पर) जैसाकि केविप्रा द्वारा अनुमोदित किया गया है।	विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
8.	नैवेली जीरो यूनिट — 1×250 मे.वा. — जि. दक्षिणी अरकोट — मै. एसटी-सीएमएसई इलैक्ट्रिक कम्पनी	1325.11 (निर्माण के दौरान ब्याज समेत) (1997 के मूल्य स्तर पर)	विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।
पूर्वी क्षेत्र			
	उड़ीसा		
9.	इब घाटी टीपीएस (यूनिट 3 एवं 4) — 2×210 मे.वा. — जि. बनहारापल्ली — मै. इब घाटी पावर प्रा.लि.	1993.63 (निर्माण के दौरान ब्याज समेत) (1997 के मूल्य स्तर पर)	विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।
	पश्चिम बंगाल		
10.	वलारगढ़ टीपीएस — 2×250 मे.वा. — जि. हुगली — मैं. वलारगढ़ पावर कं. लि.	2234.16 (निर्माण के दौरान ब्याज समेत) (1997 के मूल्य स्तर पर)	चूंकि प्रवर्तक मै. सीईएससी वितरण हेतु विद्यमान लाइसेंसधारी हैं इसलिए पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के साथ किसी पीपीए पर हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

गुजरात के लिए विशेष अनुदान का आवंटन

940. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से 1994 के दौरान राज्य में भीषण वर्षा से सड़कों को हुई भारी क्षति की भरपाई के लिए विशेष अनुदान आवंटित करने का आग्रह किया है;,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कुछ अनुदान जारी करने के लिए सहमत हो गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). यह मंत्रालय मुख्यतया राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। राज्यीय सड़कें संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों का संबंध है-गुजरात सहित लगभग सभी राज्यों ने

1994 में भारी वर्षा/बाढ़ से ग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए अनुदान सहायता हेतु अनुरोध किया है।

(ग) निधियों की आवश्यकता और उपलब्धता के आधार पर उपर्युक्त कार्यों के लिए निधियां आंबटित की गई थी/की जा रही हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उन्नाव डाकघर में अनियमितताएं

941. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के उन्नाव मुख्य डाकघर में बचत बैंक नियंत्रण संगठन द्वारा हाल में की गई जांच के दौरान कई अनियमितताओं का पता चलने के संबंध में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में दोषी पाए गए लोगों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) ऐसे मामलों से बचने के लिए क्या एहतियाती उपाय करने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां। उन्नाव प्रधान डाकघर में बचत बैंक नियंत्रण संगठन द्वारा हाल में की गई जांच के दौरान कुछ प्रक्रियात्मक अनियमितताएं ध्यान में आई थीं।

(ख) जो प्रक्रियात्मक अनियमितताएं देखी गई उनका विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

(घ) सभी संबंधितों को भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी दे दी गई है।

विवरण

उन्नाव प्रधान डाकघर में हाल ही की जांच के दौरान बचत बैंक नियंत्रण संगठन द्वारा जिन अनियमितताओं को उल्लेख किया गया।

(i) बचत बैंक से संबंधित लंबित आपत्तियों का निपटान न होना।

(ii) बंद हो चुके मामलों से संबंधित वाउचरों सहित बचत बैंक इंडेक्स कार्ड तथा नमूना हस्ताक्षर बचत बैंक नियंत्रण संगठन को अंतरित न करना।

(iii) लैजर कार्डों पर ब्याज धारण करने वाले शेष का इन्दराज न करना।

(iv) बकाया की गलतियों, तथा लैजर कार्ड में इन्दराज न होना।

(v) बिल फालो वाउचर्स की लंबितता तथा बचत बैंक शाखा द्वारा बचत बैंक नियंत्रण संगठन को अपूर्ण विवरणियां अंतरित करना।

(vi) उन्नाव प्रधान डाकघर के निम्नलिखित खातों में जमाकर्ताओं को अधिक भुगतान :-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	खाता संख्या	अधिक भुगतान की गई राशि
1.	उन्नाव प्रधान डाकघर	एस बी-368026	1488/-रु.
2.	उन्नाव प्रधान डाकघर (दोनों मामलों में किया गया अधिक भुगतान वसूल कर लिया गया है)	एम आई एस-114	5000/-रु.

(vii) उन्नाव बचत बैंक खाता सं. 351964 में दिनांक 28.2.88/5.4.91 की 2 लाख रुपये जमा की अतिरिक्त प्रविष्ट, की ओर बचत बैंक नियंत्रण संगठन ने दिनांक 18.1.95 को ध्यान दिलाया। तफ्तीश करने पर इसे एक प्रक्रियात्मक अनियमितता पाया गया जिसकी वजह से कोई धोखाधड़ी/अधिक भुगतान नहीं हुआ। बाद में इस अनियमितता को सुधार लिया गया।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठन

942. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संगठित क्षेत्र के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एककों की संख्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन उद्योगों के लिए विकास योजनाएं किस आधार पर बनायी जाती हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख). केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा 1990-91 में उद्योगों के किए गए वार्षिक सर्वेक्षण से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार फैक्टरी सैक्टर में 28208 यूनिटें खाद्य उत्पाद और पेयों का उत्पादन कर रही हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

कच्चाटिवू समझौता

943. **श्री चित्त बसु :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने केन्द्र से 1974 के कच्चाटिवू समझौते की समीक्षा के मामले पर श्रीलंका के साथ बातचीत करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत की सरकार भारत-श्रीलंका समुद्री सीमा के रेखांकन से सम्बन्धित 1974 तथा 1976 के करारों को एक निर्णीत मामला मानती है। इन करारों के अनुसार कच्चाटिवू द्वीप अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के श्रीलंका के क्षेत्र में आता है। इस सम्बन्ध में सरकार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है।

[हिन्दी]

हिन्डालको

944. **श्री ललित उरांव** : क्या **खान मंत्री** 8 अगस्त, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2240 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा हिन्दुस्तान एल्युमीनियम कार्पोरेशन के विस्तृत पांच वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर बिहार में बाक्साइट आधारित उद्योग की स्थापना नहीं करने पर क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ख) आगामी वर्षों में प्रस्तावित उद्योगों की स्थापना करने हेतु अपना वायदा पूरा करने में असफल रहने पर हिन्डालको के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख). खनिज रियायत नियमावली (एम.सी.आर.) 1960 के नियम 27 में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार खनन पट्टा दिया जाता है। पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करने वाले पट्टाधारियों के विरूद्ध खनिज रियायत नियमावली, 1960 के नियम 27(5) के तहत, केवल संबंधित राज्य सरकार द्वारा ही कार्रवाई की जा सकती है। अतः ऐसे मामलों में केन्द्र सरकार द्वारा कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बिजली की मांग

945. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली की मांग बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष बिजली की मांग कितने प्रतिशत बढ़ रही है; और

(ग) इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले वर्षों में विद्युत की मांग में वृद्धि की वार्षिक प्रतिशतता निम्नवत् है :—

वर्ष	मांग में वृद्धि का प्रतिशत
1990-91	8.0
1991-92	7.9
1992-93	5.6
1993-94	5.9
1994-95 (फरवरी, 95 तक)	9.0

(ग) देश में विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों में ये शामिल हैं-नई उत्पादन क्षमता को त्वरित रूप से चालू करना, अल्पावधि में निर्माण की जाने वाली परियोजनाओं का क्रियान्वयन, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाना, बेहतर मांग प्रबन्धन और ऊर्जा संवर्धन उपायों को लागू करना, अधिक ऊर्जा वाले क्षेत्रों से कम ऊर्जा वाले क्षेत्रों में विद्युत का अंतरण और विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र निवेश को प्रोत्साहित करना।

[हिन्दी]

बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन

946. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपके मंत्रालय द्वारा बिना किसी कोटे के और पंजीकृत व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत किए जा रहे हैं जबकि राज्यों में मुख्य महाप्रबंधक को अपंजीकृत व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार टेलीफोन कनेक्शन देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्यों के मुख्य महाप्रबंधक (टेलीफोन) संसद सदस्यों द्वारा पंजीकरण संख्या दिए जाने के बाद भी टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत नहीं करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). संसद सदस्यों की सिफारिश पर मुख्य महाप्रबंधकों द्वारा बड़ी संख्या में जारी किए गए टेलीफोन कनेक्शनों के स्वीकृत आदेश पंजीकरण ब्यौरों की अनुपलब्धता के कारण लम्बित पड़े थे। इस लागत तथा परिणामस्वरूप लाभभोगियों को होने वाली मुश्किलों को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि ऐसी सिफारिशों पर तभी विचार किया जाएगा जब इनके साथ पंजीकरण ब्यौरे पर जोर दिया जा रहा है। कुछ मामलों में मामलों की आवश्यकता को देखते हुए इस अनिवार्यता को छोड़ भी दिया जाता है किन्तु इन मामलों तक ये भी मुख्य महाप्रबंधक केवल पंजीकरण ब्यौरों की प्राप्ति पर ही टेलीफोन कनेक्शन संस्थापित करने के औपचारिक आदेश जारी करते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुजरात में खाद्य प्रसंस्करण एकक

947. **श्री हरिभाई पटेल** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य में कार्यरत खाद्य प्रसंस्करण एककों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों से घाटे में चल रहे एककों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे रुग्ण एककों को बन्द किए जाने अथवा अर्थक्षम बनाए जाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग). खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में हैं इसलिए सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के साथ-साथ घाटे में चल रहे उद्योगों के बारे में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती। रुग्ण यूनिटें पुनर्गठन/बंद होने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड से संपर्क कर सकती है।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के माध्यम से रोजगार

948. **श्री मंजय लाल** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में निर्धन और बेरोजगार लोग रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रम शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (घ). जी, हां। सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनसे अन्य बातों के साथ-साथ अधिकांश खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उच्च प्राथमिकता वाला घोषित करना, अल्कोहल पेयों के किण्वन और आसवन, चीनी और लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंसमुक्त करना, उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी करारों में 51 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी के लिए स्वतः मंजूरी, विदेशी/अनिवासी भारतीय निवेश की अनुमति, वित्तीय राहतें उपलब्ध कराना आदि शामिल हैं। सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों इनमें लघु और छोटे क्षेत्र में स्थित उद्योग शामिल हैं, के लिए विभिन्न योजना स्कीमें भी चला रहा है। उदारीकरण के बाद से लेकर फरवरी, 1995 तक किए गए विभिन्न उपायों के फलस्वरूप खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए 3046 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं जिनमें 38,408 करोड़ रु. का निवेश शामिल है और उनसे 5.26 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इनमें से 2592 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन गैर नगरीय क्षेत्रों में यूनिट स्थापित करने से संबंधित हैं और इनमें 33254 करोड़ रु. का पूंजी निवेश किया जाएगा तथा 4.77 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा 7,600 करोड़ रु. से अधिक पूंजी निवेश वाले शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना, संयुक्त उद्यम, विदेशी अनुमोदनों आदि को भी मंजूरी दी गई है। इससे लगभग 1.3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें से लगभग 6,700 करोड़ रु. से अधिक का निवेश गैर नगरीय क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए किया जाएगा।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में डाक सेवाएं

949. **श्री राम कापसे** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के ठाणे जिले के निवासियों से डाक विभाग की असन्तोषजनक सेवाओं के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने डाक सेवाओं को दुरूस्त बनाने तथा जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा किये जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). जी, हां। वर्ष 1994 के दौरान ठाणे जिले में डाक सेवाओं से संबंधित जैसे पंजीकृत पत्रों/मनीआर्डरों की पावती न मिलने, डाक स्टेशनरी की अनुपलब्धता, डाक वितरण में विलम्ब, डाक सुविधाओं की अपर्याप्तता तथा स्टाफ की कमी के बारे में 6128 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा उन पर समुचित कार्रवाई की गई।

(ग) ठाणे जिले में डाक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए निम्नानुसार कार्रवाई की गई है :-

(i) 4 विभागीय उप डाकघर तथा 27 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोले गए।

(ii) पत्रों के संग्रहण के लिए 299 लेटर बॉक्स लगाए गए।

(iii) लाइसेंसशुदा डाक-टिकट विक्रेताओं की नियुक्ति द्वारा डाक स्टेशनरी की बिक्री के लिए 35 आउटलेट प्रदान किए गए।

(iv) ठाणे तथा बम्बई के बीच प्वाइंट-टू-प्वाइंट स्पीड पोस्ट सेवा आरम्भ की गई है।

(v) कर्मचारियों की संख्या में 18 डाक सहायक तथा 21 डाकिये और शामिल किए गए हैं।

(vi) कल्याण आर.एस तथा कल्याण सिटी डाकघर में पर्सनल कम्प्यूटर-आधारित काउंटर मशीनें उपलब्ध कराई गई।

(vii) डाक प्रणाली में सुधार किया गया ।

टेलीफोन कनेक्शन और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

950. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त वर्ष 1994-95 के दौरान दूरसंचार विभाग ने टेलीफोन कनेक्शन जारी करने, गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन और स्वचालित ट्रंक सक्सचेंज-लाइन लगाने के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ख) अभी तक कितना लक्ष्य वास्तव में प्राप्त किया गया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). वर्ष 1994-95 के लिए निर्धारित लक्ष्य एवं वास्तविक लक्ष्य उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :-

क्र.सं.	मद	निर्धारित लक्ष्य	20.2.1995 तक वास्तविक लक्ष्य उपलब्धियां
1.	टेलीफोन कनेक्शन	14.26 लाख	11.40 लाख
2.	ग्रामीण सार्वजनिक फोन	50,000	27689
3.	ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज लाइनें	1,25,000	85,000

पंजाब नेशनल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स

951. श्री चार्ल्स फर्नान्डीज : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नया नांगल में सोडा ऐश और अमोनियम क्लोराइड उर्वरक का उत्पादन करने वाला पंजाब नेशनल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स संयंत्र बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि परिवहन और अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त इस संयंत्र से 500 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और कम से कम एक हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संयंत्र को पुनः चालू करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ङ). नया नांगल स्थित पंजाब नेशनल फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स प्लांट बन्द नहीं किया गया है। कम्पनी ने बताया है कि कम्पनी में 500 कर्मचारियों को सीधा रोजगार प्राप्त है।

श्रीलंका में भारतीय मछुआरे

952. श्री एन. डेनिस : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत और श्रीलंका के बीच के समुद्री क्षेत्र में श्रीलंका की नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर आक्रमण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई भारतीय मछुआरा श्रीलंका में हिरासत में है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मछुआरे को शीघ्र छुड़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने इन वारदातों को श्रीलंका की सरकार के साथ उठाया है। दोनों पक्ष ऐसी वारदातों को रोकने के लिए कारगर उपायों के क्रियान्वयन की आवश्यकता के संबंध में सहमत हो गए हैं। इस मामले के सभी संगत पहलुओं पर दोनों सरकारों के बीच विचार-विमर्श जारी है।

(ग) और (घ). इस समय चार भारतीय मछेरे श्रीलंका की हिरासत में हैं। इनके विवरण इस प्रकार हैं।

(i) सीताम्बरम सिल्वाराज इस समय श्रीलंका की हिरासत में है, जिसे श्रीलंका की नौ सेना ने तस्करी निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी के संबंध में "आपात विनियमों" के तहत 19.6.91 को देशी नौका से

कच्चाटीवू के निकट मछली पकड़ते हुए अन्य तीन मछेरों के साथ गिरफ्तार कर लिया था। अन्य तीनों को दिनांक 6.8.92 को रिहा करके भारत सरकार के खर्चे पर वापस स्वदेश भेज दिया गया था।

(ii) (i) संथोनी माइकेल

(iii) एन्थोनी पाण्डी

(iv) एस असलप्रगाश, जून, 1993 में श्रीलंका की नौ सैना ने इन तीनों मछेरों को श्रीलंका में निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी करने के प्रयास करने के अपराध में श्रीलंका के दो राष्ट्रिकों सहित "आपात विनियमों" के तहत गिरफ्तार किया था। उन्हें कोलम्बो रिमांड जेल में रिमांड किया गया है और उन पर अभी मुकद्मा चलाया जाना है।

सरकार ने इन मछेरों की शीघ्र रिहाई के लिए श्रीलंका की सरकार से अनुरोध किया है। कोलम्बो स्थित भारतीय हाई कमीशन इन मामलों में सक्रिय रूप से कार्यवाही कर रहा है।

शहरी आबादी के लिए सफाई सुविधाएं

953. **श्री अंकुशराव टोपे** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने प्रतिशत शहरी आबादी को सफाई सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, देश में 46.63 प्रतिशत शहरी आबादी को सफाई सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) सफाई राज्य का विषय है। इसीलिए आठवीं योजना के शहरी जल आपूर्ति एवं स्वच्छता क्षेत्र के लिए कुल 5757.28 करोड़ रुपये के प्रावधान में से 4594.28 करोड़ रुपये राज्य क्षेत्र को मुहैया कराये गये हैं। केन्द्रीय क्षेत्र की 263 करोड़ रुपये की सीमा के अंदर केन्द्र सरकार ने 150 करोड़ रुपये कम लागत स्वच्छता के लिए निर्दिष्ट किये हैं जिसमें, कम लागत के सफाई शौचालयों के निर्माण और शुष्क शौचालयों को सफाई शौचालयों में परिवर्तित करने हेतु सब्सिडी का प्रावधान है। 8,73,229 शुष्क शैचालयों को सफाई शौचालयों में परिवर्तित करने और 15,56,189 नये शैचालयों के निर्माण हेतु परियोजनाएं आरंभ की गई हैं। आठवीं योजना में, 8 करोड़ और शहरी आबादी को सफाई सुविधाओं के अंतर्गत लाने पर विचार किया गया है। मानवों द्वारा मल ढोने के काम पर लगाना एवं शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 नामक एक केन्द्रीय कानून भी शुष्क शौचालयों के निर्माण को रोकने के लिए पारित किया जा चुका है। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि शुष्क शौचालयों के निर्माण को रोकने के लिए स्थानीय निकाय अपने उप-नियमों में समुचित संशोधन कर लें। सरकार, स्लम क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु एक कार्यक्रम चलाने का भी प्रस्ताव रखती है जिनका अनुरक्षण समुदायों द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाह दी जाती है कि शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था में सुधार हेतु पर्याप्त ध्यान दिया जाय।

परमाणु विस्फोटक सामग्री के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि

954. **श्री पी. कुमारासामी :**
श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार परमाणु विस्फोटक सामग्री के और उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने वाली किसी अंतर्राष्ट्रीय सन्धि पर हस्ताक्षर करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने परमाणु विस्फोटक सामग्री के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में अन्य देशों के साथ मिलकर कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ). हथियारों के लिए विखण्डनीय सामग्री के उत्पादन पर पूरी तरह से रोक लगाने के सम्बन्ध में भारत का लम्बे अरसे से एक प्रस्ताव रहा है जो भारत द्वारा सर्वप्रथम 1982 में निरस्त्रीकरण से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वितीय विशेष सत्र में प्रस्तुत किया गया था।

दिसम्बर, 1993 में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा का आम सहमति से प्रस्तुत एक संकल्प सह-प्रायोजित किया गया जिसमें हथियारों के प्रयोजनार्थ विखण्डनीय सामग्री के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने से सम्बन्धित एक अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय की मांग की गई जो बहुपक्षीय होगा, भेदभाव रहित होगा तथा अन्तर्राष्ट्रीय रूप से एवं प्रभावकारी ढंग से सत्यापनीय होगा। जेनेवा में निरस्त्रीकरण से सम्बन्धित सम्मेलन में भारत की सक्रिय भागीदारी से एक तदर्थ समिति के अधिदेश का मसौदा तैयार करने के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है जो प्रस्तावित अभिसमय के बारे में कार्यवाही करेगी।

महानगरों में टेलीफोनों से राजस्व की प्राप्ति

955. **श्री आर. अन्वारासु** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान महानगरों अर्थात मद्रास, दिल्ली, मुम्बई और कलकत्ता में टेलीफोन से प्राप्त कुल राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तमिलनाडु में टेलीफोनों से राजस्व सर्वाधिक प्राप्त होता है;

(ग) यदि हां, तो राज्य को पर्याप्त टेलीफोन उपकरण उपलब्ध न कराए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) महानगरों में टेलीफोनों से प्राप्त राजस्व के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

(करोड़ रुपयों में)

	बंबई टेलीफोन	दिल्ली टेलीफोन	कलकत्ता टेलीफोन	मद्रास टेलीफोन
1992-93	908.21	732.28	277.01	267.28
1993-94	1272.19	966.38	391.19	372.89*
1994-95	1171.04*	895.51*	363.88**	352.82**

* 12/94 तक

** 1/95 तक

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). ऊपर भाग "ख" के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिना बारी के आवासों का आबंटन

956. श्री लाल बाबू राम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक एवं तार विभाग के लिए निर्धारित सरकारी आवासों में बिना बारी के आबंटन का कोई प्रावधान है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कुल कितने आवास बिना बारी के आबंटित किए गए; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश किए गए बिना बारी के आवासों के आबंटन हेतु कितने अनुरोध पत्र प्राप्त हुए हैं तथा इन अनुरोध पत्रों के आधार पर किन-किन व्यक्तियों को आवास आबंटित किए गए?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जहाजों का निर्माण

957. प्रो. के.वी. थामस : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहाजों तथा अन्य पोतों की शिपयार्ड में शिपयार्ड वार वर्तमान मांग की स्थिति क्या है;

(ख) आगामी पांच वर्षों के लिए शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इन्डिया द्वारा कितने जहाजों की मांग की गई है; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान कितने जहाजों के निर्माण की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले शिपयार्डों की मौजूदा आर्डर बुक स्थिति इस प्रकार है :-

1.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.	9 जलयान
2.	कोचीन शिपयार्ड लि.	3 जलयान
3.	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.	7 जलयान
4.	के.अ.ज.प.नि. का राजाबागान डाकयार्ड	13 जलयान

(ख) और (ग). अगले पांच वर्षों में आर्डर किए जाने वाले जहाजों के बारे में भारतीय नौवहन निगम ने अभी कोई योजना नहीं बनाई है। तथापि, भा.नौ.नि. ने आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1992-97) में 79 जहाजों के अधिग्रहण के बारे में एक कार्यक्रम तैयार किया है।

[हिन्दी]

कवास ताप विद्युत केन्द्र में आरक्षण

958. श्री छीतूभाई गामीत : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कवास ताप विद्युत केन्द्र में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) इनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं;

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का कोटा कितने प्रतिशत है और आरक्षित कोटे को न भरने के क्या कारण हैं; और

(घ) आरक्षित कोटे को कब तक भर दिया जाएगा और इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल): (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन टी पी सी) के कवास गैस विद्युत केन्द्र में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या और दिनांक 1.1.95 की स्थिति के अनुसार उनमें से अनुसूचित जातियों (एस.सी.) और अनुसूचित जन-जातियों (एस.टी.) के कर्मचारियों की संख्या निम्नवत् है:-

ग्रुप/श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
(क) प्रथम	110	10	02
(ख) द्वितीय	26	01	-
(ग) तृतीय	140	22	16
(घ) चतुर्थ	43	04	10

(ग) प्रथम और द्वितीय श्रेणी के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का अपेक्षित आरक्षण कोटा क्रमशः 15 प्रतिशत और 7½ प्रतिशत है। तथापि, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए आरक्षण कोटा क्षेत्रीय आधार पर है, और गुजरात के लिए जहां परियोजना स्थित है, यह अनुसूचित जातियों के लिए 7 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 14 प्रतिशत है। तथापि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी से सम्बन्धित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की भर्ती निर्धारित कोटे से अधिक है। तथापि, प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए कोटा निम्नलिखित कारणों के कारण नहीं भरा जा सका :-

(1) विज्ञापनों और अधिसूचनाओं हेतु अपेक्षानुसार प्रतिक्रिया न होना।

(2) मानदण्डों में छूट देने के बाद भी उपयुक्त, योग्य उम्मीदवारों का उपलब्ध न होना।

(घ) एन टी पी सी, प्रथम और द्वितीय श्रेणी में, जहां कहीं भी भर्ती में कमी है, अधिक से अधिक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को भर्ती करने का प्रयास कर रहा है। एन टी पी सी द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदमों में, विशेष भर्ती अभियान, विशेष विज्ञापन, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की घनी आबादी वाले क्षेत्र शामिल होते हों, व्यापक प्रचार-प्रसार और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, इन उम्मीदवारों को विभिन्न प्रकार की छूटें, रियायतें प्रदान की जा रही हैं, यथा, आयु में छूट, परीक्षा की फीस न दिए जाने की छूट, योग्यता/साक्षात्कार आदि में छूट।

पड़ोसी देशों के साथ संबंध

959. डा. गुणवन्त रामचाऊ सरोदे : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय पड़ोसी देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध कैसे हैं: और

(ख) सरकार द्वारा पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). सूचना संलग्न विवरण में दिए अनुसार है।

विवरण

बंगलादेश :

(क) और (ख). बंगलादेश के साथ भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण चल रहे हैं। दोनों देश इस बात को स्वीकार करते हैं कि द्विपक्षीय व्यापार, वाणिज्य और पूंजी निवेश की अपार सम्भावना है तथा इन क्षेत्रों में संबंध को संवर्धित करने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मालदीव :

(क) और (ख). मालदीव के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध है। भारत सरकार, मालदीव की सरकार को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उनके विभिन्न आधारभूत लक्ष्यों और विकास उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बराबर सहायता दे रही है। उच्च स्तरीय क्रियाकलापों से भी पारस्परिक संबंधों में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

म्यांमार :

(क) और (ख). म्यांमार के साथ संबंध और संवर्धित हुए हैं। गैर-सैनिक सीमा प्राधिकारियों के बीच सम्पर्क बढ़ाने से सम्बद्ध करार कार्यान्वित हो गया है जिसमें सीमा पर होने वाले औषध-द्रव्यों और स्वापक पदार्थों के अवैध-व्यापार को रोकने, तथा बगावत विरोधी/तस्करी विरोधी कार्रवाइयों के संबंध में चार क्षेत्रीय स्तर की बैठकें हो चुकी हैं। दोनों देशों के बीच सीमावर्ती व्यापार को विनियमित करने से सम्बद्ध सीमावर्ती व्यापार करार को शीघ्र ही कार्यात्मक रूप दे दिया जाएगा।

श्रीलंका :

(क) और (ख). श्रीलंका के साथ आपसी समझ-बूझ और सौहार्दपूर्ण संबंध बरकरार है। दोनों पक्ष व्यापार और पूंजी निवेश क्रियाकलापों में उत्तरोत्तर वृद्धि करने पर बल दे रहे हैं ताकि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था लाभान्वित हो सके।

नेपाल :

(क) और (ख). नेपाल के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जो दोनों देशों के बीच घनिष्ठ, आर्थिक सहयोग और उच्च स्तरीय पारस्परिक संपर्कों के द्योतक हैं, के उप-प्रधान मंत्री श्री माधव कुमार नेपाल ने फरवरी, 1995 में भारत की यात्रा की और द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने के लिए कई उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

भूटान :

(क) और (ख). भूटान के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध बरकरार हैं। पन-बिजली आधारभूत विकास, शिक्षा और प्रशिक्षण जैसे

क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग से दोनों देशों के मौजूदा संबंध और सुदृढ़ हो रहे हैं। 45 मेगावाट की कुरिचू पन-बिजली परियोजना कार्यान्वित की जा रही है तथा 1020 मेगावाट की ताला पन-बिजली परियोजना विचाराधीन है।

चीन :

(क) और (ख). हाल ही के वर्षों में भारत-चीन संबंधों में प्रत्यक्ष सुधार हुआ है। सरकार चीन के साथ दीर्घावधिक, स्थायी और अच्छे पड़ोसी जैसे संबंध स्थापित करने के लिए बराबर प्रयास कर रही है। दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग का पर्याप्त विस्तार हुआ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति आदि जैसे क्षेत्रों में भी आदान-प्रदान में प्रर्याप्त वृद्धि हुई है। सीमा के प्रश्न का एक औचित्यपूर्ण और परस्पर स्वीकार्य हल तलाशने के लिए दोनों पक्षों ने संयुक्त कार्य दल में अपने प्रयास जारी रखे हैं। इसी बीच सीमा पर शान्ति और अमन बनाए रखने के संबंध में सितम्बर, 1993 में प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव की चीन यात्रा के दौरान सम्पन्न करार के मुताबिक वास्तविक नियंत्रण रेखा का अनुपालन करने के लिए दोनों पक्ष वचनबद्ध हैं। भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति शान्तिपूर्ण है। विश्वास पैदा करने के संबंध में भारत और चीन द्वारा किए गए उपाय ठीक कार्य कर रहे हैं और इस प्रकार के अन्य उपायों और सीमा पर शान्ति तथा अमन से सम्बद्ध करार के कार्यान्वयन पर दोनों देशों की बातचीत चल रही है।

पाकिस्तान :

(क) पाकिस्तान का नकारात्मक रूख, पाकिस्तान द्वारा भारत के विरूद्ध आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों को समर्थन देना तथा कश्मीर मसले को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने के उसके प्रयासों से भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों का माहौल दूषित हुआ है।

(ख) सरकार पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों से सम्बद्ध मसलों को शिमला समझौते की व्यवस्था के अनुसार शान्तिपूर्वक ढंग से और द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए वचनबद्ध है। हाल ही में सरकार पाकिस्तान को इस बात से बार-बार अवगत कराती रही है कि हम अनसुलझे मसलों को सुलझाने के लिए बिना शर्त बातचीत करने के लिए तैयार हैं।

[अनुवाद]

रोहिणी आवास योजना

960. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोहिणी आवास योजना इस आश्वासन के साथ वर्ष 1981 में शुरू की गई थी कि प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को पांच वर्ष के अन्दर भूखंड दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या हजारों पंजीकृत व्यक्ति अभी भी आवंटन की प्रतीक्षा में है;

(ग) इस बीच परियोजना हेतु आवश्यक सारी जमीन का अधिग्रहण हो जाने के बावजूद आवंटन में अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या काफी संख्या में भूखंडों की नीलामी कर दी गई है और बेचारे पंजीकृत व्यक्तियों को इस कारण प्रतीक्षा करनी पड़ रही है;

(ङ) क्या सभी पंजीकृत व्यक्तियों की भूमि आवंटित होने तक रोहिणी में भूखंडों की नीलामी रोकने के संबंध में कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1981 में रोहिणी रिहायशी योजना एम. आई. जी., एल. आई. जी. तथा जनता श्रेणियों में पंजीकृत व्यक्तियों को 5 वर्ष के अन्दर संबंधित श्रणियों के प्लाटों का आवंटन करने हेतु आरंभ की गई थी। तथापि, निर्धारित अवधि में प्लाट उपलब्ध न कराए जाने पर पंजीकृत व्यक्तियों का अपने डिपॉजिट (ब्याज सहित) वापस लेने की अनुमति दी गई थी।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि लगभग 39,000 पंजीकृत व्यक्ति संबंधित श्रेणियों में प्लाटों के आवंटन हेतु प्रतीक्षा सूची में हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा परियोजना के लिए आवश्यक पर्याप्त भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सका और इसलिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा आधारभूत सुविधाएं, पेय जल व्यवस्था, मल निकासी व्यवस्था, बिजली आदि जैसी सुविधाएं भी प्रदान नहीं की जा सकी हैं। पंजीकृत व्यक्तियों को फेज I और II में कम भूमि आबंटित की गई, क्योंकि बदलती जरूरतों के कारण दंगा-पीड़ितों, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों, उन व्यक्तियों को वैकल्पिक प्लॉट देने, जिनकी भूमि सरकार द्वारा अधिगृहीत कर ली गई थी, तथा संस्थानों के लिए भूमि का आबंटन करना पड़ा था।

(घ) से (च) : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि रोहिणी आवास योजना में अब तक 100 मीटर से अधिक क्षेत्रफल के केवल 820 प्लाटों की नीलामी की गई है, जो पंजीकृत व्यक्ति प्रतीक्षा-सूची में थे, उनको 100 मीटर से कम क्षेत्रफल के प्लाट ड्रा द्वारा आबंटित किए गए हैं। नीति अनुसार केवल 100 मीटर से बड़े कटे हुए प्लाटों की नीलामी प्लाटों की उपलब्धता के आधार पर तथा पंजीकृत व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना की जाती है। रोहिणी में प्लाटों की नीलामी बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्तियां

961. **श्री हरिन पाठक :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध कितने अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं; और

(ख) कर्मचारियों की कुल संख्या की दृष्टि से इनका औसत अनुपात क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) विदेश स्थित भारतीय मिशनों में कार्यरत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 316 और 92 है।

(ख) उनकी यह संख्या विदेश स्थित मिशनों में कार्यरत कुल अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या का क्रमशः 14.13 प्रतिशत तथा 4.12 प्रतिशत है।

गुजरात में खनिजों को दोहन

962. **श्रीमती भावना चिखलिया :**
श्री एन.जे. राठवा :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में खनिजों के दोहन के लिए नई नीति तैयार करने का है;

(ख) क्या इस नीति से राज्य में अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

गुजरात में हिन्दी में टेलीग्राफ

963. **श्री रतिलाल वर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और उत्तर प्रदेश में कितने टेलीग्राफ आफिस चल रहे हैं;

(ख) इनमें से कितने टेलीग्राफ कार्यालयों में हिन्दी में टेलीग्राफ भेजने की सुविधा है;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में ऐसे और अधिक कार्यालय स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कार्यालय कब स्थापित किए जाएंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) गुजरात तथा उत्तर प्रदेश में काम कर रहे तारघरों की कुल संख्या क्रमशः 178। और 6176 है।

(ख) इन सभी तारघरों में हिन्दी में तार भेजने की सुविधा उपलब्ध है।

(ग) तथा (घ). जी, हां। मांग, आवश्यकता और व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए भविष्य में ऐसे तारघर खोले जाएंगे।

[अनुवाद]

औषधि उद्योग

964. **श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी :** क्या रसायन एवं उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि उद्योग ने औषध मूल्य आदेश, 1995 के अंतर्गत विनियंत्रित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली औषधियों के मूल्य को स्थिर रखने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन ड्रग मेनुफैक्चरर्स एसोसिएशन तथा आर्गेनाइजेशन आफ फार्मास्युटिकल प्रोसेडयोर आफ इंडिया ने आल इंडिया आर्गेनाइजेशन आफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्टस के साथ औषधियों के मूल्य को स्थिर करने संबंधी कोई समझौता किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस उद्योग ने केन्द्र को मूल्य स्थिर रखने के संबंध में कोई आश्वासन दिया है; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ङ). भेषज उद्योग संघों को सावधान किया गया है कि मूल्य नियंत्रण से बाहर जाने वाली दवाइयों के संबंध में अपने सभी सदस्यों को संयम और स्व-अनुशासन बरतने की सलाह दें और सुनिश्चित करें कि उनकी कीमतें असंगत रूप से न बढ़ाई जाएं ताकि सरकार को इन दवाइयों को मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत लाने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए बाध्य न होना पड़े।

उद्योग संघ ने अपने सदस्यों की तरफ से सहयोग तथा यह सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है कि कीमतों में वृद्धियां अवास्तविक नहीं होंगी।

सर्बिया के उप-प्रधान मंत्री की यात्रा

965. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्बिया गणतंत्र के उप-प्रधान मंत्री ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यात्रा के दौरान द्विपक्षीय हितों के मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख). जी, हां। सर्बिया गणराज्य के उप-प्रधान मंत्री एवं विज्ञान मंत्री 6-9 फरवरी, 1995 को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज के 10वें महा अधिवेशन में भाग लेने के लिए भारत आए। उनके साथ सर्बिया गणराज्य के संस्कृति मंत्री भी आए।

(ग) और (घ). उक्त अधिवेशन में भाग लेने के अलावा इस प्रतिनिधिमण्डल ने संस्कृति एवं शिक्षा उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की। यूगोस्लाविया संघीय गणराज्य की ओर से इस प्रतिनिधिमण्डल ने संयुक्त राष्ट्र प्रतिबन्धों में आंशिक छूट दिए जाने पर अनुमति प्राप्त क्षेत्रों में सम्पर्क पुनः स्थापित करने की इच्छा जाहिर की। अक्तूबर, 1994 से संयुक्त राष्ट्र ने यूगोस्लाविया संघीय गणराज्य के संबंध में शिक्षा, संस्कृति, खेल-कूद तथा अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबन्धों में ढील दे दी है। द्विपक्षीय विचार-विमर्श इसी संदर्भ में किए गए। उन्हें यह स्पष्ट कर दिया गया कि इस संदर्भ में कोई भी कार्यवाही संयुक्त राष्ट्र प्रतिबन्धों, जिसका भारत का एक पक्षकार है, के अनुरूप ही की जाएगी।

पारपत्र कार्यालयों का क्षेत्राधिकार

966. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय, दिल्ली के क्षेत्राधिकार का विस्तार कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्द्धित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत और किन-किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्षेत्राधिकार के विस्तार से क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय, दिल्ली की क्षमता और कुशलता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या सरकार कोई कदम उठाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश के अन्य क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालयों के क्षेत्राधिकार का विस्तार करने का है;

(च) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में सिक्किम में भी क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय खोलने का है जिससे सिक्किम के लोगों को इस उद्देश्य से कलकत्ता न जाना पड़े; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख). जी, हां। दिल्ली के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के क्षेत्राधिकार को 13 फरवरी, 1995 से बढ़ा दिया गया है, इसमें अब उत्तर-प्रदेश के मेरठ और गाजियाबाद जिले तथा हरियाणा के गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक और सोनीपत जिले शामिल होंगे।

(ग) और (घ). उत्तर प्रदेश और हरियाणा के इन अतिरिक्त छह जिलों को शामिल करने के परिणामस्वरूप बढ़ने वाले कार्य को निपटाने के लिए दिल्ली स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में तैनात स्टाफ पर्याप्त है।

(ङ) से (छ). फिलहाल सिक्किम में कोई नया पासपोर्ट कार्यालय खोलने का प्रस्ताव नहीं है। किसी भी नए पासपोर्ट कार्यालय का खोला जाना कई बातों पर निर्भर करता है जिसमें कार्यभार और उपलब्ध संसाधन शामिल हैं और पासपोर्ट कार्यालय खोलने से ही स्वयं सेवाओं में सुधार नहीं हो जाता जब तक कि आवश्यक आधारभूत संरचना और कार्मिक उपलब्ध न हों।

[हिन्दी]

टेलीफोन बिलों के लिए सचल-वैन

967. श्री अरविन्द त्रिवेदी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीफोन बिल जमा करने के लिए एक सचल वैन सेवा शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो यह सेवा किन-किन राज्यों में शुरू की गयी है;

(ग) क्या सरकार का विचार गुजरात के टेलीफोन उपभोक्ताओं को भी यह सेवा उपलब्ध करने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यह सुविधा किन-किन शहरों में प्रदान की जायेगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ङ). सूचना मंगाई गई है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

अल्यूमिनियम उत्पादन

968. श्री राम टहल चौधरी : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अल्यूमिनियम के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अल्यूमिनियम का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख). 1991-92 से 1994-95 (अप्रैल, 94-फरवरी, 95) (अनन्तिम) की अवधि के दौरान देश में अल्यूमिनियम धातु और इसके डाउन स्ट्रीम उत्पादों का कुल उत्पादन नीचे दर्शाया गया है :-

वर्ष	उत्पादन (इकाई/टनों में)
1991-92	5,13,961
1992-93	4,84,913
1993-94	4,64,718
1994-95 (फरवरी 95 तक) (अनन्तिम)	4,33,766

(ग) इस धातु के उत्पादन के लिए इकाइयां स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने एल्यूमिनियम उद्योग को अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों से मुक्त कर दिया है। इसके अलावा एल्यूमिनियम के उत्पादन को अधिक आकर्षक बनाने के लिए सरकार ने समय-समय पर धातु पर सीमा शुल्क कम किया है तथा एल्यूमिनियम उद्योग पर मोडवेट लाभों को बढ़ाया है। एल्यूमिनियम उद्योग को उन उद्योगों की सूची में रखा गया है जिनमें इस क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 51 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी की स्वतः स्वीकृति उपलब्ध है।

अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत फ्लैटों का आवंटन

969. **डा. लाल बहादुर रावल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत कितने आवेदकों का एल.आई.जी./एम.आई.जी./जनता फ्लैटों का आवंटन किया गया है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत श्रेणी-वार फ्लैटों की कितनी-कितनी कीमत वसूल की गई है;

(ग) एम.आई.जी./एल.आई.जी./जनता फ्लैटों के आवंटन के संबंध में कितने आवेदकों को पत्र जारी कर दिए गए हैं, इनमें से कितने व्यक्तियों ने पेशकश स्वीकार की है और उन व्यक्तियों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है। जिन्होंने पेशकश स्वीकार नहीं की है और अपनी पंजीकरण राशि को वापस करने के लिए कहा है;

(घ) क्या इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों ने फ्लैटों को लेने से इंकार कर दिया है क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण इन फ्लैटों की अत्यधिक ऊंची कीमत वसूल कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन फ्लैटों की कीमतों में कमी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि 28 फरवरी, 1995 तक अम्बेडकर आवास योजना के पंजीकृत व्यक्तियों को किये गये श्रेणीवार आवंटन इस प्रकार हैं :-

एम.आई.जी.	301
एल.आई.जी.	1857
जनता	2988

(ख) विभिन्न श्रेणियों के तहत फ्लैटों की कीमत समय-समय पर भिन्न-भिन्न होती है। तथापि प्रत्येक श्रेणी के फ्लैटों की वर्तमान कीमत इस प्रकार है :-

जनता	1.55 लाख रुपये (लगभग)
एल.आई.जी.	3 लाख से 3.50 लाख रुपये
एम.आई.जी.	5.50 लाख से 6.00 लाख रुपये

(ग) अम्बेडकर आवास योजना के पंजीकृत 301 एम.आई.जी., 1857 एल.आई.जी. और 2988 जनता आवंटनों में से एम.आई.जी. के 192 और जनता के 378 मामलों में अभी मांग पत्र जारी किए जाने हैं। एम.आई.जी. के 109 और जनता के 1144 मामलों में मांग पत्र हाल ही में जारी किए गए हैं और मांग की अन्तिम तिथि अभी खत्म नहीं हुई है। जिन अन्य मामलों में आवंटन पहले किए गए थे और भुगतान की अन्तिम तिथियां समाप्त हो गयी थी, उनमें स्वीकृति दर 10 प्रतिशत के लगभग है। शेष पंजीकृत व्यक्तियों के आवंटन वापस कर दिए हैं और धनराशि लौटाने सम्बन्धी उनके अनुरोध विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन हैं।

(घ) यह नहीं कहा जा सकता कि फ्लैट दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बहुत अधिक कीमत लेने के कारण लौटाए गए हैं क्योंकि फ्लैटों की कीमत "बिना लाभ-हानि" आधार पर आंकी गयी है।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने फ्लैटों की कीमत को कुछ नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

(1) पूंजी पर पहले जो 20 माह का ब्याज लगाया जाता था उसे घटाकर दो मंजिलें फ्लैटों के लिए 15 माह तथा दो से अधिक मंजिलों के फ्लैटों के लिए 18 माह कर दिया गया है।

(2) दूर-दराज/बाहरी क्षेत्रों जैसे नरेला और रोहिणी फेज-II में स्थित फ्लैटों के लिए फ्लैटों के कुर्सी क्षेत्र पर 100 रुपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से एकमुश्त छूट लागू की गई है।

(3) फ्लैटों को 50 प्रतिशत निर्माण की अवस्था में नियतित करने का निर्णय लिया गया है जिसके कारण भूमि दर स्थिर हो जायेगी और आवंटी को भुगतान करने के लिए लगभग दो वर्ष का समय मिल जाएगा। आवंटी को मात्र 12 महीने का ब्याज अदा करना होगा।

(4) मानकों का अनुकूल बनाना।

(5) घनत्व/एफ.ए.आर. उपयोग को अनुकूल बनाना।

(6) बेहतर निर्माण सामग्री एवं माल सूची का कड़ाई से अनुपालन।

(7) फ्लैटों के निर्माण के दौरान अर्थात दिनांक 1.11.1994 से निवेश की गयी पूंजी पर प्रतिवर्ष 17 प्रतिशत के हिसाब से वसूल की जा रही ब्याज दर को घटा कर राष्ट्रीय आवास बैंक की उधार दर के समान 14.74 प्रतिशत वार्षिक कर दिया गया है।

(8) फ्लैटों पर ई.डब्ल्यू.एस. प्रभार, जो 5.5 प्रतिशत की दर से वसूल किए जा रहे थे, खत्म कर दिए गए हैं तथा ऊपरी मंजिलों के फ्लैटों को राहत देने के लिए पहले, दूसरे तथा तीसरे तल के फ्लैटों के लिए क्रमशः 10 प्रतिशत, 1.5 प्रतिशत और 02 प्रतिशत छूट देकर भूतल फ्लैटों के लिए 4.5 प्रतिशत की दर से तलीय समानीकरण (फ्लोर इक्वलाइजेशन) प्रभार लागू किए गए हैं।

[अनुवाद]

पाकिस्तान को एफ-16 लड़ाकू विमानों की सप्लाई

970. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान अमरीका के साथ एफ-16 की सप्लाई संबंधी गतिरोध को हल करने में सफल हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में अमरीका से कोई विरोध दर्ज किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर अमरीका की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

सिन्दरी और नामरूप एकक

971. **श्री अनंतराव देशमुख :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया के सिन्दरी एकक तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के नामरूप-III एकक के बन्द होने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्वर्ड फैलीरो) : (क) और (ख). फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. के सिन्दरी एकक और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कापोरेशन के नामरूप-III एकक बन्द नहीं किए गए हैं। अतः इन एककों को बन्द किए जाने के कारणों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा किसी अध्ययन का प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू और कश्मीर में जिप्सम की खान

972. **श्री सी.के. कुप्पुस्वामी :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की प्रथम गैर-सरकारी क्षेत्र की जिप्सम खान जम्मू और कश्मीर में शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितना पूंजी निवेश अन्तर्निहित है और केन्द्र द्वारा इस खान के लिये कितनी सहायता दी गई है; और

(ग) किन-किन स्थानों पर खुले मुहाने की खानें शुरू करने का विचार है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) भारतीय खान ब्यूरो में उपलब्ध सूचना के अनुसार जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा दिनांक 25.10.94 को जिप्सम खनन पट्टा देने के लिए मैसर्स कश्मीर जिप्सम लि. (एक निजी क्षेत्र की कंपनी) को आशय पत्र जारी किया गया है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) खनन पट्टे के लिये प्रस्तावित जिप्सम भंडारों में जम्मू और कश्मीर राज्य के डोडा जिले की रामबान तहसील के सुमद (पारलंका) गांव का कुछ हिस्सा शामिल है।

गुजरात में पंचायतों को टेलीफोन

973. **श्री हरिसिंह चावड़ा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में जिलावार कितने ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करायी गई है और कितने ग्राम पंचायतों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या सभी पंचायतों में यह सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने कोई ठोस योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 28 फरवरी, 1995 के अनुसार, गुजरात में टेलीफोन सुविधायुक्त और टेलीफोन सुविधा रहित पंचायत ग्रामों की संख्या क्रमशः 11,197 और 2,313 है। जिलेवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग). जी, हां। सरकार ने संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन वर्ष 1997 तक उत्तरोत्तर रूप से ग्राम पंचायतों सहित सभी ग्रामों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की नीति अपनाई है। ऐसे सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लिए स्वदेशी रूप से विश्वसनीय रेडियो प्रणालियों के प्रापण हेतु प्रयास किए गए हैं और आवश्यक संसाधन आवंटित किए जा रहे हैं।

विवरण

28.2.1995 की स्थिति के अनुसार, ग्राम पंचायत पी.सी.ओ. के जिलेवार ब्यौरे

क्र.स.	जिले का नाम	कुल पंचायत ग्रामों की संख्या	28.2.95 को टेलीफोन सुविधा-युक्त कुल पंचायत ग्रामों की सं.	28.2.95 को टेलीफोन सुविधा रहित कुल पंचायत ग्रामों की सं.
1.	अहमदाबाद (गांधीनगर)	710	654	56
2.	अमरेली	556	418	138
3.	बनासकांठा (पालनपुर)	825	662	163
4.	भड़ौच	712	667	45
5.	भावनगर	853	630	223
6.	जामनगर	657	549	108
7.	जूनागढ़	921	676	245
8.	खेड़ा (नडियार)	899	899	शून्य
9.	कच्छ (भुज)	604	478	126
10.	महेसाना	1045	946	99
11.	पंचमहल (गोधरा)	1052	759	293
12.	राजकोट	840	708	132
13.	सम्बरकांठा (हिम्मतनगर)	673	666	7
14.	सुरेन्द्रनगर	620	601	19
15.	सूरत	857	588	269
16.	बड़ोदरा	906	685	221
17.	बलसाड और डांग	758	594	164
18.	संघ शासित क्षेत्र	22	17	5
	योग	13510	11197	2313

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के फ्लैटों का निर्माण

974. **डा. साबीजी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान वर्षवार उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा कितने सरकारी आवासों का निर्माण किया गया है; और

(ख) आज तक इनमें से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कितने क्वार्टर आवंटित किए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में सामान्य पूल में बनाए गए सरकारी क्वार्टरों की संख्या इस प्रकार है :-

1992	390
1993	147
1994	114
कुल	651

(ख) 6 क्वार्टरों को, जिनका उप-मंडल तथा पूछताछ कार्यालयों के रूप में उपयोग किया जा रहा है, को छोड़कर उपर्युक्त सभी क्वार्टर आवंटित कर दिए गए हैं।

सार्वजनिक टेलीफोन परामर्शदात्री समिति

975. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न स्तरों पर दूरसंचार परामर्शदात्री समितियों और सार्वजनिक टेलीफोन परामर्शदात्री समितियों के गठन हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनायी जाती है;

(ख) क्या संसद सदस्यों को इन समितियों का सदस्य मनोनीत किया जाता है;

(ग) क्या जिला बरेली (उ.प्र.) की सार्वजनिक टेलीफोन परामर्शदात्री समिति का गठन कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस समिति का कब तक गठन कर दिया जाएगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) मुख्य महाप्रबंधकों के अधीन महानगरीय दूरसंचार सर्किलों और महाप्रबंधक/दूरसंचार जिला प्रबंधक के अधीन प्रत्येक गौण स्विचन क्षेत्र के लिए टेलीफोन सलाहकार समितियों का अलग-अलग गठन किया जाता है, जिनका कार्यकाल दो वर्ष का होता है। इन समितियों के लिए नामांकन संचार राज्य मंत्री द्वारा, सर्किल अध्यक्षों, माननीय संसद सदस्यों तथा विधान सभा सदस्यों द्वारा की गई सिफारिशों और विभिन्न स्थानीय निकायों, जनप्रतिनिधियों तथा अन्य व्यक्तियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर, विचार करने के बाद, किए जाते हैं।

24.7.93 से लागू संशोधित एस.टी.डी./आईएस.डी., पी.सी.ओ. नीति के अनुसार एस टी डी, पी सी ओ आवंटन समितियां, जो नए एस टी डी, आई एस डी, पी सी ओ आवंटित करने और उनके स्थान

निर्धारण के लिए प्राधिकृत हैं, उनका गठन प्रत्येक गौण स्विचन क्षेत्र में किया जाता है। यद्यपि गौण स्विचन क्षेत्र का अध्यक्ष तथा गौण स्विचन क्षेत्र का मुख्य लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी, समिति के दो सरकारी सदस्य होते हैं, तीन गैर-सरकारी सदस्य संचार राज्य मंत्री द्वारा नामित होते हैं।

(ख) दूरसंचार सलाहकार समितियों के लिए संसद सदस्यों के नामांकन संसदीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त किए जाते हैं। एस टी डी/आई एस डी, पी सी ओ आबंटन समितियों के लिए अभी तक किसी भी संसद सदस्य को नामित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ). बरेली गौण स्विचन क्षेत्र की एस टी डी/आई एस डी, पी सी ओ आबंटन समिति का गठन सरकारी सदस्यों को लेकर किया गया है। गैर-सरकारी सदस्यों को शीघ्र ही नामित किया जाएगा।

[अनुवाद]

वाहनों में सुरक्षा सहायक उपकरण लगाना

976. **श्री एस.एम. लालजान बाशा :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने वाहनों में उनके निर्माण के समय ही सुरक्षा सहायक उपकरणों में सुधार करने के लिए वाहन निर्माताओं के साथ कोई विचार-विमर्श किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). जी, नहीं। यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम/नियमावली में ब्रेक, हैडलाइटों, संकेतकों, परावर्तकों, यात्री कारों के मामले में सीट बेल्ट, आटो-डिपरों, विंड स्क्रीन के शीशे, आटोमोटिव बल्बों, नियंत्रण प्रणाली, खिड़कियों के तालों और द्वार प्रतिधारण पुर्जों, ईंधन टंकियों, पट्टियों के रिम जैसे अनेक पुर्जों के लिए सुरक्षा संबंधी मानकों का प्रावधान किया गया है। वाहन निर्माताओं के लिए यह अपेक्षित है कि वह वाहन का निर्माण करते समय निर्धारित मानकों का पालन करें।

डाभोल पावर कम्पनी

977. **श्री सुधीर सावन्त :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अमरीकी फर्म (डाभोल पावर कम्पनी), के सहयोग से किसी विद्युत परियोजना को अंतिम रूप दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या शर्तें निर्धारित की गई थीं और इस परियोजना के सम्बन्ध में अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना के लिए केन्द्र और राज्य द्वारा कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है और इस परियोजना पर कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है;

(घ) क्या इस परियोजना के कार्यान्वयन में किसी जन आन्दोलन और पर्यावरण सम्बन्धी विवाद के कारण व्यवधान पैदा हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख). डाभोल विद्युत कम्पनी एक भारतीय कम्पनी है जिसे तीन अमरीकी कम्पनियों यथा, एनरॉन डेवलपमेंट कारपोरेशन, बेचटेल एन्टरप्राइजेज इन्कारपोरेटिड और जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी द्वारा संप्रवर्तित किया गया है। डाभोल जिला रत्नागिरी (महाराष्ट्र) में संयुक्त साइकिल विद्युत संयंत्र के अधिष्ठापन के लिए दिनांक 8.12.1993 को डाभोल विद्युत कम्पनी और महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड के बीच एक विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। परियोजना की कुल अधिष्ठापित क्षमता 2015 मे.वा. है और परियोजना निम्नलिखित दो चरणों में निम्नवत् है :-

1.	चरण-I	695 मे.वा.
2.	चरण-II	1320 मे.वा.

परियोजना का वित्तीय समापन दिनांक 1.3.95 को हो गया है और प्रथम चरण के दिसम्बर, 97 तक चालू होने की प्रत्याशा है।

(ग) निजी परियोजना के कारण, इसमें किसी प्रकार का केन्द्रीय और राज्य आबंटन शामिल नहीं है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। इस समय कार्य प्रगति पर है।

भारत के पक्ष में समर्थन जुटाने वाली फर्म के साथ ठेके का नवीकरण

978. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांग्रेस में नई दिल्ली के हितों के पक्ष में समर्थन जुटाने हेतु भारतीय दूतावास द्वारा वाशिंगटन में विधि संबंधी मामलों को देखने के लिये लगाई गई फर्म के ठेके का नवीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा किन शर्तों के अंतर्गत किया जा रहा है; और

(ग) क्या अगली अवधि के लिये समझौते को निश्चित रूप प्रदान करने से पूर्व इसकी उपलब्धियों का कोई मूल्यांकन किया गया था और यदि हां, तो यह मूल्यांकन किस प्रकार से किया गया और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) डेनीयल जे एडलमैन इन्क. की जन सम्पर्क फर्म के साथ मैसर्स रफैली, स्पीस, स्प्रिंगर एंड स्मिथ की विधि सम्बन्धी फर्म का ठेका

उन्हीं नियमों और शर्तों पर 57,500 अमरीकी डालर प्रति माह की दर से 15 फरवरी, 1995 से एक वर्ष के लिए नवीकृत कर दिया गया है।

(ग) जी, हां। पिछले एक वर्ष के दौरान विधि फर्म और सम्बद्ध जन-सम्पर्क की फर्म के कार्य निष्पादन का विस्तृत मूल्यांकन किया गया था। सरकार ने फर्म का कार्य संतोषजनक पाया है।

निजी कम्पनियों द्वारा टेलीफोन डायरेक्टरी

979. **श्री धर्मण्णा मॉडय्या सादुल :**
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में टेलीफोन डायरेक्टरी एक साल से अधिक पुरानी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ निजी कम्पनियों ने देश कुछ प्रमुख नगरों में उपभोक्ताओं को मुफ्त टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध तथा वितरण करने का प्रस्ताव दिया है;

'(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). 320 गौण स्विचन क्षेत्रों में से 74 गौण स्विचन क्षेत्रों की टेलीफोन डाइरेक्टरियां एक वर्ष से अधिक पुरानी हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ). मौजूदा हिदायतों के अनुसार दूरसंचार जिला प्रबंधक और इससे बड़े अधिकारियों के अधीन टेलीफोन जिलों की पीले पृष्ठों सहित, डाइरेक्टरियां, महानगरों एवं प्रमुख जिलों हेतु 5 वर्ष के लिए तथा छोटे जिलों हेतु 3 वर्ष के लिए, किसी फर्म के साथ व्यापक संविदा के तहत छापी जाती है। संविदा की शर्तों के मुताबिक, संविदाकार (कांट्रेक्टर) अपेक्षित संख्या में टेलीफोन डाइरेक्टरियां निःशुल्क उपलब्ध कराता है और विभाग को पूर्व-निर्धारित रॉयल्टी का भुगतान करता है।

विवरण

सर्किल का नाम	गौण स्विचन क्षेत्रों की संख्या जिनमें टेलीफोन डाइरेक्टरी एक वर्ष से अधिक पुरानी है
1	2
आन्ध्र प्रदेश	3
बिहार	6
असम	5
गुजरात	12
हरियाणा	3
केरल	9
मध्य प्रदेश	6
उत्तर पूर्व	6
उड़ीसा	1
तमिलनाडु	15
पश्चिम बंगाल	8
कुल	74

रूस के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा

980. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के प्रधान मंत्री ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय महत्व के किन-किन मुद्दों पर विचार किया गया और यात्रा का क्या निष्कर्ष निकला है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). जी, हां। रूस के प्रधानमंत्री श्री वी.एस. चिरनोमिर्दिन 23 से 24 दिसम्बर, 1993 तक भारत की यात्रा पर आए। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल भी आया।

प्रधानमंत्री श्री चिरनोमिर्दिन की यात्रा रूस के किसी भी प्रधानमंत्री की भारत की यह पहली यात्रा थी। इस यात्रा से रूस के साथ द्विपक्षीय सम्बन्धों में हुई प्रगति की, विशेषकर जून-जुलाई, 1994 में प्रधानमंत्री की मास्को की यात्रा के बाद से हुई गति की समीक्षा करने का अवसर मिला।

प्रधानमंत्री चिरनोमिर्दिन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए रूस का समर्थन दोहराया। उन्होंने कहा कि रूस जम्मू एवं कश्मीर के मुद्दे का अन्तर्राष्ट्रीयकरण किए जाने के खिलाफ है तथा इसका शिमला समझौते के आधार पर द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से समाधान किए जाने के पक्ष में है। एक प्रैस कान्फ्रैंस में उन्होंने कहा कि रूस पाकिस्तान को हथियार सप्लाई नहीं कर रहा है और न ही भविष्य में करेगा। दिल्ली और मास्को के बीच एक हाट-लाइन स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

इस यात्रा के निष्कर्ष का सार देते हुए एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। इस वक्तव्य की प्रति संलग्न विवरण में है।

इसके अतिरिक्त, निवेश-संवर्द्धन एवं परस्पर संरक्षण; भारत में कतिपय पण्यों की रूस द्वारा दीर्घावधिक खरीद, मर्चेन्ट शिपिंग; वर्ष 2000 तक सैन्य एवं तकनीकी सहयोग से सम्बन्धित दीर्घावधिक कार्यक्रम; शान्तिपूर्ण परियोजना के लिए बाह्य अन्तरिक्ष के अन्वेषण

तथा प्रयोग में सहयोग; भारत रूसी संयुक्त आयोग के क्षेत्र का विस्तार; राजनयिक तथा सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए बहु-प्रवेश वीजा; तथा सूचना के क्षेत्र में सहयोग के क्षेत्रों में आठ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए।

विवरण

भारत-रूस संयुक्त वक्तव्य

भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री महामहिम श्री पी.वी. नरसिंह राव के निमंत्रण पर रूसी परिसंघ की सरकार के अध्यक्ष महामहिम श्री एस. चिरनोमिर्दिन 23 और 24 दिसम्बर, 1994 को भारत की सरकारी यात्रा पर आए।

रूसी परिसंघ तथा भारत के शासनाध्यक्षों के बीच बातचीत और राष्ट्रपति महामहिम डा. शंकर दयाल शर्मा और भारत के उप राष्ट्रपति महामहिम श्री के.आर. नारायणन के साथ महामहिम श्री वी.एस. चिरनोमिर्दिन की मुलाकातें सौहार्द तथा विश्वास के वातावरण में हुई, जो दोनों देशों के बीच पारंपरिक मैत्री और सहयोग का परिचायक है। बातचीत के निष्कर्षों से इस बात की पुनः पुष्टि हुई कि जनवरी, 1993 में रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति महामहिम श्री वी.एन. येल्त्सिन की भारत यात्रा और जून-जुलाई, 1993 में भारत के प्रधानमंत्री महामहिम श्री पी.वी. नरसिंह राव की रूसी परिसंघ की यात्रा के परिणामतः भारत-रूस संबंधों ने संरचनात्मक और परस्पर लाभकारी क्रियाकलाप के एक नए दौर में प्रवेश किया है।

दोनों पक्ष रूसी परिसंघ और भारत के पारस्परिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने और दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय बातचीत जारी रखने की प्रक्रिया को, जो विशेष महत्व देते हैं, उस पर बल देते हुए उन्होंने राजनीतिक,आर्थिक, वाणिज्यिक, रक्षा, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, सूचना तथा अन्य क्षेत्रों में अपने पारस्परिक संबंधों से संबद्ध कई मसलों पर विचार-विमर्श किया और इन क्षेत्रों में अपने पारस्परिक सहयोग को और अधिक गहन करने के लिए दिशाएं और प्राथमिकताएं निर्धारित कीं।

दोनों पक्षों ने अन्तर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मसलों पर मोटेतौर पर पारस्परिक समझबूझ और विचारों में समानता पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने यह बात दोहराई कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उनके घनिष्ठ सहयोग से एशिया तथा विश्व में शान्ति और सुरक्षा को मजबूत बनाने में, तथा एक न्यायपूर्ण और औचित्यपूर्ण विश्व व्यवस्था कायम करने की दिशा में पर्याप्त योगदान मिलता है। वे इन प्रयोजनों को लेकर अपने बहुआयामी रचनात्मक सहयोग और नियमित राजनीतिक परामर्शों को और प्रगाढ़ करना चाहते हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से दोनों पक्षों में सिद्धान्त रूप से यह सहमति हुई कि दिल्ली और मास्को के बीच एक "हॉट लाइन" कायम की जाए।

दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि बहुवादी राज्यों के हितों की संरक्षा के संबंध में भारत के प्रधानमंत्री महामहिम श्री पी.वी. नरसिंह राव और रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति श्री वी.एन. येल्त्सिन द्वारा हस्ताक्षरित मास्को घोषणा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में एक अद्वितीय दस्तावेज है। बहुवाद तथा लोकतंत्र अपनाने वाले अनेक जातियों, अनेक भाषाओं और अनके धर्मों वाले राज्यों की एकता और अंखडता के सम्मुख आक्रामक राष्ट्रवादी, धार्मिक अनन्यतावाली, राजनीतिक उग्रवादी, आतंकवादी और अलगाववादी अस्थिरता फैलानेवाली ताकतों द्वारा खड़ी हो गई चुनौतियों को इसने पहली बार रेखांकित किया है। यह दस्तावेज उनके द्विपक्षीय संबंधों की रूपरेखा से कहीं व्यापक है और इसे सार्वभौमिक महत्व का दस्तावेज माना गया है। दोनों पक्षों द्वारा इस बात को दोहराने से क्षेत्रीय और सार्वभौमिक स्थिरता की स्थापना की दिशा में योगदान मिलेगा कि दोनों पक्षों में से प्रत्येक की विधि तथा संविधान द्वारा संस्थापित उसकी, जो प्रादेशिक अखण्डता और सम्प्रभुता है, उसका वे सम्मान करते हैं। दोनों पक्ष अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में मास्को घोषणा में प्रतिपादित विचारों के संवर्धन के लिए अपने प्रयास जारी रखने के लिए सहमत हुए।

बातचीत के दौरान दोनों देशों के पारस्परिक, व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक संबंधों को मजबूत बनाने की प्राथमिकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया। दोनों देशों के शासनाध्यक्षों ने इस बात पर सन्तोष व्यक्त किया कि मास्को शिखर बैठक के दौरान 30 जून, 1994 को हस्ताक्षरित घोषणा में भारत तथा रूसी परिसंघ के पारस्परिक सहयोग को और बढ़ाने तथा उसे गहन करने के संबंध में जिन ध्येयों और दृष्टिकोणों का उल्लेख है, उनके क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और इस दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है। इस संदर्भ में दोनों पक्षों ने व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक सहयोग पर गठित भारत-रूस अन्तर-सरकारी आयोग की समन्वयकारी महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया, और सितम्बर, 1994 के दौरान मास्को में इस आयोग ने अपने प्रथम सत्र में जो कार्य किया, उसकी उन्होंने सराहना की। उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि वे आर्थिक तथा वित्तीय प्रबन्ध में अर्जित अपने अनुभव से एक समुचित तंत्र के माध्यम से एक-दूसरे को अवगत कराएंगे।

वर्ष 1993 के व्यापार आकड़ों की तुलना में व्यापार को शीघ्रातिशीघ्र दुगुना करने के लक्ष्य को देखते हुए दोनों पक्षों ने गौर किया कि इस वर्ष उनके द्विपक्षीय व्यापार में पर्याप्त वृद्धि होगी। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने द्विपक्षीय व्यापार में भाग लेने वाले उद्यमों तथा संगठनों के लिए अनुकूल तथा परस्पर सहमत परिस्थितियों का सृजन करने के लिए सहमति व्यक्त की। इस बात पर सहमत हुई कि संबंधित संगठनों को चाहिए कि वे भारतीय निर्यातकों के 1993 से पहले की अवधि के विलंबित दावों को तीन माह के अंदर निपटा दें।

भारतीय पक्ष ने इस बात की आवश्यकता को दोहराया कि ऋण-भुगतान के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों के उपयोग के लिए प्रत्याशित और प्रभावकारी तंत्र का सुनिश्चय किया जाना चाहिए। रूसी पक्ष ने इस बात की पुष्टि की कि इन निधियों का उपयोग पूर्ववर्ती सहमतियों के अनुसार माल और व्यापार संबंधी सेवाओं को खरीदने में किया जाएगा। 1995-97 के दौरान भारत से आपसी रूचि के माल की दीर्घावधिक खरीद से संबंधित एक करार संपन्न हुआ जिसके अन्तर्गत रूसी पक्ष ने चाय, तम्बाकू, सोया-भोजन और भेषजों के

संबंध में अपनी वार्षिक आवश्यकताएं तय की हैं।

दोनों पक्षों ने विशेषतौर पर विद्युत, तेल और कोयला उद्योग, लौह और अलौह धातु विज्ञान के क्षेत्रों में परस्पर लाभकारी सहयोग को जारी रखने तथा उसे और अधिक विकसित करने की अपनी इच्छा की पुनः पुष्टि की। रुपयों में ऋणों के भुगतान के एक भाग का भारत द्वारा अपने यहां स्थित सहमत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उपयोग करने के संबद्ध निर्णय से इसका सहयोग और संवर्धन होगा।

दोनों पक्षों ने इस बात पर गौर किया कि विद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों, पैट्रोलियम, कोयला उद्योग, लौह एवं अलौह धातु विज्ञान और सूचना विज्ञान पर गठित कार्यदलों की बैठक हुई और उन्होंने इन क्षेत्रों में सहयोग की कई विशिष्ट दिशाएं तय कीं। दोनों पक्षों ने इस बात पर भी गौर किया कि परिवहन सम्बन्धी उप दल ने नोवोरोसिस्क बन्दरगाह के आधुनिकीकरण से सम्बद्ध परियोजना में भारतीय पक्ष की भागीदारी से सम्बद्ध प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं। यह निर्णय लिया गया कि इस परियोजना के लिए वित्तीय प्रणाली का विस्तार से उल्लेख किया जाए जिसमें रूस को भारत द्वारा सरकारी ऋण की अदायगी के एक भाग का तथा भारतीय कम्पनियों द्वारा सीधे निवेश एवं ऋण का इस्तेमाल शामिल है। दोनों पक्ष इस आधार पर कम से कम समय में उपयुक्त उपाय करने पर सहमत हुए।

दोनों पक्षों ने सैन्य तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में परस्पर क्रिया-कलाप के स्तर और उसकी किस्म पर संतोष व्यक्त किया, विशेषकर इस यात्रा के दौरान वर्ष 2000 तक सहयोग के दीर्घावधिक कार्यक्रम से सम्बन्धित एक करार के सम्पन्न किए जाने पर वे इसे क्रियान्वित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने पर सहमत हुए।

दोनों पक्षों ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने सहयोग के महत्व पर विशेष रूप से गौर किया तथा अपने संयुक्त गतिविधियों के परिणामों के औद्योगिक अनुप्रयोगों तथा वाणिज्य उपलब्धियों पर ध्यान केन्द्रित किया। वे चालू परियोजनाओं के क्रियान्वयन को गति प्रदान करने तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाले विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने के लिए सहमत हुए। इस बात पर सहमति हुई कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय सहयोग के समेकित दीर्घावधिक कार्यक्रम से सम्बन्धित परिषद् तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित कार्यदल की अगली बैठक मई, 1995 में मास्को में होगी।

दोनों पक्षों ने शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए अन्तरिक्ष के अन्वेषण तथा प्रयोग के क्षेत्र में 20 वर्ष के अपने लम्बे सहयोग पर गौर किया तथा इस क्षेत्र में अपने सहयोग को और आगे बढ़ाने और गहन करने का बहुत महत्व दिया। उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि इस यात्रा के दौरान रूसी अन्तरिक्ष अभिकरण तथा भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के बीच सम्पन्न करार इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

दोनों पक्षों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग में तेजी आ रही है। संस्कृति से सम्बद्ध कार्यदल ने 1994-95 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान की समय सूची को अन्तिम रूप दे दिया है, जिसमें प्रत्येक देश में सांस्कृतिक दिवसों का आयोजन तथा सामयिक साहित्य का संयुक्त प्रकाशन शामिल है। इस यात्रा के दौरान लियो टालस्टाय की प्रतिमा का अनावरण रूस और भारत को एक सूत्र में बांधने वाले बौद्धिक एवं आध्यात्मिक सम्बन्धों का प्रतीक था। वे मास्को में शीघ्र ही जवाहर लाल नेहरू की प्रतिमा स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर सहमत हुए।

दोनों पक्ष उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में आदान-प्रदानों के लिए एक स्थाई तथा नियमित प्रणाली तैयार किए जाने को बहुत महत्व देते हैं। उनके विचार से उच्चतर शिक्षा से सम्बन्धित रूसी परिसंघ की राज्य समिति तथा भारत गणराज्य के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग के बीच नवम्बर, 1994 को सम्पन्न करार इसके लिए आवश्यक आधार प्रदान करता है।

दोनों पक्षों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को दोनों देशों की बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से इन संबंधों का विधिक आधार सुदृढ़ करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्य पर गौर किया। पिछले दो वर्षों में सम्पन्न विभिन्न करार एवं दस्तावेज तथा विचाराधीन अन्य दस्तावेज एवं करार विभिन्न क्षेत्रों में उनके द्विपक्षीय संबंधों के सक्रिय तथा व्यापक विकास के लिए एक ठोस आधार तैयार करते हैं।

इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए :-

1. निवेश के संवर्धन तथा परस्पर संरक्षण से सम्बन्धित करार।
2. भारत में कतिपय पण्यों की दीर्घावधिक खरीद से सम्बन्धित करार।
3. मर्चेन्ट शिपिंग से सम्बन्धित करार।
4. वर्ष 2000 तक सैन्य एवं तकनीकी सहयोग के दीर्घावधिक क्रियान्वयन सम्बन्धित करार।
5. शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए बाह्य अन्तरिक्ष के अन्वेषण एवं प्रयोग में सहयोग से सम्बद्ध इसरो तथा रूसी अन्तरिक्ष अभिकरण के बीच करार।
6. भारत-रूसी अन्तर-सरकारी संयुक्त आयोग के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने के सम्बन्ध में पत्रों का आदान-प्रदान।
7. राजनयिक तथा सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए बहु-प्रवेश वीजा जारी करने से सम्बन्धित ज्ञापन।
8. सूचना के क्षेत्र में सहयोग से सम्बन्धित प्रोटोकोल।

इस बात पर सहमति हुई कि दोहरे कराधान से परिहार, सीमा सुरक्षा दलों के बीच सहयोग, परस्पर विधिक सहायता, प्रत्यर्पण, विद्युत के क्षेत्र में सहयोग से सम्बन्धित करार तथा भारत में एक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में सहयोग से सम्बन्धित करार पर प्रोटोकोल सम्पन्न करने के लिए विचार-विमर्श जारी रखा जाएगा। रूसी परिसंघ की सरकार के अध्यक्ष, महामान्य श्री वी.एस. चेरनोमिर्दिन की भारत की यात्रा के परिणामों से दोनों देशों के बीच नियमित आधार पर उच्च स्तर पर हो रहे क्रिया-कलापों की उपयोगिता तथा परस्पर लाभकारी स्वरूप की पुष्टि हुई।

आंध्र प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां

981. श्री येल्लैया नंदी : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में 1 मार्च, 1995 तक कितनी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां कार्यरत थीं, वे कहां-कहां स्थित थीं; और

(ख) 1995-96 के दौरान राज्य में ऐसी और कितनी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाई जाएंगी?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख). खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में हैं इसलिए खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की राज्यवार संख्या के बारे में सूचना केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखी जाती। लेकिन उपलब्ध सूचना के अनुसार आन्ध्र प्रदेश के बारे में स्थिति इस प्रकार है :-

		यूनिटों की संख्या
1.	चावल मिल	21774
2.	रोलर फ्लोर मिल	58
3.	फल तथा सब्जी प्रसंस्करण	178
4.	मछली प्रसंस्करण	40
5.	मृदु वातित जल	74
6.	अल्कोहल युक्त पेय	3
7.	दूध उत्पाद	8
8.	मांस प्रसंस्करण	7
9.	कोको उत्पाद	2

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना नहीं करता।

अगस्त, 1991 में उदारीकरण करने के बाद से लेकर फरवरी, 1995 तक आन्ध्र प्रदेश से संबंधित 195 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें 1453 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया जाएगा और लगभग 40804 लोगों को रोजगार मिलेगा। इनमें से 40 यूनिटों ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए दूसरा ज्ञापन प्रस्तुत कर दिया है। इसके अलावा संयुक्त उद्यम, विदेशी सहयोग, निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना के लिए आन्ध्र प्रदेश से प्राप्त 113 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

उत्तरी पावर ग्रिड में संकट

982. श्री गुरुदास कामत : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी पावर ग्रिड भारी संकट से गुजर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) क्या उत्तरी तापीय विद्युत कम्पनी के विद्युत केन्द्रों को प्राकृतिक गैस की सप्लाई में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जायेंगे?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख). 7.1 प्रतिशत की औसत अखिल भारत कमी की तुलना में अप्रैल, 94-फरवरी, 95 की अवधि के दौरान उत्तरी क्षेत्र में ऊर्जा की कमी 7.2 प्रतिशत थी। कमी का मुख्य कारण विद्युत की मांग का उपलब्धता से अधिक बढ़ जाना था। गैस की कम आपूर्ति होने के कारण फरवरी से मार्च, 1995 के दौरान उत्तरी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति और अधिक प्रभावित हुई है।

(ग) और (घ). ओ एन जी सी द्वारा एच बी जे पाइपलाइन पर इसके उन्नयन हेतु काम बन्दी किए जाने के कारण 11 फरवरी, 1995 से 25 मार्च, 1995 तक एन टी पी सी के गैस आधारित केन्द्रों को, सप्लाई की जाने वाली गैस की आपूर्ति 6.4 एमसीएमडी से घटाकर 2.8 एमसीएमडी कर दी गई है।

(ङ). इस सम्बन्ध में किए गए विभिन्न उपायों में, विकल्प के रूप में द्रव ईंधन (एचएसडी तथा नैपथा) का प्रयोग करना, ताप यूनिटों के नियोजित अनुरक्षण का आरधगन तथा एच बी जे पाइपलाइन में कामबन्दी की अवधि के दौरान अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन शामिल है।

चीन द्वारा प्रक्षेपास्त्रों की सप्लाई

983. डा. वसंत पवार : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन क्रूज प्रक्षेपास्त्रों का उत्पादन करता है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन प्रक्षेपास्त्रों की पाकिस्तान को सप्लाई की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) उपलब्ध सूचना यह है कि चीन क्रूज प्रक्षेपास्त्रों का उत्पादन नहीं करता है।

(ख) और (ग). चीन द्वारा पाकिस्तान को एम-II प्रक्षेपास्त्रों की आपूर्ति से संबंधित खबरें सरकार ने देखी हैं। पाकिस्तान द्वारा अत्याधुनिक शस्त्र प्रणालियों, जिनमें प्रक्षेपास्त्र भी शामिल हैं, के अधिग्रहण से भारत के सुरक्षा पर्यावरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सरकार इन सभी घटनाओं की बराबर समीक्षा करती रहती है और राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए समुचित उपाय करती है।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए संयुक्त उद्यम

984. श्री सैयद शहाबुद्दीन :
श्री सुधीर सावन्त :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने हेतु संयुक्त उद्यमों के लिए 1 जनवरी, 1994 तथा 1 जनवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार विदेशी और भारतीय कंपनियों को कितने लाइसेंस जारी किए गए;

(ख) अनन्य आर्थिक क्षेत्र में चल रहे मछली पकड़ने के जलपोतों की औसत संख्या कितनी है;

(ग) क्या मछुआरों को दिए गए मैकेनिकल ट्रालर्स से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का कार्य किया जा रहा है;

(घ) क्या ऐसे कुछ मैकेनिकल ट्रालर तटवर्ती समुद्र में अवैध रूप से मछलियां पकड़ रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो अवैध रूप से मछलियों को पकड़ने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या हमारे अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने वाले विदेशी जलपोतों को पकड़ी गई मछलियों के बारे में सूचना भारतीय पत्तनों पर देने की आवश्यकता होती है;

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार की जानकारी में ऐसी कोई घटना आई है जब विदेशी जलपोत ने पकड़ी गई मछलियों की सूचना भारतीय पत्तन पर न देकर उन मछलियों को विदेशी पत्तन पर उतार दिया हो; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में कानून को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) भारतीय जल में गहन समुद्री मैत्स्यन के लिए विदेशी कम्पनियों को कोई लाइसेन्स जारी नहीं किया गया लेकिन 1991 से अब तक गहन समुद्र मत्स्यन में संयुक्त उद्यम के लिए भारतीय कम्पनियों को जारी किए लाइसेंन्सों की संख्या इस प्रकार है :-

1 जनवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार : 22

1 जनवरी, 1995 की स्थिति के अनसुार : 23 (संचयी)

(ख) भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में चलाए जा रहे मत्स्यन जलयानों की कुल संख्या 206835 है इनमें मोटर से न चलने वाली पारम्परिक नौकाएं, मोटर से चलने वाली पारंपरिक नौकाएं, मशीनीकृत मत्स्यन जलयान और गहन समुद्री मत्स्यन जलयान (समग्र ऊंचाई 20 मी. या उससे अधिक शामिल हैं।

(ग) जी. हां।

(घ) और (ङ). आमतौर पर आरोप लगाया जाता है कि गहन समुद्री मत्स्यन जलयान तटवर्ती जल में अनाधिकार शिकार करते हैं लेकिन निश्चित रूप से कोई ऐसा प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिससे मामले में कोई कार्रवाई की जाती।

(च) जी, हां।

(छ) और (ज). कुछ मामलों में यह सूचित किया गया था कि चार्टर/लीज के तहत विदेशी मत्स्यन जलयान भारतीय सीमा शुल्क को अनिवार्य रूप से रिपोर्ट किए बिना बीच समुद्र से फरार हो गए। ऐसे मामलों में विदेशी कम्पनियों के नाम काली सूची में दर्ज कर दिए गए हैं और गहन समुद्री मत्स्यन के लिए उस कम्पनी से आगे कोई सम्पर्क रखने की अनुमति नहीं है।

पेय जल आपूर्ति के लिए आंध्र प्रदेश को विश्व बैंक की सहायता

985. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या,:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने कृष्णा नदी से पानी लेकर जुड़वां शहरों को जल की आपूर्ति करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना पूरी हो जाये विश्व बैंक की सहायता मांगी गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या परियोजना को पूरा करने के लिए कोई समयबद्ध योजना बन गई है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार भी हैदराबाद और सिकन्दराबाद जुड़वां शहरों की पेय जल आपूर्ति योजना को पुनः चालू करने के लिए राज्य सरकार को सहायता देने को तैयार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस प्रयोजनार्थ विश्व बैंक कुल कितनी धनराशि प्रदान करने के लिए सहमत है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) यह परियोजना ऋण सहायता के लिए विश्व बैंक के समक्ष पेश की जा चुकी है।

(ग) विश्व बैंक द्वारा इस परियोजना को अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने की शर्त पर, इस परियोजना को पूरा करने के लिए निम्नलिखित अनन्तिम समय-सीमा पर सहमति हुई है :-

परियोजना की कार्य साधकता - जुलाई, 1997

पूरा करना तथा ऋण समापन - जून, 2005

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) विश्व बैंक ने इस समय कोई वायदा नहीं किया है, क्योंकि परियोजना तैयार करने का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

बिहार में एस.टी.डी./सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

987. श्री प्रेम चन्द राम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में एस.टी.डी./आई.एस.डी. सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों के आबंटन के लिए जिला-वार और विशेषरूप से हजारीबाग जिले में प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति हैं; और

(ख) सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र कब तक आबंटित कर दिये जाएंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विभागेत्तर कर्मचारियों को लाभ

988. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1994 तक डाक विभाग में कार्यरत विभागेत्तर कर्मचारियों की संख्या कितनी थी;

(ख) क्या सरकार का विचार विभागेत्तर कर्मचारियों को दिये जाने वाले लाभों को बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की कुल संख्या, 31.3.94 की स्थिति के अनुसार, 3,07,466 थी। यह जानकारी वित्तीय वर्ष के आधार पर संकलित की जाती है।

(ख) और (ग). अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की सेवा शर्तों की निरंतर पुनरीक्षा की जाती है। सरकार द्वारा जब अपने नियमित कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग गठित किया जाता है, तो उसके उपरांत एक नीतिगत मामले के बतौर अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के वेतन ढांचे तथा सेवा शर्तों आदि की जांच के लिए एक समिति गठित की जाती है। चूंकि पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है, अतः अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए एक समिति गठित करने की कार्रवाई पहले ही आरम्भ की जा चुकी है

[हिन्दी]

दवाइयों के मूल्यों में वृद्धि

989. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दवाइयों के मूल्य सीमा शुल्क में कमी किये जाने के बावजूद बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 1986 की घोषणा के बाद दवाइयों के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(घ) क्या इनमें से किसी स्वदेशी दवाई के निर्माण में आयातित कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो ये कौन-कौन सी दवाइयां हैं और गत तीन वर्षों के दौरान आयातित कच्चे माल पर वर्षवार कितना सीमा-शुल्क लगाया गया?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) से (ङ). अक्तूबर, 1986 में घोषित औषध नीति के अनुसार अगस्त, 1987 में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 की अधिसूचना के पश्चात् दवाइयों के मूल्यों के सूचकांक में जनवरी, 1995 के अन्त तक 76.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान, सभी वस्तुओं के मूल्यों के सूचकांक में 95.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

औषधों और सूत्रयोगों के निर्माण के लिए आयातित कच्चा माल, कच्चे माल की स्वदेशी पूर्ति का पूरक न केवल घरेलू बाजार के लिए है, बल्कि निर्यात के लिए भी है। आयातित कच्चे माल पर सीमा शुल्क औषध मूल्यों के लागत घटकों में से केवल एक ही घटक है। अतः आयातित कच्चे माल पर सीमा-शुल्क में कमी करने से आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मामले में तैयार माल के मूल्य में कमी होगी।

[अनुवाद]

आतंकवादियों को हथियारों की सप्लाई

990. श्री परसराम भारद्वाज : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 फरवरी, 1995 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में 'पाकिस्तान से कश्मीर में आतंकवादियों को हथियारों की सप्लाई' के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) पाकिस्तान द्वारा उग्रवादियों को शरण एवं प्रशिक्षण देना जारी है और वह जम्मू एवं कश्मीर में उग्रवादियों को सामग्रीगत एवं वित्तीय तथा संभारतंत्रीय सहायता दे रहा है। यह बात सुप्रमाणित है तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार की जा रही है तथा जम्मू एवं कश्मीर में यह मुख्य मुद्दा है और इसके साथ ही पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों में तनाव का मुख्य कारण भी।

पत्तनों का निजीकरण

991. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्वे : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पत्तनों के निजीकरण तथा वाणिज्यीकरण के संबंध में कोई रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में की गयी अथवा की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). भारतीय पत्तनों और नौवहन क्षेत्र में नीतिगत सुधारों के बारे में एशियाई विकास बैंक की तकनीकी सहायता के तहत एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट में शक्तियों के अधिकाधिक प्रत्यायोजन और पत्तन प्रचालनों के निजीकरण के माध्यम से निर्णायक प्रक्रिया का प्रभावी विकेन्द्रीकरण और नियामक नियंत्रण, पत्तन न्यासों को सौंपे जाने पर बल दिया गया है। इस रिपोर्ट में अधिनियमों/नियमों में संशोधन करने और प्रक्रियात्मक मामलों के सरलोकरण इत्यादि की सिफारिश की गई है।

(ग) रिपोर्ट महापत्तनों को भेज दी गई है ताकि वे अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई कर सकें।

टेलीफोन राजस्व

992. श्री अन्ना जोशी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1284 करोड़ रुपये के टेलीफोन राजस्व की वसूली नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) मार्च, 1994 के अंत में 1157.95 करोड़ रु. की टेलीफोन राजस्व की राशि वसूली के लिए बाकी थी।

(ख) 31.3.94 की स्थिति के अनुसार बकाया टेलीफोन बिलों की राज्य-वार राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) बिल जारी करना और उनकी वसूली करना एक सतत् प्रक्रिया है और बकाया टेलीफोन बिलों की वसूली के लिए सुनिर्धारित कार्यविधियां हैं। बिलिंग से संबंधित विवादों/न्यायालय-मामलों को शीघ्र निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अन्य मामलों के सिलसिले में वसूली करने के लिए पत्राचार किया जा रहा है। अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जाते हैं और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

31.3.94 की स्थिति के अनुसार बकाया कुल टेलीफोन राजस्व-राज्यवार

	राज्य	राशि करोड़ रु. में
1.	आंध्र प्रदेश	36.46
2.	असम	38.93
3.	बिहार	85.07
4.	गुजरात (दादर और नगर हवेली)	31.33
5.	हरियाणा	23.3
6.	हिमाचल प्रदेश	1.63
7.	जम्मू एवं कश्मीर	22.65
8.	कर्नाटक	32.71
9.	केरल (लक्षद्वीप सहित)	29.45
10.	मध्य प्रदेश	30.42
11.	महाराष्ट्र (बंबई सहित)	239.54
12.	गोवा	1.35
13.	मेघालय	2.05
14.	मणिपुर	1.71
15.	मिजोरम	0.98
16.	नागालैंड	4.27
17.	अरुणाचल प्रदेश	1.53
18.	त्रिपुरा	0.87
19.	उड़ीसा	25.63
20.	पंजाब	31.47
21.	राजस्थान	8.68
22.	तमिलनाडु (मद्रास सहित)	42.31
23.	पश्चिम बंगाल (कलकत्ता सहित)	118.85
24.	सिक्किम	1.35
25.	उत्तर प्रदेश	135.65
26.	दिल्ली	206.77
	संघशासित क्षेत्र	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.92
2.	चंडीगढ़	0.31
3.	पांडिचेरी	0.76
	कुल	1157.95

पिछड़े क्षेत्रों में सड़कों का विकास

993. **श्री राधेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े क्षेत्रों में सड़कों का विकास करने के संबंध में सरकारी नीति क्या है; और

(ख) पांचवी और सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधियों के अंत में प्रति हजार वर्ग कि.मी. क्षेत्र में राज्यवार कितने कि.मी. सड़कों का निर्माण किया गया?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) यह मंत्रालय मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जिम्मेदार है। अन्य सड़कों का विकास कार्य संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(ख) इस संबंध में राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र 1000 वर्ग कि. मी. में	पाचवीं योजना के के अंत में रा.रा. लंबाई	लम्बाई प्रति 1000 वर्ग कि.मी.	सातवीं योजना के अंत में रा.रा. लंबाई	लम्बाई प्रति 1000 वर्ग कि.मी.
1.	आंध्र प्रदेश	276.8	2299	8.31	2519	9.11
2.	अरुणाचल प्रदेश	83.6	–	–	330	3.94
3.	असम	78.5	1468	18.70	2296	29.24
4.	बिहार	173.9	2117	12.17	2117	12.17
5.	चन्डीगढ़	0.1	24	240.00	24	240.00
6.	दिल्ली	1.5	72	48.00	72	48.00
7.	गोवा	3.8	229	60.26	229	60.26
8.	गुजरात	196.0	1352	8.32	1631	8.32
9.	हरियाणा	44.2	698	15.41	698	15.41
10.	हिमाचल प्रदेश	55.7	644	11.56	854	15.33
11.	जम्मू और कश्मीर	222.2	648	2.91	648	2.91
12.	कर्नाटक	191.8	1996	10.48	1996	10.48
13.	केरल	38.9	784	20.15	940	24.18
14.	मध्य प्रदेश	442.5	2670	6.03	2946	6.66
15.	महाराष्ट्र	307.8	2861	9.29	2918	9.49
16.	मणिपुर	22.4	211	9.41	431	19.24
17.	मेघालय	22.5	345	15.33	472	22.98
18.	नागालैंड	16.5	113	6.85	113	6.85
19.	उड़ीसा	155.8	1649	10.58	1649	10.58
20.	पांडिचेरी	0.5	–	–	23	46.00
21.	पंजाब	50.4	882	17.50	892	17.70
22.	राजस्थान	342.2	2157	6.30	2931	8.57
23.	तमिलनाडु	130.1	1744	13.40	1896	14.58
24.	उत्तर प्रदेश	294.4	2328	7.91	2613	8.86
25.	पश्चिम बंगाल	87.8	1419	16.16	1561	17.78
26.	मिजोरम	21.1	–	–	551	26.11
27.	सिक्किम	7.3	62	–	62	8.49
28.	त्रिपुरा	10.5	200	19.05	200	19.05

[हिन्दी]

दूरसंचार क्षेत्र में संयुक्त उद्यम

994. **श्री रामपाल सिंह :**
श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री आनन्द अहिरवार :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुनियादी सेवाओं, मूल्य वर्धित सेवाओं, रेडियो पेजिंग सेवाओं तथा उपग्रह संचार सेवाओं के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम लगाने के संबंध में दिसम्बर, 1994 के दौरान कोई शिष्टमंडल भारत आया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरसंचार के क्षेत्र में भारत और दूसरे देशों के बीच कुछ समझौते हुये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). जी, हां। कुवैत, जापान, आस्ट्रेलिया और मलेशिया के शिष्टमण्डलों ने दिसम्बर, 1994 के दौरान भारत का दौरा किया।

(ग) दिसम्बर,1994 में भारत और विदेशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राज्य बिजली बोर्डों पर देय बकाया राशि

995. **श्री रामकृष्ण कुसमरिया :**
श्री बलराज पासी :
श्री विश्वनाथ शास्त्री :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य बिजली बोर्डों द्वारा भुगतान न किए जाने के कारण केन्द्रीय विद्युत एजेंसियों को देय राशि में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1994 तक राज्य बिजली बोर्डों पर बकाया राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य बिजली बोर्डों को तत्काल भुगतान करने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) 31 दिसम्बर, 1994 को राज्य विद्युत बोर्डों और अन्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत निगमों को देय बकाया राशियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राज्य बिजली बोर्डों को तत्काल भुगतान करने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए उठाए जाने वाले कदमों में चूककर्ता राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों को विभिन्न स्तरों पर मंत्रालय से दी जाने वाली सलाह शामिल है कि वह अपनी बकाया राशियों का भुगतान करे; सम्बन्धित राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें, राजस्व एकत्र करने हेतु सशक्त अभियान; राज्य बिजली बोर्डों द्वारा चूक के मामले में, जब भी वास्तविक और तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो, विद्युत आपूर्ति को काटना/प्रतिबंध/पुनः विद्युत आवंटित करना और उपयुक्त राशि के साख पत्रों को खोलने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को तैयार करना शामिल है।

विवरण

31 दिसम्बर, 1994 को विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों और अन्य विद्युत यूटिलिटियों की ओर सी पी एस यू की बकाया राशियां

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	रा.वि.बोर्ड/ राज्य	आरईसी 12/94	एनटीपीसी 12/94	नीपको 12/94	डीवीसी 12/94	एनएचपीसी 12/94	पीएफसी 12/94	पीजीसी 12/94
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	12.13	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	33.34
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.08	0.00	2.25	0.00	-0.34	0.00	-0.01
3.	असम	54.73	0.00	70.95	2.15	34.87	0.00	0.04
4.	बिहार	163.12	320.77	0.00	647.19	5.97	67.67	-6.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	गुजरात	0.45	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00	−7.60
6.	गोवा	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	−1.37
7.	हरियाणा	0.00	325.19	0.00	0.00	201.55	0.00	6.10
8.	हिमाचल प्रदेश	0.01	10.70	0.00	0.00	16.99	0.00	−0.10
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0.22	246.01	0.00	0.00	60.79	0.08	−2.50
10.	कर्नाटक	0.00	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
11.	केरल	0.22	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92
12.	मध्य प्रदेश	105.48	202.87	0.00	0.00	0.00	0.00	−14.00
13.	महाराष्ट्र	0.00	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00	−7.45
14.	मणिपुर	2.44	0.00	8.10	0.00	14.71	0.79	0.96
15.	मेघालय	11.04	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	−0.08
16.	मिजोरम	2.58	0.00	2.64	0.00	0.85	0.20	−0.13
17.	नागालैंड	0.47	0.00	6.33	0.00	2.68	1.68	0.39
18	उड़ीसा	63.82	60.45	0.00	2.32	1.59	15.34	−1.08
19	पंजाब	0.00	35.24	0.00	0.00	42.27	0.33	−5.60
20.	राजस्थान	37.06	161.03	0.00	0.00	25.88	9.90	7.80
21.	सिक्किम	0.15	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
22.	तमिलनाडु	0.23	86.35	0.00	0.00	0.00	0.00	22.03
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	1.71	0.00	3.55	0.00	−0.23
24.	उत्तर प्रदेश	211.12	782.89	0.00	0.00	148.00	117.81	66.60
25.	प. बंगाल	103.50	53.06	0.00	179.15	5.15	32.54	1.24
26.	डेसू	0.00	347.46	0.00	0.00	107.30	0.00	6.20
27.	डीवीसी	0.00	115.08	0.00	0.00	0.15	0.00	7.98
28.	डीएनएच	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	−0.34
29.	यूटीसी	0.00	1.30	0.00	0.00	−0.53	0.00	0.20
30.	नीपको	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00
31.	दमन और दीव	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	−0.22
32.	पाण्डिचेरी	0.00	−1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
33.	सहकारितायें	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	राज्य सरकारें	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पावर ग्रिड	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		775.63	3064.74	92.78	830.81	674.08	246.34	117.24

31 दिसम्बर, 1994 को संचयी राशि 5801.62 करोड़ रुपये।

आरईसी : ग्रामीण विद्युतीकरण निगम

एनटीपीसी : राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम

नीपको : उत्तर-पूर्वी विद्युत शक्ति निगम

डीवीसी : दामोदर घाटी निगम

एनएचपीसी : राष्ट्रीय जल विद्युत निगम

पीएफसी : विद्युत वित्त निगम

पीजीसी : पावर ग्रिड निगम

सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन

996. **श्री तारा सिंह :**
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन हेतु बोली देने में सरकारी कंपनियों की भागीदारी पर प्रतिबंध लगाने संबंधी मार्ग-निर्देश घोषित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) बोली में भागीदारी करने वाली निजी क्षेत्र की कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में जारी किए गए मार्ग-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). जी, नहीं। सरकारी कम्पनियों सहित कोई भी पंजीकृत भारतीय कम्पनी सेल्यूलर मोबाइल सेवा को निविदा के लिए बोली दे सकती है।

(ग) 20 क्षेत्रीय सर्किलों में फ्रेंचाइज आधार पर सेल्युलर मोबाइल सेवा की निविदा अभी भी खुली है। बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.3.1995 है। निजी क्षेत्र की कम्पनियों की भागीदारी के ब्यौरों की जांच बाद में की जाएगी। दिल्ली, बम्बई कलकत्ता और मद्रास में, जिन कम्पनियों को सेल्युलर मोबाइल सेवा के प्रचालन के लिए विशेषाधिकार दिया गया है, उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) निविदा मूल्यांकन का कार्य दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में, वाणिज्यिक, तकनीकी, वित्तीय तथा प्रचालन की पात्रता तथा मानदण्डों को पूरा करने वाली कम्पनियों को सूचीबद्ध किया जाएगा। दूसरे चरण में, उद्धृत सेल्यूलर लेवी की राशि तथा बोली में प्रस्तावित लेवी का भुगतान अनुसूची के आधार पर सूचीबद्ध बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन किया जाएगा।

विवरण

चार महानगरीय शहरों में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के प्रचालन से सम्बद्ध लाइसेंस धारकों की सूची

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	शहर
1.	मै. हचिसन मैक्स टैलीकॉम	बम्बई
2.	मै. बी पी एल सिस्टम्स एण्ड प्राजेक्ट्स लि.	बम्बई
3.	मै. भारती सैल्यूलर लि.	दिल्ली
4.	मै. स्टर्लिंग सैल्यूलर लि.	दिल्ली
5.	मै. ऊषा मार्टिन टेलीकॉम लि.	कलकत्ता
6.	मै. इण्डियन टेलीकॉम प्रा. लि.	कलकत्ता
7.	मै. स्काई सैल कम्यूनिकेशन प्रा. लि.	मद्रास
8.	मै. मोबाइल टेलीकॉम सर्विस प्रा. लि.	मद्रास

शांति स्थापना संबंधी आपरेशन

997. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में उन शांति स्थापना संबंधी आपरेशनों को बन्द करने के बारे में जोरदार तर्क दिया जिनकी इस समय कोई आवश्यकता नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त तर्क के पक्ष में कही गई बातों और संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुई आम सहमति का संक्षेप में ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख). संयुक्त राष्ट्र महासभा के 49 वें अधिवेशन की विशेष राजनीतिक तथा वि-उपनिवेशन समिति में एक वक्तव्य में भारतीय प्रतिनिधि ने यह कहा था कि उन कार्रवाइयों को बन्द करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए जो घटनाक्रम से निरस्त अथवा अपने प्रदेश के संदर्भ में अप्रासंगिक हो गई हों। शांति स्थापना कार्य के सभी पहलुओं के संबंध में संयुक्त राष्ट्र में विचार-विमर्श जारी है।

गुजरात में डाकघर

998. **श्री एन.के. राठवा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के लिए विशेष रूप से भरूच, बड़ौदा तथा पंचमहल जिलों में गत तीन वर्षों के दौरान तथा जनवरी, 1995 तक स्वीकृत किये गये शाखा डाकघरों, उप डाकघरों तथा विभागेत्तर डाकघरों की वर्ष-वार तथा स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या ये डाकघर खुल गये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ये डाकघर कब तक खोले जायेंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) वर्ष 1991-92 , 1992-93 तथा 1993-94 से संबंधित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। वर्ष 1994-95 के दौरान कोई डाकघर मंजूर नहीं किया गया। तथापि, गुजरात में 4 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 12 विभागीय उप डाकघर खोलने का लक्ष्य है।

(ख) से (घ). ये डाकघर खोले जा चुके हैं, सिवाय निम्नलिखित डाकघरों के, जो उपयुक्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण नहीं खोले जा सके।

डाकघर का नाम	जिला
सो टी एम चार रास्ता	अहमदाबाद
रइया रोड	राजकोट
घोगम्बा तथा मालवान	पंचमहल

जैसे ही उपयुक्त स्थान उपलब्ध होगा, ये डाकघर खोल दिए जाएंगे।

विवरण

गुजरात में वर्ष 1991–92 के दौरान मंजूर किए गए और खोले गए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों तथा विभागीय उप डाकघरों की स्थानवार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	मंजूर किए गए और खोले गए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर 1991–92	मंजूर किए गए और खोले गए विभागीय उप डाकघर 1991–92
1	2	3	4
1.	अहमदाबाद	1. वसना सोगठी	
		2. समेत्री	
		3. सिनोज	
2.	अमरेली	1. निगाला	1. अम्बुजनगर
		2. बोराला	
3.	बनासकांठा	1. भनदोत्रा	
		2. जसवन्तगढ़	
		3. कोटाडा	
		4. कुवारला	
		5. सुवना	
		6. नोखा	
		7. धारवाड़ी	
		8. समरवाड़ा	
		9. वाखा	
		10. रणपुर	
		11. सनोविया	
		12. सोवियाना	
		13. बोरवला	
		14. अगनवाड़ा	
4.	भरूच	1. एक्तेश्वर	1. पनोली आई.ई.
		2. ऋच्छीपुरा	
5.	भावनगर	1. कुनाबेली	
		2. खारिज	
6.	डांग	1. नकातियाहानुमत	
7.	गांधीनगर	1. पटोवाडी	1. गांधीनगर इलेक्ट्रानिक एस्टेट
		2. गियोड	
8.	जामनगर	1. अम्बाला नाना	1. सिक्का थर्मल पावर स्टेशन
		2. जामपुर	
		3. गाडु	
9.	जूनागढ़	1. गालियावाड़	
		2. मुलिया	
		3. जेपुर	
		4. मकतुपुर	

1	2	3	4
10.	महेसाणा	1. गनावडा	
		2. देलोली	
		3. वाडसेर-एयरपोर्ट	
		4. बारसा	
		5. बुदासान	
		6. मंदरोपुर	
		7. फलेतरा	
		8. गाजद्दिनपुर	
		9. खानपुर राजकुवा	
		10. सुरपुरा	
		11. सारदा	
		12. नेरडा	
		13. मेवाड़	
		14. खडोल	
		15. नानीकाडी	
		16. सुजातपुरा	
		17. जूनी-सेधावी	
		18. करषणपुरा	
		19. खटोडा	
		20. खोरेडा	
		21. धानोधारधा	
		22. खथी	
11.	पंचमहल	1. जेतपुर	
		2. टांडा	
		3. थाला	
		4. जाम्बा	
		5. धेवोला	
		6. लाखनपुर	
12.	राजकोट	1. केरल	
		2. भडियाड	
		3. कोठी	
		4. राणेपुर	
		5. अदबालका	
		6. खांडवी	
		7. अजमेर	
13.	साबरकांठा	1. बादोली	
		2. बलराम	
		3. अम्बा-महुदा	

1	2	3	4
		4. दांतोड	
		5. अंधवा	
		6. नारसोली	
		7. रायबांड़ा	
		8. बिलवानिया	
		9. अधेरा	
14.	सुरेन्द्रनगर	1. सोनगढ़	
		2. पिपलिया	
15.	सूरत	1. उमरकच्छ	
		2. धनतुरी	
		3. खिम्दुरला	
		4. गोमतलाव	
		5. वरदीपोडा	
		6. इतवाइ	
		7. पंच-पिपला	
		8. वाडपोडा	
16.	सूरत	9. असोरमा	
		10. शेरडी	
		11. हिरावडी	
17.	वलसाड	1. दाहीखेड	
		2. असतोड	
		3. दोरदई	
		4. नारनपुर	
		5. समरपाडा	
		6. रेचवानिया	
		7. अंकलेश-वलीवटी	
		8. टोराहवेरा	
		9. अरनाई	
		10. उमोरकुई	
		11. देवारतोड़ा	
		12. मोता अम्बा	
		13. नारननगर	
18.	वडोदरा	1. धोलपाइमेल	1. टी.वी. सेनीटोरियम
		2. संदेरपुरा	
		3. धोनोवा	
		4. करोडिया	
		5. भारवोडा	
		6. पंच-देवडा	
		109	5

विवरण

गुजरात में वर्ष 1992-93 के दौरान मंजूर किए गए तथा खोले गए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों तथा उप डाकघरों की स्थानवार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	1992-93 में मंजूर किए गए और खोले गए अति.वि.शा. डाकघर	1992-93 के दौरान मंजूर किए गए वि. उप डाकघर	1992-93 में खोले गए विभागीय उप डाकघर
1.	अहमदाबाद	नवानगर	"डी" केबिन साबरमती भोपाल	"डी" केबिन साबरमती भोपाल
2.	अमरेली	शियालवेट	–	–
3.	बनासकांठा	राडोसन	–	–
		अल्हाबाद	–	–
		मधुपरा		
4.	भरूच	–	–	–
5.	गांधीनगर	चिलोदा	गांधीनगर सैक्टर-6	गांधीनगर सैक्टर-6
6.	जामनगर	जुबानपुरा	–	–
7.	जूनागढ़	–	सिद्धीग्राम काम्प्लेक्स	सिद्धीग्राम काम्प्लेक्स
8.	महेसाणा	दाउदतुरा	–	–
		शमशेरपुरा		
9.	राजकोट	बखलवाड		
		बेनासार		
10.	पंचमहल	कुलामुल	–	–
		टिम्बला		
		जिम्जबा		
11.	साबरकांठा	चंदवासा	–	–
		कडवडी		
12.	सूरत	–	–	–
13.	वडोदरा	बोरधा	–	–
		वीरपुर		
		दामोली		
		कालीडोडी		
		अम्बादुनगर		
		पधारवाट		
14.	बलसाड	साहुडा		–
		गडारीट		
		मालवा		
		पाली		
		भावथान-अम्बोसी		
		बाबर-खड़क		
		वेलपारवां		

विवरण

गुजरात में वर्ष 1993-94 के दौरान मंजूर किए गए और खोले गए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों तथा उप डाकघरों की स्थानवार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	1993-94 में मंजूर किए गए और खोले गए अति.वि.शा. डाकघर	1993-94 के दौरान मंजूर किए गए वि. उप डाकघर	1993-94 में खोले गए विभागीय उप डाकघर
1.	अहमदाबाद	चामला	सीटीएम चार रास्ता	–
2.	अमरेली	–	–	–
3.	बनासकांठा	धनपुरा	–	–
4.	भरूच	अभियार कलविकुआ	–	–
5.	गांधीनगर	–	–	
6.	जामनगर	देवदिया, चिरोदासांग	–	
7.	जूनागढ़		–	
8.	महेसाणा	खिड़ाडियारी	–	
9.	राजकोट	–	–	–
10.	पंचमहल	थाला बेलपुरा मटरियाव्यास	मालवान चौगम्बा	–
11.	साबरकांठा	बंधोल	–	
12.	सूरत	–	के आई एम चार रास्ता	के आई एम चार रास्ता
13.	वडोदरा	सिंधी कुवा बनकाला	–	–
14.	वलवाड	लकड़वारी छोटन	– –	– –

[हिन्दी]

हिन्दू तीर्थयात्रियों की पाकिस्तान यात्रा

999. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :**
श्री पंकज चौधरी :
कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री गुरुदास कामत :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान की यात्रा करने वाले भारतीय हिन्दू तीर्थयात्रियों को परेशान किये जाने के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान तथा बंगलादेश में हिन्दू सहित अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ कथित ज्यादतियां बरते जाने तथा वहां गिराये जा रहे मन्दिरों के बारे में रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). पाकिस्तान की यात्रा पर जाने वाले भारतीय हिन्दू तीर्थयात्रियों को पेश आ रही बाधाओं और दिक्कतों की सरकार को जानकारी है। सरकार यह मामला पाकिस्तान के साथ उठाती रही है और पाकिस्तान से बार-बार यह अनुरोध करती रही है कि वह धार्मिक स्थलों के दर्शनों के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच 1974 में सम्पन्न प्रोटोकोल के प्रावधानों के तहत अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करे।

(ग) और (घ). सरकार ने पाकिस्तान और बंगलादेश में अल्पसंख्यकों, जिनमें हिन्दू भी शामिल हैं, को पेश आ रही विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों, भेदभाव और दिक्कतों के संबंध में खबरें देखी हैं।

पाकिस्तानी तथा बंगलादेशी नागरिकों, जिनमें अल्पसंख्यक समुदायों के लोग भी शामिल हैं, की संरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित सरकारों की है। अपने नागरिकों के अधिकारों की संरक्षा करना उनका दायित्व है।

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता

1000. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**
श्री राम नाईक :
श्री जगमीत सिंह बरार :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 फरवरी, 1995 को "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित "सुरक्षा परिषद सीट को कश्मीर से जोड़ा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने अमरीकी अधिकारी का सन्दर्भगत वक्तव्य देखा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पुनर्संरचना के संबंध में भारत के विचारों से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय भलीभांति परिचित है।

ईरान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

1001. **श्री सुधीर राय** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में ईरान तथा भारत के बीच संबंध बेहतर हुए हैं;

(ख) क्या दोनों देशों के बीच कोई गलतफहमी पैदा हो गयी, जिसके कारण ईरान के राष्ट्रपति ने भारत का अपना प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारत इस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रहा है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) हाल की अवधि में भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय सहयोग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यह सहयोग, जो बहुमुखी स्वरूप का हो गया है, दोनों देशों के परस्पर लाभ का है तथा इस क्षेत्र में शान्ति एवं स्थायित्व का एक घटक है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक-एक कर के बोलिये।

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, मैं जो मामला उठाना चाहती हूं वह बहुत महत्वपूर्ण है। करीब एक-डेढ़ वर्ष से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में राजनीतिक द्वेष-वश, जानबूझ करके, कुछ राजनीतिक लोगों को कुचलने की और खासकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुचलने की एक कुचेष्टा चल रही है जिसका शिकार अभी 15-20 दिन पहले मेरा परिवार हुआ है।

मैं न्यायालय की प्रक्रिया में कुछ बोल नहीं सकती हूं और मुझे अदालत में पूरी आस्था है, लेकिन मेरे मामले में जैसी राजनीति जोड़ी गई है, उसको मैं आपके माध्यम से सदन को जरूर बताना चाहती हूं और आपका इस मामले में न्याय और संरक्षण चाहती हूं।

छः तारीख को मेरे ही गांव में, आपस की मार-पीट में ननुआ लोधी नाम का एक व्यक्ति गम्भीररूप से घायल हुआ और उसे मेरे राजनीतिक विरोधियों ने पांच घंटे तक गांव में ही रखने के कारण ओवर ब्लीडिंग होने और चिकित्सा समय पर न मिलने के कारण, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट भी यही बताती है कि उसकी मृत्यु समय पर चिकित्सा नहीं मिलने के कारण हुई है।

एफ.आई.आर. में मेरे ही सगे बड़े भाई और उनके दोनों बच्चे, जिनमें से एक की उम्र 18 वर्ष और दूसरे की आयु 14 वर्ष है, उनके नाम जोड़े गए हैं। मेरा भतीजा घटनास्थल से 80 किलोमीटर की दूरी पर, घटना के समय पर ही, दसवीं क्लास का बोर्ड का इम्तिहान दे रहा था और पुलिस ने उसको उसी स्थान से जाकर गिरफ्तार किया है। मेरे बड़े भाई और उनका छोटा बच्चा, जो कि 14 साल की आयु का है, उसको इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि मार-पीट में बचाव करने के लिए, मृतक को बचाने के लिए वह वहां पर पहुंचा था। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, स्वयं उसकी पत्नी ने, अदालत में उपस्थित होकर शपथपत्र दिया है कि उमा भारती के भाई और उमा भारती के भतीजों का मेरे पति की हत्या से कोई लेना-देना नहीं है।

मेरा भतीजा, जो 80 किलोमीटर की दूरी पर, उसी समय पेपर दे रहा था, उसके परीक्षा अधीक्षक ने लिखकर दिया है कि ठीक उसी समय पर 80 किलोमीटर की दूरी पर टेंथ बोर्ड का, गणित का अतिमहत्वपूर्ण पेपर वह दे रहा था। इसके बाद भी मेरे भाई धारा 302 के अधीन जले में हैं। मेरा 18 साल का भतीजा जेल में है। मेरा 14 साल का भतीजा तीन दिन तक जेल में रखा गया जबकि वह बच्चा है और 14 साल का है, लेकिन उसको बड़ों की जेल में रखा गया और मेरा, जो सबसे छोटा भतीजा है, जिसकी उम्र 8 साल की है, उसको भी पुलिस ने अपनी हिरासत में 24 घंटे तक रखा।

जीप के अन्दर बन्द करके रखा। उसको कई बार मुर्गा बनाकर पीटा गया। उसके हाथ-पांव सूजे हुए हैं, लोगों ने जाकर देखा है, मैंने

प्रैस रिपोर्टर्स को ले जाकर दिखाया है, मध्य प्रदेश विधान सभा से जो डैलीगेशन गया था, उसे भी दिखाया है। मैं यह मामला यहां इसलिए उठा रही हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप इस मामले में हमें संरक्षण दें। हम लोगों की छवि को खराब करने ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कोर्ट को क्या करना चाहिए, यह सदन कैसे बता सकता है।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपने उमा भारती जी को यह मामला उठाने का अवसर दिया, हम आपके आभारी हैं। आपने जो कुछ सुना और सारे सदन ने जो कुछ सुना, उससे यह स्पष्ट है कि मामला गंभीर है। राजनैतिक विद्वेष के कारण, क्योंकि उमा भारती संसद की सदस्या हैं, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं इसलिए कहीं कोई भी कांड हो जाए तो उनके घरवालों को गिरफ्तार करो, हत्या के जुर्म में फंसा दो, यह एक ऐसा मामला है जिसपर पूरे सदन को ध्यान देना होगा और मैं चाहता हूं कि आप गृह मंत्री से कहें कि वे मध्य प्रदेश से सारी जानकारी एकत्र करके सदन को विश्वास में लें। ...**(व्यवधान)** इसका इलाज क्या है?

अध्यक्ष महोदय : इसका इलाज मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी आदमी के खिलाफ कोई गलत केस दाखिल किया जाता है तो अपील के लिए आप दूसरे कोर्ट में जा सकते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये एक प्रक्रिया है। मैं माननीय सदस्य की सहायता अवश्य करता।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह तो आप सामान्य नियम की बात कह रहे हैं, कानून की बात कह रहे हैं। लेकिन यदि पार्लियामैंट के मैम्बर के कारण उसके परिवार वालों को परेशान किया जा रहा हो तो उसका क्या निदान है?

अध्यक्ष महोदय : यह सही है या गलत है, हम यहां पर दूसरी तरफ की बात सुने बगैर कैसे कह सकते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, मैं माननीय सदस्य की सहायता अवश्य करता, लेकिन यह सम्भव नहीं है।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : मेरे 18 साल के भतीजे को नंगा करके, हथकड़ी पहनाकर घुमाया गया और जगह-जगह पर यह कहा गया कि यह उमा भारती का भतीजा है...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने इसे उजागर किया है। यह आवश्यकता से अधिक है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कोर्ट का काम पार्लियामैंट नहीं करेगा, पार्लियामैंट का काम कोर्ट को नहीं करना चाहिए क्योंकि बाद में परेशानी हो सकती है।

(व्यवधान)

कुमारी उमा भारती : हमें आपका संरक्षण चाहिए, आपको हमें बचाना पड़ेगा। ...**(व्यवधान)**

श्री दाऊ दयाल जोशी : यह महत्वपूर्ण मामला है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको मामला उठाने दिया, बस हो गया।

(व्यवधान)

कुमारी उमा भारती : हमारा आग्रह है कि आप गृह मंत्रालय के साथ हमारी बात तो करवाएं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे ज्यादा बोलने का चांस मत दीजिए, मामला बिगड़ जाएगा।

(व्यवधान)

कुमारी उमा भारती : आप इस मामले की जांच तो करवाएं कि मेरे भतीजे को हथकड़ी पहनाकर घुमाते हुए यह कहा गया या नहीं कि यह उमा भारती का भतीजा है। **(व्यवधान)***

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री हरपाल पंवार (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, पहली मार्च को दिल्ली के लालकिले के मैदान में शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हुए किसानों पर लाठी चार्ज किया गया। यह बहुत गंभीर घटना है। चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत समेत 40 आदमियों को जेल में ठूंसा गया और गंभीर रूप से घायल किसानों को अस्पताल में भर्ती किया गया। 400 से ज्यादा गैस के गोले छोड़े गए। उनकी आंखें सूजी हुई थी, मैंने जेल में जाकर देखा है। बड़े दुख की बात है कि एक किसान जानकी प्रसाद तिवारी की, जो बुलंदशहर जिले के रहने वाले हैं, बाद में मृत्यु भी हो गई। वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों के समर्थन में बैठे थे। उनसे बातचीत तो नहीं की गई, लेकिन उन पर लाठी बरसाई गई।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

शांतिपूर्वक धरने पर बैठे लोगों पर इस तरह से लाठी चार्ज कभी नहीं किया जाता। मेरा आपसे निवेदन है कि जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रान्तों में अपनी मांगें रखी हैं, केन्द्र सरकार के सामने रखी हैं, उनकी मांगों पर विचार न किया जाना बहुत दुख की बात है। इस घटना की न्यायिक जांच सरकार को तुरन्त मान लेनी चाहिए। उनकी मांगें, जिनमें 10 हजार रुपये के कर्ज की माफी, उत्तर प्रदेश सरकार को सौ करोड़ रुपया देना था जो केन्द्र सरकार के साथ उनका लगान माफ करने के लिए वायदा हुआ था, पूरे देश में 24 घंटे बिजली दी जाए, 1967 को आधार वर्ष मानकर फसलों का समर्थन मूल्य तक किया जाए, आदि मानी जानी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से सरकार से आश्वासन चाहता हूं कि सरकार इस घटना की न्यायिक जांच की मांग मानती है और उनकी मांगों को मानने का आश्वासन देती है। इस पर सरकार का जवाब आना चाहिए। ...(**व्यवधान**) सरकार इसपर कोई जवाब नहीं दे रही है इसलिए मैं सदन से वाक आउट करता हूं।

[अनुवाद]

12.09 म.प.

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : वास्तविकता क्या है? क्या सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया होगी या नहीं? हम इसके बारे में सच्चाई जानना चाहते हैं। माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। लेकिन कोई भी इसका उत्तर नहीं दे रहा है। ...(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, आल इण्डिया मैडीकल साइंसेज में पिछले कुछ दिनों से इस संस्थान के सीनियर रजिडेंट डाक्टरों द्वारा हड़ताल की गई है। इस हड़ताल के चलते लोगों को असुविधा हो रही है। इस प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान में स्थानीय तथा देश के विभिन्न भागों से हजारों की संख्या में रोगी यहां चिकित्सा के लिए आते हैं, चिकित्सा परामर्श के लिए आते हैं, किन्तु सीनियर रजिडेंट डाक्टरों की हड़ताल के कारण उनको निराश लौटना पड़ रहा है या मरणासन्न रोगी वहीं बाहर अपना दम तोड़ रहे हैं। कई मरीज जो बाहर से आये हुए हैं, वे वहां पर बाहर पड़े हुए हैं। ऐसी अवस्था में सरकार से चिकित्सकों द्वारा मांग की गई है कि हमारी समस्याओं का तुरन्त समधान किया जाय लेकिन सरकार से बार-बार आग्रह करने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला है। इसके कारण देश के विभिन्न भागों से आये मरीज तथा स्थानीय मरीज हजारों की संख्या में आज संकटपूर्ण स्थिति में हैं, कई मरणासन्न हालत में हैं।

मेरा स्वास्थ्य मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह है, निवेदन है कि वह इस मामले को तुरन्त देखें और इस संस्थान को बचायें। साथ-साथ जो हजारों की संख्या में मरीज आज वहां पर तडप रहे हैं, उनको भी मौत से बचाने का कार्य करें ताकि यह समाधान शीघ्र हो सके, यह प्रयत्न हो। अन्यथा यह संकट अगर और गहराया तो लोगों की कठिनाइयां और बढ़ेंगी। यह एक अच्छा चिकित्सा संस्थान है, उसके कारण लोगों को जो सुविधा है, उससे लोग वंचित न रहें, इस बात का मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं।... (**व्यवधान**)

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। कई दिनों से वहां हड़ताल चल रही है। डाक्टरों की जायज मांग है लेकिन मंत्री महोदय ने आज तक नोटिस नहीं लिया है। इस पर आपके आदेश से मंत्री महोदय का वक्तव्य जरूर आना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : यह एक महत्वपूर्ण मामला है। सरकार को इस पर एक वक्तव्य देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।*

अध्यक्ष महोदय : मैं आशा रखता हूं कि सरकार इस पर वक्तव्य देगी।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के सिलसिले में सदन का और सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि संसदीय विभाग के मंत्री इस पर कुछ रैस्पोंस करें।

जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए जो कण्ट्रासैप्टिव इम्पोर्ट होता है, उस सिलसिले में अमेरिका से 20 लाख पेयर ट्यूबल रिंग्स इम्पोर्ट किये गये थे। इस सिलसिले में मुझे यह कहना है कि हिन्दुस्तान की कम्पनियों को भारत सरकार ने कहा था कि वह भी बनाकर कण्ट्रासैप्टिव दें। स्वदेशी कण्ट्रासैप्टिव का पर पेयर दाम 20 रुपये होता है, जबकि अमेरिकी कण्ट्रासैप्टिव ट्यूबल रिंग्स का दाम 38 रुपये होता है।

इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो ब्यूरो आफ इण्डियन स्टैण्डर्ड है, उसके द्वारा अमेरिकी कण्ट्रासैप्टिवल ट्यूबल रिंग्स की परीक्षा की गई थी, जिसमें वह सब स्टैण्डर्ड पाये गये। सब स्टैण्डर्ड पाये जाने पर भारत सरकार का और हमारी पार्लियामेंट का कानून है। हिन्दुस्तान की जो सबसे अपैक्स लैबोरेट्री होती है, हिन्दुस्तान की उस सैण्ट्रल ड्रग लैबोरेट्री में यह परीक्षा होने के बाद जब वह फाल्टी पाया गया और सरकार को यह पता चल गया कि यह फाल्टी है तो उसको लौटाने के बजाय सरकार ने उसको अमेरिका को भेजा। उसको अमेरिका में परीक्षा की गई और वह ठीक पाया गया, ऐसा सरकार से कहा गया, जिसको सरकार ने मान लिया।

मेरा यह सवाल है कि यह 6 करोड़ रुपये का सवाल है, 6 करोड़ रुपया सरकार को देना है। इम्पोर्टेड कण्ट्रासैप्टिव्ज के बारे में जब हिन्दुस्तान की लैबोरेट्री ने कहा कि यह सब स्टैण्डर्ड है तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में सदन को बतायें कि इस

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

बारे में क्या स्थिति है? मेरी जानकारी है कि अभी तक यह कण्ट्रासैप्टिव राज्यों को नहीं दिया गया और इस्तेमाल नहीं हो रहा है। एक तरफ तो जो इम्पोर्टेड ट्यूबल रिंग है, वह इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, दूसरी चीज यह है कि हिन्दुस्तान की जो लैबोरेट्री है, उसने यह माना है कि यह सब स्टैण्डर्ड है।

मैं आपके जरिये कहना चाहता हूं कि सारे अखबार वाले यह कह रहे हैं कि यह एक स्कैण्डल के रूप में आ गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कण्ट्रासैप्टिव जबकि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का एक बहुत अहम् हिस्सा होता है, उसमें कण्ट्रासैप्टिव का 6 करोड़ रुपये का घोटाला है। मैं आपके जरिये जानना चाहता हूं कि इसमें क्या स्थिति है? सरकार इसके बारे में बयान दे।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि भारत सरकार ने इस सदन तथा देश को उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड क्षेत्र के लोगों की भारतीय संघ के अंदर पृथक राज्य सम्बन्धी मांग के बारे में विश्वास में नहीं लिया है। आप जानते ही हैं कि एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। हमें पहले ही उन घटनाओं की जानकारी है, जिसमें दिल्ली आने वाले प्रर्दशनकारियों का निर्ममतापूर्वक दमन किया गया। आज भी अपनी आवाज उठाने के लिए हजारों लोग देहरादून तथा उत्तराखंड क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों से आये हैं। वे बिलकुल शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार उनकी मांग को पूरा करेगी अथवा क्या उनकी मांग को अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया है या राज्य विधान सभा द्वारा दो बार पृथक उत्तराखंड राज्य का समर्थन करने सम्बन्धी पारित प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुये आन्दोलन के प्रतिनिधियों से बातचीत करने का निर्णय किया गया है। केन्द्र को कम से कम इस बारे में पहल करनी चाहिये और हमें बताना चाहिये कि इस बारे में क्या होने जा रहा है। अन्यथा यह आंदोलन न तो शांत होगा और न ही इसका दमन किया जा सकेगा। यह और अधिक तेज होता जायेगा। हम आशा करते हैं कि इस मामले को बिना अधिक तनाव और विवाद के निपटाया जायेगा। हम चाहते हैं कि सरकार इस बारे में एक वक्तव्य दें और बतायें कि सरकार का पृथक राज्य के बारे में क्या विचार है जिसका हम पूर्णतः समर्थन करते हैं।

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष जी, सरकार के अनिर्णय के कारण देश में कहां-कहां परिस्थिति बिगड़ रही है, उसकी सूची बनायी जाये तो उसका कोई अंत नहीं होगा। इन्द्रजीत जी ने उत्तराखंड के बारे में जो बात कही, मैं उसका समर्थन करते हुए, आपका ध्यान जम्मू-कश्मीर की तरफ ले जाना चाहता हूं। जम्मू-कश्मीर में क्या परिस्थिति है, लेह में किस तरीके से दो दिनों से बंद है, या कारगिल की क्या परिस्थिति है, मैं उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं। चुनावों को लेकर सरकार क्या करने जा रही है, किन को जम्मू-कश्मीर से बुलाया जा रहा है, किन को नहीं बुलाया जा रहा है, किस से बात हो रही है, किस से नहीं हो रही है, इनके बारे में तो हमें चर्चा करने का मौका मिल जायेगा, लेकिन एक पहलू जिसके बारे में कई महीनों से चिन्ता बनी हुई है वह है दरगाह चरारे-शरीफ।

मान्यवर, मैं इबादतगाह और दरगाह में क्या फर्क है, उसमें नहीं जाऊंगा। चरारे-शरीफ में जिस किस्म की अफवाहें उड़ रही हैं, उसमें से 4-5 बातें बहुत चिंताजनक हैं। ऐसा लगता है कि पिछले डेढ़-दो महीनों से उस दरगाह पर कब्जा है। यह सरकार द्वारा नहीं कहा गया है कि उस पर कब्जा नहीं है।

दूसरी चिंता की बात यह है कि उस दरगाह पर कब्जा विदेशी भाड़े के हथियारबंदों द्वारा है। मैं उनको सैनिक कह कर कोई उपाधि नहीं देना चाहता हूं। वे हथियारबंद हैं, सैनिक नहीं हैं, वे भाड़े के हैं और विदेशी हैं। उन्होंने पिछले 4-6 हफ्तों से उस दरगाह पर कब्जा किया हुआ है। उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें उड़ रही हैं। एक अफवाह आती है कि दरगाह उड़ा दी जायेगी। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से चंद अखबारों में दे दिया जाता है कि दरगाह नहीं उड़ायी जायेगी।

इसके साथ-साथ दूसरी चिंता की बात यह है कि जो हमारा रक्षक दल है या सेना है, वह कुछ नहीं कर रही है क्योंकि सरकार ने उन्हें कह दिया है कि कुछ मत करो। तीसरी बात यह है कि रेडियो और अखबारों में आता है कि जो जम्मू-कश्मीर में सरकारी नुमाइंदे हैं, वे कहते हैं कि दरगाह में जो विदेशी बैठे हैं, उनको कह दिया है कि तुम पाकिस्तान चुपचाप चले जाओ, हम तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। यह किस किस्म की व्यवस्था है? हिन्दुस्तान पर कब्जा किये हुए जो विदेशी हैं, वे हिन्दुस्तान को चुनौती हैं। उनको हिन्दुस्तान की सरकार कहे कि तुम चुनौती मत दो, तुम चुपचाप पाकिस्तान चले जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। यह देखना तो असम्भव है।

सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आता है। चुपचाप इस परिस्थिति को बिगड़ने दिया जा रहा है।

मैं इससे संबंधित दो-चार पहलुओं की ओर आपका और इस सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। पहला पहलू- सरकार की निष्क्रियता, यह हमें स्वीकार नहीं है। दूसरा पहलू-सेनाओं का हाथ बांध देना, यह भी हमें स्वीकार नहीं है। हम चाहेंगे कि सरकार बताये कि उन्होंने सेना को क्या हुक्म दिया है, क्या आदेश दिया है। तीसरा पहलू-जो बहुत ही चिन्ताजनक है और जो हमको बहुत सताता है और वह यह है कि जो विदेशी उग्रवादी हैं और भारत में आकर बैठे हैं, चाहे डोडा हो या चरार-ए-शरीफ, उनके साथ हमारी सरकार कैसे बर्ताव करना चाहती है। कैसे उनसे निपटना चाहती है, इसके बारे में कोहरा हमको स्वीकार नहीं है। चौथा पहलू- हमको लगता है, दरगाह हजरतबल में जो वाक्या हुआ था, उससे सरकार ने कुछ सीखा नहीं है। हजरतबल में जो हुआ, मालिक की दुआ से सब ठीक हो गया। परन्तु अब लगता है कि मानों एक प्रकार का लाइसैंस दे दिया गया है जो जहां चाहे किसी भी दरगाह पर कब्जा कर ले और भारत सरकार को चुनौती देकर खड़ा हो जाए। इस पर आप केवल इतना ही कहेंगे कि आप जब चाहें हम पाकिस्तान भेज देते हैं। हजरतबल में जब

कब्जा हुआ था, तब भी आपने यही किया था। इस किस्म की भारत के शासन को, भारत देश को चुनौती हर महीने मिलती जाए, उस पर भी सदन में कुछ न कहे और सरकार भी कुछ न कहे, हमें यह स्वीकार नहीं है। मेरी केवल आपसे एक ही मांग है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस मांग को स्वीकृति प्रदान करें। सरकार वक्तव्य दे कि चरार-ए-शरीफ में क्या हो रहा है और जो हो रहा है, वह कब तक चलता रहेगा और सरकार क्या करने जा रही है। इसके ऊपर वक्तव्य आज ही आना चाहिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें अनेक अध्यादेश पारित करने हैं। मेरे विचार से इन्हें इस मास की 24 तारीख से पहले पारित करना है और फिर अध्यादेश। यहां से दूसरे सदन को जाने हैं और वहां पारित होने हैं। हमें दोनों सदनों में दिये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा करनी है। बजट पर सामान्य चर्चा 31 तारीख से पहले पूरी की जानी है ताकि मांगें स्थायी समितियों को भेजी जा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरा अनुरोध है कि हमारे पास कार्यसूची में शामिल विषयों पर चर्चा करने के लिये बहुत कम समय है। हम आपस में ही निर्णय ले लें कि हर दल से एक सदस्य इनमें से एक विषय पर बोले तथा इन विषयों पर एक से अधिक सदस्य न बोलें ताकि हम कार्य को समय पर पूरा कर सकें। इस प्रकार हम कार्य को पूरा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष जी, आप जैसा कहेंगे, हम वैसा कर लेंगे। परन्तु जो मैंने निवेदन किया है, उसकी भी सुनवाई होनी चाहिये। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : श्री जसवंत सिंह द्वारा उठाया गया मामला एक गम्भीर मामला है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लेंगे।

12.12½ म.प.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिसूचना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : मैं श्री बलराम सिंह यादव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 104(अ), जो 16 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि गोवा राज्य के भीतर खनिजों के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक गोवा राज्य सरकार द्वारा भी प्रयोग की जाएंगी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7102/95]

कोचीन पत्तन न्यास, तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1993-94 में वार्षिक लेखे, लेखा परीक्षित लेखाओं की समीक्षा तथा पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1993-94 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7103/95]

(ख) (एक) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1993-94 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7104/95]

(ग) (एक) पाराद्वीप पत्तन न्यास के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) पाराद्वीप पत्तन न्यास के वर्ष 1993-94 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7105/95]

(3) (एक) नाविक भविष्य निधि संगठन के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नाविक भविष्य निधि संगठन के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नाविक भविष्य निधि संगठन के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7106/95]

भारतीय तार (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 1994 भारतीय डाकघर (आठवां संशोधन) नियम, 1994 आदि

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 1994, जो 19 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 868(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7107/95]

(2) भारतीय डाक घर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (आठवां संशोधन) नियम, 1994, जो 12 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 860(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7108/95]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7109/95]

(5) दूरसंचार विभाग के वर्ष 1992-93 के लाभ और हानि खाते तथा तुलन-पत्र (प्रोद्भवन के आधार पर) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7110/95]

ऊर्जा प्रबन्ध केन्द्र, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा और पत्रों के सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखती हूं :—

(1)(एक) ऊर्जा प्रबंध केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऊर्जा प्रबंध केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय मे रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7111/95]

(3) (एक) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 45 की उपधारा (5) के अंतर्गत दामोदर घाटी निगम, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दामोदर घाटी निगम, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7112/95]

(5) (एक) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7113/95]

———

12.24 म.प.

लोक लेखा समिति

तिरासीवां प्रतिवेदन

स्क्वैड्रन लीडर कमल चौधरी : मैं सीमा शुल्क प्राप्तियां-'अधिनियम में किसी उपबंध की अनुपलब्धता के कारण राजस्व की हानि' के बारे में लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) का तिरासीवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.24½ म.प.

परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति

बारहवां प्रतिवेदन

श्री पीटर जी. मरबनिआंग : मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन और परिवहन के विकास के बारे में परिवहन और पर्यटन संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.25 म.प.

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)—1994-95

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं वर्ष 1994-95 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7101/95]

12.26 म.प.

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक*

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि :

"लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एच.आर. भारद्वाज मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 20.3.95 भारत के राजपत्र (असाधारण,) भाग दो, खंड दो में प्रकाशित।

12.27 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) होस्पेट-हसन-मंगलौर छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता

श्री के.जी. शिवप्पा (शिमोगा) : निजी क्षेत्र की एक कम्पनी ने 10 लाख टन क्षमता का एक एकीकृत इस्पात संयंत्र मंगलौर में स्थापित करने का प्रस्ताव किया है जिसकी अनुमानित लागत 2 हजार करोड़ रुपये होगी। राज्य सरकार ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिये सभी आवश्यक सहायता देने का निर्णय किया है। यह इस्पात संयंत्र आयातित कोयले पर आधारित होगा और मंगलौर में इसके लिये पत्तन सुविधायें उपलब्ध होंगी। इस्पात संयंत्र के लिये लोह अयस्क की सम्पूर्ण मात्रा की सप्लायी बैललारी-होस्पेट क्षेत्र से होगी।

इस समय मंगलौर बरास्ता चित्रदुर्ग तथा हसन मीटरगेज लाईन द्वारा बेललारी होस्पेट से जुड़ा हुआ है। इसलिए बेललारी होस्पेट से मंगलौर के लोह अयस्क की सप्लायी हसन में बड़ी लाईन से छोटी लाईन द्वारा करनी पड़ेगी। इससे रेलवे को कठिनाई होगी तथा इस्पात संयंत्र के संचालन में भी कठिनाई आयेगी।

अतः मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि होस्पेट-हसन-मंगलौर लाईन को बड़ी लाईन में बदलने के लिये तत्काल कदम उठाये जायें और उच्च प्राथमिकता दी जाये।

[हिन्दी]

(दो) रोजेस (नीलगाय) से फसलों की सुरक्षा की आवश्यकता

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान, विशेषकर पाली जिले में हमारे कृषि क्षेत्र के काश्तकारों के द्वारा काश्त के समय बहुत बड़ी तादाद में रोजेस, जो नीलगाय के नाम से जानी जाती है, उनके द्वारा उत्पात करने से काश्तकारों की सारी काश्त बर्बाद हो जाती है। महोदय, यह खड़ी काश्त को बर्बाद कर देते हैं। केन्द्रीय सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा पिछले 5-6 वर्षों से लगातार यहां पर कष्ट उठाने के पश्चात् भी इस समस्या का हल नहीं किया गया है।

श्रीमन्, राजस्थान के काश्तकार, विशेष तौर से पाली जिले के काश्तकार बहुत त्रस्त हैं और उनकी आंखों के सामने रात-रात भर तक उनको अपने खेत के अंदर खड़े रहकर, नींद खो कर अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ती है। उसके बाद भी काश्त बर्बाद हो जाती है और वे खड़े-खड़े आंसू बहाते हैं, सरकार कुछ भी नहीं करती।

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार रोजेस (नीलगायों) की समस्या को हल करने के लिए उनकी फेंसिंग बनाए और काश्तकारों को अधिकार दे कि किस प्रकार से वे अपना बचाव कर सकें और अपनी फसल की रक्षा कर सकें।

[अनुवाद]

(तीन) **पूर्व रेलवे के सियालदाह-लालगोला रेलवे सेक्शन के आधुनिकीकरण और विद्युतीकरण करने के लिये शीघ्र कदम उठाये जाने की आवश्यकता**

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बहरामपुर) : पश्चिम बंगाल में पूर्व रेलवे के अन्तर्गत सियालदाह-लालगोला रेलवे सेक्शन इस समय यात्रियों की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। इस सेक्शन को आधुनिक बनाने के लिये कोई कदम नहीं उठाए गए स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से कृष्णानगर से बहरामपुर तक रेल लाईन का विद्युतीकरण करने अथवा इसी लाइन का लालगोला तक विद्युतीकरण करने की स्थानीय लोगों की मांग को पूरा करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। लोगों की रानाघाट जंक्शन से लालगोला स्टेशन तक डीएमईयू की मांग लम्बे समय से स्वीकार नहीं की गई है। इस सियालदाह-लालगोला सेक्शन का विशेष महत्व है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस सेक्शन का आधुनिकीकरण, विद्युतीकरण तथा समग्र विकास सुनिश्चित करे।

(चार) **मुम्बई बम कांड के दोषी व्यक्तियों के मामलों की शीघ्र जांच करने तथा उन्हें सजा दिलाने की आवश्यकता**

श्री राम नाईक (बम्बई उत्तर) : दो वर्ष हो गये मुम्बई में 12 मार्च, 1993 को हुये बम विस्फोट में 300 से अधिक व्यक्ति मारे गये थे, हजारों व्यक्ति घायल हुये और करोड़ों रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो गयी थी। प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान ने इन बम विस्फोटों का षडयंत चलाया था और सरकार शीघ्र ही इसकी जांच करेगी ओर दोषीकर्मियों को सजा देगी। राज्य के विरूद्ध उपद्रव फैलाने के अपराध सहित विभिन्न अपराधों के लिए 196 व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किए गए।

दो वर्ष बीत चुके हैं परन्तु अभी तक सभी अपराधी पकड़े नहीं गये हैं। मुकदमा बड़ी धीमी गति से चल रहा है। मुम्बई विस्फोटों से कुछ मास पूर्व यू.एस.ए. में भी ऐसे ही विस्फोट हुये थे। अपराधियों को न केवल गिरफ्तार किया गया है। बल्कि उन्हें सजा भी दे दी गयी है। मुम्बई विस्फोटों के मामले में हुये अत्यधिक विलम्ब से देशवासियों खासकर बम्बई के लोगों के बीच चिंता और दुख व्याप्त है। इस मामले की सुनवाई करने वाले जजों को दुबई के आत्मघाती दलों से कई बार धमकियां मिल चुकी हैं।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि सभी अपराधियों को शीघ्र पकड़ा जाये तथा उन पर मुकदमा चलाया जाये।

(पांच) **असम में जोलोकी सुति नदी पर शीघ्र सड़क पुल बनाये जाने हेतु पर्याप्त धनराशि दिए जाने की आवश्यकता**

श्री बालिन कुली (लखीमपुर) : एक छोटी नदी जोलोकी सुति, जो असम और अरुणाचल प्रदेश में बहती हुई असम में धेमाजी जिले के अन्तर्गत जोनल सब डिविजन में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 से गुजरती है में मानसून मौसम में बाढ़ आ जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पहले बोर्डर रोड ओर्गेनाईजेशन के अधीन थी, लेकिन यह अब भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन है। धन की कमी के कारण नदी पर सड़क तथा पक्का पुल जनाने का काम रुका हुआ है।

यह सड़क अरुणाचल प्रदेश तथा असम से होकर गुजरती है। अतः इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। अतः मैं भूतल परिवहन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि सड़क निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिये राशि की व्यवस्था की जाये।

12.34 म.प.

सीमा-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश, 1994 के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प और सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब आज की कार्य सूची की मद संख्या 11 तथा 12 को लेगी। इसके लिये एक घंटे का समय नियत किया गया है। श्री जितेन्द्र नाथ दास संविधिक संकल्प पेश करेंगे।

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुडी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

> "कि यह सभा 31 दिसम्बर, 1994 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश 1994 (1994 का संख्यांक 14) का निरनुमोदन करती है"।

इस सम्बन्ध में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। यह अध्यादेश उरुग्वे राउंड कांफ्रेंस तथा वार्ता के फलस्वरूप आया है। इस देश के लोग इसके बारे में बहुत उद्वेलित हैं। वे इसका विरोध शुरू से ही करते आ रहे हैं। अतः हम अध्यादेश का निरनुमोदन करना चाहते हैं।

यद्यपि इस विधेयक में कुछ प्रतिबंध है। एक तरह से यह एक मीठी परत वाली कड़वी दवाई है।

आयात पर से प्रतिबंध हटा दिये हैं और सीमा शुल्क में कमी की जा चुकी है ताकि भारतीय उद्योग कार्यकुशल बन सके और विश्व अर्थ- व्यवस्था से इसका आदान-प्रदान हो सके। लेकिन भारत की वर्तमान स्थिति क्या है? भारत उद्योग के क्षेत्र में पीछे रह गया है। हमारे आयात में कमी हो रही है। भारत का आयात विश्व के आयात का 0.5 प्रतिशत है जबकि 1950 के दशक में यह आयात 2.5 प्रतिशत था। ये आंकड़े निःसन्देह चकित करने वाले हैं।

उद्योग के क्षेत्र में हम अब भी पिछड़े हुये हैं। भारतीय उद्योग का बचाव किया जाना चाहिये ताकि यह कार्यकुशल बन सके। मुझे खेद है कि हमारे वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने सीमा शुल्क और केन्द्रीय आबकारी सलाहकार परिषद की 34वीं बैठक में कहा था कि भारतीय उद्योग को दिये जा रहे आरक्षण में कमी करनी होगी। इस आरक्षण में कमी की आवश्यकता बहुपक्षीय वार्ता का उरुग्वे दौर के फलस्वरूप

पैदा हुई। साथ-साथ वित्त मंत्री हमें आश्वासन दे रहे हैं कि छोटे उद्योगों को कोई नुकसान नहीं होगा। श्री मनमोहन सिंह के अनुसार देशवासियों को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विरूद्ध लड़ायी लड़ने के लिये अपने आपको तैयार करना पड़ेगा क्योंकि हमने उनके आने के लिये दरवाजे खोल दिये हैं। यह लड़ाई दो असमान ताकतों के बीच है। मुझे इस बात में संदेह नहीं कि इस लड़ाई हमारे देश के लघु उद्योग लुप्त प्रायः हो जाएंगे।

हमारे देश में उपभोक्ता वस्तुओं—उद्योग बिना आरक्षण के जिंदा नहीं रह सकते। वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की शर्तों के अनुसार चल कर जिंदा नहीं रह सकते। वर्तमान में बहुत छोटे उद्योगों तथा उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माताओं के हितों के लिये घातक है।

भारत उरुग्वे रांउड आफ मल्टीलेटरल ट्रेड वार्ता को पूर्णतः स्वीकार नहीं कर सकता। सभी अंतर्राष्ट्रीय करारों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा विश्व विकसित देशों के हितों की झलक मिलती है। बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं का उरूग्वे दौर विश्व में नए बाजार का पता लगाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आवश्यकताओं से प्रेरित है। उन्होंने भारत का एक अति उत्तम मार्केट के रूप में चयन किया है। बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के उरूग्वे दौर में लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप अभी हाल में विश्व व्यापार संगठन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित हुई है। विश्व व्यापार संगठन से लोगों के दिल में भय पैदा हो गया है। अधिकाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से यह भय और अधिक प्रकट हो रहा है।

अंततः मेरे विचार में हमारे देश पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ही राज होगा। उसका समय आ गया है। हमारे लोगों की नियति अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर करती है।

इस स्थिति में न केवल इस सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन की मांग करता हूं बल्कि विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता अस्वीकार करने तथा उसमें से जुड़े करार को रद्द करने की भी मांग करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :-

> "कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

महोदय, यह एक साधारण विधेयक है। श्री जितेन्द्र नाथ ने उरुग्वे राउंड की वार्ता का जिक्र किया है और कहा है कि हमारा देश इसके दबाव में आ गया है। इस विधेयक का उद्देश्य हमारे उद्योगों को विश्व व्यापार संगठन की प्रतियोगिता में सुरक्षा प्रदान करना है। यह विधेयक विवादास्पद नहीं है। इसका उद्देश्य बाहरी उद्योगों के विरुद्ध, जो अपना माल हमारे देश में भरना चाहते हैं, भारतीय उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करता है।

अतः मैं अनुभव करता हूं कि यह विधेयक देश के हित में है। इसे सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिये।

विधेयक का उद्देश्य सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश का स्थान लेना है, जिसे 31 दिसम्बर 1994 में प्राख्यापित किया गया ताकि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1995 के प्रावधानों, जो क्रमशः सहायिका संदत्त वस्तुओं और पारित वस्तुओं और पारित वस्तुओं पर प्रतिशुल्क और प्रतिपाटन शुल्क लगाने से संबंधित हैं, को बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के उरुग्वे दौर के निर्णायक अधिनियम से जोड़ा जा सके। ये संशोधन जरूरी गये चूंकि उरुग्वे राउंड की बहुराष्ट्रीय व्यापार वार्ता के अंतर्गत स्थापित विश्व व्यापार संगठन में । जनवरी, 1995 से भारत ने शामिल होना स्वीकार किया है और सदस्य देशों को उपर्युक्त अधिनियम में निहित उपबंधों के अनुरूप अपने कानूनों, विनियमों और प्रशासनिक प्रणाली को सुनिश्चित करने को कहा गया।

माननीय सदस्य जानते हैं कि सहायिका संदत्त या पारित वस्तुओं के आयात से होने से घरेलू उद्योग को बचाना है। ये प्रावधान टोकियो में गैट के अंतर्गत हुई मल्टीलेबरल व्यापार वार्ता में बने करारों पर आधारित है।

"उरुग्वे राउंड फाइल एक्ट" में अन्य बातों के साथ-साथ सहायिकी और प्रतिकारी उपाय" आदि नए समझौते में अंतर्निहित हैं। इन विषयों पर नये करार में कई क्षेत्रों को लिया गया है जो पिछले करार में स्पष्ट रूप से नहीं थे। सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश का उद्देश्य प्रतिकारी शुल्क और प्रतिपाटन शुल्क से संबंधित हमारे कानूनों को उरुग्वे राउंड वार्ता के अंतिम अधिनियम से जोड़ता था।

इस विधेयक का उद्देश्य उपरोक्त को पूरा करने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश का स्थान लेना है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि यह सभा 31 दिसम्बर, 1994 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्यांक 14) का निरनुमोदन करती है"।
>
> "कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

जो गुमान मल लोढा बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी (जगत सिंहपुर) : मेरे विचार में मेरा नाम कहा है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री गुमान मल लोढा बोलेंगे। श्री जितेन्द्रनाथ दास इसे प्रस्तुत कर चुके हैं। अब अन्य माननीय सदस्य बोलें। प्रणाली यही है।

(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा : पहले इन्हें बोलने दीजिये। कोई समस्या नहीं (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि श्री जितेन्द्र नाथ दास न होते तो मैं श्री असीम बाला को बुलाता। वह भी न होते तो श्री लोकनाथ चौधरी को बुलाता। प्रक्रिया यही है। अब श्री गुमान मल लोढा बोलें।

श्री गुमान मल लोढा : ये वरिष्ठ सदस्य हैं। यदि ये बोलना चाहें तो पहले इन्हें बोलने दीजिये **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। श्री लोकनाथ चौधरी बोलें। श्री गुमान मल लोढा बड़े उदार हैं कि उन्होंने उन्हें अवसर दिया।

श्री लोकनाथ चौधरी : सबसे पहले मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं क्योंकि यह अध्यादेश नहीं लाया जाना चाहिये था। आप जानते हैं कि आप इस सभा में उरुग्वे वार्ता पर चर्चा चल रही है। सरकार इस बात को जानती है कि उरुग्वे राउंड वार्ता में हुये करार के प्रावधानों को संशोधनों द्वारा वर्तमान अधिनियम में शामिल करना जरुरी है। इस दशा में, संसद के होते हुये अध्यादेश जारी नहीं होना चाहिये था इससे गलत रास्ते से उक्त प्रक्रिया को लाया जा रहा है। सरकार अनावश्यक तौर पर ऐसे अध्यादेश जारी करती आ रही है। अध्यादेश को हमारी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता की रक्षा करनी है। अतः मैं अध्यादेश का विरोध करता हूं क्योंकि यह उचित नहीं है। सरकार को बार-बार ऐसे मामलों में अध्यादेश जारी नहीं करने चाहिये जो महत्वपूर्ण हों और हमारी प्रभुसत्ता से संबंधित हों। सभा को उस संधि को वर्तमान कानून में शामिल करने के लिये विवशतापूर्वक ऐसा करना पड़ रहा है। विधेयक में इसके लिये प्रयास किये गये हैं। जैसे कि वित्त मंत्री महोदय ने बताया, इससे उद्योगों को आरक्षण दिया जायेगा। यदि देश में राजसहायता प्राप्त करने वाले कुछ उत्पाद है तो उक्त राजसहायता को क्षतिपूर्ति के रूप में लिया जाएगा। इसके द्वारा कुछ सीमा तक उद्योगों को आरक्षण प्रदान करना सम्भव होगा।

तीसरा खंड, जो बहुत महत्वपूर्ण है, के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। इससे प्रथम और द्वितीय खण्ड का अभिप्रायः हल्का पड़ जाता है। तीसरा खंड इस बारे में है कि चाहे तो सरकार कुछ निर्णय ले सकती है। अतः इसमें कुछ खतरनाक संभावना है।

वित्त मंत्री ने सभा को इसके पहले कई वायदे किये हैं। दुर्भाग्यवश वे कई मामलों में असफल हुए हैं। वे उस बात का अनुसरण करते हैं जिसे हम नहीं चाहते। लेकिन मैं समझता हूं कि वे प्रतिक्रांति लाने में सफल होंगे क्योंकि वे कई अवसरों पर दिये गये आश्वासनों को कार्यान्वित करने में असफल हुए हैं। अतः उन्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिये अतः तीसरे खंड पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये। क्योंकि सरकार का नौकरशाहों पर कोई नियंत्रण नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इसका कार्यान्वयन नौकरशाह ही सुनिश्चित करेंगे नौकरशाही आखिरी तत्व है। दूसरे राजसहायता की प्रतिपूर्ति करने से ही हमारे उद्योग विदेशियों वस्तुओं से प्रतियोगिता नहीं कर पाएंगे। प्रौद्योगिकी का भी प्रश्न है। विश्व भर में प्रौद्योगिक क्रांति आयी है और वस्तुओं का निर्माण कम लागत पर हो सकता है। हमारे पास उस प्रकार की प्रौद्योगिकी नहीं है। यह स्वाभाविक है कि राजसहायता और अन्य बातों पर विचार करना पड़ेगा, इन सब बातों के ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि प्रौद्योगिकी को ध्यान में न रखा गया, ता हमारे उद्योग कमजोर पड़ जायेंगे। मंत्री महोदय को इस बात को ध्यान में रखना चाहिये। आज दुनियां में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक क्रांति से एक नया परिवर्तन आया है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रादुर्भाव दूसरा पहलू है इस पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया जाना चाहिये। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां राज्यों से भी आगे बढ़ जाती हैं क्योंकि इनमें विभिन्न राज्यों के व्यापारिक घराने शामिल होते हैं और वे अपनी बात थोपते हैं।

इसके अतिरिक्त, कुछ देशों में, प्रौद्योगिकी पर एकाधिकार होता है। अब कहा जा रहा है कि विश्वभर में पांच एकाधिकार हैं और पहला एकाधिकार प्रौद्योगिकी का है। यह एकाधिकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास है और इसका प्रभुत्व सारी दुनिया पर है। पांच एकाधिकारों में प्रचार साधन तथा निवेश क्षमता भी शामिल है। इनका सम्बंध दूसरे क्षेत्रों से है। लेकिन जहां तक प्रोद्यिगिकी का संबंध है आज यह वह सबसे बड़ा एकाधिकार है, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश को निगल लेती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसे उपाय करने चाहिये जिससे हमारे उद्योग इस प्रौद्योगिक विकास के युग में प्रतियोगिता कर सकें जिसमें विकास की लागत हमारे देश में उत्पादन लागत की तुलना में बहुत कम है, यह अकेला वह सबसे बड़ा पहलू है जिस पर सरकार ने विचार नहीं किया है। मेरे विचार में इस अध्यादेश को लाकर सरकार उद्योगों को विश्व में बढ़ती जा रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चंगुल से नहीं छुड़ा सकती। इसका प्रभाव हमारी प्रभुसत्ता पर भी पड़ेगा, इस दृष्टि से मैं विधेयक का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि वित्त मंत्री महोदय प्रौद्योगिकी के इस पहलू को ध्यान में रखेंगे और उचित उपाय करेंगे ताकि हमारे उद्योग जिन्दा रह सकें। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि ऐसा करने से हमारी प्रभुसत्ता को खतरा पहुंचेगा और इससे हमारे उद्योग धंधे नष्ट हो जायेंगें।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में कई बार आसन की ओर से भी शासक दल को व माननीय मंत्रिगण को इस बात के लिए प्रताड़ना दी गई कि जिस समय बार-बार सदन का अधिवेशन होता रहता है, उस समय अध्यादेश लाने की प्रवृत्ति उचित नहीं है और जब तक अत्यावश्यक व अनिवार्य स्थिति न बन जाए, तब तक संसद में कानून की जो साधारण प्रक्रिया है, उसे किसी भी रूप में सरकमवैण्ट न किया जाए। मुझे इस बात का दुख है कि यहां फिर एक ऐसा अवसर आया है जब अध्यादेश के रूप में इसे लाकर सदन के ऊपर फेट अकम्पली के रूप में इस कानून को बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

श्रीमन्, अध्यादेश के बारे में संविधान में जो कानून बनाया गया है, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि 'जब संभवतया सदन का अधिवेशन न होने वाला हो और ऐसी अनिवार्य, अत्यावश्यक तथा असाधारण स्थितियां पैदा हो जाएं कि जिसमें कानून लाना आवश्यक हो, उस समय सदन की तथा संविधान की साधारण प्रक्रिया को लागू न करके इस विशेषधिकार का प्रयोग किया जाए।' मुझे इस बात का दुख है कि विशेषाधिकार के स्थान पर यह एक परंपरा बना ली गई है कि पहले अध्यादेश ले आते हैं और बाद में कहते हैं कि चूंकि हम अध्यादेश

लेकर आ गए हैं, इसलिए माननीय सदस्यों को चाहिए कि वह हमारी भावना को देखते हुए इस कानून को बिल के रूप में पारित कर दें। मैं इसलिए इस अध्यादेश का पूर्णतः विरोध करता हूं कि इसमें संवैधानिक परंपराओं का पूर्णतः उल्लंघन किया गया है, हत्या की गई है, उनका खून किया गया है और संविधान में स्पष्ट होने के बाद भी तथा सदन के आसन से बार-बार प्रताड़ना देने के बाद भी यह किया जा रहा है। यह अत्यंत दुख और खेद का विषय है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राष्ट्र में स्वदेशी, स्वाभिमान, स्वरक्षा तथा हमारे राष्ट्र में उत्पादन के लिए जितने भी उद्योग हैं, उनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, उसके ऊपर डब्ल्यू.टी.ओ. द्वारा हमारे राष्ट्र में जो समझौता किया गया, जिसको गेट कहते हैं और जिसका हमने बार-बार विरोध किया और सारे राष्ट्र ने विरोध किया।

सारी जनता ने विरोध किया और इसका विरोध केवल सदन के अंदर ही नहीं हुआ बल्कि पिछले दिनों हुए विधान सभा के चुनावों में चाहे कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, गुजरात हो या महाराष्ट्र हो, सभी जगह सत्तारूढ़ दल को जनता ने स्पष्ट रूप से ललकार कर यह कहा है कि यह गैट समझौता, यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आक्रमण ईस्ट इण्डिया कंपनी को वापस बुलाने और इस देश को पराधीन करने का षडयंत्र किया जा रहा है और उसका भारत की जनता विरोध करती है। लेकिन मुझे दुःख है कि इसके पश्चात भी शिक्षा नहीं ली गयी। भारत की जनता ने जो मैंडेट आंध्र प्रदेश में दिया, कर्नाटक में दिया गया, गुजरात में दो तिहाई बहुमत सरकार को परास्त करके दिया गया, जो मैंडेट महाराष्ट्र में अपने आपको इन्विंसिबल कहने वाले शरद पवार और उनके साथियों को परास्त करके जनता ने दिया, उस मैंडेट का खिलवाड़ किया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र का, जम्हूरियत का तकाजा है कि सरकार हमेशा जनता की भावना को रखे, उसकी पल्स को देखती रहे। जनता ने पांचों राज्यों की सरकारों को परास्त कर दिया है, इनकी नीतियों को परास्त कर दिया है, आर्थिक नीतियों के सामने जनता ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यह गैट का समझौता हमें नहीं चाहिए हमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं चाहिए, हमें स्वदेशी चाहिए। लेकिन फिर भी अलग कानूनों के रूप में यह स्वदेशी के ऊपर हमला किया जा रहा है, उसका मैं पूर्णतः विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, देखने पर तो यह कानून बहुत साधारण दिखता है, लेकिन इसको पढ़ने से ऐसा नहीं लगता। इसके बहुत गंभीर परिणाम होने वाले हैं। जैसा कहा गया था कि "सतसई के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में सीधे लगे पर घाव करे गंभीर"। हमारे वित्त मंत्रीजी के द्वारा यह बहुत ही गंभीर तीर हमारे राष्ट्र के ऊपर, स्वदेशी और हमारे राष्ट्र के संविधान पर चलाया जा रहा है। इन्होंने विदेशों के अंदर इस राष्ट्र को बेचकर, नीलाम करके "उदारीकरण" के नाम पर "उधारीकरण" करके, कर्जा लेकर देश को दिवालिया करने का षडयंत्र किया जा रहा है, मैं इसका विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून के द्वारा क्या होगा कि सब्सिडी देने के जितने भी हमारे प्रयास हैं और हमारे यहां के उद्योगों को प्रोटेक्शन देने के प्रयास हैं, उन पर आघात होगा। प्रत्यक्ष रूप से तो आघात नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आघात किया जा रहा है। इसके उद्देश्यों को पढ़ा जाय तो इसमें स्पष्ट लिखा है "फाइनल एक्ट में, उरूग्वे राउंड ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड निगोशियेशंस के परिणामों और अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिपाटन पर नए करार, सहायकी और प्रतिरोधी अध्युपाय अंतर्विष्ट हैं। इन दोनों विषयों पर नए करारों मे उन कई पक्षों पर ध्यान दिया गया है जिन पर चालू करारों में सुव्यवस्था और ब्यौरों की कमी है। नए करारों में, अवाधारण की पद्धति के संबंध में कि क्या किसी उत्पादन का पाटन किया गया है अथवा नहीं या किसी सहायकी के लिए कार्रवाई अपेक्षित है अथवा नहीं, अधिक स्पष्टता के लिए उपबंध है। सदस्य देशों से, उनकी विधियों, विनियमों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की, उनके साथ अनुरूपता सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई थी जो पूर्वोक्त फाइनल एक्ट के अधीन उपबंधित की गई है। चूंकि भारत ने, 1 जनवरी, 1995 से विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित होना मान लिया है, अतः भारत सरकार से अपेक्षित था कि वह, प्रतिशुल्क और प्रतिपाटन शुल्क से संबंधित अपनी विधियों को उक्त फाइनल एक्ट में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुरूप बनाए।"

श्रीमन्, स्पष्ट रूप से यह स्वीकृति की गयी है। हमने इस करार में अपने आपको समर्पित कर दिया, अपने घुटने टेक दिए, भारत की आर्थिक प्रभुसत्ता को समर्पित करके हमेशा-हमेशा के लिए उनके अधीन हो गए। इसलिए उस एग्रीमेंट में अपेक्षा की गयी है कि अन्य देशों के अनुसार हमारे यहां भी उसी प्रकार का कानून बनाया जाय।

1.00 म.प.

उपाध्यक्ष महोदय, दुनिया के जो विकसित राष्ट्र हैं, जो काफी एडवांस हो चुके हैं, वे अपने पैसे और वैभव के बल पर गरीब राष्ट्रों का शोषण कर रहे हैं। उन राष्ट्रों की तुलना में हमारे देश के नये प्रारंभ हुये उद्योग, बढ़ते हुये उद्योग कैसे प्रतिस्पर्धा में खड़े हो सकते हैं। हमारे छोटे उद्योग उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। भारत में छोटी-छोटी चीजों का निर्माण करने वाले उद्योग जर्मनी और अन्य विकसित राष्ट्रों के उद्योगो की प्रतिस्पर्धा में कहां टिक सकते हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वस्तुस्थिति को, ग्राउण्ड रियैलिटी को हमें स्वीकार करना चाहिये। यदि हमने अपने उद्योगो को प्रौटेक्शन नहीं दिया, जैसा आपने वर्तमान बजट में भी देखा होगा कि इम्पोर्ट ड्यूटी को उसमें इसलिये कम से कम किया गया है क्योंकि हमारे वित्त मंत्री जी के पास इसके अतिरिक्त कोई दूसरा औप्शन नहीं था। उन्होंने इस देश की प्रभुसत्ता को दुनिया के सामने गिरवी रख दिया है, रहन रख दिया है, मौर्टगेज कर दिया है। यदि उन्होंने 20 परसेंट कहा है तो 20 परसेंट लाना ही हैं, इसमें हमारे वित्त मंत्री जी का अपना कोई मन नहीं है। उसके पीछे एकमात्र यही कारण है कि हमने अपने राष्ट्र की आर्थिक सत्ता को, प्रभुसत्ता को बेच दिया है, विश्व के विकसित राष्ट्रों के सामने

हमने हमेशा घुटने टेके हैं और इस तरह हमारे उद्योगों को कत्ल करने की जो साजिश इस समय चल रही है, उसी की एक कड़ी के रूप में यह एक्ट सदन में लाया गया है, दूसरी कड़ी के रूप में पेटेंट एक्ट आयेगा और तीसरी कड़ी के रूप में कोई तीसरा एक्ट आयेगा। ये सारे के सारे [illegible] वैपन्स हैं जो कभी मिसाइल के रूप में, कभी किसी गन के रूप में, कभी बम के रूप में या अन्य किसी प्रकार हमारे उद्योगों पर हमला करते रहेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इस देश में आमंत्रित करके इस देश की अर्थव्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने का, इस देश की स्वदेशी और छोटे उद्योगों को समाप्त करने का तथा इस देश के आर्थिक शोषण का जो षडयंत्र रचा जा रहा है, यह विधेयक उसी का एक भाग है।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन में प्रस्तुत सीमा-शुल्क टैरिफ संशोधन विधेयक का मैं प्रचण्ड रूप से, प्रबल रूप से विरोध करता हूं और इसलिये विरोध करता हूं क्योंकि इसके पीछे सरकार की नीयत साफ नहीं है। इससे हमारी प्रभुसत्ता समाप्त हो जायेगी। आखिर क्यों लार्ड क्लाइव को कब्र में से खोदकर फिर से यहां लाने का काम किया जा रहा है। पहले जब लार्ड क्लाइव यहां आया था तो वह सेना के साथ नहीं आया था बल्कि व्यापार करने के उद्देश्य से, एक व्यवसायी के नाते, छद्मवेश धारण करके, कैमोफ्लेज करके, बदनियती से आया था और यहां आकर छद्म रूप से उसने इस देश में शासन किया था, जिसके परिणामस्वरूप सैंकड़ों वर्षों तक विदेशी सत्ता ने इस देश का शोषण किया। उसके बाद जब देश में भगत सिंह, राजगुरू, सुखदेव जैसे नेता आये, पंडित जवाहर लाल नेहरू और महात्मा गांधी ने संघर्ष किया तभी उस विदेशी सत्ता के जाल से हम अपने आपको बचा पाये। लेकिन अब फिर से हम उसी लार्ड क्लाइव को यहां लाने का काम क्यों कर रहे हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आवरण में फिर से अंग्रेजी सल्तनत को यहां क्यों आमंत्रित कर रहे हैं जो यहां आकर हमारे उद्योगों का गला घोंटेंगी, इसीलिये मैं इस विधेयक का प्रचण्ड और प्रबल विरोध करता हूं और सदन से मांग करता हूं कि इस अध्यादेश को ठुकरा दिया जाये और इस विधेयक को अस्वीकृत कर दिया जाये। धन्यवाद।

श्री विनय कुमार यादव : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो सीमा-शुल्क टैरिफ (संशोधन) विधेयक लाया गया है, इससे पहले भारत सरकार ने जिस नई आर्थिक नीति को अपनाया था, उसी के अंतर्गत ये सारी कार्यवाहियां की जा रही हैं। इस बार जो बजट आया, जाहिर बात है कि सरकार की जो नई नीति है, उसी के मुताबिक बजट पेश किया गया है लेकिन जिन उपलब्धियों की यहां चर्चा की जा रही है, व्यवहार में आम जनता वैसा महसूस नहीं करती है। पार्लियामेंट में हमारे वित्त मंत्री जी जिन उपलब्धियों की चर्चा करते हैं, अखबारों में भी वे सारी बातें निकलती हैं लेकिन जब वे आम जनता के बीच में जाती हैं तो लोगों को उन पर विश्वास नहीं होता। रोजमर्रा की जिन्दगी नई आर्थिक नीति की वजह से आज ज्यादा कठिन होती जा रही है। तमाम रियायतों के बावजूद हर चीज मंहगी होती जा रही है, इन्फलेशन बढ़ रहा है और लोगों के जनजीवन में कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं।

यह जो आप बिल लाये हैं, इससे पहले आर्डिनेंस लाए थे, चूंकि यह आर्थिक नीति के अंतर्गत लाया गया है, जिन आर्थिक नीतियों के अंतर्गत हिन्दुस्तान के पिछड़ेपन का बगैर ख्याल किए हुए या जिन आर्थिक गतिविधियों से हमारा देश गुजर रहा है, हम जिस परिस्थिति में हैं, उसका बगैर सही ढंग से मूल्यांकन किए विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपतियों के साथ हमें मुकाबला करने के लिए कहा गया है। यह ठीक नहीं है। इस बिल के जरिये भी कहा जा रहा है कि स्वदेशी उद्योगों को प्रोटैक्शन मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हम इस लायक अभी नहीं है कि हम विदेशी व्यापारी जो तकनीकी दृष्टिकोण और आर्थिक दृष्टिकोण से भी काफी आगे बढ़े हुए हैं, हम कुछ रियायतों के बावजूद, कुछ प्रोटैक्शन देने के बावजूद, मुकाबला कर सकेंगे या देश के उद्योगों को बचा सकेंगे, ऐसा मैं नहीं समझता हूं।

अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को हिन्दुस्तान में प्रवेश करने की छूट देनी है, चाहे वह मल्टी नेशनल के रूप में हो, चाहे वर्ल्ड बैंक के रूप में हो या दूसरे रूप में हो, जिन्हें हमें छूट देनी है, उनसे हमें कर्जा लेना है। कांग्रेस के मुताबिक देश में ऐसी स्थिति है जिसका मुकाबला करने के लिए ऐसा करना जरूरी है, तो यह कांग्रेस सरकार की मजबूरी है। इस मजबूरी की वजह से सारे काम हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कहा गया है कि चुनाव नतीजों ने भी इस बात को जाहिर किया है, लेकिन फिर भी कांग्रेस सरकार इस बात को समझ नहीं पा रही है कि इन नयी आर्थिक नीतियों को आम जनता पसंद नहीं कर रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि इस नयी आर्थिक नीति का चुनाव से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आखिर में फैसला तो जनता ही करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे देश के अंदर जो रोजगार के अवसर हैं और जो स्वदेशी उद्योग हैं, उनको इससे काफी नुकसान होगा। आप इनको प्रोटेक्शन कागजी तौर पर देने की बात करते हैं, लेकिन जितने एडवांस और डवलप्ड कंट्रीज वे हैं उनके मुकाबले हमारी हस्ती नहीं है कि हम उनका मुकाबला कर सकें। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इसको अस्वीकार कर दिया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.10 म.प. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.08 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.10 म.प. तक के लिए स्थगित हुई

2.23 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.23 म.प. पर पुनः समवेत हुई

सीमा-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश 1994 को निरनुमोदन संबंधी संकल्प और सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष जी, वित्त मंत्री जी द्वारा जो सीमा-शुल्क टैरिफ संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उस संबंध में एक निवेदन यह करना चाहूंगा कि इसके बारे में अध्यादेश भी जारी किया गया। वर्तमान सरकार अध्यादेश जारी करने की नीतियों को छोड़ने वाली नहीं है। कई बार इस बात की आलोचना भी होती रही है कि अध्यादेश की प्रवृत्ति छोड़ी जाये और सीधे-सीधे विधायी कार्य सदन में प्रस्तुत किये जायें, परन्तु सरकार सदन में कही गई बातें और लिये गये निर्णयों की अनदेखी करके उस प्रवत्ति को जारी रखे हुए है।

मुझे आश्यर्च है कि सरकार द्वारा जिस प्रकार का विधेयक लाया गया है, वह विधेयक सीधे-सीधे इस बात को परिलक्षित करता है कि सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में, यह जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत डब्ल्यू.टी.ओ. के साथ समझौता किया है, उस समझौते का परिणाम यह है कि इस प्रकार के निर्णय लेकर जल्दबाजी से उन निर्णयों को जनता पर थोपना चाहते हैं। हमारे वित्त मंत्री जी ने जो अभी बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट की प्रस्तुति के समय भी यह बात ठीक से दर्शित हुई है। इस प्रकार सरकार आयात में छूट देकर स्वदेशी उद्यमियों को आघात पहुंचाना चाहती है। इससे स्वदेशी उद्यम बुरी तरह से प्रभावित होंगे। ठीक इसी प्रकार की बात इस विधेयक में भी समाविष्ट की गई है। विधेयक में कहा गया है—चूंकि भारत ने, 1 जनवरी, 1995 से विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित होना मान लिया है, अतः भारत सरकार से अपेक्षित था कि वह, प्रतिशुल्क और प्रतिपाटन शुल्क से संबंधित अपनी विधियों को उक्त फ़ाइनल एक्ट में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुरूप बनाए। उसी के अनुसार यह विधेयक लाया गया है। मुझे नहीं समझ में आता कि भारत के अंदर कोई वस्तु बनती है और उसकी कीमत ठीक है और बाहर से आने वाली वस्तु मंहगी पड़ती है, तो उसको भारत से निर्यात करने की दशा में उस पर ऐसा शुल्क लगाया जाए कि वह भी समान स्थिति में लगाया जाए। इससे जो स्वदेशी धारणा है, भावना है, उद्यम हैं, उन पर आघात होगा। उसको आप चाहे प्रतिपाटन शुल्क कहें या फिर दूसरे प्रकार का कोई अन्य शुल्क, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। जो सरकार ने समझौता किया है, उस समझौते के बारे में भारतीय जनता पार्टी सहित विभिन्न दलों ने भी अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। यह कहा गया है कि इस प्रकार का समझौता उचित नहीं है और यह जल्दबाजी में किया जा रहा है। इससे न केवल स्वदेशी उद्यम प्रभावित होंगे, हमारी कृषि भी प्रभावित होगी और औद्यद्ध निधि भी प्रभावित होगी। कुल मिलाकर इससे हमारा जनजीवन प्रभावित होगा।

धीरे-धीरे जिस प्रकार बहुराष्ट्रीय या विदेशी कंपनियों का भारत में प्रवेश करवाया जा रहा है या हो रहा है, उससे भारत अपनी आर्थिक स्वाधीनता को खोने की स्थिति में अग्रसर होता चला जा रहा है। संभवतः वित्त मंत्री जी इस बात को अस्वीकार करेंगे और कहेंगे कि यह एक बहुत अच्छा कदम है और इससे तो हम अच्छी स्थिति में पहुंच गए हैं। सन् 1991 से और आज 1995 तक थोड़ी आर्थिक समीक्षा की जाए, तो आप पायेंगे कि हम बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच गए हैं और हमारी साख बढ़ी है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि धीरे-धीरे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अंदर साख घटती चली जा रही है और भारतीय जन-जीवन इससे प्रभावित होगा। जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया, समझौते का अनुपालन करना, क्योंकि आपने समझौता किया है, आवश्यक है, लेकिन उस समझौते के पालन में हम भारतवासियों की उपेक्षा करे, भारतीय निवेश की उपेक्षा करें, भारतीय उद्यमों की उपेक्षा करें, यह उचित नहीं लगता है। इस संबंध में जो बातें कहीं गई हैं, उनके बारे में यदि मुझे अवसर मिला और आपने आज्ञा दी, तो बजट की चर्चा के समय अपनी बात कहूंगा।

मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां पेपर उद्योग लड़खड़ा रहा है। नेपा नगर या दूसरे स्थानों पर जो पेपर उद्योग लगे है, उनका कहना है कि पेपर जो आयात किया जा रहा है, उससे हमारे उद्यम प्रभावित हो रहे हैं। जिस प्रकार से आप आयात करने को अधिक बढ़ावा दे रहे हैं, उससे हमारे यहां के उद्यमों को विपरीत प्रभाव का समान करना पड़ रहा है। इसके कारण हजारों की संख्या में बेकारी और बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। यहां भारत के अंदर ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, जो उपभोक्ता वस्तुयें निर्माण करती हैं और सामान्यतः विदेशों में बनने वाली जो उपभोक्ता वस्तुयें हैं, उनको यहां लाकर डम्प करना और हमारे यहां के उद्यमों के प्रतिपाटन शुल्क और प्रतिशुल्क द्वारा एक सरीखा करना ताकि विदेशी कंपनियां प्रभावित न हों और यह इसलिए कि हमने उनसे करार किया है, यह उचित नहीं है। इससे हमारे यहां की जो कन्ज्युमर गुड्स बनाने वाली कंपनियां है, उद्यम हैं, वे निश्चित रूप से प्रभावित होंगे।

चूंकि माननीय लोढा जी ने इस बिल पर अपने विचार विस्तार से रखे हैं, मैं इतना कहना ही चाहता हूं, इस प्रकार की जो भावना है, इस प्रकार की जो परिस्थिति है, इस प्रकार की जो सरकार की क्रिया है, इस पर थोड़ा सा विचार किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, किस प्रकार से किया जाना चाहिए यह आप देखें ताकि हमारे उद्योग प्रभावित न हों। मैं मंत्री महोदय से इस बात का आश्वासन भी चाहूंगा कि वह यह बात कहें कि इस प्रकार के प्रतिपाटन शुल्क के कारण, हमारे भारतीय उद्योग, विशेष करके मध्यम और लघु उद्योग और उपभोक्ता वस्तुओं को उत्पादित करने वाली कंपनियां प्रभावित नहीं होंगी। उनमें काम करने वाले हजारों-लाखों की संख्या में जो लोग हैं वे भी प्रभावित नहीं होंगे, न उसके कारण हमारे यहां बेरोजगारी बढ़ेगी

और न उसके ऊपर असर पड़ेगा। विदेशी कंपनियां आ करके भारतीय पूंजी को बाहर ले जाएं और हम आर्थिक दृष्टि से और पराधीन बनने की स्थिति में खड़े हो जाएं या हमारी आर्थिक स्वंतत्रता चली जाए, हमारी इस बात का भी वे निश्चित रूप से आश्वासन देंगे।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः कहता हूं कि अध्यादेश के बारे में जो विरोध प्रकट किया गया है इस प्रकार से अध्यादेश नहीं लाना चाहिए। मैं इसका समर्थन करते हुए फिर से यह कहूंगा कि इस प्रकार अध्यादेश की प्रवृत्ति को सरकार छोड़े और जो भी सही कदम उन्हें उठाना है वह उठाए। हमारे विरोध के बावजूद सरकार ने एक निर्णय ले लिया और समझौता तो कर लिया लेकिन उन निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में भी भारतीय उद्योग का वे पूरा-पूरा ध्यान रखेंगे, इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के द्वारा जो यह बिल लाया गया है इसका विरोध करने के लिए खड़ा हूं, क्योंकि एक तो जिस दृष्टि से यह लाया गया है वह सरकार की अलोकतंत्रीय वृत्ति को दर्शाता है। इस प्रकार से पहले अध्यादेश जारी कर देना और उसके बाद संसद के सम्मुख सरकार विधेयक प्रस्तुत करे, मैं समझता हूं कि यह एक प्रकार से संसद की अवमानना है। पहले भी कई बार कहा चुका है कि इस प्रकार से अध्यादेश जारी करने की जो प्रवृत्ति है वह असंसदीय है, अलोकतंत्रीय है इससे बचा जाना चाहिए। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब अध्यादेश लाने का संविधान में प्रावधान किया था उस समय स्पष्ट रूप से उसकी व्याख्या करते हुए, चर्चा करते हुए, सारे राष्ट्र और संविधान सभा को आश्वस्त किया गया था कि अध्यादेश का सहारा तभी लिया जाएगा जब देश में कोई आपातकाल की स्थिति या कोई अपरिहार्य स्थिति पैदा होगी। लेकिन इसके बावजूद यह सरकार निरंतर इस प्रकार से अध्यादेश ला रही है और पिछला सत्र अभी दिसम्बर में समाप्त हुआ और फरवरी में सत्र प्रारंभ होने वाला था इसके बीच में कोई ज्यादा समय नहीं था लेकिन ऐसा मालूम पड़ता कि विदेशों का दबाव और जैसे कठपुतली को नचाया जाता है, शायद अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक, आई.एम.एफ., विश्व मुद्रा कोष, ये सब हमारे ऊपर इसका दबाव डाल रहे थे और अमरिका को हमारे भारत के बाजार की आवश्यकता थी। वहां का माल इतना इकट्ठा हो गया था उसको बेचने के लिए बाजार चाहिए था, इसलिए कई डंकल, गैट और उरूग्वे राउंड और फिर विश्व व्यापार संगठन बना। उनके माध्यम से भारत सरकार ने यहां के जनमत की अवहेलना करके और देश को बिना विश्वास में लिए हुए संसद के अंदर भी आधी-अधूरी चर्चा कराकर उस पर कभी भी सांसदों का मत जानने का प्रयास नहीं किया।

महोदय, मैं समझता हूं कि केवल सत्ताधारी दल के लोगों को छोड़ कर इस सदन में बैठे हुए जितने भी विभिन्न पक्षों के लोग थे उन्होंने डट करके उस डंकल और गैट का और भारत, जो सदस्यता ग्रहण करने जा रहा था, उसका विरोध किया था। राजधानी के अंदर बड़ी-बड़ी रैलियां, जहां देश की लाखों जनता देश के कोने-कोने से आई थी और कहा था कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे यहां जो सब्सिडी वगैरह दी जाती है, यहां सुबह बिजली की चर्चा हो रही थी—चाहे बिजली में सब्सिडी हो, खेत के अंदर सब्सिडी हो, चाहे और देशों के अंदर सब्सिडी हो या लघु उद्योगों को दी जाने वाली सब्सिडी हो, उनको प्रोत्साहन देने के लिए या उनका निर्यात बढ़ाने के लिए कोई सब्सिडी वगैरह दी जाती हो, क्योंकि दूसरे यूरोप के देश और अमेरिका, ये सब धनाढ्य देश हैं उनके यहां इतना माल तैयार हो गया कि उनके सामने वे आर्थिक दृष्टि से सारे विश्व के अर्ध विकसित या अविकसित देशों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। उसी भावना को लेकर अपनी उपभोक्ता वस्तुओं से भारत के बाजारों को भरने के लिए उन्होंने हमारे ऊपर दबाव डाले और यह आज्ञाकारी सरकार ने शायद उनकी बात का पालन करने के लिए 1 तारीख को समझौता किया, वहां दस्तखत हुए। यहां देश तो विरोध करता ही रह गया और उसके बाद फौरन उसकी अनुपालना करने के लिए, जैसे पहले बुद्धम शरणम् गच्छामि कहते थे, पर आप अमेरिकम् शरणम् गच्छामि या आई.एम.एफ. शरणम् गच्छामि कहते रहे और एकदम यह अध्यादेश ले आए। इस प्रकार से देश-हित को आघात पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, देखने में तो यह संशोधन बहुत छोटा है, केवल कस्टम टेरिफ में संशोधन किया जाना है। इसमें कहा गया है—

[अनुवाद]

"समाप्ति की अवधि के पहले यदि समीक्षा न हो तो प्रतिपाटन शुल्क तथा प्रतिकारी शुल्क लागू होने के पांच साल बंद समाप्त हो जायेगी।

[हिन्दी]

इसके शुरू में कहा गया है—

[अनुवाद]

"चूंकि भारत ने 1 जनवरी, 1995 विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया है, अतः सरकार के प्रतिकारी शुल्क प्रतिपाटन शुल्क संबंधी अपने कानूनों का तालमेल उक्त अंतिम अधिनियम के साथ करना जरुरी था।

[हिन्दी]

मान्यवर, कई ऐसी चीजे हैं जो राज्यों से संबंधित हैं, जहां पर विभिन्न दलों की सरकारें कायम हैं। क्या केन्द्र से सत्तारूढ़ दल की सरकार ने राज्यों की सरकारों या वहां की चुनी हुई विधानसभाओं से सहमति प्राप्त की है कि हम "गैट" पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड की सारी शर्तों को मान रहे हैं, कर्जा लेना चाहते हैं। आज हम देश को और अधिक कर्जे में धकेलने के लिए ऐसे कदम उठाये जा रहे हैं; मैं समझता हूं कि इस तरह से हम देश के जनमत की अवहेलना कर रहे हैं, करोड़ों किसानों की भावनाओं की अवमानना कर रहे हैं। इसके बाद भी पेटेंट बिल आ रहा है, ये दोनो "गैट" समझौते के ही बच्चे हैं, उस विष वृक्ष के विष फल हैं और मैं समझता हूं कि इनसे देश के आर्थिक हितों को आघात पहुंचेगा।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जिसके लिए मैं प्रमाण भी जुटा रहा हूं कि किस तरह से दूसरे देश हमारे यहां के लघु-कुटीर

उद्योगों को समाप्त करना चाहते हैं। हमारे यहां कालीनें और गलीचे बनते थे, जिनका निर्यात होता था और जो विदेशों में लोकप्रिय हो रहे थे। जब अमरीका और दूसरे देशों ने देखा कि इस तरह से तो हमारा माल नहीं बिकेगा, मैं बाल-श्रमिकों को समर्थन नहीं करता, उसके लिए अवश्य कदम उठाए जाने चाहिए, लेकिन भारत में किन अमानवीय और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में कालीन उद्योगों में बाल श्रमिकों से काम लिया जाता है और उनका शोषण किया जाता है, इन बातों का दूसरे देशों द्वारा विदेशों में प्रचार किया गया और कहा गया कि इसलिए भारत में बने हुए कालीन न खरीदे जाएं। इसके परिणामस्वरूप हमारे यहां से जाने वाले कालीन-गलीचों पर पाबंदी लगने लगी।

मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि कस्टम टैरिफ एक्ट में संशोधन देश के हितों को सर्वोपरि रखकर किया जाना चाहिए। बापू का नाम लेने वाली सरकार को पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने सबसे अधिक जोर "स्वदेशी" पर दिया था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात कही थी, लेकिन इस नई अर्थव्यवस्था में ग्रामीण और कुटीर तथा लघु उद्योगों का क्या हश्र होने वाला है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी व्यापार करने के नाम पर भारत आई थी और उसके बाद अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना लिया। ढाके की मलमल पूरे विश्व में मशहूर थी और मलमल के थान को अंगूठी से निकाल सकते थे, लेकिन अपना माल विश्व में बेचने के लिए उन कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए, इतिहास इन बातों का साक्षी है। इसलिए दूध का जला छांछ को भी फूंक-फूक कर पीता है। इतिहास अपने-आपको दोहराता है, इसलिए पहले जैसी स्थिति यहां पर फिर से उत्पन्न न हो जाए, इस बात का ध्यान रखा जाए और खुली आर्थिक नीति के नाम पर विदेशों की सारी शर्तों को आंख बंद करके न मान लिया जाए। खुलेपन, उदारीकरण के नाम पर देश की अर्थव्यवस्था को चौपट न कर दिया जाए।

आज सरकार कह रही है कि हमारे विदेशी मुद्रा कोष में इतनी वृद्धि हो गई है, विकास दर में इतनी वृद्धि हो गई है, तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर यह मंहगाई कम क्यों नहीं हो रही है, मुद्रास्फीति घट क्यों नही रही है, देश की जनता को इन बातों का अहसास क्यों नहीं हो रहा है, उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें कम क्यों नहीं हो रही हैं? आज खाद्य-तेल महंगा होता जा रहा है, कल को यह बात भी आ सकती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरित की जाने वाली चीनी का वितरण भी बंद कर दिया जाए। तो इस तरह से एक के बाद एक बात क्या हम मानते चले जाएंगे? हालांकि अमरीका ने चीन को भी धौंस दी है, लेकिन चीन अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर रहा है और अमरीका के इशारे पर नहीं नाच रहा है।

जापान भी इस प्रकार का प्रयास कर रहा है, तो क्या भारत जैसा शक्तिशाली राष्ट्र, 92 करोड़ की आबादी वाला राष्ट्र, अमरीका के सामने, वर्ल्ड बैंक के सामने, आई.एम.एफ., या अन्य जो वित्तीय स्रोत हैं उनसे केवल कर्जा लेने के नाम पर, सहायता लेने के नाम पर घुटने टेकता रहेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहूंगा कि यह सरकार देश की जनता को विश्वास में ले।

मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। मान्यवर, जब भारत और पाकिस्तान का झगड़ा हुआ था तो जो पी.एल.-480 गेहूं हमें मिलता था उसे देने से अमरीका ने मना किया था। स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने "जय जवान, जय किसान" का नारा लगाया और तब देश के अंदर आत्म-निर्भरता की भावना पैदा हुई और देश हरित-क्रांति की ओर बढ़ा। यह भी कहा जाता है कि इस समझौते से कपड़े वालों को फायदा होगा। लेकिन वहां की जो मल्टी-नेशनल आ कम्पानियां रही हैं अगर वे, जहां हमारी तकनीकी बहुत उन्नत है वहां भी, उस क्षेत्र में भी आने लग जाएंगी तब क्या होगा? गोल्डन-शेक पहले ही बहुत हो चुका है, वालंटरी-रिटायरमेंट के नाम पर बहुत लोगों को हटाया जा चुका है, छंटनी की जा रही है, नयी भर्ती के ऊपर पाबंदी लग गयी है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संचालन करने में सहयोग प्रदान करने वाले, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, जिनको मजबूत बनाना चाहिये था, उनको विदेशी दबाव के कारण बंद किया जा रहा है।

यह डंकल और गैट ऐसे ही हैं जैसे बिच्छू का डंक होता है। आगे से वैसा ही दिखता है लेकिन डंक में विष भरा रहता है। कहीं ऐसा न हो कि आगे चलकर यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था को हमारे देश की अस्मिता को, हमारी स्वदेशी भावना को, हमारी आत्मनिर्भरता की भावना को आघात पहुंचाये। इसलिए हमारी सरकार को सचेत, सतर्क और जागरूक रहने की आवश्यकता है। हमारे यहां की चीजों के विदेशों में सही दाम मिले, हमें नुकसान न हो, हमारे हितों की रक्षा हो, यह भी बहुत आवश्यक है। वित्त मंत्री जी कई बार कह चुके हैं कि भारत को कोई दबा नहीं सकता। लेकिन व्यवहार में जो दिखाई दे रहा है वह कुछ और है। मैं पैप्सी और आलू के चिप्स का उदाहरण देना चाहूंगा। मान्यवर, दो रुपये में जो चीज तैयार हो सकती है वह स्टेशनों के ऊपर 10-12 रुपये में मिलती है। अगर यही कस्टम के नाम पर, मल्टी-नेशनल के नाम पर करना है तो आगे आने वाला भविष्य कैसा होगा, यह हम सोच सकते हैं। इसलिए बदलते हुए राजनैतिक परिवेश को दृष्टि में रखते हुए, सरकार राष्ट्रीय-हितों को सर्वोपरि मानते हुए इस प्रकार के जो कानून हैं, उनमें संशोधन, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए करे। अब हमारे कानून भी उनके समान ही बनें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा है कि इस-इस में संशोधन करना पड़ेगा या तीन उनकी जो शर्तें हैं उन तीन शर्तों को हम मान लेंगे तो हमारे हाथ बंध जाएंगे। इसलिए राष्ट्रीय-हितों को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जानी चाहिए और स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जिन वस्तुओं की अत्यंत आवश्यकता हो उन्हीं का आयात किया जाना चाहिए। हाई-टेक्नोलोजी देने के लिए भी अगर वह आते हैं तो कुछ शर्तों के साथ उनके साथ समझौता किया जा सकता है। लेकिन जो चीजें हमारे पास विद्यमान हैं, उनको हम बढ़ावा नहीं देते हैं, उनका आज विदेशी चीजों के साथ कंम्पीटिशन है हमारे देश में एक प्रवृत्ति बन गई है कि हम मेड इन जापान, मेड इन जर्मनी वाली चीजों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, जबकि देश में बनी चीजों पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए स्वदेशी वस्तुओं और स्वदेशी भावना को प्राथमिकता देनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और चाहूंगा कि भारत सरकार इस प्रकार से अध्यादेश लाने की प्रवृत्ति को खत्म करे और राष्ट्रीय भावना को लोगों में जागृत करे।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और मूलभूत राजनैतिक आधार पर विरोध करता हूं। आशा है कि वित्त मंत्री महोदय, चाहे उनके विचार कुछ हों, विपक्ष के विचारों का सम्मान करेंगे।

हम विश्व व्यापार संगठन की अवधारणा के ही विरुद्ध हैं। हम भारत के इस संगठन में शामिल होने के विरुद्ध हैं। हम उरूग्वे राउंड आफ मल्टीनेशनल ट्रेड वार्ता के भी विरुद्ध हैं। बजट सत्र के दौरान जिन बातों की मैंने चर्चा की है, उनके बारे में बोलने, उनकी पुष्टि करने का काफी अवसर है। मुझसे यह भी आशा की जाती है कि मैं विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर बोलते समय स्वयं को इसकी सीमाओं में ही रखूं।

विधेयक के विषय साधारण प्रतीत होते हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये विषय राजनैतिक, आर्थिक अथवा व्यापारिक महत्व के हैं। लेकिन इससे भारतीय अर्थव्यवस्था का सामना कुछ ऐसी विरोधी ताकतों से होता है जिससे हमारे देश के लिये राजनैतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि राजनैतिक प्रभुसत्ता की दृष्टि से भी खतरा पैदा होता है। यह खतरा देश की एकता और अंखडता की दृष्टि से भी पैदा होगा। इससे हम तृतीय विश्व के देशों में अपनी स्थिति, अपने सम्मान से भी वंचित हो जाएंगे।

सिद्धांत के आधार पर एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू भी है अर्थात सरकार द्वारा संविधान के अंतर्गत अध्यादेशों का प्रख्यापित किये जाने के अधिकार का दुरुपयोग। विधेयक के विरोध करने का यह दूसरा कारण है। आप जानते हैं कि यह विधेयक उरुग्वे राउंड आफ मल्टीनेशनल ट्रेड वार्ता के फलस्वरूप लाया गया है।

यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं कहूंगा कि आप चर्चा में शामिल नहीं थे। सभा को इन करारों अथवा संधियों पर चर्चा करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। मैं नहीं कहता कि इस पर चर्चा नहीं हुई। लेकिन यह चर्चा टुकड़ों में हुई है। मुझे याद है कि मैंने भी गैर सरकारी सदस्य के एक संकल्प की चर्चा में भाग लिया था। एक बार फिर इस मामले पर चर्चा हुई। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत इस बात की थी कि राष्ट्र सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था अर्थात लोक सभा इसे स्वीकृति दे। संधि को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। दुर्भायवश मैं समझता हूं कि संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, जिसके अंतर्गत सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों के लिए सभा की स्वीकृति लेना जरूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ और कारण हो सकते हैं। मैं इन कारणों की चर्चा नहीं करूंगा। संविधान में ऐसा कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है जबकि विश्व भर में प्रजातांत्रिक सरकार वाले देश इसे अनिवार्य मानते हैं।

जापान के मामले में भी, संयुक्त राज्य अमरीका के मामले में भी, यहां तक मुझे याद है, सरकार को अनिवार्यतः ससंद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। हमारे यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं नहीं कहता कि संविधान का उल्लंघन हुआ है। मैं इसके बारे में काफी सजग हूं। मैं नैतिक आधार पर कह रहा हूं। केबिनेट राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करती। सरकार द्वारा ऐसी अतर्राष्टीय संधियों को स्वीकृति देने से देश इनसे बंध जाता है, जो सभा के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय हितों के लिये घातक, देश की आर्थिक प्रभुसत्ता के लिये हानिकारक है। यह हमें देश की स्वीकृत विदेश नीति से दूर करती है। यह हमें तीसरे विश्व के देशों से आशाओं व आकाक्षाओं के अनुरूप कार्य करने से दूर करती है। वित्त मंत्री महोदय इस बात को जानते हैं, उन्होंने स्वयं ही सिफारिशें की थी कि सरकार को तीसरे विश्व के देशों के हितों की रक्षा करने के लिए दृढ़ कदम उठाने चाहिये। जहां तक विधेयक का संबंध है यह बात महत्वपूर्ण नहीं कि क्या काउंटरलिंग टैरिफ होगी या नहीं अथवा 'एंटीडंपिंग' की गणना कैसे की जायेगी। यह बात मेरे लिये तथा सभा के लिये अधिक महत्व की नहीं है। क्या आपने राष्ट्र की स्वीकृति ली है? सरकार पर मेरा आरोप तो यह है कि क्या यह राष्ट्रीय स्वीकृति है, क्या आपने राष्ट्र की स्वीकृति ली है, क्या आपने इस सभा की स्वीकृति ली है जो देश की प्रभुसत्ता का प्रतिनिधित्व करती है? दूसरी ओर आपने लोगों के अधिकार आरक्षित कर दिये हैं, आपने लोगों को अपने मूलभूत अधिकारों का उपयोग करने से रोका है। एक विशेष दल से संबंधित 50-60 सदस्यों वाली केबिनेट, जो एक विशेष दल से संबंधित है, जो अप्रत्याशित रूप से सत्ता में आ गया और जो धन और बाहुबल से दल-बदल को प्रोत्साहित करके अनैतिक तरीके से सत्ता को हासिल किए हुए है, लोगों के अधिकारों का कैसे आरक्षण कर सकती है? हम सभा के सदस्य हैं, मैं अपने मतदाताओं की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैंने इस बात को बहुत गंभीरता से अनुभव किया। अपने मुझे आपने विचार प्रकट करने का अवसर नहीं दिया। अतः मैं इस अवसर पर अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं कि आपने संसद सदस्यों को अवसर न देकर सारे देश के मतदाताओं को उनके अधिकार से वंचित कर रहे हैं।

केबिनेट ने निर्णय करने के लिये और आप भारत की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हो गये। मैं नहीं जानता कि आप किस भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह अमेरिका का भारत है या भारत का भारत।

श्री मनमोहन सिंह : यह श्री सोमनाथ चटर्जी का भारत भी है।

श्री चित्त बसु : यह प्रश्न सोमनाथ चटर्जी अथवा वामपंथ या ज्योति बसु का नहीं है। यह प्रभुसत्ता का बुनियादी प्रश्न है। आपके पास सत्ता है और मैं सभा से पूरा मुकाबला करूंगा मेरी आपत्ति का यह एक मुख्य प्रश्न है।

जहां तक अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति का प्रश्न है, यदि इन महत्वपूर्ण समस्याओं के लिए अध्यादेशों का सहारा लिया जाता है, तो संविधान का बुनियादी ढांचा, प्रजातंत्रीय प्रणाली की सरकार का

बुनियादी सिद्धांत नष्ट हो जाता है। मैं वकील नहीं लेकिन मैं कहूंगा कि इससे संविधान का बुनियादी ढांचा नष्ट होता है। मैं भले ही इसे न्यायालय में चुनौती न दूं।

संघीय ढांचे की व्यवस्था हमारे संविधान का बुनियादी गुण है। कुछ विषय राज्य सरकारों से संबंधित हैं, विशेषकर पेटेंट जैसे विषय। आपने राज्य सरकारों की राय लिये बिना कुछ निर्णय लिये हैं, जबकि उनके हितों को आघात पहुंच रहा है और उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। ।

मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। आपने शायद मेरे विचार समझ लिये होंगे। मुझे खेद है कि हम लोग जो विपक्ष में हैं, अध्यादेश को अस्वीकृत करने के लिए कुछ अधिक सदस्य नहीं जुटा पाये। मुझे खुशी होती यदि इस अवसर पर मैं आपको पराजित कर सकता।

मैं फिर से कहता हूं कि मैं इस विधेयक के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध हूं।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : उपाध्यक्ष जी, यह जो आर्डिनेन्स यहां लाया गया है, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यह जो बिल है, इसके उद्देश्यों में कहा गया है कि ऐण्टी डम्पिंग पोलिसी यहां करने के लए प्रत्यक्ष व्यवहार में लाने के लिए कुछ उपाय किये गए हैं। माननीय वित्त मंत्री जी के इस बारे में विचार इस सभागृह में इससे पहले भी हम सुन चुके हैं। यहां सवाल-जबाव के समय बताया गया कि भारत में खाद का उत्पादन करने वाले पब्लिक सैक्टर के कारखानों में से लगभग 14-15 आज बंद हैं। डेढ़ लाख मजदूर वहां के बेकार हैं। करोड़ों रुपए की खाद उनके गोदामों में अभी भी वैसी ही पड़ी है और हम खाद इंपोर्ट करते जा रहे हैं। माननीय मंत्री फैलीरो जी को हमने इस बारे में शिकायत की कि हमारे देश में खाद इतने बड़े पैमाने पर निर्मित हो रही है, उसके लिए हमनें अपना पैसा लगाया है और उसके दाम थोड़े ज्यादा होने के कारण विदेशी मुल्कों की पोलिसी रहती है कि यहां डम्पिग करो और थोड़ा सस्ता बेचो और सस्ता बेचने के बाद यहां के कारखाने बंद हो जाएंगे और फिर किसानों को उनकी सप्लाई पर निर्भर रहना पड़ेगा। फिर बाद में जो मुंहमांगा दाम वे मांगेंगे वह उन्हें मिलेगा। हमें रसायन तथा उर्वरक मंत्री की तरफ से आश्वासन मिला था कि इसके लिए सरकार कोई कार्रवाई करेगी। माननीय वित्त मंत्री जी से कहा था कि इसके बार में आप क्या करेंगे ? बड़े रूखेपन से हमारे वित्त मंत्री जी ने बताया था कि 'अगर हमारे किसानों को बाजार में सस्ती खाद मिलती है तो मैं क्यों चिन्ता करूं कि ये खाद कहां से आ रही है?

3.00 म.प.

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुये)

अमरीका में आ रहा है या हिन्दुस्तान के किसी निजी क्षेत्र से हमारे लोगों नें पैदा किया है। अभी पाण्डे जी बता रहे थे कि हमारे यहां की जो कागज मिलें हैं, जैसे खण्डवा के पास नेपानगर, अमला में है वहां का कागज पड़ा रहा और बाहर से कागज मंगाया जा रहा है। जब मंत्री जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए व पेपर तैयार के लिए मंगाया जा रहा है।

[अनुवाद]

मुझे आशा है कि हमारे वित्त मंत्री अपने शब्दों को याद रखते हैं। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं।

[हिन्दी]

कि अगर उन बच्चों के बाप बेकार हो गए, उनका उत्पादन बाहर नहीं आएगा, बेचा नहीं जाएगा तो उनको पगार कहां से मिलेगी? फिर वे बच्चों की फीस नहीं दे पाएंगे और फिर वह अच्छा कागज क्या काम आएगा?

वित्त मंत्री जी ने एक जगह भाषण देते हुए ऐसा कहा है।

[अनुवाद]

सीमा-शुल्क और केन्द्रीय अधिकारी सलाहकार परिषद की 34वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था :—

> "हमारी इच्छा ऐसी कर प्रणाली की ओर बढ़ना है, जो सरल और स्पष्ट हो, लचीली और अपेक्षाकृत अधिक उत्साही हो ताकि प्रणाली में परिवर्तन शांतिपूर्ण तथा निर्विघ्न हो।

[हिन्दी]

आप कस्टम ड्यूटी कम करें लेकिन आपने यहां के उद्योगों को प्रोटेक्शन दिया है उसमें यह भी है कि बाहर आने वाले माल को इतनी कस्टम ड्यूटी देनी पड़े कि यहां के बाजार में उनको सुविधा नहीं हो।

[अनुवाद]

यह निर्विघ्न कैसे हो सकती है।

[हिन्दी]

हमारी कमेटी बंगलौर गयी थी। वहा हिन्दुस्तान एरोनैटिक्स, हिन्दुस्तान इलैक्ट्रानिक्स का कारखाना है। वहां अच्छा काम चल रहा है। वहां विदेशों से ऑडर्स आ रहे हैं लेकिन आपकी पॉलिसी सही नहीं है। वहां रेलवे के कोचेज बन रहे थे हमारी कमेटी और संबंधित राज्य मंत्री जी के सामने वहां के कामगारों ने कहा कि हमको रेलवे से काम मिलता था।

[अनुवाद]

यह पहला वर्ष है जब इन्होंने रेल कोच के आदेश पूर्णतः काट दिये हैं।

[हिन्दी]

हम बाहर से रेल कोचेज मंगा रहे हैं। वे भी सस्ते में मिल रहे हैं और हमारे रेलवे कोचेज बाहर के देशों में जा रहे हैं।

आप हमारे देश के कारखानों से गत 20-25 सालों से काम लेते हैं लेकिन अगर आपको उनसे परचेजिंग बंद करनी हो तो आप कम से कम उनको 5-10 साल का नोटिस तो दें। अभी मोलेसिस की बात कर रहे थे कि 65 परसेंट 10 परसेंट पर गिर गया। हमारे यहां जो सैकडो इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें आपके कदम से थोड़ा सपोर्ट तो जरूर मिलता है लेकिन जब बाहर के उद्योग यहां आ गये, अच्छी वाईन या व्हिस्की वाली कंपनियां आ गयीं, जिसकी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, फिर हमारी वाईन, व्हिस्की या दूसरी चीजों को कौन पूछेगा। यदि हर क्षेत्र में आपने बाहर के लोगों को आमंत्रित किया, सभी के लिये अपने दरवाजे खोल दिये तो यहां के लोगों को कौन पूछेगा, हमारे वर्कर्स का क्या होगा और किस आधार पर आप देश के इंडस्ट्रीज को प्रोटैक्शन की बात कर रहे हैं। आप कम से कम अपनी इंडस्ट्रीज को भी जिन्दा रखिये या उनमें काम करने वाले और निर्भर लोगों के रोजगार की व्यवस्था कीजिये। यदि बाहर से एक के पीछे एक मल्टी-नेशनल कंपनियां आती गयीं और हमारे वर्कर्स नई पौलिसी के कारण बेकार होते गये तो वर्ल्ड में कम्पटीटिव माल तैयार करने की जो बात आप करते हैं, फिर हमारे माल को खरीदने वाला कौन होगा क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होगा। क्या अपनी सोसायटी की क्रीमी लेयर के लिये हम ये सब काम कर रहे हैं। आज देश का जो सबसे छोटा आदमी है, झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाला व्यक्ति है, वह हमारे सामने होना चाहिये।

जब हम यहां गांधी जी के बात करते हैं तो गांधी जी ने कहा था कि किसी काम को करते समय यदि हमारे मन में कोई शंका हो, हिचकिचाहट हो, तो उसका फैसला करने के लिये हमें सबसे पहले अपने मन से पूछना चाहिये कि हम जो काम करने जा रहे हैं, क्या वह ठीक है और हमारे इस काम के करने से देश का जो सबसे आखिरी व्यक्ति है, क्या उसका हित होने वाला या अहित होने वाला है, यही उसकी कसौटी है और जो उत्तर मन की ओर से मिले, उसी के अनुसार हमें निर्णय लेना चाहिये।

मैं सभापति जी, आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप जो काम करने जा रहे हैं, यदि हम सभी इंडस्ट्रीज को खुली छूट देने लगें, चाहे वे फूड प्रोसैसिंग की हो, फर्टिलाईजर की हो, शुगर की हो, कागज की हो, तो हमारे पहले से चलने वाले कारखाने कहां जायेंगे, उनकी बेकारी कैसे दूर होगी, उनमें काम करने वाले लोगों को रोजी-रोटी कहां से मिलेगी और उनका माल कैसे बिकेगा, इस बारे में यदि वे हमें शिक्षित कर सकें तो हम इस विधेयक को सपोर्ट देने के विषय में विचार करेंगे अन्यथा हम इसका विरोध करते रहेंगे।

[अनुवाद]

श्री थाइमा सिंह थुमनाम (आंतरिक मणिपुर) : मैं विधेयक का विरोध करता हूं। सबसे पहले मैं, जैसे कि अन्य अतिथि सदस्यों ने कहा, अध्यादेश का विरोध करता हूं जिसे सत्र शुरू होने से पहले प्रख्यापित किया गया। अध्यादेश प्रख्यापित करने के बजाये सरकार विधेयक, जब सभा का सत्र चल रहा था, सभा में ला सकती थी और सरकार इसके लिये सभा की स्वीकृति प्राप्त कर सकती थी। अधिनियम के संशोधन पर भी चर्चा हो सकती थी और अध्यादेश टाला जा सकता था। अतः मैं विधेयक के लिये अपने दल की ओर से विरोध प्रकट करता हूं।

मैं भारत द्वारा विश्व व्यापार संगठन करार पर हस्ताक्षर करने का विरोध करता हूं और इसकी चर्चा मैं पहले की बैठकों में भी करता आया हूं। मैं श्री चित्त बसु की इस बात से सहमत हूं कि करार के लिये सभा की अनुमति जरूरी है।

मेरा भी यही विचार है। यदि इसे सभा के सामने लाया जाता तो यह कदम अधिक प्रजातांत्रिक होता और उसके बाद करार पर हस्ताक्षर होते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मेरे विचार में विधेयक के पास होने पर हमारी आर्थिक प्रभुसत्ता विदेशों के प्रभुत्व में आ जायेगी। मेरा विचार है कि विदेशियों के हाथों राज्य प्रभुसत्ता और प्रतिष्ठा सौंपने से भूखा मरना अच्छा है। मैं समझता हूं कि करार पर हस्ताक्षर करने से हम काफी सीमा तक संयुक्त राज्य अमरीका जैसे देशों को अपनी आर्थिक प्रभुसत्ता सौंप रहे हैं । मैं इसके विरुद्ध हूं।

मेरा यह विचार है कि विदेशी सम्पत्तियों के हितों के लिये हम अपने स्वदेशी उद्योगों के हितों को दाव पर लगा रहे हैं। मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। करार पर हस्ताक्षर करके हम लाखों मजदूरों के हितों का बलिदान कर रहे हैं और मेरे विचार में हमारे उद्योग बहुत निरूतसाहित होंगे।

अंत में, मैं बताना चाहता हूं कि इससे छोटे राज्यों के हितों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, जहां छोटे-छोटे उद्योग हैं और जहां कृषि पर आधारित उद्योग हैं।

अतः मैं अपने दल की ओर से विधेयक पर विरोध प्रकट करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय सभापति जी, मेरा निवेदन यह है कि आपने नये वर्ष के तोहफे में एक जनवरी, 1995 को, जब आपसे बहुत अपेक्षा थी, लेकिन आपने जो स्वदेशी माल था, राष्ट्र की आर्थिक स्वतन्त्रता को बंधक बना दिया और यह इसलिए किया गया कि इन कानूनों को विश्व व्यावार संगठन से संबद्ध करना था।

आपने इसमें कहा है कि भारतीय उद्योग और पूंजी निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए आप यह कानून लाए हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह मूलतः भारत के उपभोक्ताओं के हितों के विपरीत है। आपको इतना बड़ा समझौता ही करना था और उस कानून को विश्व व्यापार के साथ जोड़ना था, तो आपको अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? इसको आप लोक सभा और राज्य सभा में लाकर कानून बना सकते थे।

आप लोक सभा, राज्य सभा में जाते, राज्यों की विधान सभाओं को विश्वास में लेते। लेकिन आपने वह नहीं किया। 1 जनवरी, 1995 को आपने उसपर हस्ताक्षर कर दिए और अब आप मजबूर हो गए हैं कि उसके अनुरूप कानून बनाये जा रहे हैं। मेरा मतलब यह है कि आयात में रियायत देने से स्वदेशी वस्तुएं नहीं टिकेगी। आज भी कानपुर और कई जगहों पर कपड़े की मिलें बन्द पड़ी हुई हैं, आप उनपर विचार करें। इस बिल को लाने से निश्चित रूप से बेरोजगारी बढ़ेगी। इसलिए जैसे मेरी पार्टी के सब नेताओं ने इसका विरोध किया है, मैं भी इसका घोर विरोध करता हूं। यह राष्ट्र को बंधक बनाने वाली बात है।

ईस्ट इंडिया कम्पनी यहां पर आई थी तो उस एक कम्पनी ने वर्षों तक हमको गुलाम बनाकर रखा और आज आप कई कम्पनियों को आमंत्रित करने जा रहे हैं। आप विचार करें कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन हो रहा है, जिनमें लोग लगे हुए हैं, जिनके कारण देश स्वावलम्बी बना हुआ है। यदि आप उन वस्तुओं का डाटा इकट्ठा करें तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आप विदेशों को न्यौता नहीं देंगे। आप होशियार वित्त मंत्री हैं, अच्छे वित्त मंत्री हैं, देश की आर्थिक नीति को भली प्रकार जानने वाले व्यक्ति हैं। आप नैतिकता के आधार पर कई बार इस्तीफा दे देते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे समझौते के नाते जब आप बिल पास करवाने आए हैं तो इसपर गंभीरता से विचार करें। आपकी देश में जो छवि बनी हुई है, उसके नाते आप बातचीत करें। अध्यादेश और बिल, जो देश के हित के विपरीत हैं, दोनों का मैं विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैंने चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों को बड़ी रुचि और ध्यान से सुना। श्री धित्त बसु ने स्वयं इस बात को माना है कि विधेयक में कोई भी असंवैधानिक बात नहीं है। यह हमारे विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के फलस्वरूप की गयी, अनुसरण के तौर पर की गयी कार्यवाही है। 'उरूग्वे रांउड' मुद्दे पर सभा में कई बार चर्चा हुई है और मैं एक बार और इस बात पर बल देना चाहता हूं कि विश्व व्यापार संगठन चार्टर में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो भारत के हितों के विरूद्ध है। आज भारत को ऐसे विश्व में समृद्ध होना है जो एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर आप यह कहें कि आप बाहर से आने वाले माल के लिये अपनी सीमा बंद कर रहे हैं तो उन हथकरघा बुनकरों के बारे में भी सोचिये जो विदेशों को हैंडलूम कपड़े के निर्यात पर निर्भर करते हैं। उनके भविष्य का भी सोचिये। यदि आप भारत की सीमा बंद करना चाहते हैं तो उन लाखों लोगों के बारे में भी सोचिये जो कपड़े के उद्योग में लगे हैं। भारत का कपड़ा उद्योग आज विकसित होता जा रहा है। भारत का इन्जीनियरिंग उद्योग, आभूषण आदि ऐसे सभी उद्योग विकसित होते जा रहे हैं जबकि विपक्ष के सदस्य गत चार वर्षों से इसके विरूद्ध राग अलाप रहे हैं। उदारीकरण के फलस्वरूप भारत का निर्यात और अधिक बढ़ा है, भारत के उद्योग विकसित हुये हैं। अतः इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि इन नीतियों के कारण बेरोजगारी बढ़ी है या उद्योगीकरण को क्षति पहुंची है अथवा इससे रोजगार को आघात पहुंचा है। आज रोजगार के अवसर कई गुना बढ़ गये हैं। अतः मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि विश्व व्यापार संगठन में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो भारत के हितों के विरूद्ध हो। आज हम ऐसे विश्व में रह रहे हैं जिसके सभी देश एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। विश्व व्यापार संगठन के मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है, इसलिए मैं इस विषय पर और अधिक गहरायी में नहीं जाऊंगा।

यह एक साधारण विधेयक है। यह एक ऐसा विधेयक है कि यदि कोई देश अपने माल को हमारे देश में भरना चाहता है और अनुचित प्रतियोगिता में पड़ना चाहता है तो हमारे पास ऐसे आयात के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए सुरक्षात्मक कानून होना चाहिये।

अतः मैंने सोचा कि दलगत सम्बन्धों की ओर ध्यान न देते हुये इस सभा के सभी सदस्य इस विधेयक का समर्थन करेंगे। यह विधेयक आयात को प्रोत्साहन देने वाला नहीं है। यह विधेयक अनुचित प्रतियोगी को निरूत्साहित करने के लिये है। कोई अपने माल पर काफी छूट देकर अपना माल हमारे देश में भरना चाहता है तो यह विधेयक हमारे देश को 'एंटी-डंपिंग' रूल लगाकर कार्यवाही करने के लिये शक्ति प्रदान करता है।

श्री अन्ना जोशी : आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

श्री मनमोहन सिंह : मैं केवल की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही की व्याख्या कर रहा हूं। हम उस राजसहायता छूट को बराबर करने के लिए, जो वे अपना माल अनुचित रूप से भरने के लिए दे सकते हैं, प्रतिकारी शुल्क लगाएंगे...(व्यवधान)

कृपया विघ्न न डालें। मैं आपकी बात नहीं मानता।

सभापति महोदय : कृपया विघ्न न डालें।

श्री मनमोहन सिंह : अतः यह एक साधारण विधेयक है। यदि आप भारत के उद्योगों को अनुचित प्रतियोगिता से बचाना चाहते हैं, यदि आप अन्य देशों की अनुचित प्रतियोगिता से भारत के श्रमिकों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं तो मैं माननीय सदस्यों से विधेयक का समर्थन करने का अनुरोध करूंगा।

इस विधेयक का उद्देश्य सीमित है। विश्व व्यापार संगठन, प्रभुसत्ता आदि से जुड़े अन्य सभी मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है।

मैं कहना चाहता हूं कि सरकार भी अन्य वर्षों की तरह भारत की आर्थिक प्रभुसत्ता की रक्षा करना चाहती है। वास्तव में हमने पिछले चार वर्षों के दौरान जो कुछ भी किया, उससे विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ गयी है। आज विश्व के हर कोने में भारत के बारे में समाचार छपते रहते हैं, भारत का सम्मान किया जाता है और ऐसा क्यों है कि विश्व का कोई भी देश विश्व व्यापार संगठन से बाहर नहीं रहना चाहता? चीन भी क्यों चाहता है कि अमरीका उसकी विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश पाने के लिये सहायता करे?

अतः मेरा अनुरोध है कि एक दूसरे देश पर निर्भर होने वाले जिस विश्व में हम रह रहे हैं, उसमें भारत तब तक सम्पन्न नहीं हो सकता

और यहां से अधिक निर्यात तब तक नहीं हो सकता जब तक कि भारतीय उद्योग प्रतियोगी न बने। पिछले चार वर्षों के दौरान हमने जो भी किया है, उससे भारत की प्रतियोगिता करने वाली क्षमता मजबूत हुई है। पिछले वर्ष डालरों की गणना के अनुसार भारत के निर्यात में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस वर्ष 17 प्रतिशत की वृद्धि होने जा रही है। हमने भारत के विदेशी कर्ज में कमी की है। हमने भारत का भुगतान संतुलन मजबूत किया है। रोजगार, उत्पादन और हर चीज में वृद्धि हो रही है। अतः मैं सभा से निवेदन करता हूं कि हम इन सब शेष मुद्दों पर ठीक समय पर बजट के दौरान चर्चा करेंगे। हमें इस साधारण विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करना चाहिये जिसका एक सीमित उद्देश्य भारतीय उद्योग की रक्षा करना है तथा भारत के श्रमिकों की अनुचित विदेशी प्रतिस्पर्धा से रक्षा करना है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से अपना संकल्प वापिस लेने तथा विधेयक का समर्थन करने का अनुरोध करता हूं।

श्री जितेन्द्र नाथ दास : मेरे विचार में यह विधेयक हमारे देश की बुनियादी प्रौद्योगिकी के हितों की रक्षा नहीं कर सकेगा। यह पहली बात है।

दूसरी बात यह है कि वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह के अनुसार इस विधेयक के उद्देश्य सीमित हैं।

लेकिन मैं समझता हूं कि इसकी पृष्ठभूमि बहुत बड़ी है। विधेयक छोटे उद्योगों तथा उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माताओं के हितों की रक्षा करने में असफल हैं। यह विधेयक गैट का बच्चा है। आप इसके बारे में जानते ही हैं। अतः इन परिस्थितियों में मैं अपना सांविधिक संकल्प वापिस नहीं ले रहा हूं।

सभापति महोदय : अब मैं श्री जितेन्द्र नाथ दास द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न है :

'कि यह सभा 31 दिसम्बर 1994 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सीमा-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्यांक 14) का निरनुमोदन करती हैं।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार चर्चा करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री मनमोहन सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

3.27 म.प.

पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प और पेटेंट (संशोधन) विधेयक

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 31 दिसम्बर, 1994 को प्रख्यापित पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश (1994 का संख्यांक 13) का निरनुमोदन करती है।"

सांविधिक संकल्प प्रस्तुत करते हुये मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि सरकार ने इस बारे में एक वक्तव्य जारी किया है। मैं उस वक्तव्य के एक अंश को पढ़ रहा हूं :-

"भारत ने विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के लिये करार पर हस्ताक्षर किये हैं जिसमें बुद्धिजीवी सम्पत्ति अधिकार आदि के पहलुओं से संबंधित व्यापारिक करार भी शामिल हैं। टी आर आई पी एस एग्रीमेंट के अन्तर्गत भारत के दायित्वों को पूरा करने के लिये यह जरूरी है कि पेटेंट अधिनियम, 1970 में करार के प्रावधानों के अनुसार संशोधन किया जाये।"

इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि टी आर आई पी एस एग्रीमेंट के अन्तर्गत सदस्य देशों का एक दायित्व जनवरी, 1995 से औषधियों और कृषि रसायनों के क्षेत्र में पेटेंटों के लिये आवेदन पत्र पेश करने के साधन प्रदान करता है और आवेदकों द्वारा कुछ शर्तें पूरी किये जाने पर पांच वर्ष की अवधि या अब तक के लिये पेटेंट स्वीकृत या अस्वीकृत हों, तब तक के लिये विशेष विपणन अधिकार स्वीकृत करना है। यह भी एक प्रश्न है जिसके कारण अध्यादेश प्रख्यापित करने और इस विधेयक को लाने की आवश्यकता अनुभव हुई।

दूसरी बात यह है कि चूंकि पेटेंट अधिनियम, 1970 में इन वस्तुओं के लिये 'प्रोडक्ट पेटेंट्स' की व्यवस्था नहीं है और इसके लिये प्रावधान बनाने हेतु बीच का समय उपलब्ध है, इसलिये इन क्षेत्रों में अनन्य विपणन अधिकार की व्यवस्था करने हेतु प्रबन्ध किये जाते थे ताकि दायित्व को 1 जनवरी, 1995 से निभाया जा सके।

कुछ और भी कारण थे लेकिन मैं इतना ही कहूंगा।

एक दूसरा प्रश्न जिस पर मैं बल देना चाहता हूं, यह है। सरकार कहती है कि चूंकि पेटेंट एक्ट, 1970 में इन वस्तुओं हेतु 'प्रोडक्ट पेटेंट्स' के लिये प्रावधान नहीं है, इसलिये इस बारे में प्रावधान करने के लिये बीच का समय उपलब्ध है। दस वर्षों का बीच का समय है। गैट करार में भी इसे एक प्राईपलाईन प्रोडक्शन माना गया है। पाईपलाईन प्रोडक्शन का लाभ उठाये बिना भी, सरकार ने जल्दबाजी में इस अध्यादेश को प्रख्यापित करना जरूरी समझा ताकि इसके लिये प्रावधान किया जा सके। विशेष विपणन अधिकारों की व्यवस्था करने के लिये प्रबन्ध किये जाने थे। पेटेंट सम्बन्धी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिये जाने से पहले 1972 के अधिनियम में कुछ संशोधन करके कुछ अंतरिम प्रबन्ध किये जाने हैं ताकि इन उत्पादों के लिये विशेष विपणन अधिकार दिये जा सकें। यह विधेयक इस पृष्ठभूमि में पुरःस्थापित किया गया है।

इस अधिनियम की धारा 5 में कहा गया है कि आविष्कार के मामले में ऐसी वस्तु, जिसका उपयोग करना हो अथवा भोजन या औषधि या ड्रग के रूप में उपयोग करना हो या जो एलाय, ओपटिकल ग्लासिज सेमी कंडक्टरों आदि जैसी वस्तुओं की रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तैयार की जाती हों, उनके दावों के लिए कोई भी पेटेंट स्वीकार नहीं किया जायेगा लेकिन निर्माण की प्रक्रिया तथा प्रणाली दावों के पेटेंट स्वीकार किये जायेंगे।

विधेयक का उद्देश्य, एक अन्य खंड को जोड़ने का है जो वास्तव में एक खंड को शामिल करना नहीं है। वास्तव में इसका उद्देश्य इस खंड को रद्द करना है। यहां यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि निर्माण का दावा अथवा विधि अथवा प्रक्रिया के लिये पेटेंट स्वीकार किया जायेगा, न कि माल अथवा उत्पाद के लिये। इसे खंड 1 में रखते हुये, इसमें खंड 2 को जोड़ने का प्रस्ताव है। इसमें कहा गया है :-

> "उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, औषध या औषधि के रूप में उपयोग के लिए आशयित या उपयोग में लाए जाने योग्य पदार्थ के लिए किसी आविष्कार के पेटेन्ट के लिए दावा किया जा सकता है और उसके साथ, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्याय IVक में उपबंधित रीति से बरता जाएगा।"

अध्याय IVक विशेष विपणन अधिकारों के बारे में है जिसमें अनेकों उपबन्ध [illegible] किये गये हैं जिसका आशय वास्तव में 'प्रोडक्ट पेटेंट' से है। प्रोडक्ट पेटेंट की स्वीकृति दिये जाने के लिये अभी तक पेटेंट एकक में पर्याप्त संशोधन नहीं किये गये हैं। [illegible]रकार द्वारा दिये गये विवरण से यह बात स्पष्ट है। ये संशोधन [illegible] किये जायेंगे।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, साम्राज्यवादी देशों, विकसित देशों और ग्रुप-7 के देशों की आवश्यकताओं के अनुसार पेटेंट अधिनियम में सम्पूर्ण संशोधन किये जाने से पहले फिलहाल एक्ट में संशोधन किये गये हैं। इस अवधि तक यह व्यवस्था पेटेंट्स अधिनियम, 1970 के अध्याय IVक में संशोधन के रूप में चलती रहेगी जिसका अर्थ यह है कि 'प्रोडक्ट पेटेंट' लेने से पहले और इसे अधिनियमित करने से पहले उन वस्तुओं के विशेष विपणन अधिकार उन देशों, कम्पनियों अथवा व्यक्तियों को दिये जायेंगे।

अब मैं एक नया प्रश्न रखना चाहता हूं। वैज्ञानिक आविष्कारों का पेटेंट नहीं होता है। कुछ समय पहले तक ये अन्तर्राष्ट्रीय मानदंड अन्तर्राष्ट्रीय अनुबन्ध रहे हैं। पिछले वर्ष 15 अप्रैल को एक करार पर हस्ताक्षर हुये। वैज्ञानिक आविष्कारों पर पेटेंट न लगाने का विचार और धारणा छोड़ दी गयी है। प्रौद्योगिकी का पेटेंट किया जाता है, विज्ञान का नहीं। यदि 'मोलिक्यूल' की खोज होती है तो वह विज्ञान है। लेकिन मोलिक्यूल की खोज, कैसे होती है, उस 'मोलिक्यूल' का उपयोग जीवन समाज, उत्पादन, प्रौद्योगिकी को विभिन्न क्षेत्रों में कैसे हो रहा है, यह एक प्रौद्योगिकी सम्बन्धी मामला है। यह पेटेंट किया जा सकता है।

अब तर्क के बुनियादी धारणा को लेते हैं, जिस पर मानव समाज विकसित हुआ है और इस स्तर तक पहुंचा है। जो लोग पेटेंट करने तथा अन्य बातों के लिये कह रहे हैं उनके अन्दर भी ज्ञान विकसित हुआ है।

उन्होंने मानवता के संचित ज्ञान के आधार पर, वैज्ञानिकों के संचित ज्ञान के आधार पर, प्रौद्योगिकीविदों के संचित ज्ञान के आधार पर और उन लोगों के संचित ज्ञान के आधार पर जिन्होंने समाज के लिये काम किया है, विज्ञान के निमित्त, प्रौद्योगिकी व अन्य बातों के निमित्त अपने ज्ञान को इस स्तर तक विकसित किया है।

'हर पीढ़ी, पहली पीढ़ी के कुल संचित ज्ञान की स्वाभाविक उत्तराधिकारी होती है।'

इसे रोका नहीं जा सकता। यह एक प्राकृतिक नियम है। दुनिया के किसी भी भाग में कानून द्वारा, इस प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। अतः मैं समझता हूं कि जो कुछ भी किया जा रहा है। यह सब प्रकृति के नियम के विरूद्ध है। फिर भी मैं समझता हूं कि प्रौद्योगिकी यंत्र तथा विधियों को पेटेंट किया जा सकता है। यह वाणिज्य से सम्बन्धित है लेकिन ज्ञान का कभी भी कोई वाणिज्यिक उत्पाद नहीं होता। विज्ञान के किसी क्षेत्र सम्बन्धी ज्ञान के आधार पर, प्रौद्योगिकी को पेटेंट किया जाता है। इसीलिये हमारे 1970 के कानून में यह बात बिलकुल ठीक ढंग से कही गयी है कि उत्पाद को पेटेंट नहीं किया जा सकता, प्रक्रिया को पेटेंट किया जाता है। 1970 के

अधिनियम में, इस प्रश्न, जिसका मैंने जिक्र किया, के सम्बन्ध में कुछ कमियां होने के बावजूद भी इस अधिनियम ने कुल मिलाकर भारत को कुछ पहलुओं में आत्मनिर्भर किया है। मैं इस बारे में कुछ उदाहरण दे सकता हूं।

इसका जिक्र करने से पहले मैं एक दूसरे प्रश्न का जिक्र करना चाहता हूं कि इस 1970 के अधिनियम से हमें कैसे सहायता मिली। मैं केवल कुछ उदाहरण दूंगा। इसकी चर्चा करने से पहले मैं इसके राजनैतिक पहलू की चर्चा करना चाहूंगा **(व्यवधान)**

3.44 म.प.

इस समय दर्शकदीर्घा से कुछ नारे सुनाई दिये

सभापति महोदय : कृपया जारी रखें।

श्री तरित वरण तोपदार : अब स्थायी समितियां काम कर रही है। स्थायी समितियों ने काम करना शुरू कर दिया है ताकि सांसदों के विचारों को प्रभावशाली ढंग से कार्यरूप दिया जा सके।

सभापति महोदय : इन दोनों बातों के लिये हमारे पास केवल 3 घंटे का समय है। कृपया जल्दी कीजिये।

श्री तरित वरण तोपदार : वाणिज्य सम्बन्धी स्थायी समिति की काफी चर्चा और विभिन्न वर्गों के लोगों व्यापारिक घरानों और इस क्षेत्र में कार्यरत लोगों के साक्ष्य लेने के बाद कुछ निष्कर्षों पर पहुंची है। जिनमें से कुछ यहां प्रासंगिक हैं।

समिति की राय थी कि भारतीय पेटेंट कानून वस्तु का नहीं बल्कि प्रक्रिया का करने पर ठीक ही बल दे रहा है। इसे कायम रखा जाना चाहिये, समिति की यह स्पष्ट राय है। मैं मंत्री महोदय से चाहता हूं कि वे अपने उत्तर में बतायें कि उन्होंने समिति के उस सुझाव से कैसे इनकार किया, जिसे लोकसभा के सामने प्रस्तुत किया गया है। 20 वर्ष तक अवधि बढ़ाये जाने से वास्तव में अनुसंधान और विकास को क्षति पहुंचती है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। भारत को कुछ परिस्थितियों में 'ओटोमेटिक लाईसेसिंग की मंजूरी के लिये जोर देना चाहिये। 'माईक्रो-ओरगेनिज्म' और बायोलोजिकल प्रक्रियाओं को पेटेंट क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिये, ये सुझाव यहां प्रासंगिक हैं।

मैं समझता हूं कि सरकार संसदीय प्रक्रिया के प्रति सम्मान दिखाये बिना शरद्कालीन या मानसून सत्र से पहले संसद में आये बिना-यह होने जा रहा था, वे इन सब बातों को जानते थे-इस सुझाव के साथ संसद में आये बिना कि वे स्थिति का सामना कैसे कर रहे हैं और उन्होंने—स्थायी समिति के सुझावों पर क्या कार्यवाही की, वे केवल अध्यादेश प्रख्यापित करने के लिये 31 दिसम्बर तक प्रतीक्षा करती रही। अब सरकार इस विधेयक को अध्यादेश के स्थान पर पारित करना चाहती है।

हम सब जानते हैं कि उसके लिये आखिरी तारीख 24 है। अतः संसद को इसे जल्दबाजी में पास करना है। ऐसे गम्भीर मामलों में सरकार ने यह तरीका अपनाया है, जिससे न केवल देश का औद्योगिक आधार प्रभावित हो सकता है, विशेषकर रसायन, औषधि और दवाइयों के क्षेत्र में अपितु देश की अत्मनिर्भरता और सार्वभौमिकता भी खतरे में पड़ सकती है।

मूल्य वृद्धि सम्बन्धी अनुसंधान ग्रुप के अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय बाजार में बिक रही औषधियों में एंटी-बाईओटिक्स के 42 प्रतिशत भाग, एंटी-वेक्टेरियल्स के 89 प्रतिशत भाग एंटी-लेपरोसी के 70 प्रतिशत भाग, एंटी-टिबरोक्लोसीज के 66 प्रतिशत भाग, कार्डीओनापकुलर के 51 प्रतिशत भाग और काउंटरसेप्टिव के 89 प्रतिशत भाग पर अमरीका के पेटेंट लगेंगे, यदि उत्पाद पेटेंट स्वीकार किया जाये अथवा यदि अनिवार्य अथवा विशेष मार्केटिंग अधिकार स्वीकार किये जायें। इसका अर्थ यह है कि यदि उत्पाद पेटेंट स्वीकार किया जाता है और यदि विशेष मार्केटिंग अधिकार स्वीकार किया जाता है तो एंटी-बायोटिक्स के 42 प्रतिशत भाग, एंटी-बेक्टेरियल्स के 98 प्रतिशत भाग आदि पर या तो अमरीका के पेटेंट लगेंगे या इन पर अमरीका की कम्पनियों के विशेष मार्केटिंग अधिकार होंगे।

धारा 5(1) हैं; धारा 5(2) है, जिसे जोड़ा जा रहा है, यह अध्याय 4(क) में घाटा 24(क), 24(ख) और 24(ग) और 24(घ) के रूप में जोड़े जा रहे प्रावधानों के अनुसार काम करेगी जिसका निष्कर्ष यही निकलता है कि विज्ञान का पेटेंट किया जायेगा जो कि प्रकृति के विकास के नियमों के विरूद्ध है। यह मानव और ज्ञान के हित में भी नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि बौद्धिक सम्पदा संबंधी अधिकारों से सम्बन्धित मामले केवल एक शुरूआत है। टीआरआईपीएस एग्रीमेंट में कई बातें सामने आयेंगी। मैं इसका जिक्र इसलिये करना चाहता हूं कि इस पेटेंट (संशोधन) विधेयक में अन्य बातें शामिल नहीं की गयी हैं। मैं इस पर विस्तार से नहीं बोलूंगा। परन्तु विधेयक से यह स्पष्ट है कि या तो यह एक अंतरिम प्रबन्ध या पूरा प्रबंन्ध सिद्ध होगा। टी. आर.आई.पी.एस. करार के अनुसार सारा ढांचा बदल जायेगा जिसके अन्तर्गत केवल कुछ ही 'बायोलोजिकल प्रक्रियायें' ऐसी हैं जो पेटेंट के अन्तर्गत नहीं आती और विश्व की सभी वस्तुऐं पेटेंट के अन्तर्गत आयेंगी। अतः यह बहुत खतरनाक है, न केवल मार्केटिंग के लिये बल्कि मूल्य वृद्धि के लिये भी। पाकिस्तान एक उदाहरण है। हमें नहीं पता कि हम पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं या मेक्सिको की ओर। सरकार इस बात का उत्तर दे कि क्या आर्थिक दृष्टि से हम पाकिस्तान के निकट पहुंच रहे हैं या मेक्सिको के निकट।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें। अब आधा घंटा हो चुका है।

श्री तरित वरण तोपदार : यह न केवल देश की अर्थव्यवस्था के विरूद्ध है बल्कि सामाजिक विकास के प्राकृतिक नियमों के भी विरूद्ध है। अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और सभा से अनुरोध करता हूं कि इसे पूर्णतः अस्वीकार करे।

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : मैं प्रस्तुत करता हूं :—

"कि पेटेंट अधिनियम, 1970 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह विधेयक 31 दिसम्बर, 1994 को प्रख्यापित पेटेंट अध्यादेश 1994 का स्थान लेने के लिये पेश किया गया है। इससे बौद्धिक सम्पदा अधिकारों संबंधी करार के व्यापार से संबंधित पहलुओं के अधीन भारत की बाध्यताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी और हमारे हितों की रक्षा होगी, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है।

विश्व व्यापार संगठन करार पहली जनवरी, 1995 से प्रभावी हुआ है। करार के अन्तर्गत बाध्यताओं में से एक यह है कि 1 जनवरी, 1995 से औषधि और कृषि रसायनों के क्षेत्र में पेटेंटों के आवेदनों को फाईल करने के लिये और ऐसे आवेदकों द्वारा कतिपय शर्तों के पूरा करने पर पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति या पेटेंट के अनुदत्त या नामंजूर किये जाने तक, जो भी परिवर्ती हो, अनन्य विपणन अधिकार अनुदत्त करने के लिये साधनों की व्यवस्था की जाये।

पेटेंट अधिनियम, 1970 कृषि रसायनों और औषधि के क्षेत्र में उत्पाद पेटेंटों की स्वीकृति के लिये उपबंध नहीं करता है। टी.आर. आई.पी.एस. एग्रीमेन्ट के अनुसार हमें सन् 2005 तक ऐसे पेटेंट स्वीकार करने के लिये अधिनियम का संशोधन करना है। उपरोक्त व्यवस्था बीच की अवधि में की जानी है।

31 दिसम्बर, 1994 को प्रख्यापित पेटेंट अध्यादेश, 1994 औषधियों और कृषि रसायनों के क्षेत्र में इस व्यवस्था को प्रभावी बनाता है। यह विधेयक अध्यादेश का स्थान लेने के लिए पेश किया गया है। संशोधन में विधेयक के अनुसार कुछ शर्तें पूरी करने के बाद अनन्य विपणन अधिकार प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है।

4.00 म.प.

पेटेंट अधिनियम, 1970 के संशोधन से ऐसे उपाय किये गये हैं, जिससे सरकार लोकहित में हस्तक्षेप कर सके।

(क) अनन्य विपणन अधिकार स्वीकार करने से पहले (जिसमें उत्पाद के 'विक्रय' और 'वितरण' के अनन्य अधिकार का प्रावधान है) आवेदन पत्र की जांच यह देखने के लिये की जायेगी कि क्या पेटेंट अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं हुआ है।

(ख) भारत में किये गये अन्वेषणों के लिये आवेदक को किसी अन्य देश में उत्पाद पेटेंट और विपणन अनुमोदन प्राप्त नहीं करना होगा। आवेदक को केवल भारत में प्रक्रिया पेटेंट प्राप्त करना होगा, जो अनन्य विपणन अधिकार का आधार होगा।

(ग) सरकार लोकहित में या तो स्वयं या किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा विपणन अधिकार ग्रहण कर सकती है। सरकार के पास लोकहित में अनन्य विपणन अधिकार के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के मूल्य निश्चित करने की शक्तियां भी होंगी।

(घ) अनिवार्य लाइसेंस सम्बन्धी प्रावधान अनन्य विपणन अधिकारों पर भी लागू कर दिये गये हैं। अधिकार प्राप्तकर्ता उन वस्तुओं की पर्याप्त सप्लाई जारी रखेगा जिनके लिये अधिकार प्राप्त किया गया हो और ऐसा न किये जाने पर, सरकार आपके लिये एक अनिवार्य लाईसेंस जारी करेगी।

(ङ) इसके अतिरिक्त, पेटेंट अधिनियम की धारा 39, जो आवेदन पत्रों को प्रतिबंधित करती थी, का लोप कर दिया गया है जिससे भारत में अन्वेषणों के लिये सुविधायें मिलेंगी।

अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस विधेयक का समर्थन करने के लिये अपना समर्थन दें।

सभापति महोदय (श्री शरद दिघे) : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 31 दिसम्बर, 1994 को प्रख्यापित पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्यांक 13) का निरनुमोदन करती है।"

"कि पेटेंट अधिनियम 1970 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभा मद संख्या 13, और 14 पर एक साथ चर्चा करेगी। इसके लिये 3 घंटे का समय है। श्री राम कापसे।

श्री राम कापसे (ठाणे) : सभापति महोदय, मैं इस अध्यादेश तथा विधेयक का विरोध करता हूं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को वापस ले ले। यह सरकार के हित में भी अच्छा होगा यदि ऐसा सम्भव नहीं हुआ तो सम्पूर्ण विपक्ष और यहां तक कि कांग्रेस दल के कुछ सदस्य इस विधेयक को सदन में पारित नहीं होने देंगे क्योंकि आप लोगों का विश्वास खो चुके हैं।

(श्री पीटर जी. मरबनिआंग पीठासीन हुए)

4.02 म.प.

आप क्या करना चाहते हैं? संक्षेप में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां कृषि रसायनों पर भारत के बाहर भी पेटेंट लगायेंगे और औषध उत्पादों का अनन्य विपणन अधिकार भी इन कम्पनियों के हाथ में आ जाएगा जो भारतीय औषध कम्पनियों के लिए हानिकारक होगा। आपने हमें क्या संरक्षण दिया है? सबसे अधिक प्रभावित कृषक समुदाय होगा। सबसे पहले विरोध किसान वर्ग की ओर से हो रहा है और उस विरोध से अन्ततः आगामी संसदीय चुनावों में कांग्रेस हार जायेगी और इस मामले में तो सांसद भी आपको पराजित करने के लिये उत्सुक हैं। हम कई वर्षों से 'गैट' के सम्बन्ध में सरकार को कहते आ रहे हैं कि सांसद को विश्वास में ले लें। क्या आपने कभी ऐसा किया है? क्या आपने इस पर संसद की मंजूरी ली है? क्या इस मामले में यथार्थ सर्वसम्मति हुई है? इस मामले में राष्ट्रीय सहमति ली जानी बहुत आवश्यक थी। आपने कभी भी ऐसा नहीं किया। यह राष्ट्र को नये वर्ष का उपहार है। पिछले साल 31 दिसम्बर को आपने अध्यादेश लाग किया और आपने कहा था कि संसद का सत्र नहीं चल रहा था। हम शरद्कालीन सत्र के लिये यहां थे। आपने कभी भी हमें विश्वास में नहीं लिया।

आप कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में पराजय के कारण कभी भी संसद का सामना नहीं करना चाहते थे। अब महाराष्ट्र और गुजरात में पराजय के बाद भी आप इस विधेयक के साथ आये हैं और हमें कहते हैं कि उद्योग के हित में और अधिनियम के प्रभावों को जाने बिना और बिना सहमति के इसके लिए मतदान करें। आज के किसी भी वित्तीय समाचार पत्र को देखें। आप देखेंगे कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से प्रतियोगिता के कारण यूनिट के बाद यूनिट बिक्री के प्रस्तुत हैं और आप अब इससे चिंतित हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को यहां के उद्योगों की कीमतों पर लाभ पहुंचेगा।

इसके कई उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनसे कि स्वयं इस बात का पता चलता है। प्रबन्ध संस्थान के एक प्रोफेसर भारतीय चिकित्सा प्रणाली की संहिता तैयार करने में सहायता कर रहे हैं, ने संयुक्त राज्य अमरीका के पेटेंट कार्यालय में स्थानीय औषधियों के पेटेंट के सम्बन्ध में सम्पर्क स्थापित किया। यह इस सरकार के लिये शर्म की बात है। उसने कड़े शब्दों में कहा कि "आपके पेटेंटिंग कार्यालय में भ्रष्टाचार के कारण और आपकी व्यवस्था जिस ढंग से भी चल रही है। उसके कारण उन्हें संयुक्त राज्य अमरीका से सम्पर्क स्थापित करना पड़ा।" यह सब कुछ यहां हुआ, फिर भी आप कहते हैं कि "हम अपने उद्योगों/अनुसंधान और किसानों की रक्षा कर रहे हैं। कम से कम हमें न बतायें कि आप यह सब किसानों और अनुसंधानकर्ताओं के नाम पर कर रहे हैं। आज केवल 15 प्रतिशत लोग औषधियों का उपयोग कर रहे हैं, आपने घोषणा...**(व्यवधान)**

श्री राम कापसे : आपने निर्णय कर लिया है कि वर्ष 2000 "सब के लिये स्वास्थ्य" का वर्ष होगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : यह सबके लिये नरक का वर्ष होगा।

श्री इन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : यह सबके लिये मौत है।

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : यह केवल पश्चिम बंगाल में है।

श्री राम कापसे : उन्होंने "सबके लिये स्वास्थ्य" की घोषणा कर दी है। मैं आगे बढ़ता हूं महाराष्ट्र सरकार, जो उस समय कांग्रेस सरकार थी, ने घोषणा की थी कि 1990 का वर्ष "सबके लिये स्वास्थ्य" का वर्ष होगा और 1990 और 1994 के बीच सैंकड़ों आदिवासी, अनुसूचित जाति के लोग अमरावती जिले में ठाणे तथा धुलिया जिले में मर गये। आपको इसके बारे में शर्म नहीं आयी और लोगों ने आपके विरूद्ध यह सोचकर वोट दिया कि आप हत्यारे हैं और अब भी आप इस विधयक को लाये हैं और आपके अधिकारियों, आपके सचिव ने चिकित्सा उद्योग और औषधि उद्योग को आश्वासन दिया है कि बढ़ती उत्पादन लागत को पूरा करने तथा उद्योग को अधिक लाभ सुनिश्चित करने के लिये अधिक यथार्थवादी तथा लचीला मूल्य नियंत्रण तंत्र पर नई औषध नीति तैयार करते समय विचार किया जायेगा।

आप यह करना चाहते हैं। लेकिन नये अधिनियम और नये संशोधन से क्या स्थिति उत्पन्न होगी? संयुक्त राज्य अमरीका में स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि 'ब्रांड नेम' वाले ड्रग्ज की कीमतें अन्य औषधों की तुलना में 250 गुणा अधिक हैं और ऐसी स्थिति में हमारी औषधियों की कीमतें 900 प्रतिशत, कुछ कम मामलों में 3000 प्रतिशत तक बढ़ जायेंगी।

अतः आज के मूल्यों में सरकार की औषधि नीति, संयुक्त राज्य अमरीका के ब्रांडयुक्त माल के मूल्य के संदर्भ में देखा जाए तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन के बाद जो औषधों के मूल्य होंगे, उस स्थिति में "सबके लिये स्वास्थ्य" अन्ततः "सबके लिये मौत" बनेगा, जैसे कि एक माननीय सदस्य ने कहा भी है। लेकिन लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि सरकार के इरादे पूरे न हों। गैट के मामले में इन्होंने जल्दबाजी से काम लिया। इस विषय पर कोई राष्ट्रीय सहमति नहीं बनायी गयी। इस सम्बन्ध में हमारे विरोध की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

शुरू-शुरू में सरकार प्रक्रिया के लिये पेटेंट के पक्ष में थी लेकिन बाकी सभी देशों ने इसका विरोध किया। लेकिन "उत्पादों" के मामले में आपने अन्य राष्ट्रों के आग्रह को स्वीकार किया और करार पर हस्ताक्षर किये। अन्ततः चाहे यह प्रक्रिया हो अथवा उत्पाद पेटेंट, आप सहमत हो गये हैं और अन्य देशों के दबाव में आये हैं। लेकिन विपक्ष इसका विरोध करेगा। आपके अपने सदस्य इसका विरोध करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका उद्देश्य पूरा न हो। एक तरह से जनादेश खो बैठने के बाद आपकी सरकार एक कामचलाउ सरकार है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जल्दबाजी से काम न लें और ऐसा विधेयक पास न करें जो आने वाले वर्षों में सारे देश के हितों को प्रभावित करेगा।

अतः मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि विधेयक को वापिस ले लें।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण (कराड़) : माननीय महोदय, मैं पेटेन्ट (संशोधन) विधेयक, 1995 का समर्थन करता हूं।

श्री राम कापसे : आप महाराष्ट्र आकर यह बात कहिए।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : मैं महाराष्ट्र में भी यह कहता रहा हूं और यहां भी कहूंगा।

श्री राम कापसे : इसीलिए आपको भुगतना पड़ा है।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : महोदय, विधेयक बिल्कुल सीधा सा है। इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू राजनीतिक है जिस पर पहले बोल चुके हमारे सहकर्मी तथा मेरे मित्र, जिन्होंने विधेयक का विरोध करते हुए संकल्प पेश किया है और श्री राम कापसे, प्रकाश डाल चुके हैं।

महोदय, गैट के समूचे उरुग्वे राउंड पर राजनीतिक चर्चा गत तीन वर्षों से देश में संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह चल रही है। गैट समझौते पर इस सदन में अनेक अवसरों पर विस्तार से चर्चा हुई है। एक संसदीय स्थायी समिति ने इसका विस्तारपूर्वक अध्ययन किया, लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वानों, विशेषज्ञों, व्यापार संगठनों, सेवानिवृत्त हुए नौकरशाहों का साक्ष्य लिया और सबके मतों पर विचार करने के बाद उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अनिवार्यतः कहा गया कि देश

को गैट की छतरी के नीचे अथवा इसके उत्तराधिकारी संगठन-विश्व व्यापार संगठन—के ढांचे के भीतर रहना ही होगा। आज विश्व में राजनीतिक-आर्थिक स्थिति से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह देश अलग-थलग पड़े एक आर्थिक द्वीप के रूप में नहीं रह सकता। भारत जैसे विशाल देश, एक महाद्वीपीय अर्थव्यवस्था, को विश्व की मुख्य धारा में शामिल होना होगा। इसे अपनी अर्थव्यवस्था को विश्वव्यापी बनाना होगा। भलीभांति विचार करने और संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करने के बाद सरकार ने गैट बातचीत के 'उरुग्वे राउन्ड' को स्वीकार करने का निर्णय किया।

मरक्कश में हमने 15 अप्रैल, 1994 को समझौते पर हस्ताक्षर किए। लेकिन उसके बाद सरकार में, कार्यपालिका के भीतर हमें जो करना अनिवार्य है अथवा गैट के अंतर्गत या विश्व व्यापार संगठन और 'ट्रिप्स' समझौते, इत्यादि जैसे इसके अन्य विभिन्न उप-संगठनों के अंतर्गत हमारी क्या बाध्यताएं हैं, उनकी विस्तारपूर्वक सूक्ष्म जांच पड़ताल की गई। सरकार ने अंतिम क्षणों तक सन्धि की अभिपुष्टि नहीं की। कैबिनेट ने गैट समझौते की अभिपुष्टि केवल 30 दिसम्बर, 1994 को ही जाकर की। जैसा कि आप जानते हैं, गैट समझौते अथवा नए विश्व व्यापार संगठन को 1 जनवरी, 1995 से अस्तित्व में आना था। सरकार ने अंतिम मिनट तक प्रतीक्षा की और 30 दिसम्बर को गैट-समझौते की अभिपुष्टि कैबिनेट द्वारा कर दी गई। गैट समझौते के अन्तर्गत हमें क्या-क्या करना अनिवार्य है?

"ट्रिप्स" समझौते द्वारा गैट में शामिल सभी पार्टियों अथवा विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्य देशों पर कुछ शर्तें लगायी गयी हैं। बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के क्षेत्र में भी विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों से भी कुछ शर्तें पूरी करने की अपेक्षा की जाती है। सदस्य देशों से कुछ ऐसी शर्तें पूरी करने की अपेक्षा की गयी और उनमें से कुछ गैट के समाप्त होने और विश्व व्यापार संगठन के स्थापित होने से अर्थात् 1 जनवरी, 1995 से प्रभावी होनी थी। अतः विश्व व्यापार संगठन का एक हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते भारत 1970 के पेटेंट एक्ट में कुछ परिवर्तन करने के लिये बाध्य था क्योंकि वे प्रावधान 1 जनवरी, 1995 से लागू होने थे। अतः 31 दिसम्बर को एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया। इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं थी। यह बात उसी दिन स्पष्ट हो गयी थी जब मरक्कश में हमने गैट समझौते पर हस्ताक्षर किये कि हम यह सब काम 1 जनवरी, 1995 से कर रहे हैं। अतः हमने इसे 31 दिसम्बर को लागू किया। उस समय संसद सत्र नहीं था। एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया और अब हम विधेयक को पारित करने के लिये सदन में आये हैं।

विश्व व्यापार संगठन और 'ट्रिप्स' की तीन महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। पहली सीमा जैसा कि मैंने कहा, 1 जनवरी, 1995 है। अर्थात जब विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। दूसरी महत्वपूर्ण सीमा अब से 5 वर्ष बाद से होगी अर्थात् 1 जनवरी, 2000 और उस समय तक कुछ काम करने होंगे क्योंकि हम इसके लिये वचनबद्ध हैं। तीसरी सीमा लक्ष्य विशेषतः ऐसे विकसित देशों के बारे में है जिनके पास कुछ श्रेणी के उत्पादों के लिये उत्पाद पेटेंट की व्यवस्था नहीं है। अतः हमें 1 जनवरी, 2004 तक कुछ और अधिक काम करने हैं। ये तीन सीमाएं हैं जिनको 'डंकल प्रारूप' अथवा अंतिम अधिनियम या विश्व व्यापार संगठन समझौते में स्पष्ट किया गया है।

पहले चरण के लिये कानून बन गया है। हमने अध्यादेश प्रख्यापित किया है जो अब सभा के सामने है। इसके उद्देश्य क्या हैं? इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति भारत में 1 जनवरी, 1995 से ऐसे उत्पादक उत्पादों के पेटेंट के लिये आवेदन पत्र दे सकता है जिनके उत्पाद पेटेंट के लिये पहले प्रतिबन्ध थे। इसका दूसरा काम यह है कि यह उन सभी औषधों के लिए अनन्य विपणन अधिकार देता है जिनके पेटेंट के लिये आवेदन पत्र दिया गया हो। विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अन्तर्गत केवल यही दो काम किये जाने थे और इन्हें किया गया। इससे अधिक कुछ नहीं। कुछ अन्य कदम पांच सालों के बाद उठाये जायेंगे। उदाहरण के लिये पेटेंट की अवधि वर्तमान में 7 या 14 वर्ष से 20 वर्ष बढ़ाने, ताकि पेटेंट के मामले में समानता हो, के लिये हमें 'माइक्रोओरगेनिजम' पेटेंट के बारे में निर्णय लेना होगा। हमें पेटेंट के कार्यकरण के बारे में निर्णय लेना होगा कि क्या आयात पेटेंट में सम्मिलित होगा या नहीं। सब अगले पांच वर्षों के अंदर किया जाना है। अब हमें दो मुख्य काम करने हैं अर्थात् कुछ ऐसी श्रेणियों तक पेटेंट की व्यवस्था करना, जिन्हें अभी तक छोड़ा हुआ था और पांच वर्षों के लिये विपणन अधिकार देना। इन दो कामों का औषध उद्योग, कृषि, रसायन उद्योग अथवा स्वास्थ्य के लिये क्या अर्थ है? हमें इन पहलुओं पर आना है।

सबसे पहले हम इस बात पर विचार करें कि अध्यादेश से पहले हमारे पास 1970 का पेटेंट अधिनियम था जिसकी प्रशंसा सभी लोगों ने की है, जो तीसरे विश्व में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून था। इससे भारत जैसे विकासशील देश, जिसके पास अच्छी वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की व्यवस्था नहीं थी और वैज्ञानिकों की टीम नहीं थी, को सुरक्षा प्रदान की। इसके द्वारा अपने लिये उसी वस्तु की हमें पुनः आविष्कार करने की आवश्यकता नहीं थी और हम पेटेंट-शुदा औषधियों की नकल कर सकते थे और भारत में बहुत सस्ते दामों पर बेच सकते थे। यह भारत जैसे विकासशील देश के लिये अच्छा था लेकिन पश्चिम के देशों ने इस पर आपत्ति की। उन्होंने इसे बौद्धिक सम्पदा की चोरी कहा। "ट्रिप्स" समझौता ऐसी सभी बातों के लिये किया गया था, जहां प्रौद्योगिकी की दृष्टि से भारत जैसे प्रगतिशील देश के बारे में कहा गया कि यहां चोरी हो रही है और पश्चिम देशों की बौद्धिक सम्पदा की चोरी की जा रही है। भारत के वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से उत्पाद पेटेंट पर आपत्ति नहीं की अथवा उत्पाद पेटेंट प्रणाली की ओर नहीं बढ़े जैसे कि कुछ मित्रों ने आरोप लगाया है कि सारा वैज्ञानिक समुदाय इसके विरूद्ध है। वे कुछ समय चाहते थे, कुछ बीच का समय चाहते थे ताकि 'भारत' में औषधियों और दवाईयों' के क्षेत्र में काम कर रहे वैज्ञानिकों को अपने ही घर में अनुसंधान और विकास की सुविधायें मिल सकें। उन्होंने इसी के लिये कहा। जेनेवा, मरक्कश तथा अन्य स्थानों पर लम्बी वार्ताओं के बाद 5 वर्ष के बीच का समय दिया गया। यद्यपि हम 15 वर्ष चाहते थे। फिर भी 5 वर्ष का समय दिया गया। उत्पाद पेटेंट लागू करने के लिये 10 वर्ष का समय दिया गया।

यदि आप देश के समूचे औद्योगिक उत्पादन को देखें; जैसे कि वायुयान उद्योग, ओटोमोबाईल उद्योग, कल-पुरजे उद्योग, इलेक्ट्रानिक्स उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, सोफ्टवेयर को लें, जो पता चलेगा कि देश का सारा औद्योगिक क्षेत्र उत्पाद पेटेंट तथा प्रक्रिया पेटेंट के अन्तर्गत है। 1970 के अधिनियम के अनुसार हम देश के समूचे औद्योगिक उत्पादन को कुछ बातों को छोड़कर, जिन्हें अधिनियम में लाया गया, उत्पाद पेटेंट अथवा प्रक्रिया पेटेंट के अन्तर्गत ला सकते हैं। ये रासायनिक पदार्थ, खाद्य उत्पाद अथवा कृषि रसायन थे। यदि आप कुल औद्योगिक उत्पादन को लें, तो मालूम होगा कि केवल दवाइयां, औषधियां तथा कृषि रसायन उत्पाद पेटेंट के अन्तर्गत नहीं थे। अब यह विधेयक इन पदार्थों को, जिन्हें उत्पाद पेटेंट के लिये शामिल नहीं किया गया, उत्पाद पेटेंट के अन्तर्गत लाने का प्रयास कर रहा है और इसके लिये कुछ समय रखा गया है। हम समूची बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रणाली को स्वीकार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यदि आप बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को देखें तो पता चलेगा कि इसमें कापीराईट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक सूचना का स्वामित्व, औद्योगिक डिजाईन, इलेक्ट्रानिक इनटेगरेटेड सर्किट आदि शामिल हैं, इसमें भौगोलिक संकेत तथा पेटेंट भी शामिल हैं। हम विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन के सदस्य हैं। बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की सात श्रेणियां हैं। पेटेंट को छोड़कर, भारत हर बात में दुनिया की बराबरी में है। हर पहलू में, चाहे कापीराईट हो, चाहे ट्रेडमार्क, हम दुनिया का मुकाबला करते हैं। इस पर कोई तर्क नहीं होना चाहिये। केवल दवाईयों, औषधियों और कृषि रसायनों जैसे कुछ रासायनिक पदार्थों के मामले में भारत की स्थिति कुछ पश्चिमी देशों से भिन्न है। अब दुनिया के साथ शामिल होकर हम यही कुछ करने जा रहे हैं। अब हम इन सब बातों को स्वीकार कर रहे हैं। इसके लिये समय काफी है। तर्क दिया जा रहा है कि—"वास्तव में होगा क्या?" हम यह नहीं कह रहे कि हम केवल रसायनों के लिये उत्पाद पेटेंट की स्वीकृति देंगे। हमने कहा है कि हम 1.1.95 से रसायनों, औषधियों तथा कृषि रसायनों की कुछ श्रेणियों के उत्पाद पेटेंट हेतु आवेदन पत्र स्वीकार करेंगे। हमें पेटेंट स्वीकार नहीं करने हैं। हमें केवल आवेदन पत्र स्वीकार करने हैं। ऐसा किया जा रहा है क्योंकि यदि हम उत्पाद पेटेंट की स्वीकृति देते हैं, जिसकी स्वीकृति हम कुछ समय बाद देंगे, तो प्राथमिकता अथवा पेटेंट फाईल करने की तारीख, जो बहुत महत्वपूर्ण है पेटेंट फाईल करने वाले को दी जायेगी। यही कुछ किया जा रहा है।

दूसरी बात यह है कि पेटेंट से कुछ अधिकार मिलते हैं। यह अनन्य अधिकार एक उत्पाद या पदार्थ के उपयोग, निर्माण, विक्रय अथवा वितरण के लिये है। अब केवल निर्माण तथा उपयोग और विक्रय तथा वितरण के बीच पहचान करने का विचार है।

हम सचमुच अधिकारों का विभाजन करेंगे। हम विक्रय और वितरण के अधिकार दे रहे हैं। हम उपयोग और निर्माण की बात नहीं कर रहे हैं, यह तो केवल पेटेंट ही स्वीकार करने की तरह होगा। हम एक नई वस्तु के विक्रय और वितरण की तुलना में नई वस्तु को तैयार करने और उसके निर्माण के बीच पहचान कर रहे हैं। यह विधेयक पेटेंट वाले उत्पाद के विपणन, विक्रय और वितरण को अनन्य अधिकार देता है। यही कुछ किया जा रहा है। अब क्या होगा? मेरे मित्र, जिसने इस विधेयक के विरोध के लिए संकल्प प्रस्तुत किया है, को कुछ आंकडे देने चाहे कि कतिपय रसायन अधिक मंहगे होंगे। प्रो. कापसे ने कहा है कि कतिपय रसायन नौ गुणा अधिक मंहगे तथा कतिपय औषधियां तीस-गुना अधिक मंहगी हो जायेंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने इस विधेयक के उपबंधों को बिल्कुल नहीं समझा है। महोदय, देश में आज जो कुछ हो रहा है, चाहे हम नकल कर रहे हैं अथवा चोरी कर रहे हैं, चाहे हम उत्पादों को सस्ता बेच रहे हैं अथवा चाहे यह बौद्धिक चोरी है, आज जो भी शब्द हों, किसी में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस विधेयक के कारण किसी भी औषधि के मूल्य में एक पैसा का भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब यह विधेयक अधिनियम बन जायेगा, तो यह केवल उन्हीं उत्पादों अथवा वस्तुओं पर लागू होगा जिनको पेटेंट के लए 1.1.95 के पश्चात फाइल किया गया है, जो कुछ अन्य देशों में पेटेंट के अन्तर्गत पहले लाया गया था, उस पर इस विधेयक से बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा है। अतः, उसका क्या अर्थ है? जब किसी नये रासायनिक मोलिक्यूल की खोज की जाती है तथा आविष्कारक उसे पेटेंट करवाने के लिए हमारे पेटेंट कार्यालय जायेगा तो उसका आवेदन स्वीकार किया जायेगा। लेकिन एक औषधि का अविष्कार करने की प्रक्रिया क्या है? जब आप एक नये मोलिक्यूल का औषधि के रूप में उपयोग करने के लिए फाइल करते हैं, तो इसके बाजार में बेचे जाने तथा लाभ अर्जित करने से पूर्व इसके उत्पाद बनने में बहुत लम्बा समय लगता है।

आंकड़े बताये गये हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक औषधि को विपणन के लिए स्वीकृत करने से पूर्व अनुसंधान तथा चिकित्सीय परीक्षण पर लगभग 200 करोड़ रुपये से 300 करोड़ रुपये लग जाते हैं। महोदय, औषधियों तथा भेषजों के मामले में विपणन स्वीकृति की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। पेटेंट फाइल करने से आपको कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। पेटेंट फाइल करने से केवल वरीयता तारीख मिलती है कि यदि पेटेंट प्रदान किया जाता है, तो यह उस तारीख से भूतलक्षी प्रभाव से समझा जायेगा। परन्तु आपको फिर भी एफ.डी.ए., प्रत्येक देश के नियन्त्रक प्राधिकारी को यह सिद्ध करना है कि यह औषधि हानिकारक नहीं है; कि यह औषधि वास्तव में जो कुछ करने के लिए कहती है, वह वास्तव में करती है; कि यह इस बीमारी को एक विशेष मात्रा के द्वारा ठीक करेगी इत्यादि। इस प्रक्रिया में 7 से 15 वर्ष का समय लगता है। जब तक इस पूरी प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जाता तब तक एक रुपया का भी लाभ अर्जित नहीं किया जा सकता, बाजार में एक रुपये की भी औषधि नहीं बेची जा सकती। अतः हमारे कहने का आशय यह है कि यदि आप आज पेटेंट के लिए आवेदन करें तथा वह उत्पाद अगले पांच से दस वर्षों तक बाजार में नहीं आयेगा। किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी के द्वारा यहां डम्पिंग करने के प्रयास का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि जो पहले हो रहा था, वह होता रहेगा। कीमतों में कोई परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा।

अतः, हम आज अन्तर्राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा सुरक्षा प्रणाली के स्तर पर आने का प्रयास कर रहे हैं तथा भविष्य में, मान लो दस वर्षों में—जिसके लिए वैज्ञानिक समुदाय सहमत है—यदि कुछ समय दिया

गया तो वे विश्व से प्रतिस्पर्धा करेंगे। हमारे वैज्ञानिक किसी से कम नहीं हैं। एकमात्र कमी यह है कि हम अनुसंधान तथा विकास में निवेश नहीं कर रहे हैं क्योंकि विदेशों में आविस्कार की गई औषधियों की नकल करना तथा यहां अत्यधिक लाभ कमाना बहुत आसान है। इसलिए हमारा भेषज उद्योग अनुसंधान तथा विकास में निवेश नहीं करता। अब, यह नया संशोधन हमारे भेषज उद्योग को भविष्य में अनुसंधान तथा विकास पर निवेश करने के लिए बाध्य करेगा। कारण यह है कि भारत में अनुसंधान तथा विकास लागत बहुत कम है तथा हम विश्व के साथ प्रतियोगिता करने मे सक्षम होंगे। हम इस प्रौद्योगिकी में अग्रणी होंगे। हम नकलची अथवा प्रौद्योगिकी के चोर नहीं होंगे बल्कि हम प्रौद्योगिकी प्रदान करने वाले होंगे। इससे स्वदेशी उद्योगों को आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान होगी क्योंकि मालिक, व्यवसायी तथा उद्यमी जिनकी अब तक अनुसंधान तथा विकास में रुचि नहीं थी, जो अनुसंधान तथा विकास में कोई निवेश नहीं कर रहे थे, वे अब निवेश करना प्रारम्भ कर देंगे क्योंकि उनकी बाहर से निःशुल्क प्रोद्यौगिकी तक पहुच नहीं होगी जिसकी पहले नकल की जाती थी तथा अत्यधिक लाभ पर बेची जाती थी। अब, उन्हें उस बौद्धिक सम्पदा पर रायल्टी प्रदान करनी पड़ेगी। जिसके तो भारतीय प्रयोगशालाओं द्वारा, अर्थात वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद प्रणाली अथवा भारत में प्राइवेट प्रयोगशालाओं द्वारा डिजाइन तैयार किए जाते हैं अथवा वे विदेशों से प्रौद्योगिकी खरीदने के लिए स्वतन्त्र होंगे। उन्हें इसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। एक बार जब उन्हें प्रौद्योगिकी मूल्य का पता लग जायेगा तो वे भारत में निवेश करेंगे क्योंकि भारत में अनुसंधान तथा विकास करना अधिक सस्ता होगा। इस विधेयक के संबंध में बहुत कुछ कहा गया है। यह एक हानिरहित विधेयक है जिसपर विगत तीन वर्षों से बहस हो रही है। हम जानते थे कि क्या किया जा रहा था। इसके बारे में कुछ भी गोपनीय नहीं है। इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। कुछ भी अंतिम क्षणों में नहीं किया गया है। दूसरी ओर, भारत सरकार ने यथासंभव अधिकतम सीमा तक देश के हितों की सुरक्षा करने का प्रयास किया है। अनन्य विपणन अधिकार प्राप्त करने के लिए, भारत में एक आवेदन करना होता है जिसे इस संशोधन के पश्चात् स्वीकृत किया जायेगा; उसे विदेश में भी एक आवेदन करना होता है। उस आवेदन को एक पेटेंट में बदला जाना है। इसका अर्थ यह है कि उत्पाद को किसी एक कन्वैंशन देश में पेटेंट करवाना पड़ता है। कन्वेंशन देश वे देश है जिन्होंने विश्व व्यापार संगठन के समझौते की अभिपुष्टि की है। आज पेटेंट अधिनियम में यथा अधिसूचित 78 कन्वैंशन देश हैं। इनमें से एक देश में पेटेंट के लिए आवेदन करके पेटेंट प्राप्त करना होता है। उसमें अट्ठारह से चौबीस माह लग जाते हैं। यदि कोई पेटेंट प्राप्त करता है, तो फिर उसके लिए अनन्य विपणन अधिकारों पर विचार किया जायेगा। तीसरी शर्त यह है कि उसे कन्वेंशन देश में औषधि अथवा भेषज उत्पाद के लिए विपणन स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। पहला कार्य आवेदन करना है; दूसरा कार्य पेटेंट प्राप्त करना तथा तीसरा कार्य नियन्त्रक प्राधिकारी, जो उस विशेष देश में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर नियन्त्रण रखता है, से विपणन स्वीकृति प्राप्त करना है। उन्हें उत्पाद को सुरक्षित (हानिरहित) अथवा चिकित्सीय महत्व के उत्पाद के रूप में तथा इस संबंध में कि कोई झूठा दावा नहीं किया गया है, स्वीकृति देनी होती है। यह एक बहुत लम्बी प्रक्रिया है। इसमें किसी भी देश में दस से बारह वर्षों का समय लग जाता है। भारत में भी हमारे स्वास्थ्य अधिकारियों से विपणन संबंधी स्वीकृति लेनी पड़ती है। यह बहुत लम्बी प्रक्रिया है। यह कल नहीं होगा; यह अगले वर्ष नहीं होगा; अगले दस वर्षों तक यह नहीं होगा। पर्याप्त सुरक्षोपाय है। यह आशा की जाती है कि उस समय के भीतर हम भारत में बड़ी संख्या में औषधियों तथा भेषजों के लिए पेटेंट आवेदन करने प्रारम्भ कर देंगे। हम विश्व स्तर पर प्रतियोगिता करना प्रारम्भ कर देंगे।

महोदय, इस संबंध में डर, वास्तविक डर महसूस किया जा रहा है कि दस या बारह वर्ष पश्चात जब यह प्रणाली लागू होगी, तो कोई अनन्य विपणन अधिकारों की इस स्थिति का लाभ उठाकर जीवन रक्षक औषधियों के लिए अत्यधिक मूल्य वसूल करेगा। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आज अधिनियम किए जा रहे विधेयक में ऐसे उपबंध हैं जो इस सुरक्षा का अनुचित लाभ उठाये जाने के प्रयास की स्थिति में भारत सरकार को हस्तक्षेप करने की अनुमति देते हैं। औषधि नियन्त्रण आदेश अथवा कुछ ऐसे नियमों के द्वारा भारत सरकार ये प्रवर्तित कर सकती है कि कतिपय औषधियां एक विशेष मूल्य पर बेची जानी चाहिए तथा अत्यधिक मूल्य नहीं लिया जाना चाहिए। अनिवार्य लाईसेंसिंग का भी एक प्रावधान है। यदि कोई अनन्य विपणन अधिकार प्राप्त करने के पश्चात एक उत्पाद को पर्याप्त मात्रा में नहीं बेचता, तो भारत सरकार हस्तक्षेप कर सकती है तथा अनिवार्य लाईसेंस दे सकती है। पर्याप्त सुरक्षा उपाय है।

अतः, इस सभा से मेरा नम्र निवेदन यह है कि हमें बाहर कुछ वोट प्राप्त करने के लिए पूर्व-विचारित कुछ राजनैतिक अवधारणाओं पर इस विधेयक का विरोध नहीं करना चाहिए। महोदय, देश ने नई आर्थिक नीति का स्वागत किया है। हम अन्तर्राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। हम अपने इंजीनियरों, अपने वैज्ञानिकों, अपने कारीगरों, अपने श्रमिकों को विश्व अर्थव्यवस्था में शामिल होने के लिए सक्षम बना रहे हैं क्योंकि वे किसी से भी पीछे नहीं हैं। हमें उन्हें सक्षम बनाने वाली अवसंरचना प्रदान करनी है। हमें उद्योगपतियों, व्यवसायियों, जो अब तक प्रौद्योगिकी की नकल करके, बाहर से प्रोद्योगिकी की चोरी करके अत्यधिक लाभ अर्जित करते रहे हैं, को उपयुक्त निवश करने के लिए बाध्य करना है ताकि हमारे वैज्ञानिक, हमारी अनुसंधान प्रयोगशालाएं, शेष विश्व से बेहतर परिणाम ला सके। मेरे विचार से, इस विधेयक के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, अन्तर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी के अवरोध उत्तरोत्तर समाप्त हो जायेंगे तथा भारत में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की पर्याप्त तथा कारगर सुरक्षा होगी।

जहां भारत में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के लिए पर्याप्त तथा कारगर सुरक्षा होगी तो भारत में अनुसंधान तथा विकास में न केवल देश के भीतर से बल्कि विदेशों से भी काफी निवेश आयेंगे, तथा इससे हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों को विश्व में प्रतियोगिता करने के लिए अवसंरचना भी हो सकेगी। यह स्पष्ट होगा कि इस संशोधन के

कोई तुरन्त प्रभाव अथवा कुप्रभाव नहीं हैं; इससे तो केवल भारत में स्थित भारतीय कम्पनियों तथा विदेशी कम्पनियों को अब पेटेंट के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान की जायेगी और इसका अंततः परिणाम भारत में भेषज तथा औषधि क्षेत्र में बहुत स्वास्थ्य तथा सक्षम अनुसंधान तथा विकास का प्रयास होगा।

विधेयक की धारा 5 के द्वारा भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 39 को निरस्त करके एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। इस धारा ने वास्तव में भारतीय नागरिकों पर, जब वे विदेशों में पेटेंट के लिए आवेदन करते थे, कतिपय प्रतिबन्ध लगाये थे। प्रतिबंध यह था कि आप विदेशों में पेटेंट के लिए आवेदन नहीं कर सकते थे— एक भारतीय नागरिक, एक भारतीय निगम अथवा भारतीय अनुसंधान तथा विकास संस्था भारत में पेटेंट नियन्त्रक की अनुमति लिए बिना पेटेंट के लिए बाहर आवेदन नहीं कर सकता था। हमें पहले अनुमति के लिए आवेदन करना पड़ता था। यदि छः सप्ताह की अवधि के भीतर अनुमति प्रदान नहीं की जाती थी, तो आप आवेदन नहीं कर सकते थे, इसका अर्थ है, छः सप्ताह का विलम्ब।

अब पेटेंटिंग में, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन का महत्व होता है। यह भारतीय नागरिकों तथा भारतीय निगमित निकायों के लिए, जब वे विदेशों में पेटेंट के लिए आवेदन करने के लिए जाते थे, मुख्य अड़चन, प्रमुख रुकावट थी। अब समस्त धारा 39 निरस्त कर दी गई है ताकि अब भारतीय नागरिक, भारतीय निगमित निकाय, भारत सरकार के पास गये बिना, विदेशों में जाकर पेटेंट के लिए आवेदन कर सकें। यह उपबंध भारतीय उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता करने में सहायता करता है। लेकिन मेरा अपना विचार है। मैं सरकार से इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने का अनुरोध करता हूं। आज, यदि रक्षा, अन्तरिक्ष, आणविक ऊर्जा के संबंध में कोई नया परिवर्तन होता है, औषधियों तथा भेषजों के क्षेत्र में नहीं, जिसके संबंध में यह विधेयक है तो अध्यादेश से पहले प्रावधान के अनुसार, भारत के नागरिक को पेटेंट नियन्त्रक के पास आना होता है तथा उसे यह बताना होता है कि वह बाहर आवेदन करना चाहता है। सरकार कह सकती है "नहीं।" वह जानता था कि इस विशेष पेटेंट के लिए बाहर आवेदन करना था तथा पेटेंट नियन्त्रक के पास एक गोपनीय खण्ड का प्रयोग करने तथा उसे यह बताने का विकल्प था कि वह इसे प्रकट नहीं कर सकता क्योंकि पेटेंटिंग का अर्थ जानकारी को सार्वजनिक बनाना होता है। आज, हमारे पास ऐसी कोई सुरक्षा नहीं है। किसी भी अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला, चाहे प्राइवेट हो अथवा सरकारी प्रयोगशाला हो, में कोई व्यक्ति सीधे जाकर लंदन अथवा न्यूयार्क में पेटेंट के लिए आवेदन कर सकता है। भारत सरकार को उसका पता नहीं लगेगा। हमें इस खण्ड के निरस्तीकरण के अन्तर्निहित प्रभाव पर गंभीरतापूर्वक विचार करना है। उद्योग मंत्रालय ने ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी होने की मंशा से किया है। लेकिन इसके कुछ अन्य प्रभाव भी हैं जिन पर बहुत ध्यानपूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है।

अध्याय 4 (क) अनन्य विपणन अधिकारों के संबंध में है। नये अध्याय की धारा 24 (ख) में कन्वैंशन देशों का संदर्भ दिया गया है। कन्वैंशन देश वे देश हैं जिन्होंने विश्व व्यापार संघ समझौते की अभिपुष्टि की है, जिन्होंने मारकेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तथा उस समझौते की अभिपुष्टि भी की है।

अब एक समझौते की पुष्टि करना तथा पेटेंट कानूनों में संशोधन करना दो अलग-अलग बातें हैं, आप विश्व व्यापार संघ को स्वीकार करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, लेकिन आप पेटेंट विधि में संशोधन करने में फिर भी समय लगा सकते हैं जैसाकि हमने 31 दिसम्बर को किया था। लेकिन कुछ देश और अधिक समय ले सकते थे। उन देशों की एक श्रेणी है जिन्होंने विश्व व्यापार संघ समझौते की पुष्टि तो की है लेकिन पेटेंट कानून में परिवर्तन नहीं किया है, कुछ देश हो सकते हैं। मैं मंत्री जी तथा सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह यह देखें कि क्या कोई अन्तर है। यह एक महत्वपूर्ण अन्तर है कि क्या एक भारतीय नागरिक, जो अपने पेटेंट के लिए आवेदन करने जा रहा है, का इस उपबंध से अहित हो सकता है।

यह विधेयक इसलिए विवादास्पद रहा है क्योंकि गैट समझौते की समस्त उरुग्वे-दौर की वार्ता बहुत विवादास्पद रही है। डंकल प्रस्ताव विवादास्पद था। लेकिन आप सरकार पर यह आरोप नहीं लगा सकते कि सरकार ने इस पर चर्चा नहीं की, इस पर सभा में परिपूर्ण चर्चा हुई थी, तीन-चार अवसरों पर, इसपर स्थायी समिति में चर्चा हुई थी; इसपर बाहर चर्चा हुई थी, विधेयक के पक्ष तथा विपक्ष में सार्वजनिक बैठकें भी हुई थीं। लेकिन अधिकतर आलोचना निरर्थक थी क्योंकि समस्त विषय वस्तु बहुत जटिल थी। हमें इसकी जटिलता को कम नहीं करना चाहिए। आलोचना गलत दिशा में थी। लेकिन जब लोगों को सही स्थिति के बारे में जानकारी दी गई, तो कमोबेश, सभी लोगों ने गैट समझौते तथा विश्व व्यापार संघ में शामिल होने के भारत के निर्णय का समर्थन किया। यह विशेष विधेयक उसका परिणाम है। यह 1 जनवरी, 1995 तक किया जाना था। हमने यह कर दिया है। इसमें कुछ भी गोपनीय तथा छुपा हुआ नहीं है।

मुझे आशा है कि यह विधेयक तथा भारतीय पेटेंट अधिनियम में परिवर्तन करने के लिए अगले पांच वर्षों में लाये जाने वाले, विधेयक, वैज्ञानिक समुदाय को वास्तव में बराबरी के दर्जे पर तथा समान स्तर पर, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता करने में सक्षम बनायेंगे। अतः मैं संकल्प के प्रस्ताव करने वाले से यह संकल्प वापस लेने का अनुरोध करता हूं तथा सभा से इस विधेयक को पूरा समर्थन देने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : मेरे विचार से आज सुबह जब अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए, तो हम इससे सहमत हुये थे कि प्रत्येक दल से केवल एक सदस्य बोलेगा क्योंकि ये अध्यादेश पारित किए जाने हैं। यह विधेयक इस सभा में पारित किया जाना है तथा इसे दूसरी सभा में भेजना है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : उन्होंने सभा की स्वीकृति ली थी।

(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा : ऐसी कोई सहमति नहीं थी।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : मान्यवर, चेयर से ऐसा सजेशन था लेकिन हम एग्री हुए हैं और हम ऐसा ही करेंगे, ऐसा नहीं है।... **(व्यवधान)**

अगर ऐसा कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप देख रहे हैं, हमारे पास समय कम है।

डा. असीम बाला (नवद्वीप) : महोदय आपको इस विधेयक को और समय देना चाहिए,...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : हम तो बहुत थोड़ा समय ले रहे हैं।

श्री गुमान मल लोढा : माननीय सभापति महोदय, अभी-अभी महाराष्ट्र के सांसद महोदय ने इसका समर्थन करते हुए सदन को यह बताया कि इसका जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज के ऊपर विश्व व्यापार संधि या अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय करार हुए, जिन्हें गैट व डंकल प्रस्ताव के नाम से सारे भारत में जाना जाता है, उनको लगभग सर्वसम्मति से देश का समर्थन मिल चुका है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की जनता ने ही इसको ठुकरा दिया। अभी-अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए और किस प्रकार से वहां पर कांग्रेस की दुर्गति हुई और यह करार महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने ठुकराया। उसके पश्चात् भी मुझे आश्चर्य है कि माननीय सदस्य कहते हैं कि जनता को इसका समर्थन मिला है। जनमत इसके विपरीत है।

मैं आशा करता था कि कम से कम वित्त मंत्री इन चारों हारों के बाद में जिस प्रकार का जनता को जो मेंडेट हुआ है जो जनादेश गैट के खिलाफ हुआ है, डंकल के खिलाफ हुआ है, जो जनादेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के खिलाफ हुआ है, उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि बेशर्मी के साथ में उन्होंने स्वीकार नहीं किया बल्कि इस कानून को ला करके जनता के द्वारा भारत के राष्ट्रीय उद्योगों के ऊपर जो घाव कर दिए गए थे, उनके ऊपर नमक छिड़कने का काम किया है।

[अनुवाद]

यह भारतीय व्यापार और उद्योग का अपमान है।

[हिन्दी]

इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

सभापति महोदय, कितने दुख का विषय है अभी-अभी यह कहा जा रहा था कि हमारे यहां पर जो औषधियां हैं या जो एग्रीकल्चर केन्द्र कृषि के अंदर अब तक पेटेंट नहीं थे उनको पेटेंट का अधिकार मिलेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं स्थिति यह है कि अब हम यह सबोर्डीनेट लेजिसलेशन कर रहे हैं, यह लेजिसलेशन नहीं है, लेजिसलेशन तो अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज के ऊपर हो गया। लेजिसलेशन तो वर्ल्ड ट्रेड आर्गनाइजेशन के द्वारा हो गया, डंकल और गैट के द्वारा हो गया, अब तो हम सबोर्डीनेट लेजिसलेशन कर रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री उनके चरणों में अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड बैंक, ट्रेड वर्ल्ड आर्गनाइजेशन, डंकैल और गैट उनके चरणों में जा करके मनमोहन सिंह शरणम गच्छामि और झुक कर कह रहे हैं कि लेजिसलेशन तो आपने कर दिया हम सबोर्डीनेट लेजिसलेशन करेंगे।

हम डेलीगेटेड लेजिसलेशन करेंगे। हम प्रभुत्व, वर्चस्व, संविधान की सोवरेनिटी को समाप्त करने जा रहे हैं, उसका कत्ल किया जा चुका है, उसका खून किया जा चुका है। आज हमें अधिकार नहीं है कि हम इस तरह का विधान न बनाएं, क्योंकि यह हमारी फेट्-अकांपलि है, हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं, हमने अपने स्वदेशी के स्वाभिमान को मार दिया है, हमने आत्म-हत्या करके वर्ल्ड ट्रेड आर्गनाइजेशन समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आज हमारी यह लाचारी है, इसीलिए यह आर्डीनेंस लाया गया, क्योंकि आप जानते थे कि सदन में इसका प्रचंड विरोध होगा। भारत में इसका प्रचंड विरोध हो रहा है, जनता-जनार्दन ने इस समझौते को मानने से इन्कार कर दिया है। आज भारत का किसान पेटेंट कराना नहीं चाहता। आज इस समझौते के द्वारा जो किसान गर्मी, सर्दी, धूप, मूसलाधार बरसात में दिन-रात मेहनत करके जो धान पैदा करता है, यदि उसका पेटेंट किसी विदेशी कंपनी ने करा लिया है तो वह उस धान के बीज को कहीं बेच नहीं सकता। हमारा काश्तकार इस तरह से विदेशों का मोहताज हो जाएगा, जो पैसा वह कंपनी चाहेगी, किसान को देना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी पढ़ कर सुनाएं कि इस वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट में कहां पर यह लिखा हुआ है कि किसान को पैसा नहीं देना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है

[अनुवाद]

> "बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार से सम्बन्धित पहलुओं विषयक करार के अन्तर्गत सदस्य देशों की बाध्यताओं में से एक यह है। [illegible], 1995 से वे औषधि और कृषि रसायनों के क्षेत्र में पेटेंटों के आवेदनों के फाईल करने के लिये साधनों की व्यवस्था करें।"

[हिन्दी]

हर प्रकार से कंपल्शन है, इसलिए इसमें लिखा है

[अनुवाद]

> "भारत ने विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के लिए करार पर हस्ताक्षर कर दिये हैं..."

[हिन्दी]

यह लेजिसलेशन है और जो हम कर रहे हैं, यह सबोर्डिनेट लेजिसलेशन है, इसमें लिखा है :—

[अनुवाद]

"बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार से सम्बन्धित पहलुओं विषयक करार...सहित.."

[हिन्दी]

• ये जिस बौद्धिक संपदा की बात कहते हैं, इसमें लिखा हुआ है:—

[अनुवाद]

"विश्व व्यापार संगठन करार । जनवरी, 1995 के प्रवृत्त हुआ है। टी.आर.आई.पी. करार के अधीन भारत की बाध्यताओं को पूरा करने की दृष्टि से यह आवश्यक हो गया है कि पेटेंट अधिनियम, 1970 में संशोधन किया जाये।"

[हिन्दी]

मान्यवर, हमारे काश्तकारों को फायदा देने के लिए यह कानून नहीं लाया जा रहा है, यदि ऐसा होता तो इतने वर्षों से इनकी सरकार केन्द्र में रही, दो-ढाई वर्ष छोड़कर, किसने रोका था कि किसानों की भलाई के लिए आप इस तरह का कानून न बनाएं, किसने कहा था कि आप पेटेंट कानून न लाएं, लेकिन चूंकि यह घातक था, आत्म-घातक था, इसलिए अब तक इस कानून को नहीं लाया गया। आज हम बाध्य हैं इस कानून को बनाने के लिए और इसके लिए जनता को सब्जबाग दिखाए जा रहे हैं। वित्त मंत्री नई आर्थिक नीति, उदारीकरण, नई वित्तीय नीति, नए अर्थ दर्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर जनता ने इन सब चीजों को नकार दिया है। इससे अधिक असफलता आपकी पार्टी को कभी नहीं मिली। आज गुजरात में दो तिहाई जनता ने आपके खिलाफ फैसला दिया है और महाराष्ट्र में, जहां के मुख्य मंत्री के लिए कहा जाता था कि इनको कोई हरा नहीं सकता, दिन को, रात को, अस्त्र से, शस्त्र से, न पानी में, न आग में, कहीं भी इनको कोई हरा नहीं सकता, वे भी आज महाराष्ट्र में धूल-धूसरित हो गए और महाराष्ट्र की जनता ने चौपाटी के अंदर उनको धूल चटा दी।

सभापति महोदय, नई आर्थिक नीति के तहत भारत की जनता का गला घोंटा जा रहा है, वाणिज्य-व्यापार, उद्योग, गृह-उद्योग, सब का गला घोंटा जा रहा है। इसलिए छत्रपति शिवाजी के महाराष्ट्र में जनता ने अपना फैसला दे दिया है कि हम स्वदेशी, स्वाभिमान और स्वराज्य को बिकने नहीं देंगे।

इसलिए उन्होंने वहां पर शरद पवार और उनके साथियों को रास्ता दिखा दिया, उन्हें हरा दिया। जनादेश उनके विपरीत है श्रीमन्, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनादेश का आदर किया जाए। अगर वह आदर नहीं करेंगे तो साल भर के बाद में जो हाल बम्बई में हुआ, गांधीनगर में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है, आंध्र प्रदेश जहां से प्रधानमंत्री आए हैं वहां हुआ है वही और जगहों पर भी होगा। प्रधानमंत्री के स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र ने उनके खिलाफ मतदान करके बता दिया है कि जनता इसके पक्ष में है या विपक्ष में है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जनादेश को स्वीकार किया जाए और अधीनस्थ विधान न किया जाए। हम बंधक मजदूर न बनें, हम गुलाम न बनें, लार्ड क्लाईव को फिर से कब्र में से लाकर खड़ा न करें, ईस्ट-इंडिया कंपनी के इतिहास को न दोहराएं। क्लाईव मर चुका है लेकिन हमारे यहां उसके स्थान पर डंकल आ चुके हैं। यह आर्थिक-नीति की पॉलिसी है जिसपर भारत की जनता ने जनादेश दिया है, इसलिए इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए। यह इतनी साफ और सरल नहीं है जितनी ऊपर से दिखती है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें। यह एक विधेयक है। कृपया अपनी बात समाप्त करें क्योंकि आपके मित्रों को भी इस पर बोलना है।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : मेरा कहना यह है कि दवाइयों की कीमतें तीन-चार सौ गुनी बढ़ जाएंगी और यह केवल मेरा ही कहना नहीं है अगर आप समय दें तो मैं सारे लोगों को पढ़कर सुनाऊं। मेरे पास लेख है, आर्टिकल्स वैज्ञानिकों के आंकड़े हैं, मैं उन सबको पढ़कर सुना सकता हूं। वह स्वयं कह रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा होगी। लेकिन प्रतिस्पर्धा कैसे होगी। जब न्यूयार्क की कंपनी के पास पेटेंट होगा नीम का, बीज का तो जो पैसा वह हमसे लेना चाहेगी वह हमारे व्यापारी हाथ-जोड़कर देने के लिए बाध्य होंगे। हमारे साथ और हमारे अन्नदाता के साथ में इतना बड़ा अन्याय किया जाएगा। एक प्रकार से उनके गले को घोंटा जा रहा है। इसलिए यह आत्म-हत्या का कानून है, यह स्वाधीनता के खिलाफ षड्यंत्र है। मनमोहन सिंह जी ने जो तीर चलाया है वो सीधा-सादा नहीं है। इसलिए मैंने कहा है कि "सतसैयां के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में सीधे लगे घाव करे गंभीर"। मनमोहन सिंह जी आप सावधान हो जाइये और चार राज्यों से सावधान नहीं हुए तो आपकी यह नयी आर्थिक नीति, यह पूरा का पूरा तिलिस्म समाप्त हो जाएगा। यहां के स्वाभिमान को समाप्त करने का है। यह राष्ट्र इसको स्वीकार नहीं करेगा। गांधी का राष्ट्र, भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव का राष्ट्र इसे स्वीकार नहीं करेगा। आपको भी लोगों ने अस्वीकार कर दिया है इसलिए इससे सबक लेकर इस बिल को अस्वीकार किया जाये।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : सभापति महोदय, वर्ष 1947 में अगस्त की आधी रात को इस राष्ट्र ने विदेशी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी और दिसम्बर की आधी रात को एक बार पुनः हमारी स्वतंत्रता पर समझौता किया गया।

सभापति महोदय : कृपया विधेयक के विषय के सम्बन्ध में बोलें।

श्री रूपचन्द पाल : हमारी स्वतंत्रता के बारे में उसी पार्टी द्वारा समझौता किया गया जिसके नेता उस समय किस्मत के साथ राष्ट्र की बाजी लगाने की बात करते थे।

काले कारनामे अन्धेरे में ही बेहतर ढंग से किये जाते हैं और इस सरकार ने, जो पहले ही जनता का विश्वास खो चुकी है, यह काला कारनामा किया है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया गया। यह नव वर्ष का उपहार था।

इस संसद में हमने इससे यह मांग की थी कि संसद को गैट संधि पर चर्चा करने का अधिकार होना चाहिए। दूसरे देशों में संसदें इस पर चर्चा कर रही हैं। अपने देश में और जिसे हम सबसे बड़ा प्रजातंत्र मानते हैं, हमारी संसद को 'गैट संधि' के प्रभावों पर चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है। इससे लोगों के जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। विशेषकर गरीब वर्ग के लोग इससे गम्भीर रूप से प्रभावित होंगे।

दोनों सदनों से कई सांसदों ने माननीय राष्ट्रपति को यह अभ्यावेदन दिया था कि उन्हें ऐसे किसी भी अध्यादेश पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए जिसके बारे में उन्हें आशंका है कि उसे लाया जा रहा है। सुविख्यात वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, राजनेताओं और राजनैतिक दलों ने भी माननीय राष्ट्रपति को ऐसा ही अभ्यावेदन दिया था कि वे ऐसे किसी भी अध्यादेश की उद्घोषणा न करें क्योंकि इससे संसद के अधिकारों का हनन होता है। दूसरे देशों में सांसदों ने अपने वीटो अधिकार का प्रयोग किया है। हाल ही में हमने यह देखा था कि किसी विशेष पहलू के संबंध में यूरोपीयन संसद ने जीवन रक्षा सम्बन्धी पहलू पर अपने वीटो अधिकार का प्रयोग किया है। फिर, अमरीका की सीनेट ने स्पेशल 301 और सुपर 301 जैसे घातक कानूनों को जारी रखा है। उन्होंने इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया है।

विश्व व्यापार संगठन में अब तक शामिल हुए कई अन्य देशों को भी इसकी मांगों के अनुरूप अपने उपाय करने हैं।

इस जल्दबाजी के क्या कारण थे? महान मावलंकर के दिनों से ही कई पीठासीन अधिकारियों ने ऐसे अध्यादेश पारित करने की यह कहकर गम्भीर रूप से आलोचना की है कि यह संसद के अधिकारों को नकारता है। लेकिन आज हम यह देख रहे हैं कि यहां एक प्रकार का अध्यादेश राज हो गया है। संसद के दो सत्रों के बीच ऐसे अध्यादेश लाये जा रहे हैं जिनसे आमूल परिवर्तनों, हमारे संविधान के आधारभूत सिद्धांतों और राष्ट्र के मूल लक्ष्यों पर प्रभाव पड़ता है।

(5.00 म.प.)

यहां एक तथ्य यह है कि हमारे भारतीय पेटेंट अधिनियम में मुख्य परिवर्तन किया जा रहा है। क्या यह अधिनियम राष्ट्र की एक आकस्मिक खोज है? नहीं। यह आत्म-निर्भरता के हमारे लक्ष्य को व्यर्थ करने का प्रयास है। वर्ष 1948 में टेक चन्द समिति का गठन किया गया था और इसके पश्चात हमारी औद्योगिक नीति संकल्प, 1948 के अनुरूप...

श्री दिलीप भाई संघाणी (अमरेली) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : घन्टी बजाई जा रही है—अब सदन में गणपूर्ति है। माननीय सदस्य श्री रूपचन्द पाल अपनी बात जारी रखें।

श्री रूपचन्द पाल : हमारी औद्योगिक नीति संकल्प, 1948 के अनुरूप और इसके पश्चात् 1956-57 में भी एक दूसरी समिति गठित की गई थी और उस समिति ने नई नीति बनाने के पक्ष में पुरजोर सिफारिश की थी जिसके परिणामस्वरूप यह भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 बनाया गया था। यह आत्म-निर्भरता के हमारे लक्ष्य के अत्यधिक अनुरूप था। इसकी विश्व के कई देशों ने विकासशील देशों के लिए आदर्श के रूप में काफी प्रशंसा की गई थी लेकिन आज हम इस अधिनियम में ऐसे परिवर्तन करना चाहते हैं जो वास्तव में अनुसन्धान और विकास, हमारे भेषज उद्योगों, इनके विकास और क्षमता तथा इस देश के लोगों की आवश्यक दवाओं, जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है, तक पहुंच के सम्बन्ध में भी आत्म-निर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने में बाधक हैं। आज केवल 15 प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की अथवा उससे भी कम जनसंख्या की जीवन रक्षक दवाओं तक पहुंच है, जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है, और किये जा रहे इन परिवर्तनों के कारण स्थिति और भी बदतर हो जायेगी।

इसकी क्या जल्दी थी? जैसा कि मैंने बताया है कि भारत सरकार प्रतीक्षा कर सकती थी। लेकिन हम यह देख रहे हैं कि जब भी इस सरकार को घुटने टेकने के लिए कहा गया है तभी इसने स्वयं को दबाव डालने वालों के पैरों में डाल दिया है।

विश्वभर में हुए परिवर्तनों की पश्चात विशेषकर अमरीका जैसे देशों और कुछ उसके साथी देशों, जो इस संसार पर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, से दबाव डाला जा रहा है।

अब, इस विधेयक में क्या है? यह कहा जा रहा है कि यह परिवर्तनों का पहला चरण है और यह कि वे कतिपय ऐसे अन्य परिवर्तनों पर विचार नहीं कर रहे हैं जिन्हें विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने की हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप शामिल करने की अपेक्षा है और यह कि इन कतिपय परिवर्तनों को करने के लिए हमारे पास अन्य 5 वर्ष का समय होगा।

यह माना जा रहा है कि भारतीय हितों की सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से ये परिवर्तन किये गये हैं। नहीं। जो अब किया जा रहा है, वह बहुत पहले शुरू हो गया था। उरुग्वे दौर के प्रारम्भिक चरण के दौरान भारत ने इन्हें शामिल न करने की अनुमति प्रदान न करके सकारात्मक आधार लिया था। इस समाजवादी विश्व में कुछ अन्य देशों में हुए परिवतनों विशेषकर आकस्मिक परिवर्तनों के पश्चात् यद्यपि इसमें अस्थाई रूप से बाधा आई थी अस्थायी रूप से बांधा आई थीं सरकार पीछे हट गई। सरकार ने कहने से पहले ही अनुरूप परिवर्तन करने शुरू कर दिये हैं जिनका हमारी आत्मनिर्भरता पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

अब मैं प्रस्तावित परिवर्तनों की बात पर आता हूं। इनमें से एक परिवर्तन एकमात्र विपणन अधिकारों के बारे में किया गया है। क्या

इसमें और एकाधिकार में किसी प्रकार का कोई अन्तर है? समझौते में कुछ "ग्रे एरियाज" हैं। इन्हें अनुवाद के कारण अथवा समझौता करने की आवश्यकता के परिणामस्वरूप शामिल किया गया। "ग्रे एरियाज" की विभिन्न देशों द्वारा अलग-अलग व्याख्या की जा रही है। मैं आपके समक्ष दो अथवा तीन उदाहरण पेश करूंगा। मैं इनके विस्तार में नहीं जाऊंगा। इनमें से एक उदाहरण इस अनन्य अधिकार के बारे में है। ये अधिकार कितने दिनों तक लागू रहेंगे? क्या ये पांच वर्ष की अवधि तक सीमिति रहेंगे अथवा इससे आगे भी लागू रहेंगे? अथवा क्या ये दूसरे पेटेंट मांग के साथ समाप्त हो जायेंगे। यह कहा जा रहा है कि ये अधिकार कभी लागू नहीं होंगे। यह कहा जा रहा है कि उन्होंने केवल यह प्रावधान किया है कि पेटेंट की इच्छुक पार्टी को किसी 'कन्वेंशन' देश में आवेदन पत्र देना पड़ेगा। पहले यह भावना थी कि केवल ब्रिटेन जैसे प्रमुख देश ही कन्वेंशन देश हैं लेकिन यहां मैंने देखा है कि 31 दिसम्बर के इस अध्यादेश के तत्काल पश्चात 3 जनवरी को सरकारी अधिसूचना में अमरीका, ब्रिटेन और स्वीडन जैसे लगभग सभी प्रमुख देशों को शामिल किया गया है। आज अमरीका प्रमुख निर्माता और उत्पादक है। अन्वेषण के सम्बन्ध में भी वह कई देशों से आगे है। हमारे देश में भी एक ब्रांड अथवा अन्य ब्रांड के अन्तर्गत बेची जा रही 7090 से भी अधिक दवाइयां अमरीका की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की हैं। विधेयक में यह कहा गया है कि :—

> "यदि भारत अथवा भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश में कोई आविष्कार किया जाता है तो ऐसा दावा करने से पहले उसे उसी आविष्कार के लिए समान वस्तु अथवा पदार्थ का दावा करते हुए किसी कन्वेंशन देश में आवेदन करना पड़ेगा।"

ये कन्वेंशन देश हैं। मैंने यह देखा है कि 3 जनवरी की अधिसूचना के अनुसार इनकी कुल संख्या 72 है। यह भारत के लिए प्रलयकारी होगा।

अब एक प्रश्न नवीनता की अवधारणा के बारे में है। एक अविष्कार को आविष्कार के रूप से मान्यता प्रदान करने के लिए पहले उसे नवीन होना चाहिए। हमने कई मामलों में देखा है कि अमरीका के पेटेंट कार्यालय दुर्भावना से आवेदन कर रहे हैं और दुर्भावना से ही प्रस्ताव कर रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए हमारे देश में कोई व्यवस्था है क्योंकि विश्व में आज पेटेंट प्रणाली बहुत शक्तिशाली हो गई है? उनके पास बुनियादी ढांचा है, कम्प्यूटर की सुविधाएं हैं तथा सूचना प्राप्त करने का अपना तंत्र है। उनकी तुलना में हम कहां ठहरते हैं? मैं बता रहा हूं कि केवल जर्मनी में 2000 पेटेंट की जांच की गई है। भारत में कितने पेटेंट की जांच की गई है? यहां इनकी संख्या केवल 37 है। आज हमारा बुनियादी ढांचा क्या है? यदि हम दिल्ली में अपने पेटेंट कार्यालय में जायें जो करोल बाग अथवा इसके निकट के क्षेत्र में हैं तो वहां आपको कुछ नहीं मिलेगा। वहां कोई बुनियादी ढांचा नहीं है। दूसरे देशों में उन्हें पर्याप्त रूप से कम्प्यूटरीकृत किया गया है और वे अपने दावे करते हुए अपने मिशनों से सूचना प्राप्त कर रहे हैं।

तत्पश्चात्, एक पहलू इस सम्बन्ध में होने वाली मुकदमेबाजी के बारे में है। क्या इसके लिए हमारे पास धन है? यह धन कौन उपलब्धता करायेगा? विभिन्न पेटेंट केन्द्रों पर विभिन्न पेटेंट कार्यालय व्याख्या और नवीनता के सम्बन्ध में वर्षों से लड़ रहे हैं। क्या उनके लिए हमने कोई संरक्षण प्रदान किया है? कुछ विकसित देशों में विभिन्न क्षेत्रों में फार्मास्युटिकल, औषधियों, दवाओं आदि के मामले में भी वे यहां पेटेंट का दावा करेंगे। ऐसी स्थिति में अपने हितों की कैसे सुरक्षा की जायेगी?

यह प्रश्न बुनियादी ढांचे के बारे में है। मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। पहले, मैं सार्वजनिक हित में गैर-वाणिज्यिक उद्योग के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों के बारे में बोलना चाहूंगा, क्या भारत सरकार के पास इसके लिए कोई धनराशि है? गैर-वाणिज्यिक उद्योग के लिए बजट कहां से उपलब्ध कराया जायेगा? फिर उन निजी पार्टियों का क्या होगा जो सार्वजनिक हित में पेटेंट चाहती हैं और जो पेटेंट के लिए आवेदन कर रही हैं तथा पेटेन्टी उन्हें यह अधिकार देने की अनुमति प्रदान नहीं कर रहे हैं? ऐसी स्थिति में यहां हमारे पास एक आदर्श है। सरकार हमें बार-बार यह बता रही है कि यदि चीन यह कर सकता है तो हम यह भारत में क्यों नहीं कर सकते? हम चीन के उदाहरण का अनुसरण क्यों नहीं कर सकते? चीन ने क्या किया है? चीन में गैट में शामिल होने से पहले भी और जो अब विश्व व्यापार संगठन में शामिल होना चाहता है और जिसके विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के रास्ते में विभिन्न तरीके से अड़चनें पैदा की जा रही हैं, अनिवार्य लाइसेंसिंग के सम्बन्ध में अपने देश की सुरक्षा करने हेतु उनके पास एक बेहतरीन आदर्श कानून था। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम इसे खुला छोड़ रहे हैं। हम अपने उद्योग, अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते।

फिर, आविष्कारों के बारे में कुछ बातें कही जा रही हैं। मूल अधिनियम के अध्याय दो में उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में आविष्कारों के बारे में बताया है। मैं उन्हें पढ़कर सुनाऊंगा, मैं उस बात पर आऊंगा।

सभापति महोदय : अपने मित्रों के लिए भी कुछ कहने के लिए छोड़ दो।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, यह बात आविष्कारों के बारे में है—कौन सी चीजें आविष्कार में आती हैं तथा कौन सी नहीं। हमें पता है कि कतिपय देशों, विशेषकर अमरीका तथा अन्य देशों द्वारा इसका उपयोग बदनीयत से किया।

5.14 म.प.

(श्री तारा सिंह पीठासीन हुये)

इस बात का पता हमें 20 वर्षों पूर्व ही लग गया था। इस बीच जहां तक प्रौद्योगिकी, फार्मूलेशन्स, उपयोग, तथा अन्य बातों का संबंध है, कई परिवर्तन हुए हैं। हमने कोई संशोधन नहीं किया है और अब

हुए परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय पेटेन्ट अधिनियम की धारा (3) में अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। हम अपने हित में इस धारा में संशोधन कर सकते हैं। कौन-सी चीजें आविष्कार में आती है तथा कौन-सी नहीं? 20 वर्षों पूर्व इस बारे में कुछ और अवधारणा थी तथा अब इतने अधिक परिवर्तन हुए हैं कि हमें धारा (3) में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता पड़ रही है। सरकार नियमों को, उनकी धाराओं में लिया कोई परिवर्तन किए, उन्हें अखण्ड रखते हुए केवल संशोधन द्वारा वे, देश को बचा सकती थी। परन्तु सरकार ने ऐसा नहीं किया। पेटेन्ट कानून में संशोधन लाने वाली इस सरकार का हम विरोध करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है यह काम पूरा हो चुका है। वे लोग यह कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ही हस्ताक्षर कर दिये हैं। परन्तु जिन लोगों ने हस्ताक्षर कर दिये हैं वे भी अपने कानूनों में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं वे लोग 'ग्रे एरिया' को अपनी स्वयं की व्याख्या दे रहे हैं।

महोदय, हम लोग इन्तजार कर सकते थे, क्योंकि अन्य देशों ने अपने नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किये हैं। इन मामलों पर संसद को और चर्चा करनी चाहिए थी। ऐसी बात नहीं है कि इस मामले पर सदस्यों का रुख नकारात्मक होता। वे इस संबंध में बड़ा सकारात्मक योगदान कर सकते थे। विश्व व्यापार संगठन तथा विश्व में प्रभुत्व वाले अन्य संस्थाओं में शामिल होने के पश्चात सरकार की दशा कैसी है? क्या सरकार इतनी निःसहाय है? क्या हम विश्व को इस बारे में कोई संकेत नहीं दे सकते?

सरकार को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वह जो कुछ भी संसद के सम्मुख रखेगी उसका अनुमोदन हो जायेगा। संसद, सरकार की मदद करेगी, वह सरकार के हाथ मजबूत करेगी। वे लोग यह कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं? विश्व में परिवर्तन आ चुका है तथा हम लोग अपने आपको पृथक नहीं रख सकते। सरकार ऐसी दलील दे रही है कि द्विपक्षीय बातचीत करना संभव नहीं है तथा केवल बहुपक्षीय बातचीत से ही मदद मिल सकती है। विश्व में बहुपक्षीयवाद नहीं हैं। हर कोई अपना कार्य गुटों के माध्यम से कर रहा है। यदि आप पहले ही चरण में उन देशों को, जो हम पर दबाव डालना चाहते हैं, इस प्रकार के संकेत भेजें कि यह कोई आवश्यक नहीं कि संसद इसका समर्थन करेगी तो यह हमारे लिए बेहतर होगा। ऐसा कई देशों में हो रहा है। चीन में विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने से पूर्व ही बड़े अच्छे ढंग से ऐसा किया था। मैं दो तीन लेखों को पढ़ रहा हूं जिसमें यह बताया गया है कि उन्होंने पेटेंट से कैसे लाभ उठाया, लेख में ऐसा बताया गया है :—

> "जहां किसी देश में राष्ट्रीय आपात अथवा कोई असाधारण स्थिति आती है अथवा लोगों के हित में ऐसा अपेक्षित है, तो पेटेंट कार्यालय आविष्कार के लिए पेटेंट का अथवा उपयोगी वस्तुओं का लाभ उठाने के लिए एक अनिवार्य अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है।"

यदि ऐसे पेटेंट अधिकार के लिए किए गए आविष्कार अथवा दी गई उपयोगी वस्तुएं तकनीकी रूप से पहले किए गए आविष्कार अथवा दी गई उपयोगी वस्तुओं से अधिक उन्नत है और बाद में किए गए आविष्कार अथवा उपयोगी वस्तुओं का उपयोग पहले किए गए आविष्कार अथवा उपयोगी वस्तुओं के उपयोग पर निर्भर करती है वहां पेटेंट कार्यालय बाद वाले पेटेंटी के अनुरोध पर उसे पहले किए गए आविष्कार अथवा दी गई उपयोगी वस्तुओं का उपयोग करने हेतु एक अनिवार्य लाइसेंस दे सकता है।

हम अपने वैज्ञानिकों तथा अनुसंधानकर्ताओं के लिए क्या मांग कर रहे हैं? तब, पुनः विवाद के मामलों में, अनुच्छेद 57 में ऐसा बताया गया है :—

> "जिस संगठन अथवा व्यक्ति को उपयोग के लिए अनिवार्य लाइसेंस दिया गया है उसे पेटेंटी को उपयुक्त शुल्क का भुगतान करना होगा जिसकी राशि दोनों पार्टियों के परामर्श से निर्धारित की जाएगी। जहां पार्टियां किसी समझौते पर नहीं पहुंचती है वहां पेटेंट कार्यालय अधिनिर्णय देगा।"

उन लोगों के पास पेटेंट अधिकार है, हमारे पास नहीं। वास्तव में यह जानकारी है कि भारतीय पेटेंट रख सकते हैं-पहले इन्हें रखने में कठिनाई थी।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : हमारे कानून में ये सभी प्रावधान हैं।

श्री रूपचन्द पाल : जब आप उत्तर देंगे तब आप इस बात के लिए हमें आश्वस्त कर सकते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : यह सब संशोधनकारी विधेयक में नहीं अपितु मूल अधिनियम में हैं।

श्री रूपचन्द पाल : धारा 3 के कारण मूल अधिनियम की अलग से व्याख्या की जायेगी। जैसे कि मैंने कहा है कई प्रकार के परिवर्तन हुए हैं तथा नवीनता की हमारी अवधारणा बदल गई है। अतः मेरा सुझाव है कि :—सरकार केवल हमारे नियमों में संशोधन करे तथा इन्तजार करके यह देखे कि अन्य देशों द्वारा क्या परिवर्तन किए गये ताकि हमें इस बदलती हुई दुनियां में अपने स्वयं के हित के अनुरूप युक्ति संगत कार्य करने हेतु कई तरीके मिल सकें यही मुझे कहना है।

महोदय, मुझे इस संबंध में कुछ सुझाव देना है। संसद सदस्य तथा लोगों के प्रतिनिधि के रूप में हमारा यह कर्तव्य है कि खराब तथा विकट स्थिति में भी हमें अपने देश की, इसके बावजूद भी कि उस पर समझौता हो सकता है, सुरक्षा करनी चाहिए। महोदय, वह क्या है? हमें वैज्ञानिकों तथा निजी उद्यमियों आदि को अपने अनुसंधान कार्य जारी रखने के लिए आवश्यक साधन एवं वित्तीय सहायता देनी चाहिए, विशेषकर दूसरे तथा तीसरे चरण में कई खतरनाक घटनाएं होने वाली हैं। यह 'जीन' के पेटेंट के बारे में है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे वैज्ञानिकों ने एपीलेप्सी तथा अन्य जीन संबंधी गड़बड़ी के संबंध में काफी अच्छी प्रगति की है तथा विशेषज्ञों ने जीन संबंधी औषधियों का पेटेंट करने के संबंध में अपनी चिन्ता व्यक्त की है। भारतीय तथा अन्य वैज्ञानिक जीन को जो कि भविष्य की औषधियां रहेगी, पेटेंट

करने का विरोध कर रहे हैं। इस बारे में यूरोप की पेटेंट करने वाले कार्यालय का क्या कहना है? उनका यह कहना है कि डी.एन.ए. टिकता नहीं है अतः उसका पेटेंट किया जा सकता है। तब क्या होगा? इससे तीन घातक बातें हैं। पहली बात यह है कि हमारे जैसा देश जीन चिकित्सा संबंधी वास्तविक भावी औषधियों से वंचित रह जायेगा। दूसरी बात यह है कि इन औषधियों का प्रयोग किया जायेगा। जैसाकि आपको पता है कि लगभग 5000 जीन संबंधी व्यवस्थाओं तथा पद्धतियों को जीन चिकित्सा के लिए अलग रखा गया है। जीनों को व्यवस्थित किया जा रहा है, जिसे 'मानव जीनोम परियोजना' कहा गया है। यहां पर हम ये देखते हैं कि विकसित देशों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ, पेटेंट प्राधिकारियों के साथ....**(व्यवधान)** क्या आप विश्व को नियंत्रित कर सकें हैं? वे लोग न केवल बाजार पर नियंत्रण करेंगे, अपितु उनका दोहन भी करेंगे, परन्तु इसमें भी लोगों को प्रभावित करने संबंधी कई खतरे हैं। हम सजीव रूप, जो कि विद्यमान है, को पेटेंट करने का विरोध करते हैं तथा यूरोप की संसद तथा अन्य देशों ने ऐसा कर लिया है तथा हम भी करने जा रहे हैं। परन्तु डी.एन.ए. के बारे में यूरोपीयन यूनियन पेटेंट कार्यालय की यह व्याख्या-पर क्या इस संसद को इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का अधिकार है?

हमें न केवल भौतिक तथा आर्थिक अपितु मानसिक रूप से भी अधीन बनाया जा रहा है। इस प्रकार का दूरगामी परिवर्तन लाया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि यह तो केवल पहला चरण है। परन्तु पहले ही चरण में हमारे संकेतों का पता चल जाना चाहिए तथा विश्व, पश्चिमी देशों तथा साम्राज्यवादी ताकतों को यह संकेत दिया जाना चाहिए कि भारतीय संसद इस प्रकार के कार्यों का समर्थन कतई नहीं करेगी। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं तथा हमारा देश अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के लिए संघर्ष जारी रखेगा।

सभापति महोदय :

श्री वसंत पवार – अनुपस्थित
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही – अनुपस्थित
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य – अनुपस्थित
श्रीमती सुमित्रा महाजन – अनुपस्थित
डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय – अनुपस्थित

ठीक है, अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह (बांका) : महोदय, मेरे दल की ओर से किसी ने नहीं बोला तथा मेरा नाम भी सूची में है।

सभापति महोदय : ठीक है, श्री प्रताप सिंह।

श्री प्रताप सिंह : सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मेरे सामान्य साथी तथा विषय विशेषज्ञ श्री रूपचन्द पाल जी ने विषय से संबंधित सभी पक्षों को प्रस्तुत किया है; मेरे साथी श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण जी ने इस विशेष विषय पर कांग्रेस के विचार व्यक्त किये।

निःसंदेह, मैं इस पेटेंट विधेयक का, जिसे लाया जा रहा है, विरोध करता हूं। मेरी मूल आपत्ति यह है कि इससे हमारे देश की प्रभुसत्ता पर हस्तक्षेप होता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि एक ओर तो वित्त मंत्री महोदय, इस विधेयक को सर्वानुमति से पारित करने के लिए कह रहे हैं। जबकि दूसरी ओर उन्होंने उरुग्वे तथा अन्य स्थानों पर, इस संसद को विश्वास में लिए बगैर इन समझौतों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। यह निश्चित रूप से संसदीय लोकतन्त्र की उच्च मर्यादाओं के विपरीत है। संसद के रहते हुए आपको ऐसा निर्णय लेने का अधिकार कैसे मिला? आप संसद को बुला सकते थे तथा इस मामले पर चर्चा की जा सकती थी तथा मतदान किया जा सकता था, जो कि नहीं किया गया। हमारा यह सत्ता पक्ष के विरूद्ध पहला आरोप है, मेरे साथी श्री चव्हाण जी ने सुझाव दिया था कि पेटेंट कानून के संबंध में कई सुरक्षोपाय हैं। किसी एक पेटेंट किए मद को उसे वाणिज्यक उपयोग में लाने के लिए काफी लम्बा समय लगता है, तथा कई बार तो यह अवधि 15 वर्षों या उससे कम समय लगता है। हमारे देश में किसी का अनुमोदन करने हेतु एक प्रक्रिया है। परन्तु अन्तिम निर्णय हमारे देश में नहीं, अपितु विदेशों में लिया जाता है। मैं सत्तापक्ष को यह बात याद दिलाना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों में कई मानदण्ड हैं तथा पारस्परिक सहयोग को नकारा नहीं जा सकता। यदि पश्चिमी देशों द्वारा हमारे पेटेंटों की समीक्षा के बाद ही अपने यहां उनके उपयोग की शर्त रखी जाएगी तो क्या हमारी सरकार भी उनके सामने इसी प्रकार शर्त रखेगी। यदि सरकार ऐसा करती है तो हम स्वीकार कर लेंगे कि सरकार ने कम से कम अपने देश की प्रभुसत्ता को बचाने के लिए कुछ तो किया है।

इस या किसी कारणों से मुझे कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है तथा इस मामले को मेरे साथी तथा विपक्ष के कुछ और साथियों ने, बड़े ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया।

इन शब्दों के साथ, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पर पुनर्विचार करें तथा देश की प्रभुसत्ता से खिलवाड़ न करें। इस बारे में सरकार अधिक सतर्क रहे। हाल ही में ऐसे मामलों को उछालने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ी और शीघ्र ही आगामी लोक सभा चुनाव इसको परिलक्षित करेंगे, तब आप देखेंगे कि आपको देश में और भी अधिक खराब स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

मैं इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का विरोध करता हूं।

बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत सरकार ने विदेशियों के साथ जो समझौता किया है, उस समझौते के अन्तर्गत ओब्लीगेशंस की जो बात कही जाती है, उन तमाम ओब्लीगेशंस को यह मानने को तैयार हैं, लेकिन अपने संविधान के अन्तर्गत जिस ओब्लीगेशन को इनको मानना चाहिए और संसद को, पार्लियामेंट को विश्वास में लेकर इस तरह के बड़े कदम उठाने

चाहिए, इस सरकार ने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया है। यही वजह है कि आर्डिनेंस के जरिये इतने महत्वपूर्ण सवालों को देश के सामने पेश किया जाता है और तब संसद में आकर मजबूरी दिखाई जाती है और उसको पास कराया जाता है। यही वजह है कि आज हम तमाम अपोजीशन के लोग, जो तरीका इनका बिल लाने का है, उसका विरोध कर रहे हैं।

होता यह है, कहा यह जाता है और कहावत यह है कि जिसके दुर्दिन आते हैं, सबसे पहले उसके दिमाग में शैतान घुसता है। हमारी जो कांग्रेस की सरकार है, इनके दिमाग पर भी असर पड़ रहा है। यही वजह है कि एक पर एक गलत कदम देश के हित के खिलाफ, देश की जनता की आशा और आकांक्षाओं के खिलाफ, यह कदम उठा रहे हैं और इनको अभी ऐसा लग रहा है कि इससे देश का फायदा होगा।

यही हालत सोवियत रूस की भी हुई थी। सोवियत रूप की, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जब वहां गोर्बाचोव आये तो लोगों के सामने उन्होंने जो सुधारों का नक्शा दिखाया तो सत्ता पक्ष के लोगों ने आम तौर पर उनका स्वागत किया और उस समय तक स्वागत किया, जब तक सोवियत रूस पूरी तरह टूट नहीं गया। हमारे देश में भी जो मौजूदा सरकार है, यह जो कदम उठा रही है तो हमारे सत्ता पक्ष के तमाम लोग उसका समर्थन कर रहे हैं और अगर उनके दिल के अन्दर कुछ है भी तो डिसिप्लिन के अन्तर्गत रहते हुए वह उसका विरोध करते नहीं हैं।

पेटेण्ट एक्ट में जो सुधार लाने की बात या उसको बदलने की बात की जा रही है और इसके अन्तर्गत जो सारी बातें आने वाली हैं, इसका बहुत खराब और बहुत बुरा नतीजा निकलेगा। इसका नतीजा होगा, देश का जो दवा उद्योग है या जो कृषि उद्योग है, उसमें हम पूरी तरह से आत्मनिर्भरता की लाइन को त्याग कर विदेशियों के हाथों हम इन दोनों उद्योगों को सौंपने जा रहे हैं। हम इन लोगों को जिस तरह का अधिकार दे रहे हैं, उन अधिकारों के तहत तमाम जो विकसित देश हैं, खास तौर पर अमेरिका, मल्टीनेशनल्स या वर्ल्ड बैंक के अन्तर्गत जो सारे देश आते हैं, हमारे देश के अन्दर जो तरक्की हो रही थी, जिस समय 1970 में पेटेण्ट एक्ट आया, उसके पहले जो दवाइयां यहां आती थीं, वह दवाइयां विदेशों से आती थीं और हमको याद है कि टी.बी. जैसी बीमारी की दवा आम जनता की पहुंच के बाहर थी। उस समय लगभग 150 या 200 रुपये में एक एम्प्यूल मिलता था लेकिन जब हमारे देश में पेटेण्ट एक्ट के मार्फत यह उद्योग खड़ा हुआ तो उसी दवा की कीमत एक सवा रुपये हो गई। आज जब कीमतों के बारे में बातें कही जाती हैं कि कीमतें बढ़ जायेंगी, कीमतें 100 गुना या 1000 गुना बढ़ जायेंगी, तो हमारे मंत्री जी और कांग्रेस के सदस्य कहते हैं कि हम लोग इस पर कंट्रोल रखेंगे। यह बिल्कुल संभव नहीं है। हम अपने इन दोनों उद्योगों को, जो हमारे राष्ट्रीय उद्योग हैं और इस पर हमारे देश की तरक्की और जनता की जिन्दगी निर्भर है, हम इसको जब विदेशियों के हाथों सौंप देंगे, उनके अधिकार में यह मामला चला जाएगा तो हिन्दुस्तान को इससे काफी बड़ा नुकसान होगा। दुनिया के तमाम देशों के मुकाबले में हमारे यहां दवा की कीमत कम है। जो हमारी आय की सीमा है, उसके अन्तर्गत सौ में दस या पन्द्रह लोग ही दवा खरीद पाते हैं। जब 200-300 गुना दवाई की कीमत बढ़ जाएगी तो वैसी हालत में गरीब लोग, साधारण लोग उन दवाइयों को खरीद सकेंगे, यह कहना बहुत मुश्किल है। इसी तरह से हमारे जो किसान हैं, जिनपर इसका काफी असर पड़ने वाला है, उन्हें बीजों के मामले में एकाधिकार मिल जाएगा। हमारे यहां पर जो परम्परागत खेती का तरीका है, उस पर बहुत जबर्दस्त आघात पड़ने वाला है। इसलिए निवेदन होगा कि इन बातों को सोचते हुए सरकार को गौर करना चाहिए। मैं अपनी पार्टी की ओर से इसका विरोध करता हूं और मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इसे वापिस लें।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर सभापति महोदय, जैसा कि मैंने पहले वाले विधेयक के बारे में भी कहा, अब आपके माध्यम से इस सरकार को फिर चेतावनी देना चाहूंगा कि बार-बार अध्यादेश के माध्यम से देश के भविष्य को, देश की आर्थिक नीतियों को या इस प्रकार के महत्वपूर्ण कानून को बनाने का प्रयास न करें क्योंकि ये प्रयास वास्तव में अलोकतांत्रिक हैं, असंवैधानिक हैं। यद्यपि संविधान में अध्यादेश का प्रावधान है। हमारे स्पीकर मावलंकर साहब ने अध्यादेश लगाने वाली परिस्थितियों का उल्लेख किया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था और नेहरू जी ने भी आश्वासन दिया था कि बहुत ही असाधारण परिस्थितियां पैदा होने पर अध्यादेश की प्रवृत्ति का सहारा लिया जायेगा लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि डंकल, गैट और विश्व व्यापार संगठन के दबाव में आकर सरकार ने इस पर दस्तखत किये। सरकार की बुद्धि न मालूम कैसे कुंठाग्रस्त हो गई। उसने जनता की चिंता न करते हुए पेटेंट का अध्यादेश निकाल दिया।

कहने को इसमें लिखा है :-

> "भारत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकृतियों और अड़चनों को कम करने तथा बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के प्रभावी और पर्याप्त संरक्षण के प्रोन्नयन के लिये, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हेतु करार का, जिसके अन्तर्गत बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के व्यापार में संबंधित पहलुओं विषयक करार भी हैं, एक हस्ताक्षरकर्ता है"

उद्देश्य बताये गये हैं कि :-

> "लोक स्वास्थ्य और पोषण के संरक्षण के लिये आवश्यक और व्यापक महत्व वाले सेक्टरों के सामाजिक, आर्थिक तथा प्रौद्योगिकी विकास में लोक हित के उन्नयन के लिये इस पर हस्ताक्षर किये गये हैं।"

शब्द जाल तो बहुत अच्छा रचा गया है लेकिन वस्तु स्थिति देखें तो सब कुछ सामने आ जाता है। जब से पेटेंट कानून में संशोधन करने की बात आई और 1 जनवरी, 1995 को जब सरकार ने इस पर हस्ताक्षर किये, उसके बाद से बाजार में जीवन-रक्षक औषधियों के दाम और अन्य आवश्यक औषधियों के दाम वृद्धि की ओर अग्रसर हैं। पेटेंटाइजेशन के नाम पर हमें दुनिया के सामने झुकना पड़ेगा। पहले

मैन्यूफैक्चरिंग प्रोसैस और प्रोड्यूसिंग प्रोसैस के फार्मूले का आविष्कार अमरीका में हो जाता था और उससे हमारे डाक्टर दवाइयां निर्माण कर लेते थे। वे दवाइयां सस्ती पड़ती थीं। अब हम अमरीका के बंधन में बंध जायेंगे। वहां की दवाइयों के फार्मूले पहले काम में ले लिया करते थे। अब काम में नहीं ले पायेंगे क्योंकि वह जब पेटेंट करा लेगा तो अपनी चीज के करोड़ों-अरबों रुपये मांगेगा।

टैक्स लगाकर दवाइयां महंगी करेंगे, तो देश की क्या स्थिति हो जाएगी। इसकी आप सहज ही कल्पना कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर सरकार को इतनी चिन्ता थी, बीजों के बारे में या भारत की आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में या भारत की औषधियों के फार्मूलों के बारे में तो गैट पर हस्ताक्षर करने से पहले, विश्व व्यापार संगठन के नाते, बिना संसद को विश्वास में लिए, आधी-अधूरी चर्चा यहां पर कराने के बाद और जनहित की अवहेलना करके, लाखों लोगों ने बाहर प्रदर्शन भी किया, उनकी भावनाओं को कुचलते हुए, अपने प्रतिनिधि को वहां भेजकर हस्ताक्षर कर लिए। उसके बाद आर्डिनेंस के माध्यम से यह सारा नाटक रचा जा रहा है।

सभापति महोदय, आप भी गांवों की पृष्ठभूमि से हैं। आप जानते हैं कि गांव का किसान अपने खेत के अन्दर अपनी सुविधानुसार किसी भी पौध का बीज तैयार कर सकता था। अगर उसके बीज की पौध अच्छी होती थी, तो दूसरे लोग भी उसको ले जाते थे कि बड़ा अच्छा है। हमारे भारत का किसान अशिक्षित है, उसमें इतनी समझ नहीं है कि वह अपने उस बीज को पेटेंट करा ले। अगर अमरीका वाले उसको पेटेंट करा लेंगे और अमरीका का बीच हिन्दुस्तान की धरती पर आयेगा, तो यहां आकर वह काफी मंहगा होगा और यहां के किसानों के लिए वह दुखदायी होगा और यहां एक भ्रमजाल पैदा हो जाएगा। यहां का किसान समस्याओं से ग्रसित हो जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, हमारे यहां जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं, चरक के आधार पर, ऋषियों-मुनियों के फार्मूले के आधार पर, उनको सरकार पेटेंट कराने के लिए तैयार है या नहीं? हमारे यहां की औषधियों की जर्मनी में रिसर्च हो सकती है, अमरीका में रिसर्च हो सकती है, चाहे वह कैंसर के बारे में हो या अन्य किसी के बारे में।

जहां तक कृषि के बीजों का सवाल है, हमारे यहां के जो बीज हैं, वे हमारे यहां की जलवायु के अनुसार हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह देश के हितों को इस प्रकार कुर्बान न करें। किसानों में जो भ्रम फैला हुआ है, यह भ्रम नहीं बल्कि वास्तविकता है। बड़े-बड़े विचारकों का कहना है, यह जो पेटेंट का कानून बना है, उसमें सरकार ने घुटने टेकने का काम किया है। उसमें हमारे हितों की रक्षा होनी चाहिए थी। हमारे यहां की चीजों का पहले पेटेंटाइजेशन करना चाहिए था। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। नीम के बारे में हमें समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला है। हमारे गांव के लोग कहते हैं—"नीम-नारायण", अर्थात् नीम ईश्वर के तुल्य है। जैसे ईश्वर सबका रक्षक है, उसी प्रकार नीम में भी औषधि और गुण हैं, जो सबकी रक्षा करती है। नीम से पेस्ट आदि दुनियाभर की दवाइयां बनती हैं। अगर नीम को अमरीका की कम्पनी पेटेंटाइजेशन कर दे, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि यहां का किसान नीम की दातुन भी नहीं कर सकेगा। इसके साथ-साथ वह नीम के पत्तों का भी प्रयोग नहीं कर पायेगा। यह समस्या पैदा हो रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सरकार ने जनमत की अवहेलना करके, विपक्षी दलों को विश्वास में लिए बिना और समस्त राज्य सरकारों से बातचीत किए बिना, क्योंकि कृषि उनका भी विषय है, जंगल भी उनका विषय है, इस सरकार ने वहां जाकर हस्ताक्षर कर लिए। उसके बाद देश के हितों का रोना रोकर कि हम पेटेंट कानून ला रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि यह काम पहले क्यों नहीं किया? भारत के हितों की रक्षा सबसे पहले होनी चाहिए थी। भारत के हितों को पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। मैं तो यह कहना चाहता हूं, भारत के स्वाभिमान को आघात पहुंचाने वाला, यदि कोई भी प्रावधान उस कानून में है, तो उसको सर्वथा मना कर देना चाहिए। हम कठिनाई सहन कर लेंगे, लेकिन हम इस प्रकार के प्रावधान को नहीं मानेंगे।

मुश्किलें कब रोक सकी हैं, आगे बढ़ने वालों को,

बाधायें कब बांध सकी हैं, मरकर जीने वालों को।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत की अस्मिता को पहचानिए। आर्थिक स्वाभिमान को प्राप्त करने के लिए, सम्प्रभुता की रक्षा करने के लिए आपको दूसरे देशों के साथ वार्ता करनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस पेटेंट कानून का विरोध करता हूं।

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, मैं अध्यादेश के निरनुमोदन का समर्थन करते हुए इस विधेयक के संबंध में संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूंगा। मुझे इस विधेयक से संबंध में कुछ शंकाएं हैं। इस विधेयक में मूल पेटेंट की अधिनियम की धारा 39 को समाप्त करने का उल्लेख किया गया है। क्या इसको समाप्त करने के बाद भारतीय हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी इस बात का हमें स्पष्ट आश्वासन दें। यह सही है कि जिस प्रकार से विश्व व्यापार संगठन के हम सहभागी बनें, हमने हस्ताक्षर किए और उसके कारण निरंतर विदेशी दबाव, जो बढ़ता चला जा रहा है, उसके कारण ही इस प्रकार के एक के बाद एक नये विधेयक ला करके और उनके द्वारा कानून बनवाने के लिए सरकार अग्रसर हो रही है।

महोदय, अभी हमने एक कानून को सीमा शुल्क के बारे में पारित किया है और दूसरा हम इसको पारित करने जा रहे हैं। जहां तक नयी आर्थिक नीतियों का संबंध है उसके बारे में कोई विशेष नहीं कहना है। भारत की जनता ने, चाहे वह आंध्र प्रदेश की हो, कर्नाटक, महाराष्ट्र या गुजरात की हो उन सबने एक प्रकार से उसके परिप्रेक्ष्य में इस नयी आर्थिक नीति को अस्वीकार किया है और उसी दिशा में इसकी पुनरीक्षा आवश्यक है। स्वयं सरकार के कुछ वरिष्ठ लोगों ने भी उस आर्थिक नीति की गंभीर रूप से आलोचना की है और कहा है कि इसकी पुनरीक्षा की जानी चाहिए, उसको फिर से देखा जाना

चाहिए। इस दृष्टि से समग्र पहलू पर विचार करना आवश्यक है। जहां तक पेटेंट कानून का संबंध है यह बात सही है कि इसके लागू होने के बाद में अब तक जो हमारे क्षेत्र से प्रभाव से मुक्त थे, जैसे कृषि और औषधि क्षेत्र मुक्त था उनको भी इसके अंतर्गत लाया गया है और इसके कारण कृषि क्षेत्र विशेष करके प्रभावित होगा।

महोदय, भारत के किसानों की यह चिंता स्वाभाविक है कि वे जो चीज पैदा करते हैं, वे उससे मुक्त रहेंगे और कृषि व्यवस्था पर तथा दूसरी वस्तुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ-साथ औषधि क्षेत्र के अंदर विशेषज्ञ इस बात की चिंता प्रकट कर रहे हैं। जहां तक रिसर्च या डेवेलपमेंट का सवाल है वह विदेशों के अंदर निश्चित रूप से भारत की उपेक्षा कहीं अधिक है और स्वभावतः वे कुछ ऐसी बातें कह करके अपनी उन औषधियों को, चाहे उनका प्रोसेसिंग हो या प्रोडक्ट हो, उनको पेटेंट करवा करके भारत में उसकी एक्सक्लूजिव मार्केटिंग का लाइसेंस प्राप्त करके, अधिकार प्राप्त करके यहां लाएंगे। उसके कारण भारतीय औषधियों का मूल्य न केवल 2-4 प्रतिशत बढ़ेगा बल्कि वह 3 सौ प्रतिशत तक बढ़ सकता है, इस बात की संभावना कई लोगों ने व्यक्त की है। इस बारे में कई आर्टिकल लिखे गए हैं और कई विशेषज्ञों ने भी इस बारे में कहा है। ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि इसके बारे में थोड़ा सा माननीय मंत्री जी स्पष्ट करेंगे। एक समानांतर व्यवस्था जैसी इसमें लगती है कि क्या हम विदेशी व्यापार को प्राप्त करने की दृष्टि से जो कुछ हमारे पास है, उसको हम खोते तो नहीं जा रहे हैं। चूंकि यह निश्चित है कि जितने बड़े-बड़े देश हैं वे अपनी मंडियां, बाजार खोते चले जा रहे हैं। वहां उनका माल बिकता नहीं है और हमारे यहां वे डम्प करते चले जा रहे हैं। हमारा जो अपना उद्योग है, हमारे यहां के जो उद्यमी हैं, हमारे यहां के जो खोज करने वाले हैं वे निरूत्साहित हों और बाहर की वस्तुएं यहां आ करके, विदेश वाले हमारे भारत को अपना बाजार बना करके यहां की पूंजी लेते जाएं, ऐसी एक आशंका है। इस कारण निश्चित रूप से इसको स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मेरी 2-3 शंकाएं थीं उनके बारे में मैंने यहां पर कहा है। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी उन शंकाओं का उत्तर देते समय स्पष्ट रूप से उनके बारे में बताएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : माननीय सभापति महोदय, यह जो पेटेंट संशोधन विधेयक 1995 संशोधन के लिए लाया गया है, "गैट" समझौते को इस देश में कैसे लागू किया जाए, इस परिप्रेक्ष्य में यहां पर लाया गया है। इस संबंध में कोई छानबीन या बहस नहीं कराई गई कि इसका असर हमारे देश की गरीब जनता और किसानों पर किस प्रकार से पड़ेगा। हमारे देश में जो 1970 का पेटेंट कानून था, उसमें 5 वर्ष की जो समयावधि थी, उसको इस कानून में बढ़ाया गया है। इस कारण बड़े राष्ट्र, जिनके पास प्रयोगशालाएं, टेक्नीशियंस आदि हैं, वे बौद्धिक संपदा को पेटेंट करवा कर नई-नई चीजों के पेटेंट करवा सकेंगे। जैसा अभी रासा सिंह रावत जी बोल रहे थे कि हमारे यहां भी ऋषियों-मुनियों ने आयुर्वेद में बहुत खोजें की हैं, कई फार्मूले तैयार किए, जिनका लाभ पूरा विश्व उठा रहा है, उनका भी पेटेंट होना चाहिए था और हमारे देश को उसके लिए रायल्टी मिलनी चाहिए थी, लेकिन इस बात पर हमारे देश के लोगों ने और सरकार ने भी विचार नहीं किया, जिसका परिणाम आज यह हो रहा है कि हमारे ऋषियों-मुनियों द्वारा बनाए गए फार्मूलों को चोरी करके, उनको पेटेंट करवा कर, हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश की जा रही है। आज स्थिति यह है कि हमारे देश का गरीब आदमी जो पहले से ही जीवन-रक्षक दवाइयों को प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, अब उसकी पहुंच से ये दवाइयां बिल्कुल दूर हो जाएंगी और जिन विदेशी कंपनियों के पास प्रयोगशालाओं और टेक्नीशियंस की सुविधा उपलब्ध है और जिनका यह पेशा रहा है, जो इसके सारे दांव-पेच जानते हैं, इन कामों में माहिर हैं, उनको इसका लाभ होने जा रहा है। हमारे देश का गरीब किसान इन कामों में माहिर नहीं है, इसलिए इन कानूनों का दुरुपयोग होगा और गरीब आदमी का शोषण होगा। हमारी गरीब जनता बड़ी असुविधा में पड़ जाएगी, किसानों को बीज की समस्या पैदा होगी, किसान द्वारा उत्पादित बीज का उपयोग हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि देश की जनता की भलाई और देश की अस्मिता को बचाने के लिए सरकार इस बिल को वापिस ले।

श्री अशोक आनंदराव देशमुख (परभनी) : मान्यवर, यह जो पेटेंट बिल लाया गया है, मैं समझता हूं कि यह गलत समय पर लाया गया है, क्योंकि पहले आपने वादा किया था कि जब सूई जेनेरिस सिस्टम अडाप्ट करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट पेटेंट कानून लाया जाएगा, यही उचित रहेगा क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल राइट्स हैं और जितनी औषधियां तैयार होंगी, जितने भी पेटेंट हो रहे हैं, इनके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं।

जितने विकसित देश हैं, उनके पास दस साल पहले ही सब कुछ पेटेंट बन चुके हैं। वहां पर जितने भी जीन हैं, वाइल्ड स्पीसीज के, उनको प्रोटैक्ट करने की आवश्यकता है। चाहे विन्ध्य पर्वत हो, चाहे नीचे का इलाका हो, चाहे पहाड़ी इलाका हो, जितने वाइल्ड स्पीसीज हैं, उनको प्रोटैक्ट करने की जरूरत है। सरकार ने वायदा किया था और हम उसका समर्थन करते रहे, उस समय भी कि सूई-जेनेरिस सिस्टम होगा तो कुछ अच्छा होगा। इसलिए सारे सदन ने इसका समर्थन किया था। मैं चाहता हूं कि इस बिल के पहले सूई-जेनेरिस सिस्टम का बिल अगर लायेंगे, तो अच्छा होगा। मैं चाहता हूं कि यह बिल जो लाये हैं, इससे वाइल्ड स्पीसीज प्रोटैक्ट नहीं हो पाते हैं। पहले उनको प्रोटैक्ट करें। दूसरे, यूनिवर्सिटीज में जो रिसर्च होती है, जितने भी स्पीसीज बनते हैं, उनकी जो रिसर्च होती है, जितने भी पौधे बनते हैं, उनकी जो रिसर्च होती है, उसकी रायल्टी उनको मिलनी चाहिए। इस बारे में भी बिल पहले सरकार को लेकर सदन में आना चाहिए।

दूसरा, जैसे बासमती चावल है, उसमें वे लोग बिटाजीन डालकर कह सकते हैं कि यह बासमती चावल हमारा है। इसलिए इस पर भी कानून बनना चाहिए। हाइब्रीड जितनी भी होती है और आप जानते हैं कि प्रोडक्ट पेटेंट कैमिकल्स के ऊपर होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने भी पहाड़ हैं, उन पर जितनी दवाइंया हैं, उनका अपना जीन बैंक बनाना है, तभी इस बिल को पास करने की जरूरत है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस बिल को वापिस ले और नए सिरे से नया बिल बनने के बाद जब सदन में विचार करने के लिए आएगा, तब हम उसका समर्थन करेंगे।

5.57 म.प.
[अनुवाद]

सभापटल पर रखे गए पत्र

सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : महोदय, मैं, श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति की ओर से सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क के अंतर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं:—

(1) अधिसूचना संख्या 74/95-सी.शु., जो 20 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय चीन जनवादी गणराज्य से निर्यात हुई थियोफिलीन तथा कैफीन पर क्रमशः एक सौ आठ रुपये और एक सौ एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अनन्तिम पाटन-रोधी शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) अधिसूचना संख्या 75/95-सी.शु., जो 20 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय चीन जनवादी गणराज्य से निर्यात हुई 3, 4, 5 ट्राइमेथोक्सी बैंजाल्डीहाइड पर दो सौ सैंतीस रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अनन्तिम पाटन-रोधी शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 7114/95]

5.58 म.प.

पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 1994 के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प पेटेंट (संशोधन) विधेयक जारी

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) (श्री एम. अरुणाचलम) : महोदय, मैं माननीय सदस्यों का अत्यधिक आभारी हूं कि उन्होंने चर्चा में भाग लिया और विधेयक के संबंध में अपने बहुमूल्य सुझाव, निष्कर्ष और टिप्पणियां दीं।

भारत व्यापार संगठन स्थापित करने के लिए समझौते के तहत हमारी बाध्यताओं को पूरा करने हेतु पेटेंट (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित किया गया था जिसने बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पहलुओं विषयक करार शामिल है। करार के तहत हमारी बाध्यताएं पूरी करते समय विधेयक में भारतीय उपभोक्ताओं तथा आविष्कारकों के हितों की रक्षा हेतु सुरक्षोपाय प्रदान करने की भी मांग की गई है।

इस सम्बन्ध में अत्यधिक आशंका व्यक्त की गई है और अनेक सदस्यों ने पूछा है कि सरकार सीधे सभा में आने की बजाय अध्यादेश क्यों लाई थी। मैं इसे संक्षेप में स्पष्ट करना चाहता हूं। करार की समाप्ति पर सरकार ने हमारी बाध्यताएं पूरी करने हेतु कदम उठाए हैं। मामले पर विचार करने तथा पेटेंट अधिनियम में आवश्यक संशोधन का सुझाव देने हेतु एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया था; विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार किया गया। यह भी जांच की गई थी कि क्या अधिनियम में कुछ संशोधन करने आवश्यक थे अथवा हमें नियमों को संशोधित करने तथा प्रशासनिक अनुदेश जारी करने तक ही स्वयं को सीमित करना आवश्यक था। विधि मंत्रालय के परामर्श से मामले पर गहराई से विचार किया गया था। इस कार्य में समय लगा। उचित विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया था कि हमारी बाध्यताओं को पूरा करने हेतु पेटेंट अधिनियम, 1970 को संशोधित करना होगा। हम से अपेक्षा की गई थी कि हम विश्व व्यापार संगठन के गठन अर्थात् 1 जनवरी, 1995 से पहले अधिनियम में संशोधन कर लें और क्योंकि उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था, पेटेंट अधिनियम, 1970 को संशोधित करते हुए 31 दिसम्बर, 1994 को एक अध्यादेश प्रख्यापित करना पड़ा।

महोदय, व्यापार से संबंधित बौद्धिक सम्पदा करार में न्यूनतम मानक निर्धारित किए गए हैं, जिसे संबंधित पार्टियों द्वारा स्वीकार किया जाना है। पेटेंट के संबंध में व्यापार से संबंधित बौद्धिक सम्पदा करार के प्रावधानों को लागू करने हेतु सभी विकासशील देशों के पास पांच वर्ष की अवधि उपलब्ध है। इसके अलावा, जो देश कतिपय क्षेत्रों में उत्पाद पेटेंट प्रदान नहीं करते हैं वे पांच वर्ष अवधि और ले सकते हैं। यथा उल्लिखित अंतवर्ती अवधि के बावजूद 'ट्रिप्स' करार के तहत एक बाध्यता 1 जनवरी, 1995 से आवेदन फाइल करने हेतु प्रावधान करना था।...**(व्यवधान)**

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, समय समाप्त हो गया है... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं सभा की इस बात पर सहमति चाहता हूं कि क्या सभा का समय बढ़ाया जाए अथवा नहीं...**(व्यवधान)**

कुछ माननीय सदस्य : इस संबंध में कल भी चर्चा की जा सकती है।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : ठीक है। सभा स्थगित होती है।

6.01 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 21 मार्च, 1995/30 फाल्गुन, 1916 (शक) को ग्यारह बजे म.पू. तक के लिए स्थगित हुई।

© 1995 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और डाटा प्वाईंट, 615, सुनेजा टावर–II, डिस्ट्रिक्ट सैन्टर, जनक पुरी, नई दिल्ली–58 (फोन–5505110) द्वारा मुद्रित।